

भारतीय शिक्षा का इतिहास
(HISTORY OF INDIAN EDUCATION)

भारतीय शिक्षा का इतिहास

(HISTORY OF INDIAN EDUCATION)

[षष्ठम् सस्करण : सशोधित एवं परिवर्द्धित]

लेखक

बी० पी० जीहरी

प्रिंसिपल एण्ड प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ऐजुकेशन

आर० ई० आई० टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज

दयालवाग

एव

पी० डी० पाठक

लेक्चरर इन हिस्ट्री ऑफ ऐजुकेशन

आर० ई० आई० टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज

दयालवाग

प्रकाशक

विनोद पुस्तक मन्दिर

कार्यालय : रागेय राघव मार्ग, आगरा-२

विक्री-केन्द्र हॉस्पिटल रोड, आगरा-३

पठम् सस्करण • १९७१

मूल्य : १०.००

कम्पोजिंग : हिन्दी कम्पोजिंग गृह, आगरा

मुद्रण : कलाश प्रिन्टिंग प्रेस, आगरा-२

[२२/१२/७०]

विनोद पुस्तक मन्दिर
एव
भारती भवन, आगरा
के
प्रतिष्ठाता तथा प्रोन्नायक
: स्वर्गीय :
श्री राजकिशोर जी अग्रवाल
को
सादर समर्पित

“विपुल कल्पनाएँ लहरों में,
तरु-छाया में विरह-विपाद ।
मिली घृषा सरिता की गति में,
सम में अगम, गहन उन्माद ॥”

—धुमिघानन्दन पंत

भूमिका

[पष्ठ संस्करण]

स्वतन्त्र भारत में जनतांत्रिक आदर्शों के अनुसार देश में शिक्षा का पुनर्संर्र्गठन और विस्तार करके सभी नागरिकों को 'शिक्षा' का समान अवसर प्रदान किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। आज भारत में 'शिक्षा' एक ऐसा महत्त्वपूर्ण विषय है, जिसकी समस्याओं पर देश के नेताओं और शिक्षाविदों द्वारा गम्भीर चिन्तन एवं विचार-विमर्श किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में 'शिक्षा के इतिहास' के छात्रों और शिक्षा-नौका के कर्णधार के रूप में अध्यापकों के लिये शिक्षा की विभिन्न समस्याओं और उसके क्रमिक विकास का विवेचनात्मक अध्ययन अनिवार्य हो गया है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये 'भारतीय शिक्षा का इतिहास' प्रस्तुत किया जा रहा है।

यों तो 'शिक्षा के इतिहास' पर अनेक सुन्दर और उपयोगी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, परन्तु गत कुछ वर्षों में हमें एक ऐसी पुस्तक का अभाव खटक रहा था, जो भारतीय दृष्टि से देश की शिक्षा के विकास का विवेचन तथा मूल्यांकन करते हुए, प्रशिक्षण-महाविद्यालयों के छात्राध्यापकों के लिये उपयोगी सिद्ध हो सके। इसी लक्ष्य को सामने रखकर प्रस्तुत पुस्तक की रचना की गई थी। हमें आशा थी कि छात्राध्यापकों के लिये यह पुस्तक सुविधाजनक और लाभप्रद सिद्ध होगी। हमारी आशा निष्फल सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि कुछ ही समय में इस पुस्तक का पष्ठ संस्करण प्रकाशित होना, इस बात की ओर संकेत करता है कि जिस उद्देश्य से इस पुस्तक की रचना की गई थी, उसकी शत-प्रतिशत प्राप्ति हो सकी है।

इस पुस्तक को संशोधित और परिवर्द्धित करने में हमें हिन्दी के विद्वान् श्री बी० के० अग्रवाल, एम० ए० से जो हादिक सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके लिये हम उनके अति आभारी हैं।

बी० पी० जीहरी
पी० डी० पाठक

विषय-सूची

विषय-प्रवेश

१. वैदिक-शिक्षा

प्रस्तावना—६, शिक्षा का तात्पर्य ६, शिक्षा के उद्देश्य तथा आदर्श ८, ईश्वर-भक्ति तथा धार्मिकता की भावना ८, चरित्र-निर्माण ८, व्यक्तित्व का विकास ८, नागरिक तथा सामाजिक कर्त्तव्यों का पालन ८, सामाजिक कुशलता की उन्नति ९, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार ९, शिक्षा की व्यवस्था ९, शिक्षा के आधार-भूत तत्त्व एवं विशेषतायें १०, उपनयन १०, विद्याध्ययन प्रारम्भ करने की आयु १०, अध्ययन काल ११, शिक्षा-सत्र ११, शिक्षण का समय ११, विद्यालय-भवन ११, गुरुकुल-प्रणाली १२, छात्र एवं उनका जीवन १२, अध्यापको के प्रति छात्रों के कर्त्तव्य १३, छात्रों के प्रति अध्यापको के कर्त्तव्य १३, दण्ड १४, निशुल्क शिक्षा १४, बाह्य नियन्त्रण से मुक्ति १४, पाठ्य-क्रम १५, शिक्षण-विधि १५, समावर्तन-उपदेश १५, स्त्री-शिक्षा १६, व्यावसायिक शिक्षा १६, उपसंहार १७, सारांश १८, टैस्ट क्वेश्चन्स १९ ।

२. बौद्ध-शिक्षा

प्रस्तावना २०, शिक्षा की व्यवस्था २०, सार्वजनिक या प्राथमिक शिक्षा २१, उच्च-शिक्षा २१, शिक्षा के आधारभूत तत्त्व एवं विशेषतायें २२, विद्यार्थित्व २२, छात्रों का चुनाव २२, विद्याध्ययन प्रारम्भ करने की आयु २३, पद्मजा सस्कार २३, उपसम्पदा २३, अध्ययन काल २४, छात्र-जीवन सम्बन्धी नियम २४, गुरु के प्रति छात्र के कर्त्तव्य २४, छात्र के प्रति गुरु का कर्त्तव्य २४, गुरु-शिष्य सम्बन्ध २५, पाठ्य-क्रम २५, शिक्षण-विधि २५, शिक्षा का माध्यम २५, शिक्षा की पद्धति २६, शास्त्रीय विवाद २६, सामान्य विद्यालय २६, स्त्री-शिक्षा २६, व्यावसायिक शिक्षा २७, ब्राह्मणीय और बौद्ध-शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन २७, उपसंहार ३०, सारांश ३१, टैस्ट क्वेश्चन्स ३२ ।

३. मुस्लिम-कालीन शिक्षा

प्रस्तावना ३३, मुस्लिम शासकों के समय में शिक्षा ३३, शिक्षा के उद्देश्य ३८, शिक्षा की व्यवस्था ४०, प्राथमिक शिक्षा ४०, भक्तव में प्रवेश ४१, शिक्षा का पाठ्य-क्रम ४१, उच्च-शिक्षा ४२, शिक्षा का पाठ्य-क्रम ४२, शिक्षण विधि ४३, अन्य विशेषतायें ४३, शिक्षा के आधारभूत तत्त्व एवं विशेषतायें ४४, शिक्षा को प्रोत्साहन ४४, शिक्षा की व्यापकता का अभाव ४४, प्रान्तीय भाषाओं की उपेक्षा ४४, शिक्षा का लौकिक दृष्टिकोण ४५, गुरु-शिष्य सम्बन्ध ४५, अनुशासन तथा दण्ड-विधान ४५, विशिष्ट शिक्षा ४६, स्त्री-शिक्षा ४६, सैनिक शिक्षा ४७, ललित कलाओं की शिक्षा ४७, व्यावसायिक शिक्षा ४७, उपसंहार ४७, साराश ४८, टेस्ट क्वेश्चन्स ४९ ।

४ भारतीय शिक्षा का रूप

(१९वीं शताब्दी के आरम्भ में)

प्रस्तावना ५१, प्राथमिक शिक्षा . मद्रास ५१, बम्बई, ५३, बंगाल ५४, उच्च-शिक्षा . बंगाल ५५, मद्रास, ५६, बम्बई ५६, देशी शिक्षा-व्यवस्था . टिप्पणी ५७, देशी शिक्षा की अवनति के कारण ५७, ब्रिटिश शिक्षा-नीति की समीक्षा ५८, साराश ५९, टेस्ट क्वेश्चन्स ६० ।

५. आधुनिक शिक्षा का बीजारोपण

प्रस्तावना ६२, भारत में विदेशी व्यापारिक कम्पनियों ६२, आधुनिक शिक्षा का प्रारम्भ ६३, मिशनरियों के शिक्षा-प्रयास . पुर्तगाली ६३, फ्रान्सीसी ६४, डच ६४, डेन ६५, अंग्रेज ६६, मिशनरियों के शिक्षा-कार्य की समीक्षा ६६, साराश ६६, टेस्ट क्वेश्चन्स ६७ ।

६. ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के प्रारम्भिक शिक्षा-प्रयास

(१६००-१८१३)

प्रस्तावना ६८, कम्पनी की प्रारम्भिक नीति (१६००-१७६५) ६८, दान-आश्रित विद्यालय ६९, मद्रास ६९, बम्बई ६९, कम्पनी की शिक्षा-नीति (१७६५-१८१३) ७०, कलकत्ता मदरसा ७१, बनारस संस्कृत कालेज ७२, फोर्ट विलियम कालेज ७२, व्यक्तिगत शिक्षा-कार्य ७२, मिशनरियों के शिक्षा एवं धर्म-प्रचार के कार्य ७३, चार्ल्स ग्राट ७४, १७९३ का आज्ञा-पत्र ७५, भारतीय शिक्षा में प्राच्यवादी नीति ७६, १८१३ का आज्ञा-पत्र ७६, साराश ७७, टेस्ट क्वेश्चन्स ७८ ।

७ शिक्षा की अनिश्चित नीति

(१८१३-१८३३)

प्रस्तावना ७९, विवाद के विषय ७९, मचालों का शिक्षा-आदेश ८०, कम्पनी के उच्च अधिकारियों का मन ८१, तत्कालीन इंग्लैण्ड की सामाजिक दशा का

प्रभाव ८२, राजकीय शिक्षा-प्रयास (१८३३-३३) : बंगाल ८२, बम्बई ८३, मद्रास ८४, कम्पनी की शिक्षा-नीति की समीक्षा ८६, मिशनरी शिक्षा-प्रयास (१८१३-३३) : बंगाल ८७, बम्बई ८७, मद्रास ८८, अन्य स्थान ८८, मिशनरियों का शिक्षा-कार्य : एक टिप्पणी ८८, गैर-मिशनरी शिक्षा-प्रयास (१८३३-३३) बंगाल ८९, बम्बई ९०, मद्रास ९२, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली ९१, १८३३ का आज्ञा-पत्र ९१, सारास ९२, टैस्ट क्वेश्चन्स ९३ ।

८. प्राच्य-पाश्चात्य शिक्षा-विवाद एवं निस्यन्दन-सिद्धान्त (१८३३-१८५३)

प्रस्तावना ९४, प्राच्यवादी ९४, पाश्चात्यवादी ९५, मॅकॉले का विवरण-पत्र ९५, वेटिक की स्वीकृति ९७, भारतीय शिक्षा के इतिहास में मॅकॉले का स्थान ९८, ऑकलैण्ड का विवरण-पत्र एवं प्राच्य-पाश्चात्य विवाद का अन्त १०९, ऐडम-योजना की अस्वीकृति १०१, निस्यन्दन-सिद्धान्त १०२, सारास १०४, टैस्ट क्वेश्चन्स १०५ ।

९. शिक्षा की प्रगति (१८३३-१८५३)

प्रस्तावना १०६, बंगाल : वेटिक एवं ऑकलैण्ड के शिक्षा-कार्य १०६, हाडिडज के शिक्षा-कार्य १०६, डलहौजी के शिक्षा-कार्य १०७, शिक्षा-परिपद १०७, व्यक्तिगत शिक्षा-कार्य १०७, मिशनरियों के शिक्षा-कार्य १०७, शिक्षा का माध्यम १०८, बम्बई : बम्बई भारतीय शिक्षा-समिति १०८, राजकीय प्रयास १०८, शिक्षा-बोर्ड १०८, शिक्षा का माध्यम १०९, शिक्षा की प्रगति ११०, मद्रास राजकीय प्रयास ११०, मिशनरी एवं व्यक्तिगत प्रयास १११, पश्चिमोत्तर प्रान्त १११, टामसन का निर्णय १११, टामसन की योजनायें ११२, तहसीली स्कूल ११२, हल्कावन्दी स्कूल ११२, पंजाब ११३, उच्च शिक्षा : पश्चिमोत्तर प्रान्त ११३, अन्य प्रान्त ११३, व्यावसायिक शिक्षा ११४, चिकित्सा-शिक्षा . बंगाल ११४, मद्रास ११४, बम्बई ११४, पाश्चात्य चिकित्सा-शिक्षा की प्रारम्भिक कठिनाई ११४, इंजीनियरिंग की शिक्षा : बंगाल ११५, बम्बई ११५, मद्रास ११५, पश्चिमोत्तर प्रान्त ११६, कातून की शिक्षा ११६, अन्य शिक्षा-संस्थाएँ ११६, उपसंहार ११७, सारास ११७, टैस्ट क्वेश्चन्स ११८ ।

१०. वुड का शिक्षा घोषणा-पत्र (१८५४)

कम्पनी का नया आदेश-पत्र १२०, घोषणा-पत्र में विवादग्रस्त विषयों का सिंहावलोकन १२०, घोषणा-पत्र की सिफारिशें : शिक्षा का उद्देश्य १२१, पाठ्य-क्रम १२१, शिक्षा का माध्यम १२२, जन-शिक्षा-विभाग की स्थापना १२२, विश्वविद्यालयों की स्थापना १२२, ब्रम्बद्ध विद्यालयों की स्थापना १२२, जन-शिक्षा-प्रसार १२३, सहायता अनुदान-पद्धति १२३, अध्यापकों का प्रशिक्षण १२४, स्त्री-शिक्षा १२४,

व्यावसायिक शिक्षा १२५, प्राच्य-साहित्य को प्रोत्साहन १२५, शिक्षा और रोजगार १२५, घोषणा-पत्र का मूल्यांकन १२५, गुण १२५, दोष १२८, निष्कर्ष १३१, सारांश १३१, टैस्ट क्वेश्चन्स १३६ ।

११. शिक्षा की प्रगति

(१८५४-१८८२)

शासन-सत्ता का हस्तान्तरण १३४, इस काल के मुख्य अभिलेख : ऐलेनबरा का आदेश-पत्र १३५, स्टैनले का आदेश-पत्र १३५, शिक्षा-प्रसार के साधन : शिक्षा-विभागों का संगठन १३६, सहायता-अनुदान-प्रणाली १३७, शिक्षा-प्रसार के साधनों का भारतीयकरण १३८, प्राथमिक शिक्षा १३६, प्राथमिक विद्यालयों की संख्या (१८८१-८२) १४०, मद्रास १४०, बम्बई १४०, बंगाल १४१, पश्चिमोत्तर प्रान्त १४१, पंजाब १४१, मध्य प्रदेश १४१, आसाम १४१, बरार १४१, कुर्ग १४१, प्राथमिक शिक्षा पर व्यय १४२, प्राथमिक शिक्षा के लिए कर १४२, समीक्षा १४३, माध्यमिक शिक्षा १४४, राजकीय विद्यालय १४४, मिशन विद्यालय १४४, भारतीयों द्वारा संचालित विद्यालय १४४, माध्यमिक शिक्षा के दोष, १४४, मातृ-भाषाओं की अवहेलना १४४, दीक्षित-शिक्षकों का अभाव १४५, पुस्तकीय ज्ञान पर बल १४५, औद्योगिक शिक्षा का अभाव १४५, उच्च शिक्षा १४६, विश्वविद्यालयों की स्थापना १४६, विश्वविद्यालयों का प्रबन्ध १४७, विश्वविद्यालयों के कार्य १४७, विश्वविद्यालयों का आलोचनात्मक अध्ययन १४७, कॉलेजों की स्थापना १४६, सरकारी कॉलेज १४६, गैर-सरकारी कॉलेज १४६, व्यावसायिक-शिक्षा १५०, चिकित्सा-शिक्षा १५०, कानून की शिक्षा १५०, इंजीनियरिंग की शिक्षा १५०, कृषि की शिक्षा १५१, पशु-चिकित्सा-शिक्षा १५१, वन-विज्ञान की शिक्षा १५१, कला की शिक्षा १५१, प्राविधिक एवं औद्योगिक शिक्षा १५१, अध्यापकों का प्रशिक्षण १५२, विशिष्ट शिक्षा १५२, स्त्रियों की शिक्षा १५३, प्राथमिक शिक्षा १५३, माध्यमिक एवं उच्च-शिक्षा १५३, स्त्री-प्रशिक्षण १५४, पाठ्य-क्रम १५५, मुसलमानों की शिक्षा १५५, पिछड़ी जातियों एवं हरिजनों की शिक्षा १५७, आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों की शिक्षा १५८, सारांश १५८, टैस्ट क्वेश्चन्स १६० ।

१२. भारतीय शिक्षा-आयोग (हन्टर कमिशन)

(१८८२-१८८३)

प्रस्तावना १६१, आयोग की नियुक्ति के आधारभूत कारण १६१, आयोग की नियुक्ति १६३, आयोग का कार्य-क्षेत्र एवं उद्देश्य १६३, आयोग की मिसफरिसें और गुणवत्ता १६४, प्राथमिक शिक्षा १६४, प्राथमिक शिक्षा की नीति १६४, संगठन १६५, पाठ्य-क्रम १६५, अधिकाधिक व्ययस्या १६६, अध्यापकों का प्रशिक्षण १६६, समीक्षा १६७, देशी शिक्षा १६७, समीक्षा १६८, माध्यमिक शिक्षा १६८, समीक्षा १६६,

अध्यापको का प्रशिक्षण १७०, उच्च शिक्षा १७०, शिक्षा-विभाग १७१, सहायता-अनुदान प्रणाली १७१, समीक्षा १७२, शिक्षा के साधनों का भारतीयकरण १७३, मिशनरी प्रयास १७४, धार्मिक शिक्षा १७५, टिप्पणी १७६, मुस्लिम शिक्षा १७६, समीक्षा १७७, स्त्री-शिक्षा १७८, मार्गजनिक कोष १७८, सहायता अनुदान १७८, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य-पुस्तकों में विभिन्नता १७८, शुल्क एवं छात्रवृत्तियाँ १७८, माध्यमिक शिक्षा १७९, छात्रावास १७९, बन्वा-विद्यालया का स्थानीय सस्थाओं को हस्तान्तरण १७९, अध्यापिकाओं की व्यवस्था १७९, पर्दानशीन स्त्रियों की शिक्षा १७९, निरीक्षिकाओं की नियुक्ति १७९, जनता का सहयोग १८९, समीक्षा १७९, हरिजनो तथा पिछड़ी जातियों की शिक्षा १८०, आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों की शिक्षा १८०, भारतीय शिक्षा-आयोग का मूल्यांकन १८१, साराश १८२, टैस्ट वेश्चन्स १८४ ।

१३ शिक्षा की प्रगति

(१८८२-१९०२)

प्रस्तावना १८५, प्राथमिक शिक्षा १८५, समीक्षा १८६, माध्यमिक-शिक्षा १८६, समीक्षा १८७, उच्च शिक्षा (विश्वविद्यालय एवं कॉलेज) १८८, समीक्षा १८९, स्त्रियों की शिक्षा १९२, प्राथमिक शिक्षा १९२, माध्यमिक शिक्षा १९२, उच्च-शिक्षा १९२, व्यावसायिक शिक्षा १९२, मुसलमानों की शिक्षा १९३, हरिजनो एवं पिछड़ी जातियों की शिक्षा १९३, आदिवासिया एवं पहाड़ी जातियों की शिक्षा १९५, व्यावसायिक शिक्षा १९६, कानून की शिक्षा १९६, चिकित्सा शिक्षा १९७, इन्जीनियरिंग की शिक्षा १९६, कृषि-शिक्षा १९७, पशु-चिकित्सा-शिक्षा १९७, वन विज्ञान की शिक्षा १९७, कला की शिक्षा १९८, वाणिज्य-शिक्षा १९८, प्राविधिक एवं औद्योगिक शिक्षा १९८, व्यावसायिक शिक्षा का पुनरावलोकन १९८, साराश १९८, टैस्ट वेश्चन्स २०० ।

१४. लार्ड कर्जन की शिक्षा-नीति

(१८९९-१९०५)

प्रस्तावना २०१, कर्जन का भारत आगमन २०१, शिमला शिक्षा-सम्मेलन (१९०१) २०२, विश्वविद्यालय एवं उच्च-शिक्षा २०३, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (१९०२) २०३, नियुक्ति के कारण २०३, जाँच का विषय २०४, सुझाव २०४, आयोग का मूल्यांकन २०५, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (१९०४) २०५, भारतीय प्रतिक्रिया २०६, विश्वविद्यालय अधिनियम का मूल्यांकन २०७, कॉलेजों में सुधार २०८, शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव २०९, कर्जन और माध्यमिक-शिक्षा २१०, शिक्षा-विभाग द्वारा मान्यता २११, विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता २११, मान्यता-प्राप्त विद्यालयों को सुविधायें २१२, अमान्य विद्यालयों के छात्रों पर

प्रतिबन्ध २१२, माध्यमिक-विद्यालयों की गुणात्मक उन्नति २१३, कर्जन और प्राथमिक शिक्षा २१३, प्राथमिक विद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि २१४, प्राथमिक विद्यालयों की गुणात्मक उन्नति २१५, अध्यापकों का प्रशिक्षण २१५, पाठ्यक्रम में सुधार २१५, सहायता-अनुदान २१६, कर्जन के अन्य शिक्षा-कार्य २१६, कृषि-शिक्षा २१६, कला की शिक्षा २१७, नैतिक शिक्षा २१८, पुरातत्त्व विभाग का निर्माण २१८, केन्द्रीय शिक्षा-विभाग की स्थापना २१८, विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ २१९, भारतीय शिक्षा को कर्जन की देन २१९, सारास २२१, टैस्ट क्वेश्चन्स २२२ ।

१५. राष्ट्रीय आन्दोलन एवं शिक्षा की प्रगति

(१९०५-१९२१)

प्रस्तावना २२३, राष्ट्रीय शिक्षा का विकास (१९०५-१९२१) २२४, राष्ट्रीय शिक्षा की भावना का आविर्भाव २२४, राष्ट्रीय शिक्षा की माँग २२५, राष्ट्रीय शिक्षा की रूप-रेखा २२५, भारतीय नियन्त्रण २२६, स्वदेश-प्रेम की शिक्षा २२६, दास्य-अनुकरण का अन्त २२६, पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञानों का अध्ययन २२७, अंग्रेजी के प्रभुत्व का अन्त २२७, व्यावसायिक शिक्षा पर बल २२८, राष्ट्रीय विद्यालयों का निर्माण २२८, राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज (१९२१-२२) २३०, राजकीय शिक्षा-प्रयास (१९०५-२१) २३०, शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव (१९१३) २३१, आधार-मूल सिद्धान्त २३१, प्राथमिक शिक्षा-सम्बन्धी सिफारिशें २३२, माध्यमिक शिक्षा-सम्बन्धी सिफारिशें २३२, विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा २३३, टिप्पणी २३४, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (१९१७) : नियुक्ति का कारण २३४, सदस्य २३४, जाँच का विषय २३५, अधिकार-क्षेत्र २३५, रिपोर्ट २३५, सुझाव २३५, आयोग के सुझाव २३५, माध्यमिक शिक्षा के दोष २३५, माध्यमिक शिक्षा-सम्बन्धी सुझाव २३६, कलकत्ता विश्वविद्यालय-सम्बन्धी सुझाव २३६, भारतीय विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में सामान्य सुझाव २३७, स्त्री-शिक्षा २३८, अध्यापक-प्रशिक्षण २३८, प्रौद्योगिक शिक्षा २३८, व्यावसायिक शिक्षा २३८, आयोग का मूल्यांकन २३८, शिक्षा की प्रगति (१९०५-१९२१) : उच्च-शिक्षा (विद्यालय एवं कॉलेज) : नवीन विश्वविद्यालयों का निर्माण २३९, मैसूर-विश्वविद्यालय २४०, पटना विश्वविद्यालय २४०, बनारस विश्वविद्यालय २४०, अलीगढ़ विश्वविद्यालय २४०, ढाका विश्वविद्यालय २४०, लखनऊ विश्वविद्यालय २४०, उस्मानिया विश्वविद्यालय २४०, विश्वविद्यालयों की सहायता-अनुदान २४०, विश्वविद्यालयों का शिक्षण-कार्य २४१, कॉलेजों का प्रसार २४१, कॉलेजों की सहायता-अनुदान २४२, कॉलेजों का शिक्षण-कार्य २४२, माध्यमिक शिक्षा (१९०५-१९२१) २४३, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था २४२, अंग्रेजी-शिक्षण में सुधार २४३, शिक्षा का माध्यम २४३, अध्यापकों का प्रशिक्षण २४३, टिप्पणी २४४, प्राथमिक शिक्षा (१९०५-१९२१) २४४, शिक्षा-नीति-सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव २४५, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के प्रयास (१९१७-१९२१) २४५, बहोदा-नरेश

का प्रथम प्रयास २४६, गोखले का प्रयास २४६, गोखले का प्रस्ताव २४७, गोखले का विधेयक २४८, बम्बई प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम (१९१८) २४९, पंजाब २५०, संयुक्त प्रान्त २५०, बंगाल २५०, बिहार व उड़ीसा २५१, बम्बई २५१, मध्य-प्रान्त २५१, मद्रास २५१, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति (१९०५-१९२१) २५१, प्राथमिक शिक्षा की संख्यात्मक वृद्धि २५१, प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति २५२, अध्यापक प्रशिक्षण २५२, अध्यापको का वेतन २५२, पाठ्यक्रम २५२, भवन और शिक्षण-सामग्री २५२, समीक्षा २५२, स्त्रियों की शिक्षा (१९०५-१९२१) २५३, शिक्षा-नीति-सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव (१९१३) २५३, उच्च शिक्षा २५४, माध्यमिक शिक्षा २५४, प्राथमिक शिक्षा २५५, व्यावसायिक शिक्षा २५५, मुसलमानों की शिक्षा (१९०५-१९२१) २५५, मुस्लिम छात्र २५५, मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएँ २५६, विशिष्ट एवं पृथक् स्कूल २५६, टिप्पणी २५६, हरिजनो की शिक्षा (१९०५-१९२१) २५६, राजकीय प्रयास २५७, व्यक्तिगत प्रयास २५७, हरिजनो का प्रयास २५८, टिप्पणी २५८, आदिवासियो एव पहाड़ी जातियो की शिक्षा २५८, अपराधी जातियो की शिक्षा २५९, व्यावसायिक शिक्षा (१९०५-१९२१) २५९, साराश २६०, टेस्ट क्वेश्चन्स २६२ ।

१६. द्वैध-शासन में शिक्षा की प्रगति

(१९२१-१९३७)

प्रस्तावना २६४, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट २६४, द्वैध-शासन की स्थापना २६५, शिक्षा-मंत्रियों की कठिनाइयाँ २६५, हर्टाग समिति २६६, हर्टाग समिति की रिपोर्ट २६७, उच्च शिक्षा (१९२१-३७) विश्वविद्यालयों का निर्माण २६८, पुराने विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन २६८, विश्वविद्यालय-शिक्षा २६९, हर्टाग समिति और विश्वविद्यालय-शिक्षा २७०, माध्यमिक शिक्षा (१९२१-३७) २७१, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार २७१, शिक्षा का माध्यम २७२, माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक २७३, हर्टाग समिति और माध्यमिक शिक्षा २७३, समीक्षा २७४, प्राथमिक शिक्षा (१९२१-३७) २७५, प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम २७५, बम्बई २७५, आसाम २७५, संयुक्त-प्रान्त २७५, बंगाल २७५, हर्टाग समिति और प्राथमिक शिक्षा २७६, अपभ्यय एवं अवरोधन २७७, शिक्षा-सम्बन्धी सुझाव २७८, समीक्षा २७९, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार २८०, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र २८०, व्यावसायिक शिक्षा (१९२१-३७) २८१, कानून की शिक्षा २८१, चिकित्सा २८१, इंजीनियरिंग शिक्षा २८१, पशु-चिकित्सा-शिक्षा २८२, वन-विज्ञान-शिक्षा २८२, कला की शिक्षा २८२, वाणिज्य शिक्षा २८२, कृषि की शिक्षा २८२, प्राविधिक एव औद्योगिक शिक्षा २८३, अन्य सस्थाएँ २८५, स्त्रियों की शिक्षा (१९२१-३७) २८५, हर्टाग समिति और स्त्री शिक्षा २८६, मुसलमानों की शिक्षा (१९२१-१९३७) २८८, हर्टाग समिति और मुस्लिम-शिक्षा २८८, हरिजनो की शिक्षा (१९२१-१९३१) २८८, अन्य पिछड़ी जातियों की शिक्षा २९०, आदिवासी एवं पहाड़ी जातियाँ २९०, अपराधी जातियाँ २९०, राष्ट्रीय

शिक्षा (१९२१-१९३७) २९०, जामिया-मिलिया इस्लामिया दिल्ली २९०, विश्व-भारती २९१, गुरुकुल विश्वविद्यालय २९१, दारुल-उलूम देवबन्द २९२, दारुल-उलूम नदवतुल उलेमा २९२, प्रौढ-शिक्षा (१९२१-१९३७) २९३, निष्कर्ष २९३, सारास २९३, टैस्ट क्वेश्चन्स २९५ ।

१७. प्रान्तीय स्वशासन में शिक्षा की प्रगति (१९३७-१९४७)

प्रस्तावना २९६, प्रान्तीय स्वशासन की स्थापना २९६, केन्द्रीय सरकार के शिक्षा-कार्य (१९३७-४७) २९७, केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड २९७, केन्द्रीय शिक्षा-सचिवालय २९८, केन्द्रीय शिक्षा-सूचना कार्यालय २९८, विश्वविद्यालय अनुदान-समिति २९८, ऐक्ट एण्ड बुड रिपोर्ट (१९३६-३७) २९९, सामान्य शिक्षा-सम्बन्धी सिफारिशें २९९, व्यावसायिक शिक्षा-सम्बन्धी सिफारिशें ३००, रिपोर्ट का मूल्यांकन ३०१, उच्च-शिक्षा (१९३७-१९४७) ३०१, शिक्षा-विस्तार के कारण ३०२, नवीन विश्वविद्यालयों का निर्माण ३०२, माध्यमिक-शिक्षा ३०२, शिक्षा की मंद प्रगति के कारण ३०३, माध्यमिक शिक्षा की अन्य विशेषतायें ३०३, माध्यमिक शिक्षा के दोष ३०४, प्राथमिक शिक्षा (१९३७-१९४७) ३०५, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ३०५, प्राथमिक शिक्षा-सम्बन्धी अन्य कार्य ३०५, प्राथमिक शिक्षा की विशेषताएँ ३०६, व्यावसायिक शिक्षा (१९३७-१९४०) ३०६, कानून की शिक्षा ३०६, चिकित्सा-शिक्षा ३०६, वाणिज्य की शिक्षा ३०७, कला की शिक्षा ३०७, कृषि की शिक्षा ३०७, इंजीनियरिंग की शिक्षा ३०७, प्राविधिक शिक्षा ३०७, अखिल भारतीय-प्राविधिक शिक्षा समिति ३०७, स्त्रियों की शिक्षा (१९३७-१९४७) ३०८, मुसलमानों की शिक्षा (१९३७-१९३७) ३०८, हरिजनों की शिक्षा (१९३६-१९४७) ३०९, प्रौढ-शिक्षा (१९३७-१९४७) ३१०, प्रौढ-शिक्षा के उद्देश्य एवं महत्त्व ३१०, प्रान्तों में प्रौढ-शिक्षा कार्य ३११, आसाम ३११, बंगाल ३११, बिहार ३११, बम्बई ३१२, उड़ीसा ३१३, पंजाब ३१३, उत्तर प्रदेश ३१३, मैसूर ३१३, निष्कर्ष ३१४, सारास ३१४, टैस्ट क्वेश्चन्स ३१६ ।

१८. प्राथमिक शिक्षा की नवीन योजनाएँ [विद्या-मन्दिर, वातन्टरी स्कूल व बेसिक शिक्षा] (१९३७-१९४७)

प्रस्तावना ३१७, विद्या-मन्दिर योजना ३१८, विद्यामन्दिर योजना की प्रगति ३१९, वातन्टरी स्कूलों की योजना ३१९, वैगिक शिक्षा की योजना : ३२०, महात्मा गांधी के शिक्षा-विषयक विचार ३२०, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन ३२१, जाति-हृमन समिति ३२१, योजना की रूपरेखा ३२२, पाठ्य-क्रम ३२३, अध्यापन-विधि ३२३, भ्रष्टाचार ३२४, नामाकरण के कारण ३२४, वैगिक शिक्षा के उद्देश्य ३२५,

बेसिक शिक्षा की विशेषतायें ३२७, बेसिक शिक्षा के दोष ३२८, उपसंहार ३२९, बेसिक शिक्षा का इतिहास (१९३७-१९४७) · बेसिक शिक्षा (१९३७-४०) ३२९, बेसिक शिक्षा (१९४०-४५) ३३०, बेसिक शिक्षा (१९४५-४७) ३३१, बेसिक शिक्षा एवं केन्द्रीय-सरकार ३३१, साराश ३३३, टेस्ट क्वेश्चन्स ३३४ ।

१९. युद्धोत्तर शिक्षा-प्रगति

(सार्जेंट-योजना : १९४४)

प्रस्तावना ३३५, सार्जेंट-रिपोर्ट की सिफारिशें ३३६, पूर्व-प्रारम्भिक शिक्षा ३३६, प्राथमिक अथवा बेसिक शिक्षा ३३६, हार्ड-स्कूल शिक्षा ३३८, विद्वद्विद्यालय-शिक्षा ३३७, प्राविधिक, वाणिज्य एवं कला शिक्षा ३३८, प्रौढ-शिक्षा ३३९, अध्यापकों का प्रशिक्षण ३३९, छात्रों का स्वास्थ्य ३३९, विकलांग छात्रों की शिक्षा ३४०, विनोदात्मक तथा सामाजिक क्रियायें ३४०, सेवा-योजनालय ३४०, शिक्षा का प्रशासन ३४०, सार्जेंट-योजना का मूल्यांकन ३४१ गुण ३४२, दोष ३४२, निष्कर्ष ३४३, सार्जेंट-योजना और केन्द्रीय-सरकार ३४४, साराश ३४५, टेस्ट क्वेश्चन्स ३४५ ।

२०. अंग्रेजी शासन-काल में शिक्षा

(सिंहावलोकन)

प्रस्तावना ३४६, अंग्रेजी शिक्षा के लाभ ३४६, पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान के सम्पर्क ३४६, भारतीय समाज का आधुनीकरण ३४७, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक जागृति ३४७, वैज्ञानिक उन्नति ३४७, ललित कलाओं का पुनरुत्थान ३४८, लोकप्रिय राजनीतिक समस्याओं का विकास ३४८, शिक्षा-प्रसार के नवीन साधन ३४८, भारतीय पुनर्जागरण ३४८, अंग्रेजी शिक्षा की हानियाँ ३४८, अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली—देश के वातावरण के प्रतिकूल ३४०, राष्ट्रीय विशेषताओं का विनाश ३४९, अंग्रेजी शिक्षा का निष्पृष्ट ध्येय ३४९, अंग्रेजी माध्यम के दुष्परिणाम, ३४९, धर्महीनता एवं नैतिक पतन ३४९, शिक्षा का मन्द विकास ३५०, राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली के विकास में असफलता ३५०, प्राच्य तथा पाश्चात्य आदर्शों का समन्वय में असफलता ३५०, साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण ३५१, शिक्षा के उद्देश्यों में अस्थिरता ३५१, शिक्षा-प्रसार की दोषपूर्ण विधियाँ ३५२, शिक्षा-विभाग की अवहेलना ३५२, निष्कर्ष ३५२, साराश ३५३, टेस्ट क्वेश्चन्स ३५४ ।

२१. प्राथमिक एवं बेसिक शिक्षा

(१९४७-१९७०)

प्रस्तावना ३५५, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ३५५, प्राथमिक शिक्षा पर विहंगम दृष्टिपात ३५६, बेसिक शिक्षा ३५८, पंचवर्षीय योजनाओं में बेसिक शिक्षा की प्रगति ३६०, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रगति में योग ३६०, बेसिक शिक्षा-प्रसार के आधारभूत तत्त्व ३६१, बेसिक शिक्षकों का प्रशिक्षण ३६१, उत्तर-बेसिक प्रशिक्षण-विद्यालय

३६२ वेसिक-शिक्षा की समस्यायें व कठिनाइयाँ ३६२, सरकार की उदासीनता ३६३, वेसिक-शिक्षा-प्रणाली से जनता की अनभिज्ञता ३६४, वेसिक शिक्षा की गलत धारणा ३६४, उच्च वर्ग के व्यक्तियों का दृष्टिकोण ३६४, अभिभावकों का दृष्टिकोण ३६५, शिक्षकों का अभावग्रस्त जीवन ३६५, स्कूल-भवनो का अभाव ३६५, अन्य समस्याएँ एवं कठिनाइयाँ ३६५, वेसिक-शिक्षा का विहंगावलोकन ३६६, साराश ३६७, टैस्ट क्वेश्चन्स ३६८ ।

२२. माध्यमिक शिक्षा और उसके दोष

(१९४७-१९७०)

प्रस्तावना ३७०, माध्यमिक विद्यालयों के प्रकार ३७१, माध्यमिक-शिक्षा का प्रसार ३७१, केन्द्रीय सरकार और माध्यमिक शिक्षा ३७२, पंचवर्षीय योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा ३७२, माध्यमिक शिक्षा का विहंगावलोकन ३७३, माध्यमिक-शिक्षा के दोष ३७६, उद्देश्य-विहीनता ३७६, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम ३७७, अनुशासन-हीनता ३७७, व्यक्तिगत स्कूलों की अवाछनीय वृद्धि ३७८, शिक्षा का निम्न स्तर ३७९, दोष-पूर्ण परीक्षा-प्रणाली ३७९, सुसंगठित सामाजिक जीवन का अभाव ३७९, निष्कर्ष ३७९, साराश ३८०, टैस्ट क्वेश्चन्स ३८१ ।

२३. माध्यमिक शिक्षा-आयोग

'मुदालियर कमिशन'

(१९५२-१९५३)

प्रस्तावना ३८२, आयोग की नियुक्ति ३८३, आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य ३८३, आयोग के विचार एवं सुझाव ३८३, माध्यमिक शिक्षा के दोष ३८३, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य ३८४, माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठन ३८५, भाषाओं का अध्ययन ३८६, माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्य-क्रम ३८७, पाठ्य-क्रम के विषय ३८७, शिक्षण की प्रावैगिक विधियाँ ३८७, चरित्र-निर्माण की शिक्षा ३८८, माध्यमिक विद्यालयों में मार्ग-प्रदर्शन एवं समुपदेशन, ३८९, छात्रों का शारीरिक कल्याण ३८९, परीक्षा एवं शैक्षिक मूल्यांकन ३९०, अध्यापकों की उन्नति ३९०, अध्यापकों का प्रशिक्षण ३९१, प्रशासन की समस्यायें ३९२, माध्यमिक शिक्षा-आयोग का मूल्यांकन ३९२, गुण ३९३, दोष ३९४, निष्कर्ष ३९४, आयोग के सुझावों का कार्यान्वयन ३९४, साराश ३९५, टैस्ट क्वेश्चन्स ३९६ ।

२४. विश्वविद्यालय-शिक्षा

(१९५२-१९५३)

प्रस्तावना ३९७, विश्वविद्यालयों के प्रकार ३९७, भारत के विश्वविद्यालय ३९८, विश्वविद्यालय-अनुदान आयोग (१९५३) ४००, विश्वविद्यालयों में सामान्य

शिक्षा ४०१, त्रि-वर्षीय डिग्री पाठ्य-क्रम ४०२, केन्द्रीय विश्वविद्यालय ४०२, विश्व-विद्यालय-शिक्षा के दोष ४०२, विश्वविद्यालय-शिक्षा में अपव्यय ४०३, विभिन्न परीक्षाओं के फल (१९५५-५६) ४०४, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम ४०४, शिक्षा में विशिष्टीकरण ४०५, छात्रों के पथ-प्रदर्शन की व्यवस्था न होना ४०५, शिक्षा का निम्न स्तर ४०६, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना ४०६, दोषपूर्ण परीक्षा-प्रणाली ४०७, अन्य दोष ४०८, निष्कर्ष ४०८, विश्वविद्यालय-शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ ४०८, सारांश ४०९, टेस्ट क्वेश्चन्स ४१० ।

२५. विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग

‘राधाकृष्णन् कमीशन’

(१९४८-१९४९)

प्रस्तावना ४११, आयोग की नियुक्ति ४११, आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य ४१२, आयोग के विचार एवं सुझाव ४१२, विश्वविद्यालय-शिक्षा के उद्देश्य ४१२, अध्यापक-वर्ग ४१३, विश्वविद्यालयों में ४१४, अध्यापन के स्तर ४१५, पाठ्यक्रम ४१६, स्नातकोत्तर-प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान ४१६, व्यावसायिक-शिक्षा ४१८, धार्मिक शिक्षा ४२१, शिक्षा का माध्यम ४२२, परीक्षायें ४२३, छात्र—उनके कार्य तथा उनका कल्याण ४२४, स्त्री-शिक्षा ४२६, ग्रामीण विश्वविद्यालय ४२७, राधाकृष्णन् कमीशन का मूल्यांकन ४२८, सारांश ४२९, टेस्ट क्वेश्चन्स ४३१ ।

२६. शिक्षा-आयोग

‘कोठारी कमीशन’

(१९६४-१९६६)

प्रस्तावना ४३२, आयोग की नियुक्ति के कारण और उद्देश्य ४३४, आयोग की नियुक्ति ४३४, आयोग के विचार एवं सुझाव—(१) शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य ४३५, (२) शिक्षा की संरचना और स्तर ४३८, (३) शिक्षक की स्थिति ४४०, (४) अध्यापक-शिक्षा ४४२, (५) छात्र संख्या और जनवल ४४५, (६) शैक्षिक अवसरों की समानता ४४६, (७) विद्यालय-शिक्षा का विस्तार ४४७, (८) विद्यालय पाठ्यक्रम ४४८, (९) विद्यालय-प्रशासन और निरीक्षण ४५१, (१०) शिक्षण-विधियाँ, मार्ग-प्रदर्शन और मूल्यांकन ४५२, (११) उच्च शिक्षा ४५५, (१२) कृषि की शिक्षा ४५८, (१३) व्यावसायिक, प्राविधिक और इंजीनियरिंग-शिक्षा ४५९, (१४) विज्ञान की शिक्षा ४६०, (१५) वयस्क-शिक्षा ४६२, (१६) आयोग का मूल्यांकन ४६५, सारांश ४६६, टेस्ट क्वेश्चन्स ४६७ ।

२७. शिक्षा के अन्य क्षेत्र (१९४७-१९७०)

प्रस्तावना ४६६, ग्रामीण उच्च-शिक्षा (विश्वविद्यालय व कॉलेज) : ग्रामीण शिक्षा की वर्तमान स्थिति ४६६, विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग ४७०, ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-समिति ४७०, ग्रामीण उच्च-शिक्षा के प्रयास ४७०, कुछ सुभाव ४७२, ग्रामीण विश्वविद्यालय के कार्य ४७२, प्रौढ अथवा समाज-शिक्षा (१९४७-७०) ४७२, द्वादश-सूत्रीय योजना ४७३, प्रान्तीय शिक्षा-मन्त्रियों का सम्मेलन ४७४, समाज-शिक्षा की नवीनतम योजनाएँ ४७८, स्त्री-शिक्षा (१९४७-७०) ४७५, स्त्री-शिक्षा की राष्ट्रीय समिति ४७७, स्त्री-शिक्षा की नवीन योजनाएँ ४७७, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा (१९४७-७०) ४७८, विकलाङ्गों की शिक्षा (१९४७-७०) : ४७९, प्राविधिक शिक्षा (१९४७-७०) ४८१, चिकित्सा-शिक्षा (१९४७-७०) . शिक्षा व प्रशिक्षण सेन्ट्रल हेल्थ ऐजुकेशन ब्यूरो ४८३, ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ४८३, विशिष्ट प्रशिक्षण ४८३, कृषि-शिक्षा (१९४७-७०) ४८३, शिक्षा की नवीनतम गतिविधियाँ ४८४, शारीरिक शिक्षा एवं खेल-कूद : शारीरिक शिक्षा ४८४, खेल-कूद ४८५, युवक कल्याण ४८५, भारतीय भाषाओं का विकास ४८६, हिन्दी का विकास ४८६, छात्रवृत्तियाँ ४८७, शिक्षकों की दशा में सुधार ४८७, साराश ४८८, टेस्ट वेदचन्स ४८९।

२८. पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा

प्रस्तावना ४९०, पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा—तत्कालीन भारतीय शिक्षा की स्थिति ४९०, शिक्षा पुनर्गठन के लिए सुभाव ४९१, शिक्षा पर व्यय ४९१, शिक्षा-योजना के लक्ष्य ४९१, समालोचना ४९२, दूसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा : प्रस्तावना ४९३, शिक्षा-योजना के उद्देश्य ४९३, शिक्षा पर व्यय ४९३, शिक्षा-योजना के लक्ष्य ४९४, समालोचना ४९४, तीसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा : प्रस्तावना ४९६, शिक्षा-योजना के उद्देश्य ४९७, शिक्षा पर व्यय ४९७, शिक्षा-योजना के लक्ष्य ४९८, समालोचना ४९९, चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा : प्रस्तावना ४९९, शिक्षा-योजना के उद्देश्य ५००, शिक्षा पर व्यय ५००, शिक्षा-योजना के लक्ष्य ५००, शिक्षा-योजना का कार्यक्रम ५०२—प्राथमिक शिक्षा ५०२, माध्यमिक शिक्षा ५०३, विश्व-विद्यालय-शिक्षा ५०४, समालोचना ५०५, साराश ५०५, टेस्ट वेदचन्स ५०६।

भारतीय शिक्षा का इतिहास
(HISTORY OF INDIAN EDUCATION)

विषय-प्रवेश

बॉयड एच० बॉड का कथन है —“समाज और शिक्षा का एक-दूसरे से पारस्परिक कारण और परिणाम का सम्बन्ध है। किसी भी समाज का स्वरूप उसकी शिक्षा-व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करता है और इस व्यवस्था का स्वरूप समाज के स्वरूप को निर्धारित करता है।”¹ इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि—‘शिक्षा’ और ‘समाज’—दोनों अविच्छिन्न रूप से परस्पर गुंथे हुए हैं। शिक्षा समाज में ही फलती-फूलती है और समाज भी शिक्षा की छाया में अपने को अधिक प्राणवान्, गतिशील, सजग एवं सुसंस्कृत बनाता है। एक की प्रगति पर दूसरे की प्रगति निर्भर है, एवं एक की अवनति बहुत अंशों तक दूसरे के नाश का कारण भी बन जाती है। किसी भी समाज में प्रचलित शिक्षा के दृष्टिकोण एवं विधियों का उस समाज की अन्य सामाजिक संस्थाओं पर अति महत्त्वपूर्ण तथा व्यापक प्रभाव पड़ता है। किसी भी समाज में प्रचलित शिक्षा की प्रणाली उस समाज को प्रभावित करती है एवं वह उस समाज से प्रभावित भी होती है। शिक्षा, समाज के हाथ में ऐसा अद्वितीय उपकरण है, जिसके द्वारा वह उन परम्पराओं, नियन्त्रणों एवं सांस्कृतिक तत्वों को सुरक्षित रखता है, जो उसने मानव के लम्बे एवं सतत प्रयासों के फलस्वरूप संग्रहीत किये हैं। इस संदर्भ में हार्न के ये शब्द अवलोकनीय हैं —“शिक्षा, अतीत का चित्र प्रस्तुत

1. “Society and education stand in a relation of reciprocal cause and effect. The character of a given society determines the character of its educational system and the character of this system, in turn, determines the character of the society.”—Boyd H Bode : *Fundamentals of Education*, p. 221.

करने का उत्तम कार्य करती है, और उस चित्र को प्रस्तुत करके अतीत को सुरक्षित रखती है। यह वर्तमान समय में भूतकाल की उपलब्धियों की रक्षा करने का उत्तम कार्य करती है। यह ज्ञान और शक्ति के वर्तमान संग्रह में वृद्धि करके, और इस प्रकार भविष्य को भूत से अच्छा बनाने की सम्भावना का सर्वोत्तम कार्य करती है।”¹

शिक्षा से हमारा अभिप्राय, जैसा कि जॉन ड्यूवी ने लिखा है—“औपचारिक अथवा संस्थागत शिक्षा” (Formal or Institutional Education) से है।² यो तो हमको अपने जीवन में जन्म से मृत्यु-पर्यन्त प्रतिक्रिया शिक्षा प्राप्त होती रहती है। ज्ञात एवं अज्ञात रूप में हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। पर यह स्वीकार किया गया है कि व्यक्ति के व्यवहार की उस समाज पर, जिसका वह सदस्य है, महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएँ होती हैं। अतः यह आवश्यक है कि उसे उसके प्रारम्भिक जीवन के कतिपय निश्चित वर्षों में नियमित रूप से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वह समाज से अपना अनुकूलन कर सके और समाज की सेवा भी कर सके। प्लेटो, अरस्तू और प्लूटार्च से लेकर पेस्टॉलॉजी, रूसो, हरवार्ट तथा स्पेन्सर तक—सब ने इस बात की ओर संकेत किया है कि प्रशिक्षण तथा अनुशासन की सहायता के बिना प्रकृति उन सब बातों को प्राप्त नहीं कर सकती है, जिनकी व्यक्ति से माँग की जाती है। यदि हम इन बातों पर मनन करें, तो ये हमें इस बात का ज्ञान प्रदान कर सकती हैं कि शिक्षा-व्यवस्था से कौन-से कर्तव्यों के पालन करने की आशा की जाती है, और वह किन कर्तव्यों का वस्तुतः पालन करती है।

“शिक्षा-व्यवस्था का प्रमुख कर्तव्य”, जैसा कि पेनुनज़ियो ने बताया है—
 “उन प्रथागत विधियों तथा क्षमताओं के ज्ञान को सम्प्रेषित करना है, जिनको समाज अपने दीर्घ जीवन और प्रगति के लिए अनिवार्य समझता है।”³ ज्ञान तथा क्षमताएँ प्रदान करने के साथ-साथ, शिक्षा—समाज के नैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्त्वों को भी सम्प्रेषित करती है, और इस प्रकार विचारात्मक तथा भावनात्मक—दोनों तत्वों के शिक्षण का, जो वयस्क व्यक्ति का निर्माण करते हैं, उत्तरदायित्व लेती है।

1. “Education does well to reproduce, and by reproducing to conserve the past; it does well to protect the past in the present; it does best of all in adding to the present accumulation of knowledge and power, thus making possible a future better than the past.”—H. H. Horne : *The Philosophy of Education*, pp 160-161.

2. John Dewey : *Democracy and Education*, pp. 7-11.

3. “The primary function of the educational system is to transmit a knowledge of the forms and skills society regards as indispensable to its survival and improvement.”—C. Panunzio : *Major Social Institutions*, p. 242.

इस दृष्टिकोण से शिक्षा मानव-समाज के पुनर्मुत्थान तथा प्रगति—दोनों के लिए सारमूत रूप से आवश्यक है। शिक्षा के अभाव में मानव की उपलब्धियाँ सीमित रहेगी और सस्कृति का विवास नहीं हो सकेगा।

इस प्रकार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य—व्यक्ति को जीवन के लिए इस प्रकार तैयार करना है जिससे उसके हिंनों का समाज के हितों के साथ न्यूनतम संघर्ष हो, और वह समाज के आदर्शों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके, साथ ही उन आदर्शों का उन्नयन करके समाज के स्वस्थ तथा वाछित विकास में योग प्रदान कर सके। जैसा कि समनर ने लिखा है, शिक्षा के द्वारा "मनुष्य यह सीखता है कि कौन-सा आचरण समाज के द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत है, किस प्रकार के मनुष्य का सबसे अधिक समादर होता है, सब प्रकार के कार्यों में उसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, और उसे किस बात में विश्वास अथवा अविश्वास करना चाहिए।"¹ इस अर्थ में कहा जा सकता है कि शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य व्यक्ति का समाजीकरण करना है। इस दृष्टिकोण से शिक्षा की प्रमुख समस्या है—बालक के उन जन्मगत आवेगों (Native Impulses) का किसी प्रकार दमन करना जो तत्कालीन सामाजिक आचरण से मेल नहीं खाते हैं, अथवा इन आवेगों को प्रवृत्तियों (Tendencies) में परिवर्तित करना जिससे व्यक्ति का सम्य समाज की रीतियों, आदर्शों तथा संस्थाओं से सामंजस्य हो जाय।²

ओशिया (O'Shea) का उपर्युक्त उद्धरण हमारे समक्ष यह प्रश्न उपस्थित करता है कि—'शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए?' इस सम्बन्ध में नन (Nunn) का मत है कि शिक्षा का कोई भी सार्वभौमिक उद्देश्य नहीं हो सकता है। शिक्षा का प्रयास यह होना चाहिए कि वह व्यक्ति के लिए उन अवसरों को जुटाये जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीण विकास हो सके। अन्य अनेक सुविख्यात शिक्षाशास्त्रियों का भी यही मत है। परन्तु वास्तविक रूप में शिक्षा का यह उद्देश्य दृष्टिगत नहीं होता है। वेंकटारायप्पा ने ठीक ही लिखा है —"शिक्षा का उद्देश्य—युवकों को सामाजिक मूल्यों, विश्वासों और समाज के प्रतिमानों को आत्मसात् करने के लिये तैयार करना और उनको समाज की क्रियाओं में भाग लेने के योग्य बनाना है।"³

1 "He learns what conduct is approved or disapproved, what kind of man is admired most, how he ought to behave in all kinds of cases, and what he ought to believe or reject"—W G Sumner : *Folkways*, p 638

2 O'Shea : *Social Development and Education*, p 249

3 "Education aims at preparing the youths to absorb the social values, beliefs, and norms of the society, and render them fit to participate in the activities of the society"—K N Venkatarayappa *Education & Society in India*, p 23

परन्तु यह बात निर्विवाद है कि शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य—व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए साधनों को जुटाना है। शिक्षा के इस पहलू के प्रति उतना ही ध्यान दिया जाना आवश्यक है, जितना कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को समाज के अनुकूल बनाने के पहलू के प्रति। वास्तविक शिक्षा न केवल चरित्र, आदत तथा मानसिक अनुशासन—अपितु बुद्धि, विवेक एवं गुण दोष विवेचन शक्ति के निर्माण में भी सहायता करती है। विवेकपूर्ण नियम एवं गुण-दोष विवेचन की शक्ति के विकास के अभाव में मानव एक यत्र के समान समाज के हित अथवा अहित के लिए कार्य करने वाला हो जायगा, उसे इस बात का ज्ञान न हो सकेगा कि उसके कार्य किस प्रकार उत्तम अथवा अधम हैं और वे किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं।

इसके विपरीत, वस्तुतः एक शिक्षित व्यक्ति से समाज चाहे जिस प्रकार कार्य नहीं करवा सकता है। वास्तव में, वह कभी-कभी समाज का नेतृत्व कर सकता है। उसमें निरूपण करने, अन्तर जानने एवं मूल्यांकन करने की शक्ति तथा अपने तर्कपूर्ण विचार का अनुसरण करने का पर्याप्त साहस होना चाहिए।

अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा के किसी भी तर्कसंगत सिद्धांत में व्यक्ति की मानसिक शक्तियों को समाज के प्रति उसके व्यवहार से पृथक् नहीं किया जाना चाहिए। दोनों की एक दूसरे पर गम्भीर प्रतिक्रिया होती है। अतएव शिक्षा का उद्देश्य—‘व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का निर्माण’ उसकी तर्क शक्ति एवं विवेक पर आधारित करना होना चाहिए, न कि केवल सामाजिक स्वीकृति अथवा अस्वीकृति पर। किसी भी प्रकार के बाह्य तत्वों से प्रभावित हुए बिना मानव के मस्तिष्क को विकसित करना—शिक्षा का प्रधान कर्तव्य होना चाहिए। जो शिक्षा व्यवस्था मानव के व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीण विकास करती है वह उसे निश्चय रूप से तर्कपूर्ण विवेचन की शक्ति प्रदान करती है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था मस्तिष्क में उन रूढ़िगत तथा अनुदार विचारों का प्रादुर्भाव नहीं होने देती है, जो सामाजिक, राजनीतिक तथा चारित्रिक क्षेत्रों में नवीन धारणाओं को अंगीकार करने में सकोच करते हैं।

इसके अतिरिक्त मानव के व्यक्तित्व के विकास से समाज को वास्तविक उन्नति करने का अवसर उपलब्ध होगा। ऐसी परिस्थिति में समाज पूर्व निश्चित धारणाओं का अन्धानुकरण न करके उनसे सम्बन्ध विच्छेद करने का सतत प्रयास करेगा और इस प्रकार तब पर आधारित माग का अनुसरण करके प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। इस प्रकार, शिक्षा का यह पहलू—मानव के व्यक्तित्व का विकास—उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना कि समाज से अनुकूलन करने का अन्य पहलू। “वस्तुतः वास्तविक शिक्षा का महत्त्व मानव के व्यक्तित्व को विकसित करने और इसके साथ ही व्यक्ति का समाजीकरण करने तथा इस प्रकार उसको समाज की

नैतिक तथा भौतिक संरचना के अनुकूल बनाने में है। शिक्षा के उचित आदर्श में इन दोनों उद्देश्यों का समन्वय होना आवश्यक है।”¹

शिक्षा की समस्या तथा उद्देश्यों के सम्बन्ध में इस प्रारम्भिक विवेचन के उपरान्त, अब हम प्राचीन भारतीय शिक्षा के अन्तर्गत वैदिक शिक्षा और बौद्ध-शिक्षा का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उस युग में शिक्षा की समस्या का समाधान करने का किस प्रकार प्रयास किया गया।

1. “In fact, real education has value both in so far as it develops the individual personality as well as it socializes the person and thus enables him to keep in harmony with the material and moral frame-work of the group to which he belongs. The proper ideal of education must envisage a co-ordination of these two aims.”—P. H. Prabhu : *Hindu Social Organization*, p 108.

१

वैदिक शिक्षा

प्रस्तावना

‘शिक्षा’ व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति तथा सम्यता और संस्कृति के उत्थान के लिए अनिवार्य है। भारतवासियों ने शिक्षा के इस गहन महत्त्व को समझ लिया था। इसी के फलस्वरूप भारत के सुदूर अतीत में भी शिक्षा की सुन्दर व्यवस्था की गई थी। भारत की प्राचीन शिक्षा-प्रणाली ने विशाल वैदिक साहित्य को सुरक्षित रखा और ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में मौलिक विचारको एवं विद्वानों को जन्म दिया, जिनसे इस देश का मस्तक आज भी यश और गौरव से उन्नत है। “ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय में आरम्भ हुआ हो, या जिसने इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया हो। वैदिक युग के साधारण कवियों से लेकर आधुनिक युग के बंगाली दार्शनिक तक, शिक्षकों और विद्वानों का एक निर्विघ्न क्रम रहा है।”¹

शिक्षा का तात्पर्य

“वैदिक युग से लेकर आज तक भारत में शिक्षा का मूल तात्पर्य यह रहा है—शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा

1 “There has been no country where the love of learning had so early an origin or has exercised so lasting and powerful an influence. From the simple poets of the Vedic Age to the Bengali philosopher of the present day, there has been an uninterrupted succession of teachers and scholars.”—F. W. Thomas : *The History and Prospects of British Education in India*, p 1

पथ-प्रदर्शन करती है।¹ एक विद्वान का कथन है कि—“ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, जो उसे समस्त तत्त्वों के मूल को समझने की क्षमता प्रदान करता है एवं उसे उचित व्यवहार करने में प्रवृत्त करता है।”² शिक्षा से हमें इस संसार में सुख, समृद्धि एवं सुयश प्राप्त होता है तथा परलोक में मोक्ष। शिक्षा द्वारा प्राप्त प्रकाश से हमारे संशयो का उन्मूलन एवं कठिनाइयों का निवारण होता है और जीवन के वास्तविक महत्त्व को समझने की शक्ति उत्पन्न होती है। शिक्षा से हमें ऐसा सही दृष्टिकोण उपलब्ध होता है कि हम में बुद्धि, विवेक तथा निपुणता की वृद्धि होती है। प्राचीन भारतीयों का दृढ़ विश्वास था कि—“शिक्षा से विकसित बुद्धि ही मथार्थ वल है। उन्होंने दृढ़ता से कहा था कि शिक्षा कल्पलता के समान हमारे समस्त मनोरथों को सिद्ध करती है।”³ भर्तृहरि ने ‘नीतिशतक’ में लिखा है—“विद्याहीन मनुष्य पशु है।”⁴ अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा ही हमें मनुष्य बनाती है और शिक्षा से रहित हमारा जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार प्राचीन भारतीयों का यह दृढ़ विचार था कि शिक्षा ही मनुष्य के नैसर्गिक जीवन को पूर्णता प्रदान करती है।

“वयोक शिक्षा का तात्पर्य प्रकाश से है, अतः यह कहना व्यर्थ है कि (प्राचीन भारत में) केवल पुस्तकीय ज्ञान ही शिक्षा का पर्यायवाची नहीं माना गया।”⁵ यह कहा गया है कि एक मनुष्य ने भले ही विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, पर यदि उसमें अन्तर्दृष्टि का विकास नहीं हुआ है और उसे अपने अध्ययन के फलस्वरूप अन्तर्ज्योति नहीं प्राप्त हुई है, तो वह मूर्ख है। केवल त्रियाशील मनुष्य ही वास्तव में शिक्षित है।⁶ शिक्षा उदर-पूति की समस्या को अवश्य हल करती है, परन्तु वैदिक काल में शिक्षा को जीविका का साधन नहीं माना गया और जिन्होंने ऐसा मत व्यक्त किया है, उनकी घोर निन्दा की गई।

सारांश में, वैदिक शिक्षा का तात्पर्य अन्तर्ज्योति और शक्ति से था, जिससे मानव की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा आत्मिक शक्तियों का सन्तुलित विकास हो सकता था।

1 “From the Vedic Age downwards the central conception of education of the Indians has been that it is a source of illumination, giving us a correct lead in the various spheres of life.”—A. S. Altekar : *Education in Ancient India*, p. 4.

2. “ज्ञानं तृतीयं मनुजस्य नेत्रं समस्त तत्त्वार्थं विलोकदक्षम्।”

—*Subhashita Ratna Sangrah*, p. 194.

3. *Subhashita Ratna Bhandar*, p. 31.

4. “विद्याविहीनः पशुभिः समानः।”

5. “Since illumination is the central conception in education, it is needless to add that mere book-learning was not regarded as synonymous with education.”—Altekar : *op. cit.*, p. 7.

6. *Subhashita Ratna Sangrah*, p. 40.

शिक्षा के उद्देश्य तथा आदर्श

वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्यों का विवेचन करते हुए अलतेकर ने लिखा है—“ईश्वर-भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र-निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार—प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श थे।”¹ हम अब इनमें से प्रत्येक का विस्तृत अध्ययन करेंगे; गया—

१. ईश्वर-भक्ति तथा धार्मिकता की भावना का विकास—वैदिक काल में ‘धर्म’ बराबर पर प्रतिष्ठित था। पुरोहित ही प्रायः शिक्षक होते थे। अतः शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य—बालक में ईश्वर-भक्ति तथा धार्मिकता की भावना का समावेश करना था। प्रत्येक प्रकार की शिक्षा में विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था, छात्रों द्वारा विभिन्न व्रतों का पालन, नियमित संख्या एवं धार्मिक उत्सव—इन सब का लक्ष्य—तर्षण छात्रों के हृदय में ईश्वर-भक्ति तथा धार्मिकता की भावना की जड़ों को गहरी जमा देना था।

२. चरित्र-निर्माण—शिक्षा का दूसरा उद्देश्य—ब्रह्मचारियों के चरित्र का निर्माण करना था। वैदिकयुगीन भारतीयों का विश्वास था कि चरित्र-निर्माण के अभाव में बौद्धिक विकास निरर्थक है। उन्होंने घोषित कर दिया था कि केवल गायत्री मन्त्र का ज्ञान रखने वाला सुचरित्र ब्राह्मण—समस्त वेदों के ज्ञाता चरित्रहीन विद्वान से कहीं श्रेष्ठ है।² चरित्र-निर्माण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों की पाठ्य-पुस्तकों में सदाचार के उपदेश होते थे, उनको अपने आचार्यों से सदाचार के उपदेश मिलते थे, उन्हें ऐसे वातावरण में रखा जाता था, जिससे उनका चारित्रिक उत्थान हो सके और उनके समक्ष राष्ट्र की महान् विभूतियों के आदर्श बारम्बार उपस्थित किये जाते थे, जिससे उनके चरित्र का निर्माण हो सके।

३. व्यक्तित्व का विकास—शिक्षा का तीसरा उद्देश्य—विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों में आत्म-सम्मान की भावना का विकास, आत्म-विश्वास को प्रोत्साहन, आत्म-संयम के महत्त्व पर बल तथा न्याय एवं विवेक की शक्ति को जन्म देने की विधियों को अपनाया जाता था।

४. नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन—शिक्षा का चौथा उद्देश्य—ब्रह्मचारियों में नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों के पालन की भावना को

1. “Infusion of a spirit of piety and righteousness, formation of character, development of personality, inculcation of civic and social duties, promotion of social efficiency and preservation and spread of national culture may be described as the chief aims and ideals of ancient Indian education.”—Altekar : *op. cit.* p. 9.

2. *Manusmriti*, p. 2.

भरना था। उनको स्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत न करने की शिक्षा दी जाती थी। मुक्त न मिलने पर भी वैदिक साहित्य का अध्यापन शिक्षकों का कर्त्तव्य बताया जाता था। छात्रों को पुत्र, पति तथा पिता के रूप में अपने कर्त्तव्यों का पालन करने का उपदेश दिया जाता था। उन्हें अपने धन से अतिथियों का सत्कार एवं दुखियों की सहायता करना आवश्यक था। रोगी को कष्ट से मुक्त करना चिकित्सक का परम धर्म माना गया था। इस प्रकार वैदिक शिक्षा-व्यवस्था में नागरिक तथा सामाजिक कर्त्तव्यों के पालन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था।

५. सामाजिक कुशलता की उन्नति—शिक्षा का पाँचवाँ उद्देश्य—सामाजिक कुशलता की उन्नति और इसके फलस्वरूप मानव के मुख की वृद्धि करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति विभिन्न शास्त्रों, व्यवसायों तथा उद्योगों की शिक्षा की व्यवस्था करके की गई थी। छात्रों का मानसिक विकास करने के साथ-साथ उनको उन व्यवसायों की शिक्षा निश्चित रूप से प्रदान की जाती थी, जिनको वे अपने भावी जीवन में अपनाना चाहते थे। सामान्य रूप से ब्रह्मचारियों को वर्ण-व्यवस्था के अनुसार अपने कार्यों की पूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती थी। फलस्वरूप, वे अपने व्यवसायों में दक्षता प्राप्त करके अपने तथा समाज के मुख की वृद्धि में योग देते थे।

६. राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार—शिक्षा का छठा और अन्तिम महत्वपूर्ण उद्देश्य—राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना था। वैदिकयुगिन भारतीय अपनी साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक परम्पराओं का संरक्षण करना अपना परम कर्त्तव्य समझते थे और इस दिशा में कार्य करने में सदैव संलग्न रहते थे। यही कारण था कि प्रत्येक पिता अपने पुत्र को अपने व्यवसाय की शिक्षा देता था, प्रत्येक आर्य वैदिक साहित्य के किसी न किसी भाग को याद करता था और प्रत्येक ब्राह्मण वेदों को कंठस्थ करता था। इन कार्यों से भारतीयों को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता था, पर इनको सम्पन्न करके वे अपने पूर्वजों के ज्ञान का संरक्षण तथा प्रसार करते थे।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि वैदिक शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उन्नति करना था।

शिक्षा की व्यवस्था

वेदों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि मुद्गर अतीत में भी भारत में संगठित रूप से गुरुओं द्वारा शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वेद में कुछ इस प्रकार का संकेत मिलता है, जिससे पाठशाला के समान किसी संस्था का अनुमान किया जा सकता है। 'छान्दोग्य उपनिषद्' से ज्ञात होता है कि बालक गुरु-गृह में रहकर विद्याध्ययन करते थे। वैदिक साहित्य में इस बात का उल्लेख मिलता है कि वैदिक युग में संघ, परिषद्, चरण, मठ, गुरुकुल तथा आश्रम स्थापित हो गये थे,

जहाँ गुरु वैयक्तिक रूप से स्वयंमेव शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। ग्रामों में भी प्राथमिक पाठशालाएँ थी।

उपर्युक्त सभी शिक्षा-संस्थाएँ 'सावास' (Residential) थीं और बाह्य नियन्त्रण से पूर्णतया मुक्त थीं। इनमें छात्रों का प्रवेश एक निश्चित आयु में होता था। प्रवेश के समय छात्रों को लिखने-पढ़ने और गणित का ज्ञान होना आवश्यक था। प्राचीन भारत में १वीं, ६वीं (ईसवी) शताब्दी तक समाज या राज्य की ओर से शिक्षा प्रदान करने के लिए आधुनिक समय के समान सुसंगठित शिक्षा-संस्थाओं का अभाव था। इस प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं का विकास सर्वप्रथम बौद्ध विद्वानों द्वारा किया गया।

वैदिक युग तथा महाभारत-काल में वेद, पुराण, व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन, कला आदि विषयों का अध्ययन किया जाता था। इनके अतिरिक्त, श्रम-विभाजन पर आधारित समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार भी शिक्षा दी जाती थी। उदाहरणार्थ—ब्राह्मणों को धर्म-कर्म की, क्षत्रियों को युद्ध-विद्या और राजनीति की, वैश्यों को वाणिज्य और कृषि-विज्ञान की तथा शूद्रों को विविध साधारण कलाओं और हस्त-कार्य की।

शिक्षा के आधारभूत तत्त्व एवं विशेषताएँ¹

उपरिक्त शिक्षा के उद्देश्यों तथा आदर्शों की प्राप्ति के लिए वैदिकयुगीन शिक्षा-शास्त्रियों ने शिक्षा की एक विशिष्ट प्रणाली का निर्माण किया, जो साम्राज्यों के पतन तथा समाज के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं हुई और जिसने इन सहस्रों वर्षों के उपरान्त भी हमारे देश में शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा है। इस शिक्षा-प्रणाली के कुछ आधारभूत तत्त्व एवं कुछ विशेषताएँ थीं। इन्हीं पर हम यहाँ प्रकाश डाल रहे हैं, यथा—

(१) उपनयन²—ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण का प्रत्येक बालक उपनयन-संस्कार के पश्चात् विद्याध्ययन प्रारम्भ करता था। 'उपनयन' का शाब्दिक अर्थ है—'पास ले जाना', अर्थात् शिक्षा के लिए गुरु के पास पहुँचाना। उपनीत बालक को ही गुरु 'सावित्री मंत्र' (गुरु मंत्र) का उपदेश देकर शिक्षा देना प्रारम्भ करता था। जिस प्रवार विना वपतिस्मा के कोई ईसाई नहीं होता और विना कलमा के मुसलमान नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार वैदिक युग में उपनयन-संस्कार को सम्पादित किये बिना कोई बालक ज्ञानार्जन नहीं कर सकता था।

(२) विद्याध्ययन प्रारम्भ करने की आयु—बालक को किस आयु में विद्याध्ययन प्रारम्भ करना चाहिए, इस सम्बन्ध में हिन्दू-शास्त्रकारों में मतभेद है।

1 Basic Principles and Features of Education

2. Initiation

कुछ शास्त्रकारों के मतानुसार ब्राह्मण, शत्रिय तथा वैश्य छात्र का उपनयन-संस्कार क्रमशः ८, ११ और १२ वर्ष की आयु में हो जाना चाहिए।^१ याज्ञवल्क्य के अनुसार, कुल की प्रथा के अनुसार किसी भी मुविधापूर्ण समय पर उपनयन-संस्कार सम्पन्न किया जा सकता है, परन्तु इस बात का परामर्श दिया गया है कि ब्राह्मण को अपने पाँचवें वर्ष में, शत्रिय को छठे वर्ष में और वैश्य को आठवें वर्ष में विद्याध्ययन प्रारम्भ कर देना चाहिए।^२ जिन छात्रों का उपनयन-संस्कार निर्दिष्ट आयु में सम्पन्न नहीं हो पाता था, वे 'मावित्री मत्र' को गीतने के अधिकारी नहीं रह जाते थे। दूत्रों को विद्याध्ययन का अधिकार नहीं था।

(३) अध्ययन-काल—वैदिक काल में यह बात स्वीकार कर ली गई थी कि वेदों के अध्ययन के लिए अति दीर्घकाल की आवश्यकता है। भारद्वाज ने तीन जन्मों में तीन वेदों का अध्ययन किया। इन्द्र ने प्रजापति के शिष्य बनकर १०५ वर्ष तक विद्या का अध्ययन किया। वैदिक युग में सामान्य रूप से अध्ययन-काल १२ वर्ष का था। इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा गया है कि १२ वर्ष की अवधि केवल एक वेद के अध्ययन के लिए थी। यदि एक छात्र चारों वेदों का अध्ययन करता है, तो उसे प्रत्येक वेद के अध्ययन में १० वर्ष लगाने पड़ते थे।^३ परन्तु अभी छात्र चारों वेदों का अध्ययन नहीं करते थे। गार्हपत्य तथा घर्मशास्त्र के छात्र अपना अध्ययन १० वर्ष में समाप्त कर देते थे।

(४) शिक्षा-सत्र—शिक्षा-सत्र की अवधि एक वर्ष में साढ़े चार या साढ़े पाँच मास की होती थी। साधारणतः विद्याध्ययन का कार्यक्रम श्रावण मास की पूर्णिमा को 'उपाकर्म' समारोह से प्रारम्भ होता था और पौष मास की पूर्णिमा को 'छन्दसाम-उत्सर्जनम्' समारोह के साथ स्थगित होता था।

(५) शिक्षण का समय—शिक्षण का कार्य जिस समय से जिस समय तक चलता था, इस सम्बन्ध में 'स्मृतिर्मा' विलकुल मौन हैं। परन्तु वैदिक काल में मुद्रणालय, बागज एवं सस्ती पुस्तकें नहीं थी, अतः स्वाभाविक निष्कर्ष यही निकलता है कि पठन-पाठन का सब कार्य आचार्यों की देख-रेख में होता था। सम्भवतः शिक्षण का कार्य प्रातःकाल से मध्याह्न तक और फिर कुछ विश्राम तथा भोजनादि के उपरान्त सायंकाल तक चलता था। प्राचीन ढंग की संस्कृत पाठशालाएँ कुछ समय पूर्व तक इसी प्रकार के कार्यक्रम का अनुसरण करती थी।

(६) विद्यालय-भवन—वैदिक काल में विद्यालय-भवन किस प्रकार के थे, इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के माधन उपलब्ध नहीं है।

1 Manusmriti, p 37

2 Prabhu op cit, p 111

3. Gautama—II, 45-7

खुले मौसम में अध्ययन-अध्यापन का कार्य वृक्षों के नीचे होता था, परन्तु वर्षा के समय किसी प्रकार के आच्छादन की व्यवस्था अवश्य होगी। विहारों एवं देवालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भव्य भवन बने हुए थे।

(७) गुरुकुल-प्रणाली—वैदिक काल की शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता—गुरुकुल-प्रणाली थी। छात्र अपने गुरु के कुल अथवा किसी आश्रम में रहते थे। वही रहकर वे ज्ञान का अर्जन करते थे। गुरुकुल साधारणतः नैसर्गिक सौन्दर्य से सुरभित, जन-पद कोलाहल से दूर, प्रकृति के सुरम्य कक्ष में स्थित होते थे। परन्तु वे किसी गाँव या नगर के समीप अवश्य होते थे, जिससे उनमें निवास करने वाले छात्रों की अल्प आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

(८) छात्र एवं उनका जीवन—छात्रों के खान-पान, वेश-भूषा, आचार-व्यवहार आदि के सम्बन्ध में निश्चित नियम थे, जिनका पालन करना अनिवार्य था, यथा—

(i) खान-पान—मनु ने लिखा है कि छात्रों को दिन में केवल दो बार भोजन करना चाहिए—एक बार प्रातः काल और एक बार सायंकाल। इन दोनों भोजनों के मध्य में उनको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। उनको अति भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि यह रोग का कारण तथा आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होता है। उनको मास, मधु, पान और वासा भोजन न खाने का आदेश था।

(ii) वेष-भूषा—छात्रों की वेष-भूषा निर्धारित थी। उपनयन के उपरान्त धारण की जाने वाली मेखला विभिन्न जातियों के छात्रों के लिए विभिन्न वस्तु की बनी हुई थी। ब्राह्मण की मेखला मूँज घास की, क्षत्रिय की ताँत की और वैश्य की ऊन की बनी हुई होती थी। अपने शरीर के निम्न भाग को ढकने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य छात्र क्रमशः सन, रेशम और ऊन के वस्त्रों के टुकड़ों का; और ऊपरी भाग के लिए क्रमशः काले मृग, चित्तीदार मृग एवं बकरे की खालों का प्रयोग करते थे। छात्र जिन ङण्डों को लेकर इधर-उधर आते-जाते थे—उन्हे उनको खड़ा पकड़ना पड़ता था और वे बिना जले हुए देखने में सौम्य और भय-उत्पादक नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनका प्रयोग केवल सुरक्षा के लिए किया जाता था। छात्रों को अंजन, सुगन्धि, छाते तथा झूतों का प्रयोग निषेध था। वे अपने शरीर को किसी प्रकार भी अलंकृत नहीं कर सकते थे। केशों के प्रसाधन की मनाही थी।

(iii) आचार-व्यवहार—छात्रों का जीवन शिष्टाचार, मर्यादा तथा आत्म-संयम से पूर्ण होता था। उन्हे अपने जीवन को पवित्र रखने के लिए दोनों समय संध्या-वन्दना एवं हवन करना पड़ता था। उन्हे गुरुजनों के प्रति आदर तथा सम्मान प्रदर्शित करना होता था। उन्हे असत्य भाषण, गाली-गलौज एवं चुगलखोरी से दूर रहने की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उनके द्वारा ब्रह्मचर्य-व्रत के पालन किये जाने पर बल दिया जाता था। वे अपने पास न तो धन रख सकते थे और न कोई वस्तु

खरीद सकते थे। वे नृत्य, संगीत तथा द्यूतक्रीडा का आनन्द नहीं ले सकते थे। वे स्त्रियो से आवश्यकता से अधिक बातें नहीं कर सकते थे। उन्हें आत्म-संयमी बनने और काम, क्रोध तथा लोभ से मुक्त रहने की शिक्षा दी जाती थी। साराश मे, उन्हें अपने व्यवहार मे सादगी तथा विचारो मे श्रेष्ठता के सिद्धान्तो का अनुमरण करना पडता था।

(iv) आदतों की सावगी—प्रत्येक छात्र को सादी आदतों की शिक्षा दी जाती थी। इस बात से कोई प्रयोजन नहीं होता था कि वह किस कुल का है। धनवान तथा निर्धन—सभी परिवारो के बालको को जीवन का एक ही ढंग अपनाना पडता था। 'महाभारत' तथा 'रामायण' मे ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि राजकुमारो को भी छात्र-जीवन की उन्ही कठिनाइयो का सामना करना पडता था, जिनका सामना उनके निर्धन सहपाठी करते थे।

(v) छात्रों की दिनचर्या—छात्र, पक्षियो के चहचहाने से पूर्व तडके उठते थे। नित्य-क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात् वे स्नान तथा संध्या करते थे। वेदो का अध्ययन करने वाले छात्र प्रातःकाल वा अधिकाश भाग हवन आदि से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाओ के सम्पादन मे व्यतीत करते थे। उस समय मे अन्य विषयो के छात्र पुराने पाठो को दोहराते तथा नये पाठो को पढते थे। मध्याह्न के समय वे भोजन करने के लिए अपना कार्य स्थगित कर देते थे। कुछ समय के उपरान्त, वे फिर विद्याध्ययन मे जुट जाते थे और सायंकाल तक इस कार्य मे रत रहते थे। सूर्यास्त के समय वे संध्या तथा हवन करने के उपरान्त भोजन करते थे।

(६) अध्यापकों के प्रति छात्रों के कर्त्तव्य—वैदिक काल मे अध्यापको के प्रति छात्रो के अनेक कर्त्तव्य थे। वे गुरु का स्थान—राजा, माता, पिता एवं देवता से निम्न नहीं समझते थे और उनका हृदय से सम्मान करते थे। वे प्रातःकाल गुरु से पूर्व उठकर उनका अभिवादन करते थे और उनसे नीचे आसन पर बैठते थे। वे आचार्य की प्रत्येक आज्ञा को शिरोधार्य करते थे। पर यदि गुरु धर्माचरण से च्युत हो जाता था, तो वे उसकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं थे। वे गुरु की सेवा करना अपना परम धर्म समझते थे। वे आचार्य के लिए प्रतिदिन निश्चित समय पर जल और दांतोंन पहुँचाते थे, उनके स्नान की व्यवस्था करते थे, उनकी गृहस्थी के छोटे-मोटे काम करते थे और उनके सेतो मे कार्य करते थे।

(१०) छात्रो के प्रति अध्यापकों के कर्त्तव्य—वैदिक ऋषियो ने आचार्य को छात्र का 'मानस पिता' (Spiritual father) कहा है। अतः वैदिक काल मे आचार्य छात्रो के प्रति पुत्रवत् व्यवहार करते थे। अध्यापक का यह कर्त्तव्य तो था ही कि वह अपने छात्रो को ज्ञान प्रदान करे, परन्तु इसके अतिरिक्त उसके कुछ कर्त्तव्य और थे। वह अपने विद्यार्थियो के चरित्र का सदैव ध्यान रखता था। अतः वह उनको बताता था कि उन्हें किन आदतों वा निर्माण एवं किन का परित्याग करना चाहिए,

उन्हे अपने स्वास्थ्य की उन्नति किस प्रकार करनी चाहिए, उन्हे किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, और उन्हे कैसे व्यक्तियों से सम्पर्क रखना चाहिए। यदि कोई छात्र रुग्ण हो जाता था, तो अध्यापक पिता के समान उसकी चिकित्सा तथा सुश्रूपा करता था। साराश में, उसका कर्त्तव्य था—अपने विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास करना।

(११) दण्ड—भारत की वैदिककालीन शिक्षा-व्यवस्था में दण्ड का स्थान था, पर शारीरिक दण्ड के सम्बन्ध में शिक्षा-शास्त्रियों में मतभेद नहीं था। आपस्तम्ब ने लिखा है कि—गुरु हठी छात्रों को अपनी उपस्थिति से दूर भेज दे या उनसे उपवास करवाये। मनु का कथन है कि—शिक्षक छात्र को बिना कष्ट दिये मधुर भाषा में अध्यापन का कार्य करे। पर अन्यत्र उन्होंने लिखा है कि यदि छात्र ने अपराध किया है, तो गुरु उसको रज्जु या पतली छड़ी से दण्ड दे सकता है। इसी प्रकार का मत गौतम और विष्णु के द्वारा तथा 'महाभारत' में व्यक्त किया गया है। साराश में, साधारण रूप में तो नहीं, पर विशेष परिस्थितियों में छात्रों को शारीरिक दण्ड दिया जाता था।

(१२) निःशुल्क शिक्षा—ब्राह्मणों का कर्त्तव्य—शिक्षा देना समझा जाता था। जब तक एक छात्र विद्या का अर्जन करता रहता था, तब तक गुरु उससे किसी प्रकार का शुल्क स्वीकार नहीं कर सकता था। शिक्षा समाप्त होने पर छात्र का यह कर्त्तव्य था कि वह अपने गुरु को कुछ दक्षिणा दे। धनी विद्यार्थियों के अतिरिक्त कोई भी अन्य छात्र गुरु को इतनी दक्षिणा नहीं दे पाता था, जिसे शिक्षक का उचित पारिश्रमिक कहा जा सके।¹ मनु ने लिखा है कि दक्षिणा के रूप में छात्र अपने गुरु को गाय, अश्व, अन्न इत्यादि कुछ भी दे सकता है।

(१३) बाह्य नियन्त्रण से मुक्ति—यह बात उल्लेखनीय है कि वैदिक काल में शिक्षा पर राज्य, सरकार अथवा किसी राजनैतिक दल का नियन्त्रण नहीं था। राजा का यह कर्त्तव्य था कि वह इस बात को देखे कि विद्वान पंडित बिना किसी विघ्न-बाधा के अध्यापन के कार्य में रत रहे। इसी प्रकार, भारत में शिक्षा पर कोई जातीय प्रभाव नहीं था।²

1. F. E. Keay : *Indian Education in Ancient and Later Times*, pp. 27-28.

2. "Education in ancient India was free from any external control like that of the State or the Government or any party politics. It was one of the King's duties to see that the learned pundits pursued their studies and their duty of imparting knowledge without interference from any source, whatever. So also, education did not suffer from any communal interest or prejudices in India."—Prabhu : *op. cit.*, p. 134.

(१४) पाठ्यक्रम—वैदिक काल में वेदों की शिक्षा के अतिरिक्त और भी अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। 'छादोग्य उपनिषद्' तथा 'वृहदारण्यक उपनिषद्' में जिन विषयों की सूची मिलती है, वह इस प्रकार है—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास अथवा पौराणिक कथाएँ; पुराण, देव-विद्या, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान अथवा आलोचना, राशि (Science of Numbers), दैव (Science of Portent), निधि (Science of Time), वाको-वाक्य (Logic), नैतिक शास्त्र, देव-विद्या (Etymology), ब्रह्म-विद्या, भूत-विद्या, शास्त्र-विद्या, नक्षत्र-विद्या, सर्प-विद्या, व्याकरण, ज्योतिष, तथा कल्प (Ceremonial and Religious Practices)। इन विषयों के अतिरिक्त, वैदिककालीन भारतीयों को बीजगणित तथा औपधि-विज्ञान के शिक्षण के भी अवसर सुलभ थे।

(१५) शिक्षण-विधि—शिक्षण-विधि मौखिक थी और छात्रों को आचार्य द्वारा बताई गई सभी बातों को कंठस्थ करना होता था। प्रत्येक पाठ के प्रारम्भ में छात्र गुरु का चरण-स्पर्श करते थे और उससे पाठ प्रारम्भ करने की प्रार्थना करते थे। गुरु गम्भीर वाणी में मन्त्रों का उच्चारण करते थे और छात्र उसका अनुसरण करते थे। गुरु उच्चारण किये गये मन्त्रों की व्याख्या भी करते थे। शिक्षण समाप्त होने पर छात्र गुरु के चरणों का स्पर्श करके विदा लेते थे।

(१६) शिक्षा की पद्धति—वैदिक काल में शिक्षा की पद्धति वैयक्तिक थी। इस सम्बन्ध में मिरडेल ने लिखा है.—“हिन्दू-धर्म की सीमा में शिक्षा की पद्धति वैयक्तिक थी, क्योंकि प्रत्येक गुरु के अपने स्वयं के शिष्य होते थे।”¹

(१७) कक्षा-नायकीय पद्धति—जब किसी गुरु के पास छात्रों की संख्या अधिक हो जाती थी, तब वह उनको व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करता था। इस कठिनाई पर धिजय प्राप्त करने के लिये वह सर्वोच्च कक्षा के सबसे अग्रिम छात्रों का सहयोग प्राप्त करता था। ये छात्र, जिनको 'नायक' कहा जाता था, गुरु की सामान्य देख-रेख में निम्न कक्षा के छात्रों का अध्यापन और पथ-प्रदर्शन करते थे। इस प्रणाली की सराहना करते हुए, डा० वेद मिश्र ने लिखा है :—“कक्षा-नायकीय पद्धति बुद्धिमान छात्रों को शिक्षण-कला सीखने का अवसर प्रदान करती थी और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उसी कार्य को करती थी, जिसे आधुनिक शिक्षक-प्रशिक्षण कॉलेज सम्पन्न करते हैं।”²

1. “The method of education within the bounds of Hinduism was individualistic; each guru had his personal disciples.”—Gunnar Myrdal : *Asian Drama*, Vol III. p. 1627.

2. “The monitorial system afforded opportunities to intelligent students to learn the art of teaching, and thus indirectly performed the same function as the Teachers' Training Colleges discharge today.”—Dr. Veda Mitra : *Education in Ancient India*, p. 21.

(१८) समावर्तन-उपदेश—जब ब्रह्मचारी अपनी शिक्षा समाप्त करके घर लौटते थे, तब आचार्य उनको समावर्तन-उपदेश देते थे। इसी उपदेश को 'दीक्षान्त-भाषण' कहा जाता है। समावर्तन-उपदेश साहित्य तथा आयुर्वेद के स्नातको के लिए भिन्न थे। 'तैत्तिरीय उपनिषद्' (१-११) में साहित्य के स्नातको को दिये जाने वाले समावर्तन-उपदेश का हिन्दी रूपान्तर अधोलिखित है—

“सर्वदा सत्य बोलना। अपने कर्त्तव्य का पालन करना। स्वाध्याय में प्रमाद न करना। आचार्य को दक्षिणा दे देने पर संतति-उत्पादन की परम्परा विच्छिन्न मत करना। सत्य से न हटना। धर्म से मत हटना। लाभकार्य में प्रमाद न करना। महान् धनने के सुअवसर से न चूकना। वेदों के पठन-पाठन के कर्त्तव्य में प्रमाद न करना। देवताओं और पितरों आदि के कार्य में प्रमाद न करना। माता को देवी समझना। पिता को देव समझना। आचार्य को देव समझना। अतिथि को देव समझना। जो कार्य दोष-रहित हो—वही करना, अन्य नहीं। जो कुछ अच्छे कार्य हमने किये हैं, तुम उन्हीं का अनुकरण करना, अन्य का नहीं। कुछ ब्राह्मण हम से भी श्रेष्ठ हैं, अतः तुम आसन देकर उनका समादर करना। जो कुछ दान दो—वह श्रद्धा से देना, प्रसन्नता से देना, शीलपूर्वक देना, भय से देना और दया से देना। यदि धर्म या शिष्टाचार के सम्बन्ध में तुम्हें कोई शंका हो तो तुम उन ब्राह्मणों से परामर्श करना, जो समदर्शी हों, इस कार्य के लिए युक्त हों किन्तु कठोर स्वभाव के न हों। जैसा व्यवहार करते हो, वैसा ही करना। यही तुम्हें हमारा आदेश है। यही उपदेश है। 'वेद' और 'उपनिषद्' का तत्त्व यही है। यही अनुशासन है। तुम इसी की उपासना करना। तुम इसका इसी रूप में पालन करना।”

(१९) स्त्री-शिक्षा—वैदिककालीन शिक्षा की अन्तिम विशेषता यह थी कि स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। वैदिक काल में नारी-शिक्षा अपने चरम उत्कर्ष पर थी। ब्रह्मचर्य-व्रत से सम्पन्न शिक्षिता कन्या को ही गृहस्थ-आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त था। समय की गति के साथ समाज में स्त्रियों का महत्त्व तथा उसके फलस्वरूप उनका शिक्षा-अधिकार कम होता चला गया। ऐसा ईसा-पूर्व २०० वर्ष के लगभग हुआ। इस प्रकार अति प्राचीन काल से लेकर इस समय तक स्त्रियों की शिक्षा का कार्यक्रम प्रायः अबाध गति से चलता रहा। बालकों ने समान बालिकाएँ भी उपनयन ग्रहण करती थीं। सह-शिक्षा का भी प्रचलन था। बालिकाओं को साहित्य, नृत्य, संगीत, काव्य-रचना, वाद-विवाद, दर्शन आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी।

(२०) व्यावसायिक शिक्षा—वैदिक समाज ने धर्म-प्रधान होने के कारण धर्म पर विशेष बल दिया, पर उतने व्यावसायिक शिक्षा की उपेक्षा नहीं की। इसी शिक्षा के आधार पर ही प्राचीन भारत अपने स्वयं के आर्थिक जीवन और वैभव का निर्माण

कर सका। यह शिक्षा बालकों को इसलिये दी जाती थी, जिससे कि वे समाज में अपने भावी कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकें। इस शिक्षा के मुख्य अंग निम्नांकित थे —

(i) पुरोहित्य शिक्षा—यह शिक्षा ब्राह्मणों को दी जाती थी। उनको धर्म, यज्ञ, हवन, बलि आदि कार्यों की शिक्षा देने के लिये पृथक् प्रशिक्षण केन्द्र थे।

(ii) सैनिक शिक्षा—यह शिक्षा विशेष रूप से क्षत्रियों को दी जाती थी, पर ब्राह्मणों, वैश्या और शूद्रों की सेनाओं के भी प्रमाण मिलते हैं। इस शिक्षा के लिए सभ्यार्यों नहीं थी। यह साधारणतः राज्य-सेनाओं के अवकाश-प्राप्त सैनिकों द्वारा दी जाती थी।

(iii) कृषि और वाणिज्य की शिक्षा—यह शिक्षा वैश्यों को दी जाती थी। प्रारम्भ में यह शिक्षा बालक को अपने पिता से मिलती थी, पर “राजतरंगिणी” पुस्तक में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि कुछ समय के उपरान्त यह कार्य शिक्षकों द्वारा किया जाने लगा था।

(iv) औषधि-शास्त्र की शिक्षा—यह शिक्षा भारत में अति प्राचीन काल में भी विद्यमान थी। २५० ई० पू० से मनु ८०० ई० तक यह शिक्षा अति उन्नत दशा में थी। डॉ० आर० के० मुकुर्जी के अनुसार औषधि-शास्त्र के अध्ययन की अवधि ७ वर्ष थी।

(v) अन्य व्यवसायों की शिक्षा—वैदिक भारत में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों की शिक्षा की भी व्यवस्था थी, यथा—मोने और चौदी के आमूषण बनाना, लोहे, लकड़ी, पीतल और मिट्टी की वस्तुएँ बनाना, कपड़ा बुनना आदि। यह शिक्षा विभिन्न व्यवसायों में सलग्न, सघा, व्यापारियाँ और परिवारों द्वारा दी जाती थी।¹

उपसंहार

वैदिककालीन शिक्षा-व्यवस्था के जिन प्रमुख तत्त्वों तथा विशेषताओं का ऊपर की पंक्तियों में दिग्दर्शन किया गया है, उनसे यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि दीर्घ अतीत में हमारे देश में शिक्षा की अति सुन्दर व्यवस्था थी। शिक्षा का नर्सव्य था—व्यक्ति का बहुमुखी विवास करना। शिक्षा—मानव के व्यक्तित्व का निर्माण, उसकी मानसिक शक्तियों तथा क्षमताओं का विवास, उसके जीवन के लिए जीवन के अर्थ तथा महत्त्व की व्याख्या और उसे इहलोक तथा परलोक—दोनों में आत्मिक उत्थान करने में सहायता देती थी।

1 “Each trade, guild and family trained its children in its own profession”—Dr. Veda Mitra : *op cit*, p 26.

सारांश

शिक्षा का तात्पर्य—वैदिक युग से लेकर आज तक भारत में शिक्षा का मूल तात्पर्य यह रहा है—“शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ-प्रदर्शन करती है।” क्योंकि शिक्षा का तात्पर्य प्रकाश से है, अतः वैदिक काल में केवल पुस्तकीय ज्ञान ही शिक्षा का पर्यायवाची नहीं माना गया। वैदिकयुगीन शिक्षा का तात्पर्य—अन्तर्ज्योति तथा शक्ति से था, जिससे मानव की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आत्मिक शक्तियों का सन्तुलित विकास हो सकता था।

शिक्षा के उद्देश्य तथा आदर्श—(१) ईश्वर-भक्ति तथा धार्मिकता की भावना का विकास, (२) चरित्र-निर्माण, (३) व्यक्तित्व का विकास, (४) नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, (५) सामाजिक कुशलता की उन्नति, तथा (६) राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार।

शिक्षा की व्यवस्था—पाठशाला के समान संस्था, गुरु-गृह में अध्ययन, सघ, चरण, परिषद्, मठ, गुरुकुल व आश्रम, ब्राह्मणों को धर्म-कर्म की, क्षत्रियों को युद्ध-विद्या व राजनीति की, वैश्यों को वाणिज्य व कृषि विज्ञान की तथा शूद्रों को हस्त-कलाओं की शिक्षा।

शिक्षा के तत्त्व एवं विशेषताएँ—(१) उपनयन-संस्कार के उपरान्त विद्या का अध्ययन आरम्भ होता था। (२) अध्ययन प्रारम्भ करने की आयु के सम्बन्ध में याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि ब्राह्मण को अपने पाँचवें वर्ष में, क्षत्रिय को छठे वर्ष में और वैश्य को आठवें वर्ष में विद्या का अध्ययन प्रारम्भ कर देना चाहिए। (३) अध्ययन-काल साधारणतः १० वर्ष का था। (४) शिक्षा-सत्र श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रारम्भ होता था और पौष मास की पूर्णिमा को समाप्त होता था। (५) शिक्षण का समय सम्भवतः प्रातः काल से मध्याह्न तक और फिर कुछ विश्राम के उपरान्त सायंकाल तक चलता था। (६) विद्यालय-भवनो के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। (७) गुरुकुल प्रकृति के कक्ष में, पर किसी नगर या ग्राम के समीप थे। (८) छात्रों को तामसी भोजन करने का निषेध था। उनकी वेश-भूषा निश्चित थी। उन्हें संध्या और हवन करना पड़ता था। वे नृत्य तथा संगीत का आनन्द नहीं ले सकते थे। उन्हें सादी आदतों की शिक्षा दी जाती थी। (९) छात्र गुरु की सेवा करते थे। (१०) अध्यापक छात्रों के प्रति पुत्रवत् व्यवहार करते थे। (११) विशेष परिस्थितियों में छात्रों को शारीरिक दण्ड दिया जाता था। (१२) शिक्षा निःशुल्क थी। (१३) शिक्षा बाह्य नियन्त्रण से मुक्त थी। (१४) पाठ्यक्रम में वेद, उपनिषद् आलोचना, देव-विद्या, ज्योतिष, औषध-विज्ञान आदि विषय थे। (१५) शिक्षण-विधि मौखिक थी। (१६) शिक्षा की पद्धति वैयक्तिक थी। (१७) वक्ष-नायकीय पद्धति का प्रचलन था, (१८) जब छात्र शिक्षा समाप्त करके घर लौटते थे, तब आचार्य उनको

समावर्तन-उपदेश देते थे। (१६) स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था।
(२) व्यावसायिक शिक्षा की उपेक्षा नहीं की गई।

TEST QUESTIONS

1. What were the aims and ideals of education in ancient India ?
प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श क्या थे ?

2. Describe the salient features of the system of education prevailing in ancient India. To what extent are they discoverable in the present system ?

प्राचीन भारत में शिक्षा-व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था में वे विशेषताएँ किस सीमा तक पाई जाती हैं ?

3. "It is said that education was a handmaid to religion in ancient India." How far do you agree with this view ? How did religion influence educational theory and practice in ancient India ?

"कहा जाता है कि प्राचीन भारत में शिक्षा धर्म की अनुचरी थी।" आप इस विचार से कहीं तक सहमत हैं ? प्राचीन भारत में धर्म ने शिक्षा-सिद्धान्त और अभ्यास को किस प्रकार प्रभावित किया ?

4. In what respects do the aims of education in British period and independent India differ from those in ancient India ?

ब्रिटिश-काल और स्वतन्त्र भारत के शैक्षिक उद्देश्य प्राचीन भारत के शैक्षिक उद्देश्यों से किस प्रकार भिन्न हैं ?

बौद्ध-शिक्षा

प्रस्तावना

ईसा की छठी शताब्दी में भारत भूमि पर महान् शिक्षक और धर्मोपदेशक महात्मा बुद्ध का निवास था। उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के लिए 'अष्ट मार्ग' बताया। उन्होंने बौद्ध-धर्म में चारों जातियों के व्यक्तियों को स्थान दिया। उन्होंने वैदिककाल के देवी-देवताओं की उपासना नहीं की, पर आचरण पर अधिक बल दिया। उन्होंने एक नवीन शिक्षा-व्यवस्था को जन्म दिया, जो वैदिककालीन शिक्षा के समान होते हुए भी कुछ बातों में भिन्न थी। "उचित रूप से विचार किये जाने पर बौद्ध-शिक्षा, प्राचीन हिन्दू या ब्राह्मणीय शिक्षा-प्रणाली का एक रूप है।"¹

शिक्षा की व्यवस्था

बौद्ध-धर्म का विकास सघों के रूप में हुआ था। अतः बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केन्द्र 'सघ' ही थे। केवल संधा में ही बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, अन्य किसी स्थान पर नहीं। बौद्ध-शिक्षा-प्रणाली में केवल सघ के श्रमणों को ही धार्मिक और सांसारिक शिक्षा दी जाती थी। श्रमणों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति शिक्षा देने का अधिकारी नहीं था। बौद्ध-काल में यज्ञ का स्थान सघ में ले लिया था। अतः बौद्ध-संध की पद्धति ही बौद्ध-शिक्षा-पद्धति थी। "बौद्ध शिक्षा-पद्धति प्रायः बौद्ध-सघ की पद्धति है। जिस प्रकार वैदिक युग में 'यज्ञ' सत्त्वृति के केन्द्र थे, उसी प्रकार बौद्ध-युग में 'सघ' शिक्षा और विद्या के केन्द्र थे। बौद्ध-संसार में अपने सघों से प्रयत्न था

1 "Buddhist education rightly regarded is but a phase of the ancient Hindu or Brahmanical system of education"—R K Mookerji *Ancient Indian Education*, p 374.

स्वतन्त्र रूप में शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं था। सब प्रकार की शिक्षा—धार्मिक तथा लौकिक—धर्मियों के हाथ में थी।¹

सार्वजनिक या प्राथमिक शिक्षा

हमें 'जातक कथाओं' से ज्ञात होता है कि बौद्ध-युग में प्राथमिक शिक्षा की कैसी व्यवस्था थी। बौद्ध-मठ इस शिक्षा के केन्द्र थे। प्रारम्भ में यह शिक्षा केवल धार्मिक थी, पर कुछ समय के बाद सासारिक शिक्षा भी दी जाने लगी। कारण यह था कि ब्राह्मणों द्वारा चलाई जाने वाली प्रतिद्वन्द्वी शिक्षा-संस्थाओं में दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था थी। ऐसी दशा में यह आवश्यक था कि बौद्ध धर्मावलम्बियों के लिए भी दोनों प्रकार की शिक्षा का आयोजन हो। ऐसा करके ही शिक्षा पर से ब्राह्मणों के एकमात्र अधिकार को समाप्त किया जा सकता था। फ़ाहियान के भारत-आगमन के समय (३६६-४१४ ई०) बौद्ध-मठों में केवल बौद्ध-संघ में सम्मिलित होने वालों की शिक्षा के साथ-साथ सामान्य शिक्षा की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी।

हमें चीनी-यात्रियों—हुएनसांग और आइसिंग, जो भारत में ७वीं शताब्दी में आये थे, के लेखों में सार्वजनिक या प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख मिलता है। इन यात्रियों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा ६ वर्ष की आयु से आरम्भ होती थी। छात्रों को छः माह तक "सिद्धिरस्तु" (Siddhirastu) नामक बालपोथी पढ़नी पड़ती थी, जिसमें वर्णमाला के ४६ अक्षर थे। इसको समाप्त करने के बाद छात्रों को पाँच विद्याओं—शब्द-विद्या, शिल्पस्थान-विद्या, चिकित्सा-विद्या, हेतु-विद्या और अध्यात्म-विद्या का अध्ययन करना पड़ता था।

प्राथमिक शिक्षा के उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध-मठों में धार्मिक, सासारिक, दार्शनिक और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता था। इस शिक्षा को न केवल बौद्ध-भिक्षु वरन् गृहस्थ और बौद्ध धर्मावलम्बी भी प्राप्त करने के अधिकारी थे। यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक जान पड़ता है कि शिक्षा का माध्यम 'पाली' भाषा थी, जो जन-साधारण के द्वारा बोली जाती थी, न कि संस्कृत—जैसा कि ब्राह्मणों द्वारा संचालित शिक्षा-संस्थाओं में था।

उच्च शिक्षा

पाँच विद्याओं का अध्ययन समाप्त करके प्राथमिक और सामान्य शिक्षा का

1. "The Buddhist system is practically that of the Buddhist order or *Sangha*. Buddhist education and learning centred round monasteries as Vedic culture centred round the sacrifice. The Buddhist world did not offer any educational opportunities apart from or independently of its monasteries. All education sacred as well as secular, was in the hands of the monks."—R. K. Mookerji : *op. cit.*, p. 394.

पाठ्य-क्रम पूर्ण हो जाता था। उसके बाद उच्च शिक्षा का पाठ्य-क्रम प्रारम्भ होता था। इस शिक्षा के केन्द्र भी बौद्ध-मठ थे। उच्च शिक्षा में अध्ययन के विविध विषयों और विशेषज्ञता (Specialization) का प्रबन्ध था। छात्र—व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, दर्शन, औषध-विज्ञान आदि का अध्ययन करके इनमें से किसी में विशेष योग्यता प्राप्त कर सकते थे। हुएनसांग के अनुसार उच्च शिक्षा में अक्रियात्मक और क्रियात्मक (Theoretical and Practical), शिक्षा के दोनों पहलुओं पर बल दिया जाता था। “मठों ने अपनी उच्च शिक्षा की योग्यता से, जहाँ अध्ययन करने के लिए कोरिया, चीन, तिब्बत और जावा ऐसे सुदूर देशों से छात्र आकर्षित होते थे, भारत की अन्तर-राष्ट्रीय स्थिति को ऊँचा उठा दिया।”¹

उच्च शिक्षा के केन्द्रों में नालन्द, बलभी, विक्रमशील, जगदल, ओदन्तपुरी मिथिला और नादिया विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सब में सर्वप्रथम स्थान नालन्द विश्वविद्यालय को प्राप्त था। यह आधुनिक ग्राम वरगा में राजगीर (बिहार) से लगभग ८ मील दूर था। सन् ४५० से लेकर लगभग ३५० वर्ष तक यह अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर था। यूएनच्वांग के भारत-आगमन के समय इसमें लगभग ५,००० भिक्षु थे, जिनमें से १,००० के ऊपर ४,००० विद्यार्थियों की शिक्षा का भार था। विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय द्वार-पण्डित कहलाने वाला विद्वान् शिक्षक विश्वविद्यालय के द्वार पर बैठकर छात्रों की कड़ी मौखिक परीक्षा लेता था। विश्वविद्यालय में बौद्ध-धर्म, जैन-धर्म, वैदिक धर्म, वेदों, व्याकरण, ज्योतिष, पुराणों, दर्शनशास्त्र और औषध-विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। लगभग ८०० वर्ष के बाद ज्ञान और विद्या से सब दिशाओं को आलोकित करने वाला भारतीय दर्शन, कलाओं और सभ्यता का यह केन्द्र १३वीं शताब्दी के प्रारम्भ में बख्तियार खिलजी के द्वारा धूल में मिला दिया गया।

शिक्षा के आधारभूत तत्त्व एवं विशेषताएँ

बौद्ध धर्मावलम्बियों ने अपने धार्मिक सिद्धान्तों और आदर्शों के प्रसार के लिए एक विशिष्ट शिक्षा-पद्धति को अपनाया। हम इसके आधारभूत तत्त्वों और विशेषताओं का उल्लेख नीचे की पक्तियों में कर रहे हैं :—

१. विद्यार्थित्व—बौद्ध-शिक्षा-संस्थाओं में सभी जातियों, पदों और वर्गों के व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। केवल चाण्डालों का प्रवेश वर्जित था।

२. छात्रों का चुनाव—अग्रलिखित छात्रों का विद्याध्ययन के लिए चुनाव नहीं

?

1. The monasteries raised the international status of India by the efficiency of their higher education, which attracted students from distant countries like Korea, China, Tibet and Java.”—A. S. Altekar : *op. cit.*, p. 234.

किया जाता था—(१) जिन्होंने अपने माता-पिता-की आज्ञा त्त ली हो, (२) जिनको कोढ़, तपेदिक आदि रोग हो, (३) जो राजा की नोकरी करते हों, (४) जो डाकू रह चुके हों, (५) जो जेल से भाग आये हों, (६) जिनको राज्य से किसी प्रकार का दण्ड मिल चुका हो, (७) जिनका कोई अंग-भंग हो या जिनके शरीर का कोई भाग विकृत हो, (८) दास, और (९) नपुंसक ।

३. विद्याध्ययन प्रारम्भ करने की आयु—डा० एफ० ई० केई (F. E. Keay) के अनुसार विद्याध्ययन आरम्भ करने की आयु ८ वर्ष की थी । प्रवेश के बाद छात्र "श्रमण" या "सामनेर" (Samanera) या "नवशिष्य" कहलाता था । इस दशा में वह १२ वर्ष तक विद्याभ्यास करता था । २० वर्ष की आयु में वह भिक्षु के रूप में प्रवेश कर सकता था ।

४. पवज्जा-संस्कार—प्रवेश के समय 'पवज्जा-संस्कार' होता था । 'पवज्जा' का अर्थ है—बाहर जाना । इस संस्कार का अर्थ था कि छात्र अपने परिवार से अलग होकर बौद्ध-संघ में प्रवेश करता था । 'विनय पिटक' (Vinaya Pitaka) में पवज्जा-संस्कार का वर्णन इस प्रकार पाया जाता है

छात्र अपने सिर के बाल मुंडाता था, पीले वस्त्र धारण करता था, मठ के भिक्षुओं के चरणों में अपना माथा टेकता था और फिर पालती मारकर बैठ जाता था । मठ का सबसे बड़ा भिक्षु उससे तीन बार यह कहलाता था—“बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सघं शरणं गच्छामि ।” इसके बाद उसे आगे लिखे १० आदेश दिये जाते थे—(१) जीव-हत्या न करना, (२) चोरी न करना, (३) अशुद्धता से दूर रहना, (४) असत्य न बोलना, (५) मादक पदार्थों का प्रयोग न करना, (६) व्रजित समय पर भोजन न करना, (७) नृत्य, सङ्गीत और तमाशों के पास न जाना, (८) शृङ्गार की वस्तुओं (फूलमालाओं, मुगन्धियों, आम्रपणों आदि) का प्रयोग न करना, (९) ऊँचे बिस्तर पर न सोना, और (१०) सोने या चाँदी का दान न लेना ।

५. उपसम्पदा—नवशिष्य १२ वर्ष तक अध्ययन करने के बाद २० वर्ष की आयु को प्राप्त होता था । उस आयु में वह 'उपसम्पदा-संस्कार' सम्पादित करके भिक्षु के रूप में सघ में रह सकता था । 'पवज्जा' के समान 'उपसम्पदा' एकपक्षीय संस्कार नहीं था । 'उपसम्पदा-संस्कार' संघ के कम से कम १० योग्य भिक्षुओं की उपस्थिति में होता था । उनमें से एक श्रमण का परिचय कराता था । उसके बाद अन्य भिक्षु उससे अनेक प्रश्न पूछते थे । उनके उत्तर सुनने के बाद उपस्थित भिक्षु यह निर्णय करते थे कि नवशिष्य 'उपसम्पदा' ग्रहण करने का अधिकारी है या नहीं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'उपसम्पदा' की प्रणाली जनतान्त्रिक थी । 'उपसम्पदा' के बाद श्रमण पक्का भिक्षु और सघ में रहने का अधिकारी हो जाता था । उसे आगे लिखे नियमों का पालन करना पड़ता था—(१) भोजन के लिए भिक्षा माँगना, (२) साधारण वस्त्र पहनना, (३) वृक्ष के नीचे निवास करना, (४) गो-मूत्र को औषधि के रूप

प्रयोग करना, (५) स्त्री-समागम, चोरी जीव-हत्या और जलौकिक शक्तिया का दावा करने से दूर रहना ।

६. अध्ययन-काल—अध्ययन-काल २२ वर्ष का था—१२ वर्ष पवज्जा का, और १० वर्ष उपसम्पदा का । अध्ययन-काल ८ वर्ष की आयु से प्रारम्भ होकर ३० वर्ष की आयु में समाप्त होता था ।

७ छात्र-जीवन सम्बन्धी नियम—बौद्ध शिक्षा प्रणाली में छात्रों को निम्न लिखित नियमों का पालन करना पड़ता था —

(i) भिक्षाटन—छात्रों को प्रातः जल्दी उठना पड़ता था और फिर भिक्षाटन के लिए जाना पड़ता था । वे मौन रूप से भिक्षा मांगते थे, बोलकर नहीं । वे भिक्षा में केवल उतना ही भोजन माँग सकते थे जितने की उनकी आवश्यकता होती थी ।

(ii) भोजन—विद्यार्थियों का भोजन बहुत सादा और दिन में साधारणतः तीन बार होता था । रात्रि भोजन के लिए वे और उनके शिक्षक प्रायः कहीं न कहीं आमन्त्रित रहते थे ।

(iii) वस्त्र—छात्रों को कम से कम वस्त्र पहनने का आदेश था । उनके वस्त्र तीन होते थे । अतः उनको ' तिसिवरा (Ticivara) कहा जाता था ।

(iv) स्नान—स्नान करते समय छात्रों को पानी में खेल करन और अपने शरीर को लकड़ी या दूसरे के शरीर से रगड़ने का निषेध था । पर वे हाथ से अपने शरीर को मल सकते थे ।

(v) अनुशासन—अनुशासन पर बहुत बल दिया जाता था । छात्र फूल पत्ता पौधों और वृक्षों को हानि नहीं पहुँचा सकते थे, सम्पत्ति नहीं रख सकते थे, खेल-तमाशे नहीं देख सकते थे, शरीर को अलङ्कृत नहीं कर सकते थे और व्यर्थ की बातें नहीं कर सकते थे । इन नियमों का पालन न करने वालों को दण्ड दिया जाता था । कभी-कभी अनुशासनहीनता के कारण पूरे सभ को दण्ड दिया जाता था । उसके सब सदस्यों को सभ से निकाल दिया जाता था ।

८ गुरु के प्रति छात्र के कर्तव्य—छात्र को अपने शिक्षक से पहले उठकर उसकी दाँतों और हाथ मुँह धोने के लिए पानी का प्रबन्ध करना पड़ता था । वह गुरु के बैठने का स्थान ठीक करता था झाड़ू लगाता था और उसके बतना को साफ करता था । वह गुरु से साथ भिक्षा मांगने जाता था और उसके लौटने से पहले वापस आकर गुरु के लिए जल और भोजन का प्रबन्ध करता था ।

९ छात्र के प्रति गुरु ने कर्तव्य—जिस प्रकार गुरु के प्रति छात्र के कर्तव्य थे, उसी प्रकार छात्र के प्रति गुरु के भी कर्तव्य थे । गुरु का प्रमुख कर्तव्य यह था कि वह अपने शिष्य का मानसिक और आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन करे । उस अपने छात्र के लिए वस्त्र, भिक्षा-पात्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध करना पड़ता था । शिष्य के बीमार होने पर गुरु उसकी सेवा-मुश्रूपा करता था ।

१०. गुरु-शिष्य सम्बन्ध—गुरु और शिष्य का सम्बन्ध स्नेहपूर्ण था। गुरु अपने शिष्य के समक्ष सादा जीवन, निरन्तर अध्ययन, निष्कलंक चरित्र और ब्रह्मचर्य के आदर्श प्रस्तुत करता था। अनेक वर्षों तक निरन्तर साथ रहने के कारण गुरु और शिष्य में पारस्परिक श्रद्धा, निर्भरता और प्रेम का विकास हो जाता था। “अपने गुरु के साथ नवशिष्य के सम्बन्धों का स्वरूप पुनानुरूप था। वे पारस्परिक सम्मान, विश्वास और प्रेम से आवद्ध थे।”¹

११. पाठ्यक्रम—बौद्ध-मठों में जो उच्च-शिक्षा के केन्द्र थे, अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जैसे—बौद्ध-धर्म, हिन्दू-धर्म, जैन-धर्म, दर्शनशास्त्र (Philosophy), अध्यात्म-विद्या (Metaphysics), तर्क-शास्त्र (Logic), संस्कृत, पाली, नक्षत्र-फल-गणन-विद्या (Astrology), खगोल-विज्ञान (Astronomy), औषध-विज्ञान (Medicine), न्याय-शास्त्र (Law), राज्य-व्यवस्था (Polity), और प्रशासन (Administration)।

१२. शिक्षण-विधि—शिक्षण-विधि मुख्यतः मौखिक थी। रटने पर बल दिया जाता था, पर रटने के बाद छात्र को याद की हुई बातों पर मनन करना पड़ता था। वाद-विवाद, तर्क, विश्लेषण, व्याख्या और स्पष्टीकरण की विधियों का भी प्रयोग किया जाता था। ह्वेनसांग (Hsuen Tsang) ने शिक्षण की अन्य विधियों के बारे में इस प्रकार लिखा है—“शिक्षक पाठ्य-वस्तु का सामान्य अर्थ बताते हैं और छात्रों को सविस्तार पढ़ाते हैं। वे उन्हें परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कुशलता से उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हैं। वे क्रियाशील छात्रों को निर्देशित करते हैं और मन्द-बुद्धि विद्यार्थियों को ज्ञान के अर्जन के लिए उत्सुक करते हैं।”²

१३. शिक्षा का माध्यम—बौद्ध-मठों में रहने वाले भिक्षु भारत के विभिन्न भागों से आते थे और विभिन्न भाषाएँ बोलते थे। ‘छलवग्गा’ (Challavagga) की एक कहानी के अनुसार बौद्ध-धर्म के अनुयायी दो ब्राह्मणों ने महात्मा बुद्ध से उनके उपदेशों को संस्कृत में लिखने की आज्ञा माँगी। बुद्ध ने इसको अस्वीकार करते हुए कहा—“ओ भिक्षुओ! मैं तुमसे प्रत्येक को बुद्ध के उपदेशों को अपनी स्त्रय की भाषा में सीखने की आज्ञा देता हूँ।” फलस्वरूप, शिक्षा का माध्यम देश की प्रचलित भाषाएँ थीं।

1. “The relations between the novice and his teacher were filial in character; they were united together by mutual reverence, confidence and affection.”—A. S. Altekar : *Education in Ancient India*, pp. 61-62.

2. “The teachers explain the general meaning and teach them the minutiae; they rouse them to activity and skilfully win them to progress; they instruct the inert and sharpen the dull.”
—Quoted by R. K. Mookerji : *op. cit.*, p. 506.

१४. शिक्षा की पद्धति—बौद्धों ने ब्राह्मणों की वैयक्तिक शिक्षा-पद्धति के विपरीत सामाजिक पद्धति को अपनाया। मठों और शिक्षा के अन्य केन्द्रों में अनेक भिक्षु होते थे, जिन पर सामूहिक रूप से छात्रों की शिक्षा का भार रहता था।

१५. शास्त्रीय विवाद—बौद्ध-शिक्षा-पद्धति की एक उल्लेखनीय विशेषता थी—शास्त्रीय विवाद। छात्र समय-समय पर एकत्र होकर विभिन्न विषयों पर परस्पर वाद-विवाद करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते थे। मिरडेल का कथन है —“शास्त्रीय विवादों को प्रोत्साहन दिया जाता था। इस प्रकार की विश-मंडलियाँ बौद्ध उच्च शिक्षा की एक अनोखी विशेषता थी।”¹

१६. सामान्य विद्यालय—बौद्ध-शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता थी—अपने माता-पिता एक साथ रहने वाले बालकों के लिये सामान्य विद्यालयों का आयोजन। मिरडेल ने लिखा है —“मठ-विद्यालय बहुत कुछ सामान्य विद्यालयों के समान कार्य करने लगे, जिनमें बालक अपने परिवारों में रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकते थे।”

१७. स्त्री-शिक्षा—बौद्ध-धर्म में स्त्रियों का स्थान पुरुषों से निम्न है और भिक्षुओं को स्त्रियों से दूर रहने का आदेश दिया गया है। फलस्वरूप, संघ में स्त्रियों को स्थान नहीं दिया गया। कुछ समय के बाद बुद्ध ने अपनी विमाला महाप्रजापति के आग्रह पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। जो स्त्रियाँ संघ में प्रवेश करती थीं, उनको भिक्षुणी कहा जाता था। उनको भिक्षुओं के समान ही जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उनके मठ भिक्षुओं से अलग होते थे। संघ में प्रवेश करने की आज्ञा मिलने के कारण स्त्री-शिक्षा का काफी विकास हुआ। “स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने की आज्ञा ने स्त्री-शिक्षा को, विशेष रूप से समाज के कुलीन और व्यावसायिक वर्गों की स्त्रियों की शिक्षा को, बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया।”² पर हमें इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि स्त्री-शिक्षा की बहुत प्रगति हुई। संघ में विशेष रूप से कुलीन और व्यावसायिक वर्गों की स्त्रियों ने ही प्रवेश किया। इन स्त्रियों की संख्या कम थी, क्योंकि इनका प्रवेश भिक्षुओं की इच्छा पर आधारित था और वे साधारणतः सभी स्त्रियों को प्रवेश नहीं देते थे। जहाँ तक साधारण स्त्रियों की बात थी, उनकी शिक्षा के लिए बौद्ध-शिक्षा-पद्धति में कोई स्थान नहीं था।

1. “Scholastic debates were encouraged. Such learned assemblies were a novel feature of Buddhist higher education.”—Gunnar Myrdal : *Asian Drama*, Vol. III, p. 1629.

2. “The permission given to women to enter the Order gave a fairly good impetus to the cause of female education, especially in aristocratic and commercial sections of society.”—A. S. Altekar . *op. cit.*, p. 233.

१८ व्यावसायिक शिक्षा—बौद्ध-शिक्षा में प्रमुख स्थान धर्म का था। पर उस समय के बौद्ध-साहित्य में ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा की उपेक्षा नहीं की गई। भिक्षुओं और जन-साधारण को विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों की शिक्षा दी जाती थी। 'महावग्गा' (Mahavagga) में भिक्षुओं के लिए कतार्ई-बुनार्ई और सिलार्ई के प्रशिक्षण का वर्णन है। उनको यह प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता था, जिससे वे अपने वस्त्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। बौद्ध-कालीन विहार, स्तूप और चैत्य उस युग की भवन-निर्माण कला के प्रतीक हैं, और इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इस कला में उच्च कोटि के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। भिक्षुओं को भी इस कला से अवगत होना पड़ता था, जिससे कि वे विहारों के भवनों का निर्माण अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करवा सकें। भवन-निर्माण कला के अतिरिक्त मूर्तिकला और चित्रकला के प्रशिक्षण की भी सुन्दर व्यवस्था थी, जैसा कि नालन्द और विक्रमशील विश्वविद्यालयों के भवनों तथा अन्य तत्कालीन इमारतों से प्रकट होता है।

गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वालों और बौद्ध-धर्म के अनुयायियों को जीविको-पार्जन में सहायता देने के लिए विभिन्न उद्योगों की शिक्षा दी जाती थी, जैसे—लेखन, गणना (Accountancy), रूपम (Drawing), कृषि, वाणिज्य, कुटीर उद्योग और पशुपालन। "मिलिन्द पन्हा" (Milinda Panha) में १९ सिप्पाओं (Sippas) या शिल्पों का उल्लेख है, जो बौद्ध-काल में प्रचलित थे। इनमें से अग्रलिखित की शिक्षा तक्षशिला के कुछ उच्च शिक्षा-केन्द्रों में दी जाती थी—हस्ति-ज्ञान (Elephant Lore), इन्द्र जाल (Magic Charms), मृत व्यक्तियों को जीवित करने का मन्त्र, आखेट (Hunting), सब पशुओं की बोलियाँ समझने का ज्ञान, धनुर्विद्या, भविष्य-कथन, इन्द्रिय सम्बन्धी सब क्रियाओं को वश में करने की कला, शारीरिक संकेतों का अर्थ, और औषध-विज्ञान। छान इन विषयों में से केवल एक का अध्ययन कर सकते थे। इस प्रकार जैसा कि डॉ० आर० के० मुकर्जी ने लिखा है, यह स्पष्ट हो जाता है कि "सिप्पाओं या प्रावधिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा के ज्ञान की मांग सामान्य शिक्षा या धार्मिक अध्ययन की मांग से किसी प्रकार कम नहीं थी।"¹

ब्राह्मणीय और बौद्ध-शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन
समानता (Comparison)

"जहाँ तक सामान्य शिक्षा-सिद्धान्त या वार्य-प्रणाली का सम्बन्ध था, हिन्दुओं और बौद्धों में कोई आधारभूत अन्तर नहीं था। दोनों पद्धतियों के समान आदर्श थे

1. The demand for the knowledge of the Sippas or for technical and scientific education was not less keen than that for general education or religious studies."—R. K. Mookerji : *Ancient Indian Education*, p. 472

और दोनों समान विधियों का अनुसरण करती थी।¹ वस्तुतः, बौद्ध-शिक्षा-प्रणाली ने प्राचीन हिन्दू-संस्थाओं का अनुकरण किया। अब हम दोनों पद्धतियों की समानताओं पर विचार करेंगे, यथा—

(१) बौद्ध-धर्म ने अपने भिक्षुओं के लिए ब्रह्मचर्य के अनेक नियमों को अपनाया। ब्रह्मचारी का प्रथम कर्तव्य—भिक्षा मांगना था। बौद्ध शब्द “भिक्षु” का अर्थ है—“भिक्षा मांगने वाला।” ब्रह्मचारी के समान भिक्षु को भी भिक्षा मांगनी पड़ती थी।

(२) ब्रह्मचर्य से सम्बन्धित भिक्षा-पात्र, भिक्षा मांगने की विधि, भोजन करने बैठने, सोने, केश कटवाने, वस्त्र, पुष्पमालाओं, सुगन्धियों, तेलों आदि विलास की वस्तुओं के सभी नियमों को बौद्ध-धर्म ने अपने भिक्षुओं के लिए अपना लिया था।

(३) बौद्धों का “अहिंसा” का सिद्धान्त ब्राह्मणीय है। ब्रह्मचारी को जुती हुई भूमि और फसल के ऊपर चलने का निषेध था, जिससे वह जीव-हत्या न करे। यही कारण था कि भिक्षु को वर्षा ऋतु में यात्रा करने की आज्ञा नहीं थी।

(४) ब्राह्मणीय पद्धति में “संन्यासी” अपना घर छोड़ देता था और वृक्ष के नीचे निवास करता था। “भिक्षु” को भी वृक्ष के नीचे निवास करने का आदेश था।

(५) बौद्ध-धर्म शारीरिक पवित्रता पर उतना ही बल देता है, जितना कि वैदिक धर्म। वेदों के अनुसार ‘धर्म’ व्यवहार में लाई जाने वाली वस्तु है। इसका सम्बन्ध ज्ञान की अपेक्षा व्यवहार से अधिक है। “ब्रह्मचर्य” का शाब्दिक अर्थ है—“ब्रह्म का अभ्यास” (The Practice of *Brahma*)। शिक्षक को “आचार्य” अथवा “धर्म के आदेशों का पालन करने वाला” कहा जाता है। इस प्रकार ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति पुस्तकों के अध्ययन की अपेक्षा उचित आदतों पर अधिक बल देती है। बौद्ध-शिक्षा-पद्धति में भी ऐसा ही है।

(६) ब्राह्मणीय शिक्षा-प्रणाली में छात्रों द्वारा उपवास रखने की विधि को बौद्ध-शिक्षा-प्रणाली ने भी अपनाया।

(७) जिस प्रकार ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति में “उपनयन संस्कार” सम्पादित किया जाता था, उसी प्रकार बौद्ध-शिक्षा-पद्धति में “पबज्जा-संस्कार” का सम्पादन होता था। दोनों संस्कारों में छात्रों को अपने माता-पिता को छोड़कर गृह के पास रहना पड़ता था।

1. “There was no fundamental difference between Hindus and Buddhists as far as the general educational theory or practice was concerned. Both systems had similar ideals and followed similar methods.”—A. S. Altekar : *Education in Ancient India*, p. 228.

(८) जिस प्रकार ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति में विद्याध्ययन प्रारम्भ करने की आयु निश्चित थी, उसी प्रकार बौद्ध-शिक्षा-पद्धति में भी थी।

(९) ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति में अध्ययन की न्यूनतम अवधि १२ वर्ष की थी। इतनी ही अवधि बौद्ध-धर्म में नवशिष्य के लिए थी।

(१०) जिस प्रकार ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति में “उपनयन-संस्कार” के बाद विद्यार्थी को “ब्रह्मचारी” की उपाधि दी जाती थी, उसी प्रकार बौद्ध-शिक्षा-पद्धति में “पबज्जा-संस्कार” के बाद छात्र को “सामनेर” की उपाधि दी जाती थी।

(११) ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति के “गुरु-शिष्य सम्बन्ध” के प्रमुख विचारों को बौद्ध-शिक्षा-पद्धति में अपना लिया गया था।

असमानता (Contrast)

बौद्ध-धर्म का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि संसार दुःखों और कष्टों से परिपूर्ण है और इसका त्याग करके ही व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। अतः बौद्ध-शिक्षा-पद्धति का आयोजन ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति से विभिन्न ढंग से किया गया। इन दोनों शिक्षा-पद्धतियों में पाई जाने वाली असमानताओं का वर्णन आगे किया गया है, यथा—

(१) ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति को ‘शिक्षा की पारिवारिक प्रणाली’ (Domestic System of Education) कहा जा सकता है, क्योंकि इस प्रणाली में शिक्षक का घर या परिवार—ज्ञान का विद्यालय होता था। बौद्ध-शिक्षा-प्रणाली बौद्ध संघ की प्रणाली थी। इसमें परिवार का स्थान संघ या विहार ने ले लिया था। इस प्रकार बौद्ध-शिक्षा ने गुरु और शिष्य के पारिवारिक बन्धनों को नष्ट कर दिया।

(२) ब्राह्मणीय प्रणाली में शिक्षा का केन्द्र ‘गुरु-गृह’ था। इसका विकास अनेक शिक्षकों वाली शिक्षा-संस्था में नहीं हुआ। बौद्ध-शिक्षा-प्रणाली की यह एक प्रमुख विशेषता थी। बौद्ध-विहारों में अनेक शिक्षक अध्यापन का कार्य करते थे।

(३) बौद्ध-विहारों में अतुलित सम्पत्ति होती थी और वे धनी होते थे। हमें “विनय पिटक” (Vinaya Pitaka) से ज्ञात होता है कि विहारों का जीवन उनके बाहर के जीवन से अधिक सुखी और सुविधापूर्ण था। भिक्षुओं को भोजन का अभाव नहीं था और रोगग्रस्त होने पर उनका उपचार देश के सर्वप्रथम वैद्य ‘जीवक’ (Jivaka) के द्वारा किया जाता था। अतः उसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि अनेक अवाञ्छित मनुष्यों ने संघ में प्रवेश ले लिया। फलस्वरूप, विहार सद्गुण और सद्ज्ञान के केन्द्र न रह गये। क्योंकि इन दूषणों ने ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति में प्रवेश नहीं किया, इसलिए भारत में एक बार फिर ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ।

(४) बौद्ध-शिक्षा-पद्धति में गुरु-शिष्य के सम्बन्ध इतने अच्छे नहीं थे, जितने कि ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति में थे। दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि प्रथम शिक्षा-

प्रणाली में छात्र के ऊपर गुरु का अधिकार कम हो गया। विहार के सभी भिक्षु पूर्ण स्वतन्त्रता का उपभोग करते थे। संघ के सभी प्रस्ताव भिक्षुओं की सभा के द्वारा पारित किये जाते थे और सब भिक्षुओं को मतदान का समान अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार बौद्ध-शिक्षा-प्रणाली “प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त” (Democratic Principle) पर आधारित थी, जबकि ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति का आधार “एक स्वामिक सिद्धान्त” (Monarchical Principle) था।

(५) “उपसम्पदा-संस्कार” दोनों शिक्षा-पद्धतियों के एक प्रमुख अन्तर की ओर संकेत करता है। ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति में ब्रह्मचारी अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद घर लौट आता था, विवाह करता था और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इसके विपरीत, “उपसम्पदा-संस्कार” के बाद भिक्षु को संसार से अपने सभी बन्धनों को तोड़ देना पड़ता था और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने और बौद्ध-धर्म का उपदेश करने में अपने सम्पूर्ण जीवन को व्यतीत करने की शपथ लेनी पड़ती थी।

(६) वैदिक संस्कृति का आधार—व्यक्तिगत शिक्षा-संस्थाएँ और गुरुओं तथा शिष्यों की आदर्श परम्पराएँ थी। इसके विपरीत, बौद्ध-संस्कृति विशाल विहारों में स्थित शिक्षा-संस्थाओं के संघ पर आधारित थी, जिनमें अनेक शिक्षक और विद्यार्थी रहते थे।

(७) दोनों पद्धतियों में भिक्षाटन की प्रथा थी। पर भिक्षा माँगने के ढंग में अन्तर था। ब्रह्मचारी बोलकर भिक्षा माँग सकता था, पर भिक्षु को मौन रूप से भिक्षा माँगनी पड़ती थी।

(८) ब्राह्मणीय शिक्षा के समान बौद्ध-शिक्षा वेदों पर आधारित नहीं थी और इसके शिक्षक ब्राह्मण नहीं थे। केवल वे ही ब्राह्मण अध्यापन का कार्य कर सकते थे, जो बौद्ध-धर्म को अंगीकार कर लेते थे। ब्राह्मणीय शिक्षा-संस्थाओं के विपरीत, बौद्ध-शिक्षा-शालाओं के द्वारा प्रत्येक जाति के व्यक्तियों के लिए खुले हुए थे।

(९) ब्राह्मणीय पद्धति में प्रत्येक विद्यालय या आश्रम का स्वतन्त्र अस्तित्व था। इसका अन्य शिक्षा-संस्थाओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता था। बौद्ध-प्रणाली में प्रत्येक विद्यालय आन्तरिक मामलों में स्वतन्त्र होता था, पर अन्य विद्यालयों के समान इसका सम्बन्ध संघ से होता था।

(१०) ब्राह्मणीय शिक्षा-केन्द्रों में शिक्षा का माध्यम ‘संस्कृत’ थी। बौद्ध-विहारों में स्थित विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम ‘पाली’ और देशी भाषाएँ थी।

(११) व्यावसायिक शिक्षा पर जितना बल ब्राह्मणों ने दिया, उतना बौद्धों ने नहीं दिया।

उपसंहार

भारत में वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के कारण बौद्ध-धर्म का ह्रास होता चला

गया और कालान्तर में लुप्त हो गया। पर शिक्षा के क्षेत्र में बौद्ध-धर्म ने क्रान्ति उत्पन्न कर दी। “ब्राह्मणीय विद्यालयों के एकमात्र अधिकार को समाप्त करने और सब जातियों के मनुष्यों को शिक्षा का अवसर सुलभ करने में, बौद्ध धर्म ने भारत के लोगों में जन-सामान्य की शिक्षा की इच्छा का कुछ विस्तार किया, और उस माँग को प्रोत्साहित किया, जिसके कारण सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालयों का विकास हुआ।”¹

सारांश

शिक्षा की व्यवस्था—बौद्ध-शिक्षा के प्रमुख केन्द्र ‘संघ’ थे। केवल संघ के भ्रमणों को ही शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध-संघ की पद्धति ही बौद्ध-शिक्षा-पद्धति थी।

सार्वजनिक या प्राथमिक शिक्षा—इस शिक्षा के केन्द्र ‘बौद्ध-मठ’ थे। प्रारम्भ में यह शिक्षा केवल धार्मिक थी, पर बाद में सासारिक शिक्षा भी दी जाने लगी। प्राथमिक शिक्षा ६ वर्ष की आयु में प्रारम्भ होती थी। शिक्षा का माध्यम ‘पाली’ भाषा थी।

उच्च शिक्षा—इसके केन्द्र ‘बौद्ध-मठ’ थे। व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, दर्शन, औषध-विज्ञान आदि किसी में विशेष योग्यता प्राप्त की जा सकती थी। उच्च शिक्षा के प्रमुख केन्द्र नालन्दा, वलभी, विक्रमशील, जगदल, ओदन्तपुरी, मिथिला और नादिया थे।

शिक्षा के तत्त्व एवं विशेषताएँ—(१) चाडालो के अतिरिक्त सभी जातियों के व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। (२) छात्रों के चुनाव के ६ आधार थे। (३) विद्याध्ययन आरम्भ करने की आयु ८ वर्ष की थी। (४) प्रवेश के समय पवज्जा-संस्कार होता था। (५) २० वर्ष की आयु में उपसम्पदा-संस्कार सम्पादित होता था। (६) अध्ययन-काल २२ वर्ष का था। (७) छात्रों के लिए भिक्षा माँगने, साधारण भोजन करने, कम बस्त्र पहनने, पानी में खेल न करने व अनुशासन में रहने का आदेश था। (८) गुरु और छात्रों के एक-दूसरे के प्रति निश्चित कर्तव्य थे। (९) गुरु-शिष्य सम्बन्ध स्नेहपूर्ण थे। (१०) पाठ्य-क्रम में बौद्ध, हिन्दू व जैन-धर्म, दर्शन, अध्यात्म-विद्या, तर्कशास्त्र, संस्कृत, पाली, औषध-विज्ञान, प्रशासन आदि विषय थे।

1. “In breaking down the monopoly of Brahmanic schools and offering the possibility of education to men of all castes, Buddhism may have done something to extend amongst the people of India the desire for some popular education and to have stimulated a demand which led to the growth of the popular elementary schools.”—F. E. Keay : *Indian Education in Ancient and Later Times*, p. 109.

(११) शिक्षण-विधि मौखिक थी। पर तर्क, वाद-विवाद, विश्लेषण, व्याख्या व स्पष्टीकरण विधियों का भी प्रयोग किया जाता था। (१२) शिक्षा का माध्यम देश की प्रचलित भाषाएँ थी। (१३) शिक्षा की पद्धति सामाजिक थी। (१४) शास्त्रीय विवाद प्रोत्साहित किये जाते थे। (१५) सामान्य विद्यालयों का आयोजन था। (१६) स्त्री-शिक्षा का स्थान पुरुष-शिक्षा से निम्न था। (१७) विभिन्न उद्योगों व १६ शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी।

ब्राह्मणीय व बौद्ध-शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन

समानता—(१) भिक्षा माँगना, (२) विलास की वस्तुओं का निषेध, (३) अहिंसा, (४) वृक्ष के नीचे निवास, (५) शारीरिक पवित्रता, (६) उपवास, (७) प्रवेश-संस्कार, (८) शिक्षा आरम्भ की निश्चित आयु, (९) ब्रह्मचारी व सामनेर की उपाधि, (१०) गुरु-शिष्य सम्बन्ध पर बल।

असमानता—(१) ब्राह्मणीय शिक्षा-पद्धति शिक्षा की पारिवारिक प्रणाली, बौद्ध-शिक्षा-पद्धति बौद्ध-संघ की प्रणाली, (२) ब्राह्मणीय में शिक्षा का केन्द्र गुरु-गृह, बौद्ध में शिक्षा का केन्द्र विहार, (३) ब्राह्मणीय में धन का अभाव, बौद्ध में धन की प्रचुरता, (४) ब्राह्मणीय में गुरु-शिष्य सम्बन्ध-बौद्ध की अपेक्षा अधिक उत्तम, (५) ब्राह्मणीय में गृहस्थ आश्रम की आज्ञा, बौद्ध में नहीं, (६) ब्राह्मणीय में व्यक्तिगत शिक्षा-संस्थाएँ, बौद्ध में ऐसा नहीं, (७) ब्राह्मणीय में बोलकर भिक्षाटन, बौद्ध में मौन रूप से, (८) ब्राह्मणीय में शिक्षक केवल ब्राह्मण, बौद्ध में प्रत्येक जाति के, (९) ब्राह्मणीय में विद्यालय का स्वतन्त्र अस्तित्व, बौद्ध में नहीं, (१०) ब्राह्मणीय में शिक्षा का माध्यम 'संस्कृत', बौद्ध में 'पाली' और देशी भाषाएँ, (११) ब्राह्मणीय में व्यावसायिक शिक्षा पर अपेक्षाकृत अधिक बल।

TEST QUESTIONS

1. Bring out some of the salient features of Brahmanical and Buddhist education. Which of them, in your opinion, has stood the test of time ?

ब्राह्मणीय और बौद्ध-शिक्षा की कतिपय प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपके विचारानुसार उनमें से कौन-सी समय की कसौटी पर पूरी उतरी है ?

2. "Buddhist education shows several radical departures from the Brahmanic." Elucidate.

"बौद्ध-शिक्षा अनेक महत्वपूर्ण बातों में ब्राह्मणीय शिक्षा से भिन्न है।" स्पष्ट कीजिए।

3. Give an account of the organization and salient features of the Buddhist education.

बौद्ध-शिक्षा की व्यवस्था और प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

३

मुस्लिमकालीन शिक्षा

प्रस्तावना

भारत की आर्थिक उन्नति तथा सम्पन्नता से आकर्षित होकर मुसलमानों ने ईसा की षवीं शताब्दी में भारत पर अपने आक्रमण प्रारम्भ कर दिए। महमूद गज़नी ने अनेक बार यहाँ की दौलत से अपने हाथ रेंगे, पर प्रत्येक बार वह स्वदेश को वापस लौट आया। मुहम्मद गौरी प्रथम मुस्लिम शासक था, जिसने १२वीं शताब्दी के अन्त में भारत में मुस्लिम राज्य का शिलान्यास किया। १२६६ में उसकी मृत्यु के समय से १७५७ ई० तक, जब अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त की, भारत पर मुसलमानों का आधिपत्य रहा। लगभग ५५० वर्ष के इस दीर्घकालीन आधिपत्य में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का फलेवर पूर्णतः परिवर्तित हो गया।

भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना से पूर्व यहाँ बौद्ध तथा ब्राह्मणीय शिक्षा का पर्याप्त प्रचार था। परन्तु मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता के कारण अनेक हिन्दू-शिक्षा-केन्द्र नष्ट कर दिए गए और उनकी पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया गया। इसके बावजूद भी प्राचीन एवं मुख्यवस्थित संस्कृति पर आधारित तथा धर्म से प्रेरित भारतीय शिक्षा की धारा मुस्लिम प्रभाव से दूर स्थित स्थानों में अबाध गति से आगे बढ़ती रही। इसी के साथ-साथ जिन नगरों में मुसलमान विशाल मस्जिदों में नियास करते थे अथवा कोई मुसलमान शासक रहता था, वहाँ मुस्लिम-शिक्षा की धारा भी, जिसका प्रेरणा-स्रोत धार्मिक प्रवृत्तियाँ थी, प्रवाहित होने लगी। यहाँ हम सर्व-प्रथम यह देखेंगे कि मुस्लिम शासकों ने इस धारा को किस दिशा में प्रवाहित किया।

मुस्लिम शासकों के समय में शिक्षा

मुहम्मद साहब का एक उपदेश यह था—“दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना ध्येष्ट है।” उनके अनुयायियों ने इस जादेश का अधरसः पालन

किया और ससार के उन भागों में जहाँ उनका शासन था, शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। यूरोप के सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों में 'कारडोवा' (Cordova) मुसलमानों के द्वारा स्थापित किया जाने वाला विश्वविद्यालय था। भारत के दुर्भाग्य से उन्होंने शिक्षा के प्रति यहाँ वह रुचि नहीं व्यक्त की। इसका कारण बताते हुए टी० एन० सिक्वेरा ने लिखा है —“भारत की मुस्लिम विजय इस्लामी शिक्षा के उस अन्धकारपूर्ण युग की समकालीन थी, जब विद्यालयों ने संस्कृति के अपने विस्तृत आदर्शों को खो दिया था।”¹ फलतः अकबर के अतिरिक्त और किसी भी मुस्लिम शासक का—उसके शिक्षा-प्रयासों के लिए यश-गान नहीं किया जा सकता है। मुहम्मद गोरी के समय से भारत के अन्तिम मुस्लिम शासक के राज्यकाल तक शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए गये उनका संक्षिप्त विवरण नीचे की पंक्तियों में दिया जा रहा है —

१ मुहम्मद गोरी—सन् ११९२ ई० में मुहम्मद गोरी ने अन्तिम हिन्दू-राजा पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में मुस्लिम राज्य की नींव डाली। उसने अजमेर को विजय किया और वहाँ के मन्दिरों को तुड़वा कर मस्जिदें, और पाठशालाओं को तुड़वा कर मकतबा तथा मदरसों का निर्माण करवाया।

२ दास वंश के शासक—गोरी की मृत्यु के बाद उसके दास कुतुबुद्दीन ने सन् १२०६ ई० में शासन-सूत्र सम्हाला। उसके सेनापति बलित्यार ने नालन्द और विक्रमशील के बौद्ध विश्वविद्यालयों को धराशायी किया, जिससे हिन्दू-शिक्षा को महान् क्षति पहुँची। पर कुतुबुद्दीन ने मस्जिदें बनवा कर जो धर्म और शिक्षा की केन्द्र थी, मुस्लिम-शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। उसके उत्तराधिकारी अलतमश ने दिल्ली में “मदरस-ए-मुअज्जी” की स्थापना की। नासिरुद्दीन के प्रधान मन्त्री के रूप में बलवन ने एक मदरसे का निर्माण कराया और अपने स्वामी के नाम पर उसका नाम “नासिरिया रखा। साराश में, सभी दास शासकों—कुतुबुद्दीन, अलतमश, रजिया, नासिरुद्दीन और बलवन ने मकतबा और मदरसों का निर्माण कराकर मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन दिया।

३ खिलजी वंश के शासक—गुलाम मुल्ताना के समान खिलजी सुल्तानों ने शिक्षा के प्रति कोई रुचि व्यक्त नहीं की। अलाउद्दीन ने अपने पूर्ववर्ती जलालुद्दीन द्वारा शिक्षा के कार्यों के लिए दिए “इनामों” और ‘बक्फों’² को जब्त कर लिया। इतने पर भी उसे “होजे वास” से सम्बद्ध एक मदरसा बनवाने का यश प्राप्त है।

1 “The Muslim conquest of India coincided with a dark age in Islamic education when the schools had lost their wider ideals of culture”—T. N. Siqueira : *Modern Indian Education*, p 14

उसके परवर्ती शासक—मुबारक शाह ने शिक्षा के लिए दिए गए “इनामो” और “बक्फो” को वापस कर दिया, पर दुर्भाग्य से वह थोड़े ही समय राज्य कर सका।

४. तुगलक वंश के शासक—सन् १३२५ ई० में अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान् मुहम्मद तुगलक सिंहासन पर आरूढ हुआ। ऐसे विद्वान् के शासन-काल में शिक्षा का तीव्र विकास होना अनिवार्य था, पर सन् १३२७ ई० में उसने दिल्ली से दौलतावाद को अपनी राजधानी का परिवर्तन करके अति महान् मूर्खता की। इससे दिल्ली में विद्वानों का पूर्ण अभाव हो गया और शिक्षा के केन्द्र के रूप में उसका नाम कुछ समय के लिए मिट गया। सम्भवतः शिक्षा की इस क्षति को पूर्ण करने के लिए ही मुहम्मद तुगलक ने सन् १३४६ ई० में दिल्ली में एक मदरसा बनवाया। उसके परवर्ती फिरोज तुगलक के समय में मुसलमानों की उच्च शिक्षा में श्लाघनीय उन्नति की। वह स्वयं शिक्षित था और शिक्षित व्यक्तियों को संरक्षण देता था। इतिहासकार फेरिश्ता (Ferishta) के अनुसार, उसने ३० मदरसों की आधार-शिला रखी। इनमें “होजे-खास” के पास “मदरसये-फिरोजशाही” भी था। वास्तव में, यह सादास विश्वविद्यालय था, जिसमें शिक्षक और छात्र शाही खर्च पर रहते थे। अपने समय का विद्वान् मौलाना जलालुद्दीन रूमी इसका प्रधानाचार्य था। फिरोज के समय में केवल दिल्ली में ३,००० मकतब और मदरसे थे। डा० युसुफ हुसेन (Yusuf Husain) के अनुसार, फिरोज ने व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की। एन० एन० लॉ (N. N. Law) ने लिखा है कि फिरोज तुगलक ने शिक्षा पर ३६ टंके (अर्थात् ३६ लाख रुपये) व्यय किए। फिरोज की मृत्यु के बाद शिक्षा की उपेक्षा की जाने लगी। सन् १३६८ ई० में तैमूर ने अपने आक्रमण के समय अपने मार्ग में स्थित सभी शिक्षा और धार्मिक संस्थाओं को धूल-धूसरित कर दिया।

५. संयद और लोदी वंश के शासक—संयद और लोदी बादशाहों ने सन् १४१४ ई० से सन् १५२६ ई० तक शासन किया। पर सिकन्दर लोदी के सिवा किसी और ने शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया। स्वयं कवि और साहित्यकार होने के कारण सिकन्दर लोदी ने अपने राज्य के सब भागों में मदरसों की स्थापना की, और उनमें अध्यापन का कार्य करने के लिए दूर-दूर के स्थानों से योग्य शिक्षकों को आमंत्रित किया। उसके द्वारा मथुरा और नरवर में स्थापित किए गए मदरसों में जाति और धर्म का भेद-भाव किए बिना सभी वर्गों के छात्र विद्या का अर्जन कर सकते थे। इस प्रकार हिन्दुओं में फारसी के अध्ययन की रुचि उत्पन्न करने का श्रेय सिकन्दर लोदी को है।

६. मुगलों द्वारा भारत की विजय—सन् १५२६ ई० में मुगलों ने भारत को विजय करके मुगल-साम्राज्य की नींव डाली। उस समय देश के विभिन्न भागों में अनेक मकतब और मदरसे थे। यहाँ इस बात की ओर संकेत कर देना आवश्यक जान पड़ता है कि उस समय तक मुसलमान शासकों ने किसी निश्चित शिक्षा-नीति

का अनुसरण नहीं किया था। सम्भवतः यही कारण था कि बाबर को यह शिकायत करने का अवसर मिला कि भारत में अच्छी शिक्षा सस्थाएँ नहीं थी। बात जो कुछ भी हो, शिक्षा को मुगल सम्राटों से अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। हम विभिन्न मुगल सम्राटों की शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों पर नीचे प्रकाश डाल रहे हैं —

(i) बाबर—बाबर प्रथम मुगल सम्राट था। वह अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं का विद्वान् था और उसे कविता से प्रेम था। उसके एक मन्त्री सैयद मकबर अली की 'तवारीख' के अनुसार 'शोहरते आम विभाग'¹ का एक कर्तव्य यह था कि वह मकतबों और मदरसों के भवनों का निर्माण करवाये। दुर्भाग्य से, ४८ वर्ष की अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई और उसकी शिक्षा सम्बन्धी सभी योजनाएँ अपूर्ण रह गईं।

(ii) हुमायूँ—बाबर के पुत्र हुमायूँ को अध्ययन से इतनी अधिक रुचि थी कि उसके साथ सदैव कुछ चुनी हुई पुस्तकों का संग्रह रहता था। उसके द्वारा दिल्ली में बनवाय गए मदरसों में गणित, भूगोल और नक्षत्र विद्या के शिक्षण का विशेष प्रबन्ध था। उसने दिल्ली में एक पुस्तकालय भी बनवाया था, जिसके छज्ज से गिरने पर उसकी मृत्यु हुई थी। इतिहासकार जाफर (Jaffar) के अनुसार, हुमायूँ के मकबरे से सम्बद्ध एक मदरसा था। भारत से हुमायूँ के निर्वासन के समय शेरशाह ने उसके सिंहासन पर आरूढ़ होकर नारनौल में एक मदरसा स्थापित किया।

(iii) अकबर—अकबर के शासन-काल में मकतबों और मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा ने नव-युग में प्रवेश किया। उसने आगरा, फतेहपुर-सीकरी, गुजरात और अन्य स्थानों में मदरसों बनवाये। ये मदरसों सादास थे और इनका व्यय भारत राज्य के द्वारा वहन किया जाता था। 'उसके आदेश के अनुसार पाठ्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित किए गये, जैसे—तकशास्त्र, गणित, भूमिति, रेखागणित, नक्षत्र विद्या, लेखाशास्त्र, सांख्यिक प्रशासन और कृषि। इस योजना ने देश की समस्त शिक्षा-व्यवस्था को लौकिक रूप दे दिया।'² उच्च शिक्षा के स्तर पर नीतिशास्त्र (Ethics), गणित (Arithmetic), लेखाशास्त्र (Accountancy), कृषि, रेखागणित, नक्षत्र विद्या, अर्थशास्त्र, पदार्थ शास्त्र (Physics), तर्कशास्त्र, भौतिक विज्ञान (Natural Philosophy) और इतिहास के शिक्षण की व्यवस्था थी। मुसलमान

1 Public Works Department

2 "At his suggestion, certain important subjects such as Logic, Arithmetic, Mensuration, Geometry, Astronomy, Accountancy, Public Administration and Agriculture were included in the course of studies. This scheme gave a secular bias to the entire educational system of the country —Yusuf Husain *Glimpses of Medieval Indian Culture*, p 79

विद्यार्थियों को कुरान और हिन्दू छात्रों को व्याकरण, वेदान्त और योग पर पातंजलि की व्याख्या की शिक्षा दी जाती थी। राज्य द्वारा संचालित शिक्षा-संस्थाओं के अतिरिक्त अनेक व्यक्तिगत शिक्षालय भी थे, जिनमें स्नातकोत्तर स्तर पर संगीत, चित्रकारी, दर्शन और गणित की शिक्षा दी जाती थी।

अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति से प्रेरित होकर अकबर ने अपने शासन के अन्तिम वर्षों में मकतबों और मदरसों में हिन्दू छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था कर दी। हिन्दू बालक मुसलमान लड़कों के साथ अध्ययन करने लगे और दोना ने समान पाठ्यक्रम का अनुसरण किया। क्योंकि अकबर को स्वयं यन्त्रों में रुचि थी, इसलिए उसने "कारखानों" की स्थापना की, जहाँ प्राविधिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता था।

(iv) जहाँगीर—अकबर ने जिस निश्चित शिक्षा-नीति की स्थापना की थी, उसका अनुसरण उसके पुत्र जहाँगीर ने नहीं किया। फिर भी वह अपने राज्य में शिक्षा की प्रगति को बनाये रहा। उसने यह नियम बना दिया था कि यदि किसी धनी मनुष्य या यात्री की मृत्यु हो जाय और उसका कोई उत्तराधिकारी न हो, तो उसकी सम्पत्ति राज्य के अन्तर्गत आ जाय और उसका उपयोग मदरसों की स्थापना तथा संरक्षण के लिए किया जाय। "तारीखे जहाँ" (Tarikh-Jahan) के अनुसार राज-सिंहासन पर बैठते ही उसने उन मदरसों की मरम्मत करवाई, जिनमें ३० वर्ष से पक्षियों एवं पशुओं का निवास था और उनको छात्रों तथा शिक्षकों से भर दिया।

(v) शाहजहाँ—निस्सन्देह शाहजहाँ को सुन्दर इमारतों से प्रेम था, पर उसने शिक्षा की उपेक्षा नहीं की। उसने विद्वानों और कवियों को पुरस्कार तथा वृत्तियाँ देकर शिक्षा को प्रोत्साहित किया। सन् १६५० ई० में उसने दिल्ली की जामा मस्जिद के पास एक मदरसा स्थापित किया। उसने 'दारुलबक्का' नामक मदरसे की, जो खण्डहर हो गया था, मरम्मत करवाई। उसकी पुत्री जहाँनारा वेगम ने आगरा की जामा-मस्जिद से सम्बद्ध एक मदरसा बनवाया।

(vi) औरङ्गजेब—यद्यपि औरंगजेब स्वयं बहुत शिक्षित था, पर वह अपने पूर्ववर्तियों के समान हिन्दुओं के प्रति सहिष्णु नहीं था। अतः वह उनकी शिक्षा से वैमनस्य रखने लगा। सर यदुनाथ सरकार के अनुसार, उसने सन् १६६६ ई० में हिन्दू मन्दिरों और विद्यालयों को नष्ट करने की आज्ञा दे दी। पर इसके साथ-साथ उसने मुस्लिम शिक्षा को प्रत्येक प्रकार की सहायता दी। "उसने मुसलमानों के लिए अनेक मकतबों और मदरसों की स्थापना की।"¹ उसने निर्धन किन्तु योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दीं। उसने गुजरात की पिछड़ी हुई बोहरा जाति को शिक्षित करने के लिए आर्थिक सहायता दी।

1 "He founded numberless colleges and schools for Muslims"—H. G. Keene. : *The Fall of the Mughal Empire*, p. 23

७. उत्तरकालीन मुगल सम्राट—औरंगजेब के बाद आने वाले मुगल सम्राटों के शिक्षा सम्बन्धी कार्य प्रायः नगण्य थे। “औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का वैभव शीघ्रता से समाप्त होने लगा और सम्राटों या गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा शिक्षा-संस्थाओं को निर्मित करने और उन्हें धन-सम्पन्न करने के प्रयास बहुत ही कम हो गये।”¹

८. नादिरशाह का आक्रमण—सन् १७३० ई० में भारत पर किये जाने वाले नादिरशाह के आक्रमण ने इस देश की शिक्षा पर अति प्रबल कुठाराघात किया। अन्य वस्तुओं के साथ जिन्हे नादिरशाह अपने साथ फारस को ले गया, वह शाही पुस्तकालय भी था, जिसे अनेक मुगल सम्राटों ने अति रुचि और परिश्रम से विभिन्न विषयों की पुस्तकों से संगृहीत और अलंकृत किया था।

शिक्षा के उद्देश्य

भारत के प्रायः सभी मुस्लिम शासक निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी थे। सभी की अपनी आकाक्षाएँ, परिस्थितियाँ तथा आवश्यकताएँ थी, और इन्हीं के अनुरूप उनके शासन-काल में शिक्षा के उद्देश्य रहे। इसके अतिरिक्त, मुस्लिम शासकों में कुछ उदार तथा कुछ अनुदार थे। बल्लियार, अलाउद्दीन, फिरोज एवं औरंगजेब जैसे अनुदार शासकों का एकमात्र उद्देश्य—हिन्दू संस्कृति तथा शिक्षा को नष्ट करके उनके स्थान पर इस्लामी शिक्षा एवं सिद्धान्तों का प्रसार करना था। इनके विपरीत, अल्तमश, मुहम्मद तुगलक, अकबर तथा शाहजहाँ जैसे शिक्षा-प्रेमी शासकों का उद्देश्य—शिक्षा का प्रसार करना और उसे प्रोत्साहन देना था। उद्देश्यों की इस विभिन्नता के बावजूद भी प्रायः सभी मुस्लिम शासक इस्लाम का प्रचार करना—अपना प्रमुख कर्तव्य तथा दायित्व समझते थे। साराश में, मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्यों को अधोलिखित शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है; यथा :—

१. ज्ञान के प्रकाश का विस्तार—मुस्लिम शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य—इस्लाम के बन्दों में ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करना था। पैगम्बरों के अनुसार ज्ञान का अर्जन अनिवार्य है। हज़रत मुहम्मद ने ज्ञान को अमृत बताया और प्रत्येक मुसलमान बच्चे से ज्ञानार्जन की आज्ञा व्यक्त की। उन्होंने धर्म तथा अधर्म और कर्तव्य तथा अकर्तव्य में अन्तर जानने के लिए अपने धर्म के अनुयायियों को ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दी।

२. इस्लाम धर्म का प्रचार—मुस्लिम शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य—इस्लाम

1. “After the death of Aurangzeb the glory of the Mughal Empire began rapidly to wane and the efforts made by Emperors or private individuals to erect and endow educational institutions became much more rare.”—F. E. Keay : *Indian Education in Ancient and Later Times*, p. 135.

का प्रचार करना था। इस्लाम का प्रचार करना मुसलमानों का एक प्रमुख कर्तव्य माना गया है। वे अपने धर्म के प्रचार को 'सबाव' (पुण्य) मानते हैं और उनका विश्वास है कि धर्म का प्रचार करने वाला ही गाजी होता है। भारत के मुस्लिम-शासकों ने धर्म-प्रचार की अनेक विधियों में शिक्षा को भी स्थान दिया, और इसके द्वारा भारत में इस्लाम का पर्याप्त प्रचार किया। मकतबों में अध्ययन-काल के प्रारंभ से ही कुरान की शिक्षा दी जाती थी और इस प्रकार छात्रों को इस्लाम के आधारभूत सिद्धान्तों से परिचित कराया जाता था। मदरसों में धर्म, दर्शन, साहित्य तथा इतिहास के रूप में इस्लाम का प्रचार प्रचुर मात्रा में किया गया।

३. विशिष्ट नैतिकता का प्रचार—मुस्लिम शिक्षा का तीसरा उद्देश्य—इस्लाम के अनुसार व्यक्तियों में विशिष्ट नैतिकता का प्रचार करना था। मुसलमानों की नैतिकता हिन्दुओं की नैतिकता से पूर्णतः भिन्न थी। वे अपने साथ जिन नैतिक भावनाओं को लाये थे, उन्हीं को शिक्षा के द्वारा भारतीय मुस्लिमों में जाग्रत करना चाहते थे।

४. मुस्लिम सिद्धान्तों, कानूनों तथा सामाजिक प्रथाओं का प्रसार—मुस्लिम शिक्षा का चौथा उद्देश्य—मुस्लिम सिद्धान्तों, कानूनों तथा सामाजिक प्रथाओं का प्रसार करना था, जिससे अधिक से अधिक भारतीय इस्लाम से प्रभावित होकर उसके समक्ष आत्म-समर्पण कर दें।

५. मुसलमानों में धर्मपरायणता की अभिवृद्धि—मुस्लिम शिक्षा का पाँचवाँ उद्देश्य—मुसलमानों में धर्मपरायणता की अभिवृद्धि करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मकतब तथा मदरसे, मस्जिदों के एक भाग में होते थे। इन मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जाती थी, जिससे व्यक्तियों में धर्म-परायणता की भावना का समावेश सरलता से किया जा सके।

६. सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति—मुस्लिम शिक्षा का छठा उद्देश्य—सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति थी। इस्लाम का आधार मानव की दो मूल प्रवृत्तियों—अर्थ एवं यौन पर आधारित रहा है। अतः इन दोनों की अथवा लौकिक वैभव की प्राप्ति, मुस्लिम शिक्षा का एक प्रधान लक्ष्य रहा। जो व्यक्ति शिक्षित होते थे उन्हें मुसलमान शासक सिपहसालार, काजी अथवा वजीर इत्यादि के पद पर नियुक्त कर देते थे। इस लोभ के वशीभूत होकर मुसलमानों के अतिरिक्त हिन्दुओं ने भी मुस्लिम शिक्षा ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया।

७. मुस्लिम शासन की सुदृढ़ता—मुस्लिम शिक्षा का सातवाँ उद्देश्य—हिन्दुओं को मुस्लिम सभ्यता, संस्कृति तथा आदर्शों से रँगकर भारत में मुस्लिम शासन की सुदृढ़ता प्रदान करना था। मुसलमान शासक इस बात से पूर्णतया परिचित थे कि इस देश की विशाल हिन्दू जनता के दृष्टिकोण की शिक्षा के द्वारा परिवर्तित करके ही मुस्लिम—सभ्यता तथा संस्कृति का उपासक बनाया जा सकता है -

और इस प्रकार उन्हें मुस्लिम शासन के दृढ़ स्तम्भ बनाया जा सकता है। सम्राट् अकबर के शैक्षिक प्रयास इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए थे।

उपरिलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत के मुस्लिम शासकों ने एक विशिष्ट शिक्षा-व्यवस्था का नियोजन किया। यद्यपि विभिन्न मुस्लिम शासकों की व्यक्तिगत रुचियों तथा प्रवृत्तियों के कारण समय-समय पर शिक्षा के उद्देश्यों में थोड़ा बहुत अन्तर अवश्य होता रहा, पर शिक्षा का रूप प्रायः अपरिवर्तित ही रहा। इस शिक्षा-व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था, इसी पर हम अब दृष्टिपात करेंगे।

शिक्षा की व्यवस्था

मुस्लिम युग में शिक्षा की व्यवस्था मकतबों और मदरसों में की गई थी। मकतब 'प्राथमिक शिक्षा' और मदरसे 'उच्च शिक्षा' के केन्द्र थे। ये मकतब तथा मदरसे साधारणतः किसी मस्जिद से सम्बद्ध होते थे। इनकी स्थापना मुस्लिम शासकों एवं धनी विद्या-प्रेमियों—दोनों के द्वारा की गई थी। जो मकतब अथवा मदरसा किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया जाता था, वह उसकी मृत्यु के उपरान्त समाप्त हो जाता था। जो मकतब तथा मदरसे राज्य के संरक्षण में थे, उन्हें राज्य की ओर से व्यय करने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त हो जाता था। उनके द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी, वह जन साधारण के लिए न होकर केवल उसी वर्ग-विशेष के लिए होती थी, जो उससे लाभ उठाना चाहते थे। दूसरे शब्दों में, उनसे मुसलमान छात्र ही लाभान्वित होते थे। यदि हिन्दू छात्र उनमें प्रवेश पा लेते थे, तो भी पूर्ण स्वाधीनता के अभाव एवं व्यापक धार्मिक कट्टरता के वातावरण के कारण वे शिक्षा के लाभ से वंचित रह जाते थे। इन मकतबों तथा मदरसों का निर्माण वही होता था जहाँ किसी अमीर-उमराव का निवास होता था और मुसलमानों की संख्या अधिक होती थी, और इनसे सबसे अधिक लाभान्वित होने वाले उच्च वर्ग के मुसलमानों के ही बालक होते थे। फलतः जन-साधारण के बालकों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का कोई सुलभ साधन नहीं था। अब हम शिक्षा के इन केन्द्रों में दी जाने वाली प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा की सविस्तार चर्चा करेंगे, यथा—

(अ) प्राथमिक शिक्षा

ऊपर संकेत किया जा चुका है कि प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। 'मकतब' शब्द अरबी भाषा के 'कुतुब' शब्द से बना है, जिसका अर्थ है—'उसने लिखा।' इस प्रकार 'मकतब' वह स्थान है, जहाँ लिखना सिखाया जाता है। मकतब साधारणतः किसी-न-किसी मस्जिद से सम्बद्ध होते थे। समस्त मुस्लिम बालकों में मकतबों में शिक्षा प्राप्त करने की आशा की जाती थी, जिससे वे दैनिक धार्मिक कृत्यों में प्रयोग किये जाने वाले कुरान के विशिष्ट भागों से अवगत हो जायें। पर इन मकतबों की संख्या इतनी अल्प थी कि समस्त मुस्लिम बालकों के लिए ज्ञान का अर्जन करना कठिन था।

(१) मकतब में प्रवेश—जिस प्रकार वैदिककालीन शिक्षा के अन्तर्गत बालक 'उपनयन' संस्कार के पश्चात् विद्यारम्भ करता था, उसी प्रकार मुस्लिम शिक्षा में 'विस्मिल्लाह' रस्म सम्पादित की जाती थी। इसके उपरान्त ही बालक मकतब में प्रवेश कर सकता था। यह रस्म उस समय सम्पन्न की जाती थी, जब बालक ४ वर्ष, ४ माह और ४ दिन का होता था। इस अवसर पर बालक को नवीन बस्न धारण कराये जाते थे और उसके समस्त सम्बन्धी एकत्र होते थे। तत्पश्चात् बालक के समक्ष लिपि, कुरान की भूमिका एवं उसका ५५वाँ तथा ८७वाँ अध्याय रखा जाता था। मौलाना साहब कुरान की आयतों को पढ़ते थे और बालक से उनको दोहरवाते थे। यदि वह पूरा पाठ दोहराने में असमर्थ होता था, तो उसका 'विस्मिल्लाह' कह देना ही पर्याप्त समझा जाता था। इस प्रकार बालक की शिक्षा प्रारम्भ होती थी।

(२) शिक्षा का पाठ्य-क्रम—मकतबों में दी जाने वाली शिक्षा का पाठ्य-क्रम विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार का था। साधारणतः बालको को लिखना, पढ़ना तथा प्रारम्भिक गणित का ज्ञान कराया जाता था। सुन्दर लेख पर विदोष बल दिया जाता था। बालको को कुरान की कुछ आयतों कण्ठस्थ करनी पड़ती थी, किन्तु उन आयतों का समझना आवश्यक नहीं था। जब छात्रों को लिपि का ज्ञान हो जाता था, तब उनको फ़ारसी भाषा और फ़ारसी व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। बालको को नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 'मुलिस्ताँ' एवं 'बोस्ताँ' पढाये जाते थे। इसके अतिरिक्त, पैगम्बरों की कथाएँ, मुस्लिम फ़कीरों की कहानियाँ तथा फ़ारसी कवियों की कतिपय कविताओं का ज्ञान भी कराया जाता था।^१ इस प्रकार की पुस्तकों में 'यूसुफ-जुलैखा', 'लैला-मजनुँ' तथा 'सिकन्दरनामा' का विशेष स्थान था। व्यावहारिक शिक्षा के अन्तर्गत वातचीत के ढङ्ग, पत्र-लेखन अथवा अर्जनिबीसी पर बल दिया जाता था।

२०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मकतबों का रूप बहुत-कुछ परिवर्तित हो गया था। बालको को प्रारम्भ में अरबी के अक्षरों का ज्ञान करना पड़ता था, और जैसे ही उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता था, वैसे ही उन्हें कुरान के शूरो अथवा अध्यायों का प्रपठन करना पड़ता था। लिखने तथा गणित की शिक्षा नहीं दी जाती थी। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालको को पढ़ना सिखाना तथा उन्हें कतिपय बातें कण्ठस्थ कराना था। कभी-कभी उनको पढ़ी हुई बात समझाने का भी प्रयास किया जाता था।^२

1. F. E. Keay : *Indian Education in Ancient and Later Times*, p. 137.

2. "The scholars commence by studying the Arabic alphabet, and as soon as they can read are made to recite suras, or chapters of the Koran. Neither writing nor arithmetic is taught. Instruction is usually confined to reading and memorizing, but sometimes an attempt is also made to explain the meaning of what is read."—De la Fosse writes in *Quinquennial Review of Education in India, 1907-1912*, p. 272.

(३) शिक्षण-विधि—शिक्षण-विधि मौखिक थी। बालका को 'कलमा' रटना पड़ता था और कुरान की आयतें कण्ठस्थ करनी पड़ती थी। एक कक्षा के समस्त छात्र उच्च स्वर से एक साथ बोलकर पढ़ाडे याद करते थे। लिखने के लिए तख्तिया का प्रयोग किया जाता था, जिन पर बालक मोटे सरकण्डे की कलम से लिखते थे। फिर उन्हें पतले कलम से कागज पर लिखने का अभ्यास कराया जाता था।

(४) अभ्य विशेषताएँ—मकतबो मे प्रात काल तथा अपराह्न के समय शिक्षा का कार्यक्रम चलता था। मध्याह्न के समय बालको को भोजन के लिए अवकाश दिया जाता था। शिक्षा नि शुल्क थी। शिक्षक का भरण-पोषण राज्य अथवा स्थानीय धन-सम्पन्न पुरुषो के द्वारा किया जाता था। मकतबो मे कबड्डी आदि खेल खेले जाते थे। जब छात्र मकतब मे अपना विद्याध्ययन समाप्त करते थे, तब उन्हें पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध हो जाता था।

(ब) उच्च शिक्षा

मकतब की शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त छात्र मदरसे मे प्रविष्ट होता था। 'मदरसा' शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा के 'दरस' शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है—'भाषण देना'। इस प्रकार 'मदरसा' वह स्थान है, जहाँ पर भाषण दिए जाते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मदरसो की शिक्षण-पद्धति व्याख्यानों पर आधारित थी। इन मदरसो मे भिन्न-भिन्न विषयो के शिक्षक होते थे। व्यक्तिगत मदरसो के शिक्षको की नियुक्ति प्रबन्ध-समिति के सदस्यो द्वारा तथा राजकीय मदरसो के अध्यापको की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती थी।

(१) शिक्षा का पाठ्यक्रम—मदरसो मे दी जाने वाली उच्च शिक्षा का अध्ययन काल १२ वर्ष का था। शिक्षा का पाठ्य-क्रम अति विस्तृत था और निम्नांकित दो भागो मे विभक्त था —

(i) लौकिक शिक्षा—लौकिक अथवा सासारिक शिक्षा के अन्तर्गत बालका को अरबी साहित्य, व्याकरण तथा गद्य, गणित, इतिहास, भूगोल, दर्शन-शास्त्र, नीति-शास्त्र, तर्क-शास्त्र, अर्थशास्त्र, यूनानी चिकित्सा, ज्योतिष, कानून एव कृषि आदि विषयो का ज्ञान कराया जाता था।

(ii) धार्मिक शिक्षा—धार्मिक शिक्षा के अन्तर्गत छात्रा को कुरान, मुहम्मद साहब की परम्परा, इस्लामी कानून तथा इस्लामी इतिहास का अध्ययन कराया जाता था। उन्हें कुरान का अति गहन तथा आलोचनात्मक अध्ययन करना पड़ता था और उसकी आदतों को कण्ठस्थ करना होता था।

मदरसो की शिक्षा के पाठ्य-क्रम का प्रेरणा-स्रोत इस्लाम था। अकबर के समय तक पाठ्यक्रम मे धार्मिक शिक्षा की प्रधानता रही। धार्मिक सहिष्णुता की नीति का प्रतिपादक होने के कारण, अकबर ने धार्मिक प्रवृत्तियो से ओत-प्रोत मुस्लिम शिक्षा को अपन राज्य के लिए अहितकर समझकर पाठ्य-क्रम मे कुछ जीवनोपयोगी

विषयो को स्थान दिया और हिन्दू धर्म, दर्शन तथा साहित्य के अध्यापन की व्यवस्था की।

(२) शिक्षण-विधि—मकतबों के समान मदरसा में भी शिक्षण-पद्धति मौखिक थी। जैसा कि हम ऊपर सकेत कर चुके हैं, मदरसा के शिक्षक-गण अध्यापन कार्य के लिए भाषण-प्रणाली को अपनाते थे। साथ ही, अध्यापक छात्रों में स्वाध्याय की आदत को प्राप्ताहित करते थे। प्रत्येक छात्र को अपने विषय से सम्बन्धित पाठ दे दिया जाता था और शिक्षक द्वारा उसकी कठिनाइयों को हल करके उसकी प्रगति में योग दिया जाता था। इससे एक विशेष लाभ यह होता था कि मूढ़ बालकों के कारण कुशाग्र-बुद्धि बालकों की प्रगति में बाधा नहीं पड़ती थी। चिकित्सा, हस्तकला, शिल्प-कला एवं संगीत आदि विषयों की प्रायोगिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र के अध्यापन के लिए तर्क-विधि का अनुसरण किया जाता था। शिक्षा के और शिक्षण-विधि के सम्बन्ध में मिरडेल ने लिखा है—
“शिक्षा के उच्च स्तर पर शिक्षा का माध्यम, फारसी था। उच्च शिक्षा की संस्थाओं में मौखिक शिक्षण-विधियों की अपेक्षा पढ़ने और लिखने को प्राथमिकता दी जाती थी।”

जिस ‘बालचर-प्रणाली’ (Monitorial System) का प्रयोग भारत में अति प्राचीन काल से हो रहा था, उसका प्रचलन मदरसों में भी था। इस प्रणाली के अनुसार उच्च कक्षाओं के योग्य छात्र निम्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करते थे। इससे अध्यापक का कार्य-भार हलका हो जाता था और उसकी अनुपस्थिति में शिक्षण-कार्य सुचारु रूप से चलता रहता था।

(३) अन्य विशेषताएँ—मकतबों के समान मदरसा में दी जाने वाली शिक्षा का पाठ्य-क्रम विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार का था। कुछ मदरसों में ऐसे थे जिनमें केवल एक या दो विषयों की ही उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। उदाहरणार्थ—शाहजहाँपुर के ‘दिल्ली मदरसा’ में ‘हदीस’ तथा ‘तफसीर’ (Traditions & Exegesis) और स्यालकोट के मदरसे में व्याकरण की विशेषोपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था थी। कक्षा-उन्नति के लिए परीक्षाएँ नहीं होती थी, अपितु शिक्षक के मतानुसार छात्र को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थान दे दिया जाता था। ऐसा करते समय छात्र के सम्पूर्ण वर्ष के कार्य पर दृष्टिपात किया जाता था। जो विद्यार्थी अपने विषय में अद्वितीय प्रतिभा तथा गहन अध्ययन का प्रमाण देते थे, उन्हें उपाधियों से अलंकृत किया जाता था। उदाहरणार्थ—तर्कशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र के छात्र को ‘फाजिल’ की उपाधि, धर्मशास्त्र के विद्यार्थी को ‘आलिम’ की उपाधि तथा साहित्य के विद्यार्थी को ‘कादिल’

1 “At the higher level the Persian language was the medium of instruction. Reading and writing took precedence over oral methods of instruction in institutions of higher education.”—Gunnar Myrdal : *Asian Drama*, Vol. III, p 1631

की उपाधि दी जाती थी। छात्रों को य उपाधियाँ प्रदान करते समय एक विशेष समारोह का आयोजन किया जाता था।

शिक्षा के आधारभूत तत्त्व एवं विशेषताएँ^१

हमारे प्राचीन मनीषियों ने शिक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है—“सा विद्या या विमुक्तये”—अर्थात् विद्या वह है जो मनुष्य को अज्ञान से मुक्त करती है, उसे अन्धकार से निकालकर प्रकाश दिखाती है। प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप उपर्युक्त आदर्श को लेकर ही निश्चित किया जाता था। इसी आदर्श की प्राप्ति के लिए शिक्षा के आधारभूत तत्त्वों का निर्माण किया गया था और उस शिक्षा की अपनी कुछ विशेषताएँ थीं। पर शिक्षा के ये आधारभूत तत्त्व एवं विशेषताएँ अधिक स्थिर न रह सकीं। मुसलमानों के आगमन से प्राचीन शिक्षा-प्रणाली को पर्याप्त क्षति पहुँची। मुसलमानों ने उसका ध्वंस करने में कोई कसर न उठा रखी और उसके स्थान पर एक नवीन शिक्षा तथा शिक्षा-प्रणाली का प्रतिपादन किया। इसके सामान्य रूप पर ऊपर विचार किया जा चुका है। यहाँ हम उसके आधारभूत तत्त्वों तथा विशेषताओं का अबलोकन करेंगे, यथा—

(१) शिक्षा को प्रोत्साहन—मुस्लिम युग में शिक्षा को राज्य द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। भारत के मुस्लिम शासकों ने साधारणतः शिक्षा में विशेष रुचि व्यक्त की। उनमें से अनेक ने अपने राज्य के विभिन्न भागों में मकतबों, मदरसों तथा पुस्तकालयों की स्थापना की। शासकों के उदाहरणों का देश के धनी-मानी व्यक्तियों ने अनुसरण किया। शासकों तथा अमीर-उमरावों द्वारा विद्वानों, कवियों तथा अन्य साहित्यिक पुरुषों को संरक्षण प्रदान किया गया। छात्रों को प्रायः छात्रवृत्तियाँ तथा शिष्य-वृत्तियाँ प्रदान की जाती थीं। इन सब सुविधाओं के फलस्वरूप शिक्षा का प्रशंसनीय प्रसार हुआ।

(२) शिक्षा की व्यापकता का अभाव—मुस्लिम-युग में शिक्षा का प्रसार अवश्य हुआ, पर उसमें व्यापकता का अभाव था। मकतबों तथा मदरसों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा पर व्यापक धार्मिक कट्टरता की छाप लगी थी। अतः हिन्दू जनता उनसे लाभान्वित न हो सकी। शिक्षा की जो भी व्यवस्था थी, वह केवल नगरों में उच्च तथा मध्य वर्गों के बालकों के लिए ही थी। फलतः जन-साधारण के बालकों के लिए ज्ञानार्जन करने का कोई साधन नहीं था।

(३) प्रान्तीय भाषाओं की उपेक्षा—मुस्लिम शिक्षा-केन्द्रों में शिक्षा का माध्यम ‘अरबी’ अथवा ‘फारसी’ था। फलस्वरूप, प्रान्तीय भाषाओं की प्रगति पूर्णतः अवरुद्ध हो गई। राज-पदों के लिए लालायित हिन्दुओं ने भी अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करके अरबी तथा फारसी का अध्ययन किया। अकबर की उदार नीति के कारण हिन्दी को प्रोत्साहन तो अवश्य प्राप्त हुआ, परन्तु उसकी कोई विशेष प्रगति

परिलक्षित न हुई। औरगजेब ने उर्दू भाषा को प्रोत्साहित किया। इन दोनों मुगल शासकों के समय में जो परिवर्तन हुए, उनका अरबी तथा फारसी पर कोई प्रभाव न पड़ा और इन दोनों भाषाओं की प्रधानता यथावत् बनी रही।

(४) शिक्षा का लौकिक दृष्टिकोण—मुस्लिम शिक्षा में धार्मिकता का विशेष स्थान था, परन्तु इस्लाम धर्म में इस लोक की वास्तविकता पर विशेष बल दिया जाने के फलस्वरूप लौकिक जीवन ने मुसलमानों को अत्यधिक आकृष्ट किया। फलतः शिक्षा क्षेत्र पर लौकिकता का व्यापक प्रभुत्व रहा। प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता का मुस्लिम शिक्षा में सर्वथा अभाव रहा। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य—लौकिक यश, सुख तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति माना गया। अतः हम कह सकते हैं कि मुस्लिम शिक्षा का एक आधारभूत तत्त्व 'बौद्धिक विकास' की अवहेलना करके काल विशेष की आवश्यक माँगों की पूर्ति करना अभीष्ट था।

(५) गुरु-शिष्य सम्बन्ध—मुस्लिम युग में शिक्षा के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण के फलस्वरूप गुरु भक्ति के उस महान् आदर्श का ह्रास होने लगा, जो वैदिक काल में था। औरगजेब ने अपने गुरु मुल्ला शाह सालेह को अज्ञातवास की आज्ञा देकर जो कठोर व्यवहार किया, वह इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है। फिर भी साधारणतः समाज में गुरुओं का सम्मान होता था।¹ विद्यार्थी उनके प्रति विनम्र तथा भक्तिपूर्ण होते थे। गुरु की सेवा करना और उसकी आज्ञा का पालन करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। जिन मदरसों में छात्रावासों की व्यवस्था थी, वहाँ शिक्षक तथा विद्यार्थी एक साथ रहते थे। इस प्रकार उनका एक-दूसरे में निकट सम्पर्क हो जाता था और उनमें आत्मीयता की वृद्धि होती थी। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का अपने गुरुओं से और भी निकट सम्पर्क रहता था, क्योंकि अपने शिल्प में दक्षता प्राप्त करने के लिए शिल्प शिक्षार्थी का शिल्पकार के साथ निरन्तर रहना आवश्यक था।

(६) अनुशासन तथा दण्ड-विधान—जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, शिक्षकगण छात्रों के पूज्य तथा श्रद्धा के पात्र थे। अतः अध्यापकों के समक्ष अनुशासन की समस्या उपस्थित नहीं होती थी। फिर भी कुछ उच्छृंखल छात्र होते थे, जिनकी विकृत मनोवृत्तियों का दमन करने के लिए दण्ड का प्रयोग किया जाता था। राज्य की ओर से कोई दण्ड विधान निर्धारित न होने के कारण शिक्षक विद्यार्थियों को कोई भी दण्ड देने के लिए पूर्ण रूप से स्वतन्त्र थे। सामान्यतः दण्ड अति कठोर एवं निन्द्य था। छात्रों को बँत, काड़े और घूँसे से शारीरिक दण्ड दिया जाता था। यदि कोई छात्र महान् अपराध करता था तो उसे मुर्गा बनाकर उसकी पीठ या गरदन पर ईंट या भारी लकड़ी रख दी जाती थी, जिसे वह निश्चित समय तक गिरा नहीं सकता था।

1 "They occupied a high position in society, and though their emoluments were small, they commanded universal respect and confidence"—Jaffar - *Education in Muslim India*, p 4

विशिष्ट शिक्षा

मुस्लिम युग में भारत के मुसलमान शासकों ने शिक्षा की जो व्यवस्था की थी, उसके सामान्य रूप का चित्र प्रस्तुत करने का गत पृष्ठों में प्रयास किया गया है। इस सम्बन्ध में यह कहना युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त यवनो ने विशिष्ट शिक्षा का भी आयोजन किया। यहाँ इसका विवेचन अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इसके अभाव में मुस्लिम-शिक्षा का यथार्थ चित्र अधूरा रह जाता है। इसी उद्देश्य से हम विशिष्ट शिक्षा का स्वरूपोंकन निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत कर रहे हैं —

(१) स्त्री-शिक्षा—मुस्लिम युग में स्त्रियों की शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। मुसलमानों में पर्दा-प्रथा का प्रचलन होने के कारण अधिकांश बालिकाएँ शिक्षा से वंचित रहती थी। स्त्री-शिक्षा की जो व्यवस्था थी, वह केवल शाही घरानों और कुलीन वर्गों की कन्याओं तथा कुछ मध्यवर्ग की मुसलमान बालिकाओं के लिए थी। जन-साधारण की बालिकाएँ अपनी प्रारम्भिक अवस्था में मकतबों में बालकों के साथ केवल थोड़ा-सा अक्षर-ज्ञान प्राप्त कर सकती थी। इसके अतिरिक्त, स्त्री-शिक्षा की व्यवस्था केवल नगरों में ही थी।

तुर्क-अफगान शासन-काल में शहजादियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दिये जाने का प्रबन्ध था। सुल्तान अलतमश की पुत्री रज़िया, जो उसकी मृत्यु के उपरान्त सिंहासन पर आरूढ़ हुई, विदुषी महिला थी। उसने अश्वारोहण तथा युद्ध-कला की भी शिक्षा प्राप्त की थी।

मालवा के शासक महमूद खिलजी के पुत्र गयासुद्दीन खिलजी ने सारंगपुर में एक मदरसा स्थापित किया था, जिसमें स्त्रियों को कलाओं तथा शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी। फेरिश्ता (Ferishta) के अनुसार उसमें स्त्रियों के लिए नृत्य, संगीत, सीना, बुनना, मलमल बनाना, बर्डी के कार्य, सुनार के कार्य, लुहार के कार्य, तरकश बनाना, जूते बनाना, कुश्ती लड़ना और युद्ध-कला की शिक्षा की व्यवस्था थी।

मुगल-काल में राजघरानों और कुलीन वर्गों की बालिकाओं की शिक्षा के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया गया। हुमायूँ की बहिन गुलबदन बेगम ने “हुमायूँनामा” लिखा, जिसे आज भी एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रन्थ माना जाता है। सलीमा सुल्ताना, माहम अज़्हा, नूरजहाँ, चाँद सुल्ताना तथा मुमताजमहल—सभी विदुषी स्त्रियाँ थीं। शाहजहाँ की पुत्री जहाँआरा बेगम अपने समय की प्रसिद्ध कवयत्री थी। औरंगजेब की पुत्री ज़ेबुन्निसा भी कविताएँ लिखने में कुशल थी।

राजघरानों और कुलीन वर्गों की बालिकाओं के अतिरिक्त मध्यवर्ग की मुस्लिम बालिकाओं में भी शिक्षा का पर्याप्त प्रचलन था। इनकी शिक्षा का प्रबन्ध विभिन्न गृहों में चलने वाले मकतबों में था, जहाँ उनको स्त्रियों द्वारा ‘मुलिस्ता’ ‘बोस्ता’ तथा नैतिकता की शिक्षा दी जाती थी। कुछ विधवा मुसलमान स्त्रियाँ अपने

पास-पड़ोस की वालिकाओं के लिए अपने गृहों में व्यक्तिगत रूप से विद्यालयों की व्यवस्था कर लेती थी।

(२) सैनिक शिक्षा—भारत के सभी मुस्लिम शासकों की आकांक्षा अपने राज्य को सुदृढ़ तथा शक्तिशाली बनाना था। विदेशी, विधर्मी तथा आक्रामक होने के कारण यहाँ के निवासियों से सदैव संशंकित रहते थे। जिस शत्रुतापूर्ण वातावरण में वे निवास करते थे, उसने यह अनिवार्य बना दिया था कि उत्तम सैनिकों की सेनाएं सुसंगठित की जायें। स्वाभाविकतया सैनिक शिक्षा पर बल दिया जाना आवश्यक था। यद्यपि हिन्दुओं की सैनिक शिक्षा अति उच्च कोटि की थी, पर मुसलमानों की सैनिक शिक्षा की प्रणाली भिन्न थी। मुस्लिम राजकुमारों तथा अन्य सैनिकों के लिए अश्वारोहण, भाला, तीर तथा तलवार चलाना, दुर्ग का घेरा डालना आदि विषय सैनिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित थे।

(३) ललित-कलाओं की शिक्षा—भारत में मुस्लिम राज्य की जड़ें जम जाने के बाद युद्ध का वातावरण समाप्त हो गया और देश में सर्वत्र शान्ति स्थापित हो गई। यह बात मुगल-काल में विशेष रूप से अवलोकित होती है। प्रायः सभी मुसलमान शासक, विलास तथा ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते थे और अपने राज-प्रासादों एवं राज-दरबारों की शोभा में अभिवृद्धि करने के लिए मुक्त-हस्त से धन व्यय करते थे। ऐसी परिस्थिति में ललित-कलाओं की उन्नति होना स्वाभाविक था। इन कलाओं के अन्तर्गत संगीत, नृत्य-कला, चित्र-कला तथा वास्तुकला को विशेष स्थान प्राप्त हुआ और व्यक्तिगत ढङ्ग पर इनके शिक्षण की व्यवस्था थी।

(४) व्यावसायिक शिक्षा—व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत हस्तकलाओं को स्थान दिया गया। इन कलाओं में—आमूषणों का निर्माण, हाथीदाँत का काम, रेशम तथा जरी का काम, जलयान, रथ एवं युद्ध-सामग्री का निर्माण इत्यादि सम्मिलित थे। इन शिल्पों की शिक्षा परम्परागत रूप में दी जाती थी। साथ ही देश में सहस्रो कारखाने थे, जहाँ इन शिल्पों की शिक्षा—कला तथा जीविका—दोनों के लिए दी जाती थी।¹

उपसंहार

मुस्लिमयुगीन भारत की शिक्षा पर आलोचनात्मक दृष्टिपात करने से यह बात निर्विवाद रूप से सत्य प्रतीत होती है कि उस युग की शिक्षा-प्रणाली में लचीलेपन

1. "Technical training or vocational knowledge was diffused by the system of apprenticeship. There were thousands of *Karkhanas* or workshops wherein boys were often apprenticed with the artisan to the trade for receiving instructions in particular arts and crafts."

—S. M. Jaffar *op. cit.*, pp. 12-13.

का अभाव था। फलतः वह अत्यधिक अनम्य तथा अनिर्माणकारी हो गई थी।¹ समय-समय पर उसमें परिवर्तन अवश्य किये गये, पर वह अपने को समय की मांग के अनुकूल बनाने में समर्थ न हुई। शिक्षा का प्रमुख कर्त्तव्य है—व्यक्ति का बौद्धिक विकास करना, जिससे वह सामाजिक तथा प्राकृतिक घटनाओं के सम्बन्ध को समझ सके और तदनुसार अपने को समय तथा स्थान के अनुकूल बना सके। यह मानसिक प्रगति का लक्षण है, और इसके अभाव में कोई भी मानव-समुदाय उन्नति नहीं कर सकता है। मध्यकालीन शिक्षा-प्रणाली का मुख्य दोष यह था कि उसमें छात्रों को परिशुद्ध निरीक्षण तथा व्यावहारिक निष्पत्ति प्रदान करने की क्षमता नहीं थी। यह अत्यधिक अनम्य, निष्प्राण तथा पुस्तकीय थी।² किसी भी शिक्षा-प्रणाली की सर्वोत्तम कसौटी यह है—क्या वह व्यक्ति के नैतिक तथा आध्यात्मिक अभ्युत्थान के लिए उसकी शक्तियों का पूर्ण विकास करती है अथवा नहीं? इस दृष्टिकोण से यह कथन एक ऐतिहासिक सत्य है कि मध्यकालीन शिक्षा-प्रणाली व्यक्ति के नेतृत्व के गुणों का विकास करने में असफल रही, और इस प्रकार वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण व्यक्तियों की पूर्ति न कर सकी।³ यदि मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में प्रखर व्यक्तित्व का निर्माण करने की क्षमता होती, तो सम्भवतः भारत का मानचित्र लाल रंग से न रंगा गया होता।

सारांश

भारत में लगभग साढ़े पाँच-सौ वर्ष मुसलमानों का शासन रहा। इस काल में शिक्षा की एक नवीन प्रणाली प्रस्तुत हुई, जिसे 'मुस्लिम शिक्षा' की संज्ञा दी जाती है।

मुस्लिम शासकों के समय में शिक्षा—मुहम्मद साहब के अनुसार दान में सोना देने की अपेक्षा बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। मुहम्मद गौरी ने पाठशालाओं को तुड़वा कर मकतबों और मदरसों का निर्माण करवाया। बुतुबुद्दीन ने मस्जिदें

1 "Critically speaking, the system of education in vogue in medieval India lacked resilience and had become much too rigid and non creative"—Yusuf Husain *op cit*, p 97

2 "The chief failing of the medieval system of education was that it was not found adequate to enable its adherents to form habits of accurate observation and practical judgment. It was much too rigid, sterile and bookish"—Yusuf Husain : *op cit*, p 97

3 "It would be historically true to assert that the medieval system of education failed to impart the qualities of leadership and thus ensure the supply of outstanding personalities in the different walks of life"—*Ibid*, p 97

वनवा कर मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। अल्तमश ने दिल्ली में "मदरस-ए-मुअज्जी" और बलबन ने "नासिरया" की स्थापना की। अलाउद्दीन ने "हौजेखास" से सम्बद्ध एक मदरसा बनवाया। मुहम्मद तुगलक ने दिल्ली में एक मदरसा निर्मित करवाया। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित किया गया "मदरसे-फिरोजशाहरे" एक सावास विश्वविद्यालय था। सिकन्दर लोदी ने अपने राज्य के सब भागों में मदरसों की स्थापना की। बाबर ने मकतबों और मदरसों के निर्माण की व्यवस्था की। हुमायूँ द्वारा दिल्ली में बनवाये गये मदरसे में गणित, भूगोल व नक्षत्र-विद्या के शिक्षण का विशेष प्रबन्ध था। अकबर ने आगरा, फतेहपुर-सीकरी, गुजरात आदि में सावास मदरसे बनवाये। जहाँगीर ने पुराने मदरसों की मरम्मत करवाकर शिक्षकों से भर दिया। शाहजहाँ ने दिल्ली की जामा-मस्जिद के पास एक मदरसा स्थापित किया। औरङ्गजेब ने अनेक मकतबों और मदरसों की स्थापना की।

शिक्षा के उद्देश्य—मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य थे—(१) ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करना, (२) इस्लाम धर्म का प्रचार, (३) एक विशिष्ट नैतिकता का प्रचार, (४) मुस्लिम सिद्धान्तों, कानूनों तथा सामाजिक प्रथाओं का प्रसार, (५) सासारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, (६) मुस्लिम शासन को सुदृढ बनाना, तथा (७) मुसलमानों की धर्म-परायण बनाना।

प्राथमिक शिक्षा—प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मकतबों में थी। मकतब-प्रवेश के समय 'बिस्मिल्लाह' रसम सम्पादित की जाती थी। पाठ्यक्रम के अन्तर्गत लिखना, पठना तथा प्रारम्भिक गणित का ज्ञान कराया जाता था। नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। शिक्षण-विधि मौखिक थी।

उच्च शिक्षा—उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में थी। पाठ्य-क्रम दो भागों में विभाजित था—लौकिक शिक्षा तथा धार्मिक शिक्षा। अध्यापन के लिए शिक्षक भाषण-प्रणाली का प्रयोग करते थे। स्वाध्याय की आदत को प्रोत्साहित किया जाता था। बालचर-प्रणाली का प्रचलन था। विद्याध्ययन समाप्त करने पर छात्रों को उपाधियाँ दी जाती थी।

शिक्षा के आधारभूत तत्त्व एवं विशेषताएँ—शिक्षा के आधारभूत तत्त्व तथा विशेषताएँ अग्रलिखित थी—(१) शिक्षा को प्रोत्साहन, (२) शिक्षा की व्यापकता का अभाव, (३) प्रान्तीय भाषाओं की उपेक्षा, (४) शिक्षा का लौकिक दृष्टिकोण, (५) गुरु-शिष्य सम्बन्ध, (६) अनुशासन तथा दण्ड-विधान।

विशिष्ट शिक्षा—इस शिक्षा के अन्तर्गत—स्त्री-शिक्षा, सैनिक शिक्षा, ललित कलाओं की शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था थी।

TEST QUESTIONS

1. Give a short account of the organization of Education in medieval India.

मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

- 2 What were the aims of Muslim education ? How far were they formulated keeping in view the interests of Muslim rulers of India ?

मुस्लिम शिक्षा के क्या उद्देश्य थे ? उनका निर्माण भारत के मुस्लिम शासकों के हितों को ध्यान में रखकर कहाँ तक किया गया ?

- 3 Describe briefly the forms of primary and higher education during the Muslim rule, making a special mention of institutions where each type of education was imparted

मुस्लिम शासन काल में प्राथमिक और उच्च शिक्षा के रूपों का संक्षेप में वर्णन कीजिए और उन संस्थाओं का विशेष रूप से उल्लेख कीजिए, जहाँ दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी ।

- 4 Give a critical estimate of Muslim education and compare it with that of ancient India

मुस्लिम-शिक्षा का मूल्यांकन कीजिए और उसकी तुलना प्राचीन भारत की शिक्षा से कीजिए ।

5. What were the essential features of Muslim education ? Which of these would you like to revive in modern times and why ?

मुस्लिम शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषताएँ क्या थी ? आधुनिक समय में आप इनमें से किन को पुनः प्रचलित करना चाहेंगे, और क्यों ?

- 6 What changes in the prevalent system of education were introduced by the Muslim ruler of India ?

भारत के मुस्लिम शासकों द्वारा प्रचलित शिक्षा-प्रणाली में क्या परिवर्तन किये गये ?

४

भारतीय शिक्षा का रूप (१९वीं शताब्दी के आरम्भ में)

प्रस्तावना

१८वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा का क्या रूप था ? इसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं हैं। १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अंग्रेजों द्वारा प्रचलित देशी शिक्षा-व्यवस्था की जाँच की गई। केवल मद्रास, बंगाल और बम्बई प्रान्तों में जाँच किए जाने के कारण, इसका सम्बन्ध भारत के अल्पांश से है, तथापि शिक्षा के इतिहास के विद्यार्थी के लिए इसका महत्त्व कम नहीं है। अतः हम इस पर नीचे प्रकाश डाल रहे हैं —

प्राथमिक शिक्षा

(अ) मद्रास

देशी शिक्षा-सम्बन्धी सर्वप्रथम जाँच मद्रास के गवर्नर, सर थॉमस मुनरो (Sir Thomas Munro) द्वारा सन् १८२२ में करवाई गई। इस जाँच का विवरण स्वयं मुनरो ने दिया है^१, जिसे हम संक्षेप में नीचे दे रहे हैं —

१. विद्यालयों एवं छात्रों की संख्या—इतिहासकार मिल के अनुसार मद्रास के प्रत्येक गाँव में एक प्राइमरी स्कूल था।^२ परन्तु इन स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत कम थी। बिल्लारी और कनाडा जिलों के स्कूलों में छात्रों की औसत संख्या १२ थी।

1. *Selections from the Records of the Government of Madras*, No II, Appendix (E)

2. Mill : *History of British India*, Vol. I, p 562

विद्यार्थियों की संख्या कम होने का कारण यह था कि अनेक बच्चे घर पर पढ़ने थे। केवल मद्रास नगर में उनकी संख्या २६,६०३ थी, जो विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वालों की अपेक्षा पाँच गुने से भी अधिक थी।

२ विद्यालयों के प्रकार—सभी विद्यालयों का पाठ्य-क्रम समान नहीं था। कुछ विद्यालय तेलुगू, कन्नड, मराठी, अरबी, फारसी आदि की शिक्षा देते थे। २३ विद्यालय ऐसे थे जिनमें संस्कृत की, और १ ऐसा था जिसमें अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती थी।

३ पाठ्य-विषय—प्राथमिक विद्यालयों के मुख्य पाठ्य-विषयों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं था। इन विषयों में रोचक कविताओं और उपदेशात्मक कहानियों को स्मरण करना, पांडुलिपियों को पढ़ना, दस्तावेज तैयार करना और गणित के साधारण प्रश्नों का हल करना था।

४. विद्यालय-प्रवेश एवं शिक्षा-काल—बालक ४ वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश करता था और १४ या १५ वर्ष की आयु में उसे छोड़ता था। वहाँ जाने से पूर्व उसके घर पर गणेशजी की पूजा की जाती थी और एक समारोह का आयोजन किया जाता था। जब बालक विद्यालय में प्रथम बार पहुँचता था, तब उसके हाथ पर विद्या की देवी 'सरस्वती' का नाम लिखा जाता था। उसके बाद वह पढ़ना प्रारम्भ करता था।

५ विद्यालयों का कार्यक्रम एवं दण्ड-विधान—विद्यालयों का कार्यक्रम ६ बजे प्रातः प्रारम्भ होता था। सब बालकों के आ जाने पर सरस्वती-वन्दना होती थी। इसके बाद विद्यार्थी अध्ययन-कार्य में जुट जाते थे। विद्यालयों का दण्ड-विधान बहुत कठोर था। अपराधी बालकों के लिए दण्ड निश्चित थे। इनमें कोड़े लगाना, बेंत मारना, छत से लटकाना तथा बैठक कराना था। देर से आने वाले विद्यार्थी को स्वास्थ्यवर्द्धक दण्ड मिलता था।

६ शिक्षण-विधि—शिक्षण-विधि का प्रमुख आधार "बालचर-प्रणाली" (Monitorial System) थी। विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को उनकी योग्यता-नुसार वर्गों में बाँट दिया जाता था। कम योग्य बच्चों को अधिक योग्य बच्चे पढ़ाते थे। बालक सर्वप्रथम लिखना सीखता था। वह पहले बालू पर अक्षरों को उँगली से लिखने का अभ्यास करता था। उसके बाद वह उन्हें पत्तों पर, और फिर तस्ली पर लिखने का अभ्यास करता था। अक्षरों का बोध हो जाने के बाद वह मात्राएँ, सयुक्त अक्षर, स्वर और व्यंजन का ज्ञान प्राप्त करता था तथा पशुओं, स्थानों, व्यक्तियों आदि के नाम लिखने का अभ्यास करता था। लिखने और पढ़ने का ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह गणित सीखता था। पहाड़े, पौत्रे, अद्वे और सबैये आदि की विद्यार्थी एक साथ बाल-बोलकर याद करते थे।

७. शिक्षकों की दशा—शिक्षक निर्धन, अयोग्य और अदीक्षित थे। परिणाम-स्वरूप, शिक्षा का स्तर निम्न था। योग्य व्यक्ति शिक्षक नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि

उन्हे साधारणतः ६ या ७ रुपये मासिक वेतन मिलता था। यह वेतन इतना कम था कि इससे उन्हे जीवन-निर्वाह करना कठिन हो जाता था।

(ब) बम्बई

बम्बई के गवर्नर, एल्फिस्टन (Elphinstone) ने १० मार्च, १८२४ को प्रान्त के समस्त जिलाधीशों को आदेश दिया कि वे देशी शिक्षा की जाँच करके अपनी रिपोर्ट भेजें। ये रिपोर्टें १८२४-२५ में प्राप्त हुईं, पर उनसे प्रान्त की शिक्षा का पूर्ण ज्ञान न हो सका। अतः १८२६ में जिला न्यायाधीशों से दूसरी रिपोर्ट माँगी गई। इन रिपोर्टों के आधार पर बम्बई प्रान्त की प्राथमिक शिक्षा का विवरण नीचे दिया जा रहा है^१ —

१ विद्यालयों एवं छात्रों की संख्या—विद्यालयों एवं छात्रों की संख्या बहुत ही कम थी। पूरे प्रान्त की ४६,८१,७३५ जनसंख्या के लिए केवल १,७०५ विद्यालय थे, जिनमें ३५,१५३ विद्यार्थी पढ़ते थे। प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की औसत संख्या १५ थी, और न्यूनतम २, तथा उच्चतम १५० थी। इन आँकड़ों में उस समय घर-घर प्रचलित व्यक्तिगत शिक्षा के आँकड़े सम्मिलित नहीं थे।

गवर्नर की कौंसिल के एक सदस्य, प्रेण्डरगस्ट (Prendergast) के मतानुसार ऐसा कोई भी छोटा या बड़ा गाँव नहीं था, जहाँ कम-से-कम एक स्कूल नहीं था। बड़े गाँवों में उससे अधिक तथा नगरों में और भी अधिक स्कूल थे जिनमें लिखने, पढ़ने और गणित की सस्ती शिक्षा दी जाती थी।^२

२ विद्यालयों के भवन—विद्यालयों के लिए प्रायः पृथक भवन नहीं थे। शिक्षण-कार्य—मन्दिरों, शिक्षकों के गृहों या सम्मानित पुरुषों के निवास स्थानों पर किया जाता था।

३ शिक्षकों की दशा—अधिकांश शिक्षक ब्राह्मण थे। वे अध्यापन-कार्य परम्परागत सम्मान के कारण, न कि आर्थिक लाभ के लिए करते थे। उनका मासिक वेतन ३ रुपये से ५ रुपये तक था। इस कम वेतन की पूर्ति कुछ सीमा तक अन्य प्रकार से हो जाती थी, जैसे—अपनी जाति के सहभोजों में उन्हे आमन्त्रित किया जाता था। त्यौहारों पर उन्हे उपहार और अपने विद्यार्थियों के वैवाहिक अवसरों पर दक्षिणा मिल जाती थी। शिक्षक साधारणतः अयोग्य थे।

४ विद्यालयों के विद्यार्थी एवं शिक्षा-काल—हरिजनो के अतिरिक्त सभी जातियों

1 For a detailed study of the Reports, please refer to R V Parulekar · *A Source Book of History of Education in the Bombay Province*, Part I, Survey of Indigenous Education (1820-30)

2 G L Prendergast's Evidence of 1832

के विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ सकते थे। विद्यालयों में ब्राह्मण छात्रों की संख्या लगभग ३० प्रतिशत थी। शिक्षा का काल बालकों की ६ वर्ष की आयु लेकर १४ वर्ष की आयु तक होता था।

५ पाठ्य विषय एवं दण्ड-विधान—पाठ्य-विषयों में लिखना, पढ़ना और साधारण गणित सम्मिलित थे। विद्यार्थियों को पहाड़े, अद्वे आदि रटने पड़ते थे जिससे वे गणित के प्रश्नों को मौखिक रूप से कर सकें। दण्ड-विधान कठोर था। छात्रों को अनुशासन में रखने के लिए प्रायः कठोर दण्ड दिया जाता था।

६ शिक्षण विधि एवं शिक्षण सामग्री—पुस्तकों का सर्वथा अभाव था। अतः शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। मद्रास के समान बम्बई में भी बालचर प्रणाली प्रचलित थी। विद्यालयों की आर्थिक दशा अच्छी न होने के कारण शिक्षण-सामग्री का अभाव था। फलस्वरूप, शिक्षण-कार्य सफलतापूर्वक नहीं हो पाता था और शिक्षण का स्तर निम्न होना स्वाभाविक था।

(स) बंगाल

बंगाल प्रान्त में शिक्षा-सम्बन्धी जांच राज्य-कर्मचारियों द्वारा नहीं की जाकर, विलियम ऐडम (William Adam) नामक एक मिशनरी द्वारा की गई थी। इस विदेशी धर्म प्रचारक को संस्कृत और बंगला का अध्ययन करने तथा राजा राममोहन राय के सम्पर्क में आने से भारतीय शिक्षा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिन्क (William Bentinck) से उसने इस देश की शिक्षा-व्यवस्था की जांच करने की आज्ञा प्राप्त की, और १८३५ से १८३८ तक उसने तीन रिपोर्टें सरकार के समक्ष प्रस्तुत कीं। इन रिपोर्टों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है—

१ ऐडम की प्रथम रिपोर्ट—ऐडम की प्रथम रिपोर्ट संक्षिप्त है और उसमें शिक्षा-सम्बन्धी समस्त उपलब्ध आंकड़े दिये गये हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर बयु ने लिखा है—“प्राथमिक शिक्षा जन-साधारण के लिए थी। यह एक ऐसा विशाल आयोजन था, जिसमें असंख्य प्रचलित पाठशालाएँ देश भर में फैली हुई थीं। प्रायः प्रत्येक ग्राम में अपना स्कूल या पाठशाला थी। कहा जाता है कि १८३५ के आस पास, केवल बंगाल में इस प्रकार की एक लाख पाठशालाएँ थी।”¹

ऐडम की रिपोर्ट में दिए हुए आंकड़ों के सम्बन्ध में बहुत मतभेद है। सर फिलिप हार्टोग (Sir Philip Hartog) ने इनको केवल कल्पना माना है। इसके

1 “The elementary system was intended for the masses. It was a widespread system consisting of numerous primary schools scattered all over the countryside. Practically every village had its primary school, its pathshala. In Bengal alone, it is said, there were about the year 1835 a hundred thousand such pathshalas.”—A. N. Basu *Education in Modern India*, p. 5

विपरीत, वार्ड (Ward), पराजपे (Paranjpe) और पारुलेकर (Parulekar) के मतानुसार ये आँकड़े पूर्ण रूप से सत्य हैं।

२ ऐडम की द्वितीय रिपोर्ट—ऐडम की द्वितीय रिपोर्ट अधिक विस्तृत है। इसमें राजशाही जिले में घाना नदी की शिक्षा-सम्बन्धी जाँच का वर्णन है। इस घाने की जनसंख्या १,६५,२६६ और ग्रामों की संख्या ४५८ थी। इतनी विशाल जनसंख्या के लिए केवल २७ प्राइमरी स्कूल थे, जिनमें २६२ विद्यार्थी पढ़ते थे। इन स्कूलों में बगला के १०, फारसी के ४, अरबी के ११, और बगला तथा फारसी के २ स्कूल थे। पाठशालाओं की शिक्षा की अपेक्षा व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का प्रचार कहीं अधिक था, क्योंकि २३८ ग्रामों में १,५८८ परिवार ऐसे थे जो बच्चों को घर पर ही शिक्षा देते थे। बालक साधारणतः ८ वर्ष की आयु से १४ वर्ष की आयु तक पाठशालाओं में पढ़ते थे। अध्यापकों का औसत मासिक वेतन ५ रु० ८ आना था। स्त्री शिक्षा का पूर्ण अभाव था।

३ ऐडम की तृतीय रिपोर्ट—ऐडम की तृतीय रिपोर्ट, प्रथम दो रिपोर्टों से अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसमें मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बर्दवान, दक्षिणी बिहार और तिरहुत जिलों के शिक्षा-सम्बन्धी आँकड़े दिये गये हैं। इन जिलों में २,५६७ विद्यालय थे जिनमें बगला, हिन्दी, संस्कृत, फारसी और अरबी की शिक्षा दी जाती थी। इसमें ८ विद्यालय अंग्रेजी की और ६ बालिकाओं की शिक्षा के लिए थे, जिनमें क्रमशः २४२ लड़के और २१४ लड़कियाँ पढ़ रही थीं।

विद्यालयों के पास आय के निश्चित साधन नहीं थे। जो कुछ धन इन्हें जमींदारों, ताल्लुकदारों आदि से मिल जाता था, उसी से ये चलते थे। कुछ धनी व्यक्ति अपने घरों पर ही पाठशालाएँ खुलवा देते थे। हिन्दू विद्यार्थी प्रायः बगला, हिन्दी और संस्कृत का, तथा मुसलमान फारसी और अरबी का अध्ययन करते थे। स्त्री शिक्षा का प्रचार केवल कुछ उदार विचार वाले और धनी हिन्दू परिवारों में था। मुसलमानों में स्त्री-शिक्षा को अशुभ समझा जाता था।

उच्च शिक्षा

(अ) बंगाल

ऐडम की तृतीय रिपोर्ट में बंगाल में उच्च शिक्षा का उल्लेख किया गया है। बर्दवान जिले में संस्कृत की उच्च शिक्षा के लिए १६० विद्यालय थे, जिनमें १,३५८ विद्यार्थी पढ़ते थे। इन विद्यालयों में से २ को बर्दवान के राजा का संरक्षण प्राप्त था। शेष विद्यालय ग्रामों के सम्मानित व्यक्तियों से चन्दा प्राप्त करके या स्वयं शिक्षकों द्वारा अपने निवास-स्थानों पर चलाये जाते थे।

इन विद्यालयों में व्याकरण, शब्द-कोश-रचना, अलङ्कार-शास्त्र, औपथ-शास्त्र, तर्क-शास्त्र, साहित्य, कानून, वेदान्त, पुराण और ज्योतिष की शिक्षा दी जाती

एक विद्यालय में एक ही शिक्षक होता था। शिक्षक ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के भी थे। उनकी आर्थिक दशा शोचनीय थी, क्योंकि उनका वार्षिक वेतन लगभग ६३ रु०, ४ आ० और ५ पा० था।

संस्कृत विद्यालयों के समान फारसी और अरबी की उच्च शिक्षा के लिए भी विद्यालय थे। ऐडम के अनुसार दक्षिणी विहार जिले में इस प्रकार के २६१ विद्यालय थे, जिनमें १,४८६ विद्यार्थी (८६७ हिन्दू और शेष मुसलमान) पढ़ते थे। इन विद्यालयों में से २७६ में फारसी और १२ में अरबी की शिक्षा दी जाती थी। केवल २ फारसी और २ अरबी के विद्यालयों के लिए भवन थे। शेष सम्मानित व्यक्तियों या शिक्षकों के मकानों की चौपालों या बरामदों में लगा करते थे।

जितनी संख्या विद्यालयों की थी, उतनी ही अध्यापकों की थी। एक हिन्दू अध्यापक के अतिरिक्त शेष सब मुसलमान थे। दो शिक्षक अवैतनिक रूप से कार्य करते थे और दो अपने विद्यार्थियों के लिए भोजन का भी प्रवन्ध करते थे। शेष शिक्षक, विद्यार्थियों से शुल्क एवं अन्य व्यक्तियों से भोजन तथा उपहार प्राप्त करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। शिक्षकों की औसत मासिक आय ५ रु० ८ आ० थी। ये सभी अध्यापक योग्य थे और इनमें से कुछ लेखक भी थे।

(ब) मद्रास

मद्रास के उच्च शिक्षा के विद्यालयों की रूपरेखा भिन्न थी। इनमें एक निश्चित स्तर तक शिक्षा-प्राप्त विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिलता था। इन विद्यालयों के शिक्षक सेवा-भावना से प्रेरित होकर, न कि आर्थिक लाभ के लिए, अध्यापन-कार्य करते थे। कुछ विद्यालय जमींदारों और ताल्लुकेदारों के संरक्षण में चलते थे। वे अध्यापकों को उनके जीवन-निर्वाह के लिए दानस्वरूप कुछ भूमि दे देते थे।

पाठ्य-विषयों में साहित्य, अलकार-शास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शन-शास्त्र और ज्योतिष के अध्ययन को प्रधानता दी जाती थी। उच्च शिक्षा के अधिकारी ब्राह्मण और व्यावसायिक व्यक्ति ही समझे जाते थे। ब्राह्मणों और उच्च जातियों में स्त्री-शिक्षा का प्रचार नहीं था।

(स) बम्बई

शिक्षा-सम्बन्धी जांच की रिपोर्टों के अनुसार बम्बई प्रान्त में उच्च शिक्षा का समुचित प्रवन्ध था। हिन्दुओं को उच्च शिक्षा देने के लिए अहमदनगर में १६ और पूना नगर में १६४ विद्यालय थे। अन्य स्थानों में भी इस प्रकार के विद्यालय थे।

मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए सूरत में एक प्रसिद्ध विद्यालय था। इसको चलाने में ३२,००० रुपये वार्षिक व्यय होता था, जो दानस्वरूप प्राप्त होता था। इसकी स्थापना बोहरा जाति के लड़कों को अरबी की शिक्षा देने के लिए की गई थी। जांच के समय इसमें १२५ बोहरा छात्र तथा भारत के विभिन्न भागों से

आने वाले अन्य जातियों के विद्यार्थी भी पढ रहे थे। "इस विद्यालय पर न केवल वोहरा लोग, अपितु पश्चिमी भारत के समस्त व्यक्ति अभिमान करते थे।"¹

देशी शिक्षा-व्यवस्था : टिप्पणी

देशी शिक्षा-व्यवस्था के उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में प्राथमिक और उच्च शिक्षा का उचित प्रबन्ध था और वह इस देश की प्राचीन परम्पराओं पर आधारित थी। प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय अति विशाल सख्या में सम्पूर्ण देश में फैले हुए थे। वे किसी बर्ग-विशेष के लिए न होकर, जन-साधारण की शिक्षा की माँग की पूर्ति कर रहे थे। यही बात उच्च शिक्षा के विद्यालयों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। यद्यपि उनकी सख्या प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात में कम थी, तथापि वे विभिन्न विषयों की उच्च शिक्षा सफलतापूर्वक प्रदान कर रहे थे। दोनों प्रकार के विद्यालयों में कुछ बातें समान थीं, जैसे—(१) उनकी और उनके शिक्षकों की आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी, (२) उनके पास अपने भवन नहीं थे, (३) उनमें शिक्षण-सामग्री का अभाव था, (४) उनमें से अधिकांश की शिक्षा का स्तर निम्न था, और (५) उनकी उत्तरोत्तर अवनति हो रही थी।

देशी शिक्षा की अवनति के कारण

१९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में देशी शिक्षा की उत्तरोत्तर अवनति के निम्न-लिखित कारण थे —

(१) सन् १८२३ तक भारत के अधिकांश भाग पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो चुकी थी और उन्हें अपने राज्य का संचालन करने के लिए अंग्रेजी जानने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ने लगी थी। अतः उन्होंने देशी शिक्षा के प्रति ध्यान न देकर, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित करने का अथक प्रयास किया। देशी शिक्षा के प्रति शासकों की उदासीनता का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि देशी शिक्षा पतन की ओर अग्रसर हो गई।

(२) भारत की निर्धन जनता ने अंग्रेजी के अध्ययन में अपना प्रत्यक्ष हित देखा। इसका अध्ययन करके राजपद प्राप्त हो सकता था और जीविकोपार्जन की समस्या को भी हल किया जा सकता था। अतः लोगों ने अंग्रेजी पढ़ना प्रारम्भ कर दिया।

(३) अंग्रेजी शिक्षा-प्रसार के प्रारम्भिक वर्षों में ऐसे अनेक विद्यालय थे, जहाँ निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ, पाठ्य-पुस्तक आदि की भी मुविधा दी जाती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि निर्धन भारतवासी अंग्रेजी शिक्षा के प्रति आकर्षित होने लगे।

(४) उद्योग-धन्यों के नष्ट हो जाने में असंख्य कारीगर बेकार हो गये थे। अपनी आर्थिक दुर्दशा में उन्होंने अंग्रेजी की निःशुल्क शिक्षा से लाभ उठाया, जिससे उनके बच्चे धनोपार्जन करके जीवन-निर्वाह कर सकें।

(५) अनेक देशी राज्यों के समाप्त होने से देशी शिक्षा-संस्थाओं को आर्थिक सहायता मिलनी बन्द हो गई। फलस्वरूप, उनका पतन अवश्यम्भावी हो गया।

(६) न्यून वेतन के कारण योग्य व्यक्ति देशी शिक्षा-संस्थाओं में शिक्षक का कार्य नहीं करते थे। परिणामस्वरूप, शिक्षा का स्तर निम्न हो गया और जनता की ऐसी शिक्षा के प्रति कोई रुचि न रह गई।

(७) अदीक्षित होने के कारण देशी शिक्षा-संस्थाओं में अध्यापक शिक्षण-कार्य को कुशलतापूर्वक नहीं कर पाते थे। इसके विपरीत, अंग्रेजों ने प्रशिक्षण-विद्यालय खोले और छात्रवृत्तियाँ देकर योग्य व्यक्तियों को उनमें अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया।

(८) उच्च वर्ग के व्यक्तियों ने कई कारणों से अपने बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा देना प्रारम्भ किया। जनसाधारण ने उनका अनुकरण किया। फलस्वरूप, देशी शिक्षा-संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या कम होने लगी।

(९) औद्योगिक क्रान्ति के कारण जनता, विज्ञान के नवीन विषयों की ओर आकर्षित होने लगी थी। अंग्रेजी शिक्षा-संस्थाओं ने अपने पाठ्यक्रमों में इन विषयों को स्थान दिया, पर देशी शिक्षा-संस्थाओं ने अपनी रूढ़िवादिता के कारण ऐसा नहीं किया। परिणामस्वरूप, जनता देशी शिक्षा-संस्थाओं से असंतुष्ट हो गई।

ब्रिटिश शिक्षा-नीति की समीक्षा

उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम सरलतापूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि देशी शिक्षा का पतन ब्रिटिश शिक्षा-नीति के परिणामस्वरूप हुआ। अंग्रेजों की स्वार्थ-परायणता, धन-लोलुपता एवं व्यापारिक एकाधिकार और राजनीतिक स्वामित्व को चिरस्थायी बनाये रखने की अभिलाषा ने आर्थिक संकटों से आवृत्त देशी शिक्षा का गला घोट दिया। यदि तत्कालीन देशी शिक्षा को राज्य का संरक्षण मिल जाता, तो निस्संदेह उसमें नव-जीवन का संचार हो जाता। मुलभ और सस्ती होने के कारण, वह पहले की ही तरह जनसाधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहती। इतना ही नहीं, अपितु उसके अवशेषों पर राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली के भवन का निर्माण करना भी सम्भव हो जाता।

बसु के मतानुसार, “देशी शिक्षा-संस्थाएँ अपने दीर्घकालीन अस्तित्व के कारण व्यक्तियों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन की अङ्ग बन गई थी।”¹ ऐडम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि देशी शिक्षा-संस्थाएँ ही भारतवासियों के चारित्रिक

उत्थान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त साधन है। उसने इस बात की सिफारिश की थी कि भारत में शिक्षा की उन्नति के समस्त प्रयास तत्कालीन देशी शिक्षा संस्थाओं की उन्नति पर आधारित होने चाहिए। मुनरो, एल्फिंस्टन, टामसन (Thomason) और लेटनर (Leitner) ने देशी शिक्षा-संस्थाओं के पुनरुत्थान के लिए अनेक योजनाएँ तैयार कीं, पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टरों और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। 'यदि किसी देश की दास बनाए रखना है तो उसके साहित्य और संस्कृति का विनाश कर देना चाहिए।' अपनी शिक्षा-नीति के निर्माण में भारत के अग्रज शासकों ने इस सिद्धान्त का अक्षरशः पालन किया। देश के लिए इसके परिणाम कितने विनाशकारी सिद्ध हुए, यह सर्वाविदित है।

सारांश

१९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अंग्रेजों द्वारा प्रचलित देशी शिक्षा-व्यवस्था की जाँच तीन प्रान्तों—मद्रास, बंगाल और बम्बई में की गई।

प्राथमिक शिक्षा—मिल के अनुसार मद्रास के प्रत्येक ग्राम में एक प्राइमरी स्कूल था। मुनरो के आँकड़ों से ज्ञात होता है कि इस प्रकार के विद्यालयों में छात्र-संख्या बहुत कम थी। बालक पाँच वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश करता था। दण्ड विधान कठोर था। बालक पहले बालू और फिर लकड़ी की पट्टी पर लिखना सीखते थे। पाठ्य-विषयों में कविताएँ कहानियाँ, साधारण गणित आदि थे। कुछ विद्यालयों में तमिल, तेलुगू, संस्कृत, मराठी, ज्योतिष, अर्थ-शास्त्र तर्क-शास्त्र और दर्शन शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। शिक्षक अयोग्य और अदीक्षित थे। उनका वेतन ६ या ७ रु० मासिक था।

बम्बई में विद्यालयों और छात्रों की संख्या बहुत कम थी। विद्यालयों के प्रायः पृथक भवन नहीं थे। अधिकांश शिक्षक ब्राह्मण थे और उनका मासिक वेतन ३ रु० से ५ रु० तक था। शिक्षक साधारणतः अयोग्य थे। पाठ्य विषयों में लिखना, पढ़ना और गणित सम्मिलित थे। दण्ड विधान कठोर था। शिक्षण-सामग्री का अभाव था।

ऐडम की प्रथम रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में प्रत्येक १०० व्यक्तियों के लिए एक ग्रामीण पाठशाला थी। ऐडम की द्वितीय रिपोर्ट में थाना नदौर की शिक्षा का वर्णन है। वहाँ २७ प्राथमिक पाठशालाएँ थीं। कुछ परिवार अपने घरों पर ही बच्चों को शिक्षा देते थे। अध्यापकों का औसत मासिक वेतन ५ रु० ८ आ० था। ऐडम की तृतीय रिपोर्ट में मुंशिदाबाद, बीरभूम, बर्दवान, दक्षिणी बिहार और तिरहुत के शिक्षा-सम्बन्धी आँकड़ें दिये गये हैं। इन पाँच स्थानों में २,५६७ विद्यालय थे, जिनमें बंगला, हिन्दी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती थी।

उच्च शिक्षा—बंगाल में हिन्दुओं को उच्च शिक्षा के लिए बर्दवान में १९० विद्यालय थे, जिनमें १,३५८ विद्यार्थी पढ़ते थे। अध्यापकों का वार्षिक वेतन लगभग ६३ रु० ४ आ० ५ पा० था। अधिकांश विद्यालय सम्मानित व्यक्तियों से

चन्दे से चलते थे। मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए दक्षिणी बिहार जिले में २६१ विद्यालय थे। अधिकांश शिक्षक अपना जीवन-निर्वाह विद्यार्थियों से शुल्क और अन्य व्यक्तियों से भोजन तथा उपहार प्राप्त करते थे। अध्यापकों की औसत मासिक आय ५ रु० ८ आ० थी।

मद्रास में हिन्दुओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की संख्या पर्याप्त थी। मुसलमानों की उच्च शिक्षा संस्थाओं का कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं है।

बम्बई में हिन्दुओं को उच्च शिक्षा देने के लिए अहमदनगर में १६ और पूना नगर में १६४ विद्यालय थे। बोहरा जाति के मुसलमान बालकों को शिक्षा देने के लिए सूरत में एक विद्यालय था।

देशी शिक्षा की अवनति के कारण—(१) अंग्रेजों की देशी शिक्षा के प्रति उदासीनता, (२) शासकों द्वारा अंग्रेजी को प्रोत्साहन, (३) जनसाधारण का निर्धनता और बेकारी के कारण, अंग्रेजी की निःशुल्क शिक्षा की ओर आकर्षण, (४) देशी नरेशों के संरक्षण की समाप्ति, (५) अंग्रेजी स्कूलों की अपेक्षा देशी शिक्षा-संस्थाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, (६) देशी विद्यालयों के अदीक्षित शिक्षकों की अपेक्षा अंग्रेजी स्कूलों के शिक्षकों की अधिक योग्यता, (७) अध्यापकों की दयनीय आर्थिक स्थिति, (८) देश के नेताओं का अंग्रेजी शिक्षा की ओर झुकाव, (९) औद्योगिक क्रान्ति का प्रारम्भ।

ब्रिटिश शिक्षा-नीति—देशी शिक्षा-व्यवस्था का पतन ब्रिटिश शिक्षा-नीति के कारण हुआ। अंग्रेजों ने अपनी भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और देशी शिक्षा को संरक्षण नहीं दिया, जिससे वह अपनी मौत मरने के लिए बाध्य हो गई। देशी शिक्षा-व्यवस्था में राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति का स्थान ग्रहण करने की क्षमता थी। ऐडम, मुनरो, एल्फिंस्टन, टॉमसन और लेटनर के देशी शिक्षा के पुनरुत्थान के प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दिया गया। भारत की देशी शिक्षा और इसके फलस्वरूप उसके साहित्य और संस्कृति का विनाश करके ही अंग्रेज इस देश पर अपनी राजनीतिक सत्ता को चिरस्थायी रख सकते थे। अतः उन्होंने ऐसा ही किया।

TEST QUESTIONS

1. Give a brief account of the character and extent of the indigenous system of education in India at the beginning of the nineteenth century.

उपरोक्तों घटनाओं के प्रारम्भ में भारत में देशी शिक्षा-व्यवस्था के रूप और विस्तार का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

2. "It is a common belief among Western scholars that the indigenous system of education in India had hardly anything of value in it, and that the British officers were fully justified in allowing it to die." Discuss.

"पाश्चात्य विद्वानों का यह सामान्य विश्वास है कि भारत की देशी शिक्षा-व्यवस्था में कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसको समाप्त होने देने में पूर्ण रूप से उचित कार्य किया।" समीक्षा कीजिए।

3. What were the causes of the decay of the indigenous system of education in India? How far was the British educational policy responsible for it?

भारत में देशी शिक्षा-व्यवस्था के पतन के क्या कारण थे? इसके लिए ब्रिटिश शिक्षा-नीति कहीं तक उत्तरदायी थी?

आधुनिक शिक्षा का बीजारोपण

प्रस्तावना

भारतीय कला की कृतियाँ अनादि काल से पश्चिमी देशों की मंडियों में सुविख्यात थी। ये कृतियाँ प्राचीन स्थलीय व्यापार-मार्गों से यूरोप पहुँचती थी, पर तुर्कों की दक्षिण-पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्वी-यूरोप-विजय के फलस्वरूप व्यापारिक यातायात के ये प्राचीन मार्ग बन्द हो गये। इसका यूरोप की मंडियों पर बुरा प्रभाव पड़ा। अतः भारत तक पहुँचने वाले जल-मार्ग की खोज आवश्यक हो गई। इस कार्य में पुर्तगाली लोगो ने अगुवाई की और मई १४९८ में वास्को-ड-गामा (Vasco-da Gama) ने भारत पहुँचकर कालीकट के समुद्र-तट पर लंगर डाला।

भारत में विदेशी व्यापारिक कम्पनियाँ

पुर्तगालियों ने भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार का निर्विघ्न उपभोग लगभग १०० वर्ष तक किया। उनके व्यापारिक लाभ ने यूरोप के अन्य देश-वासियों के हृदय में उसमें साझीदार बनने की अभिलाषा को जन्म दिया। फलस्वरूप, भारत से व्यापार करने के लिए १७वीं शताब्दी में अनेक कम्पनियों का निर्माण हुआ। इनमें 'इंग्लिश ईस्ट-इण्डिया कम्पनी, डच ईस्ट-इण्डिया कम्पनी और फ्रेंच ईस्ट-इण्डिया कम्पनी' प्रमुख थी। डेन भी व्यापार के विचार से भारत आये।

इन सब कम्पनियों का उद्देश्य समान होने के कारण, इनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था। यह संघर्ष त्रिमुखी था—(१) पुर्तगालियों तथा डचों के बीच, (२) पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों के बीच, और (३) डचों तथा अंग्रेजों के बीच। इस संघर्ष से हमारा कोई सरोकार नहीं है। केवल इतना कह देना पर्याप्त है कि अन्त में कूटनीति विस्तारद अंग्रेज विजयी हुए।

आधुनिक शिक्षा का आरम्भ

यूरोप के व्यापारियों के कुछ समय पश्चात् वहाँ के ईसाई मिशनरियों ने इस देश में प्रवेश किया। इन मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य—यहाँ के निवासियों में अपने धार्मिक सिद्धान्तों का प्रचार करना था, न कि शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित करना। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐलेन (Allen) के अनुसार इसके दो कारण थे। प्रथम, यहाँ के निवासियों को शिक्षित करके मिशनरी उन्हें धार्मिक सिद्धान्तों से पूर्ण रूप से परिचित करा सकते थे। द्वितीय, शिक्षा-संस्थाएँ उन्हें भारतवासियों से सम्पर्क स्थापित करने और धर्म का प्रचार करने का अवसर देती थी। अतः मिशनरियों ने शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित की और उनमें यूरोपीय ढंग पर शिक्षा की व्यवस्था की।

मिशनरियों के शिक्षा-प्रयास

१. पुर्तगाली

पुर्तगाली मिशनरियों में सन्त फ्रान्सिस जेवियर (St. Francis Xavier) और रॉबर्ट-डो-नोबिली (Robert-de-Nobilis) के नाम उल्लेखनीय हैं। जेवियर १५४२ में और नोबिली उसके कुछ समय बाद आया। जेवियर ने पूर्ण तन्मयता से ईसाई-धर्म-प्रचार-कार्य किया। उसने गाँव-गाँव में ईसाई-धर्म की पुस्तकें रखवा दीं। वह घंटी बजाता हुआ पैदल घूमता था और भारतवासियों को ईसा का अनुयायी बनने के लिए आमंत्रित करता था। उसने शिक्षा-प्रसार की दिशा में भी सराहनीय कार्य किया। आज भी उसका नाम इस देश की कुछ शिक्षा-संस्थाओं से सम्बन्धित है। नोबिली का कार्य भी कुछ कम प्रशंसनीय नहीं था। वह अपने को पश्चिम का ब्राह्मण बताता था और कहता था कि वह खोये हुए वेदों को भारत वापिस लाया है। उसकी वेश-भूषा हिन्दू संन्यासियों की सी होती थी। वह अपने मस्तक पर तिलक लगाता था केवल ब्राह्मणों को अपना सेवक रखता था और शुद्ध तथा सात्विक भोजन उसका आहार था।^१

पुर्तगाली मिशनरियों ने गोआ, डामन, ड्यू, कोचीन, लंका, हुगली और चटगाँव में प्राथमिक विद्यालय खोले। इनमें पुर्तगाली भाषा, कुछ स्थानीय भाषाओं, थोड़ी-सी कारीगरी और कृषि, गणित तथा रोमन कैथोलिक धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इन विद्यालयों में उन बच्चों की निशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध था, जिनके अभिभावक ईसाई-धर्म का आलिंगन कर चुके थे। निर्धन बच्चों को भोजन, पुस्तकें और वस्त्रों की भी सुविधा दी जाती थी।

इन मिशनरियों ने उच्च शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। १५७५ में चॉल में प्रथम जेसुईट (Jesuit) कॉलेज खोला गया, जिसमें ३०० से अधिक विद्यार्थी पढ़ते

थे। सेन्ट ऐन (St. Anne) नामक एक दूसरा कॉलेज बन्दोरा में स्थापित किया गया। गोआ, वेसीन और कुछ अन्य स्थानों में भी कॉलेज खोले गये। इन कॉलेजों में लेटिन, ईसाई-धर्म, तर्कशास्त्र, व्याकरण और संगीत की शिक्षा दी जाती थी।¹ बर्नियर (Bernier) ने आगरा में भी एक जेसुइट कॉलेज का उल्लेख किया है।

पुर्तगालियों के शिक्षा-सम्बन्धी कार्य प्रायः उनकी वस्तियों तक ही सीमित रहे और उनका व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा। परन्तु यह कहना अत्युक्ति न होगी कि भारत में आधुनिक शिक्षा-व्यवस्था के बीजारोपण का श्रेय उन्हीं को प्राप्त है। १५६५ में पुर्तगाली शक्ति के ह्रास के साथ-साथ, पुर्तगाली शिक्षा-संस्थाओं का भी ह्रास प्रारम्भ हो गया और कालान्तर में वे केवल गोआ, डामन और ड्यू तक ही सीमित रह गईं।

२. फ्रासीसी

फ्रासीसियों ने अपनी वस्तियों—पाडिचेरी, माही, यनाम, कारीकल और चन्द्रनगर—में प्राथमिक विद्यालय खोले। इनके द्वार सब भारतीय बच्चों के लिए खुले हुए थे। इनमें भारतीय शिक्षकों द्वारा स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी। ईसाई-धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। इस कार्य के लिए प्रत्येक विद्यालय में एक धर्म-प्रचारक रहता था। निर्धन भारतीय बच्चों को भोजन, वस्त्र, पुस्तक आदि का प्रलोभन देकर पढ़ने के लिए आकर्षित किया जाता था। पाडिचेरी में एक माध्यमिक विद्यालय भी था, जिसमें फ्रासीसियों और कम्पनी के भारतीय कर्मचारियों के बच्चों को फ्रासीसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी।

भारत में फ्रासीसी—अंग्रेजों के प्रमुख प्रतिद्वन्दी थे। इस देश पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए इन दोनों जातियों ने दीर्घकाल तक प्राणपण से चेष्टा की। कर्नाटक के युद्धों (१७४६-६३) के पश्चात् फ्रासीसी वास्तव में सब कुछ खो बैठे। कुछ वस्तियों को छोड़कर सभी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और फलस्वरूप यहाँ के विद्यालयों पर भी। अंग्रेजों ने उनकी शिक्षा-व्यवस्था में परिवर्तन करके उन्हें नए ढाँचे में ढालना प्रारम्भ कर दिया।

३. डच

डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी का आधिपत्य लंका, मद्रास-तट पर नागापट्टम और बंगाल में चिनमुरा प्रदेश पर था। अंग्रेजों के प्रबल विरोध के कारण डचों की स्थिति कभी महत्वपूर्ण नहीं रही। १७५६ में वेदरा नामक स्थान पर अंग्रेजों से परास्त होकर, उनका गोभाग्य-मूर्ख गर्दब के लिए निस्तेज हो गया।

भ्यापार करने के साथ-साथ, डचों ने कुछ विद्यालय भी स्थापित किये। इनमें कम्पनी के कर्मचारियों एवं अन्य भारतीयों के बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध था।

मुतंगालियों के समान डचों के सिर पर धर्म-प्रचार का भूल सवार नहीं था। अतः उन्होंने अपने विद्यालयों को धर्म-प्रचार का केन्द्र एवं साधन नहीं बनाया। डा० प्रिडे (Prideaux) के अनुसार डचों ने उच्च शिक्षा के लिए लंका में एक कॉलेज खोला था।

४ डेन

डेनो के कारखाने ट्रानक्वूबर और सीरामपुर में थे। इन लोगों ने भारत पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा नहीं की। १८४५ में इन्होंने अपनी वस्तियाँ अंग्रेजों को बेचकर इस देश से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया।

अन्य देशों के मिशनरियों के समान डेन मिशनरियों ने भी धर्म-प्रचार का कार्य किया। परन्तु डेनमार्क से समय पर धन प्राप्त न होने के कारण उनका कार्य अधिराम गति से नहीं चल पाता था। उन्हें इंग्लैंड की 'धर्म-प्रचारक समिति' (Society for Promoting Christian Knowledge) से आर्थिक सहायता लेनी पड़ती थी, पर यह धन उनके लिए पर्याप्त नहीं होता था। इन कठिनाइयों के होते हुए भी उन्होंने ५०,००० भारतवासियों को ईसाई बनाया।

डेन मिशनरियों में सर्वप्रथम जीगेनबल्ग (Ziegenbalg) और प्लुशो (Plutschu) १७०६ में ट्रानक्वूबर पहुँचे। अपने धर्म-प्रचार-कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्होंने तामिल भाषा का अध्ययन किया। अपनी प्रखर बुद्धि के कारण जीगेनबल्ग को यह समझने में देर न लगी कि ईसाई-धर्म का व्यापक प्रचार करने के लिए तामिल भाषा ही सर्वोत्तम होगी। अतः उसने बाइबिल का तामिल भाषा में अनुवाद किया। उसने तामिल भाषा की एक व्याकरण लिखी और एक तामिल शब्द-कोश भी तैयार किया। १७१६ में जीगेनबल्ग के असामयिक निधन के कारण डेन मिशनरियों के कार्य को भारी धक्का लगा, पर ग्रण्डलर (Grundler), कायरेंडर (Kierander) तथा श्वार्ज (Schwartz) उसके कार्य को चलाते रहे।

डेन मिशनरिया को भारत में आधुनिक शिक्षा का पथ-प्रदर्शक माना जाता है। उन्होंने स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया। मुसलमानों से अपने धर्म-प्रचार-कार्य में सहयोग पाने के लिए उन्होंने उनके बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी और अनेक प्राथमिक विद्यालय खोले। जीगेनबल्ग के जीवन-काल में ही १७१६ में ट्रानक्वूबर में अध्यापकों की दीक्षा के लिए एक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोल दिया गया था। वहाँ के प्रशिक्षित अध्यापकों को प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त किया जाता था। ग्रण्डलर ने मद्रास में दो विद्यालय स्थापित किये। कायरेंडर ने फोर्ट सेंट डेविस में और उसके आस-पास तथा श्वार्ज ने त्रिचनापली और तंजौर में स्कूल खोले। इन विद्यालयों की विशेषता यह थी कि इनमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और ईसाई-धर्म की प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा नहीं दी जाती थी।¹

1. N. N. Law : *Promotion of Learning by Early European Settlers*, p. 68.

५. अंग्रेज

अंग्रेज मिशनरियों के शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों का विवरण इंग्लिश ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के शिक्षा-प्रयासों के साथ देना ही अधिक उपयुक्त होगा। अतः अगले अध्याय में इनका वर्णन किया जायगा।

मिशनरियों के शिक्षा-कार्य की समीक्षा

ऊपर जिन पाश्चात्य मिशनरियों का वर्णन किया गया है, उनमें से अधिकतर का स्थान भारतीय शिक्षा के इतिहास में अति गौरवपूर्ण है। यह केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया, अपितु इसलिये भी कि उन्होंने आधुनिक शिक्षा-व्यवस्था का सूत्रपात किया और भारत के भावी भाग्य-विधाताओं के समक्ष शिक्षा का भार वहन करने का आदर्श उपस्थित किया। इन कार्यों से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य था—जन-साधारण में ज्ञान का प्रसार करना। यवनों के आतङ्को से हिन्दू शिक्षा-व्यवस्था की नींव उगमगा चुकी थी। अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच पली मुस्लिम शिक्षा-पद्धति सामान्य जनता के ज्ञान-मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकी थी। इस दिशा में इन विदेशी मिशनरियों ने निःशुल्क शिक्षा की योजना बनाकर और भारी संख्या में व्यक्तियों को ज्ञान का रसास्वादन कराकर पथ प्रदर्शक का कार्य किया।

सारांश

भारत तक पहुँचने के जल-मार्ग की खोज वास्को-ड गामा ने की। उसके कुछ समय उपरान्त से ही पुर्तगाली भारत से व्यापार करने लगे। १७वीं शताब्दी के प्रारम्भ से अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और डेनो ने भी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत से सम्बन्ध स्थापित किये। समान उद्देश्य होने के कारण उनमें सघर्ष प्रारम्भ हो गया, जिसमें अन्त में अंग्रेज विजयी हुए।

यूरोप के व्यापारियों के कुछ समय पश्चात् वहाँ के मिशनरी भी भारत आए। उनका उद्देश्य—भारतवासियों को ईसाई बनाना था। इस कार्य को सुगमतापूर्वक करने के लिए उन्होंने भारतवासियों को शिक्षा देने के लिए विद्यालय स्थापित किये।

पुर्तगाली मिशनरियाँ में जेवियर और रॉबर्ट डी-नोविली ने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए। पुर्तगाली वस्तियों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गये। चॉल और बन्दोरा आदि स्थानों में उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज खोले गये। इन विद्यालयों में अन्य विषयों की शिक्षा के साथ साथ ईसाई-धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी।

फ्रांसीसी विद्यालयों में भी धार्मिक शिक्षा अनिवार्य थी। विद्यार्थियों का

उनमें पढ़ने के लिए भोजन, वस्त्र तथा पुस्तक आदि की सुविधा का प्रलोभन दिया जाता था ।

डच्चा ने प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त लका में उच्च शिक्षा के लिये एक कॉलेज खोला । इन लोगों ने अपनी शिक्षा-संस्थाओं को ईसाई धर्म-प्रचार का केन्द्र एवं साधन नहीं बनाया ।

डेन धर्म प्रचारकों ने शिक्षा-क्षेत्र में अति महत्त्वपूर्ण कार्य किया । जीगेनबल्ग ने वाइबिल का तामिल भाषा में अनुवाद किया । उसके जीवन-काल में ट्रानक्वूवर ने अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोला गया । ग्रण्डलर ने मद्रास में विद्यालय खोले, श्वार्ज ने त्रिचनापली और तजौर में स्कूल खोले ।

पाश्चात्य मिशनरियों का स्थान भारतीय शिक्षा के इतिहास में अति महत्त्वपूर्ण है । उन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा-व्यवस्था का सूत्रपात किया, जन-साधारण में ज्ञान का प्रसार किया, और नि:शुल्क शिक्षा की योजना बनाई ।

TEST QUESTIONS

- 1 "The beginnings of the present system of education in India can be traced to the efforts of the Christian missionaries"

Discuss

"भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात ईसाई मिशनरियों के प्रयासों के कारण हुआ ।" विवेचना कीजिये ।

- 2 Write a short essay on the educational activities of the early European settlers

प्रारम्भिक यूरोपीय निवासियों के शैक्षिक कार्यों पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये ।

६

ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के प्रारम्भिक शिक्षा-प्रयास (१६००-१८१३)

प्रस्तावना

१५६६ में लन्दन के व्यापारियों ने इंग्लिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का निर्माण किया और उनकी प्रार्थना पर महारानी ऐलिजाबेथ (Elizabeth) प्रथम ने ३१ दिसम्बर १६०० को इस कम्पनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक आज्ञा-पत्र (Charter) प्रदान किया।

कम्पनी की प्रारम्भिक नीति (१६००-१७६५)

कम्पनी के व्यापारियों ने १६११ में मध्य-रीपट्टम में प्रथम, और १६१३ में सूरत में द्वितीय कारखाना स्थापित किया। भारत में अपने प्रतिद्वन्द्वी पारिचाय व्यापारियों का अनुकरण करके उन्होंने भी अपने प्रोटेस्टेण्ट मिशनरियों को इस देश में बुलाया। ऐसा करने में उनके तीन उद्देश्य थे—(१) जिन स्थानों में अग्रज आकर बसे थे वहाँ से पुतगान के रोमन कथौनिक मिशनरियों का प्रभाव समाप्त करना (२) धार्मिक शिक्षा द्वारा अपनी कम्पनी के कर्मचारियों की आध्यात्मिक उन्नति करना और (३) भारतवासियों में अप्रत्यक्ष रूप से ईसाई धर्म का प्रचार करना।

प्रारम्भ में कम्पनी का ध्यान व्यापार एवं धर्म प्रचार-कार्य पर केंद्रित था। धर्म प्रचार-कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए १६१४ से ही कम्पनी ने भारतवासियों को अपने देश में प्रोटेस्टेण्ट धर्म का प्रचार करने के लिये प्रशिक्षित करना प्रारम्भ किया। कुछ भारतीय ईसाइयों का धार्मिक दीक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भी भेजा गया। १६३६ में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में आर्चबिशप आर्च (Arch)

bishop Laud) ने अरबी शिक्षा का विभाग स्थापित किया, जिसमें भारत आने वाले मिशनरियों को अरबी भाषा की शिक्षा दी जाती थी।

१६५६ के आदेश-पत्र (Despatch) में कम्पनी के संचालकों ने भारतवासियों को ईसाई-धर्म में दीक्षित करने की, और इस उद्देश्य से प्रत्येक जहाज पर मिशनरियों को भेजने की इच्छा व्यक्त की। इस समय तक कम्पनी के कर्मचारी भारतवासियों की धार्मिक भावनाओं से कुछ परिचित हो चुके थे। अतः उन्होंने संचालकों की इच्छा की ओर ध्यान न देकर धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाया ही उत्तम समझा।

जब १६६८ में कम्पनी का आज्ञा-पत्र दोहराया गया, तब उसकी एक धारा के अनुसार कम्पनी को अपने किलों, नगर-रक्षक सेनाओं तथा बड़े कारखानों में विद्यालय स्थापित करने का आदेश दिया गया। यही से भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का सुरुवात होता है। उसका प्रारम्भ अंग्रेजी बस्तियों में हुआ और अंग्रेजी राज्य-प्रसार के साथ-साथ उसका रूप परिवर्तित होता चला गया।

दान-आश्रित विद्यालय

१६६८ के आज्ञा-पत्र के आदेशानुसार मद्रास और बम्बई में कुछ दान-आश्रित विद्यालय (Charity Schools) खोले गये। उनका व्यय-भार कम्पनी, उसके कर्मचारियों तथा चन्दे के द्वारा वहन किया जाता था। इन विद्यालयों का उद्देश्य अंग्रेजों, एंग्लो-इण्डियनों, ईसाइयों, कम्पनी के कर्मचारियों तथा जनसाधारण के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना था। इनमें प्रवेश की प्राथमिकता प्रोटेस्टेण्ट धर्म के अनुयायियों को मिलती थी। इनमें लिखना-पढ़ना, गणित और ईसाई-धर्म की शिक्षा दी जाती थी।

मद्रास

यहाँ १६७३ में प्रथम माध्यमिक विद्यालय खोला जा चुका था। इसमें अंग्रेजों, पुर्तगालियों, एंग्लो-इण्डियनों तथा कम्पनी के कुछ भारतीय कर्मचारियों के बच्चे पढते थे। इसमें शिक्षा का माध्यम 'पुर्तगाली' भाषा थी। शिक्षक का कार्य प्रिगल (Pringle) नामक पादरी करता था, जिसे कम्पनी ५० पीड वार्षिक वेतन देती थी। १७१५ में कम्पनी की अध्यक्षता में स्टीवेन्सन (Rev. W. Stevenson) ने मद्रास नगर में 'सेण्ट मेरीज चैरिटी स्कूल' नामक प्रथम दान-आश्रित विद्यालय स्थापित किया। इसमें कम्पनी के प्रोटेस्टेण्ट यूरोपियनों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। १७१७ में भारतीय बच्चों के लिये इसी प्रकार का एक एंग्लो-वर्नाकुलर स्कूल कडलौर में खोला गया। १८१२ में नगर-सेना के पादरी ने भारतीय सैनिकों तथा नगर-वासियों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए एक 'सण्डे स्कूल' खोला।

बम्बई

मद्रास के प्रथम दान-आश्रित विद्यालय के सिद्धान्तों के आधार पर रिचर्ड

कॉब (Rev. Richard Cobbe) ने निर्धन प्रोटेस्टेण्ट यूरोपियन बच्चों के लिए बम्बई में १७१६ में एक स्कूल खोला। १८०७ तक यह विद्यालय चन्दे से प्राप्त धन से चलता रहा, पर उस वर्ष कम्पनी ने इसे अपने संरक्षण में ले लिया। इसके अतिरिक्त, बम्बई में केवल एक विद्यालय और था, जिसे पुर्तगालियों ने १७६० में स्थापित किया था।¹

कम्पनी की शिक्षा-नीति (१७६५-१८१३)

उत्तर-पूर्व में अंग्रेज व्यापारियों ने १६३३ में प्रवेश किया और हरिहपुर तथा वालासोर में अपने कारखाने स्थापित किये। इस प्रदेश में अनेक वर्षों तक कम्पनी का व्यापार अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में से होकर गुजरता रहा। धीरे-धीरे किस प्रकार यह कम्पनी भारत पर अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में सफल हुई, इसका शिक्षा के इतिहास से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। अतः हम इसे यहाँ केवल यह लिखकर छोड़ते हैं कि १७५७ में प्लासी के युद्ध में विजय के उपरान्त या अधिक निश्चित रूप से १७६५ में सम्राट् शाह आलम से बंगाल, विहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करके कम्पनी का सौभाग्य-सूर्य उदय हुआ और उसने राज्य-प्रसार के पथ पर अपना अभियान प्रारम्भ किया।

१७६५ के पश्चात् जब कम्पनी को भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो गई, तब उसकी शिक्षा-नीति में परिवर्तन होना प्रारम्भ हुआ। वह अनुभव करने लगी कि उसे भारतवासियों के लिए कुछ करना है। उसे हिन्दू एवं मुसलमान शासकों के राज्य उत्तराधिकार में प्राप्त हुये थे। इन शासकों ने अनेक प्रकार से शिक्षा को प्रोत्साहित किया था, जैसे—पाठशालाएँ और मदरसे स्थापित किये थे, विद्वान् पंडितों और मौलवियों को उपाधियों से विभूषित किया था और उनको आजीविका चलाने के लिए जागीरें दी थी। कम्पनी ने विचार किया कि इन परम्पराओं को जारी रखकर ही भारतवासियों की सद्भावना प्राप्त की जा सकती थी। यही से कम्पनी की नवीन शिक्षा-नीति का श्रीगणेश होता है।

इस नीति को निर्धारित करने में दो अन्य तत्वों ने भी योग दिया। प्रथम, १७७३ के रेग्युलेटिंग एक्ट (Regulating Act) के अनुसार कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। १७८१ से 'संशोधित कानून' (Supplementary Act) के अनुसार यह निश्चय किया गया कि भारतवासियों के मुकदमों का निर्णय उनके धर्म, रीति-रिवाजों और रहन-सहन के आधार पर किया जाय। क्योंकि अंग्रेज न्यायाधीश इन बातों से अनभिज्ञ थे, अतः उनकी सहायता के लिए भारतवासियों को शिक्षित करना आवश्यक हो गया। द्वितीय, कम्पनी प्रभावशाली भारतवासियों के पुत्रों

को सरकारी पदों पर कार्य करने के लिए भी शिक्षित करना चाहती थी, और इस प्रकार उच्च वर्गों का विश्वास तथा सहयोग प्राप्त करके भारत में अपने नव-स्थापित राज्य को गृह बनाना चाहती थी। इन सब बातों को ध्यान में रखकर कम्पनी ने हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए उच्च शिक्षा के कुछ केन्द्र स्थापित किये। इनमें 'कलकत्ता मदरसा' और 'धनारम सस्कृत कॉलेज' सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे।

कलकत्ता मदरसा

'कलकत्ता मदरसा' को स्थापित करने वाला बंगाल का गवर्नर, वारेन हेस्टिंग्स (Warren Hastings) था। १७८० में नगर के कुछ लघुप्रतिष्ठ मुसलमानों ने उससे प्रार्थना की कि उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया जाय, और मुदगिद उद्दीन नामक एक विदेशी विद्वान् की सेवाओं से लाभ उठाया जाय।¹ उसने तत्काल मुदगिद उद्दीन का बुलवाया, उसे मदरसे का प्रधानाचार्य नियुक्त किया और अक्टूबर १७८० में, 'कलकत्ता मदरसा' शिक्षण-कार्य में लग गया। कम्पनी के संचालकों से मदरसे के व्यय के लिए धन प्राप्ति में विलम्ब होने की आशंका से हेस्टिंग्स ने उसके व्यय का भार अपने ऊपर ले लिया।

प्रारम्भ में इस मदरसे में ४० छात्रों के लिये नि:शुल्क शिक्षा, भोजन, छात्रावास एवं पुस्तकों की व्यवस्था की गई थी। परन्तु मुदगिद उद्दीन की ख्याति के कारण जनवरी, १७८१ में ही काश्मीर, गुजरात एवं कर्नाटक से छात्र आने लगे। अतः छात्रों की संख्या को ४० से बढ़ाकर १०० करना पड़ा। व्यय अधिक हो जाने के कारण हेस्टिंग्स ने कम्पनी के संचालकों से मदरसे को अपने सरक्षण में लेने की प्रार्थना की। उन्होंने न केवल इसकी स्वीकृति दी, अपितु हेस्टिंग्स द्वारा व्यय किया हुआ धन भी उसे लौटा दिया। प्राचीन प्रथा के अनुसार १७८५ में संचालकों ने २६,००० रुपये की वार्षिक राजस्व की भूमि मदरसे के पोषण के लिए दी। उचित प्रबन्ध न हो सकने के कारण इस भूमि को १८१६ में वापिस ले लिया गया और ३०,००० रुपये वार्षिक, राजकीय से दिया जाने लगा। मदरसे के प्रबन्ध का भार एक अंग्रेज सेक्रेटरी को सौंप दिया गया।

मदरस के पाठ्य-विषयों में पदार्थ-विज्ञान-शास्त्र, कुरान के धर्म-सिद्धान्त, कानून, ज्योतिष, ज्यामिति, गणित, तर्कशास्त्र, अलंकार-शास्त्र एवं व्याकरण मुख्य थे। शिक्षा-काल ७ वर्ष और शिक्षा का माध्यम 'अरबी' था। शिक्षकों के अतिरिक्त कुरान पढ़ाने के लिए एक खातिब और नमाज पढ़ाने के लिए एक मुअज्जिन था। मुस्लिम-प्रथा के अनुसार प्रार्थना एवं पूजा-पाठ के लिए शुक्रवार को अवकाश रहता था।

1. W. H. Sharp : *Selections from Educational Records*, Vol. I, pp. 7-8.

बनारस संस्कृत कॉलेज

‘कलकत्ता मदरसा’ के समान ‘बनारस संस्कृत कॉलेज’ की स्थापना का कारण भी राजनैतिक था। इस कॉलेज का शिलान्यास १७६१ में बनारस राज्य के रेजिडेंट, जोनेथन डंकन (Jonathan Duncan) ने किया था। जिस प्रकार कलकत्ता मदरसा में मुस्लिम धार्मिक सिद्धान्तों और कानूनों की शिक्षा देकर मुसलमान नवयुवकों को अंग्रेज न्यायाधीशों को सहायता देने के लिए तैयार किया था, उसी प्रकार बनारस संस्कृत कॉलेज में हिन्दू नवयुवकों को हिन्दू-धर्म-शास्त्रों एवं कानून की व्याख्या करने के लिए दीक्षित किया जाता था। प्रथम वर्ष इस कॉलेज को १४,००० रुपया अनुदान के रूप में दिया गया, पर १७६२ में इस धनराशि को बढ़ाकर २०,००० रुपया वार्षिक कर दिया गया।¹ प्रारम्भ में इस कॉलेज का प्रबन्ध पंडितों ने किया, पर उनकी असफलता को देखकर कुछ समय बाद एक अंग्रेज सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त कर दिया गया।

कॉलेज के पाठ्य-विषयों में हिन्दू धार्मिक सिद्धान्त, तर्क-शास्त्र, दर्शन-शास्त्र, चिकित्सा-शास्त्र, सङ्गीत, इतिहास, कविता और कानून सम्मिलित थे। कॉलेज का समस्त प्रबन्ध धर्म-शास्त्रों के नियमों पर, और शिक्षा ‘मानव-धर्म’ (Institutes of Manu) पर आधारित थी।²

फोर्ट विलियम कॉलेज

इस कॉलेज की स्थापना १८०० में लार्ड वेल्लेजली (Wellesley) ने कलकत्ता में की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य कम्पनी के तहण कर्मचारियों को हिन्दू और मुस्लिम कानूनों, भारतीय इतिहास, अरबी, फारसी, संस्कृत और भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। इसने बंगला साहित्य और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में अति सराहनीय योग दिया और उनसे सम्बन्धित पुस्तकें प्रकाशित की। इस कॉलेज में डा० गिल्क्राइस्ट (Gilchrist), डा० केरे (Carey), कोलब्रुक (Colebrook) और पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ऐसे विद्वान् शिक्षक थे। एक विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाने के कारण भारतीय शिक्षा के इतिहास में इस कॉलेज का स्थान अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। (१८१८ में कम्पनी ने मद्रास में ‘फोर्ट सेन्ट जार्ज’ नामक कॉलेज, अंग्रेज कर्मचारियों को भारतीय भाषाएँ सिखाने के लिए खोला।)

व्यक्तिगत शिक्षा-कार्य

राजकीय प्रयत्नों के अतिरिक्त, विद्यालयों की स्थापना के लिए कुछ व्यक्तिगत प्रयास भी किए गए। १७८७ में श्रीमती कैम्पबेल (Campbell) ने मद्रास में एक

1. B. D. Basu *History of Education in India*, p. 33.

2. T. N. Siqueira : *The Education of India*, p. 25.

महिला-आश्रम (Female Orphan Asylum) खोला। उसी वर्ष डा० एन्ड्रयू बेल (Andrew Bell) ने एक ऐसा ही आश्रम बालको के लिए ऐगमोर में स्थापित किया। यह संस्था शिक्षा के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी, क्योंकि डा० बेल ने यही प्रथम बार बालचर-प्रणाली (Monitorial System) का परीक्षण किया था। इन दोनों विद्यालयों को समय-समय पर कम्पनी से कुछ आर्थिक सहायता मिल जाती थी। इनमें केवल यूरोपियन कर्मचारियों की वृद्ध संतानों और अनाथ बच्चों ही पढ़ सकते थे।

१७६५ के बाद अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों की बढ़ती हुई माँग के कारण कलकत्ता नगर में बहुत से विद्यालय स्थापित हुए। सर्वप्रथम ब्राउन (Brown) ने हिन्दू बालको के लिये एक अंग्रेजी स्कूल खोला। इसके बाद ऐराटून (Aratoon), पीटर्स (Peters), शेरबोर्न (Sherbourne), कृष्णमोहन बोस एवं शिवदत्त ने भी इस प्रकार के विद्यालयों का निर्माण किया। श्रीमती पिट (Pitt), श्रीमती लॉसन (Lawson), श्रीमती कौपलैण्ड (Copeland) एवं कुछ अन्य महिलाओं ने बालिकाओं के लिए ६ से अधिक विद्यालयों का प्रबन्ध किया। बालको और बालिकाओं की इन शिक्षा-संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम 'अंग्रेजी' था। इन्होंने अंग्रेजी भाषा को लोकप्रिय बनाने में प्रशंसनीय कार्य किया।

मिशनरियों के शिक्षा एवं धर्म-प्रचार के कार्य

मद्रास और बम्बई के समान बंगाल में भी कुछ दान-आश्रित विद्यालयों की स्थापना हुई। इन विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य—यूरोपियनों के अनाथ एवं परिवर्तित बच्चों को शिक्षा देना था। इस प्रकार के दो विद्यालय कलकत्ता में थे। 'कलकत्ता-चेरिटेबिल स्कूल', जिसकी स्थापना ऐंग्लिकन ((Anglican) मिशनरियों ने १७२६ में की थी, और जो थोड़े से अशिष्ट बच्चों पर अत्यधिक धन व्यय करके ज्यों-ज्यों १७८७ तक चलता रहा। उस वर्ष इस विद्यालय का कार्य-भार एक बोर्ड को सौंप दिया गया। दूसरा विद्यालय 'फ्री स्कूल' था, जिसकी स्थापना १७८६ में 'फ्री स्कूल सोसाइटी' ने की थी। इन दो विद्यालयों के अतिरिक्त, कलकत्ता से १३ मील दूर डेनो के उपनिवेश सीरामपुर में 'बेनीवोलेंट-इन्स्टीट्यूशन' (Benevolent Institution) नामक एक दान आश्रित शिक्षा-संस्था और थी। इसकी स्थापना अंग्रेज वेप्टिस्ट मिशनरियों ने भारतीय एवं एंग्लो-इण्डियन बच्चों को शिक्षा देने के लिए की थी।

सीरामपुर के वेप्टिस्ट मिशनरियों के तीन नेता थे—केरे (Carey), वार्ड (Ward), और मार्शमैन (Marshman)। उन्हें 'सीरामपुर त्रिमूर्ति' (Serampore Trio) कहा जाता था। उनके प्रयास के फलस्वरूप सीरामपुर, कलकत्ता और अन्य स्थानों में बालको तथा बालिकाओं के लिए १८१७ तक ११५ विद्यालय खोले गए।

'सीरामपुर त्रिमूर्ति' का धर्म-प्रचार का कार्य कहीं अधिक उत्साहपूर्ण था। उन्होंने १८०० में एक मुद्रणालय खोला, वाइबिल को अनेक देशी भाषाओं में

अनुवादित करके मुद्रित किया और निःसंकोच भाव से अपनी धार्मिक पुस्तकों जनता में बाँटी। कुछ ही वर्षों में उनका धार्मिक उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच कर सीमा का उल्लंघन कर गया। १८०८ में उन्होंने "हिन्दुओं और मुसलमानों के नाम संदेश" (Addresses to Hindus and Muslims) नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की। इसमें मुहम्मद साहब को भूठा पैगम्बर बताया गया और हिन्दू-धर्म की निन्दा की गई। इससे हिन्दुओं और मुसलमानों में इतनी उत्तेजना फैली कि उसे शान्त करने के लिए लार्ड मिंग्टो (Minto) ने मिशनरियों का प्रेस जब्त कर लिया और उनको बन्दी करवा के कलकत्ता बुला लिया।

मिशनरियों को कम्पनी की दमन-नीति से बहुत असन्तोष हुआ। भारत में इसका विरोध करने में अपने को असमर्थ पाकर, उन्होंने अपने समर्थकों के द्वारा इंग्लैण्ड में आन्दोलन प्रारम्भ किया। इस आन्दोलन का नेता चार्ल्स ग्राट (Charles Grant) था।

चार्ल्स ग्राट

चार्ल्स ग्राट कम्पनी के कर्मचारी और व्यवसायी के रूप में भारत में २३ वर्ष रह चुकने के कारण यहाँ की परिस्थितियों से पूर्णतया परिचित था। इंग्लैण्ड लौटने पर उसने "ग्रेट ब्रिटेन की एशियाई प्रजा की सामाजिक दशा पर विचार" नामक एक पुस्तिका लिखकर भारतवासियों की स्थिति पर प्रकाश डाला। एक स्थान पर ग्राट ने लिखा—“यूरोप के सबसे खराब भागों में निःसन्देह अनेक मनुष्य हैं जो सच्चे, ईमानदार और शुद्ध हृदय वाले हैं। बंगाल में तो सच्चा और ईमानदार मनुष्य अलभ्य है, मुझे भय है कि जीवन में सब प्रकार से पवित्र आचरण वाला मनुष्य अप्राप्य है। हिन्दुस्तान के निवासी को दी गई शक्ति सर्वदा अत्याचारपूर्ण रीति से प्रयोग की जाती है या अन्याय के कार्य में लगाई जाती है। सभी स्थितियों में सभी प्रकार के पदों का प्रयोग धनोपाार्जन के लिए किया जाता है। न्याय सामान्य रूप से व्यापार की वस्तु बन गया है।”

भारतवासियों की नैतिकता का यह चित्र अतिरंजित है। एल्फिंस्टन, मुनरो और मेटकॉफ ने उनके निकट सम्पर्क में रहकर भी इस प्रकार के विचार कभी व्यक्त नहीं किये थे। परन्तु ग्राट क्षम्य है, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य शिक्षा-प्रसार द्वारा भारतवासियों के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाना और उनका पुनरुत्थान करना था। यह सत्य है कि उन दिनों भारतीय समाज पतनोन्मुख हो रहा था। उसमें अनैतिकता, भ्रष्टाचार और अज्ञान की वृद्धि हो रही थी।

1. "Observatio

Subjects of Great Brit

2. Quoted by

Indian Education, p. viii.

ग्रान्ट का विश्वास था कि पारचात्य शिक्षा और ईसाई-धर्म द्वारा भारत-वासियों के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाया जा सकता है और उनकी अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। ग्रान्ट ने अपने विश्वास को लेखबद्ध करते हुए लिखा —“अज्ञानता को दूर करने का वास्तविक उपचार ज्ञान का प्रसार है। हिन्दू इसलिए गलती करते हैं, क्योंकि वे अज्ञानी हैं और उनकी गलतियों को उचित प्रकार से कभी भी उनके समक्ष नहीं रखा गया है। उनको हमारे प्रकाश और ज्ञान का दिया जाना ही उनके लिए सर्वोत्तम उपचार सिद्ध होगा।”¹

भारतवासियों में ज्ञान का प्रसार करने के लिए ग्रान्ट ने अंग्रेजी भाषा का शिक्षा का उपयुक्त माध्यम बताया। उसका कहना था कि योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी साहित्य, विज्ञान, दर्शन और धर्म की शिक्षा पाकर भारतवासियों की विचारधारा परिवर्तित हो जायगी। ग्रान्ट की प्रायः सभी बातों को भविष्य में मान लिया गया। वस्तुतः अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण उसी ने किया। इसीलिए उसको ‘भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता’ (Father of Modern Education in India) कहा जाता है।

१७६३ का आज्ञा-पत्र

ग्रान्ट के विचारा स, ब्रिटिश लोक-सभा का सदस्य विल्बरफोर्स (Wilberforce) अत्यधिक प्रभावित हुआ। जब १७६३ में कम्पनी का आज्ञा-पत्र पुनर्शोधन के लिए संसद में आया, तब विल्बरफोर्स ने उसमें शिक्षा-सम्बन्धी एक धारा जोड़ने के विचार से अग्रलिखित प्रस्ताव किया —“ब्रिटिश व्यवस्थापिका का यह विशेष तथा अनिवार्य कर्तव्य है कि वह समस्त उचित एवं विवेकपूर्ण माधनों द्वारा भारत में ब्रिटिश राज्य के हित एवं समृद्धि के लिए कार्य करे, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे साधनों को अपनाएँ जिनसे भारतीयों के ज्ञान, धर्म और नैतिकता का स्तर ऊँचा उठे।”²

कम्पनी के सचालको ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा—“हिन्दुआ की अपने धर्म और नैतिकता की उतनी ही उत्तम प्रणाली है, जितनी कि अधिकांश व्यक्तियों की है, और उनके धर्म-परिवर्तन का प्रयास करना या उनको अधिक ज्ञान देना पागलपन होगा।”³ लोकसभा के सदस्य रेण्डल जेक्सन (Randle Jackson) का मत था—“हमने अमेरिका के उपनिवेशों को अपनी भाषा का प्रसार करने के कारण खो दिया। अब हमें भारत में ऐसी मुख्तता नहीं करनी चाहिए।” फलस्वरूप, पार्लियामेन्ट ने विल्बरफोर्स का प्रस्ताव रद्द कर दिया।

1. Quoted by M. R. Paranjpe : *op. cit.*, p. viii.

2. J. A. Richter : *A History of Missions in India*, p. 149

3. W. H. Sharp : *op. cit.*, Vol I, p. 17.

भारतीय शिक्षा में प्राच्यवादी नीति

जिस समय इंग्लैण्ड में यह आन्दोलन चल रहा था कि भारतवासियों की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और उनमें ईसाई-धर्म का प्रचार किया जाय, उस समय भारत में कम्पनी के कुछ पदाधिकारी इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि भारतवासियों को भारतीय पद्धति द्वारा शिक्षा दी जाए और उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाय। 'कलकत्ता मदरसा' और 'बनारस संस्कृत कॉलेज' का निर्माण करके वे शिक्षा में प्राच्यवादी नीति के विचार को व्यक्त कर चुके थे। वे इस बात पर बल दे रहे थे कि इस प्रकार की अन्य शिक्षा-संस्थाओं का प्रबन्ध करके प्राच्य शिक्षा-प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाय। इस प्रकार दोनों देशों में दो विरोधी विचारधाराएँ कार्य कर रही थीं।

भारत में कम्पनी का सर्वोच्च अधिकारी लार्ड मिन्टो, भारतीय साहित्य एवं विज्ञान का प्रशंसक तथा प्राच्यवादी नीति का समर्थक था। उसने ६ मार्च, १८११ के अपने विवरण-पत्र (*Minute*) में भारतीय शिक्षा की दयनीय दशा का चित्र अंकित करके कम्पनी के संचालकों को प्रेषित किया। मिन्टो ने लिखा :—“भारत के निवासियों में विज्ञान और साहित्य का उत्तरोत्तर पतन हो रहा है। विद्वानों की संख्या न केवल कम हो गई है, अपितु उनके ज्ञान की परिधि भी संकीर्ण होती जा रही है। इस स्थिति का तात्कालिक परिणाम है—अनेक अमूल्य ग्रन्थों का प्रयोग न किया जाना और उनका विनाश। इस बात का भय है कि यदि सरकार ने शीघ्र ही सहायता प्रदान न की तो ग्रन्थों और उनकी व्याख्या करने वाले व्यक्तियों के अभाव में शिक्षा का पुनरुद्धार असम्भव हो जायगा।”²

१८१३ का आज्ञा-पत्र

इन दोनों नीतियों के प्रतिपादकों ने भारतीय शिक्षा के प्रश्न को विवादास्पद बना दिया। परिणामतः जब १८१३ में कम्पनी का आज्ञा-पत्र पुनर्साधन के लिये पार्लियामेन्ट में आया, तब गम्भीर विचार-विमर्श के पश्चात् उसमें दो नवीन धाराएँ जोड़कर दोनों दलों को सन्तुष्ट करने का प्रयास किया गया। प्रथम धारा के अनुसार मिशनरियों को भारत में धर्म-प्रचार की स्वतन्त्रता दे दी गई। दूसरी धारा में शिक्षा को कम्पनी का कर्तव्य बताया गया और कहा गया कि प्रति वर्ष कम-से-कम एक लाख रुपये भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान एवं विज्ञानों के प्रसार में व्यय किया जाय। इस धारा ने भारत में 'राज्य-शिक्षा-प्रणाली' का सूत्रपात किया। शिक्षा के क्षेत्र में मिशनरियों के प्रयासों को देखकर कुछ भारतवासियों के हृदय में प्रतिस्पर्धा की भावना जाग्रत हुई और उन्होंने भी शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित कीं। इस प्रकार राजकीय प्रयत्न के माध्यम-मार्ग व्यक्तिगत रूप में भी चिन्तनों का निर्माण प्रारम्भ हुआ और देश में अर्वाचीन भारतीय शिक्षा का शिलान्याय हुआ।

सारांश

कम्पनी की प्रारम्भिक नीति—प्रारम्भ मे कम्पनी का उद्देश्य—व्यापार और धर्म-प्रचार करना था। धर्म-प्रचार-कार्य के लिए १६१४ से भारतवासियों को प्रशिक्षित करना प्रारम्भ किया गया। १६५६ के प्रेषित-पत्र मे कम्पनी के संचालको ने भारतवासियों को ईसाई-धर्म मे दीक्षित करने की इच्छा व्यक्त की। १६६८ के आज्ञा-पत्र में किलो, नगर-रक्षक सेनाओं और बड़े कारखानो मे विद्यालय खोलने का आदेश दिया गया।

दान-आश्रित विद्यालय—१६६८ के आज्ञा-पत्र के अनुसार मद्रास और बम्बई मे दान-आश्रित विद्यालय खोले गये। मद्रास मे १६७३ मे प्रथम माध्यमिक विद्यालय खोला जा चुका था। १७१५ मे 'सेन्ट मेरीज चेरिटी स्कूल' यूरोपियन बच्चो की शिक्षा के लिए स्थापित किया गया। १७१७ मे भारतीय बच्चो के लिए कडलौर मे 'एंग्लो-वर्नाक्युलर स्कूल' का निर्माण हुआ। 'सण्डे-स्कूल' १८१२ मे प्रारम्भ हुआ। बम्बई में प्रथम दान-आश्रित विद्यालय १७१६ मे स्थापित हुआ।

कम्पनी की शिक्षा-नीति (१७६५-१८१३)—१७६५ के बाद जब कम्पनी को राजनैतिक शक्ति प्राप्त हुई, तब उसकी शिक्षा-नीति मे परिवर्तन होना प्रारम्भ हुआ। १७८० मे 'कलकत्ता मदरसा' और १७६१ मे 'बनारस-संस्कृत कॉलेज' का निर्माण करके कम्पनी ने मुसलमानो और हिन्दुओ को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। कम्पनी के तरुण कर्मचारियों को शिक्षा देने के लिए १८०० मे 'फोर्ट विलियम कॉलेज' का शिलान्यास हुआ।

व्यक्तिगत शिक्षा-कार्य—१७८७ मे श्रीमती कैम्पवेल ने मद्रास मे 'महिला-आश्रम' और एन्ड्र्यू वेल ने ऐसा ही आश्रम बालको के लिए एगमोर मे स्थापित किया, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए कलकत्ता मे बालको और वातिकाओं के लिए स्कूल खोले गये।

मिशनरियों के कार्य—सीरामपुर के वेन्टिस्ट मिशनरियों ने सीरामपुर, कलकत्ता आदि मे १८१७ तक ११५ विद्यालयों का प्रबन्ध किया। केरे, वार्ड और मार्शमैन ने बड़े उत्साह से धर्म-प्रचार का कार्य किया। उसकी पुस्तिका 'हिन्दुओ और मुसलमानो के नाम सन्देश' ने भारतवासियों मे उत्तेजना फैला दी। अतः कम्पनी ने मिशनरियों के विरुद्ध दमन-नीति अपनायी। इङ्ग्लैण्ड मे इस नीति की कटु आलोचना हुई।

चार्ल्स ग्रांट—ग्रांट ने अपने 'आब्जरवेशन्स' मे भारतवासियों की अनैतिकता का वर्णन किया। उसने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देकर और धर्म-प्रचार के द्वारा उनके नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने का सुभाव रखा।

भारतीय शिक्षा मे प्राच्यवादी नीति—भारत मे कम्पनी के कुछ पदाधिकारी भारतीय शिक्षा मे प्राच्यवादी नीति के समर्थक थे। लार्ड मिन्टो ने इस देश के साहित्य एवं विज्ञान के पुनरुद्धार के लिये कम्पनी के संचालको से प्रार्थना की।

भारतीय शिक्षा में प्राच्यवादी नीति

जिस समय इंग्लैण्ड में यह शिक्षा का माध्यम अग्रजी हो और भारत में कम्पनी के कुछ पदाधिकारियों को भारतीय पद्धति द्वारा हस्तक्षेप न किया जाय। कलकत्ता करके वे शिक्षा में प्राच्यवादी नीति पर बल दे रहे थे कि इस प्रकार शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित विचारधाराएँ कार्य कर रही थी।

भारत में कम्पनी का सब विज्ञान का प्रशसक तथा प्राच्यवा अपने विवरण पत्र (Minute) में करके कम्पनी के सचालका को प्रामाणिक विज्ञान और साहित्य का उत्तम काम हो गई है अपितु उनके ज्ञान स्थिति का तात्कालिक परिणाम और उनका विनाश। इस बात प्रदान न की तो ग्रन्थों और उनका पुनरुद्धार असम्भव हो जायगा

१८

इन दोनों नीतियों का प्रतिफल देना दिया। परिणामतः जब १८ पार्लियामेंट में आया, तब गम्भीर जोड़कर दाना दाना का सन्तुष्ट करके मिशनरियाँ को भारत में घम प्रचार का कम्पनी का कर्तव्य बताया गया। तब से ही भारतीय साहित्य का पुनरुद्धार जाय। इस धारा ने भारत में राज्य शिक्षा में मिशनरियों का प्रयास को देखकर कुछ की भावना जाग्रत हुई और उन्होंने भी शिक्षा-राज्य का प्रयत्न व गाय-भाष्य व्यक्तिगत रूप में न हुआ और देश में अर्वाचान भारतीय शिक्षा का गिलाया।



शिक्षा की अनिश्चित नीति (१८१३-१८३३)

प्रस्तावना

१८१३ के आज़ा-पत्र के अनुसार शिक्षा का भार कम्पनी पर आ गया था और भारतीय साहित्य एवं विज्ञानों के प्रसार के लिए एक लाख रुपये की धन-राशि निश्चित कर दी गई थी। परन्तु आज़ा-पत्र में इस धन को व्यय करने की विधि का स्पष्टीकरण नहीं किया गया था; परिणामतः शिक्षा के प्रश्न पर विवाद उठ खड़ा हुआ।

विवाद के विषय

विवाद मुख्यतः निम्नलिखित विषयों पर था :—

१. उद्देश्य (Aim)— जन-साधारण के लिए प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय अथवा थोड़े में व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा की।
२. लक्ष्य (Object)— प्राच्य ज्ञान का संरक्षण और विकास किया जाय अथवा पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों को प्रारम्भ करके उनकी उन्नति की जाय।
३. साधन (Agency)— शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर रखा जाय अथवा उसे व्यक्तिगत प्रयामों पर छोड़ दिया जाय।
४. माध्यम (Medium)— 'शिक्षा' संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं द्वारा दी जाय अथवा देगी भाषाओं द्वारा या अंग्रेज़ी द्वारा।

१८१३ का आज्ञा-पत्र—१८१३ के आज्ञा-पत्र के अनुसार मिशनरियों को भारत में धर्म-प्रचार की स्वतन्त्रता दे दी गई, और भारतीय साहित्य एवं विज्ञानों के पुनरुत्थान के लिए प्रति वर्ष एक लाख रुपया व्यय किये जाने का निर्देश हुआ। इसी धारा ने अर्वाचीन भारतीय शिक्षा का शिलान्यास किया।

TEST QUESTIONS

1. Give a brief account of the proselytizing and educational activities of the East India Company from 1600 to 1765.
१६०० से १७६५ तक ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के शिक्षा एवं धर्म-प्रचार के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
2. Discuss briefly the educational policy of the East India Company between 1765 and 1813.
१७६५ से १८१३ तक ईस्ट-इण्डिया कम्पनी की शिक्षा-नीति का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
3. "Charles Grant is described as the father of modern education in India." How far do you agree with this statement?
"चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है।" आप इस कथन से कहीं तक सहमत हैं?
4. "The Charter Act of 1813 forms a turning point in the history of Indian education." Discuss.
"१८१३ का आज्ञा-पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में परिवर्तन-बिन्दु माना जाता है।" विवेचना कीजिए।



शिक्षा की अनिश्चित नीति (१८१३-१८३३)

प्रस्तावना

१८१३ के आज्ञा-पत्र के अनुसार शिक्षा का भार कम्पनी पर आ गया था और भारतीय साहित्य एवं विज्ञानों के प्रसार के लिए एक लाख रुपये की धन-राशि निश्चित कर दी गई थी। परन्तु आज्ञा-पत्र में इस धन को व्यय करने की विधि का स्पष्टीकरण नहीं किया गया था, परिणामतः शिक्षा के प्रश्न पर विवाद उठ खड़ा हुआ।

विवाद के विषय

विवाद मुख्यतः निम्नलिखित विषयों पर था—

१. उद्देश्य (Aim)— जन-साधारण के लिए प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय अथवा थोड़े से व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा की।
२. लक्ष्य (Object)— प्राच्य ज्ञान का संरक्षण और विकास किया जाय अथवा पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों को प्रारम्भ करके उनकी उन्नति की जाय।
३. साधन (Agency)— शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर रखा जाय अथवा उसे व्यक्तिगत प्रयत्नों पर छोड़ दिया जाय।
४. माध्यम (Medium)— 'शिक्षा' संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं द्वारा दी जाय अथवा देवी भाषाओं द्वारा या अंग्रेजी द्वारा।

इन प्रश्नों को लेकर देश में तीन दल बन गये :—

१. एक दल का कहना था कि संस्कृत, फारसी और अरबी को शिक्षा का माध्यम बनाकर पाश्चात्य विद्वानों और विचारों का भारत में प्रसार किया जाय। इसके समर्थकों में हेस्टिंग्स और मिंटो की शिक्षा-नीति के अनुगामी थे। इनका जोर मुख्य रूप से बंगाल में था।
२. कुछ लोगों का मत था कि देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय। इनमें मद्रास का गवर्नर, मुंबरो और बम्बई का गवर्नर, एल्फिंस्टन प्रमुख थे।
३. कम्पनी के नवयुवक अधिकारी एवं मिशनरी इस विचार के थे कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार किया जाय।

यहाँ यह लिख देना अनुपयुक्त न होगा कि इन दलों में केवल कम्पनी के ही कर्मचारी थे। भारतवासियों के मत का उस समय कोई मूल्य नहीं था।

संचालकों का शिक्षा-आदेश

उपर्युक्त विवाद का अन्त करने के अभिप्राय से कम्पनी के संचालकों ने ३ जून, १८१४ को अपना प्रथम शिक्षा-आदेश जारी किया। १८१३ के आज्ञा-पत्र की शिक्षा-सम्बन्धी धारा का उल्लेख करते हुए संचालकों ने लिखा—“यह धारा दो विभिन्न समस्याएँ विचारार्थ उपस्थित करती है। प्रथम—भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन एवं साहित्य का पुनरुत्थान तथा प्रगति, द्वितीय—भारतीयों में विज्ञानों का प्रचार तथा उन्नति।”¹ परन्तु इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संचालकों ने अंग्रेजी ढंग के विद्यालयों की स्थापना का विरोध किया तथा प्राच्य शिक्षा-प्रणाली पर बल दिया। संचालकों ने लिखा.—“हम समझते हैं कि हम जिस विधि से विद्वान् हिन्दुओं को इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने समान विचारों का बना सकते हैं, वह यह है कि उन्हें अपनी चिरकालीन परम्परा द्वारा शिक्षा प्राप्त करने दिया जाय और अपनी योग्यताओं को विकसित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाय तथा इस प्रकार के प्रोत्साहन के लिए उन्हें सम्मान-सूचक उपाधियाँ और समय-समय पर आधिक सहायता दी जाय।”²

भारतीय शिक्षा-प्रणाली और साहित्य की सराहना करते हुए संचालकों ने लिखा :—“हमें विदित हुआ है कि संस्कृत भाषा में आचार-शास्त्र एवं कानून के अनेक उत्तम ग्रन्थ हैं, जिनका अध्ययन उन भारतवासियों के लिए लाभप्रद हो सकता है; जिन्हें सरकारी न्याय-विभाग में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। ज्योतिष तथा

1. Sharp : *op. cit.*, pp. 23-34.

2. *Ibid.*

गणित के भी उत्तम ग्रन्थ है, जिनमें ज्यामिति और बीजगणित सम्मिलित है। इनसे यूरोपीय विज्ञानों की भले ही वृद्धि न हो, पर ये भारतवासियों एवं हमारे उन कर्मचारियों में सम्पर्क स्थापित करेंगे जो हमारी वेधशाला तथा इंजीनियरी-विभाग में कार्य करते हैं। हमारा निश्चय है कि उन कर्मचारियों को—जो संस्कृत भाषा का अध्ययन करना चाहते हैं, उचित प्रोत्साहन दिया जाय।”¹

साराश में, अपने शिक्षा-आदेश में कम्पनी के संचालकों ने केवल हिन्दू शिक्षा-व्यवस्था को प्रोत्साहित करने का विचार व्यक्त किया। उन्होंने अंग्रेजी और मुस्लिम शिक्षा का कहीं उल्लेख भी नहीं किया। वस्तुतः इस आदेश-पत्र को लिखते समय उन्होंने अपने राजनैतिक हितों का ही ध्यान रखा। वे भारतीय विद्वानों को सम्मान-सूचक उपाधियाँ, थोड़ी-सी आर्थिक सहायता और भारतीयों से घनिष्ठता बढ़ाने के लिए अपने कर्मचारियों को संस्कृत के अध्ययन के लिए प्रोत्साहन देने से अधिक कुछ नहीं करना चाहते थे। उनकी इस नीति से भारतीय शिक्षा में प्रगति की आशा करना व्यर्थ था। “इस आदेश-पत्र से अधिक निराशाजनक लेख की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।”²

कम्पनी के उच्च अधिकारियों का मत

भाग्यवश कम्पनी के उच्च अधिकारी, संचालकों के विचारों से सहमत नहीं हुए। उनका दृढ़ विश्वास था कि भारतीयों को शिक्षित करना इंग्लैंड का कर्तव्य है। उदाहरणार्थ—भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल लार्ड हेस्टिंग्स (Marquess of Hastings) ने २ अक्टूबर, १८१५ के अपने विवरण-पत्र में प्रस्ताव किया कि एक लाख रुपए की धन-राशि को विद्यालयों के पुनरुद्धार एवं नवनिर्माण में व्यय करके शिक्षा को जन-साधारण के लिए सुलभ बनाया जाय। हेस्टिंग्स ने लिखा:—“अंग्रेजों के लिए यह श्रेय की बात होगी कि यह लाभदायक क्रान्ति उनके शासन-काल में हो। भारत की विशाल जनसंख्या के लिए शिक्षा के वरदानों का माधन होना एक ऐसी महत्वाकांक्षा है, जो हमारे देश की शोभा देती है।”³ लार्ड हेस्टिंग्स का दृढ़ विश्वास था कि भारतीय जनता को शिक्षित करके ही कम्पनी के प्रायुक्त मन्त्र दान्य वा मकता है। शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए उसने प्रस्ताव दिया कि प्रत्येक जिले में दो स्कूल होने चाहिए—एक हि दुओं, और एक मुसलमानों के लिए।

सर चार्ल्स मेटकॉफ (Sir Charles Metcalfe) के भारतीय शिक्षा-सम्बन्धी विचार और भी अधिक उदार थे। ४ अक्टूबर, १८३२ की अपनी दिल्ली प्रवचन की

1. Sharp : *op. cit.*, pp. 22-24

2. “A more disappointing document than this can be imagined.”—Nurullah and Khan : *A History of India*, p. 88.

3. Sharp : *op. cit.*, pp. 22-24.

‘राजस्व विज्ञप्ति’ में भेटकॉफ न लिखा — “भारतवासियों को शिक्षा देने के विरुद्ध तर्क दिये गये हैं, पर ऐसे तर्कों पर ध्यान देना एक उदार सरकार के लिए महान् अयोग्यता की बात होगी। यदि हम अपने इस कर्तव्य को करेंगे, तो भविष्य में चाहे जो भी परिवर्तन हो, हम समस्त युग में भारतवासियों की कृतज्ञता प्राप्त होगी। परन्तु यदि हम अपने स्वार्थ एवं भावी सकटा के भय से अपनी प्रजा को अछड़ी बाता से वंचित रखेंगे, तो हम अपना राज्य बनाय रखने का कोई अधिकार नहीं होगा।”¹

तत्कालीन इङ्ग्लैण्ड की सामाजिक दशा का प्रभाव

१९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इङ्ग्लैण्ड की सामाजिक दशा में भ्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे थे, जैसे—दण्ड विधान में सुधार, दास-व्यापार का अन्त, प्रौढ शिक्षा को प्रोत्साहन और लन्दन विश्वविद्यालय का शिलान्यास। इस सुधारवादी भावना से भारत भी अछूता न बचा। कम्पनी के कर्मचारी एवं सचालक अपने शिक्षा कर्तव्य के प्रति जागरूक हो गए, और १८२३ के उपरान्त विभिन्न प्रान्ता में राजकीय शिक्षा प्रयास दृष्टिगोचर होने लगे।

राजकीय शिक्षा-प्रयास (१८१३-१८३३)

बंगाल

गवर्नर जनरल के १७ जुलाई, १८२३ के प्रस्तावानुसार—‘जनता को अधिक उत्तम शिक्षा देने, उसमें लाभप्रद ज्ञान का प्रसार करने एवं उसकी नैतिकता का उत्थान करने के लिए’² एक ‘लोक शिक्षा-समिति (General Committee of Public Instruction) का निर्माण हुआ। एक लाख रुपये की धन राशि को व्यय करने का अधिकार भी इस समिति को दे दिया गया। समिति में १० सदस्य थे। इनमें से अधिकांश प्राच्य-साहित्य के महान् प्रशंसक थे। इनमें एच० एच० विल्सन (H. H. Wilson) और एच० टी० प्रिन्सेप (H. T. Prinsep) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। १८३३ तक इस समिति ने निम्नलिखित शिक्षा-कार्य किये —

- १ कलकत्ता मद्रास एवं बनारस संस्कृत कॉलेज का पुनर्गठन किया।
- २ १८२४ में प्राच्य शिक्षा के लिये कलकत्ता, आगरा और दिल्ली में कॉलेज स्थापित किये।
- ३ इसी वर्ष कलकत्ता शिक्षा प्रेस का निर्माण किया।
- ४ संस्कृत, अरबी तथा फारसी के ग्रन्थ प्रकाशित किये।
- ५ यूरोप की विज्ञान सम्बन्धी अनेक पुस्तकों का प्राच्य भाषाओं में अनुवाद करा कर प्रकाशित किया।

1 Adam's Reports, p 406

2 Vakil . op. cit , p 55

६. इन पुस्तकों को पाठ्य-क्रम में स्थान दिया ।

७. प्राच्य भाषाओं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी ।

समिति की प्राच्यवादी नीति का भारतवासियों ने स्वागत नहीं किया । उनमें राष्ट्रीय चेतना का आविर्भाव हो चुका था । अपनी कूपमंडूकता का अन्त करने के लिये वे पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता समझ चुके थे । बंगाल में राजा राममोहन राय अंग्रेजी-शिक्षा-प्रसार के लिये आन्दोलन कर रहे थे । ११ दिसम्बर, १८२३ को उन्होंने गवर्नर जनरल, लार्ड एम्हर्स्ट (Amherst) को एक प्रार्थना-पत्र भेजा । इसमें उन्होंने कलकत्ता में प्रस्तावित संस्कृत कॉलेज की स्थापना का विरोध किया, और लिखा कि सरकार एक अधिक उदार एवं बुद्धिमत्तापूर्ण शिक्षा-मदति को प्रोत्साहित करे, जिसमें गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र, विज्ञान एवं अन्य लाभदायक विषय सम्मिलित हों । राजा राममोहन राय की प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर संस्कृत कॉलेज की योजना पूर्ण कर दी गई ।

कम्पनी के सचालको से भी समिति की प्राच्यवादी नीति को समर्थन नहीं मिला । १८ फरवरी, १८२४ के अपने आदेश-पत्र में उन्होंने लिखा कि समिति हिन्दू या मुस्लिम साहित्य की शिक्षा देने के लिये संस्थाएँ स्थापित करके, उस साहित्य की शिक्षा देना चाहती है, जिनका अधिकांश भाग निरर्थक है । उन्होंने समिति के कार्य पर प्रतिबन्ध लगा दिया और आदेश दिया कि प्राच्य ज्ञान के स्थान पर पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान का प्रसार किया जाय । परिणामस्वरूप, समिति ने कलकत्ता मदनरासा, कलकत्ता संस्कृत कॉलेज, बनारस संस्कृत कॉलेज एवं आगरा कॉलेज में अंग्रेजी कक्षाओं का प्रबन्ध कर दिया और दिल्ली तथा बनारस में जिला अंग्रेजी स्कूलों का निर्माण कराया, किन्तु इससे जनता की माँग पूर्ण न हुई ।

बम्बई

१८१८ में अन्तिम पेशवा की पराजय के उपरान्त बम्बई प्रेसीडेंसी बनी, और १८१९ में एल्फिस्टन वहाँ का गवर्नर नियुक्त हुआ । उसने पेशवा के ५ लाख रुपये के वार्षिक दक्षिणा फण्ड से १८२१ में पूना संस्कृत कॉलेज का निर्माण किया । दक्षिण के प्रभावशाली ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिये यह एक चतुर राजनैतिक युक्ति थी । १८२३ तक शिक्षा की दिशा में अन्य कोई कार्य नहीं किया गया । उस वर्ष 'बम्बई-भारतीय-शिक्षा-समिति' (Bombay Native Education Society) ने सरकार से शिक्षा-अनुदान की प्रार्थना की । फलतः १३ दिसम्बर, १८२३ को एल्फिस्टन ने अपना प्रसिद्ध शिक्षा-पत्र^१ लिखा, जिसमें उसने शिक्षा-प्रसार के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये :—

१. "भारतीय विद्यालयों में शिक्षण-विधि का सुधार एवं विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करना;

२. विद्यालयों के लिये पाठ्य-पुस्तकों का प्रवन्ध करना;
३. निम्न वर्ग के भारतीयों की शिक्षा से लाभ उठाने के लिये प्रोत्साहित करना,
४. यूरोपीय विज्ञानों एवं उच्च शिक्षा की शाखाओं की उन्नति करने के लिये विद्यालय स्थापित करना,
५. भारतीय भाषाओं में नैतिक तथा भौतिक विज्ञान की पुस्तकें लिखवाने तथा प्रकाशित करवाने का प्रवन्ध करना,
६. ऐसे लोगों को अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने के लिये विद्यालय स्थापित करना, जो उसके उच्च अध्ययन एवं यूरोपीय अनुसन्धानों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये उसे साधन बनाने के इच्छुक हैं; एवं
७. ज्ञान की अन्तिम शाखाओं का अध्ययन करने के लिये भारतीयों को प्रोत्साहित करना।”

इस प्रकार एल्फिस्टन जनसाधारण की शिक्षा के पक्ष में था। परन्तु उसने इस कार्य के लिये राजकीय एवं व्यक्तिगत प्रयासों में सहयोग की आवश्यकता बताई, क्योंकि केवल सरकार इस महान् उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में असमर्थ थी। जन-शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये उसने दो सुझाव दिये—(१) सरकार द्वारा विद्यालयों का निर्माण, एवं (२) शिक्षा-समितियों को अनुदान। फलतः ‘शिक्षा-अनुदान प्रणाली’ (Grant-in-aid System) प्रारम्भ हुई और शिक्षा पर सरकार का नियन्त्रण स्थापित हो गया।

एल्फिस्टन के विवरण-पत्र का उसकी कौंसिल के सदस्य, वार्डन (Warden) ने घोर विरोध किया। २३ दिसम्बर, १८२३ के अपने विवरण-पत्र में उसने लिखा कि जन-साधारण को भारतीय भाषाओं द्वारा शिक्षा देने की अपेक्षा उच्च वर्ग के कुछ व्यक्तियों को अंग्रेजी भाषा द्वारा शिक्षित करना अधिक उत्तम होगा। वार्डन के इस विरोध के फलस्वरूप कुछ समय बाद ‘एंग्लो-वर्नाक्यूलर विवाद’ (Anglo-Vernacular Controversy) प्रारम्भ हो गया। कम्पनी के संचालकों ने भी एल्फिस्टन के सब प्रस्तावों को मान्यता नहीं दी। केवल ‘बम्बई-भारतीय शिक्षा-समिति’ को ६०० रुपये मासिक का अनुदान दिया गया, और उसे बम्बई प्रान्त में शिक्षा का संगठन करने के लिये सरकारी संस्था मान लिया गया। इस कूटनीति को अपना कर कम्पनी ने शिक्षा का भार अपने ऊपर न आने दिया और १८३३ तक स्वयं शिक्षा के लिए कुछ न किया।

मद्रास

मुनरो द्वारा मद्रास प्रान्त में शिक्षा की जाँच का वर्णन अध्याय ४ में किया जा चुका है। इस जाँच से उसने यह निष्कर्ष निकाला था कि शिक्षा की अव्यवस्था के

कारण थे—शिक्षकों की अयोग्यता, व्यक्तियों की निर्धनता एवं सरकार की अवहेलना । इन कारणों को दूर करने के लिए उसने १० मई, १८२६ के अपने विवरण-पत्र में प्रस्ताव किया कि प्रान्त के २० जिलों में उच्च कोटि के दो-दो स्कूल—एक हिन्दुओं और एक मुसलमानों के लिए—अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए, ३०० तहसीलों में एक-एक बर्नाक्विलर स्कूल एवं शिक्षकों की शिक्षा के लिए एक प्रशिक्षण-स्कूल खोला जाय । उसने शिक्षकों को अधिक वेतन देने एवं पाठ्य-पुस्तकें छापे जाने को सिफारिश की । अपनी इस शिक्षा-योजना को कार्यान्वित करने के लिए उसने कम्पनी के संचालकों से ४८ हजार रुपये की वार्षिक सहायता माँगी । १८२८ में संचालकों ने अपनी स्वीकृति दे दी, पर मद्रास का दुर्भाग्य था कि १८२७ में मुनरो की मृत्यु हो चुकी थी ।

इस योजना को पूर्ण करने का भार 'लोक-शिक्षा-समिति' पर पड़ा, जिसका निर्माण १८२६ में हो चुका था । इसके सदस्यों में मुनरो की कल्पना एवं सद्भावना का जभाव था । फलतः योजना की प्रगति निराशाजनक रही । शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मद्रास में एक नार्मल स्कूल तो खुल गया, पर १८३० तक केवल ६१ तहसीली स्कूल एवं ९ जिला स्कूल स्थापित हुए ।^१ इन्हें भी शिक्षकों के अल्प वेतन तथा उचित निरीक्षण न होने के कारण पर्याप्त सफलता न मिली ।

मुनरो की शिक्षा-योजना को कुछ पादचात्य लेखकों ने दोषपूर्ण बताया है । हेम्पटन के अनुसार मुनरो जन-शिक्षा को संगठित करने के कार्य की विशालता को नहीं समझ सका एवं जो धन उसने संचालकों से माँगा, वह पूर्णतया अपर्याप्त था ।^२ आरवथनॉट का मत था कि मुनरो की "योजना का उद्देश्य—सार रूप में दोषपूर्ण था और असफलता अवश्यम्भावी थी ।"^३ यदि इन दोषों को स्वीकार कर लिया जाय, तो भी यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि मुनरो की योजना में प्रतिपादित विचार उस युग के न होकर बहुत आगे के थे । जिस अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने इस योजना की रूपरेखा बनाई थी, वह अति महान् था और आज भी वह मुनरो को गौरवान्वित कर रहा है । "हमें भारत पर अपना शासन अल्प-काल के लिए न समझ कर उस समय तक के लिए स्थायी समझना चाहिये, जब तक कि भारतवासी भविष्य में अपने अन्धविश्वासों एवं पूर्व द्वेषों का परित्याग न कर दें, तथा अपने लिए व्यवस्थित सरकार के संगठन, संचालन तथा संरक्षण के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षित न हो जायें । जब कभी ऐसा समय आए, तब दोनों देशों के लिये

1. J. M. Sen . *op cit.*, p. 99.

2. H. V. Hampton : *Biographical Studies in Modern Indian Education*, p. 142.

3. Alexander Arbuthnot : *Major General Sir Thomas Munro—A Memoir*, p. 154.

सबसे अधिक हितकर यही होगा कि भारत पर से ब्रिटिश सत्ता को धीरे-धीरे हटा लिया जाय।”¹

धन एवं राजसत्ता के मद से उन्मत्त व्यापारियों का ऐसी शिक्षा से क्या प्रयोजन हो सकता था, जिससे भारत की सोने की चिड़िया उनके हाथ से निकल जाय। शिक्षा तो वे केवल इसलिये देना चाहते थे, जिसमें कि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाय, जो उनके शोषण-कार्य में उन्हें सहायता दे सके। इसके लिये उच्च वर्ग ही उपयुक्त था। बंगाल में उन्हीं की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया था। वैसे ही मद्रास में होना आवश्यक था। परिणामतः अभी मुनरो की योजना पूर्ण रूप से कार्यान्वित भी न हो पाई थी कि संचालको ने २६ सितम्बर, १८३० के अपने आदेश-पत्र में लिख भेजा कि मद्रास में प्राथमिक शिक्षा का कार्य पर्याप्त हो गया है, जबकि उच्च शिक्षा के लिये किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं किया गया है। अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मद्रास की सरकार अपनी शिक्षा-नीति में परिवर्तन करे। इस आदेश-पत्र ने मद्रास में जन-शिक्षा की प्रगति पर रोक लगा दी।

कम्पनी की शिक्षा-नीति की समीक्षा

१८१३ के आज्ञा-पत्र के फलस्वरूप विवादों के उठ खड़े होने से इस काल में भारतीयों को शिक्षित करने के लिये किसी निश्चित नीति का अनुसरण नहीं किया गया। एल्फिस्टन और मुनरो, भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति, हेस्टिग्स और मिंटो के समर्थक तथा बंगाल की 'लोक-शिक्षा-समिति' अरबी, फारसी और संस्कृत के प्रोत्साहन, एवं वार्डन—अंग्रेजी भाषा द्वारा उच्च वर्गों की शिक्षा के पक्ष में था। कम्पनी के संचालको की शिक्षा-नीति में भी समय-समय पर परिवर्तन होता रहा। १८१४ में उन्होंने प्राच्य शिक्षा-प्रणाली एवं संस्कृत के अध्ययन पर बल दिया; १८२४ में पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान के प्रसार का प्रस्ताव किया; १८२८ में मुनरो की भारतीय भाषाओं द्वारा जन-शिक्षा की योजना स्वीकार की, और १८३० में इस कार्य पर अकुश लगा दिया। यदि वे अपनी शिक्षा-नीति का स्पष्टीकरण कर देते, तो कम्पनी के अधिकारियों का मतभेद समाप्त हो जाता और शिक्षा की प्रगति के लिये ठोस कदम उठाना सम्भव हो जाता। परन्तु इसका दोषारोपण संचालको पर करना उचित न होगा। वस्तुतः अपने कर्मचारियों की प्रत्येक शिक्षा-नीति का समर्थन एवं खंडन करके, वे 'प्रयत्न एवं भूल' (Trial & Error) की साधारण विधि का प्रयोग कर रहे थे, जिससे कि वे अन्त में एक उचित शिक्षा-नीति का प्रतिपादन कर सकें।

मिशनरी शिक्षा-प्रयास (१८१३-३३)

१८१३ के आज्ञा-पत्र ने मिशनरियों को भारत में धर्म-प्रचार की स्वतन्त्रता

दे दी थी। फलतः थोड़े ही समय में प्रायः सम्पूर्ण देश में मिशनरियों का जाल बिछ गया। उनका प्रमुख उद्देश्य—अपने धर्म का प्रचार करना एवं भारतवासियों को अपने धर्म में दीक्षित करना था। शिक्षा को साधन बनाकर वे भारतीयों से सम्पर्क स्थापित कर सकते थे। उन्हें अपने धर्म-प्रचार-कार्य के लिये शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता भी थी। अतः मिशनरियों के लिये शिक्षा का प्रवन्ध करना आवश्यक हो गया। प्रारम्भ में उन्होंने देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया और इन भाषाओं में पाठ्य-ग्रन्थों, शब्द-कोशों, व्याकरणों आदि की रचना की। उनके इस कार्य ने भारत में शिक्षा-प्रसार में महान् योग दिया। उनके द्वारा विभिन्न प्रान्तों में किये गये शिक्षा-कार्य पर नीचे प्रकाश डाला जा रहा है।—

बंगाल

हम अध्याय ६ में सीरामपुर में वेस्टिस्ट मिशनरियों के कार्य का वर्णन कर चुके हैं। इन मिशनरियों ने १८१७ में 'सीरामपुर कॉलेज' का शिलान्यास किया। इनका प्रत्यक्ष उद्देश्य—भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान की शिक्षा देना था, पर वास्तव में इसमें भारतीय तथा एंग्लो-इण्डियन युवकों को धर्म-प्रचार की दीक्षा दी जाती थी। १८१८ में 'समाचार-दर्पण' नामक बंगला भाषा का प्रथम समाचार-पत्र प्रकाशित किया गया।

बंगाल में 'लन्दन मिशनरी सोसायटी' एवं 'चर्च मिशनरी सोसायटी' भी कार्य कर रही थी। प्रथम ने १८१४ से १८१८ तक चिन्मुरा और उसके समीपवर्ती प्रदेश में ३६ स्कूल खोले, जिनमें ३,००० बच्चे पढ़ते थे। द्वितीय ने बर्दयान और उसके आस-पास १० वर्नाकुलर स्कूल खोले, जिनमें १,००० बच्चे पढ़ते थे। बरहमपुर और भवानीपुर में स्कूलों का निर्माण हुआ। इन दोनों सोसायटियों ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी १८२४ तक २७ स्कूल खोले, जिनमें लगभग ५०० लड़कियाँ पढ़ती थीं। १८२० में शिवपुर में 'बिशप-कॉलेज' (Bishop's College) का निर्माण हुआ।

१८३० में अलेक्जेंडर डफ (Alexander Duff) नामक स्कॉटलैण्ड के एक २४ वर्षीय तरुण मिशनरी के बंगाल आने से वहाँ के धर्म-प्रचारकों के कार्य को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। वह कहता था कि भारतवासियों को केवल 'पश्चिम और विशेष रूप से वाइविल' की कृपा से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उसने १८३६ में कलकत्ता में 'स्काटिश चर्च कॉलेज' स्थापित किया, जिसमें अंग्रेजों के माध्यम द्वारा पाश्चात्य शिक्षा दी जाती थी तथा वाइविल का पढ़ना अनिवार्य था।

बम्बई

बंगाल की अपेक्षा बम्बई में मिशनरियों का शिक्षा-कार्य कम व्यापक था। अमेरिकन मिशन ने १८१५ में बम्बई में लड़कों के लिये एक स्कूल एवं १८२

से १८२६ तक लडकिया के लिये ६ स्कूल, तथा १८३१ में अहमदनगर में लडकिया के लिये २ स्कूल खोले।¹ डा० विल्सन (Wilson) ने १८२६ में बम्बई में लडकिया के लिये ६ स्कूल एवं १८३२ में लडका के लिये एक स्कूल स्थापित किया। 'आयरिश प्रेस्विटेरियन मिशनरी सोसायटी' ने काठियावाड़ में अंग्रेजी एवं बर्निकूलर स्कूला का निर्माण किया। 'चर्च मिशनरी सोसायटी' ने बम्बई, आना, वेसीन एवं नासिक में लडकों एवं लडकियों के लिये स्कूल खोले।

मद्रास

१८१७ में हो (Hough) ने इङ्ग्लैण्ड की 'धर्म-प्रचारक-समिति' की सहायता से मद्रास में ६ स्कूल खोले। 'वेसलियन मिशन' ने १८१६ एवं १८२३ में मद्रास तथा नागापट्टम में दो-दो स्कूला की स्थापना की। 'चर्च मिशनरी-सोसायटी' ने मद्रास प्रान्त में १०७ स्कूलों का प्रबन्ध किया, जिनमें २,८८२ विद्यार्थी पढते थे। इसके अतिरिक्त, मिशनरियों ने तिरावेली, कुम्भकोणम, चित्तूर, सलम, कोयम्बटूर, विशाखापट्टम, कडपा एवं विल्लारी में भी स्कूल खोले।

अन्य स्थान

मिशनरी सोसायटियों ने १८२३ तक अजमेर में ४ स्कूल 'लकास्ट्रियन प्रणाली' (Lancastrian System) पर खोले। इसी प्रकार मिशनरियों ने आगरा, मेरठ, बनारस, आजमगढ़, जौनपुर, बर्दवान, मथुरा, लुधियाना आदि स्थानों में भी स्कूला का निर्माण किया।

मिशनरियों का शिक्षा-कार्य : एक टिप्पणी

१८१३ से १८३३ तक मिशनरियों ने अनेक शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित कीं जिनमें अधिकांश सख्या प्राथमिक स्कूलों की थी। इन स्कूलों की विशेषताएँ निम्न-लिखित थीं —

- १ शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषाएँ थी।
- २ बाइबिल की शिक्षा अनिवार्य थी।
३. पाठ्य क्रम विस्तृत था एवं उसमें व्याकरण, इतिहास तथा भूगोल सम्मिलित थे। पाठ्य-पुस्तकें छपी हुई थी।
- ४ स्कूल नियमित रूप से चलते थे, शिक्षा के घटे नियत थे, एवं रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता था।
- ५ अधिकांश स्कूला में विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को आधुनिक ढंग पर विभिन्न शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती थी।

1 J. A. Richey : *Selections from Educational Records*, Vol II, p 50.

इस प्रकार मिशनरियों ने शिक्षा के संगठन को एक नवीन रूप प्रदान किया। इस देश की शिक्षा-पद्धति पर उसका प्रभाव पड़ा एवं मिशन स्कूलों के समान आधुनिक ढंग के विद्यालयों की स्थापना प्रारम्भ हो गई।

ग़र-मिशनरी शिक्षा-प्रयास (१८१३-३३)

बंगाल

शिक्षा के प्रति मिशनरियों के उत्साह का प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर भी पड़ा। इनमें राजा राममोहन राय, डेविड हेयर (David Hare) एवं सर एडवर्ड ईस्ट (Sir Edward East) उल्लेखनीय हैं।

राजा राममोहन राय अपने युग के प्राच्य भाषाओं के सबसे बड़े ज्ञाताओं में से एक थे, पर उनका विश्वास था कि भारत की प्रगति केवल उदार शिक्षा के द्वारा होगी, जिसमें पाश्चात्य विद्या तथा ज्ञान की सभी शाखाओं के शिक्षण की व्यवस्था हो। वे प्रथम भारतीय थे, जिन्होंने भारत में अंग्रेजी भाषा तथा पश्चिमी विज्ञानों के अध्ययन का समर्थन और आरम्भ किया। नन्दलाल चटर्जी के अनुसार, “राजा राममोहन राय अविनष्ट भूतकाल तथा उदित हुए भविष्य, स्थिर अनुदारता तथा क्रान्तिकारी मुधार, अन्ध-परम्परागत पृथक्ता तथा प्रगतिशील एकता के मध्य मानव-सम्बन्ध स्थापित करने वाले थे।” संक्षेप में, वे प्रतिक्रिया तथा प्रगति के मध्य-बिन्दु और प्राच्य तथा पाश्चात्य संस्कृति में सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करने वाले थे। पाश्चात्य शिक्षा, ज्ञान तथा विज्ञानों को प्रोत्साहित करके भारत में नव-जागरण प्रारम्भ करने का श्रेय उन्हीं को प्राप्त है।

राजा राममोहन राय का मित्र डेविड हेयर कलकत्ता का एक धनी घड़ीसाज था। उसका विश्वास था कि हिन्दू-समाज के पुनरुत्थान के लिये अंग्रेजी भाषा एवं अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान आवश्यक है। इन दोनों मित्रों को अपने स्वप्न को साकार बनाने में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश हाइड ईस्ट से बहुत सहयोग मिला। १४ मार्च, १८१६ को हाइड ईस्ट के निवास-स्थान पर एक सार्वजनिक सभा की गई। इसमें “सम्मानित हिन्दुओं के पुत्रों को अंग्रेजी की उत्तम शिक्षा देने के लिये” एक हिन्दू-कालेज की स्थापना पर विचार-विमर्श हुआ और तत्काल ही लगभग ५० हजार रुपया एकत्र हो गया।

२० जनवरी, १८१७ को इस कॉलेज का शिलान्यास हुआ। पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने के लिये यह प्रथम कालेज था, जिसका किसी धर्म-विशेष से सम्बन्ध नहीं था। इसमें अंग्रेजी, नीतिशास्त्र, व्याकरण, वगला, इतिहास, भूगोल, गणित और ज्योतिष की शिक्षा दी जाती थी। परन्तु पाठ्यक्रम में संस्कृत तथा फारसी को स्थान न देने से विद्यार्थियों में अपनी संस्कृति के प्रति स्वाभाविक घृणा उत्पन्न हो गई तथा प्राच्य एवं पाश्चात्य संस्कृतियों के सम्मिश्रण का अवसर भी नष्ट हो गया।

शिक्षा-प्रसार के लिए अन्य कार्य भी हुए। १८१७ में भारतीयों में प्राथमिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए 'कलकत्ता स्कूल-पुस्तक-समिति' की स्थापना हुई। इस समिति ने १८२१ तक किशोर-साहित्य एवं पाठ्य-पुस्तकों की १,२६,४४६ प्रतियाँ बिना मूल्य या नाममात्र के मूल्य पर वितरित की। १८१६ में 'कलकत्ता स्कूल-समिति' की स्थापना—कलकत्ता एवं उसके समीपवर्ती स्थानों में स्कूलों का निर्माण करने के लिए हुई। १८२१ तक इस समिति ने ११५ प्राइमरी स्कूल स्थापित किये एवं विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों का प्रबन्ध किया।

बम्बई

बम्बई में भी शिक्षा-प्रसार की दिशा में व्यक्तिगत प्रयास किये गये। १८१५ में 'चर्च ऑफ इंग्लैंड' के सदस्यों ने 'बम्बई शिक्षा-समिति' की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य—एंग्लो-इण्डियन एवं यूरोपियन बच्चों को शिक्षा देना था। इस समिति द्वारा स्थापित किये गये स्कूलों में भारतीय बच्चों के वर्जित न होने एवं धार्मिक शिक्षा के वैकल्पिक होने के कारण अनेक हिन्दू, मुसलमान तथा पारसी छात्र उनमें पढ़ने लगे। समिति ने भारतीय बच्चों के लिए भी १८२० तक ४ स्कूल खोले, जिनमें से २ बम्बई में, १ गिरगाँव में, और १ मजगाँव में था। १८२० में एल्फिंस्टन के सभापतित्व में इस समिति ने 'भारतीय शिक्षालय एवं पाठ्य-पुस्तक समिति' का निर्माण किया। १८२२ में इस नवनिर्मित समिति का पृथक् अस्तित्व हो गया, और १८२७ में यह 'बम्बई-भारतीय शिक्षा-समिति' के नाम से कार्य करने लगी। यह समिति प्रान्तीय देशी शिक्षा-व्यवस्था की जाँच करके इस निष्कर्ष पर पहुँची कि उसमें पुस्तकों, उचित शिक्षण-विधियों, शिक्षकों तथा धन का अभाव था। अतः इस समिति ने 'बम्बई-शिक्षा-समिति' से सिफारिश की कि पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशित की जायें तथा ६ बुद्धिमान भारतीयों को मराठी, गुजराती, कन्नड एवं उर्दू भाषाओं में दीक्षित करके स्कूलों के निरीक्षण के लिये नियुक्त किया जाय।

योजना को पूर्ण करने के लिये 'बम्बई शिक्षा-समिति' ने सरकार से आर्थिक सहायता माँगी। इस पर एल्फिंस्टन ने अपना शिक्षा-विवरण-पत्र प्रस्तुत किया। फलस्वरूप 'बम्बई शिक्षा-समिति' को ६०० रुपये मासिक अनुदान दिया गया और पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन का भार सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। सहायता पाकर समिति के शिक्षा-प्रसार-कार्य की गति तीव्र हो गई। १८२६ में उसने कोरुण एवं गुजरात के राजकीय प्राइमरी स्कूल के लिये २४ दीक्षित अध्यापक दिये, बिकित्सा तथा इंजीनियरी की कक्षाएँ खोली; अनेक प्राइमरी स्कूल तथा ४ अंग्रेजी स्कूल—बम्बई, थाना, पलवल एवं पूना में स्थापित किये, तथा १८३३ तक २ लाख रुपये व्यय करके लगभग ५० हजार पुस्तकों का प्रकाशित की।¹

मद्रास

इस प्रान्त में शिक्षा के लिये व्यक्तिगत प्रयास बहुत ही कम हुआ। बंगलौर के जंप्रेजी स्कूल को मैसूर के राजा से ३५० रुपये की वार्षिक सहायता मिलती थी। 'मद्रास-शिक्षालय समिति' को सरकार ६ हजार रुपये वार्षिक अनुदान देती थी। पचयप्पा मुदालियर (Pachayappa Mudaliar) नामक एक धनी हिन्दू ने अपनी मृत्यु के पश्चात् ४ लाख रुपये की सम्पत्ति दान के लिये छोड़ी। इसका उपयोग निधन विद्यार्थियों को अंग्रेजी, विज्ञान, तामिल और तैलगू की निशुल्क शिक्षा देने के लिये मद्रास में १८४२ में एक स्कूल खोलकर किया गया।¹

उत्तर-प्रदेश एवं दिल्ली

उत्तर-प्रदेश एवं दिल्ली के कुछ दानवीर अपने शिक्षा-कार्य के लिए चिर-स्मरणीय रहेंगे। १८१८ में बनारस के एक धनी बंगाली, जयनारायण घोपाल से प्राप्त २२ हजार रुपये से 'जयनारायण स्कूल' खोला गया। इसमें हिन्दू और मुसलमान विद्यार्थियों को अंग्रेजी, फारसी, हिन्दुस्तानी एवं बंगला की शिक्षा दी जाती थी। निधन विद्यार्थियों के लिये निशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियाँ, भोजन तथा वस्त्रों का प्रबन्ध था। १८२५ में जयनारायण घोपाल के पुत्र ने इस स्कूल को ६६ हजार रुपये दान-स्वरूप और दिये। १८२४ में पंडित गङ्गाधर शास्त्री द्वारा दान दी गई डेढ़ लाख रुपये की सम्पत्ति से आगरा के संस्कृत कॉलेज का 'आगरा कॉलेज' के नाम से पुनर्संगठन किया गया। दिल्ली में 'मूमि-कर बोर्ड' के सदस्य डब्ल्यू० फ्रेजर (W. Fraser) ने जमींदारों एवं कृषकों के वक्चों के लिये ४ स्कूल खोले। १८६६ में नवाब इस्लाम-उद-दौला ने दिल्ली कॉलेज को १ लाख ७० हजार रुपये दान दिये।

१८३३ का आज्ञा-पत्र

१८३३ में कम्पनी के आज्ञा-पत्र का पुनः शोधन हुआ। इसमें भारतीया के मुख-समृद्धि की बढ़ाने के लिये एक भी परोपकारी धारा नहीं जोड़ी गई। परन्तु १ लाख रुपये की धन-राशि को बढ़ाकर दस गुना कर दिया गया, क्योंकि उस समय भारत के मानचित्र में एक विस्तृत भू-भाग लाल रंग से रंगा जा चुका था। इस आज्ञा-पत्र की मुख्य बातें निम्नलिखित थी —

१. भारत के सिहद्वार समस्त देशों के मिशनरियों के लिए खुले रहेंगे।
२. बङ्गाल की सरकार का प्रभुत्व अन्य प्रान्तों की सरकारों पर होगा। बङ्गाल का गवर्नर-जनरल अन्य प्रान्तीय सरकारों से अपनी नीतियों का पालन करा सकेगा।
३. धर्म, वंश एवं वर्ण के आधार पर कोई भारतीय कम्पनी की नौकरी के लिये अयोग्य न ठहराया जायगा।

1. B. D. Basu : *op. cit.*, pp. 51-52.

2. S. N. Mukerji, *History of Education in India*, p. 61.

४. गवर्नर-जनरल की कौंसिल में एक गानून सदस्य की वृद्धि होगी। (इस गद की सर्वप्रथम लाई मैकाले (Macaulay) ने ग्रहण किया, जिसने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन अध्याय प्रारम्भ किया।)

सारांश

शिक्षा-सम्बन्धी विवाद—१८१३ के जाना-पत्र में १ लाख रुपये की धनराशि को व्यय करने की विधि का स्पष्टीकरण न होने के कारण विवाद उठ खड़ा हुआ। विवाद के विषय थे—(१) जनसाधारण को प्राथमिक शिक्षा दी जाय या उच्च वर्गों को उच्च-शिक्षा, (२) प्राच्य ज्ञान की अथवा पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान की उन्नति की जाय, (३) शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर हो या अन्य व्यक्तियों पर, (४) शिक्षा का माध्यम—संस्कृत, अरबी एवं फारसी अथवा देशी भाषाएँ या अंग्रेजी हो।

इन प्रश्नों को लेकर तीन दल बने पहला—संस्कृत, फारसी तथा अरबी को, दूसरा—देशी भाषाओं को, और तीसरा—अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के पक्ष में था। कम्पनी के संचालक भारतीय साहित्य एवं शिक्षा-प्रणाली को प्रोत्साहन देना चाहते थे। संचालक, कम्पनी के कर्मचारियों की शिक्षा-नीतियों का समय-समय पर समर्थन तथा खण्डन करते रहे। इन सब कारणा में शिक्षा के लिये राजकीय प्रयास बहुत ही कम हुए।

राजकीय शिक्षा-प्रयास—बङ्गाल में 'लोक-शिक्षा-समिति' ने प्राच्य-शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये कलकत्ता, आगरा एवं दिल्ली में कॉलेज खोले। इसके उपरान्त संचालकों के आदेशानुसार इनमें अंग्रेजी की कक्षाएँ खोल दी गईं। पूना में संस्कृत कॉलेज का निर्माण हुआ। मद्रास में १ नार्मल स्कूल, ६१ तहसीली स्कूल और ६ जिला स्कूल खुले।

मिशनरी शिक्षा-प्रयास—बङ्गाल में 'वेस्टिस्ट मिशनरियों' ने 'सीरामपुर कॉलेज', 'लन्दन मिशनरी सोसायटी' एवं 'चर्च मिशनरी सोसायटी' ने बालकों एवं बालिकाओं के लिये स्कूल खोले और 'डफ' ने 'स्कॉटिश चर्च कॉलेज' खोला। बम्बई में 'अमेरिकन मिशन', 'आयरिश प्रोटेस्टेन्टियन मिशनरी सोसाइटी', 'चर्च मिशनरी-सोसाइटी' एवं विल्सन ने लड़कों और लड़कियों के लिये स्कूलों का प्रबन्ध किया। मद्रास में हो, 'वेसलियन मिशन' तथा 'चर्च मिशनरी सोसायटी' ने स्कूलों का निर्माण किया।

गैर-मिशनरी शिक्षा-प्रयास—बङ्गाल में राजा राममोहन राय, डेविड हेयर और हाइड ईस्ट के प्रयास से 'हिन्दू कॉलेज' का शिलान्यास हुआ। 'कलकत्ता-स्कूल-पुस्तक समिति' एवं 'कलकत्ता-स्कूल-समिति' ने शिक्षा को लोकप्रिय बनाया। बम्बई में 'बम्बई शिक्षा-समिति' के प्रयत्ना के फलस्वरूप अध्यापक-प्रशिक्षण एवं पुस्तक-प्रकाशन का कार्य हुआ। समिति ने प्राइमरी स्कूल तथा चिकित्सा एवं इंजीनियरी की कक्षाएँ खोली। मद्रास में मैसूर का राजा बगलौर के स्कूल का आर्थिक सहायता

दता था। उनमें प्रत्येक एक दिनों में दान में प्राप्त धन से स्कूलों का निर्माण हुआ।

१८३३ का आजा-बन्ध—इस आजा-बन्ध के अन्तर्गत शिक्षा के लिये १० लाख रुपये की धनराशि निर्दिष्ट की गई। गवर्नर-जनरल की कौमिल में एक कानून संस्था बड़ा दिया गया। इस पद को लाइ मैकाले ने ग्रहण किया जिसने शिक्षा के २३ वर्षों में नवीन अध्याय प्रारम्भ किया।

TEST QUESTIONS

1 Give a brief account of the main issues round which controversies arose from 1813 to 1833

१८१३ से १८३३ तक जिन प्रमुख विषयों पर विवाद हुए—उनकी संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

2 How far was the vagueness of the Charter Act of 1813 responsible for the controversies that arose between 1813 and 1833 ?

१८१३ से १८३३ तक जो विवाद हुए—उनके लिये १८१३ के आजा-बन्ध की अस्पष्टता कहीं तक उत्तरदायी थी ?

3 Discuss briefly the official educational enterprise in India between 1813 and 1833

१८१३ से १८३३ तक राजकीय शिक्षा प्रयास का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

८

प्राच्य-पश्चात्य शिक्षा-विवाद
 और
 निस्यन्दन सिद्धान्त
 (१८३३-१८५३)

प्रस्तावना

हम अध्याय ७ में इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि भारतीयों की शिक्षा के सम्बन्ध में कम्पनी के अधिकारियों में मतभेद था। इस प्रश्न को लेकर दो प्रमुख दल उत्पन्न हो गये थे—प्राच्यवादी (Orientalists) एवं पश्चात्यवादी (Occidentalists or Anglicists)।

१. प्राच्यवादी . Orientalists

इस दल में कम्पनी के पुराने अधिकारी थे। सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स ने 'कलकत्ता मदरसा' स्थापित करके प्राच्यवादी नीति के विचार को व्यक्त किया था। इसी नीति के अनुसार डंकन ने 'बनारस संस्कृत कॉलेज' का निर्माण किया था। मिन्टो ने भी इसी नीति का समर्थन किया था। वगाल की 'लोक-शिक्षा-समिति' में प्राच्यवादी नीति के समर्थकों का बहुमत था। इनमें बंगाल के शिक्षा-सचिव एवं प्राच्यवादी दल के नेता एच० टी० प्रिन्सेप तथा समिति के मन्त्री एच० एच० विल्सन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। १८१३ के आजा-यत्र के अनुसार १ लाख रुपये की धनराशि को व्यय करने का अधिकार इसी समिति को प्राप्त था। समिति में प्राच्यवादी नीति के समर्थकों का बहुमत होने के कारण प्राच्य-शिक्षा एवं साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिये कॉलेजों का निर्माण किया गया था, विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियाँ दी गई थी, एवं प्राच्य भाषाओं के ग्रन्थ प्रकाशित किये गये थे। वस्तुतः नूतनीति-परामर्श प्राच्यवादी—संस्कृत, अरबी एवं फारसी साहित्य पर आधारित

शिक्षा दकर भारतीयों को जातियों एवं धर्मों में विभक्त रखना चाहते थे—जिससे कि नवनिर्मित ब्रिटिश राज्य को क्षति न पहुँचे। प्रिन्सेप का मत था कि भारतीय अंग्रेजी भाषा पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। विल्सन नहीं चाहता था कि भारतीय अंग्रेजी पढ़कर उसके देशवासियों के साथ कन्धे-से-कन्धा मिलाकर एक घरातल पर खड़े हो सकें।¹ कुछ प्राच्यवादियों का मत था कि पाश्चात्य ज्ञान एवं विचारों के सम्पर्क में आने से प्राचीन भारतीय संस्कृति नष्ट हो जायगी। उनका यह भी कहना था कि भारतीय साहित्य में ज्ञान की ऐसी अपार निधि है कि उसका अध्ययन यूरोप-निवासियों के लिये भी आवश्यक है। इस प्रकार के तर्क देकर प्राच्यवादियों ने प्राचीन संस्कृति, साहित्य एवं शिक्षा को सुरक्षित रखना भारतीयों के लिये हितकर बताया।

२. पाश्चात्यवादी Occidentalists

इस दल में कम्पनी के नवयुवक अधिकारी एवं मिशनरी सम्मिलित थे। उनका कथन था कि प्राच्य शिक्षा-पद्धति मरणासन्न है और उसको पुनर्जीवित करना असंभव है। उनका मत था कि—अरबी और फारसी एवं संस्कृत-साहित्य में रूढ़िवादी एवं संकुचित विचारों के अतिरिक्त किसी भी लाभप्रद ज्ञान की खोज करना व्यर्थ है। यूरोप में विज्ञान के अध्ययन के कारण औद्योगिक क्रांति हो रही थी और नवीन आविष्कार किये जा रहे थे। अतः प्राच्यवादी भारत की प्रगति के लिए अंग्रेजी शिक्षा द्वारा पाश्चात्य विचारों के प्रसार के पक्ष में थे। इसमें भी एक राजनैतिक चाल थी। अंग्रेजों को अपने व्यापारिक तथा प्रशासकीय कार्यों के लिये 'वावू-वर्ग' की आवश्यकता थी। इस निम्न वर्ग के लिए व्यक्तियों को इंग्लैण्ड से न लाकर, भारतीयों को शिक्षित करके तैयार कर लेना ही अधिक विवेकपूर्ण कार्य था।

मैकॉले का विवरण-पत्र

जिस समय प्राच्य-पाश्चात्य विवाद (Oriental Occidental Controversy) उग्र रूप धारण कर रहा था, उस समय लार्ड मैकॉले (Macaulay) १० जून, १८३४ को गवर्नर-जनरल की कौंसिल के कानून-सदस्य के रूप में भारत आया। वह अंग्रेजी का प्रकाण्ड विद्वान् था और अपने लेखा तथा व्याख्याना में लोगों में जीवन का संचार कर देता था। वह उस युग की उपज था, जब अंग्रेज अपने साहित्य एवं संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ समझ कर विश्व-विजय के लिए अपना अभियान प्रारम्भ कर चुके थे। इन्हीं विचारा से ओत-प्रोत मैकॉले ने भारत में पदार्पण किया। तत्कालीन गवर्नर-जनरल लार्ड विलियम बेंटिंक (William Bentinck) ने उसे बंगाल की 'लोक-शिक्षा-समिति' का प्रधान नियुक्त किया, और उससे १८१३ के आज्ञा-पत्र की शिक्षा-सम्बन्धी धारा को व्याख्या करने के लिये तथा १ लाख की धनराशि को व्यय करने के विषय में

कानूनी सलाह मांगी। २ फरवरी, १८३५ को मैकॉलि ने अपना विवरण-पत्र (Minute) गवर्नर-जनरल की कौंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया।

इस विवरण-पत्र में मैकॉलि ने प्राच्य-साहित्य एवं शिक्षा का खण्डन तथा अंग्रेजी माध्यम द्वारा पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञानों की शिक्षा का समर्थन किया। हम इस विवरण-पत्र के अन्तर्गत तर्कों का नीचे अध्ययन करेंगे :—

मैकॉलि ने सर्वप्रथम 'साहित्य' शब्द को लिया और कहा कि इसका अर्थ 'अंग्रेजी-साहित्य' से है, न कि संस्कृत, अरबी एवं फारसी के साहित्य से। इसी प्रकार 'भारतीय विद्वान्' से ऐसे विद्वान् का तात्पर्य है—जो लॉक (Locke) के दर्शन एवं मिल्टन (Milton) की कविता से परिचित हो।¹ फिर उसने प्राच्यवादियों के प्राच्य शिक्षा-संस्थाओं को प्रचलित रखने के विचार को लिया और लिखा :—“प्राच्य-शिक्षा-प्रणाली के प्रदासकों का तर्क यदि हम मान लें कि वह ठीक है, तो वह परिवर्तनों के विरुद्ध निर्णायक होगा।”²

इसके पश्चात् मैकॉलि ने शिक्षा के माध्यम के प्रश्न को लिया। उसने देशी भाषाओं के विषय में लिखा :—“भारत के निवासीयों में प्रचलित देशी भाषाओं में साहित्यिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान-कोष का अभाव है, तथा वे इतनी अविकसित और गैरवारु है कि जब तक उन्हें बाल्य-भंडार से सम्पन्न नहीं किया जायगा, तब तक उनमें सुगमता से किसी भी महत्वपूर्ण ग्रन्थ का अनुवाद नहीं हो सकेगा।

इस प्रकार मैकॉलि ने देशी भाषाओं के माध्यम का प्रश्न, वाद-विवाद से अलग कर दिया। तत्पश्चात् उसने संस्कृत, अरबी आदि भाषाओं की अंग्रेजी से तुलना करते हुए निस्सकोच भाव से घोषित किया—“एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के सम्पूर्ण साहित्य से कम महत्वपूर्ण नहीं है।”² इस विचार को व्यक्त करके मैकॉलि ने केवल अपनी अज्ञानता का परिचय दिया। उसने संस्कृत एवं अरबी भाषाओं के अपार साहित्य का कभी अध्ययन नहीं किया था, फिर भी उसने अपना निर्णय दे दिया। उसने संस्कृत-साहित्य का परिहास करते हुए लिखा कि उसमें ऐसे 'चिकित्सा-सिद्धान्त' पढाये जाते हैं, जिन पर 'अंग्रेज पशु-चिकित्सकों को लज्जा' आयेगी, ज्योतिष ऐसा है जिस पर 'स्कूलों की अंग्रेज बालिकाएँ हँस पड़ेंगी', इतिहास ऐसा है जिसमें '३० फीट लम्बे राजाओं का वर्णन' है, एवं भूगोल ऐसा है जिसमें 'शहद तथा मक्खन के समुद्रों का वर्णन' है।

1 “The admirers of the oriental system of Education have used another argument, which if we admit to be valid, is decisive against all change”—Macaulay's *Minute*

2. “A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia.”—*Ibid*

मैकॉले का प्रस्ताव था कि संस्कृत, अरबी तथा फारसी में लिखे हुए कानूनों की अंग्रेजी में संहिता (Code) बनवा दी जाय। उसका कथन था कि केवल कानूनों की जानकारी के लिये संस्कृत, अरबी तथा फारसी के शिक्षालयों पर धन व्यय करना मूर्खता है। अतः उसने प्रस्ताव किया कि उनको वित्कुल बन्द कर दिया जाय। अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा में आकाश-पाताल एक करते हुए मैकॉले ने लिखा —“यह भाषा पाश्चात्य भाषाओं में भी सर्वोपरि है। जो इस भाषा को जानता है, वह सुगमता से उस विशाल ज्ञान-भंडार को प्राप्त कर सकता है, जिसे विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचा है।”¹

अंग्रेजी के पक्ष में मैकॉले ने निम्नलिखित तर्क दिये —

- १ अंग्रेजी, शासकों की भाषा है एवं उच्च वर्ग के भारतीय इसे बोलते हैं।
- २ सम्भव है कि अंग्रेजी पूर्वी समुद्रों में व्यापार की भाषा बन जाय।
- ३ आस्ट्रेलिया एवं अफ्रीका में उत्पत्तिशील यूरोपियनों की भाषा—अंग्रेजी है और उनका सम्बन्ध भारत से बढ़ रहा है।
४. प्राच्य शिक्षा-संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देनी पड़ती है, पर अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने के लिए विद्यार्थी स्वयं फीस देने की तैयार हैं।
५. जिस प्रकार यूनानी एवं लैटिन भाषाओं से इंग्लैण्ड में पुनरुत्थान हुआ, उसी प्रकार अंग्रेजी से भारत में होगा।
६. भारतवासी अंग्रेजी पढ़ने के इच्छुक हैं—न कि अरबी, फारसी तथा संस्कृत।
७. भारतवासियों को अंग्रेजी का विद्वान् बनाया जा सकता है, और इसके लिये प्रयास करना सरकार का कर्तव्य है।

इस प्रकार मैकॉले ने अपने विवरण-पत्र में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञानों की शिक्षा पर बल दिया।

बेटिक की स्वीकृति

मैकॉले के विवरण-पत्र पर प्राच्यवादी दल के नेता प्रिन्सेप का मत मांगा गया। १५ फरवरी, १८३५ के अपने परिपत्र में प्रिन्सेप ने मैकॉले द्वारा प्रतिपादित सभी विचारों के अकाट्य उत्तर दिये तथा प्राच्य-साहित्य एवं शिक्षा के जीर्णोद्धार के लिये भी उच्च कोटि के तर्क उपस्थित किये। प्रिन्सेप का परिपत्र (Prinsep's

1. "It stands pre-eminent even among the languages of the West. Whoever knows that language, has ready access to all the vast intellectual wealth which all the wisest nations of the earth have created."—Macaulay's *Minute*

Note) प्रगतिशील मुधारण एव अंग्रेजी भाषा के समर्थक लार्ड प्रिलियम वेंटिक को प्रभावित करने में असफल रहा। परिणामतः वेंटिक ने मैकॉले के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करके, १८१३ में प्रारम्भ होने वाले शिक्षा-विवाद का अन्त कर दिया।

७ मार्च, १८३५ के आज्ञा-पत्र में वेंटिक ने शिक्षा-नीति की घोषणा की, जिसकी रूपरेखा इस प्रकार थी —

- १ त्रिटिस सरकार का मुख्य उद्देश्य — भारतवासियों में यूरोपीय साहित्य एवं विज्ञान का प्रचार करना है। जत वचल इन्हीं कार्यों के लिए शिक्षा-सम्बन्धी समस्त धनराशि व्यय की जायेगी।
- २ प्राच्य शिक्षालयों का बहिष्कार तथा उन्मूलन नहीं किया जायेगा। उनके अध्यापकों तथा छात्रों को पूर्ववत् वेतन एवं छात्रवृत्तियाँ दी जायेंगी।
- ३ भविष्य में प्राच्य विद्या सम्बन्धी पुस्तकों का मुद्रण तथा प्रकाशन नहीं होगा, क्योंकि इनमें अत्यधिक धन व्यय किया जा चुका है।
- ४ इन मुधारों से बचा हुआ समस्त धन भारतीयों में अंग्रेजी भाषा के माध्यम द्वारा अंग्रेजी साहित्य एवं विज्ञान का प्रसार करने में व्यय किया जायेगा।

भारत-सरकार की यह प्रथम घोषणा थी, जिसमें अंग्रेजी की शिक्षा-नीति का स्पष्टीकरण एवं भारतीय शिक्षा के उद्देश्य, साधन तथा माध्यम को स्थायी रूप प्रदान किया गया था। वस्तुतः वेंटिक अंग्रेजी शिक्षा का पक्षपाती था। इस देश की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में उसे राजा राममोहन राय तथा अन्य अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों से पूरा सहयोग प्राप्त हुआ था। जत उसे दृढ़ विश्वास हो गया था कि अंग्रेजी शिक्षा द्वारा अंग्रेजी विचारा में ही भारतीयों में नव-जागरण प्रारम्भ होगा। भाग्यवश मैकॉले के प्रस्ताव ने उसे एक माधन प्रदान किया और उसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम घोषित करके अपना निर्णय द दिया। संस्कृत, अरबी एवं फारसी में पुस्तकों का मुद्रण तथा प्रकाशन स्थगित करके, उसने प्राच्य साहित्य की उपेक्षा की। परन्तु साथ ही उसने प्राच्य शिक्षालयों को पूर्ववत् चलने दिया एवं अध्यापकों के वेतन तथा विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियों को जारी रखा। उसके इस कार्य में उदारता की अपेक्षा कूटनीति-परायणता की प्रधानता स्पष्ट रूप से भलकती है।

भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकॉले का स्थान

मैकॉले के विवरण पत्र के फलस्वरूप शिक्षा-क्षेत्र में विवादग्रस्त विषयों का निर्णय हो गया और कम्पनी की डिल मिल शिक्षा-नीति में स्थिरता आ गई। फिर भी

मैकॉले की अति कटु आलोचना की गई है। अतः उसके कार्य के सम्बन्ध में साधारण पर्यवलोकन द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचना एवं शिक्षा के इतिहास में उसके स्थान का मूल्यांकन करना युक्तिसंगत होगा।

मैकॉले (Macaulay) के सम्बन्ध में प्रमुख धारणाएँ निम्नलिखित हैं :—

१—कुछ व्यक्तियों द्वारा मैकॉले भारतीय शिक्षा का पथ-प्रदर्शक^१ माना जाता है। यह कथन एक प्रकार से असत्य ही है, क्योंकि वह प्रथम व्यक्ति नहीं था, जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की ओर पहला कदम उठाया था। इसके अतिरिक्त, उसने इस दिशा में भारतीयों की जिज्ञासा को, जाग्रत भी नहीं किया था। उसके आगमन के पूर्व ही मिशनरी एवं राजा राममोहन राय के प्रयासों के कारण भारत में इन जिज्ञासा का जागरण प्रारम्भ हो गया था। उसको पाश्चात्यवादी दल का जन्मदाता भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसका आविर्भाव उसके आने से पहले ही हो चुका था। उसने तो केवल इस क्षेत्र में अंग्रेजी के पक्ष में अपना निर्णय देकर वाद-विवाद को मुलभूतने में सहायता दी थी। अतः हम कह सकते हैं कि मैकॉले ने शिक्षा की आधुनिक संरचना का शिलान्यास अवश्य किया, पर वह भारतीय शिक्षा का पथ-प्रदर्शक नहीं था।

२—कुछ लोग मैकॉले पर भारतीय भाषाओं के अपमान एवं अवहेलना का दोषारोपण करते हैं। यह सत्य है कि उसने भारतीय भाषाओं को 'अविकसित, असमर्थ, अपर्याप्त एवं गँवारू' कहकर उनकी घोर निन्दा की, परन्तु उस पर उनकी अवहेलना करने का आरोप लगाना सर्वथा अनुचित है। इसके विपरीत, उसने भारतीय भाषाओं के महत्त्व एवं विकास पर विशेष वल दिया। 'लोक-शिक्षा-समिति' के प्रधान के रूप में मैकॉले ने १८३६ की अपनी रिपोर्ट के अन्तर्गत कहा :—“हमें देशी भाषाओं के प्रोत्साहन एवं विकास में अत्यधिक रूचि है। हम समझते हैं कि देशी भाषाओं के साहित्य का विकास—हमारा अन्तिम उद्देश्य है और हमारे सब प्रयास इस दिशा में लग जाने चाहिए।”^२

३—कुछ व्यक्ति मैकॉले को राजनैतिक अशान्ति का कारण मानते हैं। यह ऐसा आरोप है, जिस पर सम्पूर्ण इङ्ग्लैंड गर्व कर सकता है। परन्तु इसका समस्त उत्तरदायित्व मैकॉले द्वारा प्रतिपादित अंग्रेजी शिक्षा की नीति पर नहीं रखा जा सकता है। इस नीति की अनुपस्थिति में भी राजनैतिक अशान्ति हो सकती थी। इसका कारण यह है कि भारतीय पर्याप्त संख्या में मिशन स्कूलों में अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उक्त अशान्ति में उन पदाक्रान्त शासकों का भी हाथ था, जिन्हें अंग्रेजों के भारत में आने में महान् क्षति उठानी पड़ी थी।

1. Torch-bearer in the path of progress.

2. C. E. Trevelyan : *On the Education of the People of India*, pp. 22-23.

४—मैकाले पर अन्तिम दापारोपण यह है कि वह अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसा बग उत्पन्न करना चाहता था, जो रक्त और वंश में भारतीय हो, परन्तु पसंद विचार आचरण एवं विद्वत्ता में अंग्रेज हो।¹ इस प्रकार पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के उपासक-वर्ग का निर्माण करके वह भारतीयों में फूट का बीजारोपण करना चाहता था जिसमें कि अंग्रेज इस देश का सदैव शोषण कर सकें। परन्तु उसकी यह अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई।

उपयुक्त धारणाओं की इस विवचना का आधार पर हम निस्संकोच कह सकते हैं कि मैकाले के सिर पर सारा बोध मढ़ना युक्तिसंगत नहीं होगा। वस्तुतः भारत उसका सदैव श्रेणी रहेगा। उसने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार का वनपूर्वक समर्थन करके भारतीयों में राजनैतिक जागरण, वैधानिक चेतना एवं आर्थिक विचारधारार्यों प्रस्फुटित की। अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारतीय पाश्चात्य देशों के ममानता स्वतन्त्रता एवं बहुत्व के सिद्धान्तों से परिचित हुए और उन्होंने राजनैतिक संघर्ष प्रारम्भ करके भारत माता को दासता की बेड़ियाँ से मुक्त किया। साराश में अपने विवरण पत्र में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करके उसने अनजाने ही भारत की भलाई की। वह नहीं जानता था कि उसका विवरण पत्र ऐतिहासिक एवं युग-श्रवणक सिद्ध होगा। निस्संदेह भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले का स्थान अति महत्त्वपूर्ण है।

ऑकलैंड का विवरण-पत्र एवं प्राच्य-पाश्चात्य विवाद का अन्त

जैसे ही लाड विनियम बटिक ने १८३५ में त्याग-पत्र देकर स्वदेश के लिये प्रस्थान किया प्राच्यवादियों ने सरकार के नियमों के विरुद्ध आवाज उठाई। वे मैकाले के विवरण पत्र और बटिक के आज्ञा पत्र से असंतुष्ट थे और उन्होंने दृष्टी भाषा के माध्यम तथा कुछ अन्य बातों पर विवाद आरम्भ कर दिया। जब लाड आकलैंड (Auckland) गवर्नर जनरल नियुक्त होकर भारत पहुँचा तब उसने स्थिति को पर्याप्त गम्भीर पाया। लगभग ४ वर्ष तक विभिन्न मतों का सतर्कता से अध्ययन करके वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वाद विवाद का आधारभूत कारण आर्थिक सहायता थी।² उसने विचार किया कि यदि प्राच्यवादियों को शिक्षा-सम्बन्धी व्यय के लिये कुछ अधिक धन दे दिया जाय तो वे शोरगुल मचाना बंद कर देंगे। इस बात को दृष्टिकोण में रखते हुए उसने २४ नवम्बर १८३६ के विवरण-पत्र में अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया —

1 A class of persons Indian in blood and colour but English in opinions in morals and in intellect

2 The insufficiency of funds assigned by the State for the purpose of public instruction has been amongst the main causes of the violent disputes —Sharp *op cit*, pp 148 149

१. प्राच्य-शिक्षालयों को पूर्ववत् चलने दिया जाय और उनको उतनी ही आर्थिक सहायता दी जाय, जितनी कि वैदिक के आज्ञा-पत्र से पूर्व दी जाती थी।
२. प्राच्य-शिक्षालय प्राच्य-विषयों के शिक्षण-कार्यों की उचित पूर्ति करने के पश्चात् अंग्रेजी की कक्षाएँ खोल सकते हैं।
३. प्राच्य-शिक्षालयों में पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थियों में से ३ को छात्र-वृत्तियाँ दी जायें।
४. निश्चित धन-राशि में से लाभप्रद प्राच्य-पुस्तकों का मुद्रण एवं प्रकाशन किया जा सकता है।
५. योग्य अध्यापकों को पर्याप्त वेतन दिया जाय।

इस योजना को पूर्ण करने में यद्यपि ३१ हजार रुपया वार्षिक व्यय बढ़ गया, परन्तु इससे प्राच्य-शिक्षा-समर्थक शान्त हो गये। वस्तुतः उस समय भूमि-कर में पर्याप्त वृद्धि हो गई थी और उसी अनुपात में शिक्षा के व्यय में भी वृद्धि होनी चाहिये थी। परन्तु ऑकलैण्ड ने अल्प धन-राशि लेकर ही प्राच्यवादी दल को शान्त कर दिया। दूसरी ओर उसने अंग्रेजी भाषा के द्वारा यूरोपीय साहित्य, दर्शन एवं विज्ञानों के प्रचार के लिये १ लाख से भी अधिक रुपया देकर पाश्चात्य-शिक्षा-समर्थकों को प्रसन्न कर दिया।

ऑकलैण्ड का विवरण-पत्र उसके चानुर्य्य एवं दूरदर्शिता का परिचायक है। उसने प्राच्यवादियों को ऐसा मीठा जहर पिलाया कि वे उसकी मीठी वेदोशी में ऑकलैण्ड की नीतिपटुता को न समझ सकें। वस्तुतः, उसका भुकाव अंग्रेजी शिक्षा की ओर था और उसने ढाका, पटना, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, बरेली तथा दिल्ली में अंग्रेजी कॉलेजों का निर्माण करके इसकी अभिव्यक्ति की। इन कॉलेजों की स्थापना से अंग्रेजी शिक्षा को निरन्तर प्रोत्साहन प्राप्त होता गया और वह क्रमशः भारतीय भाषाओं, साहित्य एवं संस्कृति पर गहरे काले बादल के समान फैल गई।

ऐडम-योजना की अस्वीकृति

हम अध्याय ४ में इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि लार्ड वैण्टिक ने ऐडम को बंगाल में देशी शिक्षा की व्यवस्था की जाँच करने के लिये नियुक्त किया था और इस सम्बन्ध में ऐडम ने तीन 'प्रतिवेदन' (Reports) प्रस्तुत किये थे। ऐडम—वेण्टिस्ट मशन का मान्य सदस्य तथा सच्चा जन-सेवक था। भारतीयों के नैतिक एवं सामाजिक पतन का देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया था। वह अन्तःकरण से शिक्षा-प्रसार द्वारा उनका मानसिक विकास एवं चारित्रिक उत्थान चाहता था। अतः उसने शिक्षा-प्रसार एवं शिक्षा-नुधार के साधनों तथा उपायों के सम्बन्ध में अप्रलिखित सुझाव दिये —

- १ दश्री भापाआ म भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वाना के सहयोग स पाठ्य पुस्तका की क्रम-बद्ध (Graded) माला का मुद्रण प्रकाशन एव वितरण किया जाय ।
- २ शिक्षालयो क अध्यापका के काय के निरीक्षण एव निर्देशन के लिए प्रत्येक जिने मे निरीक्षक नियुक्त किये जाय ।
- ३ शिक्षको की दीक्षा के लिए नामल स्कूना का निर्माण किया जाय ।
- ४ परीक्षाए नियमित रूप से एक निर्दिष्ट अवधि के अन्तगत ली जायें ।
- ५ प्रत्येक ग्रामीण विद्यालय को अपना व्यय चलान के लिए भूमि दान दिया जाय ।
- ६ कृषि शिक्षा के लिए विभिन्न स्थानो पर प्रयोगात्मक (Experimental) फार्म बनाये जाय ।
- ७ इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कुछ जिना को चुन लिया जाय ।

एडम को विश्वास था कि उसकी इस योजना को राष्ट्रीय व्यवस्था की आधारभूत योजना बनाया जा सकता था । उसकी इच्छा थी कि सरकार इस योजना पर क्रियात्मक पग उठाए । परन्तु मैकाले ने उसकी सब आशाओं पर पानी फेर दिया । उसने इस योजना के विरुद्ध अति दूषित रिपोर्ट भेजी । परिणामतः जब वह आकलैण्ड के मन्त्र रखी गई तो उसने इस अस्वीकृत कर दिया ।

निस्यन्दन-सिद्धान्त

अर्थ—निस्यन्दन सिद्धांत (Downward Filtration Theory) का अभिप्राय यह था कि शिक्षा—समाज के उच्च वर्ग को दी जाय और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे । जनसमूह में शिक्षा ऊपर से छन छनकर पहुँचनी थी । बूँद-बूँद करके भारतीय जीवन के हिमालय से नान्पायक शिक्षा नीचे वो बहे जिससे जिन वहाँ कुछ समय में एक चौड़ी एवं विशाल धारा में परिवर्तित होकर गुप्त मदाना का सिंचन करे ।^१

समर्थक—भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों का इस सिद्धान्त में विश्वास था । वे समझते थे कि यदि इस देश में सबका हिन्दुआ को ईसाई धर्म में दीक्षित कर लिया जायगा तो निम्न वर्गों को इस धर्म को स्वीकार करने में सकोच नहीं होगा क्योंकि

I Education was to permeate the masses from above Drop by drop from the Himalayas of the Indian life useful information was to trickle downwards forming in time a broad and stately stream to irrigate the thirsty plains

—Arthur Mayhew *The Education of India* p 7^१

इन वर्गों के व्यक्ति उच्च वर्ग के जादशों का अनुकरण करते थे। कम्पनी के कर्मचारियों में डम्बर्ड के गवर्नर की कौंसिल के सदस्य, वार्डन (Warden) ने २३ दिसम्बर, १८२३ को अपने विवरण-पत्र में यह लिखकर इस सिद्धान्त की ओर संकेत किया था —“जन-साधारण को थोड़ी-सी शिक्षा देने की अपेक्षा उच्च वर्ग के कुछ व्यक्तियों को अधिक शिक्षा देना उपयुक्त होगा।” कम्पनी के सचालको ने २६ सितम्बर, १८३० के अपने आदेश-पत्र में मद्रास की सरकार को लिखा था —“शिक्षा की प्रगति उसी समय हो सकती है, जब उच्च वर्गों के उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाय, जिनके पास अवकाश है और जिनका अपने दशवासियों पर प्रभाव है।” मैकॉले ने इस सिद्धान्त का समर्थन करते हुए अपने विवरण-पत्र में लिखा था —“हमारी इस शिक्षा द्वारा एक ऐसे वर्ग की मृष्टि होगी जो रक्त एव वर्ण में भारतीय होगा, परन्तु पसन्द, विचार, आचरण एव विद्वत्ता में अग्रज होगा। इन्हीं लोगों का यह कार्य होगा कि वे भारतीय भाषाओं को परिष्कृत तथा सम्पन्न करके उन्हें जनता तक ज्ञान पहुँचाने के योग्य बनायें।” मैकॉले के इस विचार का बंगाल की 'लोक-शिक्षा-समिति' ने १८३६ में समर्थन किया था। लॉर्ड ऑकलैंड ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया और इसे सरकारी नीति के रूप में घोषित करते हुए लिखा —“सरकार को समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा देनी चाहिए, जिससे सभ्यता छन-छन कर जनता में पहुँचे।” उस समय से लेकर १८७० तक इस सिद्धान्त का प्रभाव भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में बना रहा।

आधारभूत कारण इस सिद्धान्त को सरकारी नीति का रूप प्रदान करने के अनेक आधारभूत कारण थे। प्रथम, ब्रिटिश सरकार को प्रारम्भ में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी, जिनको शिक्षित करके एव उच्च पद प्रदान करके राज्य को मुहृद्ध बनाया जाय। इसके लिए उच्च वर्ग की शिक्षा ही उपयोगी हो सकती थी, लोक-शिक्षा नहीं। द्वितीय, सरकार के पास इतना धन नहीं था कि वह लोक शिक्षा का भार अपने ऊपर ले सकती। तृतीय, अंग्रेजी माध्यम द्वारा उच्च वर्ग को शिक्षित करके और उनके रहन-सहन तथा आचार-विचार को परिवर्तित करके निम्न वर्गों को सरलतापूर्वक प्रभावित किया जा सकता था। चतुर्थ, कुछ व्यक्तियों को शिक्षित करके जन-साधारण की शिक्षा का भार उनके ऊपर छोड़ा जा सकता था।

परिणाम—इस सिद्धान्त ने भारतीय शिक्षा का रूप निश्चित कर दिया। सरकारी नीति के रूप में इसे अधिकारियों का सक्रिय समर्थन प्राप्त हुआ और उच्च शिक्षा की तीव्र प्रगति होने लगी। १८४४ में लार्ड हार्डिंज (Hardinge) की घोषणा-नुसार अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाने लगी। फलस्वरूप अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य—सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उच्च शिक्षा की प्रगति और भी अधिक तेज हो गई। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके भारतीय इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय देने लग। परन्तु सरकार ने जिन विचारों से इस सिद्धान्त को अपनाया था,

उसमें सफलता नहीं प्राप्त हुई। उच्च वर्ग को शिक्षित करके जन-साधारण तक ज्ञान को नहीं पहुँचाया जा सका, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके उच्च पदों पर आसीन हो जाते थे, उनका जनता से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता था। इसके अतिरिक्त, वे केवल अपने ही हित का ध्यान रखते थे एवं जन-कल्याण की चिन्ता नहीं करते थे। इस प्रकार, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके एक ऐसे वर्ग का निर्माण हो गया, जो अशिक्षित निर्धन व्यक्तियों से अपने को श्रेष्ठ समझता था और उनसे किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखता था। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि इस वर्ग के अनेक व्यक्ति ब्रिटिश राज्य के स्तम्भ के रूप में अपने देशवासियों के राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रबल विरोध करते रहे। इसके विपरीत, कुछ अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों ने देश-प्रेम की ख्याति प्रज्वलित की एवं अपने देशवासियों में स्वतन्त्रता की भावना कूट-कूटकर भरने का प्रयास किया। इसी के फलस्वरूप राष्ट्रीय जागरण प्रारम्भ हुआ और अन्त में भारत विदेशियों के चंगुल से मुक्त हुआ।

सारांश

प्राच्यवादी—इस दल में कम्पनी के पुराने अधिकारी थे। यह दल प्राच्य-शिक्षा एवं साहित्य को प्रोत्साहित करना चाहता था।

पाश्चात्यवादी—इस दल में कम्पनी के नवयुवक अधिकारी थे। यह दल अंग्रेजी शिक्षा द्वारा पाश्चात्य विचारों के प्रसार के पक्ष में था।

मैकॉले का विवरण-पत्र—जिस समय प्राच्य-पाश्चात्य शिक्षा-विवाद चल रहा था, उसी समय (१८३४ में) मैकॉले भारत आया, और 'लोक-शिक्षा-समिति' का प्रधान नियुक्त किया गया। १८३५ में अपने विवरण-पत्र में उसने प्राच्य-साहित्य की निन्दा की और अंग्रेजी के माध्यम द्वारा शिक्षा का समर्थन किया। अंग्रेजी के पक्ष में उसने अनेक तर्क दिये।

वैंटिक की स्वीकृति—वैंटिक ने मैकॉले के सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया और ७ मार्च, १८३५ के आज्ञा-पत्र में शिक्षा-नीति की घोषणा की। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य—भारतीयों में अंग्रेजी माध्यम द्वारा यूरोपीय साहित्य एवं विज्ञान का प्रचार करना था। प्राच्य-विद्यालय बन्द नहीं किये गये, परन्तु प्राच्य-शिक्षा-सम्बन्धी पुस्तकों का प्रकाशन बन्द कर दिया गया। इस प्रकार वैंटिक की घोषणा ने अंग्रेजी की शिक्षा-नीति को स्पष्ट कर दिया।

भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकॉले का स्थान—मैकॉले की अति कटु आलोचना की गई है। उसने प्राच्य-शिक्षा एवं साहित्य की प्रगति पर अंकुश लगा दिया और एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहा—जो पसन्द, विचार, आचरण एवं विद्वता में अंग्रेज हो। परन्तु उसने अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का समर्थन करके भारतीयों में राजनैतिक जागरण की भावना प्रस्फुटित कर दी। इसके लिए भारत

उसका सदैव ऋणी रहेगा। इसीलिए भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकॉले का स्थान महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

प्राच्य-पाश्चात्य विवाद का अन्त—बैंटिक की घोषणा के बाद भी प्राच्य-पाश्चात्य विवाद चलता रहा। उसका अन्त ऑकलैंड ने १८३६ में किया। उसने ऐडम की प्राच्य-शिक्षा-प्रसार की योजना को अस्वीकृत कर दिया।

निस्यन्दन-सिद्धान्त—इसका अभिप्राय यह था कि शिक्षा उच्च वर्ग से छन-छन कर निम्न वर्गों तक पहुंचे। इस सिद्धान्त के समर्थकों में बार्डन, कम्पनी के संचालक, मैकॉले और लोक-शिक्षा समिति थी। ऑकलैंड ने इसे स्वीकार किया और सरकारी नीति के रूप में घोषित किया। इस सिद्धान्त को अपना कर सरकार ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहती थी, जो उच्च पदों पर कार्य कर सकें और राजभक्त होकर ब्रिटिश साम्राज्य के स्तम्भ बनें। इस सिद्धान्त के अनुकरण से उच्च-शिक्षा की तीव्र प्रगति हुई। भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा स्वतन्त्रता के विचार उत्पन्न हुए और उन्होंने अपने देश को दासता से मुक्त करने के लिए संघर्ष प्रारम्भ किया।

TEST QUESTIONS

1. Write, what you know about the Oriental-Occidental Controversy.

प्राच्य-पाश्चात्य विवाद के बारे में आप जो जानते हैं, लिखिए।

2. Give a critical appraisal of Lord Macaulay's contribution to Indian education. Place yourself in his position and offer a defence of his policy.

भारतीय शिक्षा को लार्ड मैकॉले की देन का मूल्यांकन कीजिए। अपने को उसके स्थान में रखकर उसकी नीति का समर्थन कीजिए।

3. "Macaulay is a torch-bearer in the path of progress." Do you agree? Give arguments in favour of the view you hold.

"मैकॉले भारतीय शिक्षा का पथ-प्रदर्शक है।" क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार के पक्ष में तर्क दीजिए।

4. Write a short essay on the "Downward Filtration Theory."

'निस्यन्दन सिद्धान्त' पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये।

करने के लिये १८४४ में १०१ प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण करवाया। इनमें लिखना, पढ़ना, गणित, भूगोल, इतिहास तथा बंगला की शिक्षा दी जाती थी। इन विद्यालयों में प्रति विद्यार्थी से एक आना मासिक शुल्क लिया जाता था। परन्तु अंग्रेजी शिक्षा के अभाव में ये विद्यालय लोकप्रिय न बन सके एवं उनकी संख्या निरन्तर कम होती चली गई। १८५२ में उनमें से केवल २६ रह गये।¹ १८४७ में लार्ड हार्डिङ ने अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये कलकत्ता में एक नार्मल-स्कूल भी खुलवाया।

डलहौजी के शिक्षा-कार्य—लार्ड डलहौजी (Dalhousie) विद्या-प्रेमी था। उसने प्राथमिक, उच्च, व्यावसायिक तथा नारी-शिक्षा में अपनी सचि प्रदर्शित की। उसने अनुदान-प्रणाली प्रारम्भ करके प्राथमिक विद्यालयों को प्रोत्साहित किया तथा १८५४ में ३३ प्राथमिक विद्यालय खुलवाये, जिनमें १,४०० विद्यार्थी पढ़ते थे। १८४४ में कलकत्ता हिन्दू कॉलेज में इंजीनियरिंग की कक्षा आरम्भ की गई।

शिक्षा-परिषद्—१८४२ में 'लोक-शिक्षा-समिति' को भंग करके उसके स्थान पर 'शिक्षा-परिषद्' (Council of Education) की स्थापना की गई।² इस परिषद् ने शिक्षा-प्रसार की दिशा में सराहनीय कार्य किया। नार्मल स्कूल की स्थापना हो जाने के कारण विद्यालयों के लिये प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव बहुत-कुछ दूर हो गया था। परिषद् ने १८४३ में शिक्षा का पाठ्यक्रम निश्चित करके पाठ्य-पुस्तकों में सुधार किया। उसने १८४४ में विद्यालय-निरीक्षकों की नियुक्ति करके विद्यालयों की शिक्षा का भार उन्हें सौंप दिया। उसने १८४५ में कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया, पर कम्पनी के संचालकों ने उसे 'असामयिक' कहकर अस्वीकार कर दिया। 'शिक्षा-परिषद्' ने प्राथमिक शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। १८५४ तक परिषद् के अन्तर्गत १५१ शिक्षा-संस्थाएँ थीं, जिनमें १३,१६३ विद्यार्थी पढ़ते थे और जिनका वार्षिक व्यय ५,६४,४२८ रुपये था।³ इनमें ४७ अंग्रेजी स्कूल, ५ अंग्रेजी कॉलेज, १ मेडिकल कॉलेज तथा ३ प्राच्य कॉलेज थे।

व्यक्तिगत शिक्षा-कार्य—बंगाल में शिक्षा को व्यक्तिगत प्रयानों के कारण भी प्रोत्साहन मिला। हाजी मुहम्मद मुहसिन के दानस्वरूप प्राप्त धन से हुगली के जिला-स्कूल को कॉलेज का रूप प्रदान किया गया। १८४६ में 'शिक्षा-परिषद्' के प्रधान जे० ई० डी० बैथून (J. E. D. Bethune) ने लडकियों के लिये एक स्कूल खोला और उसका समस्त व्यय-भार स्वयं वहन किया। इस कार्य से प्रेरित होकर जयकृष्ण मुकर्जी एवं बारासेत के कुछ निवासियों ने भी स्त्री-शिक्षा का प्रवन्ध किया।

मिशनरियों के शिक्षा-कार्य—मिशनरियों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय

1. S. N. Mukerji : *op. cit.*, p. 110.
2. Nurullah & Naik : *op. cit.*, p. 95.
3. *Ibid*, p. 96.

६

शिक्षा की प्रगति (१८३३-१८५३)

प्रस्तावना

हम पहले इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्यवादी एवं पाश्चात्यवादी दलों में संघर्ष प्रारम्भ हो गया था, जिसका अन्त लार्ड ऑकलैण्ड ने १८३६ में किया। उस समय से शिक्षा का मार्ग निश्चित हो गया तथा अंग्रेजी को प्रबल प्रेरणा मिली। फलस्वरूप, विभिन्न प्रान्तों में शिक्षा-प्रसार के जो कार्य किये गये, उन पर दृष्टिपात कर लेना आवश्यक है।

बंगाल

बेटिक एवं ऑकलैण्ड के शिक्षा-कार्य—लार्ड बेटिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम घोषित करके बंगाल में अंग्रेजी का पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर दिया। फलतः अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिये विद्यालयों का तीव्र गति से निर्माण हुआ। १८३५ में 'लोक-शिक्षा-समिति' २० विद्यालयों को चला रही थी। १८३७ में इनकी संख्या बढ़कर ४८ हो गई, जिनमें ५,१६६ छात्र पढ़ते थे। लार्ड ऑकलैण्ड ने शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। उसने बंगाल प्रान्त को ६ भागों में विभक्त किया और प्रायः प्रत्येक जिले में एक 'जिला विद्यालय' स्थापित किया। १८४० में इस प्रकार के विद्यालयों की संख्या ४० थी।

हार्डिञ्ज के शिक्षा-कार्य—१८४४ में लार्ड हार्डिञ्ज (Hardinge) ने घोषणा की कि अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जायगी। फलतः अंग्रेजी के प्रचार एवं प्रसार को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। उस समय प्राथमिक शिक्षा का पतन प्रारम्भ हो गया था। अतः लार्ड हार्डिञ्ज ने उसे प्रोत्साहित

करने के लिये १८४४ में १०१ प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण करवाया। इनमें लिखना, पढ़ना, गणित, भूगोल, इतिहास तथा बंगला की शिक्षा दी जाती थी। इन विद्यालयों में प्रति विद्यार्थी से एक आना मासिक शुल्क लिया जाता था। परन्तु अंग्रेजी शिक्षा के अभाव में ये विद्यालय लोकप्रिय न बन सके एवं उनकी संख्या निरन्तर कम होती चली गई। १८५२ में उनमें से केवल २६ रह गये।¹ १८४७ में लार्ड हार्डिज ने अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये कलकत्ता में एक नार्मल-स्कूल भी खुलवाया।

डलहौजी के शिक्षा-कार्य—लार्ड डलहौजी (Dalhousie) विद्या-प्रेमी था। उसने प्राथमिक, उच्च, व्यावसायिक तथा नारी-शिक्षा में अपनी रुचि प्रदर्शित की। उसने अनुदान-प्रणाली प्रारम्भ करके प्राथमिक विद्यालयों को प्रोत्साहित किया तथा १८५४ में ३३ प्राथमिक विद्यालय खुलवाये, जिनमें १,४०० विद्यार्थी पढ़ते थे। १८४४ में कलकत्ता हिन्दू कॉलेज में इंजीनियरिंग की कक्षा आरम्भ की गई।

शिक्षा-परिषद्—१८४२ में 'लोक-शिक्षा-समिति' को भंग करके उसके स्थान पर 'शिक्षा-परिषद्' (Council of Education) की स्थापना की गई।² इस परिषद् ने शिक्षा-प्रसार की दिशा में सराहनीय कार्य किया। नार्मल स्कूल की स्थापना हा जाने के कारण विद्यालयों के लिये प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव बहुत-कुछ दूर हो गया था। परिषद् ने १८४३ में शिक्षा का पाठ्यक्रम निश्चित करके पाठ्य-पुस्तकों में सुधार किया। उसने १८४४ में विद्यालय-निरीक्षकों की नियुक्ति करके विद्यालयों की शिक्षा का भार उन्हें सौंप दिया। उसने १८४५ में कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया, पर कम्पनी के सचालका ने उसे 'असामयिक' कहकर अस्वीकार कर दिया। 'शिक्षा-परिषद्' ने प्राथमिक शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। १८५४ तक परिषद् के अन्तर्गत १५१ शिक्षा-संस्थाएँ थीं, जिनमें १३,१६३ विद्यार्थी पढ़ते थे और जिनका वार्षिक व्यय ५,६४,४२८ रुपये था।³ इनमें ४७ अंग्रेजी स्कूल, ५ अंग्रेजी कॉलेज, १ मेडिकल कॉलेज तथा ३ प्राच्य कॉलेज थे।

व्यक्तिगत शिक्षा-कार्य—बंगाल में शिक्षा को व्यक्तिगत प्रयत्न के कारण भी प्रोत्साहन मिला। हाजी मुहम्मद मुहसिन के दानस्वरूप प्राप्त धन से हुगली के जिला-स्कूल को कॉलेज का रूप प्रदान किया गया। १८४६ में 'शिक्षा-परिषद्' के प्रधान जे. ई. डी. बेंथून (J. E. D. Bethune) ने लड़कियों के लिये एक स्कूल खोला और उसका समस्त व्यय-भार स्वयं वहन किया। इस कार्य से प्रेरित होकर जयकृष्ण मुर्जई एवं बारासेत के बुद्ध निवासिया ने भी स्त्री-शिक्षा का प्रबन्ध किया।

मिशनरियों के शिक्षा-कार्य—मिशनरियों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय

1. S. N. Mukerji : *op. cit* , p. 110
2. Nurullah & Naik : *op. cit* , p. 95.
3. *Ibid*, p. 96.

काय किया। उ होने १८५३ तक सम्पूर्ण बंगाल में २२ स्कूला का निर्माण किया। इन स्कूलों को सरकार ने किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी।

शिक्षा का माध्यम—इस काल में शिक्षा के माध्यम का प्रश्न अति विवादास्पद रहा। भारत सरकार अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम घोषित कर चुकी थी। बे० एम० बनेर्जी (K N Benerji) एवं डा० बॉल टाइन (Ballantyne) ऐसे विद्वानों ने देशी भाषाओं का पक्ष लिया परंतु सरकारी नीति के सामने उनकी कुछ न चली और अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम रखा गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि १८३३ से १८५३ तक बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा का बोलबाला रहा। भारतीयों की अंग्रेजी की नान पिपासा इतनी अधिक हो गई थी कि अंग्रेजी विद्यालयों में फीस देने वाले विद्यार्थियों को भी प्रवेश पाना कठिन था जबकि प्राच्य विद्यालयों में छत्रवृत्तियां भी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिये प्रेरित नहीं कर पाती थी।

बम्बई

बम्बई भारतीय शिक्षा समिति¹—इस समिति का निर्माण १८२३ में हुआ था। उसी समय से यह समिति शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य रही थी। १८५४ तक इसने सम्पूर्ण प्रान्त में ११५ जिला प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। इन विद्यालयों में लिखना-पढ़ना अकण्ठित बीजगणित रेखागणित त्रिकोणमिति एवं दशनासास्त्र की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम द्वारा दी जाती थी। वस्तुतः यह पाठ्यक्रम वर्तमान समय के माध्यमिक विद्यालयों के समान था। समिति ने ४ अंग्रेजी स्कूलों का भी निर्माण बम्बई, पाना, पलवल तथा पूना में किया था। इन स्कूलों का उद्देश्य—पाश्चात्य ज्ञान की शिक्षा देना था।

राजकीय प्रयास—बम्बई सरकार ने शिक्षा की ओर यथोचित ध्यान दिया। १८३७ में ४ लाख रुपये व्यय करके बम्बई प्रान्त के गवर्नर एल्फिंस्टन के नाम पर एल्फिंस्टन इन्स्टीट्यूशन की स्थापना की गई। उसी वर्ष पूना संस्कृत काँग्रेस में सभी जातियों के विद्यार्थियों की शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दे दी गई और मराठी कक्षाएँ भी प्रारम्भ कर दी गईं। सरकार—पूना जिले के पुरन्दर तालुकका में देगा विद्यालय के आधार पर ६३ प्राइमरी स्कूलों का निर्माण कर चुकी थी। इनमें लिखना-पढ़ना एवं गणित की शिक्षा दी जाती थी।

शिक्षा-बोर्ड—१८४० में बम्बई भारतीय शिक्षा-समिति का भंग करके उसका स्थान पर शिक्षा-बोर्ड (Board of Education) की स्थापना की गई। इस बोर्ड में ७ सदस्य होंगे जिनमें से ४ का सरकार मनोनात करती थी एवं ३ बम्बई भारतीय शिक्षा-समिति के प्रतिनिधि होंगे। इस बोर्ड ने शिक्षा-नियम अत्यन्त दक्षता का परिचय दिया। इसने १८४२ में प्रान्त में समस्त विद्यालयों का गणना करवाई तथा एडम का यात्रा का कार्यान्वित करने का प्रयास किया। परंतु

प्रान्त के निवासियों में पाश्चात्य ज्ञान पिपासा की उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण बोर्ड को सफलता न मिली। फलतः बोर्ड ने देशी विद्यालयों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जिससे कुछ समय पश्चात् उनका अन्त हो गया।

प्रान्तीय शिक्षा को सुचारु रूप से चलाने के लिये बोर्ड ने १८४२ में बम्बई को तीन भागों में विभक्त किया और शिक्षा की देख-रेख के लिये प्रत्येक भाग में एक यूरोपियन निरीक्षक एवं एक भारतीय उप-निरीक्षक की नियुक्ति की। १ जून, १८४३ को बोर्ड ने विद्यालयों के सम्बन्ध में कुछ नियम बनाकर उसमें समानता स्थापित करने का प्रयास किया।

शिक्षा का माध्यम—जिस समय बंगाल में प्राच्य तथा पाश्चात्य भाषाओं का विवाद चल रहा था, उस समय बम्बई ने देशी भाषाओं की शिक्षा का माध्यम रखकर अपने साहस का परिचय दिया था। परन्तु अंग्रेजी, फारसी तथा संस्कृत की अवहेलना भी नहीं की गई थी, क्योंकि उनको पाठ्य-क्रम में उचित स्थान दिया गया था। इस प्रकार देशी भाषाओं को अपने विकास के लिये सुन्दर अवसर प्राप्त हो सका था।

दुर्भाग्यवश, १८४३ में सर ऐरिस्कन पैरी (Sir Erskine Perry) शिक्षा-बोर्ड का सभापति नियुक्त हुआ। उसी समय से देशी भाषाओं के बुरे दिन आ गये। मैकॉले एवं आँकलैण्ड के समान पैरी भी पाश्चात्य ज्ञान तथा अंग्रेजी के माध्यम द्वारा शिक्षा का समर्थक था। उसने प्रस्ताव किया कि अंग्रेजी ग्रन्थों को देशी भाषाओं में अनुवादित कराना व्यर्थ का व्यय है। जनता अंग्रेजी शिक्षा की मांग कर रही है। अतः शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही होना चाहिए। इस पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव पर 'शिक्षा-बोर्ड' में दो दल बन गये। एक दल में पैरी एवं २ अंग्रेज थे, जो अंग्रेजी के पक्ष में थे। दूसरे दल में बम्बई इंजीनियरिंग कालेज का प्रिंसिपल, कर्नल जर्विस (Jervis) एवं ३ भारतीय थे, जो देशी भाषाओं की शिक्षा का माध्यम रखना चाहते थे। जर्विस का मत था—

“माधारण शिक्षा उच्च भाषा के अतिरिक्त, अन्य किसी भाषा के माध्यम से नहीं दी जा सकती है, जिसमें मनुष्य का अस्तित्व परिचित नहीं है। मैं मना करता हूँ कि देशी भाषाओं को प्रोत्साहित करना—हमारा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। यदि जनता के साहित्य की रक्षा बरनी है, तो यह उसका स्वयं का साहित्य होना चाहिये। साहित्य का अधिकार भाग भले ही पाश्चात्य हो, परन्तु उसका देशी भाषाओं से तादात्म्य हो जाना चाहिये एवं उसका स्वरूप एशियाई होना चाहिये।”¹

1 'General instruction cannot be afforded, except through the medium of a language with which the mind is familiar. I conceive it a paramount duty, on our part, to foster the Vernacular dialects. If the people are to have a literature, it must be their own. The stuff may be, in a great degree, European, but it must be freely interwoven with homespun materials and the fashion must be Asiatic.'—J. A. Richey *op cit*, pp 11-13

१८३८ तक संघर्ष का रूप इतना उग्र हो गया कि सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। सौभाग्यवश, ५ अप्रैल, १८४८ को सरकार ने यह निर्णय किया कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिये देशी भाषाओं का, तथा उच्च शिक्षा के लिये अंग्रेजी का माध्यम होगा। इस निर्णय से कोई भी दम मन्तुष्ट नहीं हुआ, पर कुछ समय उपरान्त ही बंगाल की केन्द्रीय सरकार ने बम्बई सरकार को परामर्श दिया कि वह अपना ध्यान अंग्रेजी की शिक्षा पर केन्द्रित करे। परिणामतः, अंग्रेजी के प्रभाव में वृद्धि होने लगी।

शिक्षा की प्रगति—ऐसी स्थिति में अंग्रेजी स्कूलों का नवनिर्माण स्वाभाविक था। सूरत, रत्नगिरी, अहमदाबाद, धारावार, कोल्हापुर, रातारा, राजकोट आदि महत्त्वपूर्ण स्थानों पर अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना हुई। अहमदाबाद में एक महिला-विद्यालय के लिये आर्थिक सहायता का प्रवन्ध किया गया। १८५१ में 'पूना मस्कुल कॉलेज' तथा 'पूना अंग्रेजी स्कूल' को एक में मिला दिया गया। इस नवीन शिक्षा-संस्था का नाम 'पूना कॉलेज' रखा गया। इस कॉलेज में शिक्षकों की दीक्षा के लिये एक 'नार्मल विभाग' भी खोल दिया गया। इसी प्रकार का एक विभाग सूरत के अंग्रेजी स्कूल में भी प्रारम्भ किया गया। १८५३ में देशी विद्यालयों को बौद्ध-सा राजकीय अनुदान दिया गया। १८५४ के 'आदेश पत्र' के अनुसार सरकार ने ग्रामों के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन का आधा व्यय वहन करने का वचन दिया।

इस प्रकार, १८३३ से १८५३ तक बम्बई में शिक्षा-प्रसार की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया गया। १८५४ तक देशी विद्यालयों की संख्या २१६ हो गई थी, जिनमें १२ हजार से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे। उनके साथ-साथ, अंग्रेजी विद्यालयों का भी निर्माण हुआ, जिससे अंग्रेजी शिक्षा का भी सर्वाङ्गीण विकास हुआ।

मद्रास

राजकीय प्रयास—हम पहले इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि १८३० में कम्पनी के सचालकों ने मुनरो की जन शिक्षा-योजना पर रोक लगा दी थी और लिखा था कि प्राथमिक शिक्षा के स्थान पर उच्च शिक्षा के लिये प्रयत्न किया जाय। सचालकों के इस आदेश ने देशी शिक्षा-व्यवस्था पर साघातिक प्रहार किया। देशी-विद्यालयों को प्रोत्साहन देना समाप्त कर दिया गया। जो तहसीली स्कूल स्थापित हो चुके थे, उन्हें १८३६ में बन्द करके अंग्रेजी स्कूल खोल दिये गये। कारण यह था कि इस प्रान्त के अधिकारी मैकॉले के विवरण-पत्र से प्रभावित होकर अंग्रेजी को उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करने के लिये कटिबद्ध हो गये थे। ऐसी दशा में देशी विद्यालयों का जीवित रहना अमम्भव था। उनका स्थान अंग्रेजी विद्यालय लेने लगे।

१८४१ में मद्रास नगर में एक हाईस्कूल स्थापित किया गया। जनता निरन्तर अंग्रेजी की उच्च शिक्षा की माँग कर रही थी। अतः जनता को सन्तुष्ट करने के लिये १८५२ में कालिज विभाग खोला गया। मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का

भी प्रस्ताव हुआ, परन्तु उसको अनावश्यक समझ कर उस पर विचार नहीं किया गया। एल्फिस्टन ने जिस 'विश्वविद्यालय बोर्ड' (University Board) का निर्माण किया था, उसका नाम १८४७ में बदल कर 'शिक्षा-बोर्ड' कर दिया गया। इस बोर्ड को शिक्षा-सम्बन्धी व्यय के लिए १ लाख रुपये की धन-राशि प्रदान की गई, जिससे दो अंग्रेजी स्कूल स्थापित किये गये—एक, १८५३ में कडतौर में, और दूसरा, १८५५ में राजमहेन्द्री में।

मिशनरी एवं व्यक्तिगत प्रयास—मिशनरियों ने प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया। उन्होंने बहुत से अंग्रेजी स्कूल भी खोले। सम्पूर्ण प्रान्त में १८५२ में १,१८५ मिशन स्कूल थे, जिनमें ३८,००५ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। इस प्रकार, सरकार की अपेक्षा मिशनरियों के शिक्षा-प्रयास कहीं अधिक सन्तोषजनक थे।

व्यक्तिगत प्रयासों में पच्यप्पा (Pachaiyappa) का नाम स्मरणीय है। इस दानवीर से प्राप्त धन से १८४२ में एक स्कूल स्थापित किया गया।

पश्चिमोत्तर प्रान्त

प्रशासन की सुविधा के लिये १८४२ में उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त को बंगाल से पृथक् कर दिया गया। इस नवनिर्मित प्रदेश का नाम १९०२ में 'संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध' पड़ा जो अब 'उत्तर प्रदेश' कहा जाता है। १८४२ तक इस विभक्त प्रदेश में आगरा, दिल्ली तथा बनारस में कॉलेज स्थापित किये जा चुके थे, जो सुचारु रूप से कार्य कर रहे थे। १८४३ में जेम्स टामसन (James Thomason) इस प्रान्त का गवर्नर नियुक्त हुआ।

टामसन का निर्णय—१८४५ में टामसन ने अपने प्रान्त के समस्त जिलाधीशों को आदेश दिया कि वे अपने जिलों में प्रचलित शिक्षा-प्रणाली की जाँच करके अपनी रिपोर्ट भेजें। इस जाँच से उसे ज्ञात हुआ कि अंग्रेजी एवं मिशन-स्कूलों को छोड़कर सम्पूर्ण प्रान्त में प्रत्येक प्रकार के कुल ७,९६६ स्कूल थे, जिनमें ७०,८२६ लड़के पढ़ते थे।^१ इससे वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रान्त में केवल ३७ प्रतिशत लड़के शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। टामसन को शिक्षा में अभिरुचि थी। अतः उसने जन-साधारण की शिक्षा को प्रोत्साहित एवं देशी विद्यालयों का जीर्णोद्धार करने का निश्चय किया। अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिये, उसने एडम की शिक्षा-योजना को सर्वोपयुक्त एवं देशी भाषा का संरक्षण उचित समझा। उसी के प्रयासों के फलस्वरूप भारत-सरकार ने देशी विद्यालयों को संगठित एवं विकसित करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। टामसन का आधुनिक प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है, और इस रूप में भारतीय शिक्षा के इतिहास में उसका नाम चिरस्मरणीय रहेगा।

टामसन की योजनाएँ—१८४६ में टामसन ने वर्नाक्यूलर शिक्षा को संगठित

करन के लिये केन्द्रीय सरकार के समक्ष एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की। इस योजना में उसने प्रस्ताव किया कि २०० घरा वाले प्रत्येक ग्राम में एक स्कूल स्थापित किया जाय एवं शिक्षकों के वेतन के लिये जागीरें दी जायें। कम्पनी के सचालका ने जन-साधारण की शिक्षा की आवश्यकता को तो स्वीकार किया, परन्तु जागीरा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और टामसन से दूसरी योजना प्रस्तुत करने के लिये कहा। १८४८ में टामसन ने अपनी द्वितीय योजना तैयार की, जिसे सचालका ने स्वीकार कर लिया। इस योजना के अनुसार देशी विद्यालया का जीर्णोद्धार तथा प्रत्येक तहसील में आदर्श स्कूल का निर्माण हुआ।

तहसीली स्कूल—प्रत्येक तहसीली स्कूल में एक प्रधान अध्यापक होता था, जिसे १०) २० से २०) २० मासिक वेतन मिलता था। पाठ्यक्रम के अन्तर्गत लिखना, पढ़ना गणित, ज्यामिति, इतिहास एवं भूगोल थे। प्रत्येक जिले के स्कूलों के निरीक्षण के लिये एक विजिटर (Visitor) हाता था, जिसे १०० २० से २०० २० तक मासिक वेतन मिलता था। उसकी सहायता के लिये परगना विजिटर होते थे। इन विजिटर्स के कार्य की देख-भाल के लिए एक विजिटर-जनरल (Visitor General) होता था, जिसका मासिक वेतन १,०००) रुपये था। सर्वप्रथम विजिटर-जनरल, मैनपुरी का जिलाधीश, एच० एस० रीड (H S Reid) था। तहसीली स्कूलों की इस योजना का प्रारम्भ ८ जिला में हुआ—बरेली, शाहजहाँपुर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ तथा इटावा। कम्पनी के सचालको ने इन स्कूलों के व्यय के लिये १८४६ में ५० हजार रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया। १८५० में इस योजना का श्रीगणेश हुआ। १८५१ में रोड ने आठों जिला की जांच कराई। इन जिलों में ५० कक्षाएँ, १४,५७२ ग्राम थे। स्कूलों की संख्या ३,१२७ थी और उनमें २७,८५३ विद्यार्थी पढ़ रहे थे। इनमें से २० स्कूलों में अंग्रेजी की भी शिक्षा दी जाती थी।

हल्कावादी स्कूल—देशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये तहसीली स्कूलों की योजना के अतिरिक्त टामसन ने यह आवश्यक समझा कि प्राथमिक शिक्षा जन-साधारण के लिये सुलभ कर दी जाय। उसे अपने कार्य में मथुरा के जिलाधीश, अलैक्जेंडर (Alexander) से बहुत सहायता मिली, जिसने 'हल्कावादी स्कूल प्रणाली (Circle School System) के नाम से एक विस्तृत योजना १८५१ में बनाई थी। इस योजना के अनुसार कुछ ग्रामों को मिलाकर एक 'हल्का' या 'क्षेत्र' बना दिया गया और उसमें एक प्राथमिक विद्यालय खोल दिया गया। यह विद्यालय ऐसे स्थान पर होता था, जहाँ से कोई भी ग्राम २ मील से अधिक दूर नहीं था। इन स्कूलों के व्यय के लिये जमींदार अपनी मालगुजारी का १ प्रतिशत देते थे। शीघ्र ही यह योजना आगरा, एटा, इटावा, बरेली, मैनपुरी तथा शाहजहाँपुर में फैल गई। १८५४ में इस प्रकार के ७५८ विद्यालय थे, जिनमें १७ हजार छात्र पढ़ते थे।^१

पंजाब

पंजाब प्रान्त का निर्माण १८४६ में हुआ था। उस समय तक वहाँ शिक्षा की दिशा में विशेष प्रगति नहीं हुई थी। वहाँ बहुत समय से तीन प्रकार के स्कूल शिक्षा-कार्य में सलग्न थे—हिन्दू सिक्ख एवं मुसलमान। हिन्दू विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी सख्या मुसलमानों के स्कूलों में पाई जाती थी। लड़कियों की शिक्षा का भी प्रवन्ध था। पंजाब में उर्दू भाषा प्रचलित होने के कारण अधिकांश हिन्दू एवं सिक्ख बालक इस भाषा का अध्ययन करते थे। अमृतसर के निवासियों ने अंग्रेजी सीखने के लिये उत्कट इच्छा व्यक्त की। परिणामस्वरूप, १८४६ में वहाँ के स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षा का प्रवन्ध कर दिया गया। इसी प्रकार का एक स्कूल लाहौर में भी खोला गया। इन स्कूलों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी, उर्दू, संस्कृत, अरबी एवं फारसी की भी शिक्षा दी जाती थी।

मई, १८०५ में पश्चिमोत्तर प्रान्त की शिक्षा योजना को पंजाब में भी चालू करने के लिये केन्द्रीय सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव में ४ नामल स्कूल, ६० तहसीली स्कूल एवं लाहौर में एक कॉलेज स्थापित करने, तथा ५० परगना विजिटर, १२ जिला विजिटर और एक विजिटर-जनरल को नियुक्त करने की प्रार्थना की गई। जून, १८५४ में लाड डलहौजी ने कुछ सशोधन के साथ इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

उच्च शिक्षा

पश्चिमोत्तर प्रान्त—उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त की सरकार ने उच्च शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। १८५२ में आगरा में एक नामल स्कूल का शिलान्यास हुआ और उसी वर्ष सेन्ट जॉन्स कालेज, आगरा की स्थापना हुई। १८५० में बरेली हाई स्कूल एवं १८५३ में बनारस के 'जयनारायण घोषाल स्कूल' को कॉलेज बना दिया गया। १८५४ में इस प्रान्त में स्कूलों की सख्या ३,६२० थी, जिनमें ५३ हजार विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। उस वर्ष आगरा, दिल्ली एवं बनारस के राजकीय कॉलेजों में छात्रों की सख्या ६७६ हो गई थी। १८५४ में सरकार, शिक्षा पर २ लाख २५ हजार रुपया व्यय कर रही थी, जिसमें से कॉलेजों तथा स्कूलों पर १ लाख ८० हजार रुपया व्यय होता था।

अन्य प्रान्त—अन्य प्रान्तों में मिशन कॉलेजों के अतिरिक्त, जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है, कुछ राजकीय कॉलेजों का भी निर्माण किया गया। उदाहरणतः बंगाल में ढाका कालेज (१८४१), कृष्णनगर कॉलेज (१८४५), एवं बहरामपुर कालेज (१८५३)। बम्बई एवं मद्रास में भी कुछ कॉलेज स्थापित किय गये, पर उनकी सख्या अधिक नहीं थी। १८५७ में भारत में कॉलेजों की कुल सख्या २३ थी, जिनमें मिशन-कॉलेज तथा व्यावसायिक शिक्षा (Professional & Vocational Education) देने वाले कॉलेज भी सम्मिलित थे।

व्यावसायिक शिक्षा

१८३३ तक भारत में ब्रिटिश राज्य की जड़े जम चुकी थी और सरकार को विभिन्न व्यवसायों के विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ने लगी थी। अतः सरकार ने भारतवासियों को चिकित्सकों, इन्जीनियरों, वकीलों आदि के रूप में शिक्षित करने की ओर ध्यान दिया और उनके लिए कॉलेज स्थापित किये। हम इनकी ओर नीचे संकेत कर रहे हैं —

१. चिकित्सा-शिक्षा

बंगाल—प्रारम्भ में अंग्रेजों ने प्राच्य-शिक्षा को प्रोत्साहित करने की नीति अपनायी थी और प्राच्य-विद्यालयों तथा कॉलेजों का निर्माण किया था। इस योजना के अन्तर्गत १८२२ में कलकत्ता में भारतीयों के लिए एक चिकित्सा-विद्यालय स्थापित किया गया था, और १८२६ में 'कलकत्ता संस्कृत कॉलेज' तथा 'कलकत्ता मदरसा' में चिकित्सा-विभाग खोले गये थे। इनमें हिन्दू एवं मुस्लिम ढंग पर चिकित्सा की शिक्षा प्रदान की जाती थी। जो भारतीय यहाँ से चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त करके निकलते थे, वे अंग्रेजों की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाते थे, क्योंकि वे शल्य-चिकित्सा से अनभिज्ञ होते थे। फलस्वरूप, 'लोक-शिक्षा-समिति' ने सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा कि भारतीयों को पाश्चात्य ढङ्ग पर चिकित्सा की शिक्षा प्रदान की जाय। सरकार ने समिति का यह प्रस्ताव जनवरी, १८३५ में स्वीकार कर लिया। परिणामतः भारतीय ढङ्ग पर चलने वाला चिकित्सा-विद्यालय एवं चिकित्सा-कक्षाएँ बन्द कर दी गईं और १८३५ में 'कलकत्ता मेडिकल कॉलेज' की नींव पड़ी। इसमें पाश्चात्य ढंग पर चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। १८४४ में इस कॉलेज के ४ भारतीय विद्यार्थियों को चिकित्सा में विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया।

मद्रास—यहाँ १८३५ में यूरोपियन एवं भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक मेडिकल स्कूल का निर्माण हुआ। इसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। १८५१ में इस स्कूल को कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया।

बम्बई—१८३७ में बम्बई के तत्कालीन गवर्नर, सर रॉबर्ट ग्राण्ट (Sir Robert Grant) ने एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का विचार किया। किन्तु दुर्भाग्यवश उसके निधन के कारण योजना पूर्ण न हो सकी। बम्बई के निवासियों ने सर रॉबर्ट की स्मृति को चिरस्थायी रखने के विचार से धन एकत्र करके १८४५ में 'ग्राण्ट मेडिकल कॉलेज' का शिलान्यास किया।

पाश्चात्य चिकित्सा-शिक्षा को प्रारम्भिक कठिनाई—हम ऊपर इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि प्रारम्भ में कम्पनी ने प्राच्य-शिक्षा को प्रोत्साहित करने की नीति को अपनाया था। इसी नीति के अन्तर्गत चिकित्सा की आयुर्वेद तथा यूनानी प्रणालियों को गुरुत्व रखने का विचार किया गया था। किन्तु मैकाले एवं बेट्टिक

की पाश्चात्य शिक्षा की नीति ने चिकित्सा-शिक्षा को भी प्रभावित किया और बंगाल की सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा-पद्धति पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। इस नीति के फलस्वरूप भारतीय चिकित्सा-शिक्षा की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई, जिससे उसकी प्रगति अवरुद्ध हो गई। इस नीति को अपनाने में अंग्रेजों ने केवल अपने ही हितों की पूर्ति का ध्यान रखा और भारतीयों के हितों की उपेक्षा की।

पाश्चात्य चिकित्सा-शिक्षा को प्रारम्भ करने में एक महान् कठिनाई का अनुभव किया गया। भारतीय मृत-शरीर को स्पर्श करना पाप समझते थे और शल्य-चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मृत-शरीर की चीर-फाड़ आवश्यक थी। इस कठिनाई पर प्रथम भारतीय विद्यार्थी मधुसूदन गुप्त की सहायता से विज्ञान प्राप्त की गई। डा० गुडेव (Goodeve) के साथ उसने एक मृत-शरीर की चीर-फाड़ की। इस दृश्य को देखकर भारतीय विद्यार्थियों के हृदय में मनोवैज्ञानिक तथा क्रान्तिकारों परिवर्तन प्रारम्भ हुआ और वे पाश्चात्य ढंग पर चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुए। फलतः प्रति वर्ष मेडिकल कॉलेजों में भारतीय छात्रों की संख्या में वृद्धि होने लगी।

२. इंजीनियरिंग की शिक्षा

बंगाल—१८५४ में 'शिक्षा-परिषद्' ने प्रेसीडेन्सी कॉलेज, कलकत्ता में एक इंजीनियरिंग स्कूल खोलने का प्रस्ताव सरकार के सम्मुख रखा। उसी वर्ष पर बंगाल के प्रधान इंजीनियर ने "सार्वजनिक निर्माण-कार्यों में सहाय्य सुधार करने के लिए" एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने का प्लान रखा। सरकार के मंत्रियों ने इन दोनों प्रस्तावों पर विचार करके एक प्रेसीडेन्सी कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की। फलस्वरूप, १८५६ में कलकत्ता में इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास हुआ।

ऑफ रेवेन्यू' (Board of Revenue) के संरक्षण में 'सर्वेय स्कूल' (A Survey School) चल रहा था।

पश्चिमोत्तर प्रान्त—१८४५ तक इस प्रान्त में इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिये कोई प्रबन्ध नहीं था। उस वर्ष सरकार की सिचाई-योजना के लिये योग्य व्यक्तियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से सहारनपुर में एक इंजीनियरिंग कक्षा प्रारम्भ की गई। इस प्रान्त के गवर्नर, टामसन के प्रयास के फलस्वरूप १८४७ में इस कक्षा को हटाकर रुडकी ले जाया गया और इसे कॉलेज का रूप दिया गया। टामसन के देहावसान के पश्चात्, १८५४ से उसके नाम को इस कॉलेज से सम्बद्ध कर दिया गया और यह 'टामसन इंजीनियरिंग कॉलेज' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

३. कानून की शिक्षा

भारत के अंग्रेज शासक अपने शासन-काल के प्रारम्भिक वर्षों में ही हिन्दू एवं मुस्लिम कानून के विशेषज्ञों की आवश्यकता का अनुभव कर चुके थे। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 'कलकत्ता मदरसा' तथा 'बनारस संस्कृत कॉलेज' का निर्माण किया गया था। साम्राज्य-विस्तार के कारण अधिक विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ी। अतः १८४२ में 'कलकत्ता हिन्दू विद्यालय' में कानून की शिक्षा की व्यवस्था एवं कानून के एक प्रोफेसर की नियुक्ति की गई। कानून की शिक्षा का यह प्रयास 'सागर में एक बूँद' के समान था और यह भारतीयों की कानून पढने की जिज्ञासा को तृप्त न कर सका।

४. अन्य शिक्षा-संस्थाएँ

उपर्युक्त व्यावसायिक शिक्षा-संस्थाओं के अतिरिक्त भारत में कुछ अन्य शिक्षा-संस्थाएँ अधोलिखित स्थानों पर थीं :—

१—१८४० में मेजर मैटलैण्ड (Major Matland) ने मद्रास में अस्व-सम्बन्धी (Ordnance) शिक्षा के लिये एक 'औद्योगिक स्कूल' (Industrial School) स्थापित किया।

२—१८५० में डा० हन्टर (Hunter) ने मद्रास में एक 'औद्योगिक कला-स्कूल' (School of Industrial Arts) का शिलान्यास किया। १८५१ में उसने एक 'औद्योगिक स्कूल' का निर्माण किया। इस स्कूल का उद्देश्य—लाभप्रद कारीगरी की शिक्षा देना तथा दैनिक प्रयोग की विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन को उन्नत बनाना था। १८५५ में इन दोनों स्कूलों को मिलाकर एक कर दिया गया और इसका प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया।

३—१८५३ में सर जमशेदजी जीजीभाई (Sir Jamsedjee Jeejeebhoy) ने बम्बई में 'कला एवं उद्योग के स्कूल' की स्थापना के लिये १ लाख रुपये दान दिया। इस धन का उपयोग १८५६ में 'जे० जे० स्कूल ऑफ आर्ट' का निर्माण करके किया गया।

उपसंहार

१८३३ से १८५३ तक ईस्ट-इण्डिया कम्पनी—व्यवसाय, विजय एवं राज्य-संगठन के कार्यों में व्यस्त रही। अतः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके संचालकों तथा अधिकारियों को शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान देने एवं उस पर पर्याप्त धन व्यय करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। शिक्षा प्रसार की दिशा में जो राजकीय प्रयत्न किये गये, वे इस देश की जनसंख्या की विशालता तथा निवासियों की निरक्षरता को देखते हुए 'सागर में कुछ बूंदों' के समान थे। १८५५ में जिन शिक्षा-संस्थाओं का प्रबन्ध कम्पनी कर रही थी, उनकी संख्या केवल १,४७४ थी और उनमें ६७,५६६ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तथा शिक्षा पर किया जाने वाला कुल व्यय सम्पूर्ण आय का १ प्रतिशत भी नहीं था। इस प्रकार, इस काल में शिक्षा की प्रगति संतोषजनक नहीं हुई।

इस काल की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ भी हैं। प्रथम, लार्ड हाडिंज की घोषणा के फलस्वरूप शिक्षा एवं नौकरी के मध्य एकात्मिकता की स्थापना हुई। उसी समय से शिक्षा का चरम लक्ष्य 'नौकरी' माना जाने लगा। परन्तु तात्कालिक स्थिति पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि १८४४ से १८५३ तक की ९ वर्ष की अवधि में केवल १० व्यक्तियों को इस प्रकार नौकरी मिली। द्वितीय, प्राथमिक शिक्षा का भार विभिन्न समितियों पर होने के कारण शिक्षण-पद्धति में एकरूपता की स्थापना न हो सकी। अध्यापकों को इतना कम वेतन मिलता था कि उनमें शिक्षण-योग्यता की आशा करना व्यर्थ था। कम्पनी ने 'नवीन प्राथमिक शिक्षा' के प्रसार एवं संरक्षण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया, किन्तु फिर भी उसकी गति तीव्र न हुई। अप्रत्यक्ष रूप में देशी एवं नवीन प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिद्वन्द्विता की भावना प्रारम्भ हो गई। फलस्वरूप, प्राच्य-शिक्षा का क्रमिक ह्रास होने लगा। तृतीय, अंग्रेजी के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रही थी। परन्तु कोरे पुस्तकीय ज्ञान पर बल देकर शिक्षा के क्षेत्र में अवाङ्मनीय बीज बोया जा रहा था।

सारांश

बंगाल—बैंटिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम घोषित किया। फलतः अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिये विद्यालयों का निर्माण होने लगा। ऑकलैण्ड ने प्रत्येक जिले में एक 'जिला विद्यालय' स्थापित किया। हाडिंज ने अंग्रेजी स्कूलों एवं प्राथमिक विद्यालयों को प्रोत्साहन दिया। डलहौजी ने अनुदान-प्रणाली प्रारम्भ करके प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया। 'शिक्षा-परिषद्' ने पाठ्य-पुस्तकों में सुधार किया, विद्यालय-निरीक्षक नियुक्त किये एवं प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया। हाजी मुहम्मद मुहसिन से प्राप्त धन से हुगली कॉलेज का निर्माण हुआ। वेय्यू ने सड़कियों के लिए एक स्कूल का प्रबन्ध किया। मिशनरियों ने १८५३ तक २२ स्कूल निर्मित किये। बनर्जी तथा बैलेन्टाइन के प्रयास करने पर भी देशी भाषाएँ शिक्षा का माध्यम न बन सकीं।

बम्बई—'बम्बई-भारतीय शिक्षा-समिति' ने १८४० तक ११५ जिला प्रार्यामिक विद्यालय खोले। सरकार ने 'एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूशन' स्थापित किया और पुरन्दर ताल्लुक्का में ६३ प्राइमरी स्कूल खोले। 'शिक्षा-बोर्ड' ने ऐडम की योजना कार्यान्वित करने का प्रयास किया, परन्तु सफलता न मिली। माध्यम के प्रश्न पर 'शिक्षा-बोर्ड' के सदस्यों के दो दल बन गये। १८४८ में सरकार ने निर्णय किया कि प्रार्यामिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिये देशी भाषाओं तथा उच्च शिक्षा के लिये अंग्रेजी का माध्यम होगा। फलस्वरूप अंग्रेजी शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन मिला।

मद्रास—सरकार ने १८४१ में मद्रास नगर में एक हाई स्कूल खोला। १८५२ में उसमें कॉलेज-विभाग खोला गया। 'शिक्षा-बोर्ड' ने २ अंग्रेजी स्कूल स्थापित किये। मिशनरियों ने १८५२ तक १,१८५ स्कूलों का निर्माण किया। पच्यप्पा से प्राप्त धन से १८४२ में एक स्कूल खोला गया।

पश्चिमोत्तर प्रान्त—टामसन के प्रयास के फलस्वरूप तहसीली स्कूल खोले गये एवं परगना विजिटर, जिला विजिटर तथा विजिटर-जनरल की नियुक्ति हुई। मथुरा के जिलापीठा, अलकवण्डर ने 'हल्कावन्दी स्कूल' की योजना बनाई। १८५४ में इस प्रकार के ७५८ स्कूल थे।

पंजाब—१८४६ में अमृतसर में अंग्रेजी की शिक्षा के लिये सरकार ने एक स्कूल खोला। इसी प्रकार का एक स्कूल लाहौर में भी खोला गया। १८४५ में ४ नार्मल स्कूल एवं ३० तहसीली स्कूल खोलने तथा ५० परगना विजिटर, १२ जिला-विजिटर एवं १ विजिटर-जनरल की नियुक्ति की योजना बनाई गई।

उच्चशिक्षा—१८५० में 'वरेली हाई-स्कूल' एवं १८५३ में बनारस के 'जयनारायण घोषाल स्कूल' को कॉलेज बना दिया गया।

चिकित्सा-शिक्षा—१८३५ में 'कलकत्ता मेडिकल कॉलेज' की नींव पड़ी। १८५१ में मद्रास के मेडिकल स्कूल को कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया। १८५४ में बम्बई में 'ग्रान्ट मेडिकल कॉलेज' स्थापित किया गया।

इंजीनियरिंग की शिक्षा—१८५४ में पूना में एक इंजीनियरिंग कक्षा तथा एक यंत्रशास्त्र का विद्यालय स्थापित किया गया। १८५४ में रडकी में 'टामसन इंजीनियरिंग कॉलेज' का निर्माण हुआ। १८५६ में कलकत्ता में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास हुआ।

कानून की शिक्षा—१८४२ में 'कलकत्ता हिन्दू विद्यालय' में कानून की शिक्षा की व्यवस्था की गई। मद्रास एवं बम्बई में कानून की शिक्षा का प्रबन्ध १८५५ में किया गया।

TEST QUESTIONS

1. Write a brief account of the progress of education from 1833 to 1853.

१८३३ से १८५३ तक शिक्षा की प्रगति का संक्षेप में वर्णन कीजिये।

2. Describe briefly Thomason's plan for the development of mass education in the North-Western Provinces.

पश्चिमोत्तर प्रान्त मे जन-शिक्षा के विकास के लिये टामसन की योजना का वर्णन कीजिये !

3. "James Thomason is regarded as the father of elementary education in India." Discuss.

"जेम्स टामसन को भारत मे प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है।" विवेचना कीजिये ।

बुड का शिक्षा-घोषणा-पत्र, १८५४

कम्पनी का नया आदेश-पत्र

१८३३ के बाद १८५३ में कम्पनी के 'आज्ञा-पत्र' (Charter) के नवीनीकरण का अवसर आया। उस समय तक ब्रिटिश लोक-सभा यह अनुभव कर चुकी थी कि भारतीय शिक्षा की उपेक्षा करना उपयुक्त न होगा, और शिक्षा की एक स्थायी नीति ग्रहण करना आवश्यक था। इन विचारों से प्रेरित होकर लोक सभा ने एक 'संसदीय-समिति' (Select Committee of the House of Commons) नियुक्त की। समिति ने १८५३ तक की भारतीय शिक्षा का गहन अध्ययन किया और ट्रेवेलियन, पैरी, मार्शमैन, विल्सन, हैलीडे, डफ^१—आदि भारतीय शिक्षा मर्मज्ञों के विचारों को सुना। अपनी इस जांच के आधार पर समिति ने स्पष्ट रूप से बताया कि भारतीय शिक्षा के प्रश्न को टालना हितकर न होगा और उससे ब्रिटिश साम्राज्य को क्षति पहुँचने की कोई आशंका नहीं थी। समिति के सुझावों के आधार पर १९ जुलाई, १८५४ को कम्पनी के सचालको ने अपनी भारतीय शिक्षा-नीति की घोषणा की। उस समय चार्ल्स बुड (Charles Wood) कम्पनी के 'बोर्ड आफ कन्ट्रोल' का प्रधान था। अतः उसी के नाम पर कम्पनी का यह नया आदेश-पत्र, 'बुड का शिक्षा घोषणा-पत्र' (Wood's Education Despatch) कहा गया। यह घोषणा-पत्र १०० अनुच्छेदों का एक लम्बे अभिलेख था, जिसमें भारतीय शिक्षा के सुधार के लिए एक विशिष्ट योजना का निरूपण किया गया था। घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन उप-काल का श्रीगणेश किया। हम नीचे इस घोषणा-पत्र के शिक्षा-सिद्धान्तों पर प्रकाश डाल रहे हैं —

घोषणा-पत्र में विवाद-ग्रस्त विषयों का सिंहावलोकन

सर्वप्रथम 'बुड के घोषणा-पत्र' में भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व कम्पनी के

1. Trevelyan, Perry, Marshman, Wilson, Halliday, Duff

ऊपर बताया गया और शिक्षा को एक पुनीत कर्तव्य कहा गया। “अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों में से, अन्य कोई भी विषय हमारा ध्यान इतना आकर्षित नहीं कर सकता है, जितना कि शिक्षा। यह हमारा एक पुनीत कर्तव्य है।”²

इसके उपरान्त ‘घोषणा-पत्र’ में प्राच्य-पाश्चात्य शिक्षा-विवाद की ओर संकेत किया गया। प्राच्य-साहित्य की निन्दा नहीं की गई, परन्तु मैकॉले के समान पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान को भारतवासियों के लिये उपयुक्त बताया गया।

आगे चलकर ‘घोषणा-पत्र’ में शिक्षा के माध्यम-सम्बन्धी जटिल प्रश्न को हल किया गया। यह बात स्वीकार की गई कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने से देशी भाषाओं की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी। परन्तु इस आरोप का खण्डन किया गया कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम इसलिये बनाया गया—ताकि देशी भाषाओं के विकास में रुकावट डाली जा सके। अन्त में, इस बात पर बल दिया गया कि अंग्रेजी एवं देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय।

इस प्रकार विवाद-ग्रस्त विषयों का सिंहावलोकन करने के पश्चात् ‘घोषणा-पत्र’ में कुछ शिक्षा-सम्बन्धी सिफारिशों की गईं, जिनका उल्लेख हम नीचे कर रहे हैं :—

‘घोषणा-पत्र’ की सिफारिशें

(१) शिक्षा का उद्देश्य—शिक्षा के उद्देश्य को भारतवासियों तथा अंग्रेजी राज्य के हितों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया। ‘घोषणा-पत्र’ में यह बात स्पष्ट कर दी गई कि शिक्षा द्वारा भारतीयों की बौद्धिक एवं चारित्रिक उन्नति करने के साथ ही ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न करना था, जो राज्य को सुदृढ़ बना सकें और विश्वास के साथ राजपदों पर नियुक्त किये जा सकें।

(२) पाठ्य-क्रम—पाठ्यक्रम के लिये भारतीय भाषाओं के साहित्य को ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बताया गया। कानून की दृष्टि से भी इस साहित्य का महत्त्व स्वीकार किया गया। इस प्रकार, संस्कृत, अरबी एवं फारसी की उपयोगिता स्वीकार करके उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया, परन्तु पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञानों का अध्ययन ही भारतीयों के लिये उपयुक्त समझा गया। “हम बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि जिस शिक्षा का प्रसार हम भारत में करना चाहते हैं, उसका उद्देश्य—यूरोपीय उच्च कला, विज्ञान, दर्शन, एवं यूरोपीय साहित्य, अर्थात्, संक्षेप में, यूरोपीय ज्ञान है।”²

1. “Among many subjects of importance, none can have a stronger claim to our attention than that of education. It is one of our most sacred duties.”—Wood’s *Despatch*.

2. “We must emphatically declare that the education which we desire to see extended in India is that which has for its object the diffusion of the improved Arts, Science, Philosophy and Literature of Europe, in short, of European knowledge.”

—Wood’s

(३) शिक्षा का माध्यम—‘घोषणा-पत्र’ में बताया गया कि देशी भाषाओं में पुस्तकों का अभाव होने के कारण अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक है। परन्तु यह बात स्पष्ट कर दी गई कि अंग्रेजी का माध्यम केवल उन व्यक्तियों के लिए होगा, जो इस भाषा का समुचित ज्ञान रखते हैं और जो इसके द्वारा पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर सकें। अन्य व्यक्तियों के लिए शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएँ होंगी। इस प्रकार अंग्रेजी तथा देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। “यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए हम अंग्रेजी भाषा तथा भारत की देशी भाषाओं की ओर शिक्षा के माध्यम के रूप में देखते हैं, और भारत के समस्त स्कूलों में उनको साथ-साथ फलते-फूलते देखने की हमारी अभिलाषा है।”¹

(४) जन-शिक्षा-विभाग की स्थापना—‘घोषणा-पत्र’ में आदेश दिया गया कि भारत के प्रत्येक प्रान्त में एक ‘जन-शिक्षा-विभाग’ (Department of Public Instruction) स्थापित किया जाय और उसका सर्वोच्च अधिकारी ‘जन-शिक्षा-संचालक’ (Director of Public Instruction) हो। उसकी सहायता के लिए उपशिक्षा-संचालक, निरीक्षक (Inspector) तथा सहायक निरीक्षक नियुक्त किये जाएँ। प्रान्त की शिक्षा की व्यवस्था एवं उसके संचालन का भार शिक्षा-संचालक पर होगा और वह प्रति वर्ष सरकार को शिक्षा-विषयक रिपोर्ट भेजेगा।

(५) विश्वविद्यालयों की स्थापना—‘घोषणा-पत्र’ में कहा गया कि उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कलकत्ता, बम्बई और यदि आवश्यकता हो, तो मद्रास तथा अन्य स्थानों में विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें। इन विश्वविद्यालयों का निर्माण लन्दन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर किया जाय। प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए कुल-पति (Chancellor), उपकुलपति (Vice-Chancellor) तथा अभिसदस्य (Fellows) होंगे, जो सरकार के द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। इन सब को मिलाकर ‘सीनेट’ (Senate) बनाई जायगी, जो विश्वविद्यालय के लिए नियम बनायेगी और उसका प्रबन्ध करेगी। विश्वविद्यालय अपने से सम्बद्ध कलेजों के विद्यार्थियों की परीक्षा लेगा और उपाधियाँ प्रदान करेगा। विश्वविद्यालयों में इंग्लिश, कानून, देशी भाषाओं, संस्कृत, अरबी एवं फारसी की शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिये विशेष रूप से उल्लेख किया गया। इस प्रकार ‘घोषणा-पत्र’ में प्राच्य-भाषाओं के विकास की ओर समुचित ध्यान दिया गया, परन्तु अंग्रेजी शिक्षा की माँग होने के कारण उनकी अपेक्षित प्रगति न हो सकी।

(६) क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना—‘घोषणा-पत्र’ में सम्पूर्ण भारत में

1. "We look to the English language and to the Vernacular languages of India together as the media for the diffusion of European knowledge, and it is our desire to see them cultivated together in all schools in India."—*Ibid.*

क्रमबद्ध विद्यालयों (Graded Schools) की योजना पर बल दिया गया। इस योजना का स्पष्टीकरण करते हुए 'घोषणा-पत्र' में अंकित किया गया कि—शिक्षा का ढांचा इस प्रकार का हो, जिसके आधार में प्राथमिक विद्यालय हो और फिर मिडिल स्कूल, हाईस्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय हो। इस योजना की रूप-रेखा केवल इस अभिप्राय से तैयार की गई थी, जिससे ज्ञान के अभिलाषी व्यक्तियों को क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

(७) जन-शिक्षा-प्रसार—'घोषणा-पत्र' में निस्यन्दन-सिद्धान्त के अनुसरण किये जाने पर असंतोष प्रकट किया गया और यह स्वीकार किया गया कि जन-साधारण की शिक्षा की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई थी। अभी तक कम्पनी के अधिकारियों का ध्यान वर्ग-विशेष की शिक्षा की ओर था और उसी पर राज-कोष का अधिकांश भाग व्यय किया जाता था। अतः 'घोषणा-पत्र' में कहा गया कि जन-साधारण को व्यावहारिक एवं लाभदायक शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय। 'घोषणा-पत्र' में अंकित किया गया—“अब हमारा ध्यान इस अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न की ओर जाना चाहिए, जिसकी अभी तक अवहेलना की गई है, अर्थात् जीवन के सभी अङ्गों के लिए लाभदायक एवं व्यावहारिक शिक्षा, उस विशाल जनसमूह को किस प्रकार दी जाय जो किसी सहायता के बिना स्वयं लाभदायक शिक्षा पाने में पूर्णतः असमर्थ है।”

इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हाई-स्कूलों, मिडिल स्कूलों एवं प्राथमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जाय। 'घोषणा-पत्र' में सिफारिश की गई कि निम्न किन्तु योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रवृत्तियाँ दी जायें, जिससे वे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह सकें। घोषणा-पत्र में देशी विद्यालयों को प्रोत्साहित करने की उस नीति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, जिसका अनुसरण टामसन द्वारा उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त में किया गया था। लार्ड ऑकलैण्ड की नीति के प्रतिकूल, देशी प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षा का आधार माना गया और उसी पर सम्पूर्ण शिक्षा-भवन का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया।

(८) सहायता-अनुदान-पद्धति—जन-शिक्षा-प्रसार की योजना तो उत्तम थी, परन्तु उसे कार्यान्वित करने के लिये कम्पनी को अत्यधिक धन व्यय करना पड़ता। अतः 'घोषणा-पत्र' में सहायता-अनुदान (Grant-in-aid) का सुझाव दिया गया। इस पद्धति से चिर-भरिचित होने के कारण भारतीयों को इसे स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। इससे शिक्षित एवं धनी वर्गों की उदारता एवं प्रयासों को प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता था, और शिक्षा की तीव्र प्रगति भी सम्भव थी। प्रत्येक प्रान्तीय सरकार, सहायता-अनुदान सम्बन्धी कुछ नियम बनाये और सहायता-अनुदान उन्हीं शिक्षा-संस्थाओं को दिया जाय, जो निम्नांकित शर्तों को स्वीकार करें—

१. विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के अन्धों और धर्म-निरपेक्ष लौकिक शिक्षा देना।

२. विद्यालय का स्थानीय व्यक्तियों की प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा कुशलतापूर्वक संचालन किया जाना।
३. विद्यालय के विद्यार्थियों से शुल्क के रूप में कुछ धन लेना।
४. विद्यालय के प्रबन्धको द्वारा सरकारी निरीक्षण तथा सहायता-अनुदान सम्बन्धी नियमों का पालन किया जाना।

‘घोषणा-पत्र’ में उल्लेख किया गया कि प्रान्तीय सरकारें, इङ्ग्लैंड की सहायता-अनुदान-प्रणाली का अनुसरण करें और शिक्षकों के वेतन, छात्रवृत्तियों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, विज्ञान एवं कला-कक्षाओं तथा भवन-निर्माण आदि के लिए अलग-अलग अनुदान देने की व्यवस्था करें। अनुदान सब प्रकार के विद्यालयों को दिया जाय। इस अनुदान-प्रणाली को अपनाकर व्यक्तिगत विद्यालयों की वृद्धि होगी और कुछ समय पश्चात् उनकी संख्या इतनी हो जायगी कि सरकार स्कूलों को चलाने के व्यय-भार से मुक्त हो जायगी। इन सरकारी स्कूलों को या तो स्थानीय स्कूल-प्रबन्धको को हस्तान्तरित कर दिया जायगा या बन्द कर दिया जायगा। इस प्रकार, कम्पनी के संचालक थोड़ा-सा धन व्यय करके राजकीय विद्यालयों की स्थापना एवं उनके संचालन के उत्तरदायित्व से बचना चाहते थे।

‘घोषणा-पत्र’ में सहायता-अनुदान-प्रणाली पर विशेष रूप से बल दिया गया। सम्भवतः इसका उद्देश्य—मिशनरियों के शिक्षा-कार्य को प्रोत्साहित करना था, क्योंकि उस समय व्यक्तिगत रूप में मिशन स्कूलों की ही बहुलता थी। शंका का समाधान इस बात से हो जाता है कि ‘घोषणा-पत्र’ के लेखबद्ध किये जाने में डॉ० डफ ऐसे मिशनरियों का व्यापक प्रभाव पड़ा। अतः यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि नवीन सहायता-अनुदान-प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य—मिशनरियों के शिक्षा-कार्य को पहले से अधिक प्रोत्साहन देना था।

(६) अध्यापकों का प्रशिक्षण—बुड के घोषणा-पत्र द्वारा कम्पनी के संचालकों ने यह इच्छा व्यक्त की कि इङ्ग्लैंड के ढंग पर भारत के प्रत्येक प्रान्त में अति शीघ्र प्रशिक्षण-विद्यालय निमित्त किये जायें। औपध-शास्त्र, इंजीनियरिंग तथा कानून आदि में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।

संचालकों ने यह भी आशा प्रकट की कि छात्राध्यापकों को छात्रवृत्तियाँ एवं शिक्षकों को अधिक वेतन देकर शिक्षा-विभाग को उतना ही आकर्षक बनाया जाय, जितने कि अन्य राजकीय विभाग थे।

(१०) स्त्री-शिक्षा—‘घोषणा-पत्र’ में स्त्री-शिक्षा के लिये धन देने वाले व्यक्तियों की सराहना की गई और आदेश दिया गया कि उदारतापूर्ण नीति का अनुसरण करके उनको इस परम-मुनीन कार्य के लिये अधिक प्रेरणा दी जाय। यह भी कहा गया कि स्त्री-शिक्षा के विद्यालयों को सहायता-अनुदान दिया जाय। संचालक

गवर्नर-जनरल की इस घोषणा से सहमत थे कि भारत में स्त्री-शिक्षा को सरकार की स्पष्ट एवं मंत्रीपूर्ण सहायता प्राप्त होनी चाहिये ।

(११) व्यावसायिक शिक्षा—‘घोषणा-पत्र’ में व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) की ओर सचेत करते हुए लिखा गया कि ऐसे कॉलेजों और स्कूलों का निर्माण किया जाय, जिनमें भारतीय, विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा प्राप्त कर सकें । व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने में सचालका के दो उद्देश्य थे—

(१) इस शिक्षा को प्राप्त करके बेकार व्यक्ति कार्य में लग जायेंगे और सरकार का आभार मानेंगे, (२) व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना से भारतीयों का हित भी सम्भव होगा और सरकार को स्वामीभक्त व्यक्ति भी मिल जायेंगे ।

(१२) प्राच्य-साहित्य को प्रोत्साहन—‘घोषणा-पत्र’ में प्राच्य-साहित्य को प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गई । यह सुझाव दिया गया कि पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाय । इसके अतिरिक्त, देशी भाषाओं में पुस्तकें लिखवाई जाय और लेखकों को मुन्दर पुरस्कार दिये जायें ।

(१३) शिक्षा और रोजगार—‘घोषणा-पत्र’ में शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों देने का आदेश दिया गया । यह बात स्पष्ट बर दी गई कि नियुक्तियाँ करते समय व्यक्तियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय और उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाय, जिनकी शिक्षा-योग्यता अन्य व्यक्तियों से अधिक है । इस नीति को अपनाने से न केवल शिक्षा का प्रसार होगा, अपितु शिक्षा प्राप्त करके जनता में मानवीय गुणा का विकास होगा, जिसके फलस्वरूप उनका जीवन अधिक सफल होगा ।

इस प्रकार बुड ने शिक्षा घोषणा-पत्र में यूरोपीय ज्ञान के प्रसार, अंग्रेजी एवं देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम, जन शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयों और ब्रम्ह-बद्ध विद्यालयों की स्थापना, जन शिक्षा प्रसार, सहायता-अनुदान, अध्यापकों के प्रशिक्षण, स्त्री एवं व्यावसायिक शिक्षा, प्राच्य-साहित्य के प्रोत्साहन तथा शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी नौकरियाँ देने की सिफारिश की गई ।

‘घोषणा-पत्र’ का मूल्यांकन

बुड का ‘घोषणा पत्र’ भारतीय शिक्षा के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा । इसने तत्कालीन भारतीय शिक्षा के आवरण को चीर कर उसका नग्न रूप चित्रित किया और आधारभूत सिद्धान्तों को व्याख्या करके शिक्षा के भावी स्वरूप को निर्धारित किया । परन्तु इस ‘घोषणा-पत्र’ की उपादेयता के सम्बन्ध में गहरा मतभेद है । अतः इसके गुण-दोषों का सूक्ष्म विवेचन आवश्यक हो जाता है —

गुण • Merits

१. ‘आदेश-पत्र’ ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन प्रकरण

किया। जेम्स (James) ने इसे—“भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार-पत्र” (Manga Charta of English Education in India) कहा है।

२. ‘आदेश-पत्र’ ने भारतीय शिक्षा के उद्देश्य का स्पष्टीकरण कर दिया, और इस प्रकार शिक्षा को एक निश्चित मार्ग की ओर अग्रसर किया।
३. ‘आदेश-पत्र’ से प्रभावित होकर ब्रिटिश लोक-सभा ने भारतीय शिक्षा की नीति निर्धारित कर दी और उसे वैधानिक रूप देने का प्रयास किया।
४. ‘आदेश-पत्र’ के द्वारा कम्पनी ने अधिकृत रूप में स्वीकार किया कि जन-साधारण को शिक्षा देना—सरकार का प्रमुख कर्तव्य है।
५. ‘आदेश-पत्र’ ने प्रथम बार एक विशद् शिक्षा-योजना की रूप-रेखा प्रस्तुत की, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विद्वविद्यालय तक की शिक्षा को स्थान दिया गया।
६. ‘आदेश-पत्र’ ने क्रमबद्ध (Graded) विद्यालयों की स्थापना का सुझाव रखकर शिक्षा-प्रसार के कार्य को सफल बनाने का प्रयास किया।
७. ‘आदेश-पत्र’ ने ‘निस्यन्दन सिद्धान्त’ को ठुकरा कर जन-शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले सिद्धान्त को मान्यता दी।
८. ‘आदेश-पत्र’ के द्वारा भारतीय साहित्य के महत्त्व को स्वीकार किया गया और प्राच्य भाषाओं को पाठ्य क्रम में स्थान दिया गया।
९. ‘आदेश-पत्र’ ने प्राच्य-साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिये भारतीय भाषाभाषा में पुस्तकें लिखवाने की व्यवस्था की।
१०. ‘आदेश-पत्र’ ने देशी प्राथमिक विद्यालयों को प्रोत्साहित करने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।
११. ‘आदेश-पत्र’ के द्वारा अंग्रेजी के साथ-साथ, देशी भाषाओं की माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में ग्रहण करने पर दल दिया गया।
१२. ‘आदेश-पत्र’ ने प्रत्येक प्रान्त में जन शिक्षा-विभाग की स्थापना करके और उसमें शिक्षा सचालक, निरीक्षका आदि की नियुक्ति करके शिक्षा को राज्य व अन्तर्गत एक सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित रूप प्रदान किया।
१३. ‘आदेश-पत्र’ के द्वारा शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर विद्यालयों को सख्या में पर्याप्त वृद्धि की गई और विश्वविद्यालयों की स्थापना करके उच्च शिक्षा का प्रबन्ध किया गया।
१४. ‘आदेश-पत्र’ ने व्यावसायिक शिक्षा-मस्थाओं का प्रबन्ध करके बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयत्न किया।
१५. ‘आदेश-पत्र’ द्वारा स्वीकार किया गया कि स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहित करना—सरकार का स्पष्ट कर्तव्य है।

१६. 'आदेश-पत्र' ने निर्धन किन्तु योग्य विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की, जिससे कि वे सरलतापूर्वक शिक्षा प्राप्त कर सकें।
१७. 'आदेश-पत्र' ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये नार्मल स्कूलों तथा प्रशिक्षण-विद्यालयों की स्थापना की, और छात्रवृत्तियाँ देकर योग्य व्यक्तियों को उनमें अध्ययन करने के लिए आकर्षित किया।
१८. 'आदेश-पत्र' द्वारा शिक्षकों को अधिक वेतन देने की सिफारिश की गई, और इस प्रकार शिक्षा-विभाग की नौकरियों को आकर्षक बनाया गया।
१९. 'आदेश-पत्र' ने सब प्रकार के विद्यालयों के लिए सहायता-अनुदान की प्रणाली प्रचलित की, जिससे शिक्षा के विस्तार की गति तीव्र हो गई।
२०. 'आदेश-पत्र' ने यह बात स्पष्ट कर दी कि सरकारी नौकरियों में शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायगी। फलस्वरूप, जन-साधारण की शिक्षा में अधिक अभिरुचि हो गई।
२१. लार्ड डलहौजी के मतानुसार 'आदेश-पत्र' में सम्पूर्ण भारत की शिक्षा के लिए एक योजना थी। इस प्रकार की व्यापक एवं विस्तृत योजना की रूपरेखा प्रान्तीय अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा कदापि प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी।^१
२२. जैम्स के कथनानुसार—“१८५४ के 'घोषणा-पत्र' का भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वोत्कृष्ट स्थान है। जो कुछ इसके पूर्व हुआ, वह इसकी धीरे संवेत करता है, और जो कुछ इसके बाद हुआ, वह इससे निकला है।”^२
२३. बसु के अनुसार—“यह 'घोषणा-पत्र' भारतीय शिक्षा का शिलाधार है। भारत में आधुनिक शिक्षा-प्रणाली का शिलान्यास इसी ने किया।”^३

1. Dalhousie was of the opinion that the Despatch contained “a scheme of education for all India, far wider and more comprehensive than the Local or the Supreme Government could have even ventured to suggest.”—Dalhousie's *Minute* of 1854 in Richey : *op. cit.*, p. 394.

2 “The Despatch of 1854 is the climax in the history of Indian education . what goes before leads up to it, what follows flows from it ”—H R. James : *Education & Statesmanship in India*, p. 42.

3. “This Despatch is said to be the corner-stone of Indian education It is said to have laid the foundation of our present system of education.”—A. N. Basu : *op. cit.*, pp. 37-38.

२४. हेम्पटन का कथन है—“१८५४ का ‘घोषणा-पत्र’ एक युग का—शिक्षा के महान् अग्रदूतों के युग का अन्त करता है।”¹

दोष : Demerits

यद्यपि बुद्ध के ‘घोषणा-पत्र’ ने शिक्षा के जीर्ण कलेवर में अमरता का संचा कर दिया, तथापि इसमें कतिपय दोष भी थे, जिनके कारण भारतीय शिक्षा क प्रवाह अक्षुण्ण न रह सका। हम इन दोषों का विश्लेषण नीचे कर रहे हैं :—

१. ‘आदेश-पत्र’ ने शिक्षा को पूर्णतः राज्य के अधीन कर दिया और उस पर नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित कर दिया गया। फलस्वरूप, अति प्राचीन काल से प्रचलित स्वतन्त्र शिक्षण-धर्म का अन्त हो गया।
२. ‘आदेश-पत्र’ द्वारा माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया गया, जिससे प्राच्य भाषाओं का शिक्षण में वह स्थान न रह गया, जो पहले था।
३. ‘आदेश-पत्र’ ने प्राच्य साहित्य और देशी भाषाओं को संरक्षण तो दिया, पर अंग्रेजी को अधिक महत्त्व देकर उनकी प्रगति अवरुद्ध कर दी।
४. हिन्दू एवं मुस्लिम शिक्षा-पद्धतियों में धर्म का प्रमुख स्थान था। ‘आदेश-पत्र’ ने धर्म को शिक्षा से अलग करके भारतीय धर्म की जड़ हिला दी।
५. शिक्षा में भारतीय धर्म को स्थान न देकर ‘आदेश-पत्र’ ने शिक्षा को पूर्ण रूप से लौकिक बना दिया। फलस्वरूप भारतीयों ने अध्यात्मवाद को विस्मृत कर दिया।
६. ‘आदेश-पत्र’ द्वारा संस्कृत, अरबी और फारसी की उपादेयता तो स्वीकार की गई, परन्तु शिक्षा का उद्देश्य—पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार बताकर अप्रत्यक्ष रूप से उनके महत्त्व को कम करने का प्रयास किया।
७. ‘आदेश-पत्र’ द्वारा सरकारी नौकरियों में शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। फलस्वरूप, शिक्षा का व्यापक उद्देश्य नष्ट हो गया और वह केवल जीविकोपार्जन तक सीमित रह गई।
८. ‘आदेश-पत्र’ ने स्पष्ट कर दिया कि केवल अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों को ही राजपदों पर नियुक्त किया जायगा। परिणामस्वरूप, देशी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में क्रमिक ह्रास होता चला गया।
९. ‘आदेश-पत्र’ द्वारा शिक्षा का ढाँचा पूर्णतः विदेशी कर दिया गया और विदेशी शिक्षा प्राप्त करने के लिये भारतीयों को नाना प्रकार के प्रलोभन

1. “The Despatch of 1854 marks the end of an era—the age of the great educational pioneers.”—Hampton : *op. cit.*, p. 115.

दिये जाने लगे। परिणामतः, भारतीयों को देशी शिक्षा-प्रणाली और देशी-शिक्षा में किसी प्रकार की रुचि न रह गई।

१०. 'आदेश-पत्र' द्वारा शिक्षा-विभाग की स्थापना एवं शिक्षा-अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिससे शिक्षा की उन्मुक्त प्रगति को बड़ा आपात पहुँचा और इस देश की शिक्षा का लचीलापन नष्ट हो गया। शिक्षा-अधिकारी अन्वयमनस्क रूप से कार्य करने लगे। शिक्षा-कार्य के प्रति उनमें कोई उत्साह नहीं था। वे अपना कर्तव्य—वेचल राजाशाहों का पालन करना समझने लगे।
११. 'आदेश-पत्र' में विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये लन्दन के विदेशी विश्वविद्यालय का आदर्श रखा गया। इस प्रकार, भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों की आदर्श परम्पराओं की अवहेलना की गई और उनके पुनरस्थापन का प्रयास नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, सीनेट के सभी सदस्यों को सरकार मनोनीत करती थी। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि ऐसे अनेक व्यक्ति सीनेट के सदस्य हो जाते थे जो शिक्षा से पूर्णतः अनभिज्ञ होते थे।
१२. 'आदेश-पत्र' द्वारा कुछ व्यावसायिक शिक्षा-संस्थाओं का निर्माण किया गया। परन्तु इनसे भारतीयों का कोई विशेष हित नहीं हुआ, क्योंकि इनका प्रमुख उद्देश्य—भारतीयों को नौकरी देकर स्वामीभक्त बनाना था।
१३. 'आदेश-पत्र' द्वारा विद्यालयों में धर्म-निरपेक्ष लौकिक शिक्षा देने पर बल दिया गया। परन्तु 'आदेश-पत्र' मिशन स्कूलों में दी जाने वाली ईसाई धर्म की शिक्षा के प्रति निष्पक्ष नहीं रहा। 'आदेश-पत्र' में कहा गया—“निरीक्षकों को उन धार्मिक सिद्धान्तों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देना चाहिये जो किसी स्कूल में पढाये जा रहे हों।”^१ यह भी लिखा गया—“यह ठीक है कि मिशन स्कूलों में बाइबिल रखी जाती है और लोगों को उसे पढ़ने की सुविधा है। साथ ही, यदि कोई छात्र कक्षा से बाहर शिक्षक से ईसाई धर्म के सम्बन्ध में अपनी शंका का समाधान करना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।”^२

1. “In their periodical inspections no notice whatsoever should be taken by them of the religious doctrines which may be taught in any school.”—Wood's Despatch.

2. “The Bible is placed in the libraries of colleges and schools and the pupils are able freely to consult it. This is as it should be, and, moreover, we have no desire to prevent, or discourage any explanations which the pupils may ask from the masters upon the subject of the Christian religion, provided that such information be given out of school hours.”—Ibid. F

१४. 'आदेश-पत्र' के आधार पर सरकारी नौकरियों के लिये व्यक्तियों को तैयार करने के विचार से अंग्रेजी विद्यालयों का निर्माण तीव्र गति से होने लगा। सरकार उन्हीं पर शिक्षा-सम्बन्धी धन का अधिक भाग व्यय करने लगी। इस प्रकार, अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के उद्देश्य की पूर्ति होने लगी, पर उसका कहना यही था कि पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञानों का प्रसार करके सरकार जन-साधारण का कल्याण कर रही है।
१५. शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो जाने से भारतीय विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों का समुचित ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव होने लगा। अतः विद्यार्थियों ने सरल उपाय खोज निकाले। वे बिना समझे हुए विषय-वस्तु को रटने लगे। साथ ही, उन्हें इस कार्य में सहायता देने के लिए बाजार में पुस्तकों की टीकाओं तथा कुँजियों की बाढ़ आ गई।¹ इन सब का विद्यार्थियों की स्वतन्त्र विचार-शक्ति पर अति दूषित प्रभाव पड़ा।
१६. शिक्षा की नवीन प्रणाली में परीक्षाओं का स्थान सर्वोपरि हो गया। विद्यार्थियों का ध्येय—ज्ञान-प्राप्ति न रहकर, परीक्षा पास करना हो गया।
१७. 'आदेश-पत्र' के द्वारा सहायता-अनुदान केवल उन्हीं विद्यालयों को मिल सकता था, जो अपना आधा व्यय स्वयं वहन करें। इस व्यय के लिये अंग्रेजी शिक्षा देने वाले विद्यालयों को तो चन्दा प्राप्त हो जाता था, पर देशी शिक्षा-संस्थाओं को नहीं मिलता था। फलतः शिक्षा उसी प्रकार असन्तुलित रही, जैसी कि वह पहले थी।
१८. सर फिलिप हरटॉग के मतानुसार 'वुड का घोषणा-पत्र' भारत के कल्याण के लिए बुद्धिमत्ता का विकास करने वाली नीति का निर्धारक था।² परन्तु पराजपे ने इसका खण्डन करते हुए लिखा है कि—“उनका उद्देश्य यह नहीं था कि शिक्षा नेतृत्व के लिए हो, शिक्षा भारत के

1. "Short-cuts were devised Unintelligent memory work and cramming became the order of day, and 'notes' flooded the educational bazaar and intellectual market."—A. N. Basu: *op. cit.*, p 46

2. "As a result of Wood's *Despatch* an educational policy was evolved as a part of a general policy of Government of India in the interests of India to develop her intellectual resources to the utmost of her own benefit."—P. Hartog: *Some Aspects of Indian Education—Past & Present*, p. 23.

औद्योगिक विकास के लिए हो, शिक्षा मातृभूमि की रक्षा करने के लिये हो। संक्षेप में, ऐसी शिक्षा हो जिसकी आवश्यकता एक स्वतन्त्र राष्ट्र के नागरिकों को हो।”¹

निष्कर्ष

उपयुक्त विवेचन के आधार पर निश्चय होकर यह कहा जा सकता है कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में ‘बुढ़ का घोषणा-पत्र’ बेजोड़ है। इसने भारतीय शिक्षा की बहुरूपता का अन्त करके उसे एकरूपता प्रदान की। इस ‘घोषणा-पत्र’ के परिणाम-स्वरूप कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालयों की नींव पड़ी, सहायता-अनुदान-प्रणाली प्रारम्भ की गई, प्रत्येक प्रान्त में जन-शिक्षा-विभाग स्थापित हुए; छात्रवृत्तियाँ दी जाने लगी और सरकार शिक्षा पर अधिक धन व्यय करने लगी। परन्तु इन सब प्रशंसनीय कार्यों के विपरीत, ‘घोषणा-पत्र’ में सर्वव्यापक साक्षरता के आदर्श की कहीं चर्चा भी नहीं की गई। यह ‘घोषणा-पत्र’ आधुनिक प्रजातन्त्रवादी शिक्षा-मर्मज्ञों को विशेष रूप से कुत्सित प्रतीत होता है, क्योंकि इसने विभिन्न वर्गों की शिक्षा में अन्तर करने वाले रूढ़ि परम्परागत ‘विक्टोरियन आदर्श’ (Victorian Ideal) का प्रतिपादन किया। अतः ‘बुढ़ के घोषणा-पत्र’ को “भारतीय शिक्षा का महाधिकार-पत्र” कहना युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता है।² जिस आदर्श को ‘घोषणा-पत्र’ ने प्रस्तुत किया है, उसका रूप इस समय तक इतना परिवर्तित हो चुका है कि भारत को उसके अनुकरण से रंचनात्र लाभ की भी आशा करना व्यर्थ है। १८५४ में भले ही इस ‘आदेश-पत्र’ का महत्त्व रहा हो, पर इस समय इसको ‘शिक्षा का घोषणा-पत्र’ कहना हास्यास्पद प्रतीत होता है।³

सारांश

बुढ़ का घोषणा-पत्र—१८५३ में कम्पनी के आज्ञा-पत्र का नवीनीकरण हुआ।

1. “The authors did not aim at education for leadership, education for the industrial regeneration of India, education for the defence of the motherland; in short, education required by the people of a self-governing nation.”—Paranjpe in *Progress of Education*, Poona, July 1941, pp. 51-52.

2. “We cannot find any justification for the superlative terms in which some historians have described the *Despatch*, and even called it, “The Magna Charta of Indian Education.”

—Nurullah & Naik : *op. cit.*, pp 215-216.

3. “Whatever were its value in 1854, it would be ridiculous to describe the *Despatch*, as an Educational Charter in the year 1941.”—Paranjpe in *Progress of Education*, Poona, July 1941., p. 52.

इस अवसर पर संसदीय समिति ने भारत की शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये, जिनके आधार पर 'बुड का शिक्षा-घोषणा-पत्र' जारी किया गया।

सिफारिशें—(१) शिक्षा का उद्देश्य—भारतीयों की बौद्धिक एवं चारित्रिक उन्नति करना तथा राज्य के लिये शिक्षित व्यक्तियों को तैयार करना था। (२) पाठ्य-क्रम में प्राच्य-साहित्य के साथ-साथ, पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञानों को स्थान दिया जाय। (३) प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएँ, और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिये अंग्रेजी का माध्यम हो। (४) प्रत्येक प्रान्त में जन-शिक्षा विभाग स्थापित किया जाय। (५) लन्दन विश्वविद्यालय के आदर्श पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जायें। (६) क्रमबद्ध विद्यालयों का निर्माण किया जाय। (७) जन-शिक्षा-प्रसार के लिए हाईस्कूलों, मिडिल स्कूलों और प्राथमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जाय। (८) सब प्रकार के विद्यालयों को आर्थिक सहायता देने के लिये सहायता-अनुदान-प्रणाली प्रचलित की जाय। (९) अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण विद्यालयों का प्रवन्ध किया जाय। (१०) स्त्री शिक्षा को सरकार द्वारा उदारतापूर्ण सहायता दी जाय। (११) व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाय। (१२) देशी भाषाओं में पुस्तकें लिखवाई जायें, तथा (१३) सरकारी नौकरियों में शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाय।

गुण—(१) भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन प्रकरण का प्रारम्भ। (२) शिक्षा के उद्देश्य का स्पष्टीकरण। (३) शिक्षा को वैज्ञानिक रूप देना। (४) जन साधारण को शिक्षा देना—सरकार का प्रमुख कर्तव्य। (५) प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा की व्यवस्था। (६) क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना द्वारा शिक्षा-प्रसार-कार्य को सम्पन्न बनाना। (७) निस्सन्दन सिद्धान्त की अस्वीकृति। (८) भारतीय साहित्य का महत्त्व स्वीकार करना। (९) प्राच्य साहित्य को प्रोत्साहन। (१०) प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुत्थान (११) अंग्रेजी के साथ-साथ देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना। (१२) जन शिक्षा विभाग की स्थापना करके शिक्षा को संगठित रूप देना। (१३) व्यावसायिक शिक्षा का प्रवन्ध करके बेकारी की समस्या को हल करना। (१४) निर्धन किन्तु योग्य विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियाँ। (१५) अध्यापकों को अधिक वेतन देकर शिक्षा-विभाग की नौकरियों को आकर्षक बनाना। (१६) 'घोषणा-पत्र' भारतीय शिक्षा का शिलाधार।

दोष—(१) शिक्षा का पूर्णतः राज्य के अधीन होना। (२) माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से देशी भाषाओं की अवनति। (३) शिक्षा को धर्म से अलग करके भारतीय धर्म पर घुठाराघात करना। (४) अध्यात्मवाद का पतन। (५) शिक्षा का उद्देश्य—पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार होने से प्राच्य साहित्य का महत्त्व कम होना। (६) शिक्षा का व्यापक उद्देश्य नष्ट होकर शिक्षा का अतिप्राय केवल नौकरों को प्राप्त करना। (७) नौकरों में अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता देने से देशी विद्यालयों का ह्रास। (८) शिक्षा का ढाँचा पूर्णतः विदेशी होना। (९) शिक्षा-

विभाग की स्थापना से शिक्षा के लचीलेपन का नष्ट होना । (१०) विश्वविद्यालय की सीनेट में शिक्षा से अनभिज्ञ व्यक्तियों का सदस्य होना । (११) व्यावसायिक शिक्षा सस्थाओं से भारतीयों का हित न होकर, अंग्रेजों का हित होना । (१२) ईसाई धर्म की शिक्षा के प्रति निष्पक्ष न रहना । (१३) अंग्रेजी विद्यालयों पर अधिकांश धन का व्यय । (१४) अंग्रेजी माध्यम होने से विद्यार्थियों का विना समझे विषय-वस्तु को रटना । (१५) परीक्षाओं का स्थान सर्वोपरि होना ।

TEST QUESTIONS

1 What were the main recommendations of the Education Despatch of 1854 ?

१८५४ के शिक्षा के आदेश-पत्र की मुख्य सिफारिशें क्या थी ?

2 "Wood's Despatch is called the Magna Charta of Indian Education Discuss

बुड का घोषणा-पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहलाता है ।' विवेचना कीजिए ।

3 'Whatever were the value of Wood's Despatch in 1854, it would be ridiculous to describe it as an Educational Charter, in the year 1971' How far do you agree with this statement ? Give reasons in support of your answer

'१८५४ में बुड के आदेश-पत्र का महत्त्व चाहे कुछ ही, पर १९७१ में उसे शिक्षा का महाधिकार पत्र कहना हास्यास्पद है । आप इस कथन से कहीं तक सहमत हैं ? अपने उत्तर की पुष्टि में कारण दीजिए ।

शिक्षा की प्रगति (१८५४-१८८२)

शासन-सत्ता का हस्तान्तरण

‘बुद्ध के घोषणा-पत्र’ के आधार पर कम्पनी-सरकार ने भारतीय शिक्षा का कार्य आरम्भ किया ही था और उसकी सभी सिफारिशों को कार्यान्वित भी न कर पाई थी कि १८५७ की क्रांति फूट पड़ी। फलतः भारतीय शिक्षा के मार्ग में बड़ी बाधा पड़ी। प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम एक वर्ष से अधिक चला। उसकी समाप्ति पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कम्पनी की राजनैतिक सत्ता का अन्त करके भारतीय शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। १ नवम्बर, १८५८ को भारत के वाइसराम लार्ड कनिंग (Canning) ने इलाहाबाद में एक दरबार करके रानी विक्टोरिया (Victoria) को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया। उस समय से भारतीय इतिहास में ‘विक्टोरिया का शान्ति-काल’ प्रारम्भ हुआ। शान्ति के वातावरण में भारतीय शिक्षा को फलने फूलने के लिए अनुकूल वातावरण मिला और उसकी प्रगति में प्रशसनीय अभिवृद्धि हुई।

सुविधा वी टुप्टि से हम १८५४ से १८८२ तक की शिक्षा की प्रगति का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत करते हैं —

- १ इस काल के मुख्य अभिलेख (Documents),
- २ शिक्षा-प्रसार के साधन,
- ३ प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चशिक्षा,
- ४ व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education),
५. विशिष्ट शिक्षा (Special Education)।

१--इस काल के मुख्य अभिलेख

१. ऐलेनबरा का आदेश-पत्र^१

२८ अप्रैल, १८५८ को 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' के प्रधान, लार्ड ऐलेनबरा ने एक आदेश-पत्र जारी किया। ऐलेनबरा ने 'बुड' के घोषणा-पत्र' द्वारा प्रतिपादित शिक्षा-नीति को १८५७ के विद्रोह का कारण ठहराया। अतः उसने एक त्रासपूर्ण आदेश-पत्र लेखबद्ध करके 'घोषणा-पत्र' की सभी सिफारिशों के विरुद्ध प्रस्ताव दिये। सौभाग्यवश, कम्पनी के शासन का अन्त हो गया और ऐलेनबरा के प्रस्ताव कागज पर ही लिखे रह गये।

२. स्टैनले का आदेश-पत्र^२

भारत की शासन-सत्ता ब्रिटिश पार्लियामेण्ट के हाथों में पहुँच जाने के पश्चात् 'भारत-मन्त्री' (Secretary of State for India) के नवीन पद का आविर्भाव हुआ और सर्वप्रथम लार्ड स्टैनले को इस पद पर नियुक्त किया गया। वह यह जानने का इच्छुक था कि १८५७ की क्रान्ति भारतीय का शिक्षा-नीति से क्या सम्बन्ध था। साथ ही, वह 'बुड' के घोषणा-पत्र' की प्रतिक्रिया भी देखना चाहता था। अतः उसने १८५९ में भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में एक नया आज्ञा-पत्र जारी किया, जो 'स्टैनले का आदेश-पत्र' कहलाता है। इसमें बुड के प्रायः सभी सिद्धान्तों का समर्थन किया गया। केवल प्राथमिक शिक्षा के विषय में अधोलिखित परिवर्तन कर दिये गये —

१. जन-साधारण में शिक्षा का प्रसार करने के लिये प्राथमिक विद्यालयों का संगठन सरकार द्वारा किया जाय।
२. प्राथमिक विद्यालयों को चलाने का उत्तरदायित्व सरकार अपने ऊपर ले और उनका प्रबन्ध स्थानीय समितियों पर न छोड़ा जाय।
३. सहायता-अनुदान पद्धति को केवल उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा तक सीमित रखा जाय, क्योंकि उससे प्राथमिक विद्यालयों को कोई लाभ नहीं हो सकता है।
४. आवश्यकता पड़ने पर सरकार प्राथमिक शिक्षा के लिए उसी प्रकार का स्थानीय कर लगा सकती है, जिस प्रकार के करों के लिये इङ्ग्लैण्ड में आन्दोलन हो रहा है।
५. अध्यापकों के प्रशिक्षण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।

इस आदेश-पत्र के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा के उत्तरदायित्व को आंशिक रूप में प्रान्तीय सरकारों को हस्तान्तरित कर दिया। १८७१ में लार्ड मेयो (Mayo) ने शिक्षा-विभागों को प्रान्तीय सरकारों के अधीन कर दिया, और उन्हें शिक्षा-सम्बन्धी सभी प्रकार के व्यय करने का अधिकार दे दिया। १८८७ में लार्ड

1. Lord Ellenborough's Despatch of 1858.
2. Lord Stanley's Despatch of 1859.

लिटन (Lytton) ने प्रान्तीय सरकारों को शिक्षा के विषय में और भी अधिक व्यापक अधिकार प्रदान कर दिये। इनके अनुसार प्रान्तीय सरकारें वाइन एव आबकारी (Excise) विभागों की आय का कुछ भाग शिक्षा पर व्यय कर सकती थी। इस प्रकार, प्रान्तीय सरकारों को शिक्षा पर अधिकार प्राप्त हो गया, परन्तु सम्पूर्ण देश के लिये शिक्षा-नीति का निर्धारण करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार ने अपने ही हाथ में रखा। यह स्थिति १८८२ तक चलती रही।

२—शिक्षा-प्रसार के साधन

१. शिक्षा-विभागों का संगठन

१८५४ से पूर्व शिक्षा-विभाग जैसी कोई चीज नहीं थी। परन्तु जैसा कि हम अध्याय ६ में लिख चुके हैं—१८४० में बम्बई में 'शिक्षा-बोर्ड' का, और १८४२ में बंगाल में 'शिक्षा-परिषद्' का निर्माण हो चुका था। उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त में भी डामसन ने डिप्टी-जर्नरल, जिला डिप्टी और परगना डिप्टी की नियुक्तियाँ करके शिक्षा के निरीक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। इस प्रकार, इन तीनों प्रान्तों में शिक्षा-विभागों का प्रादुर्भाव हो चुका था। उनको संगठित रूप प्रदान करने का एव अन्य प्रान्तों में शिक्षा-विभागों के निर्माण करने का श्रेय 'बुड के घोषणा-पत्र' को है। १८५६ के अन्त तक भारत के सब प्रान्तों में शिक्षा-विभागों की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका था और वे शिक्षा-कार्य में व्यस्त हो गये थे। इन प्रान्तीय शिक्षा-विभागों के कार्य निम्नलिखित थे —

१. प्रान्तीय सरकार को शिक्षा-सम्बन्धी सब मामलों की सूचना देना और उन पर सुझाव देना।
२. सरकार के अधीन विद्यालयों का संचालन एवं प्रबन्ध करना।
३. प्रान्तीय एव केन्द्रीय सरकारों द्वारा शिक्षा पर व्यय करने के लिये दी गई धन-राशि का उचित प्रकार से प्रयोग करना।
४. सरकार से सहायता-अनुदान पाने वाले विद्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण करना।
५. प्रान्तीय शिक्षा के सुधार एव प्रसार के लिये पूर्ण प्रयत्न करना।
६. प्रान्तीय शिक्षा की प्रगति के सम्बन्ध में आवश्यक आँकड़ों सहित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना।
७. विद्यालयों को शिक्षा-सम्बन्धी नवीन नियमों की सूचना देना और उनका विधिवत् पालन करवाना।
८. विद्यालयों के लिये पाठ्य-क्रम निश्चित करना और कुछ परीक्षाओं का प्रबन्ध करके उपाधियाँ प्रदान करना।

शिक्षा-विभागों की स्थापना के फलस्वरूप प्रान्तों में शिक्षा की प्रगति तो हुई, परन्तु शिक्षा की समुचित व्यवस्था न की जा सकी। इसका कारण यह था कि प्रान्तीय शिक्षा-विभाग अनेक दोषों से युक्त थे, जिनकी ओर हम आगे संकेत कर रहे हैं।—

- १ शिक्षा विभाग के सभी उच्च पदों पर यूरोपियनों की नियुक्तियाँ हुईं। विदेशी होने के कारण वे लोग भारतीय परिस्थितियों से पूणत परिचित नहीं थे। अतः उन्होंने शिक्षा प्रसार की जिस नीति को अपनाया, उससे सर्वांगीण सफलता की आशा नहीं की जा सकती थी। जनता ने शिक्षा विभाग के भारतीयकरण की माँग की, परन्तु सरकार ने उसकी ओर अल्प मात्र भी ध्यान नहीं दिया।
- २ यूरोपियन पदाधिकारियों को न तो सुन्दर वेतन ही दिया जाता था और न उनकी नौकरियों की शर्तें ही आकर्षक थीं। अतः इंग्लैण्ड के योग्य विद्वान् भारत आकर शिक्षा विभाग में सेवा-काय करने का विचार ही नहीं करते थे। जो अग्रज शिक्षा का भार अपने ऊपर लेते थे, उनमें बौद्धिक योग्यता का प्रायः अभाव होता था। फलस्वरूप, वे शिक्षा संचालन के काय को सुचारु रूप से संचालित करने में असफल होते थे।
- ३ अग्रजों की माँग बढ़ने के कारण विद्यालयों और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही थी, पर उनके निरीक्षण के लिए शिक्षा विभाग में निरीक्षकों की संख्या कम थी। सरकार अधिक धन व्यय करके उनकी संख्या की अभिवृद्धि करने के पक्ष में नहीं थी।
- ४ निरीक्षकों की संख्या कम होने से व्यक्तिगत विद्यालयों पर सरकार का अनुसंधान ढीला रहा। फलस्वरूप, विद्यालय—सहायता अनुदान में प्राप्त धन को बहुत कुछ स्वेच्छा से व्यय करते रहे और शिक्षा प्रदान करने के कार्य को समर्पित करने के लिये पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं हुए।
- ५ निरीक्षकों के अधीन इतने विद्यालय होते थे कि उनके लिये सब विद्यालयों में जाकर निरीक्षण करना असम्भव था। अतः वे एक निर्दिष्ट विद्यालय को अपना केंद्र बनाकर समीपवर्ती विद्यालयों का निरीक्षण वही बैठे कर लेते थे। ऐसी दशा में उन्हें अपने अधीन सब विद्यालयों की पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती थी। साथ ही, उनसे निरीक्षण से विद्यालयों को कोई लाभ नहीं हो पाता था। निरीक्षण के इस दोष के परिणामस्वरूप शिक्षा की यथोचित प्रगति असम्भव थी।

२. सहायता-अनुदान प्रणाली^१

‘बुड के घोषणा पत्र’ के आदेशानुसार शिक्षा विभाग ने सहायता-अनुदान-सम्बन्धी नियम बनाये और गैर-सरकारी स्कूलों को आर्थिक सहायता देने की प्रारम्भ की। फलस्वरूप, व्यक्तिगत विद्यालय आर्थिक चिन्ताभा से मुक्त हो गये, और वे एकाग्रचित्त होकर शिक्षा-काय में जुट गये। परन्तु यह प्रणाली—शिक्षा का सुन्दर क्रमिक विवास न कर सकी, क्योंकि इसमें अप्रतिरिक्त दोष थे —

१. सहायता-अनुदान की धन-राशि इतनी अल्प एवं अपर्याप्त होती थी कि उससे विद्यालयों की आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं हो पाती थी।
२. स्वीकृत धन-राशि निश्चित समय पर नहीं दी जाती थी।
३. सहायता-अनुदान देने में मिशन स्कूलों के प्रति अत्यधिक उदारता दिखाई जाती थी।
४. सहायता-अनुदान को अकारण कम या बन्द कर दिया जाता था।
५. सहायता-अनुदान सम्बन्धी नियम इतने जटिल थे कि उनका विधिवत् पालन करना बर्तन था।
६. उपर्युक्त नियमों का प्रवाशन न होने के कारण अधिकांश स्कूल-प्रबन्धकों को उनकी पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती थी।
७. इन नियमों के निर्धारण में व्यक्तिगत शिक्षा-संस्थाओं के प्रबन्धकों से किसी प्रकार का परामर्श नहीं लिया जाता था।
८. बजट में शिक्षा के लिए स्वीकृत धन-राशि का अधिकांश भाग राजकीय विद्यालयों पर व्यय कर दिया जाता था। फलतः सहायता-अनुदान के लिये बहुत कम धन बचता था।
९. गैर-सरकारी स्कूलों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और उनकी प्रगति में बाधा डाली जाती थी।
१०. शिक्षा-नीतियों के निर्धारण में गैर-सरकारी स्कूलों के प्रबन्धकों का परामर्श नहीं लिया जाता था।
११. गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को साधारणतः परीक्षक नहीं नियुक्त किया जाता था।
१२. छात्रवृत्तियाँ देने में राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को बरीयता (Preference) दी जाती थी।

१८८२ के 'भारतीय शिक्षा-आयोग' (Indian Education Commission) ने इन दोषों पर विचार करके इन्हें दूर करने के अयत्न प्रयास किये। -

३. शिक्षा-प्रसार के साधनों का भारतीयकरण

पिछले अध्यायों में इस बात पर प्रकाश डाला जा चुका है कि कम्पनी के अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से भी शिक्षा-प्रसार का कार्य किया जा रहा था। ऐसे अनेक अंग्रेज अधिकारी थे, जिन्होंने वैयक्तिक रूप से विद्यालयों की स्थापना करके शिक्षा में अपनी रुचि का प्रदर्शन किया था। १८५८ में सत्ता-हस्तान्तरण के उपरान्त अंग्रेज कर्मचारियों की स्थिति पूर्णतः परिवर्तित हो गई थी। सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये इतने कड़े नियम बना दिये कि उन्हें वैयक्तिक रूप से शिक्षा-प्रसार का कार्य करने की स्वतन्त्रता न रह गई। फलस्वरूप, अंग्रेज अधिकारियों ने अपने को शिक्षा-कार्य करने में असमर्थ पाया।

जहाँ तक मिशनरियों का प्रश्न था, १८५४ के 'घोषणा-पत्र' ने उनमें नवीन आशा का संचार कर दिया था। वे उस समय का स्वर्णिम स्वप्न देखने लगे थे, जब बुद्ध द्वारा प्रतिपादित शिक्षा-नीति के अनुसार सरकार अपने विद्यालयों को बन्द कर देगी और मिशन स्कूल सहायता-अनुदान प्रणाली के कारण परिपल्लवित होने लगेंगे। १८५७ की क्रान्ति ने अंग्रेज शासकों की आँखें खोल दी और वे इस निष्कर्ष पर पहुँच गये कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिये मिशनरियों के धर्म-प्रचार के कार्य पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। यद्यपि मिशनरियों ने इस नीति के विरुद्ध आन्दोलन किया, तथापि ब्रिटिश संसद सचेत हो चुकी थी और १८५८ की घोषणा के अनुसार-यह बात स्पष्ट कर दी गई कि सरकार 'धार्मिक तटस्थता' की नीति का पूर्ण रूप से पालन करेगी।

अंग्रेज अधिकारियों एवं मिशनरियों की चेष्टाओं पर प्रतिबन्ध लगने का परिणाम यह हुआ कि भारतीयों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा-प्रसार का कार्य करने के लिये विस्तृत क्षेत्र मिल गया। भारतीय उस समय तक शिक्षा के महत्त्व को समझ चुके थे और विदेशियों के शिक्षा-प्रयासों को देखकर उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जाग्रत हो चुकी थी। शिक्षा द्वारा अपने देशवासियों को अंधविश्वासों एवं अज्ञानता के गर्तों से निकालने के कर्तव्य के प्रति वे जागरूक हो चुके थे। भारतीयों में उस समय देश-प्रेम की भावनाएँ उमड़नी प्रारम्भ हो गई थी। १८८० के लगभग प्रायः सम्पूर्ण देश में सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तनों की लहर फैल चुकी थी। भारतीयों में निश्चित रूप से राष्ट्रीय चेतना आविर्भूत हो रही थी। देश के नेता अपने राष्ट्र का नवनिर्माण करने में जुट चुके थे। परन्तु उन्होंने अनुभव किया कि यह कार्य तभी सम्पन्न हो सकेगा जब देश के नवयुवकों को राष्ट्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत कर दिया जायगा। परिणामस्वरूप, भारत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक शिक्षा का विस्तार करने के लिये स्कूलों और कॉलेजों का निर्माण तीव्रगति से किया जाने लगा। सारासर में, देश-प्रेम एवं राष्ट्रीय चेतना ने शिक्षा के भारतीयकरण में अद्वितीय योग दिया।

प्राथमिक शिक्षा

हम यह देख चुके हैं कि लार्ड आइरैलैंड ने 'निम्नन्दन विद्यालय' का स्थापन करके जन-शिक्षा की ओर में मुँह मोड़ दिया था। इस नीति के फलस्वरूप, सरकार का ध्यान उच्च वर्गों की उच्चशिक्षा पर केंद्रित था। अतः प्राथमिक शिक्षा के लिये कोई श्रियात्मक पग नहीं उठाया गया। १८५४ के 'घोषणा-पत्र' ने निम्नन्दन विद्यालय को अनुचित सहायता से लोकाशिक्षा को प्रोत्साहित करने का शुभानुभव दिया। परन्तु भी प्राथमिक विद्यालयों के प्रसारण के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया। प्राथमिक शिक्षा की उन्नति नहीं हुई और प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा के घन भ्रम्य करती रही। अतः 'घोषणा-पत्र' में प्राथमिक विद्यालयों के

अनुदान देने की व्यवस्था की गई थी, परन्तु अनुदान-सम्बन्धी नियम इस प्रकार के थे कि जिन्हे जमता निभा नहीं सकती थी। फलस्वरूप, प्राथमिक विद्यालय इस प्रणाली से लाभ न उठा सके।

स्टैनले के 'आदेश-पत्र' में जन-साधारण में शिक्षा-प्रसार के सिद्धान्त को तो स्वीकार किया गया, परन्तु प्राथमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में नवीन सुझाव देकर एक विवाद खड़ा कर दिया गया। विवाद तीन प्रश्नों पर था—(१) देशी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-अनुदान दिया जाय अथवा नहीं? (२) प्राथमिक-शिक्षा के लिए स्थानीय कर लगाए जायें अथवा नहीं? और (३) प्राथमिक विद्यालयों के प्रति सरकार की नीति क्या होनी चाहिये? दुर्भाग्यवश इन प्रश्नों पर मतैक्यता न हो सकी और सभी प्रान्तों ने विभिन्न नीति का अनुसरण किया। ऐसी स्थिति में शिक्षा की जो प्रगति हुई, वह नीचे दिए हुए आँकड़ा से ज्ञात हो जाती है —

प्राथमिक विद्यालयों की संख्या (१८८१-८२)^१

प्रान्त	सरकारी	गैर-सरकारी (अनुदान प्राप्त)	गैर-सरकारी (अनुदान वंचित)
मद्रास	१,२६३	१३,२२३	२,८२८
बम्बई	३,८११	७३	३,६५४
बंगाल	२८	४७,४३७	३,२६५
पश्चिमोत्तर प्रान्त	५,५६१	२४३	६,७१२
पंजाब	१,५४६	२७८	१३,१०६
मध्य-प्रदेश	८६४	३६८	×
आसाम	७	१,२५६	४६७
बरार	४६७	२०६	२६७
कुर्ग	५७	३	×

इस तालिका के स्पष्टीकरण के लिये हम विभिन्न प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति पर नीचे दृष्टिपात कर रहे हैं।—

मद्रास—इस प्रान्त में सरकारी स्कूलों की स्थापना के साथ-साथ, सहायता-अनुदान देकर प्राथमिक विद्यालयों को भी प्रोत्साहित किया गया। सहायता-अनुदान का आधार 'विद्यालय का परीक्षा-फल' रखा गया था।

बम्बई—बम्बई प्रान्त में देशी विद्यालयों की विरोधी नीति का अनुसरण किया गया। फलस्वरूप, उनका पनपना असम्भव हो गया। १८७० में वहाँ के शिक्षा-संचालक, पिल्ले (Pelle) ने देशी पाठशालाओं को आर्थिक सहायता देने के लिये कुछ नियम बनाये, पर वे निरर्थक सिद्ध हुए।

बंगाल—यहाँ की सरकार ने देशी-विद्यालयों के पुनरुत्थान के लिए प्रशंसनीय कार्य किया। इस सम्बन्ध में प्रान्त के गवर्नर, सर जार्ज कैम्पबेल (Sir George Campbell) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। १८७२ में उसने जन-शिक्षा-प्रसार के लिये देशी पाठशालाओं को ४ लाख रुपये की धन-राशि दी। कैम्पबेल की योजना के अनुसार शिक्षकों को प्रोत्साहन देने के लिये उनका वेतन २ ६० से ५ ६० तक बढ़ा दिया गया। सहायता-प्राप्त विद्यालयों का निरीक्षण सरकारी निरीक्षकों द्वारा किया जाता था। कैम्पबेल को आशा थी कि शिक्षकों के भोजन, निवास स्थान आदि की व्यवस्था स्थानीय जनता करती रहेगी। परन्तु शीघ्र ही शिक्षायत्तों आने लगी कि शिक्षकों की वेतन-वृद्धि के फलस्वरूप जनता ने शिक्षकों को दी जाने वाली सहायता में कमी कर दी है। फलस्वरूप, शिक्षकों के वेतन-वृद्धि की योजना को स्थगित करके परीक्षाफल के आधार पर सरकारी सहायता दी जाने लगी। परन्तु इसके साथ ही सरकार ने ४ लाख रुपये की धन-राशि को बढ़ाकर ५ लाख कर दिया। परिणामस्वरूप, देशी विद्यालयों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। यहाँ यह कहना युक्ति-युक्त होगा कि बंगाल में 'हल्कावन्दी स्कूल' की प्रथा प्रचलित थी।

पश्चिमोत्तर प्रान्त—बंगाल के समान पश्चिमोत्तर प्रान्त में भी 'हल्कावन्दी-स्कूल' की प्रणाली जारी रखी गई। साथ ही गैर-सरकारी पाठशालाओं को भी सहायता-अनुदान दिया गया।

पंजाब—पंजाब ने पश्चिमोत्तर प्रान्त के आदर्श का अनुकरण किया। इस प्रान्त में ऐसे गैर-सरकारी विद्यालयों की संख्या सबसे अधिक थी, जिन्हें सरकार से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी।

मध्य प्रदेश—मध्य-प्रदेश ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिये बंगाल को अपना आदर्श माना और देशी पाठशालाओं को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। परन्तु प्रान्त में देशी स्कूलों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण सरकार को बहुत से प्राथमिक विद्यालयों का शिलारोपण करना पड़ा।

आसाम—आसाम १८७४ तक बंगाल का भाग रहा था। अतः यहाँ की प्राथमिक शिक्षा की नीति का आधार बंगाल की नीति ही था। इसलिए यहाँ देशी पाठशालाओं को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। इस प्रान्त में सरकारी स्कूलों की संख्या सब प्रान्तों से कम थी।

बिहार—इस प्रान्त में बम्बई की शिक्षा-नीति का अनुकरण किया। यहाँ अधिकांश रूप में सरकारी विद्यालय ही थे, परन्तु देशी पाठशालाओं को भी प्रोत्साहन दिया गया।

फुर्ग—इस प्रान्त में भी बम्बई का अनुकरण किया। शिक्षा-विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना तो की गई, पर देशी स्कूलों के प्रति उदासीनता व्यक्त की गई।

प्राथमिक शिक्षा पर व्यय

अधोलिखित आँकड़े विभिन्न प्रान्तों में १८८१-८२ में प्राथमिक शिक्षा पर किये गये व्यय को व्यक्त करते हैं :-

(रूपों की सब संख्यायें सहस्रों में हैं)

प्रान्त	प्रान्तीय सरकार से	स्थानीय बोर्ड व नगरपालिका से	शुल्क	अन्य साधन	योग
मद्रास	१,६८	५,०२	३,६८	२,८७	१३,२५
बम्बई	३,४६	७,८७	१,५४	६३	१३,५०
बंगाल	५,६७	१३	१०,७७	४,४५	२१,१२
पश्चिमोत्तर- प्रांत	२,१६	५,४४	५५	८४	८,६९
पंजाब	६७	३,४५	६२	८४	४,८८
मध्य-प्रदेश	१,००	१,४५	२२	३६	३,०३
आसाम	२४	५७	१७	२०	१,१८
कुर्ग	४	७	१	१२
बरार	१,२५	८८	२६	१	३,४०
योग	१६,७७	२४,८८	१७,८२	१०,१७	६९,६४

प्राथमिक शिक्षा के लिए कर

स्टेनले के 'आदेश-पत्र' में इस बात का उल्लेख किया गया था कि जन-शिक्षा का व्यय-भार वहन करने के लिये स्थानीय कर (Local Rates) लगाये जा सकते थे। इस आदेश के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने न केवल शिक्षा के लिए, अपितु जन-कल्याण के अन्य कार्यों के लिये भी स्थानीय कर लगाने का निर्णय किया। स्थानीय करों के सिद्धान्त के प्रबल समर्थक और गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी समिति के सदस्य, लैङ्ग (Laing) ने १८६०-६१ में 'बजट' (Budget) प्रस्तुत करते हुए कहा—“यदि इस विशाल साम्राज्य में सड़को, स्कूलों, स्थानीय पुलिस एवं सभ्यता के अन्य उपकरणों का प्रबन्ध किया जाना है, जो एक प्रगतिशील देश में होने चाहिए, तो अकेले सरकार द्वारा इन सब बातों के लिये धन का प्रबन्ध करना असम्भव है।” लैङ्ग के दृष्टिकोण से सहमत होकर प्रायः सभी प्रान्तीय सरकारों ने १८६१ से १८७१

1. Report of the Indian Education Commission, pp. 166-67
- 2 “If this great empire is ever to have the roads, the schools, the local police and other instruments of civilization which a flourishing country ought to possess, it is simply impossible that the Imperial Government alone can find either the money or the management.”—Howell : Note on Education in India, 1866-67. Para 19.

तक स्थानीय व्यय के लिये कर लगाये। शिक्षा का व्यय भी इसमें सम्मिलित था, पर यह निश्चित करना कठिन था कि शिक्षा पर कितना धन व्यय किया जाय। बंगाल में 'इस्तमरारी बन्दोवस्त' (Permanent Land Revenue Settlement) होने के कारण कर न लगाया जा सका।-

- पश्चिमोत्तर प्रदेश में टामसन पहले ही मालगुजारी पर १ प्रतिशत कर लगा चुका था। पंजाब में १८५७ में मालगुजारी पर स्थानीय कर लगा दिया गया था। १८६१ में अवध में मालगुजारी पर २ $\frac{३}{४}$ प्रतिशत कर लिया जाता था। इसका १ प्रतिशत शिक्षा पर व्यय होता था। १८६२ में मध्य प्रान्त में १ प्रतिशत कर लगाया गया। कुछ समय बाद इसे २ प्रतिशत कर दिया गया। १८६३ में बम्बई में ६ $\frac{३}{४}$ प्रतिशत स्थानीय कर लगाया गया। इसका $\frac{३}{४}$ भाग शिक्षा पर व्यय होता था। इसी प्रकार, १८६५ में सिंध में, १८६६ में मद्रास में, और १८७६ में आसाम में स्थानीय कर लगा दिये गए। इनका कुछ भाग शिक्षा के लिये निश्चित कर दिया गया था।

नगरों में मकानों पर स्थानीय कर लगाया गया और इसको वसूल करने का कार्य नगरपालिकाओं पर छोड़ दिया गया। परन्तु नगरपालिकाओं ने इस कार्य के सम्पादन में अपने को असमर्थ पाया। इसका परिणाम यह हुआ कि नगरों में प्राथमिक शिक्षा का प्रवाह मन्द हो गया। ग्रामों से मालगुजारी के साथ इतना कर एकत्रित हो जाता था कि उसे ग्रामीण पाठशालाओं पर व्यय करना अमम्भव था। अतः शेष धन को नगरों में उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा में योग देने के लिये व्यय किया जाने लगा। कुछ प्रान्तों में इसका उपयोग अन्य कार्यों के लिये भी किया गया। इस प्रथा को स्थगित करने के लिए १८७१ में निश्चित आदेश प्रदान किये गये। फलस्वरूप, समस्त धन को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाने लगा, जिससे देशी पाठशालाओं की आशातीत अभिवृद्धि हुई। १८७१ में १६,४७३ प्राथमिक विद्यालय थे, जिनमें ६ $\frac{३}{४}$ लाख विद्यार्थी पढ़ते थे। १८८२ में इन विद्यालयों की संख्या ८२,६१६ और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या २१ लाख हो गई।

समीक्षा

१८५४ से १८८२ तक के परवशता के काल में भारतीयों ने भले ही उपयुक्त प्रलोभनकारी आँकड़ों के आधार पर प्राथमिक शिक्षा की समुन्नति अनुपम मान ली हो, परन्तु इस युग के समीक्षक की स्वस्थ चेतना तथा निष्पक्ष भावना उसका मोह में पड़ना अस्वीकार करती है। आधारभूत तथ्य यह है कि भारत की जनसंख्या को देखते हुए १८८२ में साक्षरता का प्रतिशत केवल १'२ था, जबकि उसी वर्ष इंग्लैण्ड का प्रत्येक बच्चा स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहा था।^१ भारत में इस अल्प साक्षरता के बलव का टीका उसके विदेशी शासकों के मस्तक पर था। उनकी अनुदारता,

उदासीनता एवं असंतुलित गतिविधियों को ही इस अल्प साक्षरता के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

माध्यमिक शिक्षा

१८४४ में लार्ड हार्डिञ्ज द्वारा सरकारी नौकरियों के लिये अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों को वरीयता दी जाने की घोषणा के फलस्वरूप अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार की गति तीव्र हो गई थी। १८५४ के 'घोषणा पत्र' के आदेशानुसार प्रान्तों में शिक्षा-विभागों की स्थापना हुई, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के संगठन में अदम्य उत्साह दिखाया। १८५६ के 'आदेश-पत्र' ने सहायता-अनुदान को उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा के लिये सीमित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि माध्यमिक शिक्षा पर व्यय करने के लिये अधिक धन उपलब्ध होने लगा, जिससे इस स्तर पर शिक्षा की आशातीत उन्नति हुई। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय प्रयत्नों के साथ-साथ, भारतीयों एवं मिशनरियों ने भी सराहनीय कार्य किये। परिणामस्वरूप, १८८२ के अन्त तक माध्यमिक विद्यालय अबाध गति से बढ़े। हम इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दे रहे हैं —

राजकीय विद्यालय—१८५४ में राजकीय विद्यालयों की संख्या १६६ थी, जिनमें १८, ३४५ छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। १८८२ में इन विद्यालयों की संख्या १,३६३ और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ४४,६०५ हो गई।

मिशन विद्यालय—१८५७ की क्रान्ति के बाद मिशनरियों के प्रति सरकार का रुख कड़ा हो गया था, फिर भी माध्यमिक विद्यालयों के विस्तार में मिशनरियों का योग कम नहीं था। सम्पूर्ण भारत में ६८० मिशन स्कूल थे, जिनमें से मद्रास में ४१८, पंजाब में ११८, पश्चिमोत्तर प्रान्त में १०४ तथा बंगाल में ४० थे।

भारतीयों द्वारा संचालित विद्यालय—१८५४ तक भारतीयों ने माध्यमिक शिक्षा की दिशा में बहुत ही कम कार्य किया था। परन्तु १८८२ के अन्त तक राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत होकर भारतीयों ने अपने समस्त उपलब्ध साधनों को विद्यालयों के निर्माण में जुटा दिया था। फलस्वरूप, १८८२ में भारतीयों द्वारा संचालित १,३४१ माध्यमिक विद्यालय थे। इनमें से मद्रास में ६६८, बंगाल में ५८२ और शेष, देश के अन्य भागों में थे।

माध्यमिक शिक्षा के दोष

इस काल में माध्यमिक शिक्षा की आश्चर्यजनक उन्नति अवश्य हुई, पर वह कुछ दोषों से युक्त थी। हम इन पर नीचे प्रकाश डाल रहे हैं —

१. **मातृभाषाओं की अदहेलना—**'बुढ़ के घोषणा-पत्र' में अंग्रेजी तथा देशी भाषाओं को माध्यमिक शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश की गई थी। परन्तु दुर्भाग्यवश, भारतीय प्रशासकों ने इस ओर नेश-मात्र भी ध्यान नहीं दिया। पाठ्यपुस्तक

ज्ञान का प्रसार करके ब्रिटिश सत्ता को सुदृढ बनाने के विचार से उन्होंने अंग्रेजी के माध्यम को वरीयता दी। साथ ही भारतीय, राजपद प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी में पारंगत होना चाहते थे। परिणामतः, भारतवासियों का झुकाव भी अंग्रेजी के माध्यम की ओर हुआ। इस सम्बन्ध में बंगाल ने अगुवाई की। १८६२ में कलकत्ता विश्व-विद्यालय ने 'मैट्रिकुलेशन' (Matriculation) के छात्रों के लिये सभी विषयों का उत्तर अंग्रेजी में लिखना अनिवार्य कर दिया। इस प्रकार, अब तक विद्यार्थियों को मातृभाषा के प्रयोग की जो स्वतन्त्रता प्राप्त थी, उसका अपहरण किया गया और मातृभाषा की उपेक्षा करके उसे अपमानित भी किया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय की इस नीति का परिणाम यह हुआ कि विद्यार्थियों को 'मैट्रिकुलेशन' कक्षाओं के लिये तैयार करने के विचार से बहुत से मिडिल स्कूलों ने भी अंग्रेजी के अध्ययन पर बल देना प्रारम्भ कर दिया। फलस्वरूप, भारत में माध्यमिक स्तर पर प्रारम्भ से ही मातृभाषाओं की उपेक्षा की जाने लगी।

२. दीक्षित शिक्षकों का प्रभाव—यद्यपि १८५४ के 'घोषणा-पत्र' में शिक्षकों की दीक्षा की आवश्यकता बताई गई थी, परन्तु भारत-सरकार ने इसमें कोई रुचि नहीं ली। १८८२ तक सम्पूर्ण देश में केवल दो प्रशिक्षण-विद्यालय थे—एक लाहौर में, और दूसरा मद्रास में। इन विद्यालयों में कुल ४१ छात्राध्यापक थे, जो दीक्षित शिक्षकों की माँग को पूर्ण करने में असमर्थ थे। इसके अतिरिक्त इन विद्यालयों का प्रशिक्षण निम्न कोटि का था और इनके पास 'अभ्यास के लिये स्कूल' (Practising Schools) भी नहीं थे।

३. पुस्तकीय ज्ञान पर बल—माध्यमिक विद्यालयों का उद्देश्य—केवल अपने छात्रों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण कराना था। अतः पुस्तकीय ज्ञान पर अत्यधिक बल दिया जाता था। विद्यार्थियों को विचार-स्वातन्त्र्य एवं व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा से सर्वथा वंचित रखा जाता था। परिणामस्वरूप, उन्हें सामाजिक जीवन से सामंजस्य स्थापित करने में बड़ी कठिनाई होती थी।

४. औद्योगिक शिक्षा का अभाव—माध्यमिक विद्यालयों में औद्योगिक शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया। सम्पूर्ण देश में केवल बम्बई के कुछ हाई-स्कूल ऐसे थे, जिनसे कृषि के आदर्श फार्म (Model Farms) सम्बद्ध थे। उन स्कूलों में पढ़ने वाले कुछ कृषक बालकों को ४६० मासिक छात्रवृत्ति देकर कृषि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। औद्योगिक शिक्षा के अभाव के कारण निम्नांकित थे—

(१) उस समय शिक्षा का प्रसार मुख्यतः उच्च वर्गों में था, जिनका मुख्य उद्देश्य—मैट्रिकुलेशन परीक्षा में उत्तीर्ण होकर राजपद प्राप्त करना या विश्वविद्यालय में प्रवेश करना होता था। अतः वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिये उपयोगी ज्ञान के प्रति उदासीन रहे।

(२) सरकार ने भी माध्यमिक स्कूलों में औद्योगिक शिक्षा का प्रबन्ध नहीं किया। इसका एक कारण—धन का अभाव था। राजकीय विद्यालयों को आदर्श माना जाता था। अतः व्यक्तिगत रूप में भी औद्योगिक शिक्षा की ओर ध्यान न दिया जा सका।

(३) भारत के शासक होकर भी अंग्रेजों का ध्यान अपने व्यापार पर केन्द्रित रहा। इस देश में औद्योगिक शिक्षा का विकास होने से इंग्लैण्ड के उद्योग-धन्धों को धक्का लगना आवश्यक था। अतः अंग्रेजों ने जान-बूझकर भारत में औद्योगिक शिक्षा का अभाव रखा।

उच्च शिक्षा

१८५४ से १८८२ तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के समान उच्च शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया गया। इस अवधि में माध्यमिक शिक्षालयों की संख्या में इतनी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई कि उनमें अध्ययन करने वाले ज्ञान के जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिये उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना अनिवार्य हो गया। उच्च शिक्षा का प्रबन्ध विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों का शिलारोपण करके किया गया।

विश्वविद्यालयों की स्थापना

भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना का श्रेय—'बुड के घोषणा-पत्र' को प्राप्त है। इस देश के प्रशासकों ने 'आदेश-पत्र' को शिरोधार्य करके उपयुक्त स्थानों पर विश्वविद्यालयों का निर्माण करने की योजना बनाई। इसमें कुछ समय लगना स्वाभाविक था, परन्तु १८५७ में ही सरकार ने 'विश्वविद्यालय अधिनियम' (University Acts) पारित करके कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों का शिलान्यास किया। इन तीन विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त, १८८१ तक कोई अन्य विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया। १८८२ में पंजाब विश्वविद्यालय की आधार-शिला रखी गई। इसकी रूपरेखा अन्य तीनों विश्वविद्यालयों से भिन्न थी। इसकी विशेषताओं की ओर हम नीचे संकेत कर रहे हैं :—

१. मातृ-भाषा के माध्यम द्वारा पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान की शिक्षा देना।
२. प्राच्य साहित्य की परीक्षाओं में उर्दू के माध्यम से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को स्नातक आदि की उपाधियाँ देना।
३. अरबी, फारसी और संस्कृत की परीक्षाओं में सफल होने वाले विद्यार्थियों को 'प्राच्य साहित्यिक उपाधियाँ' (Oriental Literary Titles) देना।
४. हिन्दू एवं मुस्लिम कानून तथा औपध-शास्त्र के विद्यार्थियों को भारतीय उपाधियाँ (Native Titles) देना।
५. देशी भाषाओं की परीक्षाओं की व्यवस्था करना।

इस प्रकार पञ्जाब विश्वविद्यालय ने देशी भाषाओं एवं प्राच्य-ज्ञान को प्रोत्साहित करने की नीति का अनुसरण किया। इस विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण पूर्णतः भारतीय था।

विश्वविद्यालयों का प्रबन्ध

यद्यपि सभी विश्वविद्यालयों की स्थापना विभिन्न अधिनियमों द्वारा की गई थी, तथापि उनके आधारभूत सिद्धान्त प्रायः समान थे। विश्वविद्यालयों का प्रबन्ध सीनेट के द्वारा किया जाता था। सीनेट के सदस्य—कुलपति, उपकुलपति और अभिसदस्य होते थे। प्रान्त का गवर्नर कुलपति का स्थान ग्रहण करता था। वह दो वर्षों के लिये उपकुलपति एवं अभिसदस्यों को मनोनीत करता था। अभिसदस्य दो प्रकार के होते थे—(१) पदेन (Ex officio), एवं (२) साधारण (Ordinary)। प्रथम सरकार के अभिसदस्यों में मुख्य न्यायाधीश, बिशप (Bishop), गवर्नर की कार्यकारीणी सभा के सदस्य, प्रान्तीय शिक्षा-सचालक एवं राजकीय कॉलेजों के प्रिंसिपल होते थे। साधारण सदस्यों में प्रतिष्ठित भारतीयों को स्थान दिया जाता था। सामान्यतः विश्वविद्यालयों के प्रशासन-सम्बन्धी कार्यों का संचालन करने के लिये छोटी-सी कार्यकारीणी समिति बना दी जाती थी, जिसे 'सिन्डीकेट' (Syndicate) कहते थे।

विश्वविद्यालयों के कार्य

'बुड वे घोपणा-पत्र' के अनुसार—विश्वविद्यालय, शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी कर सकते थे। परन्तु विश्वविद्यालय-अधिनियमों ने उनको केवल परीक्षा लेने तथा उपाधियाँ वितरण करने का अधिकार दिया। ये विश्वविद्यालय—कला, विज्ञान, वादून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि की परीक्षाओं की व्यवस्था करते थे और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रमाण-पत्र देते थे। विश्वविद्यालयों में केवल वे ही छात्र प्रवेश पा सकते थे, जो 'मैट्रिकुलेशन' परीक्षा पास कर लेते थे। यह परीक्षा प्रायः सभी विश्वविद्यालय स्वयं लेते थे।

विश्वविद्यालयों का आलोचनात्मक अध्ययन

यहाँ पर भारतीय विश्वविद्यालयों के गुण-दोषों का विवेचन करना अनुपयुक्त न होगा। वस्तुतः विदेशी सरकार द्वारा स्थापित किये गये इन विश्वविद्यालयों में केवल दोष ही थे। हम इनका वर्णन नीचे कर रहे हैं —

- १ विश्वविद्यालयों का प्रमुख कार्य—शिक्षा प्रदान करना होता है, परन्तु भारतीय विश्वविद्यालय इस महत्त्वपूर्ण कार्य से वंचित रहे। वे केवल परीक्षा लेने का गौण कार्य कर सकते थे।
- २ शिक्षा एवं परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा गया। इससे प्राच्य भाषाओं को ऐसा आघात पहुँचा कि उनका पतन अवश्य-भावी हो गया। प्रारम्भ में प्राच्य भाषाओं को पाठ्य क्रम में स्थान भी नहीं दिया गया।

३. प्राच्य भाषाओं की अवहेलना करने का दुष्परिणाम यह हुआ कि भारतीय छात्रों का उनसे सम्पर्क न रह गया। फलतः वे अपनी सांस्कृतिक विरासत से दूर होने लगे और उसको हेय दृष्टि से देखने लगे।
४. प्राचीन समय में शिक्षा को किसी विशिष्ट प्रयोजन या उपयोगिता के लिये प्राप्त न करके, केवल ज्ञान के लिये ही अर्जित किया जाता था। परन्तु विश्वविद्यालयों ने शिक्षा ग्रहण करके घन प्राप्ति द्वारा भौतिक सुख-सुविधा का आदर्श उपस्थित किया। फलस्वरूप, स्नातकों का चरम लक्ष्य 'सरकारी महकमों में नौकरी' प्राप्त करना हो गया। इससे विश्वविद्यालयों के स्वार्थ की पूर्ति हुई क्योंकि उनका उद्देश्य—भारतीयों को शिक्षित करके सरकारी मशीन के पुर्जे बनाना था।
५. विश्वविद्यालयों के पाठ्य-क्रमों में औद्योगिक शिक्षा को स्थान नहीं दिया गया। जिस समय औद्योगिक क्रान्ति (Industrial Revolution) के फलस्वरूप इंग्लैण्ड में औद्योगिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा था, उस समय इस देश में इंग्लैण्ड निवासियों द्वारा उसकी उभेना की जा रही थी। विश्वविद्यालयों की शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित रही, जिसने भारतीय युवकों को सफेदपोश और आलसी बनाकर देश का महान् अहित किया।
६. विश्वविद्यालय विदेशी शासन की खूँटी से बंधे होने के कारण अपना स्वाभाविक और उचित विकास न कर सके।
७. विश्वविद्यालयों के निरीक्षण में नौकरशाही की धाक थी। विश्वविद्यालय इन्हीं निरीक्षकों की दया पर निर्भर रहते थे। अतः उनकी ओर विद्यालयों की टक्करी लगी रहती थी। इस परवशता ने विश्वविद्यालयों की प्रगति में बहुत बाधा डाली।
८. विश्वविद्यालय-अधिनियमों ने सीनेट के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की थी। सदस्यों का स्थान उनकी मृत्यु, त्याग-पत्र या भारत को सदैव के लिये छोड़ने पर ही रिक्त होता था। इस प्रकार बहुत बान तक सदस्यों में परिवर्तन न होने के कारण विश्वविद्यालयों में भी वर्तमान परिवर्तन नहीं हो पाया था।
९. अभिगदम्पों की नियुक्ति बिना उनकी शिक्षा-योग्यताओं पर विचार किए हुए की जानी थी। परिणामतः, ऐसे अनेक अभिगदम्प्य होने थे, जिनकी शिक्षा के विषय में अल्प मात्रा जानकारी भी नहीं रहते थे। ऐसे अभिगदम्प्यों में विश्वविद्यालयों की शिक्षा के लिये किसी उचित कार्य के लिए जाने की आशा करना व्यर्थ था।

१०. सीनेट में शिक्षकों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं था। परिणामतः विश्वविद्यालयों को शिक्षा-विशेषज्ञों का सत्परामर्श नहीं प्राप्त हो पाता था।

कॉलेजों की स्थापना

उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय विश्वविद्यालयों का कार्य—केवल परीक्षा लेना था। उनमें शिक्षण-कार्य नहीं किया जाता था। यह कार्य विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त कॉलेजों में होता था। अतः इस अवधि में उच्च-शिक्षा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिये इस काल के कॉलेजों का विवरण आवश्यक हो जाता है। कॉलेजों के प्रति सरकार ने उदारता का व्यवहार किया। फलतः कॉलेजों की संख्या में आशातीत अभिवृद्धि हुई। १८५४ में सम्पूर्ण भारत में २६ कॉलेज थे। इनमें से १४ कॉलेज सरकारी और ६ मिशनरियों के थे। १८८२ में कॉलेजों की संख्या बढ़कर ७२ हो गई। हम इनमें से कुछ प्रमुख कॉलेजों का वर्णन नीचे कर रहे हैं—

सरकारी कॉलेज—१८५५ में 'कलकत्ता प्रेसीडेन्सी कॉलेज' की स्थापना हुई। उसी का अनुकरण करके मद्रास हाई-स्कूल को 'मद्रास प्रेसीडेन्सी कॉलेज' में परिवर्तित किया गया। १८६६ में 'लाहौर यूनीवर्सिटी कॉलेज' का निर्माण हुआ। १८८२ में इसी कॉलेज ने 'पंजाब विश्वविद्यालय' का रूप धारण किया। १८७२ में पश्चिमोत्तर प्रान्त के गवर्नर, सर विलियम म्योर (Sir William Muir) ने किराये के एक भवन में 'म्योर सेन्ट्रल कॉलेज' खोला। इसका शिलान्यास १८७३ में लार्ड नार्थब्रुक (Northbrook) द्वारा किया गया।

गैर-सरकारी कॉलेज—१८५४ तक भारतीयों ने कॉलेजों की स्थापना की दिशा में कोई भी कार्य नहीं किया था। परन्तु उस वर्ष के पश्चात् उन्होंने उच्च-शिक्षा में सराहनीय योगदान दिया और कॉलेजों का प्रवर्धन किया। इनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं—१८६४ में अवध के तालुकदारों ने लार्ड कैनिंग (Canning) की स्मृति में 'लखनऊ कैनिंग कॉलेज' स्थापित किया। इसमें अंग्रेजों के साथ-साथ प्राच्य-साहित्य की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई। १८७५ में सर सैमद अहमद खाँ ने मुसलमानों में अंग्रेजी की उच्च-शिक्षा का प्रचार करने के लिये अलीगढ़ में 'मुस्लिम एंग्लो-ओरियन्टल कॉलेज' की स्थापना की। कुछ समय बाद यह 'मुस्लिम यूनीवर्सिटी' के रूप में विकसित हुआ। मद्रास में पच्यप्पा एवं विशाखापट्टम स्कूलों को कॉलेजों में परिवर्तित कर दिया गया और १८६१ में 'तिनावेली कॉलेज' का शिलान्यास हुआ। बंगाल में १८७८ में 'मेट्रोपॉलिटन कॉलेज', १८७६ में 'सिटी कॉलेज' और १८८१ में 'अलबर्ट कॉलेज', स्कूलों के स्तर से ऊँचे उठकर कॉलेज बने।

इस अवधि में राजकुमारों को शिक्षा देने के लिये भी कुछ कॉलेजों का निर्माण हुआ—'राजकोट कॉलेज' (१८७०), अजमेर का 'मियो कॉलेज' (१८७२) और इन्दौर का 'दिली कॉलेज' (१८७६)।

४. व्यावसायिक शिक्षा

१८५४ से पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में जो प्रयास सरकार द्वारा किये गये थे, वे केवल चिकित्सा इंजीनियरिंग और कानून की शिक्षा तक ही सीमित रहे। इनकी शिक्षा की व्यवस्था भी कम्पनी ने अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिये की थी। अंग्रेजों का प्रमुख ध्येय—भारतीयों को विभिन्न राजकीय विभागों के लिये तैयार करना था। १८५४ के बाद भी इसी उद्देश्य के फलस्वरूप व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रयत्न किये गये। हम उस काल की व्यावसायिक शिक्षा का अध्ययन निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत करेंगे :—

- १—चिकित्सा शिक्षा (Medical Education)
- २—कानून की शिक्षा (Legal Education)
- ३—इंजीनियरिंग की शिक्षा (Engineering Education)
- ४—कृषि की शिक्षा (Agricultural Education)
- ५—पशु-चिकित्सा-शिक्षा (Veterinary Education)
- ६—वन-विज्ञान की शिक्षा (Forestry Education)
- ७—कला की शिक्षा (Art Education)
- ८—प्राविधिक एवं औद्योगिक शिक्षा (Technical & Industrial Education)
- ९—अध्यापकों का प्रशिक्षण (Training of Teachers)

१. चिकित्सा शिक्षा—१८५४ से पूर्व कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जा चुके थे। हम इनका वर्णन पहले कर चुके हैं। १८६० में लाहौर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य—पंजाब के निवासियों को पाश्चात्य औषध-शास्त्र की शिक्षा देना था। इन कॉलेजों के अतिरिक्त, विभिन्न प्रान्तों में बहुत-से मेडिकल स्कूल भी थे। इस अवधि में भारतीयों की रुढ़िवादिता के कारण चिकित्सा-शिक्षा लोकप्रिय न हो सकी।

२. कानून की शिक्षा—१८५४ से पूर्व कानून की शिक्षा की व्यवस्था केवल हिन्दू-विद्यालय, कलकत्ता में की गई थी। भारत के विभिन्न प्रान्तों में न्यायालयों की स्थापना के कारण कानून की शिक्षा की मांग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी। अन्तःसरकार ने जनता को संतुष्ट करने के लिए १८५५ में मद्रास एवं बम्बई में कानून की शिक्षा का प्रवन्ध किया। विश्वविद्यालयों की स्थापना के बाद कानून की शिक्षा की प्रगति तीव्र हो गई। यह शिक्षा जन-साधारण में लोकप्रिय थी।

३. इंजीनियरिंग की शिक्षा—कानून की शिक्षा के समान इंजीनियरिंग की शिक्षा को भी संतोषजनक प्रगति हुई। इसका कारण यह था कि सार्वजनिक निर्माण-विभागों, स्थानीय बोर्डों, नगरपालिकाओं, कारखानों आदि में इंजीनियरों की मांग बढ़ रही थी। १८०० में बंगाल में शिवपुर नामक स्थान पर एक इंजीनियरिंग

कॉलेज का निर्माण किया गया। १८५४ में पूना में स्थापित किये गये 'यन्त्रशास्त्र के विद्यालय' को कॉलेज का रूप प्रदान किया गया। मद्रास के 'सर्वे स्कूल' को १८५८ और १८६२ के मध्य कॉलेज का रूप दिया गया।

४. कृषि की शिक्षा—भारत सर्वद्वय से कृषि-प्रधान देश रहा है। यहाँ की लगभग ८० प्रतिशत जनता अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहती है। ऐसी दशा में भारतीयों को कृषि की शिक्षा दी जानी अति आवश्यक थी, परन्तु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जब १८८० में दुर्भिक्ष पडा और कृषि के चौपट हो जाने से सरकार को मालगुजारी न मिली, तब उसकी आँखें खुली। फिर भी कृषि की शिक्षा के लिए सतोपजनक प्रबन्ध नहीं किया गया। १८६४ में सरकार ने मद्रास में सैदपत नामक स्थान पर परीक्षण के लिए कृषि का एक फार्म खोला था। उसको कॉलेज का रूप प्रदान किया गया। १८७६ में पूना कॉलेज में कृषि-विभाग स्थापित किया गया। इन दोनों कॉलेजों में तीन वर्ष तक कृषि की शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते थे।

५. पशु-चिकित्सा-शिक्षा—भारत ऐसे खेतिहर देश में स्वस्थ पशुओं का होना आवश्यक है। अतः सरकार द्वारा पशु-चिकित्सा शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा न किया गया। नाम-मात्र के लिये कुछ स्थानों पर इस शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई थी।

६. वन-विज्ञान की शिक्षा—भारत में अनेक बड़े-बड़े वन हैं, जिनसे विविध प्रकार की लाभप्रद वस्तुयें प्राप्त होती हैं। इन वस्तुओं से प्रलोभित होकर भारत-सरकार ने १९वीं शताब्दी के मध्य में वन विभाग स्थापित किया। इस विभाग के लिए भारतीयों को शिक्षित करने के विचार से १८७८ में देहरादून में 'पॉरेस्ट स्कूल' खोला गया। पूना कॉलेज में भी वन विज्ञान की शिक्षा देने की व्यवस्था की गई।

७. कला की शिक्षा—मद्रास और बम्बई के कला-स्कूलों का वर्णन किया जा चुका है। १८७४ में लाहौर में 'मिरो स्कूल ऑफ आर्ट' स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य—पंजाब में प्रचलित घरेलू उद्योग-धन्धों से सम्बन्धित कला की शिक्षा प्रदान करना था। इसके अतिरिक्त, कला की शिक्षा की दिशा में कोई और कदम नहीं उठाया गया।

८. प्राथमिक एवं औद्योगिक शिक्षा—इस शिक्षा की ओर सरकार का ध्यान सबसे पहले १८७७-७८ के 'दुर्भिक्ष आयोग' (Famine Commission) द्वारा आरम्भित किया गया। फिर भी सरकार ने इस शिक्षा की अवहेलना की। ई. मिशनरिया ने कुछ कार्य अवश्य किया। उन्होंने थोड़े-से 'औद्योगिक स्कूल' स्थापित किये, जिनमें भारतीय ईगाई बालकों को जीविकोपार्जन के लिए यर्द्ध और लुहार के कार्यों की शिक्षा दी जाती थी। परन्तु इन स्कूलों को 'औद्योगिक स्कूल' न कहकर 'दस्तकारी के स्कूल' (Craft Schools) कहना ही अधिक उपयुक्त होगा।

६. अध्यापको का प्रशिक्षण—१८५६ के 'आदेश-पत्र' के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सरकार ने अदम्य उत्साह से कार्य किया और १८८२ तक प्रत्येक प्रान्त में अनेक प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित हो गये। १८८२ में बम्बई में ७ प्रशिक्षण विद्यालय पुरुषों के लिये, और २ स्त्रियों के लिये थे। इनमें अध्ययन करने वालों की कुल संख्या ५५३ थी। मध्य प्रदेश में ४ प्रशिक्षण विद्यालय थे—३ पुरुषों के लिये, और १ स्त्रियों के लिये। इनमें पढ़ने वालों की संख्या १८८ थी। १८६२ में बंगाल में 'नार्मल स्कूल-प्रणाली' (Normal School System) प्रारम्भ की गई। इसके अनुसार, देशी पाठशालाओं के शिक्षकों या उनके सम्बन्धियों को नार्मल-स्कूलों में भेजा जाता था। प्रत्येक शिक्षक को ५ रु० मासिक छानवृत्ति दी जाती थी। १ वर्ष के प्रशिक्षण के बाद अध्यापक को अपने विद्यालय को लौटना पड़ता था। छात्राध्यापको को शिक्षण-विधि, गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। धनाभाव के कारण 'नार्मल स्कूल-प्रणाली' को विस्तृत न किया जा सका। और १८७१ तक केवल २,४३० नार्मल स्कूलों की स्थापना हुई। १८७४ में प्रान्त के गवर्नर, कैम्पबेल ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये एक नवीन योजना की रूप-रेखा तैयार की। इसके अनुसार, १ लाख ६४ हजार रुपये व्यय करके ४६ नार्मल स्कूलों का निर्माण किया गया। मद्रास में ३२ प्रशिक्षण विद्यालय थे, जिनमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की संख्या ६२७ थी। इसी प्रकार, अन्य प्रान्तों में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया गया था। १८८२ में सम्पूर्ण भारत में १०६ नार्मल स्कूल थे, जिनमें ३,८८६ पुरुषों एवं स्त्रियों को प्रशिक्षित किया जा रहा था। इन स्कूलों का वार्षिक व्यय लगभग ४ लाख रुपया था।^१

माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण का वर्णन इसी अध्याय में 'माध्यमिक शिक्षा' के अन्तर्गत किया जा चुका है।

५ विशिष्ट शिक्षा

इस अवधि में विशिष्ट शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया गया। इसका अन्वयन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत सुविधापूर्वक किया जा सकता है—

१. स्त्रियों की शिक्षा (Education of Women)
२. मुसलमानों की शिक्षा (Education of Muslims)
३. पिछड़ी जातियों एवं हरिजनों की शिक्षा (Education of the Backward Classes & Harijans)
४. आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों की शिक्षा (Education of the Aboriginal & Hill Tribes)।

१. स्त्रियों की शिक्षा

१८५४ के 'घोषणा-पत्र' के आदेशानुसार सरकार ने स्त्रिया की शिक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया था। नवनिर्मित शिक्षा-विभागो ने स्त्री-शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया, और उपयुक्त स्थानो पर बालिका-विद्यालयो का निर्माण किया गया। फलस्वरूप, स्त्री-शिक्षा की प्रगति अबाध गति से होती चली गई। १८८२ में स्त्रियो के लिये सभी प्रकार के विद्यालयो की संख्या २,६६७ थी, जिनमें १,२७,०६६ छात्रायें शिक्षा प्राप्त कर रही थी। भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए छात्राओ की यह संख्या प्रायः नगण्य थी। इसके आधारभूत कारण निम्नांकित थे —

१. हिन्दू और मुसलमान—दोना स्त्री-शिक्षा को अनावश्यक समझते थे। उनके मतानुसार स्त्री का उचित स्थान घर में था। अतः उसके लिये शिक्षा व्यर्थ थी।
२. भारत में बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित थी। कम आयु में विवाह हो जाने के कारण स्त्रियो की शिक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता था।
३. मुस्लिम शासन-काल में हिन्दुओ और मुसलमानो में पर्दा-प्रथा प्रचलित हो गई थी। अतः, एक निश्चित आयु के बाद बालिकाओ को शिक्षा प्राप्त करने के लिये घर से बाहर भेजना असम्भव था।
४. रुढ़िवादिता में अकड़े हुए भारतीय इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि स्त्रियाँ भी उच्च-शिक्षा प्राप्त करके पुरुषो के समान नौकरियाँ कर सकती हैं। अतः उन्होंने स्त्रिया की उच्च या माध्यमिक शिक्षा की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया।

प्राथमिक शिक्षा—जहाँ तक बालिकाओ की प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न है, उसे कुछ सीमा तक सतीपजनक कहा जा सकता है। प्राथमिक स्कूलो में छात्राओ की संख्या सबसे अधिक थी। १८८२ में १,२७,०६६ शिक्षा प्राप्त करने वाली कुल बालिकाओ में से १,२४,४६१ बालिकायें प्राथमिक पाठशालाओ में पढ़ रही थी। इस अधिक संख्या का एकमात्र कारण यह था कि भारतीय इस समय तक स्त्रियो के लिये प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव कर चुके थे। परन्तु वे माध्यमिक एवं उच्च-शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इस शिक्षा का अर्थ था—अंग्रेजी का अध्ययन, जिससे स्त्रियो के चरित्रहीन होने की आशंका थी।

माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा—स्त्रियो की शिक्षा के प्रति भारतीयो के इस दृष्टिकोण ने उनकी माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की प्रगति में अवरोध डाला। १८८२ में सम्पूर्ण भारत में माध्यमिक विद्यालयो में पढ़ने वाली बालिकाओ की संख्या २,०५४ थी। इनमें से बंगाल में १,०५१, मद्रास में ३८६, बम्बई में ५३८, पश्चिमोत्तर प्रान्त में ६८, और पंजाब में ८ बालिकायें माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रही थी। इनमें भी अधिकांश लड़कियाँ यूरोपियन, एंग्लो-इण्डियन और पारसी थीं। जहाँ तक उच्च शिक्षा का प्रश्न था, सम्पूर्ण भारत में स्त्रियो के लिये केवल १ कॉलेज

था—बलवत्ता का वैश्वयुक्त कॉलेज। इसमें भी केवल ६ लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर रही थी। इस प्रकार, इस अवधि में स्त्रियों की माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा अत्यंत निराशाजनक रही।

स्त्री-प्रशिक्षण—इस काल की एक विशेषता यह थी कि स्त्रियाँ प्राथमिक विद्यालया में अध्यापिकाओं का कार्य करने के लिये दीक्षा ले रही थी। १८८२ में छात्राध्यापिकाओं की संख्या ५१५ थी। प्रशिक्षण विद्यालया की स्थापना की ओर सर्वप्रथम मिशनरिया ने ध्यान दिया। इनका निर्माण करने में मिशनरिया के दो ध्येय थे—(१) मिशन बालिका विद्यालया के लिये अध्यापिकाओं को दीक्षित करना, और (२) धर्म-परिवर्तित ईसाई स्त्रिया को अध्यापिकायें बनाकर उनके जीविकोपार्जन की समस्या को हल करना। परन्तु मिशन प्रशिक्षण-विद्यालय लोकप्रिय न बन सके। सभ्रात व्यक्ति अपनी लड़किया को वहाँ नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि वहाँ बाइबिल का पढ़ना अनिवार्य था। मिशन प्रशिक्षण-विद्यालयों के अतिरिक्त देश में भारतीया या सरकार द्वारा संचालित एक भी विद्यालय नहीं था। भारतीयों द्वारा इस दिशा में कार्य न किये जाने का कारण यह था कि भारतीय समाज में ऐसी सुशिक्षित महिलाओं का अभाव था जो प्रधान अध्यापिकाओं एवं अध्यापिकाओं के रूप में कार्य कर सक। १८५४ के 'घोषणा-पत्र' में अध्यापिकाओं की दीक्षा के लिये आदेश दिये जाने पर भी सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया था।

स्त्री शिक्षा के अपने कर्त्तव्य के प्रति सरकार का जागरूक करन का श्रेय एक सुविख्यात समाज-सेविका मिस कारपेन्टर (Miss Carpenter) को प्राप्त है। १८६६ से १८७६ तक उसने चार बार भारत आकर यहाँ की जनता और सरकार को स्त्री शिक्षा की नवीन परम्परा को प्रतिष्ठित करने की प्रेरणा दी। उसी के प्रयासों के फलस्वरूप भारत में स्त्री शिक्षा-सम्बन्धी वह प्रतिमान स्थापित हुआ जो अनेक भोके भोकोरे खाने के बाद भी आज तक अटूट बना हुआ है। अपने भारत-निवास के दौरान में स्त्री शिक्षा का गहन अध्ययन करने के बाद वह इस परिणाम पर पहुँची कि स्त्री शिक्षा की प्रक्रिया में गतिशीलता बनाये रखने के लिये अध्यापिकाओं की दीक्षा अनिवार्य है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये उसने निम्नलिखित सुझाव दिये -

- १ सरकार द्वारा महिला-प्रशिक्षण विद्यालयों की व्यवस्था की जाय।
- २ उनमें योग्य अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय।
- ३ उन्हें सफल बनाने के लिये लब्धप्रतिष्ठ भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जाय।
- ४ उनमें अध्ययन करने के लिये छात्राध्यापिकाओं को प्रोत्साहन दिया जाय।

भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल, सर जॉन लारेन्स (Sir John Lawrence) ने मिस कारपेन्टर के प्रस्तावों से प्रभावित होकर तत्काल ही महिला प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना के लिये राज-बोप से धन देने की घोषणा की। इस प्रकार,

इसीलिये कम्पनी ने भी उनकी शिक्षा की उपेक्षा की। यह उपेक्षा १८५५ तक प्रान्तीय शिक्षा-विभाग की स्थापना के पश्चात् भी यथावत् बनी रही। १८७१-७२ में लाई मेयो (Mayo) ने मुसलमानों की शिक्षा पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया और उन्हें शिक्षा देने का बीड़ा उठाया। उसके प्रयास के फलस्वरूप उसी वर्ष भारत सरकार द्वारा एक 'प्रस्ताव' (Resolution) पास किया गया।¹ इसकी प्रमुख बातें निम्न-लिखित थीं—

१. उन क्षेत्रों के अंग्रेजी स्कूलों में—जहाँ मुसलमान बहुसंख्या में हैं, अंग्रेजों के मुसलमान शिक्षक नियुक्त किये जायें।
२. मुसलमानों को अपने स्कूल स्थापित करने के लिये सहायता-अनुदान दिया जाय।
३. माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, उर्दू के माध्यम से दी जाय।
४. अरबी और फारसी साहित्य के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाय।
५. सभी राजकीय स्कूलों तथा कॉलेजों के पाठ्य-क्रमों में मुस्लिम भाषाओं को उचित स्थान दिया जाय।
६. मुसलमानों को उर्दू-साहित्य के सृजन में सरकार द्वारा विशेष सहायता दी जाय।

इस राजाज्ञा का प्रायः सभी प्रान्तों में अक्षरशः पालन किया गया। फल-स्वरूप, मुस्लिम-शिक्षा का प्रवाह तीव्र हो गया। यत्र-तत्र विद्यालयों का निर्माण प्रारम्भ हुआ। उनमें अध्ययन करने के लिये मुस्लिम छात्रों को आधा शुल्क एवं छात्रवृत्तियाँ देकर प्रलोभित किया जाने लगा। विद्यालयों के निरीक्षण के लिये मुस्लिम निरीक्षकों की नियुक्तियाँ की गईं। सरकार—विद्यालयों को उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता देने लगी। शिक्षण-कार्य केवल योग्य अध्यापकों को सौंपा गया। विश्वविद्यालयों में अरबी और फारसी को सम्मानित पद पर प्रतिष्ठित किया गया।

उपर्युक्त कारणों के परिणामस्वरूप, १८८१-८२ में सम्पूर्ण भारत में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में १७.८ प्रतिशत विद्यार्थी मुसलमान थे। इसका अभिप्राय यह था कि मुस्लिम समाज का प्रायः प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित था। शिक्षा की इस

1. "His Excellency-in-Council believes that secondary higher education conveyed in the vernacular and rendered more accessible than now, coupled with a more systematic encouragement and recognition of Arabic and Persian literature, would be not only acceptable to the Muhammadan community but would enlist the sympathies of the more earnest and enlightened of its members on the side of education."—Syed Mahmood : *History of Education in India*, p. 148.

असाधारण प्रगति के बावजूद भी मुसलमान अधोलिखित बातों में हिन्दुओं से पिछड़े रहे —

१. मुसलमानों में धार्मिक भावना इतनी प्रबल थी कि मुसलमान विद्यार्थी काफ़ी बड़ी संख्या में सार्वजनिक विद्यालयों की अपेक्षा व्यक्तिगत विद्यालयों में ही पढ़ना अधिक लाभप्रद समझते थे।
२. मुसलमानों ने माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा को इतना ग्रहण नहीं किया जितना कि हिन्दुओं ने।
३. मुसलमानों में स्त्री-शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई थी।
४. सरकारी नौकरियों तथा व्यवसायों में मुसलमानों ने हिन्दुओं से बड़ी कम योग्यता एवं कुशलता का परिचय दिया।

३. पिछड़ी जातियों एवं हरिजनों की शिक्षा

१८५४ से पूर्व 'निस्यन्दन-सिद्धान्त' को अपनाने के कारण सरकार ने पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। ऐडम की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि देशी पाठशालाओं में पिछड़ी जातियों और हरिजनों के कुछ बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस प्रकार, १८३८ तक निम्न जातियों में शिक्षा प्रचलित हो गई थी, परन्तु विद्यार्थियों की संख्या प्रायः नहीं के बराबर थी। मिशनरियों ने पिछड़ी जातियों तथा हरिजनों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया और कुछ स्कूल भी खोले। इसका एतमात्र कारण यह था कि मिशनरी उनको अपने धर्म का अनुगामी बनाना सरल समझते थे।

'बुड के घोषणा-पत्र' ने 'निस्यन्दन सिद्धान्त' को अमान्य ठहराया और जन-साधारण में शिक्षा-प्रसार करने का आदेश दिया। परिणामस्वरूप, सरकार ने प्रान्तीय शिक्षा-विभागों को जन-शिक्षा के साथ-साथ पिछड़ी जातियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने के लिये कहा। शिक्षा-विभाग इस दिशा में क्रियाशील तो हुए, परन्तु उन्हें अधोलिखित विचित्र कठिनाइयों का सामना करना पड़ा —

१. उच्च जातियों के हिन्दू, हरिजनों को हेम तथा घृणित समझते थे। अतः उन्होंने हरिजनों के बच्चों को सार्वजनिक स्कूलों में पढ़ाये जाने का घोर विरोध किया।
२. शताब्दियों से पद-दलित रहने के कारण स्वयं हरिजनों में शिक्षा प्राप्त करने की तनिक भी अभिलाषा नहीं थी। अतः उनको शिक्षा के लिये दिये गये प्रलोभन प्रायः व्यर्थ सिद्ध हुए।
३. हरिजनों में शिक्षा का अभाव था। अतः उनमें से शिक्षण-कार्य के लिये योग्य व्यक्तियों को प्राप्त करने का प्रयत्न ही नहीं उठता था। उच्च वर्ग के हिन्दू पिछड़ी जातियों और हरिजनों के बच्चों के अध्यापक बनाना स्वीकार नहीं करते थे।

इन समस्याओं का समाधान करने के लिये हरिजन बालकों को राजकीय विद्यालयों में शिक्षा देने की योजना बनाई गई। सरकार के इस निर्णय ने ७

की क्रोधाग्नि को प्रज्वलित कर दिया। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय न भेजने की धमकी दी। बँरा जिले में तो बल-प्रयोग भी किया गया। अछूतों के घरों और फसलों में आग लगा दी गई और वहाँ के ५ या ६ विद्यालयों को बर्षों बन्द रखा गया। सरकार ने जनता को दान्त करने के लिये अपनी नीति पर पुनर्विचार किया और पिछड़ी जातियों के लिये पृथक् विद्यालयों का निर्माण करने का निश्चय किया। १८८० में इस प्रकार के विद्यालय कुल २० थे। इनमें से १६ बम्बई में थे, जिनमें ५६४ छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, और ४ मध्य-प्रदेश में थे, जिनमें छात्रों की संख्या १११ थी। इन दो प्रान्तों के अतिरिक्त किसी भी प्रान्त में पिछड़ी जातियाँ और हरिजनों की शिक्षा-व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई थी।

४ आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों की शिक्षा

१८८२ से पूर्व आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों की शिक्षा के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की थी। वेवल बंगाल और आसाम में इस दिशा में सरकार ने कुछ कदम उठाये थे। वस्तुतः इनको शिक्षित बनाने की योजना वा श्रेय मिशनरियों को ही प्राप्त है। मिशनरियों ने आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों में अपने धर्म प्रचार में प्रशसनीय सफलता प्राप्त की और ईसाई धर्म में परिवर्तित भारतीयों के बच्चा को शिक्षा देने के लिये स्कूलों का निर्माण किया। १८८२ के 'भारतीय शिक्षा-आयोग' के अनुसार आदिवासी और पहाड़ी जातियों के छात्रों की संख्या इस प्रकार थी—बम्बई में २,७३८ मध्य प्रदेश में १,४५३ तथा बंगाल और आसाम में १३,०७८। इनके अतिरिक्त, अन्य प्रान्तों में छात्रों की संख्या नगण्य थी, क्योंकि वहाँ उनके लिये शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं था।¹

सारांश

शासन-सत्ता का हस्तान्तरण—१८५७ की क्रान्ति के बाद कम्पनी के शासन का अन्त हो गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली।

ऐलेनबरा का आदेश-पत्र—इस आदेश-पत्र (१८५८) में 'बुद्ध के घोषणा-पत्र' की सभी सिफारिशों के विरुद्ध प्रस्ताव किये गये, क्योंकि 'घोषणा-पत्र' में प्रतिपादित शिक्षा-नीति को विद्रोह का कारण माना गया था।

स्टैनले का आदेश-पत्र—इस आदेश-पत्र (१८५९) में बुद्ध की शिक्षा-नीति का समर्थन किया गया और सरकार से प्राथमिक शिक्षा का भार अपने ऊपर लेने के लिये कहा गया।

शिक्षा विभागों का संगठन—१८५६ के अन्त तक सब प्रान्तों में शिक्षा-विभागों का निर्माण हो गया और उनको प्रान्तीय शिक्षा का उत्तरदायित्व दे दिया

गया। परन्तु शिक्षा की समुचित व्यवस्था न की जा सकी। इसका कारण यह था कि शिक्षा-विभागों के यूरोपियन अधिकारी भारतीय परिस्थितियों से परिचित नहीं थे। दूसरे, निरीक्षकों की संख्या कम थी।

सहायता-अनुदान प्रणाली—इस प्रणाली को गैर-सरकारी स्कूलों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रचलित किया गया। परन्तु सहायता-अनुदान सम्बन्धी नियम जटिल थे, धन-राशि कम थी और वह भी समय पर नहीं दी जाती थी। अतः इस प्रणाली को अधिक सफलता नहीं मिली।

शिक्षा-प्रसार के साधनों का भारतीयकरण—१८५८ के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिये इतने कड़े नियम बना दिये गये कि उन्हें वैयक्तिक रूप से शिक्षा-संस्थायें स्थापित करने की स्वतन्त्रता नहीं रह गई। सरकार ने धार्मिक तटस्थता की नीति घोषित की, जिससे मिशनरियों के धर्म-प्रचार के कार्य पर अंकुश लग गया। इन दोनों बातों का परिणाम यह हुआ कि भारतीयों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रसार का कार्य करने के लिये विस्तृत क्षेत्र मिल गया और उन्होंने राष्ट्रीय विद्यालयों का निर्माण किया।

प्राथमिक शिक्षा—स्टैनले के आदेश-पत्र ने प्राथमिक शिक्षा के कई प्रश्नों पर विवाद खड़ा कर दिया। मतभेदों के अभाव में सभी प्रान्तों ने वभिन्न नीतियों का अनुसरण किया। फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा की प्रगति तो हुई परन्तु उसको सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिये स्थानीय कर भी लगाये गये।

माध्यमिक शिक्षा—इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा की आशातीत उन्नति हुई। परन्तु उसमें चार प्रमुख दोष थे—(अ) माध्यम के रूप में मातृ-भाषा की उपेक्षा, (ब) दीक्षित शिक्षकों का अभाव, (ग) पुस्तकीय ज्ञान पर बल, और (द) औद्योगिक शिक्षा का अभाव।

उच्च शिक्षा—उच्च शिक्षा के लिये बलकत्ता, बम्बई, मद्रास और पंजाब में विश्वविद्यालय स्थापित किये गये। इनका प्रबन्ध सीनेट के द्वारा किया जाना था। सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप होने के कारण विश्वविद्यालयों का स्वाभाविक विकास न हो सका। उच्च शिक्षा के लिये सरकार, मिशनरियों और भारतीयों ने अनेक कॉलेजों की स्थापना की।

व्यावसायिक शिक्षा—व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत चिकित्सा, कानून, इंजीनियरिंग, कृषि, पशु चिकित्सा, वन-विज्ञान, कला और औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी प्रबन्ध किया गया। सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा की योजना केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बनाई थी।

विशिष्ट शिक्षा—विशिष्ट शिक्षा के अन्तर्गत स्त्रियों और मुसलमानों की शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। स्त्री-शिक्षा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का श्रेय मिम बार्पेन्टर को है। उसके प्रयास के फलस्वरूप महिला-प्रशिक्षण विद्यालयों का भी निर्माण हुआ। मुसलमानों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने

के लिये सरकार ने विशेष आर्थिक सहायता दी और मुस्लिम निरीक्षण नियुक्त किये। पिछड़ी जातियाँ, हरिजना, आदिवासियों और पहाड़ी जातियों की शिक्षा की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। परन्तु मिशनरियों ने इस दिशा में प्रशंसनीय प्रयास किये।

सारास में, इस अवधि में शिक्षा का सर्वाङ्गीण विकास हुआ। सरकार के साथ-साथ, भारतीयों ने भी शिक्षा-कार्य में अभिरुचि व्यक्त की।

TEST QUESTIONS

1. Give a brief history of Primary Education in India between 1854 and 1882
१८५४ से १८८२ तक भारत में प्राथमिक शिक्षा के इतिहास का संक्षेप में वर्णन कीजिये।
2. What were the defects of the Secondary System of Education? How could they have been combated?
माध्यमिक शिक्षा-प्रणाली के क्या दोष थे? उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता था?
3. Trace the history of Women's Education from 1854 to 1882
१८५४ से १८८२ तक स्त्री-शिक्षा के इतिहास का वर्णन कीजिये।

भारतीय शिक्षा-आयोग

[हन्टर कमीशन]

(१८८२-१८८३)

प्रस्तावना

हम अध्याय ११ में बता चुके हैं कि 'स्टैनले के आदेश-पत्र' ने बुड की शिक्षा-नीति का समर्थन किया था और प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ नये सुझाव दिये थे। १८५६ के पश्चात् भारत-सरकार ने सिद्धान्त रूप में तो बुड तथा स्टैनले के घोषणा-पत्रों में प्रतिपादित शिक्षा-नीति का अनुसरण किया, परन्तु क्रियात्मक पग बहुत-कुछ भिन्न ही उठाये। इस प्रकार सिद्धान्त एवं क्रिया में जो विभिन्नता थी, उसकी जाँच की जानी चाहिये थी। परन्तु जाँच करता कौन ? शासन-सत्ता के हस्ता-तरण से पूर्व कम्पनी का आज्ञा-पत्र प्रत्येक २० वर्ष के पश्चात् संसद में नवीनीकरण के लिये आता था। उस अवसर पर भारतीय शिक्षा-नीति की जाँच हो जाती थी। परन्तु अब यह सम्भव नहीं था। फलस्वरूप, १८५४ के 'घोषणा-पत्र' की अवहेलना करके भारत-सरकार निस्सन्देह सिद्धान्त पर चलती रही और जन-साधारण की शिक्षा की ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। १८५६ के 'आदेश-पत्र' में प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था, परन्तु सरकार ने उसके प्रति भी कोई विशेष उत्साह प्रदर्शित नहीं किया।

आयोग की नियुक्ति के आधारभूत कारण

१८५४ के उपरान्त सम्पादित कार्य की समुन्नति का सिंहावलोकन करने पर हमें यह बात सहज ही ज्ञात हो जाती है कि स्वयं सरकार द्वारा ही प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर बल देने के पश्चात् भी वास्तविक प्रगति रच-मान ही हुई थी, क्योंकि

सरकार का 'निस्यन्दन सिद्धान्त' में अटल विश्वास था। सहायता-अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा के विद्यालयों पर सरकार की ओर से १३ लाख रुपया व्यय किया जाता था, परन्तु प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों पर केवल २४½ लाख ही व्यय होता था। अतः अधिकांश लोगों का मत था कि १८५४ के घोषणा-पत्र के उद्देश्य की राज्य ने पूर्ति नहीं की थी। 'बुड के आदेश-पत्र' में यह आशा व्यक्त की गई थी कि सहायता-अनुदान प्रणाली का अनुसरण करके एक समय ऐसा आ जायगा जब केवल व्यक्तिगत विद्यालय रह जायेंगे और राजकीय स्कूल बन्द कर दिये जायेंगे। इससे मिशनरियों को बड़ी बड़ी आशाएँ थी।

परन्तु १८५८ में 'धार्मिक तटस्थता' की नीति की उद्घोषणा करके सरकार, मिशनरियों पर कड़ी नजर रखने लगी थी। सहायता-अनुदान देने में राज्य ने उनके प्रति किसी प्रकार की उदारता का व्यवहार नहीं किया। इससे मिशनरियों को बड़ी निराशा हुई। इसके अतिरिक्त, सरकार ने उन स्थानों पर राजकीय विद्यालय स्थापित किये, जहाँ मिशन स्कूल थे। सरकार के इस कार्य से मिशनरी और भी अधिक रूढ़ हो गये। वे नहीं चाहते थे कि राजकीय स्कूल मिशन विद्यालयों के प्रतिद्वन्द्वी बनें। मिशन स्कूलों में शिक्षा—धर्म-प्रचार का साधन था, साध्य नहीं। इसके विपरीत, राजकीय स्कूलों की शिक्षा में धर्म का कोई स्थान नहीं था। फलस्वरूप, मिशनरियों को आशंका होने लगी थी कि कहीं भारतीय, मिशन स्कूलों का पूर्णतः बहिष्कार न कर दें।

मिशनरी तो शिक्षा-क्षेत्र में एकाधिकार चाहते थे। अतः उन्होंने विमुक्त होकर आन्दोलन करना प्रारम्भ कर दिया कि भारतीय शिक्षा-नीति 'बुड के घोषणा-पत्र' के प्रतिकूल जा रही है। इस आन्दोलन की लोल लहरों से न केवल भारत, अपितु इंग्लैण्ड भी सराबोर हो गया। वहाँ के कुछ उत्साही निवासियों ने 'जनरल काउन्सिल ऑफ एजुकेशन इन इण्डिया' (General Council of Education in India) नामक एक संस्था स्थापित की। इसमें लार्ड हैलीफैक्स (Halifax) एवं लार्ड लॉरेन्स (Lawrence) ऐसे मुख्यात व्यक्ति सम्मिलित थे।

जब १८८२ में ब्रिटिश संसद ने भारत के नये गवर्नर-जनरल, लार्ड रिपन (Ripon) की नियुक्ति की, तब इस संस्था के कुछ सदस्यों के एक शिष्ट-मंडल ने उससे मेंट की और भारतीय शिक्षा-नीति की जाँच करने की प्रार्थना की। लार्ड रिपन ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा—“१८५४ के 'घोषणा-पत्र' में वस्तुतः भारतीय शिक्षा-नीति को स्पष्ट एवं जोरदार शब्दों में निर्धारित कर दिया है और मेरी इच्छा भी उमी नीति पर चलने की है। भारत पहुँचने पर मेरा महत्त्व होगा कि वहाँ की उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस प्रश्न की पूर्ण जाँच करूँ। यदि मैं यह स्वीकार करूँ कि इस समय भी भारत में निर्धना की प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं प्रसार की आपकी इच्छा में मुझे पूर्ण सहानुभूति है, तो इस निर्णय के लिये मेरे ऊपर क्या वा दोष लगाया जा सकता है।”

आयोग की नियुक्ति

भारत पहुँच कर लार्ड रिपन ने ३ फरवरी, १८८२ को गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य सर विलियम हन्टर (William Hunter) की अध्यक्षता में प्रथम 'भारतीय शिक्षा आयोग' (Indian Education Commission) की नियुक्ति की। इसी आयोग को 'हन्टर कमीशन' (Hunter Commission) भी कहा जाता है। इस आयोग में सर हन्टर के अतिरिक्त, २० सदस्य और थे। इनमें से ७ भारतीयों के प्रतिनिधि थे—सैयद महमूद, मूदेव मुक्जी, धानंद मोहन बोस, के० टी० तैंग, पी० रगानंद मुदालिमर, महाराजा जीतेन्द्र टैगोर और हाजी गुलाम। पादरिया के प्रतिनिधि, डा० डब्ल्यू० मिलर (W Miller) थे। मैसूर के शिक्षा-सचालक, बी० एल० राइन (B L Rice) इस आयोग के मंत्री थे।

आयोग का कार्य-क्षेत्र एवं उद्देश्य

इन आयोग का मुख्य कार्य-क्षेत्र—भारत में प्राथमिक शिक्षा की जाँच करना था, क्योंकि सरकार न 'बुड के घोषणा-पत्र की अवहेलना करके प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया था। इङ्ग्लैण्ड में १८८० में जन शिक्षा का प्रसार करने के विचार से अनिवाद्य प्राथमिक शिक्षा के लिये 'प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम (Elementary Education Act) पारित किया जा चुका था। इसी आदर्श से प्रेरित होकर आयोग को प्राथमिक शिक्षा की सूक्ष्म जाँच करने का भार सौंपा गया। जिस प्रस्ताव द्वारा आयोग की नियुक्ति की गई थी, उसमें आयोग के उद्देश्य को इन शब्दों में अंकित किया गया था— 'कमीशन का कर्तव्य होगा, विशेष रूप से इस बात की जाँच करना कि १८५४ के 'घोषणा पत्र के सिद्धान्तों को किस प्रकार कार्यान्वित किया गया है और ऐसे उपायों का सुझाव देना जो उस 'घोषणा-पत्र में निर्धारित नीति को उत्तरोत्तर कार्यान्वित करने के हेतु कमीशन के मतानुसार वाछनीय प्रतीत होते हों।'¹

संक्षेप में, कमीशन को अधोलिखित बातों की जाँच करने के लिए कहा गया था —

१. क्या सरकार न उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की है ?

1 'It will be the duty of the Commission to enquire particularly into the manner in which effect has been given to the principles of the Despatch of 1854 and to suggest such measures as it may think desirable in order to further carrying out of the policy therein laid down —Resolution Appointing the Commission 1882

- २ प्राथमिक शिक्षा की क्या स्थिति है, और उसके विकास के लिए क्या उपाय किये जाने चाहिए ?
- ३ राजकीय विद्यालयों की क्या स्थिति है, और भारतीय शिक्षा के लिए उनकी आवश्यकता है या नहीं ?
- ४ देश की शिक्षा व्यवस्था में मिशन स्कूलों का क्या स्थान है ?
- ५ शिक्षा क्षेत्र में वैयक्तिक प्रयासों के प्रति सरकार की नीति क्या होनी चाहिए ?

नियुक्ति के उपरान्त आयोग ने ७ सप्ताह तक कलकत्ता में कार्य किया। तदुपरान्त उसने ८ माह तक सम्पूर्ण देश में भ्रमण किया। इस अवधि में उसने साक्षियों से वयान लेकर शिक्षा-सम्बन्धी मामलों एकत्र की। आयोग ने प्रांतीय सरकारों से भी रिपोर्टें माँगी। इस प्रकार, बड़े परिश्रम से लगभग १० माह के पश्चात्, मार्च, १८८३ में आयोग ने ६०० से अधिक पृष्ठों का एक बृहदाकार प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया।

आयोग की सिफारिशों और सुझाव

अपनी रिपोर्ट में आयोग ने भारतीय शिक्षा पर विह्वल दृष्टिपात करने के उपरान्त भावी शिक्षा प्रसार के लिये अति महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये और शिक्षा के प्रत्येक अंग के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों को लेखबद्ध किया। यहाँ इस बात की ओर संकेत कर देना अनुपयुक्त न होगा कि आयोग के १८५४ के 'घोषणा-पत्र की बातों को ही आंशिक परिवर्तन के साथ प्रस्तुत किया गया। उसने अपनी ओर से कोई नई बात नहीं बताई। शिक्षा के जिन अंगों पर आयोग ने अपने विचार प्रकट किये उनका वर्णन निम्नांकित क्रम से किया जा रहा है —

१. प्राथमिक शिक्षा

आयोग का मुख्य कार्य क्षेत्र—प्राथमिक शिक्षा की जाँच करना था। अतः आयोग ने इसमें सबसे अधिक रुचि व्यक्त की, और स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि सरकार वास्तव में जन शिक्षा का प्रसार करना चाहती है, तो उसे अतीत की अपेक्षा वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक क्रियाशील होना आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये 'भारतीय शिक्षा-आयोग' ने प्राथमिक शिक्षा के प्रत्येक अंग की ओर, जैसे—प्राथमिक शिक्षा की नीति, संगठन-कार्य, आर्थिक व्यवस्था, अध्यापकों का प्रशिक्षण आदि के सम्बन्ध में अपने सुझाव और सिफारिशों की।

(1) प्राथमिक शिक्षा की नीति—प्राथमिक शिक्षा की नीति के सम्बन्ध में आयोग ने अप्रलिखित सुझाव दिये —

१. प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य—जन-साधारण में शिक्षा का प्रसार करना होना चाहिए, न कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये एक साधन मात्र ।
२. प्राथमिक शिक्षा में ऐसे विषयों को स्थान देना चाहिये, जो जन-साधारण के व्यावहारिक जीवन में लाभप्रद सिद्ध हों ।
३. प्राथमिक शिक्षा का माध्यम—देशी भाषाएँ होनी चाहिए ।
४. प्राथमिक शिक्षा को सरकार का पूर्ण संरक्षण प्राप्त होना चाहिए ।
५. प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को निम्न पदों पर नियुक्तियाँ करते समय उन व्यक्तियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिन्हें लिखने-पढ़ने का सामान्य ज्ञान हो ।
६. भारत की पिछड़ी हुई जातियों, आदिवासियों आदि की शिक्षा की दिशा में सरकार द्वारा भागीरथ प्रयत्न किये जाने चाहिए ।
७. "जन-साधारण की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, उसका प्रसार और सुधार भी शिक्षा-क्षेत्र का वह अङ्ग घोषित किया जाय, जिसकी ओर राज्य के सतत् प्रयास पहले से भी अधिकाधिक मात्रा में अब केन्द्रीभूत किये जायें ।"^१

(ii) संगठन—इंग्लैण्ड में १८७० एवं १८७६ के 'शिक्षा-अधिनियमों' (Education Acts) के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का भार 'कॉउन्टी कौंसिल्स' (County Councils) को सौंप दिया गया था । इसी का अनुकरण करके लार्ड रिपन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा के संगठन का कार्य नगरपालिकाओं (Municipal Boards) और जिला-परिषदों (District Boards) के हाथ में दे दिया । शिक्षा-सम्बन्धी सभी बातों, जैसे—प्रबन्ध, विकास, व्यय तथा निरीक्षण—का दायित्व इन्हीं स्थानीय संस्थाओं को दे दिया गया । यह व्यवस्था करके सरकार ने अपने को जन-साधारण को शिक्षित करने के भार से मुक्त कर लिया ।

(iii) पाठ्यक्रम—आयोग ने पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में सभी प्रान्तों को स्वतन्त्रता दे दी । वे अपनी परम्परा के अनुसार, पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकते थे । परन्तु आयोग ने कुछ जीवनोपयोगी विषयों को पाठ्य-क्रम में सम्मिलित करने की सिफारिश की, जैसे—भौतिक विज्ञान, क्षेत्रमिति, चिकित्सा, बही-खाता और कृषि ।

1. "It is desirable, in the present circumstances of the country, to declare the elementary education of the masses, its provision, extension, and improvement, to be that part of the educational system to which the strenuous efforts of the State should now be directed in a still larger measure than heretofore."

(iv) आर्थिक व्यवस्था—‘भारतीय शिक्षा-आयोग’ ने प्राथमिक शिक्षा के व्यय के विषय में कुछ बहुमूल्य सुझाव दिये। व्यय के साधना की ओर संकेत करते हुए आयोग ने कहा कि नगरपालिकाओं और जिला-परिषदों प्राथमिक शिक्षा के लिये एक पृथक् कोष का निर्माण करें।¹ व्यय की रूप-रेखा निश्चित करते हुए आयोग ने बताया कि ग्रामों तथा नगरों के प्राथमिक विद्यालयों के कोष पृथक् कर दिये जायें, जिससे ग्रामों में व्यय किया जाने वाला धन नगरों में व्यय न हो सके। स्थानीय कोष के सम्बन्ध में आयोग ने सुझाव दिया कि उसे केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय किया जाय। किसी भी दशा में इस कोष के धन को उच्च शिक्षा या अन्य किसी कार्य के लिये व्यय न किया जाय, जैसा कि अब तक किया जा रहा था। आयोग ने प्रान्तीय सरकारों पर भी प्राथमिक शिक्षा का दायित्व रखा और कहा कि प्रान्तीय स्थानीय कोष का ३ अथवा सम्पूर्ण व्यय का ३ भाग सहायता के रूप में प्रदान किया जाय। परन्तु भारत की तत्कालीन विशाल जनसंख्या के लिये यह आर्थिक सहायता अति अल्प थी।

(v) अध्यापकों का प्रशिक्षण—‘हन्टर कमीशन’ ने प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षण स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सिफारिश की, कि अध्यापकों को दीक्षित किया जाय और इस कार्य के लिये नार्मल स्कूल खोले जायें। प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षकों को दीक्षित करने के लिये कमीशन ने निम्नांकित सिफारिशों की—

- १ प्रशिक्षण विद्यालयों का निर्माण ऐसे स्थानों पर किया जाय, जहाँ से वे समस्त प्राथमिक पाठशालाओं की स्थानीय माँगों को पूर्ति कर सकें। प्रत्येक विद्यालय-निरीक्षक के क्षेत्र में कम-से-कम एक नार्मल स्कूल की स्थापना की जाय।²
- २ नार्मल स्कूलों को सफल बनाने के लिये यह अति आवश्यक है कि प्रत्येक निरीक्षक अपने अधीनस्थ प्रशिक्षण विद्यालय में हचि ले और उसके कुशल संचालन की व्यवस्था करे।
- ३ प्रान्तीय सरकारों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिये स्वीकृत धन राशि में

1 “That Primary Education should be declared to be that part of the whole system of Public Instruction which possesses an almost exclusive claim on local funds set apart for education and a large claim on provincial revenues”—*Indian Education Commission Report*

2 “We recommend that the supply of Normal Schools whether Government or aided, be so localised as to provide for the local requirements of all primary schools, whether Government or aided, within the division under each Inspector”—*Ibid*

में प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण तथा नामेंल स्कूलों की स्थापना की उचित व्यवस्था की जाय।¹

समीक्षा

‘भारतीय शिक्षा-आयोग’ ने प्राथमिक शिक्षा के प्रायः सभी अंगों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये। आयोग की हाईवे अभिलाषा थी कि भारत-सरकार प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देकर जन-साधारण में शिक्षा का प्रसार करे। प्राथमिक विद्यालयों को नगरपालिकाओं तथा जिला-परिषदों को सौंपने में शिक्षालयों का बड़ा उपकार हुआ। कारण यह है कि जिन कार्यों को करने में लिये सरकार के पास समय नहीं था, उनको स्थानीय गणपार्षदों गणपार्षदों कर सक्ती थी। इस प्रकार जन-शिक्षा की समस्या के समाधान की आशा दृष्टिगोचर होने लगी। इसके अतिरिक्त, आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थानीय-स्तर केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय किया जाने लगा। फलस्वरूप, प्राथमिक विद्यालयों को अधिक स्थिति में पर्वन्त सुधार हो गया। सरकार ने आयोग के सुझावों को स्वीकार करके प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय गणपार्षदों को सौंप दिया।

२ देशी शिक्षा²

देशी शिक्षा में आयोग का अभिप्राय उस शिक्षा से था, जो देश की प्राचीन परम्पराओं पर आधारित, भारतीयों द्वारा संचालित देशी विद्यालयों (Indigenous Schools) में दी जा रही थी। आयोग ने इन विद्यालयों के महत्त्व को स्वीकार करते हुए सिफारिश की, कि सरकार इनको संरक्षण दे और शिक्षा की नवीन संरचना में इनको सम्मिलित करे। कमीशन ने अनुभव किया कि “अति दीर्घकाल से बठिनाइयों का सामना करने पर भी इन विद्यालयों का अस्तित्व इस बात का उ्वलन्त प्रमाण था कि वे सजीव तथा लोकप्रिय थे। कमीशन के मतानुसार सरकार से मान्यता तथा अधिक महत्त्व प्राप्त करके देशी पाठशालाएँ राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली में महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सक्ती थी।”³

1. “We recommend that the first charges on provincial funds assigned for Primary Education be the cost of the direction and inspection, and the provision of an adequate supply of Normal Schools”—*Indian Education Commission Report*

2 Indigenous Education.

3 “They have survived a severe competition, and have thus proved that they possess both vitality and popularity. The indigenous schools, if recognised and assisted, may be expected to improve their method and fill a useful position in the State System of National Education”—*Indian Education Commission Report*



देशी पाठशालाओं के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये —

- १ सभी पाठशालाओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाय ।
- २ उनमें प्रवेश पाने के लिये छात्रों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाया जाए ।
- ३ उनमें पढ़ने वाले निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी जायें ।
- ४ देशी विद्यालयों के मंचालन का भार नगरपालिकाओं तथा जिला परिषदों को सौंपा जाय । परन्तु विद्यालयों को इन संस्थाओं के अन्तर्गत रहने या न रहने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की जाय ।
५. इन पाठशालाओं के पाठ्य-क्रम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाय । पाठ्य-क्रम में लाभप्रद विषयों को सम्मिलित करने के लिये सरकार द्वारा विशेष आर्थिक सहायता दी जाय ।
- ६ देशी शिक्षालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाए ।

समीक्षा

आयोग ने देशी शिक्षा के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये, वे वस्तुतः अति प्रशंसनीय थे । परन्तु एक सुझाव ऐसा था जिसे देकर देशी शिक्षा का महान् अहित किया गया । आयोग ने कहा कि देशी विद्यालयों को आर्थिक सहायता, परीक्षा-फल (Payment by Results System) के अनुसार दी जाय । आयोग ने इस प्रथा को उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के लिये अनुपयुक्त बताया, परन्तु इसी को देशी शिक्षा के लिये उचित ठहराया । यद्यपि सरकार ने आयोग के बहुत कम सुझावों को स्वीकृत किया, परन्तु इस सुझाव पर अमल किया । परिणामस्वरूप, देशी विद्यालयों की स्वाभाविक प्रगति अवरूढ़ हो गई और कुछ समय के उपरान्त वे निष्प्राण हो गये ।

३ माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में आयोग ने केवल दो बातों के विषय में अपने सुझाव दिये—(१) माध्यमिक शिक्षा में विस्तार करने के उपाय, और (२) माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने की विधि ।

शिक्षा-प्रसार के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव था कि सरकार माध्यमिक शिक्षा को सुयोग्य एवं बुद्धिमान भारतीयों के हाथों में सौंप कर स्वयं उसके उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाय । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सरकार, सहायता-अनुदान-प्रणाली का अनुसरण करे । यदि किसी क्षेत्र में अंग्रेजी की शिक्षा के लिये माध्यमिक स्कूलों की स्थापना आवश्यक प्रतीत हो, तो उनको सहायता-अनुदान की प्रणाली पर

स्थापित किया जाए ।^१ आयोग को विश्वास था कि कुशल भारतीयों पर माध्यमिक शिक्षा का भार होने से उसकी प्रगति तीव्र हो जायगी और शीघ्र ही वह जन-साधारण की माँग की पूर्ति कर सकेगी ।

अब प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि यदि एक क्षेत्र की जनता इतनी धनी नहीं है कि वह सहायता-अनुदान से माध्यमिक विद्यालय को चला सके, तो क्या किया जाए ? इसके उत्तर में आयोग ने कहा कि ऐसे स्थान पर सरकार स्कूल का निर्माण कर सकती है । परन्तु आयोग ने इस बात पर बल दिया कि ऐसा स्कूल एक जिले में एक ही होना चाहिए । स्कूल की स्थापना के पश्चात् सरकार को माध्यमिक शिक्षा के प्रसार का कार्य जिले के निवासियों पर छोड़ देना चाहिए । यदि वे चाहें, तो अपने विद्यालयों को लोकप्रिय बनाने के लिए राजकीय विद्यालयों से कम शुल्क ले सकते हैं ।

माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने की विधि पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कमीशन ने लिखा कि हाई-स्कूल की शिक्षा को दो भागों में विभक्त कर दिया जाय—(१) अ-कोर्स 'A' Course, एवं (२) ब-कोर्स 'B' Course । प्रथम कोर्स उन विद्यार्थियों के लिये हो, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहते हो । द्वितीय कोर्स अधिक व्यावहारिक हो और उसका उद्देश्य नवयुवकों को व्यावसायिक तथा असाहित्यिक कार्यों के लिए तैयार करना हो ।^२

समीक्षा

आयोग ने शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में भी अपने सुझाव दिये । परन्तु वे अत्यधिक निराशाजनक थे । आयोग ने हाई स्कूल के स्तर पर स्पष्ट रूप से अंग्रेजी का पक्ष लिया और मातृभाषा के विषय में मौन रहा । उसने मिडिल स्कूलों के लिए भी शिक्षा का कोई माध्यम निश्चित नहीं किया । इसका निर्णय परिस्थितियों के अनुसार मिडिल स्कूलों के प्रबन्धकों पर छोड़ दिया गया । आयोग की इन दुल-मुल सिफारिशों का परिणाम यह हुआ कि माध्यमिक स्तर पर भारतीय भाषाओं की शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सका ।

1. "Secondary Schools for instruction in English be hereafter established by the State preferably on the footing of the system of Grant-in-Aid."—*Indian Education Commission Report*.

2. "We, therefore, recommend that in the upper classes of High Schools there be two divisions; one leading to the Entrance Examination of the Universities, the other of a more practical character, intended to fit youths for commercial or non-literary pursuits."—*Ibid*

देशी पाठशालाओं के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये —

१. सभी पाठशालाओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाय।
२. उनमें प्रवेश पाने के लिये छात्रों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाया जाए।
३. उनमें पढ़ने वाले निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी जायें।
४. देशी विद्यालयों के संचालन का भार नगरपालिकाओं तथा जिला-परिषदों को सौंपा जाय। परन्तु विद्यालयों को इन संस्थाओं के अन्तर्गत रहने या न रहने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की जाय।
५. इन पाठशालाओं के पाठ्य-क्रम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाय। पाठ्य-क्रम में लाभप्रद विषयों को सम्मिलित करने के लिये सरकार द्वारा विशेष आर्थिक सहायता दी जाय।
६. देशी शिक्षालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाए।

समीक्षा

आयोग ने देशी शिक्षा के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये, वे वस्तुतः अति प्रशंसनीय थे। परन्तु एक सुझाव ऐसा था जिसे देकर देशी शिक्षा का महान् अहित किया गया। आयोग ने कहा कि देशी विद्यालयों को आर्थिक सहायता, परीक्षा-फल (Payment by Results System) के अनुसार दी जाय। आयोग ने इस प्रथा को उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के लिये अनुपयुक्त बताया, परन्तु इसी को देशी शिक्षा के लिये उचित ठहराया। यद्यपि सरकार ने आयोग के बहुत कम सुझावों को स्वीकृत किया, परन्तु इस सुझाव पर अमल किया। परिणामस्वरूप, देशी विद्यालयों की स्वाभाविक प्रगति अवरुद्ध हो गई और कुछ समय के उपरान्त वे निष्प्राण हो गये।

३. माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में आयोग ने केवल दो बातों के विषय में अपने सुझाव दिये—(१) माध्यमिक शिक्षा में विस्तार करने के उपाय, और (२) माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने की विधि।

शिक्षा-प्रसार के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव था कि सरकार माध्यमिक शिक्षा को सुयोग्य एवं बुद्धिमान भारतीयों के हाथों में सौंप कर स्वयं उसके उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाय। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सरकार, सहायता-अनुदान-प्रणाली का अनुसरण करे। यदि किसी क्षेत्र में अंग्रेजी की शिक्षा के लिये माध्यमिक स्कूलों की स्थापना आवश्यक प्रतीत हो, तो उनको सहायता-अनुदान की प्रणाली पर

स्थापित किया जाए।¹ आयोग को विश्वास था कि कुशल भारतीयों पर माध्यमिक शिक्षा का भार होने से उसकी प्रगति तीव्र हो जायगी और सीध ही वह जन-साधारण की माँग की पूर्ति कर सकेगी।

अब प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि यदि एक क्षेत्र की जनता इतनी धनी नहीं है कि वह सहायता-अनुदान से माध्यमिक विद्यालय को चला सके, तो क्या किया जाए? इसके उत्तर में आयोग ने कहा कि ऐसे स्थान पर सरकार स्कूल का निर्माण कर सकती है। परन्तु आयोग ने इस बात पर बल दिया कि ऐसा स्कूल एक जिले में एक ही होना चाहिए। स्कूल की स्थापना के पश्चात् सरकार को माध्यमिक शिक्षा के प्रसार का कार्य जिले के निवासियों पर छोड़ देना चाहिए। यदि वे चाहें, तो अपने विद्यालयों को लोकप्रिय बनाने के लिए राजकीय विद्यालयों से कम शुल्क ले सकते हैं।

माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने की विधि पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कमिशन ने लिखा कि हाई-स्कूल की शिक्षा को दो भागों में विभक्त कर दिया जाय—(१) थ-कोर्स 'A' Course, एवं (२) व-कोर्स 'B' Course। प्रथम कोर्स उन विद्यार्थियों के लिये हो, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहते हो। द्वितीय कोर्स अधिक व्यावहारिक हो और उसका उद्देश्य नवयुवकों को व्यावसायिक तथा असाहित्यिक कार्यों के लिए तैयार करना हो।²

समोक्षा

आयोग ने शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में भी अपने सुझाव दिये। परन्तु वे अत्यधिक निराशाजनक थे। आयोग ने हाई स्कूल के स्तर पर स्पष्ट रूप से अंग्रेजी का पक्ष लिया और मातृभाषा के विषय में मौन रहा। उसने मिडिल स्कूलों के लिए भी शिक्षा का कोई माध्यम निश्चित नहीं किया। इसका निर्णय परिस्थितियों के अनुसार मिडिल स्कूलों के प्रबन्धकों पर छोड़ दिया गया। आयोग की इन दुल-मुल सिफारिशों का परिणाम यह हुआ कि माध्यमिक स्तर पर भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सका।

1. "Secondary Schools for instruction in English be hereafter established by the State preferably on the footing of the system of Grant-in-Aid."—*Indian Education Commission Report*.

2. "We, therefore, recommend that in the upper classes of High Schools there be two divisions; one leading to the Entrance Examination of the Universities, the other of a more practical character, intended to fit youths for commercial or non-literary pursuits."—*Ibid*.

४. अध्यापकों का प्रशिक्षण

सन् १८८२ तक भारत में केवल दो प्रशिक्षण-विद्यालय थे—एक लाहौर में और दूसरा मद्रास में। आयोग ने अध्यापकों के प्रशिक्षण पर विशेष रूप से बल दिया और निम्नांकित सिफारिशों की —

१. स्नातको (Graduates) का प्रशिक्षण-काल उनसे निम्न योग्यताओं के छात्राध्यापकों की अपेक्षा कम होना चाहिये।
२. प्रशिक्षण-विद्यालयों के पाठ्य-क्रम में शिक्षा-सिद्धान्त एवं प्रायोगिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाय।

५. उच्च शिक्षा

यद्यपि 'भारतीय शिक्षा-आयोग' को उच्च शिक्षा की जाँच करने का आदेश नहीं दिया गया था, परन्तु फिर भी उसने कॉलेज की शिक्षा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये। हम इनकी ओर नीचे संकेत कर रहे हैं :—

१. कॉलेजों को सहायता-अनुदान देते समय शिक्षकों की संख्या, कॉलेजों के व्यय, उनकी कार्य-क्षमता एवं स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाय।
२. आवश्यकता पड़ने पर कॉलेजों को भवन निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकालय और शिक्षण-सामग्री के लिये विशेष सहायता-अनुदान दिया जाय।
३. कॉलेजों के अध्यापकों की नियुक्ति के समय यूरोप के विश्वविद्यालयों में शिक्षित भारतीयों को वरीयता दी जाय।
४. कॉलेजों में विभिन्न प्रकार के विस्तृत पाठ्यक्रमों का समावेश किया जाय, जिससे कि विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकें।
५. छात्रों के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये एक ऐसी पाठ्य-पुस्तक की रचना की जाय, जिसमें प्रकृति-धर्म तथा मानव-धर्म के सिद्धान्तों की पूर्ण व्यवस्था हो।
६. कॉलेजों के प्रधानाचार्य या अध्यापकों द्वारा एक ऐसी व्याख्यान-माला जारी की जाय, जिसमें विद्यार्थियों को मानव तथा नागरिक के कर्तव्य बताये जायें।
७. वैयक्तिक कॉलेजों को राजकीय कॉलेजों से कम शुल्क लेने का अधिकार दिया जाय।
८. कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एक निश्चित संख्या से अधिक न रखे जायें।
९. योग्य विद्यार्थियों को यूरोप में शिल्प-सम्बन्धी शिक्षा ग्रहण करने के लिये छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जायें।

६. शिक्षा-विभाग

१८५४ के 'घोषणा-पत्र' के अनुसार प्रान्तीय शिक्षा-विभागों का निर्माण हुआ था। इन विभागों के दोषों का उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है। शिक्षा-विभागों की जाँच के दौरान में आयोग का ध्यान उन दोषों की ओर आकृष्ट हुआ और उनको दूर करने के लिये आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये —

१. प्रत्येक प्रान्त में निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाय, जिससे कि समस्त विद्यालयों का निरीक्षण वहाँ जाकर किया जा सके।
२. निरीक्षकों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं प्रत्येक विद्यालय में ली जायें। इनके लिये समीपवर्ती विद्यालयों के छात्रों को एक शिक्षालय में एकत्र न किया जाय।
३. सहायता-अनुदान पाने वाले प्रत्येक विद्यालय का निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए।
४. सहायक निरीक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाय।
५. जिला-निरीक्षकों के पदों पर यूरोपियनों की अपेक्षा भारतीयों को अधिक संख्या में नियुक्त किया जाय।

शिक्षा-विभागों के सम्बन्ध में आयोग की ये सिफारिशें अत्युत्तम थीं। परन्तु ये इतने दवे हुए शब्दों में की गई थीं कि सरकार ने इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप, शिक्षा-विभागों में वाञ्छित सुधार न हो सका।

७. सहायता-अनुदान-प्रणाली

'बुड के घोषणा-पत्र' में प्रतिपादित सहायता-अनुदान-प्रणाली को भारत के विभिन्न प्रान्तों में प्रचलित किया गया था, परन्तु सभी प्रान्तों में इसका रूप भिन्न था। उदाहरणतः — बम्बई में 'परीक्षा-फल के अनुसार वेतन-प्रणाली' (Payment by Results System), मद्रास में 'वेतन-अनुदान-प्रणाली' (Salary Grant System), तथा पश्चिमोत्तर प्रान्त, मध्य प्रान्त और कुछ सीमा तक पंजाब में 'नियत कालीन-प्रणाली' (Fixed Period System) का प्रचलन था। शिक्षा-आयोग ने इन समस्त प्रणालियों के गुण-दोषों का विवेचन करके निम्नांकित सुझाव दिये —

१. 'परीक्षाफल के अनुसार वेतन प्रणाली' को उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा के लिये प्रयोग न किया जाकर, सामान्यतः प्राथमिक शिक्षा के लिये प्रयोग किया जाय। अन्य प्रणालियों का अनुसरण करने के लिये प्रान्तों को पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाए।
२. प्रान्त के समस्त विद्यालयों की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सहायता-अनुदान सम्बन्धी नियमों में सशोधन किया जाय।

- ३ उपयुक्त नियमों के सहायन के समय गैर-सरकारी स्कूलों के प्रबन्धकों का परामर्श अनिवार्य रूप से लिया जाय ।
- ४ सहायता-अनुदान के लिये निर्धारित नियमों को समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जाय, जिससे कि सभी लोग उससे अवगत हो जायें ।
- ५ सहायता-अनुदान के नियमों को हिन्दी में अनुवादित कराया जाय, और उनको गैर-सरकारी स्कूलों के प्रबन्धकों के पास सूचनार्थ भेज दिया जाय ।
- ६ आर्थिक सहायता देते समय प्रत्येक विद्यालय की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय ।
७. जो विद्यालय पिछड़े हुए क्षेत्रों में हैं या जिनके पास आय के साधनों की कमी है, उन्हें विशेष आर्थिक सहायता दी जाय ।
८. सहायता-अनुदान के सम्बन्ध में विद्यालयों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर शिक्षा-विभाग द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय । उन विद्यालयों का निरीक्षण किया जाय और तत्पश्चात् उनके पास शिक्षा-विभाग का निर्णय भेज दिया जाय ।
- ९ सहायता अनुदान देने में किसी प्रकार का पक्षपात न किया जाय । किसी गैर-सरकारी विद्यालय को इसलिये अधिक धन-राशि न दी जाय, क्योंकि वह राजकीय विद्यालय के निकट है ।
- १० भवन-निर्माण, फर्नीचर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शिक्षण-सामग्री आदि के लिये विद्यालयों को विशेष सहायता-अनुदान एक निश्चित अवधि तक दिया जाय । इसके सम्बन्ध में भी नियमों का निर्माण किया जाय ।
- ११ विद्यालयों को विशेष आर्थिक सहायता देकर, उन्हें विशिष्ट विषयों के शिक्षण की व्यवस्था करने का अवसर दिया जाय ।
१२. सहायता अनुदान की धन-राशि विद्यालयों को निश्चित समय पर दी जाय और उसे अकारण बन्द या समाप्त न किया जाय ।
१३. सहायता-अनुदान-सम्बन्धी नियमों को अधिक से अधिक उदार बनाने का प्रयास किया जाय ।
१४. आर्थिक सहायता-प्राप्त विद्यालयों के आन्तरिक प्रबन्ध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाय ।
- १५ सहायता-अनुदान-प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धकों को परामर्श देने के लिये विशेष शिक्षा-अधिकारियों की नियुक्ति की जाय ।

समीक्षा

आयोग के सहायता-अनुदान-सम्बन्धी सुझाव अति सराहनीय थे । सरकार ने लगभग इन सभी सुझावों को स्वीकार करके भारतीय शिक्षा का महान् हित किया ।

गैर-सरकारी स्कूलों को निश्चित समय पर पर्याप्त धन-राशि मिलने लगी, जिससे उनकी रूपरेखा पूर्णतः परिवर्तित हो गई। शिक्षा के लिये राज-कोष से धन प्राप्त होने के कारण भारतीय, शिक्षा के क्षेत्र में उतर आये और उन्होंने विद्यालयों के नवनिर्माण में विलक्षण उत्साह का परिचय दिया। भारतीय शिक्षा तीव्र वेग से प्रवाहित होने लगी और शिक्षा के जो अवयव अछूरे या उपेक्षित छोड़ दिये गये थे, उन्हें अधिक पुष्ट करने की चेष्टा की जाने लगी।

८. शिक्षा के साधनों का भारतीयकरण

१८५४ के 'घोषणा-पत्र' में यह आशा व्यक्त की गई थी कि सरकार सहायता-अनुदान-प्रणाली को प्रचलित करके कुछ समय उपरान्त शिक्षा के क्षेत्र से पृथक् हो जाय। शिक्षा-विभाग के पदाधिकारियों ने इस आदेश की ओर रचमात्र भी ध्यान न देकर राजकीय विद्यालयों का निर्माण अति तीव्र गति से किया। मिशनरियों ने सरकार की इस नीति का घोर विरोध किया। उनका कहना था कि राजकीय विद्यालयों को बन्द कर देना चाहिए या उसका प्रबन्ध गैर-सरकारी संस्थाओं को सौंप देना चाहिये। केवल ऐसी ही दशा में व्यक्तिगत विद्यालयों के प्रति सरकार का व्यवहार निष्पक्ष हो सकेगा। मिशनरियों की इस माँग को ध्यान में रखकर शिक्षा-आयोग से दो बातों पर सुझाव देने के लिए कहा गया—(१) क्या सरकार शिक्षा से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर दे? एव (२) यदि हाँ, तो किस प्रकार?

प्रथम प्रश्न जटिल था। इस विषय में दो विचारधाराएँ प्रवाहित हो रही थीं (i) प्रथम विचारधारा के व्यक्तियों का कथन था कि सरकार को शिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं रखना चाहिये। (ii) द्वितीय विचारधारा के समर्थक इसके विपरीत, यह कहते थे कि शिक्षा का प्रसार करना सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। दोनों विचारधाराओं का गहन अध्ययन करने के उपरान्त, आयोग इस परिणाम पर पहुँचा कि शिक्षा का कार्य भारतीयों को सौंपकर सरकार को इस भार में मुक्त हो जाना ही श्रेयस्कर होगा। अपने इस निर्णय पर पहुँचने के लिये आयोग ने निम्नलिखित दो कारणों का उल्लेख किया —

१. सरकार के पास धन का अभाव है। अतः वह शिक्षा की उत्तमोत्तर बढ़ती हुई माँग की पूर्ति करने में असमर्थ है। अंग्रेजी दशा में सहायता-अनुदान-प्रणाली द्वारा गैर-सरकारी शिक्षा-संस्थाओं का प्रोत्साहित करना अधिक विवेकपूर्ण कार्य होगा।
२. राजकीय विद्यालयों पर अत्यधिक धन व्यय हो जाता है। यदि इन विद्यालयों को स्थानीय संस्थाओं को प्रशासित कर दिया जाए, तो काफी धन ही बचने के लिए युक्त है। अतः अधिक व्यक्तिगत शिक्षा को अधिक प्रोत्साहित होना चाहिए।

इन कारणों को दृष्टिकोण में रखते हुए कमिशन ने अधोलिखित दो सुझाव प्रस्तुत किये —

- १ सरकार को राजकीय विद्यालयों का विस्तार स्थगित कर देना चाहिये।
२. जैसे ही कोई सार्वजनिक या व्यक्तिगत संस्था किसी राजकीय विद्यालय का भार अपने ऊपर ले ले, वैसे ही सरकार को उस विद्यालय से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर देना चाहिये।

उपर्युक्त सुझावों के फलस्वरूप निम्नांकित दो नये प्रश्न उपस्थित हुए —

- १ राजकीय विद्यालयों को किस संस्था की हस्तान्तरित किया जाय ?
- २ विद्यालयों को किन शर्तों पर हस्तान्तरित किया जाय ?

मिशनरियों का विरोधी होने के कारण आयोग ने उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर में लिखा —

- १ प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण रूप से स्थानीय परिषदों और नगरपालिकाओं को सौंपकर सरकार अपने को उससे अलग कर ले।
- २ उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा को शिक्षा-विभाग के संरक्षण में गैर-सरकारी संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दिया जाय।

सरकार ने आयोग के प्रथम सुझाव को स्वीकार कर लिया और सभी प्राथमिक विद्यालयों को स्थानीय संस्थाओं के हाथ में सौंप दिया। परन्तु दूसरे सुझाव को सरकार ने स्वीकृत नहीं किया और उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा में अपनी रुचि को यथावत् बनाये रखा।

६ मिशनरी प्रयास

इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि 'भारतीय शिक्षा-आयोग' की नियुक्ति का प्रमुख कारण—मिशनरियों का आन्दोलन था। वे लोग आयोग से बड़ी-बड़ी आशाएँ लगाये बैठे थे। परन्तु आयोग की शिक्षा-सम्बन्धी सिफारिशों से उनकी सभी आशाओं पर तुफान-पात हो गया। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय संस्थाओं को हस्तान्तरित करने का सुझाव दिया। इसमें मिशनरियों को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उन्हें प्राथमिक शिक्षा में कोई विशेष रुचि नहीं थी। मिशनरियों को पूर्ण विश्वास था कि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का प्रबन्ध उनके हाथ में आ जायगा। परन्तु ऐसा न हुआ। आयोग ने निःशंक भाव में घोषित किया कि भारत ऐसे विशाल देश की शिक्षा का भार केवल एक दल को सौंप देना उचित न होगा, और विशेषतः मिशनरियों को, जो उदार और सच्चे होने हुए भी जन-माघारण की विभिन्न भावनाओं

से सहानुभूति रखने में असमर्थ है।^१ अतः आयोग ने सिफारिश की, कि उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा को भारतीय प्रबन्धकों के हाथ में ही सौंपा जाय। आयोग के इस निर्णय ने मिशनरियों की सभी आशाओं तथा अभिलाषाओं को चूर-चूर कर दिया। उन्हें यह विदित हो गया कि उनके शिक्षालयों को भारतीय विद्यालयों से निम्नतर स्थान प्रदान किया गया है। आयोग के इस निर्णय से भारतीयों को आभास हो गया कि उन्हें शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना है। ऐसा करके ही वे राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली को पुनर्संज्ञित करके उसका विकास कर सकेंगे।

१०. धार्मिक शिक्षा

मिशनरी सदैव से ही धार्मिक शिक्षा पर बल देते चले आ रहे थे। धार्मिक शिक्षा के पक्ष में उनका दृष्टिकोण निम्नांकित था —

१. वास्तविक शिक्षा को धर्म से पृथक् नहीं किया जा सकता है। अतः प्रत्येक विद्यालय में धार्मिक शिक्षा का दिया जाना अनिवार्य होना चाहिए।
२. मिशनरियों को अपने स्कूलों में बाइबिल की शिक्षा देने की स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिये।
३. सरकार की 'धार्मिक तटस्थता' की नीति भारतीयों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए कल्याणकारी नहीं है।

मिशनरियों के अतिरिक्त, ब्रह्म-समाज, प्रार्थना-समाज और आर्य-समाज ने भी अपने धार्मिक सिद्धान्तों के अनुसार विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा को स्थान देने की माँग की। कट्टर हिन्दुओं तथा मुसलमानों ने अपने धर्म की शिक्षा के लिये बल दिया। 'भारतीय शिक्षा-आयोग' ने धार्मिक शिक्षा की समस्या पर गम्भीर विचार करने के उपरान्त अधोलिखित सुझाव दिये —

१. राजकीय विद्यालयों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा न दी जाय।

1. "In a country with such varied needs as India, we should deprecate any measure which would throw excessive influence over higher education into the hands of any single agency, and particularly into the hands of an agency which, however, benevolent and earnest, cannot on all points be in sympathy with the mass of the community. At the same time, we think it well to put on record our unanimous opinion that withdrawal of direct departmental agency should not take place in favour of missionary bodies and that departmental institutions of the higher order should not be transferred to missionary management."—*Indian Education Commission Report.*

- २ गैर-सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है और सरकार उस शिक्षा की ओर कोई ध्यान न दे।
- ३ धार्मिक शिक्षा देने वाले विद्यालयों को सहायता-अनुदान देने का आधार उनकी लौकिक शिक्षा होनी चाहिए।

टिप्पणी

धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशें अमूल्य थीं। १८१३ से जब से कम्पनी ने भारतीयों की शिक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया था, धार्मिक शिक्षा पर वाद-विवाद चला आ रहा था। धार्मिक शिक्षा के लिए एक निश्चित नीति निर्धारित करके इस विवाद को समाप्त करने का श्रेय आयोग को ही प्राप्त है। उस समय से लेकर आज तक शिक्षा में धार्मिक तटस्थता की नीति का अनुसरण किया जा रहा है।

११. मुस्लिम शिक्षा

पिछले अध्याय में मुस्लिम शिक्षा के दोषों पर प्रकाश डाला जा चुका है। 'हन्टर कमीशन' ने उन दोषों पर मनन किया और उनको दूर करने के लिये निम्न लिखित सुझाव दिये —

- १ मुस्लिम शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन देने का भार स्थानीय सस्थाओं और प्रांतों के कोषों पर होना चाहिये।
- २ देशी मुस्लिम विद्यालयों को अपने पाठ्य-क्रमों में पूर्णतः लौकिक विषयों को स्थान देने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- ३ मुस्लिम प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षण-स्तर को ऊँचा उठाना चाहिये।
- ४ उन स्थानों के अतिरिक्त जहाँ की मुस्लिम जनता इस पक्ष में न हो प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में शिक्षा का माध्यम 'हिन्दुस्तानी' होना चाहिये।
- ५ जिन स्थानों पर हिन्दुस्तानी के अतिरिक्त अन्य किसी भारतीय भाषा का प्रयोग किया जाता है, वहाँ उस भाषा को प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों के पाठ्यक्रमों में स्थान दिया जाय।
- ६ जिन स्थानों में मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है, वहाँ वे मिडिल और हाई स्कूलों में हिन्दुस्तानी और फारसी की शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
- ७ मुसलमानों को अंग्रेजी की उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। अतः इस शिक्षा का समुचित बरने के लिए उदार आर्थिक सहायता प्रदान की जाय।

८. मुसलमानों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्तियाँ देने की योजना बनाई जाय। जो छात्रवृत्तियाँ प्रारम्भिक विद्यालयों में दी जायँ, वे मिडिल स्कूलों में चलती रहे, जो मिडिल स्कूलों में दी जायँ, वे हाई स्कूलों में समाप्त हों, और जो हाई स्कूलों में दी जायँ वे कॉलेजों में भी मिलें।
९. राजकीय विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में मुसलमान विद्यार्थियों की संख्या स्पष्ट रूप से निश्चित कर दी जाय।
१०. जो सम्पत्ति मुसलमानों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए दी गई है और जिसका प्रबन्ध सरकार द्वारा किया जाता है, उसकी आय केवल मुस्लिम शिक्षा के विकास में ही व्यय की जाय।
११. यदि सम्पत्ति का प्रबन्ध व्यक्तियों तथा संस्थाओं के हाथ में है, तो उन्हें उदार सहायता-अनुदान देकर अंग्रेजी विद्यालयों या कॉलेजों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाय।
१२. मुसलमान अध्यापकों की दीक्षा के लिये नार्मल स्कूलों तथा प्रशिक्षण-कक्षाओं का प्रबन्ध किया जाय।
१३. जिन मुस्लिम स्कूलों में शिक्षा का माध्यम 'हिन्दुस्तानी' हो, उनमें यथासम्भव मुसलमान अध्यापक ही नियुक्त किये जायँ।
१४. मुसलमानों के प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण के लिए मुसलमान निरीक्षकों की नियुक्ति अधिक संख्या में की जाय।
१५. मुस्लिम-शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं को सरकार द्वारा मान्यता तथा सहायता दी जाय।
१६. सांख्यिक शिक्षा की वार्षिक रिपोर्टों में मुसलमानों की शिक्षा का पृथक् वर्णन किया जाय।
१७. शिक्षित मुसलमानों तथा अन्य जानियों के पढ़े-लिखे व्यक्तियों को राजकीय पदों पर नियुक्त करते समय मुसलमानों के उचित अनुपात का ध्यान रखा जाय।

समीक्षा

आयोग की सभी सिफारिशों को केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों ने स्वीकार कर लिया। केवल इस बात की स्वीकृति नहीं दी कि अरबी और फारसी के अध्ययन पर बल दिया जाय। इस सम्बन्ध में स्वयं सरकार का मत यह था कि यदि मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा से लाभ नहीं उठायेंगे, तो वे राजपदों को प्राप्त करने में हिन्दुओं से

पीछे रह जायेंगे।¹ इस प्रकार अंग्रेजों ने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका आधारभूत कारण—मुसलमानों को ब्रिटिश राज्य के स्तम्भ एवं ब्रिटिश सरकार के विश्वासपात्र कर्मचारी बनाना था।

१२. स्त्री-शिक्षा

तत्कालीन स्त्री-शिक्षा की दयनीय दशा पर अपने हृदयोद्गारों को व्यक्त करते हुए कमीशन ने लिखा.—“यह बात स्पष्ट है कि स्त्री-शिक्षा अभी तक अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक सम्भव विधि से इसका पोषण किया जाय।²” स्त्री-शिक्षा की अनेकमुखी उन्नति के लिए आयोग ने निम्नांकित व्यापक सुझाव दिए—

१ सार्वजनिक कोष—स्थानीय, म्युनिसिपल और प्रान्तीय सार्वजनिक कोषों से बालकों तथा बालिकाओं में विद्यालयों के लिए उचित अनुपात में धन व्यय किया जाय।

२. सहायता-अनुदान—बालिका-विद्यालयों को उससे अधिक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, जितनी कि उन्हें मिल रही है। अतः यह आवश्यक है कि बालिका-विद्यालयों के लिए सहायता-अनुदान के नियम सरल हों।

३ पाठ्य-क्रम एवं पाठ्य-पुस्तकों में विभिन्नता—यह बात अमान्य है कि जो शिक्षा बालकों के लिए उपयोगी हो, वह बालिकाओं के लिए भी लाभप्रद सिद्ध हो। अतः यह आवश्यक है कि बालिकाओं का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य-पुस्तकें बालकों से भिन्न हों। बालिकाओं को साहित्यिक विषयों की अपेक्षा प्रायोगिक विषयों की शिक्षा देना अधिक उपयुक्त होगा।

४. शुल्क एवं छात्रवृत्तियाँ—स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उनको निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय। सहायता-अनुदान की शर्त—शुल्क पर आधारित है। यह सर्वथा उचित होगा, यदि इस शर्त को कन्या-विद्यालयों के लिये न रखा जाय। बालिकाओं की शिक्षा-अवधि में वृद्धि करने के लिये उनको छात्रवृत्तियाँ देने की योजना कार्यान्वित की जाय।

1. “It is only by frankly placing themselves in line with the Hindus, and taking full advantage of the Government system of high and especially of English education, that the Muhammadans can hope fairly to hold their own in respect of the better description of the State appointments.”—Syed Mahmood : *op cit*, p. 174.

2. “It will have been seen that female education is still in an extremely backward condition, and that it needs to be fostered in every legitimate way.”—*Indian Education Commission Report*.

५ माध्यमिक शिक्षा—बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा की दिशा में अभी तक बहुत ही कम कार्य किया गया है। अतः इस शिक्षा का प्रबन्ध उन क्षेत्रों में किया जाय, जहाँ इसकी माँग है।

६ छात्रावास—यदि बालिकाओं के निवास स्थान दूर हैं तो उन्हें विद्यालय आने में बहुत कठिनाई होती है। अतः स्कूलों के प्रबन्धकों को छात्रावासा की व्यवस्था करने के लिये प्रोत्साहित किया जाय।

७ कन्या-विद्यालयों का स्थानीय सस्याओं को हस्तान्तरण—कन्या विद्यालयों का कार्य भार स्थानीय सस्याओं को हस्तान्तरित कर दिया जाय। जिन क्षेत्रों की सस्याय इस कार्य के लिए अन्यमनस्क हो, वहाँ विद्यालयों का प्रबन्ध स्वयं सरकार द्वारा किया जाय।

८ अध्यापकों की व्यवस्था—तत्कालीन भारतीय समाज महिला विद्वानों में पुरुष शिक्षकों के पक्ष में नहीं था। अतः आयोग ने सिफारिश की, कि शिक्षकों के अध्यापन-कार्य के लिए आकर्षित किया जाए। उनके लिये प्रशिक्षण-कक्षाएँ शिलायास किया जाय और धीरे धीरे पुरुषों के स्थान पर स्त्री-अध्यापकों को प्रोत्साहित किया जाय।

९ पदानुशील स्त्रियों की शिक्षा—उस समय भारत में पदानुशील स्त्रियों की शिक्षा प्रचलन में नहीं थी। कुछ लड़कियाँ तो एक निश्चित आयु तक घर में ही रहती थीं, पर कुछ के लिए इस पर भी प्रतिबन्ध था। आयोग ने शिक्षकों को स्त्रियों की शिक्षा के लिये सरकार कोई कसर न उठा रखे। स्त्रियों-अध्यापकों को प्रोत्साहित किया जाय और वे घरों में जाकर शिक्षण-कार्य करें।

१० निरीक्षकों की नियुक्ति—महिला-अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये प्रोत्साहन के लिये सुशिक्षित निरीक्षकों की नियुक्ति की जाय।

११ जनता का सहयोग—जिन पुरुषों को शिक्षा के लिये प्रोत्साहित किया जाय विद्यालयों की प्रबन्धकारिणी समितियाँ बनवायीं जाय। उनका और उनके द्वारा शेष स्थानीय स्त्रियों की शिक्षा के लिये फलस्वरूप विद्यालयों के कार्य में काई बाधा न पड़े।

समीक्षा

१३ हरिजनो तथा पिछड़ी जातियों की शिक्षा

हरिजनो तथा पिछड़ी जातियों की शोचनीय शिक्षा व्यवस्था का वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। 'भारतीय शिक्षा आयोग' ने इन जातियों की सामाजिक स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण किया और इस परिणाम पर पहुँचा कि ये जातियाँ अनादि काल से सामाजिक संरचना में निम्नतम स्तर पर रही हैं। उनकी स्थिति को सहसा उच्च वर्गों के समकक्ष बना देना सम्भव नहीं है। अतः आयोग ने शिक्षा द्वारा उनकी अवस्था में शनैः शनैः, पर निश्चित रूप से परिवर्तन लाने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये —

- १ हरिजनो तथा पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों के लिये उन सभी विद्यालयों के द्वार खोल दिये जायें, जो सरकार नगरपालिकाया या स्थानीय संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं।
- २ जिन स्थानों पर इन छात्रों के विद्यालय प्रवेश पर अय जातियाँ द्वारा विरोध प्रकट किया जाय, वहाँ इनके लिए विशिष्ट विद्यालय स्थापित किये जायें।
- ३ शिक्षक तथा शिक्षा अधिकारी जनता की इच्छा के विरुद्ध हरिजना एवं पिछड़ी जातियों के छात्रों को विद्यालयों में प्रवेश न दें। इसके विपरीत वे बुद्धिमानी से जातीय भेदभाव का अन्त करने का प्रयास करें।

उपर्युक्त सुझावों के फलस्वरूप हरिजना तथा पिछड़ी जातियों में शिक्षा का पर्याप्त प्रसार हुआ।

१४ आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों की शिक्षा

आयोग ने आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों की शिक्षा का भी अध्ययन किया। यह बात छिपी न रह सकी कि उनको शिक्षा देने के प्रयत्नों में सरकार असफल रही थी। आयोग ने इस बात पर बल दिया कि सरकार को उनकी शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये —

- १ आदिवासियों तथा पहाड़ी जातियों की शिक्षा को व्यक्तिगत प्रयास पर नहीं जोड़ा जा सकता है। अतः यह आवश्यक है कि सरकार उन्हें लिए विशेष प्रकार के विद्यालयों का निर्माण करे।
- २ जो गैर-सरकारी स्कूल इन जातियों को शिक्षा प्रदान करने का काम कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाय।
- ३ इन जातियों के छात्रों से विद्यालय में किसी प्रकार का गुल्म न निम्न जाय।

- ४ आदिवासी क्षेत्रों के समीपवर्ती विद्यालयों में उन जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिये आकर्षित किया जाय ।
- ५ इन जातियों के छात्रों के शिक्षण का कार्य इन्हीं जातियों के शिक्षकों को सौंपा जाय ।
- ६ यदि किसी आदिवासी जाति की भाषा को लिखित रूप में प्रयोग किया जा सकता है, तो उस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय ।
- ७ आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाय, जिससे वे अपनी पड़ोसी सम्य जातियों से सम्बन्ध स्थापित करने में सफल हों ।
- ८ इन जातियों के अध्यापकों को साधारण नार्मल स्कूल में अति सामान्य विषयों की शिक्षा देकर थोड़े ही समय में प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जाय ।

उपर्युक्त सुझावों को सरकार ने स्वीकार किया । आर्थिक सहायता एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रलोभन देकर आदिवासियों तथा पहाड़ी जातियों के छात्रों को विद्यालयों में पढ़ने के लिये प्रोत्साहन दिया गया । उनके लिये विशेष प्रकार के विद्यालयों का निर्माण किया गया, गैर-सरकारी स्कूलों को उदारतापूर्वक सहायता-अनुदान दिया गया और अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई ।

भारतीय शिक्षा-आयोग का मूल्यांकन

आयोग ने अपने अमूल्य सुझाव देकर भारतीय शिक्षा की एक निश्चित नीति का सूत्रपात किया । आयोग ने १८५४ के 'घोषणा-पत्र' में शिक्षा के लिये प्रतिपादित सिद्धान्तों की पुष्टि की और उन्हीं के आधार पर १९०१-०२ तक भारतीयों की शिक्षा की योजना का कार्यान्वित किया गया । इसी आशय से हावेल ने लिखा है — "भारत में ब्रिटिश शासन-काल में प्रथमतः शिक्षा की अवहेलना हुई, फिर उग्रता एवं सफलता के साथ उसका विरोध किया गया, तत्पश्चात् एक ऐसी प्रणाली का सूत्रपात किया गया जो सर्वमान्य रूप से हानिकारक थी और अन्त में वह अपने वर्तमान स्तर पर रख दी गई ।"¹

आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा का प्रवाह तीव्र हो गया । निस्संदेह, देशी शिक्षा निष्प्राण हो चुकी थी, परन्तु उसमें न तो कोई व्यथित हुआ और न किसी ने उसके लिये अश्रुपात किया । इसके विपरीत, लोगों ने अग्रंजी

1 "Education in India under the British Government was first ignored, then violently and successfully opposed, then conducted on a system now universally admitted to be erroneous and finally placed on its present footing" — Quoted by Sharp : *op cit*, p 2

स्कूलों तथा कॉलेजों का आश्चर्यजनक विस्तार देखा। सम्पूर्ण देश में प्राथमिक विद्यालयों का जाल विद्यमान हुआ और ये विद्यालय निश्चय रूप से देशी पाठशालाओं से अधिक उत्तम थे। शिक्षा के कुछ विशिष्ट अवयवों का क्रमिक विकास होने लगा। उदाहरणार्थ—स्त्रियाँ, मुसलमानों, हरिजनों, आदिवासियों आदि की शिक्षा में व्यापकता नजर आने लगी। व्यावसायिक शिक्षा ने भारतीयों की अर्थोपार्जन की समस्या का बहुत बड़ी सीमा तक समाधान कर दिया। साराश में, सरकारी अधिकारी तथा भारतीय, शिक्षा के लिये किये गये अपने प्रयागों से मुक्त और सन्तुष्ट की सीमा लेने लगे।

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि आयोग के सुझावों के फलस्वरूप शिक्षा का जो विकास प्रारम्भ हुआ, उसमें त्रुटियाँ नहीं थी या उसने प्रति किसी को कोई शिकायत नहीं थी। वस्तुतः शिक्षा में अनेक दोष स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगे। प्रथम—इस शिक्षा ने भारत के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में कोई योग नहीं दिया। द्वितीय—शिक्षा के ऊपर पर्याप्त धन व्यय नहीं किया गया, जिससे जनसाधारण की शिक्षा की माँग की पूर्ति नहीं हुई। तृतीय—शिक्षा के द्वारा एक ऐसे नवीन वर्ग का निर्माण हुआ, जिसे निर्धन जनता से किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं थी। चतुर्थ—शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति, नगरों में नौकरियाँ करने लगे, जिससे ग्रामीण जनता से उनका सम्बन्ध विच्छेद हो गया। पंचम—इस शिक्षा के परिणामस्वरूप भारतीय समाज दो प्रमुख वर्गों में विभाजित हो गया—एक वर्ग में नगरों में निवास करने वाले शिक्षित व्यक्तियों की अल्प संख्या थी, और दूसरे वर्ग में ग्रामों में रहने वाले अशिक्षित व्यक्तियों की विशाल संख्या। इसी पार्श्वक्य ने आधुनिक भारतीय शिक्षा के अधिकांश दोषों का बीजारोपण किया और दुर्भाग्यवश भारतीय समाज आज भी इनका शिकार है। अन्तिम दोष यह था कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का पुस्तकीय ज्ञान विद्यार्थियों के लिये उपयोगी तथा सहायक सिद्ध नहीं हुआ।

साराश

आयोग की नियुक्ति—मिशनरियों ने आन्दोलन किया कि भारतीय शिक्षा नीति १८५४ के 'घोषणा-पत्र' के विरुद्ध जा रही है। फलस्वरूप भारतीय शिक्षा की जाँच करने के लिये १८८२ में 'भारतीय शिक्षा आयोग' की नियुक्ति की गई। इन आयोग ने शिक्षा के सभी अंगों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये।

प्राथमिक शिक्षा—(१) प्राथमिक शिक्षा को जन-साधारण के व्यावहारिक जीवन के लिये लाभप्रद बनाया जाय, (२) निम्न पढ़ाई की नियुक्तियों में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को वरीयता दी जाय, (३) शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएँ हों (४) प्राथमिक शिक्षा का कार्य स्थानीय सस्थाओं को सौंप दिया जाय, (५) अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय, और (६) स्थानीय कोष केवल प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाय।

देशी शिक्षा—(१) देशी विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिये छात्रों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये, (२) निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी जायँ, और (३) देशी विद्यालयों का प्रबन्ध स्थानीय संस्थाओं को सौंप दिया जाय ।

माध्यमिक शिक्षा—(१) माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को दे दिया जाय; (२) सहायता-अनुदान प्रणाली का अनुसरण किया जाय; और (३) हाई-स्कूल की शिक्षा को 'अ-कोर्स' तथा 'ब-कोर्स' में विभक्त कर दिया जाय ।

अध्यापकों का प्रशिक्षण—(१) स्नातकों का प्रशिक्षण-काल निम्न योग्यताओं के छात्राध्यापकों से कम, (२) प्रशिक्षण-विद्यालयों के पाठ्य-क्रम में शिक्षा-सिद्धान्त व प्रायोगिक शिक्षा को स्थान ।

उच्च शिक्षा—(१) कॉलेजों को सहायता-अनुदान के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं के लिये विशेष आर्थिक सहायता दी जाय, (२) छात्रों का वैज्ञानिक-स्तर ऊँचा उठाने के लिये प्रकृति-धर्म एवं मानव-धर्म पर व्याख्यान दिये जायँ, और (३) योग्य विद्यार्थियों को यूरोप में विशिष्ट अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियाँ दी जायँ ।

शिक्षा-विभाग—(१) निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाय, (२) प्रत्येक विद्यालय का निरीक्षण किया जाय, और (३) यूरोपियनों की अपेक्षा भारतीय निरीक्षक अधिक नियुक्त किये जायँ ।

सहायता-अनुदान—(१) सहायता-अनुदान के लिये निश्चित नियम बनाए जायँ, (२) पिछड़े क्षेत्रों के विद्यालयों को अधिक सहायता-अनुदान दिया जाय, और (३) सहायता-अनुदान की धन-राशि निश्चित समय पर दी जाय ।

विशिष्ट शिक्षा—आयोग ने स्त्रियों, मुलमानों, हरिजनों, पिछड़ी जातियों, आदिवासियों और पहाड़ी जातियों में शिक्षा का प्रसार करने के लिये महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये । फलस्वरूप उनकी शिक्षा का विकास प्रारम्भ हो गया ।

आयोग का मूल्यांकन—आयोग के सुझावों के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा की निश्चित नीति का सूत्रपात हुआ और उसका प्रवाह तीव्र हो गया । देश में प्राथमिक विद्यालयों का जाल-सा बिछ गया । अंग्रेजी स्कूलों तथा कॉलेजों का आश्चर्यजनक विस्तार हुआ । समाज के सभी वर्गों की शिक्षा का विकास हुआ ।

आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप शिक्षा का जो विकास हुआ, उसमें अप्रलिखित दोष थे :—

१. आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का अभाव;
२. जन-साधारण की शिक्षा की माँग की अपूर्ति,
३. समाज का दो स्पष्ट वर्गों में विभाजन; और
४. पुस्तकीय ज्ञान की निरर्थकता ।

TEST QUESTIONS

1. State and discuss the recommendations of the Hunter Commission of 1882 regarding either Primary Education or Higher Education.

प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा के बारे में १८८२ के 'हन्टर कमीशन' की सिफारिशों का उल्लेख कीजिये और उनकी विवेचना कीजिये।

2. Summarize the chief recommendations of the Hunter Commission of 1882 on Secondary Education and trace their influence on the subsequent development of Secondary Education in India

माध्यमिक शिक्षा के बारे में १८८२ के 'हन्टर कमीशन' की मुख्य सिफारिशों का सारांश में वर्णन कीजिए और भारत में माध्यमिक शिक्षा के भावी विकास पर उसके प्रभाव को बताइये।

3. Write an extensive note on :—Recommendations of Hunter Commission regarding Secondary Education.

अग्रलिखित पर विस्तृत नोट लिखिये :—“माध्यमिक शिक्षा के बारे में 'हन्टर आयोग' की सिफारिशें।”

१३

शिक्षा की प्रगति

(१८८२-१९०२)

प्रस्तावना

हम अध्याय १२ में 'भारतीय शिक्षा-आयोग' द्वारा शिक्षा के विभिन्न अंगों के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों का वर्णन कर चुके हैं। इनमें से अधिकांश सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकृत किया। फलस्वरूप, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। हम इन पर नीचे प्रकाश डाल रहे हैं :-

प्राथमिक शिक्षा

जैसा कि पहले बताया जा चुका है—लाई रिपन ने इंग्लैण्ड की 'कॉउन्टी कौंसिल्स' का अनुकरण करके भारत में नगर-पालिकाओं एवं जिला-परिषदों का निर्माण किया था। 'भारतीय शिक्षा-आयोग' की सिफारिश के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध इन स्थानीय संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दिया गया। इस नवीन व्यवस्था से प्राथमिक शिक्षा की कुछ प्रगति अवश्य हुई, पर उसको संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है।

आयोग के सुझाव को मान्यता देकर देशी पाठशालाओं (Indigenous Schools) को भी इन्हीं स्थानीय संस्थाओं के अन्तर्गत रख दिया गया, परन्तु उनके विकास की ओर रूचिमात्र ही ध्यान नहीं दिया गया। परिणामतः, वे 'क्रमशः क्षीण होती चली गईं' और २०वीं शताब्दी के आरम्भ तक उनके अवशेष भी दिखाई देने बन्द हो गये। अधिकांश देशी पाठशालाएँ काल के गाल में पहुँच गईं और कुछ को राजकीय विद्यालयों में विलीन कर लिया गया।

स्थानीय सस्थाओं पर सरकार ने अपना अकुश रखा और उनके अधिकारों एव कर्तव्यों को एक 'संहिता' (Code) में व्यवस्थित कर दिया। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना—सस्थाओं का अनिवार्य कर्तव्य घोषित किया गया। कुछ प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में नियम बना दिये गये, जिनके अनुसार स्थानीय सस्थाओं का अपनी आय की एक निश्चित धारा प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करनी आवश्यक थी। इस धन को अन्य किसी कार्य में व्यय नहीं किया जा सकता था। इस व्यय का भार वहन करने के लिये प्रान्तीय सरकारें सहायता-अनुदान देती थीं। बम्बई सरकार ने व्यय का आधा भाग देना निश्चय किया। मद्रास प्रान्त में सम्पूर्ण आय का ५ प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया गया। इसी प्रकार बंगाल उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य-प्रदेश तथा आसाम आदि प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने के नियम बनाये गये। 'भारतीय शिक्षा-आयोग' के सुझाव के अनुसार सभी प्रान्तों में सहायता-अनुदान के नियमों को उदार बनाकर प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया गया।

समीक्षा

यद्यपि 'भारतीय शिक्षा-आयोग' ने इस बात पर बल दिया था कि प्राथमिक शिक्षा को सरकार का पूर्ण संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, तथापि यह बड़े खेद की बात है कि सरकार ने इसकी अवहेलना की। वास्तविकता यह है कि सरकार ने स्थानीय सस्थाओं पर प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व रखकर उससे अपना पीछा छुड़ाया। सरकार की उपेक्षा का प्रमाण इस बात से मिलता है कि प्राथमिक शिक्षा पर किया जाने वाला राजकीय व्यय १८८२ से १९०२ तक केवल १५ लाख रुपया बढ़ाया गया। इसके विपरीत, स्थानीय सस्थाओं ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में यथाशक्ति योग दिया। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर किये जाने वाले अपने व्यय को १८८२ से १९०२ तक २२ लाख बढ़ा दिया। परन्तु स्थानीय सस्थाओं की अपनी असमर्थताओं की क्षमता का अभाव था। फलस्वरूप, इस अवधि में प्राथमिक विद्यालयों और उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में विशेष वृद्धि न हो सकी। १८७१ से १८८६ तक छात्रों की संख्या २० लाख बढ़ी, पर १८८६ से १९०२ तक छात्र संख्या में केवल ६ लाख ६० हजार की वृद्धि हुई। प्रशिक्षित निरीक्षकों एव सुव्यवस्थित शिक्षा के कारण प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर तो अवश्य ऊँचा हो गया, पर शिक्षा का विकास अवरुद्ध हो गया। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना नहीं की गई, और इस प्रकार वहाँ के बालकों तथा बालिकाओं की शिक्षा ग्रहण करने के अवसर से वंचित रखा गया।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा के विषय में 'हन्टर कमीशन' का सुझाव था कि सरकार इसकी व्यवस्था को व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ दे, और स्वयं इसके उत्तरदायित्व से

मुक्त हो जाए। सरकार ने इस मुद्दा के प्रतिबल कार्य किया और पूर्व के समान माध्यमिक शिक्षा के प्रसार में व्यस्त रही। फलतः शिक्षा के इस क्षेत्र में प्रगति होनी स्वाभाविक थी। शिक्षा-विभाग ने राजकीय विद्यालयों की सुव्यवस्था में शिथिलता न आने दी और वे उत्तरोत्तर समुन्नत होते चले गये। इसके विपरीत, सहायता-अनुदान से चलने वाले विद्यालयों की अवस्था सन्तोषजनक नहीं थी। उनके पास धन का अभाव था और वे अपने व्यय के लिये मुख्यतः शुल्क तथा चन्दों पर निर्भर रहते थे।

आयोग ने हाई स्कूल की शिक्षा को अधिक लाभप्रद बनाने के विचार से उसे 'अ-कोर्स' एवं 'ब-कोर्स' में विभाजित किया था। प्रथम का उद्देश्य—छात्रों को उच्च शिक्षा के विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिये तैयार करना था। द्वितीय के अन्तर्गत औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषयों को स्थान देने की सिफारिश की गई थी। यद्यपि आयोग के इस मुद्दा को स्वीकृत किया गया, परन्तु इन विषयों को लोकप्रियता प्राप्त न हो सकी। कारण यह था कि उस समय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य—राजपद की प्राप्ति करना था। विद्यार्थियों का झुकाव 'ब-कोर्स' की अपेक्षा 'अ-कोर्स' की ओर ही रहा। फिर भी प्रान्तीय सरकारों ने हाई-स्कूल के पाठ्य-क्रम में जीवनोपयोगी व्यावसायिक शिक्षा का प्रवन्ध करके उसको प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया। उदाहरणार्थ—१८८८ में मद्रास में प्राविधिक (Technical) पाठ्य-क्रम प्रारम्भ किया गया। १८९७ में बम्बई प्रान्त में 'स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट' परीक्षा आरम्भ की गई। इसमें उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी, विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के अधिकारी होते थे। बम्बई के 'स्कूल-फाइनल कोर्स' के पाठ्य-क्रम में भौतिक-विज्ञान, मनुअल ट्रेनिंग, अर्थ-शास्त्र एवं कृषि को स्थान दिया गया। राजपद प्राप्त करने के लिये इस कोर्स को अनिवार्यता प्रदान करके लोकप्रिय बनाने की चेष्टा की गई। १८९४ में इलाहाबाद में 'स्कूल-फाइनल परीक्षा' की व्यवस्था की गई। १९०० में बंगाल में इंजीनियर एवं अन्य व्यावसायिक व्यक्तियों को तैयार करने के लिये शिक्षा की एक विशिष्ट योजना कार्यान्वित की गई। पंजाब विश्वविद्यालय ने व्यापार, वाणिज्य एवं बलकों की शिक्षा का प्रवन्ध किया।

इस प्रकार, प्रायः सभी प्रान्तों में औद्योगिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया, परन्तु जनता इसकी ओर आकृष्ट नहीं हुई। १९०२ में इस पाठ्य-क्रम में केवल २,००० छात्रों ने परीक्षा दी, जब कि 'मेट्रीकुलेशन' परीक्षा में २३,००० छात्र सम्मिलित हुए। इस प्रकार औद्योगिक पाठ्य-क्रम में कोई विशेष प्रगति न हुई और 'मेट्रीकुलेशन' परीक्षा की प्रधानता बनी रही।

समीक्षा

इस काल में अंग्रेजी की बढ़ती हुई लोकप्रियता एवं सरकार के प्रोत्साहन के कारण माध्यमिक शिक्षा का अपूर्व प्रसार हुआ। १८८२ में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या ३,९१६ और उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या २,१४,०७७ थी। १९०२ में यह संख्या क्रमशः ५,१२४ और ५९,०१९ हो गई। माध्यमिक विद्यालयों के

के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये प्रशिक्षण-महाविद्यालयों का भी निर्माण किया गया। १८८२ तक भारत में केवल २ प्रशिक्षण महाविद्यालय थे, परन्तु १९०२ में उनकी संख्या बढ़कर ६ हो गई। इन महाविद्यालयों के अतिरिक्त, माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की 'सर्टिफिकेट परीक्षा' के लिये प्रायः प्रत्येक प्रान्त में ट्रेनिंग स्कूल खोल दिये गये थे।

माध्यमिक शिक्षा के विषय में एक दुःख की बात यह है कि मातृभाषाओं को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया गया। 'भारतीय शिक्षा-आयोग' ने अंग्रेजी का ही पक्ष लिया था। परिणामस्वरूप देश के प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी की पताका फहराने लगी। विद्यालयों का एकमात्र उद्देश्य—अंग्रेजी की शिक्षा देना और विद्यार्थियों का चरम लक्ष्य—उस पर अधिकार प्राप्त करना हो गया। इसका परिणाम विद्यार्थियों के लिये अति हानिकारक सिद्ध हुआ। उनको इस कठिन और विदेशी भाषा को सीखने में अपना अधिकांश समय लगाना पड़ता था, जिससे अन्य विषयों के अध्ययन के लिये उनके पास समय का अभाव रहता था। फलतः छात्रों का स्वाभाविक मानसिक विकास अवरुद्ध हो गया। अंग्रेजी का आधिपत्य स्थापित हो जाने से भारतीय भाषाओं के विकास पर भी रोक लग गई।

उच्च शिक्षा (विश्वविद्यालय एवं कॉलेज)

'भारतीय शिक्षा-आयोग' की सिफारिशों ने अप्रत्यक्ष रूप से उच्च शिक्षा के विद्यालयों के विकास में योग दिया। माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण उच्च शिक्षा के लिये कॉलेजों का निर्माण आवश्यक हो गया। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त, छात्र कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए लालायित रहते थे, क्योंकि उन्हें आशा रहती थी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करके वे उच्च राजकीय पदों पर आसीन हो सकेंगे। आयोग ने भारतीय शिक्षा में वैयक्तिक प्रणाली के प्रयासों को भी प्रोत्साहित किया था। मिशनरियों का विरोधी होने के कारण आयोग ने भारतीयों को ही वरीयता दी थी। फलतः भारतीयों ने मिशनरियों की अपेक्षाकृत अधिक कॉलेजों की स्थापना करके शिक्षा में अपनी अभिरिचि का प्रमाण दिया।

१९०२ में भारतीय, ४२ कॉलेजों का मंचालन कर रहे थे, जब कि मिशनरियों के मंचालन में केवल ३७ कॉलेज चल रहे थे। १८८२ में सम्पूर्ण भारत में ६८ कॉलेज थे, परन्तु १९०० में इनकी संख्या बढ़कर १९१ हो गई। इनमें से १४५ आर्ट्स कॉलेज और ४६ व्यावसायिक शिक्षा के कॉलेज थे। १० कॉलेज मंत्रियों की शिक्षा के लिए भी थे। इन कॉलेजों के अनिर्दिष्ट ५ विश्वविद्यालय भी थे। १८८२ तक बनारस, मद्रास, बम्बई और पंजाब विश्वविद्यालयों का शिलान्यास हो चुका था। इन विश्वविद्यालयों को केवल परीक्षा लेने का अधिकार था। १८८७ में 'इन्सिस्टेंस विश्वविद्यालय' का गिनारोगण हुआ, जिनमें परीक्षाओं के अनिर्दिष्ट शिक्षा देने की भी व्यवस्था की गई।

इस दौरान में १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का प्रादुर्भाव हो चुका था, जिसके फलस्वरूप १८८५ में 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' की नींव पड़ी। उसके उपरान्त देश में जो राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, उसके प्रभाव से शिक्षा-क्षेत्र अछूता न बचा। भारतीयों ने अंग्रेजी पढ़कर वेकन, मिल्टन, लॉक, बर्क, बर्ड्सवर्थ एवं बायरन की विचारधाराओं का अध्ययन किया। अंग्रेजी साहित्य-सरोवर में स्वतन्त्रता-संदेश का जल-पान करके भारतीयों के अन्तर में अपनी मातृभूमि की दासता की बेडियो को काट डालने के लिए आत्म-समर्पण एवं आत्म-त्याग की भावनाएँ उमड़ उठीं। इन राजनैतिक विचारों के फलस्वरूप देश के पुनरुत्थान के लिए सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित विशाल योजनाओं का प्रतिपादन किया गया। इन योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा को महत्त्वपूर्ण स्थान मिला। १८८२ के बाद आने वाली पीढ़ी ने शिक्षा का सर्वाङ्गीण विकास देखा।^१

राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत भारतीयों को यह पूर्णतया विदित हो चुका था कि भारत के नवयुवकों का चारित्रिक निर्माण भारतीयों द्वारा संचालित राष्ट्रीय विद्यालयों में ही किया जा सकता है। इसी भावना से प्रेरित होकर कुछ सुयोग्य तथा देश-प्रेमी भारतीयों ने शिक्षा-संस्थाओं में अध्यापन का कार्य प्रारम्भ किया। इनमें आर० पी० पराजपे (R. P. Paranjpe) का नाम सर्वोपरि है। उनका अनुकरण अन्य भारतीय विद्वानों ने किया। १८८० में प्रसिद्ध देश-भक्त बाल गंगाधर तिलक, चिपलाकर एवं आर्यगर के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप पुना में 'फर्ग्यूसन कॉलेज' (Fergusson College) की स्थापना हुई। १८८२ में भारत के महान् नेता, सर मुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने 'रिपन कॉलेज' का प्रवन्ध-सूत्र अपने हाथ में लिया।

देश के कुछ धार्मिक तथा सामाजिक नेता भी शिक्षा-प्रसार के द्वारा जनता में जागरण एवं उद्बोधन फूँकने के लिए क्रियाशील थे। ऐसे नेताओं में स्वामी दयानन्द सरस्वती का नाम सर्वप्रथम है। उन्होंने देश के कोने-कोने में विद्यालय स्थापित करने का बीड़ा उठाया। १८८६ में लाहौर में 'दयानन्द वैदिक कॉलेज' की स्थापना हुई। इस कॉलेज के सिद्धान्तों पर शीघ्र ही भारत के विभिन्न भागों में अन्य शिक्षालयों का निर्माण किया गया। १८९८ में श्रीमती एनी बेसेन्ट ने बनारस में 'सेन्ट्रल-हिन्दू-कॉलेज' का शिलारोपण किया, जिसने कुछ समय उपरान्त 'बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय' का रूप धारण किया।

समीक्षा

इस अवधि में कॉलेजों और उनमें शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में असाधारण वृद्धि हुई, परन्तु शिक्षा का स्तर क्रमशः गिरता चला गया। इसके अनेक कारण थे। अधिकांश कॉलेजों का संचालन भारतीयों के हाथ में था और उनके पास

के स्तर का ऊँचा उठाने के लिये प्रशिक्षण-महाविद्यालय का भी निर्माण १८८० तक भारत में केवल ० प्रशिक्षण महाविद्यालय थे, परन्तु १९० मर्यादा बढ़कर ६ हो गई। इन महाविद्यालयों के अतिरिक्त, माध्यमिक शिक्षा अध्यापकों की 'मर्टीफिकेट परीक्षा' के लिये प्रायः प्रत्येक प्रान्त में दृष्टि दीये गये थे।

माध्यमिक शिक्षा के विषय में एक दुःख की बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया गया। 'भारतीय शिक्षा-आयोग' ने अंग्रेजी नियाया था। परिणामस्वरूप देश के प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाया गया। विद्यालयों का एकमात्र उद्देश्य—अंग्रेजी की शिक्षा विद्यार्थियों का चरम लक्ष्य—उस पर अधिरार प्राप्त करना हो गया। इस विद्यार्थियों के लिये अति हानिकारक सिद्ध हुआ। उनको इस कठिन भाषा का सीखने में अपना अधिवास समय लगाना पड़ा था, जिसमें अध्यापकों के लिये उनका पास समय का अभाव रहता था। पारम्परिक मार्गिक विद्यालय अवरूढ हो गया। अंग्रेजी का आधिपत्य में भारतीय भाषाओं के विकास पर भी रोक लग गई।

संकीर्णता आ गई। उसका अर्थ—परीक्षा में सफलता प्राप्त करना हो गया था, न कि जीवन में सफलता प्राप्त करना। इस दोष की ओर संकेत करते हुए १९०२ में 'भारतीय विश्वविद्यालय आयोग' का कथन था—“भारतीय विश्वविद्यालयों में पाया जाने वाला निकृष्ट दोष यह है कि शिक्षण—परीक्षा के अधीन है, न कि परीक्षा शिक्षण के।” इसके अतिरिक्त इस काल में व्यापारिक प्रवृत्ति आविर्भूत हुई और शिक्षा का मूल्य बाजार वस्तुओं के समान निर्धारित किया जाने लगा।

इस स्थान पर एक बात का उल्लेख करना असंगत न होगा। यद्यपि कॉलेजों के विस्तार के साथ-साथ, शिक्षा का स्तर निरन्तर निम्नतर होता जा रहा था, तथापि कुछ कर्मठ भारतीय नेताओं का मत था कि—शिक्षा का स्तर भले ही गिर जाय, पर उमका विस्तार अति आवश्यक है। उनकी धारणा थी कि कॉलेजों की कार्य-क्षमता को बढ़ाकर शिक्षा के स्तर को किसी समय भी ऊँचा किया जा सकता है। इस विषय में गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने विचारों को इन शब्दों में व्यक्त किया था—“भारत की वर्तमान परिस्थितियों में सभी प्रकार की पाश्चात्य शिक्षा अमूल्य एवं लाभदायक है। यदि वर्तमान परिस्थितियों में यह सर्वोत्तम प्रकार की है, तो अच्छा है। परन्तु यदि यह सर्वोत्तम नहीं है, तो भी इस कारण इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मेरे विचारानुसार भारत की वर्तमान दशा में पाश्चात्य शिक्षा का महानतम कार्य—ज्ञान को इतना प्रोत्साहन देना नहीं है, जितना कि भारतीयों के मस्तिष्क को पुराने विचारों के बन्धन से मुक्त करना। इसके लिए न केवल सर्वोत्तम शिक्षा, अपितु सब प्रकार की पाश्चात्य शिक्षा लाभप्रद है।”¹

सारांश में, १९०२ के अन्त में विश्वविद्यालय एवं कॉलेज की शिक्षा का चित्र रंग-विरंग था। एक ओर तो उच्च शिक्षा का आश्चर्यजनक प्रसार हो रहा था, जिससे भारतीय जीवन के विविध क्षेत्रों में यथार्थ जागृति का सूत्रपात हुआ। दूसरी ओर नवीन कॉलेजों की शिक्षा का स्तर उच्च नहीं था और उसमें आधुनिक भारतीय भाषाओं की अवहेलना के दोष का समावेश हो गया था। परन्तु दोषयुक्त होते हुए भी उच्च शिक्षा के विस्तार ने भारतीयों के ज्ञान-भण्डार में वृद्धि की और वे अपने देश को पराधीनता से मुक्त करने के लिए व्याकुल हो उठे।

1. “In the present circumstances of India, all Western education is valuable and useful. If it is the highest that under the circumstances is possible, so much the better. But even if it is not the highest, it must not on that account be rejected. To my mind, the greatest work of Western education in the present state of India is not so much the encouragement of learning as the liberation of the Indian mind from the thralldom of old-world ideas. For this purpose not only the highest but all Western education is useful.”—G. H. Gokhale . *Speeches*, pp. 234-35.

कॉलेजों को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए धन का अभाव था। उत्तम पुस्तकों, सुयोग्य अध्यापकों तथा कॉलेजों के लिये अच्छे एवं पर्याप्त भवन का भी अभाव था। पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता था और छात्रों में परीक्षा पास करने के लिए रटने की प्रथा प्रारम्भ हो गई थी। फलस्वरूप, छात्रों की निर्णय शक्ति, मौलिक निरीक्षण और विचार-स्वातन्त्र्य नष्ट हो गया। १८८५ में इलबर्ट (Ilbert) ने कहा—“जैसे-जैसे कॉलेज की शिक्षा की अधिक प्रगति हो रही है, वैसे-वैसे उस प्रतीक का मूल्य, जिसका कि वह बोध कराती है, निरन्तर होता जा रहा है।”¹ १८७१ में कलकत्ता के एक कॉलेज के प्रिंसिपल का कथन था—“स्नातक तो केवल स्मृति-यन्त्र हैं और शिक्षा, अधिकचरे ज्ञान को अधिकांश मात्रा में रट लेने तक ही सीमित प्रतीत होती है।” १८८६ में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में लार्ड लैंसडाउन (Lansdowne) ने चेतावनी देते हुए कहा—“मुझे भय है कि हमें यह बात नहीं छिपानी चाहिए कि यदि हमने इस वर्तमान गति से अपने स्कूलों एवं कॉलेजों द्वारा देश के नवयुवकों को शिक्षित करने की परम्परा को जारी रखा, तो हमें यह शिकायत और भी अधिक सुननी पड़ेगी कि प्रति वर्ष हम इन नवयुवकों की अधिकाधिक संख्या इस प्रकार के बौद्धिक उपार्जनों से युक्त उत्पन्न करते जा रहे हैं, जो अपने आप में प्रशंसनीय होते हुए भी उनके लिए पूर्णतया व्यर्थ सिद्ध होते हैं, क्योंकि देश में इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने वाले सज्जनों के योग्य शिक्षित व्यवसाय सम्बन्धी अवसर अति न्यून हैं।”²

इस अवधि में उच्च शिक्षा की समृद्धि एवं विस्तार के साथ-साथ, एक ऐसे शिक्षित वर्ग का निर्माण हो रहा था—जिनके सदस्यों पर एक-सी छाप लगी हुई थी, जिन्हें प्रायोगिक कार्य में कोई रुचि नहीं थी और जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य—शिक्षा ग्रहण करके नौकरी प्राप्त करना था। परीक्षा की प्रचलित प्रणाली के दोष की जड़ें भारतीय शिक्षा-व्यवस्था में गहरी पहुँच चुकी थी। शिक्षा के व्यापक उद्देश्य में

1 “As collegiate education has become more common, the value of the symbol which denotes it has proportionately fallen.”—T. N. Siqueria : *op. cit.*, p. 82.

2. “I am afraid that we must not disguise from ourselves that if our schools and colleges continue to educate youth of India at present rate, we are likely to hear even more than we do at present of the complaint that we are turning out every year an increasing number of young men whom we have provided with an intellectual equipment admirable in itself, but practically useless to them, on account of the small number of openings which the professions afford for gentlemen who have received this kind of education.”—James : *op. cit.*, p. 62.

सकीर्णता आ गई। उसका अर्थ—परीक्षा में सफलता प्राप्त करना हो गया था, न कि जीवन में सफलता प्राप्त करना। इस दोष की ओर संकेत करते हुए १९०२ में 'भारतीय विश्वविद्यालय आयोग' का कथन था—“भारतीय विश्वविद्यालयों में पाया जाने वाला निकृष्ट दोष यह है कि शिक्षण—परीक्षा के अधीन है, न कि परीक्षा शिक्षण के।” इसके अतिरिक्त इस काल में व्यापारिक प्रवृत्ति आविर्भूत हुई और शिक्षा का मूल्य बाजारू वस्तुओं के समान निर्धारित किया जाने लगा।

इस स्थान पर एक बात का उल्लेख करना असंगत न होगा। यद्यपि कालेजों के विस्तार के साथ-साथ, शिक्षा का स्तर निरन्तर निम्नतर होता जा रहा था, तथापि कुछ कर्मठ भारतीय नेताओं का मत था कि—शिक्षा का स्तर भले ही गिर जाय, पर उसका विस्तार अति आवश्यक है। उनकी धारणा थी कि कॉलेजों की कार्यक्षमता को बढ़ाकर शिक्षा के स्तर को किसी समय भी ऊँचा किया जा सकता है। इस विषय में गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने विचारों को इन शब्दों में व्यक्त किया था—“भारत की वर्तमान परिस्थितियों में सभी प्रकार की पाश्चात्य शिक्षा अमूल्य एवं लाभदायक है। यदि वर्तमान परिस्थितियों में यह सर्वोत्तम प्रकार की है, तो अच्छा है। परन्तु यदि यह सर्वोत्तम नहीं है, तो भी इस कारण इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मेरे विचारानुसार भारत की वर्तमान दशा में पाश्चात्य शिक्षा का महानतम कार्य—ज्ञान को इतना प्रोत्साहन देना नहीं है, जितना कि भारतीयों के मस्तिष्क को पुराने विचारों के बन्धन से मुक्त करना। इसके लिए न केवल सर्वोत्तम शिक्षा, अपितु सब प्रकार की पाश्चात्य शिक्षा लाभप्रद है।”¹

सारासं म, १९०२ के अन्त में विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों की शिक्षा का चित्र रंग विरग था। एक ओर तो उच्च शिक्षा का आश्चर्यजनक प्रसार हो रहा था, जिससे भारतीय जीवन के विविध क्षेत्रों में यथार्थ जागृति का सूत्रपात हुआ। दूसरी ओर नवीन कॉलेजों की शिक्षा का स्तर उच्च नहीं था और उसमें आधुनिक भारतीय भाषाओं की अवहेलना के दोष का समावेश हो गया था। परन्तु दोषयुक्त होते हुए भी उच्च शिक्षा के विस्तार ने भारतीयों के ज्ञान-भण्डार में वृद्धि की और वे अपने देश को पराधीनता से मुक्त करने के लिए व्याकुल हो उठे।

1 “In the present circumstances of India, all Western education is valuable and useful. If it is the highest that under the circumstances is possible, so much the better. But even if it is not the highest, it must not on that account be rejected. To my mind, the greatest work of Western education in the present state of India is not so much the encouragement of learning as the liberation of the Indian mind from the thralldom of old world ideas. For this purpose not only the highest but all Western education is useful.”—G. H. Gokhale *Speeches*, pp 234-35

स्त्रियों की शिक्षा

१८८२ से १९०२ तक स्त्री-शिक्षा की प्रगति मन्द अवश्य थी, पर वह निरन्तर होती रही। हम स्त्री-शिक्षा के विभिन्न अङ्गों पर नीचे दृष्टिपात कर रहे हैं —

(१) प्राथमिक शिक्षा—इस अवधि में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उन्नति हुई। १८८२ में शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या १,२४,४६१ थी। १९०२ में यह संख्या बढ़कर ३,४८,५१० हो गई। इनमें से १,६२,१६४ बालिकायें, लड़कों के स्कूलों में पढ़ रही थी। यह इस बात का प्रमाण है कि इस काल में सहशिक्षा का प्रचार अधिक हो गया था। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं में अधिकांश संख्या हिन्दू और मुसलमान बालिकाओं की थी। छात्राओं की उपरोक्त संख्या में २,३०,०२४ हिन्दू एवं ४७,५६७ मुसलमान बालिकायें थी। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों और बालिकाओं के पाठ्य-क्रमों में अन्तर कर दिया गया था। छात्राओं को गणित, भूगोल और इतिहास के स्थान में संगीत, चित्रकला और सीने पिरोने की शिक्षा दी जाने लगी थी।

(२) माध्यमिक शिक्षा—माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में उतनी प्रगति नहीं हुई, जितनी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हुई। १८८२ में माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन करने वाली छात्राओं की संख्या २,०५४ और १९०२ में ४१,५८२ थी। परन्तु इस अवधि में बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा लोकप्रियता बढ़ रही थी, और विशेष रूप से हिन्दू उसकी उपयोगिता को समझने लगे थे। हिन्दू समाज में इस परिवर्तित दृष्टिकोण को उपस्थित करने का श्रेय पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, अगारकर, महादेव गोविन्द रानाडे और वैरामजी मालावारी जैसे उत्साही समाज-सुधारकों को था। इन निःस्वार्थ समाज-सेवकों ने कन्या-विद्यालयों के निर्माण के लिये जनता से धन एकत्र करने में अथक् प्रयास किया और देश के विभिन्न भागों में बालिका-विद्यालयों की स्थापना करके माध्यमिक शिक्षा के प्रसार में सराहनीय योग दिया।

(३) उच्च शिक्षा—इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि महिलाओं ने उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजों में प्रवेश करना प्रारम्भ किया। १८८२ में कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या केवल ६ थी, पर १९०२ में यह संख्या बढ़कर २६४ हो गई। इनमें से अधिकांश छात्रायें एंग्लो-इण्डियन और ईसाई थीं। हिन्दू छात्राओं की संख्या केवल २८ थी और मुस्लिम छात्राएँ एक भी नहीं थीं। इस प्रकार इस काल में हिन्दू समाज में तो स्त्री-शिक्षा का प्रचलन प्रारम्भ हो गया था, परन्तु मुस्लिम समाज में उसका सर्वथा अभाव था।

(४) व्यावसायिक शिक्षा—व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति बहुत धीमी थी। १९०२ में २,८०७ लड़कियाँ विभिन्न व्यावसायिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। परन्तु इनमें एंग्लो-इण्डियन एवं ईसाई छात्राओं की संख्या ही अधिक

थी। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों में से अधिकांश का भुकाव प्रशिक्षण-विद्यालयों और मेडिकल कॉलेजों की ओर था।

मुसलमानों की शिक्षा

हम पहले बता चुके हैं कि सर सैयद अहमद खाँ के प्रयासों और सरकार के प्रोत्साहन के कारण मुस्लिम-शिक्षा में प्रगति होनी प्रारम्भ हो गई थी। 'भारतीय शिक्षा-आयोग' ने मुसलमानों की शिक्षा के विकास के लिये कुछ विशेष सुझाव दिये थे। केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों ने उनमें से अधिकांश सुझावों को स्वीकार करके मुसलमानों की शिक्षा में अपनी रुचि व्यक्त की। फलस्वरूप, मुस्लिम-शिक्षा का उत्तरोत्तर विकास होने लगा। १९०२ में सभी प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले मुसलमान छात्रों की संख्या ६,७८,००० थी। इसका अर्थ था कि—सम्पूर्ण छात्रों में मुसलमान विद्यार्थियों की संख्या २१.६ प्रतिशत थी। यह प्रतिशत मुसलमानों की जनसंख्या के प्रतिशत से, जो २२.६ था, कम था। स्पष्टतः मुसलमानों की शिक्षा अन्य जातियों की अपेक्षा कम थी। प्राथमिक विद्यालयों में मुसलमान विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक थी, परन्तु उच्च तथा माध्यमिक शिक्षालयों में अन्य जातियों की अपेक्षा कम थी। विशिष्ट शिक्षा की संस्थाओं में मुसलमानों की संख्या हिन्दुओं से अधिक थी। इस प्रकार, यह ज्ञात हो जाता है कि इस काल में मुस्लिम-शिक्षा का वाञ्छित विकास नहीं हुआ।

हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों की शिक्षा

१८८२ से १९०२ तक की अवधि में हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों की शिक्षा में आशातीत उन्नति हुई। इसके अनेक आधारभूत कारण थे। प्रथम—'भारतीय शिक्षा-आयोग' की सिफारिश के अनुसार राजकीय विद्यालयों के द्वार हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों के छात्रों के लिये खोल दिये गये। परन्तु सर्वत्र हिन्दुओं ने सरकार की इस नीति का घोर विरोध किया। अतः सरकार ने 'आयोग' के सुझावों को स्वीकार करके हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों के लिये विशिष्ट स्कूल स्थापित किये। फलस्वरूप हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों के छात्रों की शिक्षा का कार्य निर्विघ्न रूप से चलने लगा। द्वितीय—शिक्षा-विभाग ने सर्वत्र हिन्दुओं के विरोध का उत्तर यह घोषित करके दिया कि समस्त सार्वजनिक विद्यालयों में सभी जातियों के छात्रों को प्रवेश पाने का समान अधिकार है। जब जनता ने देखा कि शिक्षा-विभाग अपनी नीति का दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, तब उसने विरोध करना बन्द कर दिया। कारण यह था कि अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के लिये विद्यालयों में अध्ययन करना आवश्यक था, और जनता इस बात का अनुभव कर चुकी थी कि अंग्रेजी की शिक्षा के अभाव में धन का उपाजन एवं राजपद की प्राप्ति सम्भव नहीं थी। इन परिस्थितियों में विरोध स्वयं ही कुछ समय के उपरान्त समाप्त हो गया। तृतीय—इस अवधि में समाज-सुधारकों ने अस्पृश्यता को दूर करने का दृढ़ सक्लन कर लिया था। महात्मा फूले,

ब्रह्म-समाजी, प्रार्थना-समाजी और आर्य समाजी छुआछूत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिये क्रियाशील थे। उनके आन्दोलनों का प्रभाव यह हुआ कि १६०२ के अन्त तक भारतीयों के मस्तिष्क से छुआछूत की भावना बहुत-कुछ निकल गई। फलतः विद्यालयों में अछूतों के बालकों की उपस्थिति सर्वर्ण हिन्दुओं द्वारा सहन की जाने लगी। चतुर्थ-उपर्युक्त आन्दोलनों के परिणामस्वरूप हरिजनों में भी जागरूकता का प्रादुर्भाव हो गया और वे सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के अपने अधिकार की माँग करने लगे। अन्तिम कारण यह था कि कुछ प्रांतीय सरकारों ने हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों के प्रति अत्यधिक उदारता दिखाई और अनेक नियम बनाकर उनकी शिक्षा को प्रत्येक सम्भव रीति से प्रोत्साहित किया। इन प्रान्तों में मद्रास अग्रणी था।

१८६३ में मद्रास की सरकार ने हरिजनों की शिक्षा के लिये एक विस्तृत प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव को "पंचम शिक्षा का महाधिकार पत्र" (Magna Charta of Pancham Education) माना गया है। इसके प्रमुख उपबन्ध (Provisions) निम्नांकित थे —

- १ प्रशिक्षण-विद्यालयों में पढ़ने वाले पंचम छात्रों को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा २ रुपये मासिक वृत्तिका (Stipend) अधिक दी जायगी।
- २ जिन गैर-सरकारी प्रशिक्षण-विद्यालयों में पंचम छात्र प्रवेश लें, उन्हें अधिक सहायता-अनुदान दिया जाय।
- ३ स्थानीय सस्थायें एवं नगरपालिकायें सभी बड़े पंचम ग्रामों और नगरों में पंचम छात्रों के लिये विशिष्ट स्कूलों की स्थापना करें।
- ४ सरकारी वजर भूमि को पंचम विद्यालयों के निर्माण के लिये बिना मूल्य लिये दे दिया जाय।
- ५ पंचम वर्ग के लिये रात्रि पाठशालायें स्थापित की जायें, क्योंकि वे पाठशालायें इस वर्ग के लिये विशेष रूप से लाभप्रद सिद्ध होंगी।

उपर्युक्त रियायतों के अतिरिक्त, हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों से छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गईं और हरिजन अध्यापकों के लिये मद्रास नगर में एक प्रशिक्षण विद्यालय का निर्माण किया गया।

मद्रास सरकार की इस नीति ने हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों की शिक्षा में क्रान्ति उत्पन्न कर दी। इस प्रान्त में १६०२ में ३,००० विद्यालय ऐसे थे, जिनमें केवल हरिजनों की शिक्षा दी जाती थी। इनमें से अधिकांश विद्यालय प्राथमिक शिक्षा के थे, पर १४ माध्यमिक विद्यालय भी थे। सब प्रकार के विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने वाले छात्रों की संख्या ४४,१५० थी। इनमें से ८,३२८ लड़कियाँ थीं। इससे स्पष्ट होता है कि मद्रास प्रान्त में हरिजनों की शिक्षा का पर्याप्त प्रसार हुआ।

मद्रास के समान बम्बई प्रान्त में भी हरिजनों की शिक्षा के प्रति उदारता प्रदर्शित की गई। परन्तु इस प्रान्त की नीति मद्रास से भिन्न थी। यहाँ की सरकार ने हरिजनों के लिये विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना पर अधिक बल नहीं दिया। इनके

विपरीत, सरकार ने मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया कि हरिजन छात्रों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा दी जाय और उसे इस कार्य में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। परन्तु इसमें समय लगा, क्योंकि प्रारम्भ में हरिजन छात्रों के प्रति बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। समय की गति के साथ उनकी स्थिति में परिवर्तन होता चला गया और कुछ समय पश्चात् उन्हें सभी सुविधायें प्राप्त हो गईं।

दुर्भाग्यवश, अन्य प्रान्तों में हरिजनो एव पिछड़ी जातियों की शिक्षा में कोई रुचि प्रदर्शित नहीं की गई। परिणामस्वरूप, वहाँ उनकी शिक्षा में प्रगति नहीं हुई। अभी तक भारतीयों ने उनकी शिक्षा के प्रसार के लिये कुछ नहीं किया था। हाँ, मिशनरियों ने अवश्य कुछ प्रयास किये थे, पर उनकी शिक्षा की समस्या इतनी जटिल थी कि मिशनरी अकेले उनका समाधान करने में असमर्थ थे।

आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों की शिक्षा

‘भारतीय शिक्षा आयोग’ अपनी जाँच के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों में शिक्षा का प्रायः पूर्ण अभाव था। उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये ‘आयोग’ ने कुछ बहुमूल्य सुझाव दिये थे। सरकार ने उनमें से अधिकांश सुझावों को स्वीकार किया। फलस्वरूप, १८८२ से १९०२ तक आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों की शिक्षा में कुछ प्रगति हुई। इस काल में सरकार ने उनकी शिक्षा के प्रसार के लिये जो साधन अपनाये, वे अप्रलिखित थे—(१) विशिष्ट विद्यालयों का निर्माण, (२) निःशुल्क शिक्षा का प्रवन्ध, (३) छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, (४) अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष सुविधायें, (५) इन जातियों के शिक्षा-कार्य में लगे हुए गैर-सरकारी शिक्षालयों को उदार आर्थिक सहायता, और (६) पाठ्य-पुस्तकों का बिना मूल्य वितरण।

राजकीय प्रयत्नों की अपेक्षा मिशनरी प्रयासों को आदिवासियों तथा पहाड़ी जातियों के शिक्षा-कार्य में अधिक सफलता प्राप्त हुई। मिशनरियों ने छोटा नागपुर, सथाल के परगनों, मद्रास और आसाम के आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों में शिक्षा-प्रसार का कार्य मुख्य रूप से किया। परन्तु सरकारी और मिशनरी प्रयासों के बावजूद भी इन जातियों में शिक्षा का अधिक प्रसार न हो सका। इस बात की पुष्टि तत्कालीन आँकड़ों से हो जाती है। १९०२ में इन जातियों में शिक्षित पुरुषों का अनुपात इस प्रकार था—ब्रम्बई में १०,००० में १०५, बरार में १८, बंगाल और आसाम में ८६, मद्रास में ४७, तथा मध्य-प्रदेश में ४०। शिक्षित स्त्रियों का अनुपात और भी कम था—आसाम में १०,००० में १३, बंगाल में ४, और अन्य प्रान्तों में २ से कम।^१

व्यावसायिक शिक्षा

‘भारतीय शिक्षा-आयोग’ ने व्यावसायिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने पर बल दिया था और इस सम्बन्ध में अनेक मुझायें दिये थे। भारत-सरकार ने अपन हितों को ध्यान में रखते हुए इनमें से कुछ मुझावों को मान लिया। परिणामतः इस अवधि में विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा में प्रगति दृष्टिगोचर हुई। हम नीचे इनका विवरण दे रहे हैं —

(१) कानून की शिक्षा—१८८२ तक आधुनिक ढंग के न्यायालयों की स्थापना से और उनके कारण कानून की शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों की माँग बढ़ने से भारतीयों का झुकाव कानून के अध्ययन की ओर हो गया था। १८८२ के पश्चात् उनका झुकाव और भी बढ़ गया, क्योंकि अभिवक्ता (Pleader) के रूप में वे समाज के आदर के पात्र बन सकते थे, और साथ ही पर्याप्त धन का उपार्जन भी कर सकते थे।

१९०२ में कानून की शिक्षा का प्रबन्ध सम्मिलित रूप से विश्वविद्यालयों, शिक्षा-विभागों एवं उच्च न्यायालयों के हाथ में था। कानून के विद्यालय शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में थे। विश्वविद्यालय-परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित करते थे। उच्च न्यायालय की परीक्षा पास करने के पश्चात् उच्च न्यायालयों द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होकर ही एक व्यक्ति कानून के व्यवसाय में प्रवेश कर सकता था।

कानून की शिक्षा के लिये तीन प्रकार की स्थायें थी—(१) आर्ट्स और साइन्स के कॉलेजों से सम्बद्ध कानून की कक्षाएँ, (२) कानून के कॉलेज एवं (३) कानून के स्कूल। मद्रास-सरकार की अध्यक्षता में कानून का एक कॉलेज था। इसी प्रकार वा एक कॉलेज पंजाब विश्वविद्यालय की अधीनता में था। बम्बई नगर में एक राजकीय कानून-कॉलेज था, जिसमें कानून की शिक्षा सायबाल को दी जाती थी। बङ्गाल, मध्य प्रदेश एवं सयुक्त प्रान्त में पृथक् कानून-कॉलेज नहीं थे, पर आर्ट्स और विज्ञान के कॉलेजों को कानून-विभाग खोलने का अधिकार था। आसाम में हार्डिस्कूलों से सम्बद्ध कानून की ४ कक्षाएँ चलती थी, जो विद्यार्थियों को ‘अभिवक्ता परीक्षा (Pleader's Examination) के लिये तैयार करती थी।

(२) चिकित्सा शिक्षा—१९०२ में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और लाहौर में ४ राजकीय मैडिकल कॉलेज थे। इनके अतिरिक्त, देश में अनेक मैडिकल स्कूल थे, जिनका संचालन राज्य या व्यक्तिगत स्थायों द्वारा किया जा रहा था। प्रारम्भ में भारतीयों ने अपनी धार्मिक भावनाओं तथा सामाजिक परम्पराओं के कारण पाश्चात्य चिकित्सा-प्रणाली का बहिष्कार कर दिया था। १९०२ तक पुरुष इसकी ओर पर्याप्त सख्या में आकर्षित होने लगे थे, परन्तु स्त्रियों ने इसमें कोई विशेष रुचि प्रकट नहीं की थी। १९०२ में मैडिकल कॉलेजों की छात्र सख्या १,४६६ और मैडिकल स्कूलों की छात्र संख्या २,७२७ थी। इनमें छात्राओं की सख्या केवल २४२ थी, जिनमें त

७६ लड़कियाँ मैडिकल कॉलेजो में और १६६ मैडिकल स्कूलों में अध्ययन कर रही थी। इन समस्त छात्राओं में ६२ यूरोपियन और एंग्लो-इण्डियन, १२० ईसाई, ८ ब्राह्मण, १५ अन्य जातियों की, १५ मुसलमान, तथा २२ पारसी थी।^१

(३) इन्जीनियरिंग की शिक्षा—इस अवधि में सार्वजनिक निर्माण विभागों, नगर-महापालिकाओं और कारखानों आदि में इन्जीनियरों की माँग बढ़ने से इन्जीनियरिंग शिक्षा की अच्छी प्रगति हुई। १९०२ में रुडकी, शिवपुर, पूना और मद्रास में सरकार द्वारा संचालित इन्जीनियरिंग कॉलेजें थीं। इन कॉलेजों में ८६५ छात्र थे। कॉलेजों के अतिरिक्त, इन्जीनियरिंग एव सर्वे के १८ स्कूल भी थे, जिनकी छात्र-संख्या ७६७ थी। इन कॉलेजों और स्कूलों में सिविल, मेकेनिकल और एलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग की शिक्षा का प्रबन्ध था। इन्जीनियरिंग के कुछ अन्य अंगों की शिक्षा की भी व्यवस्था थी।

(४) कृषि-शिक्षा—कृषि-प्रधान देश होने के कारण भारत में कृषि-शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता थी। परन्तु खेद है कि विदेशी शासकों ने इस शिक्षा की ओर १८८० तक कोई ध्यान नहीं दिया। उस वर्ष 'दुर्भिक्ष-आयोग' (Famine Commission) ने भारत-सरकार का ध्यान कृषि-शिक्षा की ओर आकृष्ट किया। परन्तु फिर भी इसकी उपेक्षा की गई। १८८६ में इङ्ग्लैण्ड की 'रॉयल-सोसाइटी' का एग्नी-कल्चरल कमिस्ट, डा० वोल्कर (Voelcker) भारत की कृषि की जाँच करने और इस सम्बन्ध में सरकार को अपना परामर्श देने के लिये यहाँ आया। उसने अपनी रिपोर्ट में कृषि-शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया। १८९० में उसकी रिपोर्ट पर प्रान्तीय सरकारों के प्रतिनिधियों में विचार-विनिमय हुआ और केन्द्रीय सरकार से कृषि शिक्षा की व्यवस्था करने की सिफारिश की गई। उसी समय से यथार्थ रूप में सरकार—कृषि-शिक्षा के लिए प्रयत्नशील हुई, यद्यपि यह शिक्षा भारत में कुछ स्थानों पर पहले भी प्रदान की जा रही थी। १९०२ में पूना, शिवपुर, सैदपत (मद्रास), वानपुर और नागपुर में कृषि-कॉलेजें थीं, जिनमें २१९ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

(५) पशु-चिकित्सा शिक्षा—कृषि-शिक्षा के समान पशु-चिकित्सा-शिक्षा के प्रति भी सरकार की उदामीनता रही। १९०२ में पशु-चिकित्सा की शिक्षा देने के लिये भारत में ३ राजकीय कॉलेजें—बम्बई, बेलगचिया (कलकत्ता के समीप) और लाहौर में थीं। लाहौर के कॉलेज में शिक्षा का माध्यम मानु-भाषा थी। कॉलेजों के अतिरिक्त, अजमेर में एक स्कूल भी था। इन चारों संस्थाओं में ३०१ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे।

(६) घन विज्ञान की शिक्षा—१९वीं शताब्दी के मध्य में सरकार ने भारतीय बनों से उपलब्ध होने वाली वस्तुओं की ओर ध्यान दिया। अतः बनों की देव-रेख

और सुरक्षा के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुभव हुआ। इन्हीं कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के विचार से देहरादून और पूना में वन-विज्ञान की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया।

(७) कला की शिक्षा—१९०२ में सरकार द्वारा संचालित ४ आर्ट स्कूल—बम्बई, कलकत्ता, लाहौर और मद्रास में थे। इन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की योगिक संख्या १,२२० थी।

(८) वाणिज्य-शिक्षा—वाणिज्य-शिक्षा को सरकार ने बहुत कम प्रोत्साहन दिया। इस शिक्षा के लिये केवल बम्बई में एक कॉलेज था। परन्तु वह भी यथायं में वाणिज्य-शिक्षा प्रदान करने का कार्य न करके—केवल विद्यार्थियों को 'लन्दन चेम्बर ऑफ कामर्स' की परीक्षा के लिए तैयार करता था। १९०२ में इस कॉलेज के अतिरिक्त, १५ स्कूल भी थे, जिनमें १,१२३ छात्रों को शिक्षा दी जा रही थी।

(९) प्राविधिक एवं औद्योगिक शिक्षा—भारत-सरकार प्रारम्भ से ही प्राविधिक एवं औद्योगिक शिक्षा की विरोधी थी। अंग्रेज शासकों का विचार था कि यदि भारत में इस शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई, तो देश का औद्योगिक विकास प्रारम्भ हो जायगा और इससे इंग्लैंड के उद्योगों को आघात पहुँचेगा। भारत के राष्ट्रीय नेताओं का विश्वास था कि देश की निर्धनता को दूर करने के लिये प्राविधिक एवं औद्योगिक शिक्षा अति आवश्यक थी। कांग्रेस ने १८८७ में होने वाले अपने तीसरे अधिवेशन में सरकार से इस शिक्षा की माँग की, और अन्य अधिवेशनों में इस माँग को दोहराती रही।¹ परन्तु निज स्वार्थ में लिप्त भारत की अंग्रेजी सरकार इस माँग को निरन्तर ठुकराती रही। ऐसी स्थिति में प्राविधिक एवं औद्योगिक शिक्षा का विकास होना सम्भव नहीं था। १९०२ में सम्पूर्ण भारत में केवल ८० प्राविधिक एवं औद्योगिक स्कूल थे, जिनमें ४,८६४ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इन स्कूलों में से कुछ ही टेकनिकल स्कूल कहलाने के अधिकारी थे, क्योंकि अधिकांश में देश की प्राचीन परम्पराओं के आधार पर देशी कला-कौशल की ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। वस्तुतः देश की आवश्यकताओं को देखते हुए प्राविधिक एवं औद्योगिक स्कूलों की संख्या नगण्य थी।

व्यावसायिक शिक्षा का पुनर्विलोकन

इस अवधि में व्यावसायिक शिक्षा ने उपर्युक्त वर्णन में कुछ महत्वपूर्ण बातें

1. "It reiterated its request in 1891, 1892 and 1893. In 1894 it affirmed in the most emphatic manner the importance of increasing public expenditure on all branches of education and the expediency of establishing technical schools and colleges. It repeated the same request in 1895."—Madan Mohan Malviya in *Report of the Indian Industrial Commission (1916-18)*, p. 250.

स्पष्ट हो जाती है। प्रथम—व्यावसायिक शिक्षा की जो भी व्यवस्था सरकार द्वारा गई थी, उसका एकमात्र उद्देश्य—सार्वजनिक प्रशासन के लिये उपयुक्त व्यक्तियों को तैयार करना था। द्वितीय—सामान्य शिक्षा के प्रसार में व्यक्तिगत प्रयास सराहनीय थे, परन्तु व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में उनका पूर्ण अभाव था। ऐसी सस्थाएँ जंगलिया पर ही गिनी जा सकती है, जिनका संचालन भारतीया द्वारा किया जा रहा था। तृतीय—कानून, चिकित्सा और इंजीनियरिंग की शिक्षा में कुछ प्रगति अवश्य हुई, पर व्यावसायिक शिक्षा के अन्य अंगों की ओर न तो समुचित ध्यान दिया गया, और न उनको संगठित करने का प्रयत्न ही किया गया। इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए भविष्य में अविराम रूप से प्रयास किये गये।

सारांश

प्राथमिक शिक्षा—‘भारतीय शिक्षा-आयोग’ की सिफारिश के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय सस्थाओं को सौंप दिया गया। इन सस्थाओं ने १८८२ से १९०२ तक प्राथमिक शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय को २२ लाख बढ़ा दिया, परन्तु सरकार ने केवल १५ लाख बढ़ाया। फलस्वरूप, प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि तो अवश्य हुई, पर उसे सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है।

माध्यमिक शिक्षा—इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा की सन्तोषजनक प्रगति हुई। राजकीय विद्यालयों की उत्तरोत्तर उन्नति होती रही, परन्तु व्यक्तिगत विद्यालयों की आधिक्य दशा शोचनीय थी। ‘आयोग’ के सुझाव के अनुसार हाई स्कूल की शिक्षा को ‘अ-कोर्स’ और ‘ब-कोर्स’ में विभाजित किया गया। लगभग सभी प्रान्तों में औद्योगिक पाठ्य-क्रम प्रारम्भ किया गया, पर वह लोकप्रिय न हो सका। अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण-विद्यालय भी खोल गये। अंग्रेजी की शिक्षा पर अत्यधिक बल दिये जाने से भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया।

उच्च शिक्षा—माध्यमिक शिक्षा की प्रगति ने उच्च शिक्षा के विकास में योग दिया। भारतीयों के व्यक्तिगत प्रयासों के फलस्वरूप अनेक कॉलेजों का निर्माण हुआ। देश के कुछ आत्म-त्यागी विद्वानों ने कॉलेजों में अध्यापन का कार्य प्रारम्भ करके भारतीय नवयुवकों के चारित्रिक निर्माण में अपूर्व योग दिया। फर्ग्युसन कॉलेज, दयानन्द एंग्लो वैदिक कॉलेज और सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज का निर्माण हुआ। इस अवधि में उच्च शिक्षा की सन्तोषजनक प्रगति तो हुई, परन्तु शिक्षा का स्तर गिर गया। शिक्षा का एक विशेष दोष यह था कि पुस्तकीय ज्ञान और परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर अधिक बल दिया जाता था।

स्त्रियों की शिक्षा—इस काल में स्त्री शिक्षा की प्रगति मन्द रही, परन्तु यह निरन्तर होती रही। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उन्नति हुई। देश के कुछ निस्वार्थ समाज-सेवकों ने माध्यमिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने में कोई कमर न उठा रखा। हिन्दू समाज—शालिकाबा की माध्यमिक शिक्षा की उपयोगिता का

अनुभव करने लगा। हिन्दू लड़कियाँ उच्च-शिक्षा की ओर अग्रसर हुईं, पर मुस्लिम लड़कियाँ उसकी ओर से उदासीन रही।

मुसलमानों की शिक्षा—मुस्लिम-शिक्षा को सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन दिया गया। फलस्वरूप, शिक्षा का पर्याप्त प्रसार हुआ। फिर भी मुस्लिम शिक्षा का उतना विकास न हो सका, जितना हिन्दुओं की शिक्षा का हुआ।

हरिजनो एव पिछड़ी जातियों की शिक्षा—‘भारतीय शिक्षा-आयोग’ की सिफारिश के अनुसार सरकार ने हरिजनो एव पिछड़ी जातियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। इन जातियों के लिये विशिष्ट स्कूलों का निर्माण किया गया और छात्रों को निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्तियों द्वारा पढ़ने के लिये प्रलोभित किया गया।

आदिवासियों एव पहाड़ी जातियों की शिक्षा—सरकारी प्रयास के कारण इन जातियों की शिक्षा में प्रगति तो हुई, परन्तु वह कम थी। मिशनरियों ने इन जातियों की शिक्षा के लिये भारत के कुछ भागों में विशेष रूप से प्रयत्न किये।

व्यावसायिक शिक्षा—इस अवधि में कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि, वन-विज्ञान, पशु-चिकित्सा, कला, वाणिज्य, प्राविधिक एव औद्योगिक शिक्षा का भी विस्तार हुआ। इस दिशा में सरकार द्वारा ही अधिक कार्य किया गया। भारतीयों ने इसमें विशेष रुचि व्यक्त नहीं की।

TEST QUESTIONS

- 1 “The most significant achievement of the period from 1882 to 1902 was an unprecedented expansion of primary, secondary and collegiate education” Do you agree with this view? If so, give reasons and illustrate your answer with facts and figures

“१८८२ से १९०२ तक की अवधि में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि—प्राथमिक, माध्यमिक और कॉलेजिय शिक्षा का अद्भुत प्रसार था।” क्या आप इस विचार से सहमत हैं? यदि हाँ, तो कारण बताइए, और अपने उत्तर की पुष्टि तथ्या एव आँकड़ा से कीजिए।

- 2 “In the period of twenty years between 1882 and 1902 the education of women made slow but steady progress” Elucidate this statement

“१८८२ से १९०२ तक की २० वर्ष की अवधि में स्त्री-शिक्षा न धीमी, पर निरन्तर प्रगति की।” इस कथन को स्पष्ट कीजिए।

१४

लाहॉ कर्जन को शिक्षा-नीति

(१८६६-१९०५)

प्रस्तावना

१९वीं शताब्दी के अन्तिम दशक भारतीय शिक्षा के इतिहास में सदैव स्मरण रहेगे। यह वह समय था—जब भारत के कुछ सपूत विदेशियों द्वारा पदात्रान्त देश की दुर्दशा देख, विक्षुब्ध हो उठे थे। स्वतन्त्रता के विचारों से सरोवार हो, उन्होंने अपने देशवासियों को आलस्य और अकर्मण्यता की चिर-निद्रा से जाग्रत करके उनमें राष्ट्रीय भावनाओं को कूट-कूट कर भरना प्रारम्भ कर दिया था। इन्हीं भावनाओं से ओत-प्रोत भारत के कुछ सुयोग्य एवं त्यागी समाज-सुधारकों ने राष्ट्रीय शिक्षा की माँग की। केवल ऐसी ही शिक्षा से भारतीय सस्कृति, सभ्यता, साहित्य और भाषा का संरक्षण सम्भव था। शीघ्र ही उनकी यह माँग साकार रूप से प्रकट हुई। लाहौर में 'दयानन्द ऐंग्लो-वैदिक कॉलेज', हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा सस्थापित 'गुरुकुल' और बनारस में 'सेन्ट्रल हिन्दू-कॉलेज' का मुख्य उद्देश्य—राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना था।

कर्जन का भारत आगमन

ऐसे समय पर जनवरी, १८६६ में लाहॉ कर्जन (Curzon) ने गवर्नर जनरल के रूप में इस देश में पदार्पण किया। "वह स्वभाव में उदार एवं स्वेच्छाचारी शासक था और प्रशिक्षण द्वारा बठोर शासन में विश्वास करने वाला, बठोर साम्राज्यवादी

था। वह केन्द्रीयकरण एवं कार्य-क्षमता का भी पुजारी था।¹ वह धुरन्धर विद्वान्, कुशल प्रशासक और पाश्चात्य सभ्यता का परम भक्त था। उसका अटल विश्वास था कि एशियाई जातियों का उद्धार—केवल पाश्चात्य सभ्यता को अंगीकार करने से ही हो सकता था। अतः प्रत्येक अंग्रेज का यह कर्तव्य था कि वह प्राच्य जातियों को सभ्य बनाये। इस प्रकार भारत में फैलती हुई राष्ट्रियता की भावना के विरोधी के रूप में कर्जन ने इस देश का शासन-सूत्र अपने हाथ में सम्हाला।

शिमला शिक्षा-सम्मेलन (१९०१)²

जिस समय कर्जन ने इस देश में प्रवेश किया, उस समय यहाँ की शिक्षा की दशा अच्छी नहीं थी। १८६७ से १९०२ तक का काल भारतीय शिक्षा के इतिहास में सबसे अधिक अप्रगतिशील था, विद्यार्थियों की संख्या अति न्यून थी और स्कूलों की संख्या भी कम हो गई थी।³ कर्जन को शिक्षा में विशेष अभिरुचि थी। अतः भारत आने के कुछ समय उपरान्त ही उसने शिक्षा की ओर ध्यान दिया। उसका विश्वास था कि भारतीय शासन को पुनर्संयोजित करने के लिए शिक्षा में सुधार किया जाना अति आवश्यक था।⁴ अपने विचारों को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिये उसने १९०१ में शिमला में एक गुप्त 'शिक्षा-सम्मेलन' आयोजित किया। सम्मेलन में प्रत्येक प्रान्त के शिक्षा-संचालक एवं मिशनरियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। इसमें भारतीय प्रतिनिधियों को कोई स्थान नहीं दिया गया। फलतः, कर्जन की शिक्षा-नीति के प्रति भारतीयों का सशंकित होना स्वाभाविक था। यह सम्मेलन कर्जन के सभापतित्व में १५ दिन चला। इसमें १५० प्रस्ताव पास किये गये और इन्हीं के आधार पर कर्जन ने अपनी शिक्षा-नीति निर्धारित की। सम्मेलन की कार्यवाही को पूर्णतः गुप्त रखा गया और उसको किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित नहीं किया गया। सम्मेलन में प्रतिनिधित्व प्राप्त न होने के कारण भारतीय पहले से ही सशंकित थे। अब उन्हें

1. "By temperament he was a benevolent autocrat and by training a diehard imperialist with implicit faith in a strong rule. He was also the archpriest of centralisation and efficiency."

—A. N. Basu : *op. cit.*, p. 60.

2. Simla Educational Conference, 1901.

3. *Quinquennial Review of the Progress of Education in India (1902-07)*, Vol. I, p. 22.

4. "When I came to India, Educational Reform loomed before me as one of those objects which appeared to deserve a prominent place in any programme of administrative reconstruction."—*Lord Curzon in India*, Vol. II, p. 65.

पूर्ण निश्चय ही गया कि—“सम्मेलन भारतीयों को यातना देने वाली सभा थी, जिसमें उनके विरुद्ध किसी पड़्यन्त्र की रचना की गई थी।”¹

‘सिमला-सम्मेलन’ में भारतीय शिक्षा के प्रत्येक पहलू और उससे सम्बन्धित प्रायः प्रत्येक समस्या पर विचार-विमर्श किया गया और उन्हीं पर भारत में शिक्षा-प्रसार की योजना को आधारित किया गया। हम उनका अध्ययन नीचे करेंगे, यथा—

विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा

कर्जन ने अपने शिक्षा के कार्य-क्रम में विश्वविद्यालयों के सुधार को अग्रिमता प्रदान की। अभी तक विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने और उपाधिप्राप्त वितरण करने का कार्य कर रहे थे। छात्रों से उनका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था। भारतीय विश्वविद्यालयों की इस स्थिति की कर्जन ने तीव्र आलोचना की। उसने कहा—“आदर्श विश्वविद्यालय के दो पहलू होने चाहिए। उसे ज्ञान के प्रसार और विद्या के प्रोत्साहन का स्थान होना चाहिए, और उसे मानवीय कारखाना होना चाहिए—जहाँ चरित्र का निर्माण अनुभव रूपी अग्निशाला में किया जाय और जहाँ उसको सत्य की बसोटी पर कसा जाय।”² इन शब्दों द्वारा कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालयों के समक्ष एक नया आदर्श रखा। परन्तु इस आदर्श तक पहुँचने के लिये उसने यह आवश्यक समझा कि पहले भारतीय विश्वविद्यालयों की वास्तविक स्थिति की जाँच कर ली जाय। इस विचार से उसने २७ जनवरी, १९०२ को प्रथम “भारतीय विश्वविद्यालय-आयोग” की नियुक्ति की।

भारतीय विश्वविद्यालय-आयोग (१९०२)³

(१) नियुक्ति के कारण—कर्जन का विचार था कि भारतीय विश्वविद्यालयों में सुधार की आवश्यकता थी, क्योंकि जिस समय से उनकी स्थापना हुई थी, उस समय से किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली थी। इन विश्वविद्यालयों का संगठन लन्दन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर किया गया था। १८६८ में लन्दन विश्वविद्यालय का पुनर्संरुद्ध हो गया था। अतः उसीके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालयों में भी

1. “A Star Chamber conclave that was engaged in some dark and sinister conspiracy.”—*Lord Curzon in India*, Vol. II, p. 67.

2. “The ideal university would consist of two aspects. It would be a place for the dissemination of knowledge and the encouragement of learning, and it would further be a smithy where character was forged in the furnace of experience, and beaten out on the anvil of truth.”—*Curzon’s Convocation Address at the Calcutta University, 1904. : Lord Curzon in India*, Vol. II, pp. 59-61.

3. *Indian Universities Commission, 1902.*

परिवर्तन करना वाछनीय था। उस समय तक कॉलेजों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई थी और विश्वविद्यालयों का कार्य-भार अत्यधिक हो गया था। सीनेट के सदस्यों की संख्या निश्चित न होने के कारण उनकी अनावश्यक रूप से वृद्धि हो गई थी। सीनेट में अध्यापकों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। विश्वविद्यालयों का मान्यता-प्राप्त कॉलेजों पर परीक्षा लेने के अतिरिक्त अन्य कोई नियन्त्रण नहीं था। अतः कॉलेजों का शिक्षा-स्तर गिर गया था। इन सभी बातों के कारणों की जाँच करने के लिये 'आयोग' की नियुक्ति की गई।

(२) जाँच का विषय—विश्वविद्यालयों के उपर्युक्त दोषों को ध्यान में रखते हुए 'आयोग' की जाँच का विषय यह रखा गया—“ब्रिटिश भारत में स्थित विश्व-विद्यालयों की दशा एवं उनकी भावी उन्नति की जाँच करना; एवं उनके विधान तथा कार्य-प्रणाली को सुधारने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करना, एवं ऐसे सुझाव देना जिनसे विश्वविद्यालयों का शिक्षा-स्तर उठ सके और विद्या की उन्नति हो सके।”¹

(३) सुझाव—‘आयोग’ ने सभी विश्वविद्यालयों में भ्रमण किया और उनकी अवस्था की सूक्ष्म छानबीन करके लगभग ६ माह पश्चात् एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें विश्वविद्यालयों के सुधार के लिये अनेक सुझाव दिये गये। इनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव निम्नांकित थे —

१. विश्वविद्यालयों के विधान में ऐसा परिवर्तन कर दिया जाय, जिससे वे कुछ सीमा तक शिक्षण-कार्य कर सकें।
२. विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिये अध्यापकों की नियुक्ति करें।
३. सीनेट एवं सिन्डीकेट का पुनर्संज्ञा आवश्यक है। सीनेट के सदस्यों की संख्या कम कर दी जाय और उनकी अवधि ५ वर्ष कर दी जाय। सिन्डीकेट के सदस्यों की संख्या ६ से १५ तक रखी जाय।
४. सीनेट में कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के अध्यापकों तथा मुख्य विद्वानों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये।
५. कॉलेजों को मान्यता प्रदान करने के नियमों में अधिक बड़ाई रखी जाय।
६. मान्यता-प्राप्त कॉलेजों का नियमित निरीक्षण किया जाय।
७. प्रत्येक कॉलेज का प्रबन्ध एवं संगठित समिति द्वारा किया जाय। यह समिति योग्य अध्यापकों की नियुक्ति, विद्यार्थियों के अनुमान, छात्रावास और भवन आदि की ओर विशेष ध्यान दे।
८. मेट्रीकुलेशन का स्तर उच्च किया जाय, इन्टरमीडियेट परीक्षा समाप्त

कर दी जाय और वो० ए० का पाठ्य-क्रम ३ वर्ष का कर दिया जाय ।

(४) 'आयोग' का मूल्यांकन—उपर्युक्त मुझावो से स्पष्ट हो जाता है कि 'आयोग' का उद्देश्य—विश्वविद्यालयों के संगठन में आमूल-चूल परिवर्तन करना नहीं था, अपितु प्रचलित प्रणाली को पुनर्संज्ञित करके शक्तिशाली बनाना था । 'आयोग' ने विश्वविद्यालयों को शिक्षा-केन्द्र बनाने का मुझाव नहीं दिया । उसके मतानुसार—कॉलेज देश के प्रत्येक भाग में दूर-दूर तक फैले हुए थे । अतः उनकी एकन करके विश्वविद्यालयों को शिक्षा-केन्द्र बनाना असम्भव था । शिक्षा-शुल्क की निम्नतर दर निश्चित करने एवं द्वितीय श्रेणी के कॉलेजों को तोड़ने का मुझाव देने के कारण 'आयोग' ने भारतीयों की शत्रुता मोल ले ली । वैसे तो भारतीय पहिले से ही इसके विरोधी थे, क्योंकि 'शिमला-सम्मेलन' के समान इसमें भी किसी भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं था । यद्यपि पुनर्विचार के उपरान्त सरकार ने डाक्टर गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसन विलप्रामी को 'आयोग' के सदस्यों में स्थान दे दिया था, परन्तु इससे भारतीयों को किसी प्रकार का सन्तोष नहीं हुआ था । उनका प्रारम्भ से ही विश्वास था कि सरकार देश में प्रवाहित राष्ट्रीयता की लहर को मोड़ने का प्रयास कर रही थी । जनता का विरोध व्यर्थ सिद्ध हुआ । कर्जन की सरकार ने 'आयोग' की सिफारिशों के आधार पर एक विधेयक तैयार किया, जो २१ मार्च, १९०४ को 'भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम' के रूप में पारित किया गया ।

भारतीय विश्वविद्यालय-अधिनियम (१९०४)^१

इस अधिनियम द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के संगठन, कार्य-क्षेत्र, अधिकार और शासन आदि में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये । ये परिवर्तन निम्नलिखित थे —

- १ विश्वविद्यालयों के कार्य-क्षेत्र को विस्तृत कर दिया गया । उन्हें परीक्षाएँ लेने के अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था करने का भी अधिकार दे दिया गया । वे शिक्षण-कार्य के लिये प्राध्यापकों को नियुक्त कर सकते थे, उच्च ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिये पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं का प्रवन्ध कर सकते थे, और विद्यार्थियों के अनुशासन के सम्बन्ध में नियमों का निर्माण कर सकते थे ।
२. १८५७ के 'विश्वविद्यालय-अधिनियम' के अनुसार सीनेट के सदस्यों को सरकार आजीवन के लिये मनोनीत करती थी । फलस्वरूप, सीनेट का आकार अति विशाल हो गया था । इस अधिनियम द्वारा वह निश्चय कर दिया गया कि सीनेट के सदस्यों की निम्नतम संख्या ६० और

उच्चतम १०० होगी, और ये सदस्य अपने पद पर आजीवन न रहकर केवल ५ वर्ष तक रहेंगे।

- ३ बम्बई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालयों की सीनेटों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या २० एवं अन्य विश्वविद्यालयों की सीनेटों की संख्या १५ से अधिक नहीं होगी। इस अधिनियम द्वारा सीनेटों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या में अभिवृद्धि कर दी गई।
- ४ विश्वविद्यालयों के सिण्डिकेटों को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। सिण्डिकेटों के सदस्यों में विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों का उचित प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य कर दिया गया।
- ५ १८५७ के 'विश्वविद्यालय-अधिनियम' के अनुसार सीनेट को विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार प्राप्त था। उसे सरकार से उनकी स्वीकृति केवल नाम मात्र के लिये लेनी पड़ती थी। अब तक सरकार को केवल यह अधिकार था कि उनको अस्वीकृत कर सकती थी, परन्तु स्वीकृति देने के उपरान्त उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। १९०४ के अधिनियम के अनुसार सरकार को सीनेट द्वारा बनाये हुए नियमों में संशोधन करने, उन्हें स्वीकृति देने तथा सीनेट द्वारा समय पर नियम न बनाये जाने पर स्वयं नियम बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया।
- ६ विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता चाहने वाले कॉलेजों के लिये नियम कड़े कर दिये गये और सिण्डिकेटों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे मान्यता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षण-स्तर को ऊँचा रखने के लिय समय-समय पर उनका निरीक्षण कर सकते थे।
- ७ १८५७ के अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (Territorial Jurisdiction) की सीमा निश्चित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, कुछ कॉलेजों ने दो विश्वविद्यालयों से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया था, और कुछ एक विश्वविद्यालय के क्षेत्र में होते हुए भी दूसरे से सम्बन्धित हो गये थे। १९०४ के अधिनियम के अनुसार गवर्नर-जनरल को विश्वविद्यालयों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की सीमाएँ निश्चित करने का अधिकार दे दिया गया।

भारतीय प्रतिप्रिया

भारतीयों ने प्रारम्भ से ही विश्वविद्यालय-मुद्धार के इस अधिनियम का घोर विरोध किया गया था। भारतीय मत को केन्द्रीय धारा-सभा के सदस्य गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने ऐतिहासिक व्याख्याना में व्यक्त किया। वस्तुतः भारतीय विश्वविद्यालय

सुधार के विरोधी नहीं थे। जिस समय १८६६ में कर्जन ने विश्वविद्यालयों के सुधार की बात कही थी, उस समय भारतीयों ने इस बात का हृदय से स्वागत किया था। परन्तु उसके पश्चात् 'सिमला-सम्मेलन' में भारतीयों को प्रतिनिधित्व न देना, सम्मेलन की कार्यवाही को गुप्त रखना और 'विश्वविद्यालय-आयोग' में किसी भारतीय को नियुक्त न करना—कुछ ऐसी घटनाएँ थीं, जिन्होंने भारतीयों को शंकापूर्ण कर दिया था। वे समझने लगे थे कि सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय प्रयासों पर रुकावट डालना चाहती थी और देश की शिक्षा को अंग्रेजों के हाथ में रखना चाहती थी। भारतीयों का यह भी विचार हो गया था कि सरकार उच्च शिक्षा-संस्थाओं पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी और नये नियमों का निर्माण करके शिक्षा-प्रसार को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा उसकी प्रगति में अवरोध डालना चाहती थी।

भारतीयों के विरोध का सबसे शक्तिशाली कारण यह था कि १९०४ के अधिनियम द्वारा गवर्नर-जनरल को विश्वविद्यालयों के आन्तरिक प्रबन्ध पर पूर्ण अधिकार दे दिया गया था। वह विश्वविद्यालयों के नियम बना सकता था, सीनेट द्वारा बनाये हुए नियमों में परिवर्तन कर सकता था, और यह आदेश दे सकता था कि विश्वविद्यालय किन कॉलेजों को मान्यता प्रदान करें। इन सब बातों को देखकर भारतीयों को विश्वास हो गया था कि सरकार विश्वविद्यालयों के स्वतन्त्र अस्तित्व को समाप्त करके उन पर अपना पूर्ण नियन्त्रण स्थापित करना चाहती थी। यद्यपि भारतीयों का यह सन्देह भविष्य में निराधार सिद्ध हुआ, परन्तु उस समय की परिस्थितियों में इसका निराकरण न हो सका।

विश्वविद्यालय-अधिनियम का मूल्यांकन

'विश्वविद्यालय-अधिनियम' के सम्बन्ध में दो विचारधाराएँ प्रवाहित हो रही थीं। सरकार का कहना था कि इस अधिनियम से विश्वविद्यालयों के समस्त दोषों का निवारण हो जायगा और उच्च शिक्षा की ऐसी सुन्दर व्यवस्था हो जायगी कि उसकी प्रगति तीव्र हो जायगी। इसके विपरीत, भारतीयों का मत था कि अधिनियम द्वारा उच्च-शिक्षा पर सरकार का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो जायगा और उसकी प्रगति रुक जायगी। परन्तु अधिनियम द्वारा न तो प्रथम बात सत्य सिद्ध हुई और न दूसरी असत्य। हाँ, इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि उच्च शिक्षा को लाभ अधिक हुआ और हानि कम। विश्वविद्यालयों का संचालन पहले से अधिक उत्तम रीति से किया जाने लगा, उनका संगठन बहुत कुछ निर्दोष हो गया और उसके सीनेटों के सदस्य सरकार के चाटुकार न होकर सुयोग्य और नर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होने लगे। कुछ विश्वविद्यालयों में शिक्षण का कार्य प्रारम्भ हो गया। पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की स्थापना हो गई। निरीक्षण की व्यवस्था होने के कारण शिक्षा का स्तर उच्च हो गया। जो कॉलेज इसमें सफलता न प्राप्त कर सके, उनका अन्त हो गया। शिक्षा का स्तर उच्च होने से विद्यार्थियों की योग्यता में वृद्धि हुई और वे विभिन्न विषयों में अपनी विद्वत्ता का परिचय देने लगे।

भारतीयों को भय था कि 'विश्वविद्यालय अधिनियम' से शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में भारतीया की व्यक्तिगत चेष्टाओं पर घातक प्रहार होगा। परन्तु भारतीयों का यह भय असत्य सिद्ध हुआ। यद्यपि मान्यता प्रदान करने के नियमों का कठोरता पूर्वक पालन किये जाने से १९०४ में १९१२ तक कॉलेजों की संख्या बहुत कम हो गई, परन्तु उनमें शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि हुई।

इस अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों का बहुत सुधार हुआ और शिक्षा का स्तर ऊँचा हो गया, परन्तु उनकी शिक्षा-प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और न उसको उचित आधार पर ही रखा गया। पूर्व के समान पुस्तकीय ज्ञान तथा साहित्यिक विषयों को बरीयता प्रदान की गई। पाठ्यक्रमों में जीवनोपयोगी विषयों को सम्मिलित नहीं किया गया। अधिनियम ने विश्वविद्यालयों पर सरकार का इतना कठोर नियन्त्रण स्थापित कर दिया कि उन्हें स्वेच्छा से किसी कार्य को करने की स्वतन्त्रता न रहे गई। 'कलकत्ता-विश्वविद्यालय-आयोग' के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालय—विश्व में सबसे अधिक सरकारी शासन के अधीन थे। "यह सत्य है कि 'विश्वविद्यालय-अधिनियम' से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, परन्तु विश्वविद्यालय सुधार का आन्दोलन प्रारम्भ करने का सेहरा कर्जन के सिर पर है। यह आन्दोलन मन्थर गति से पर दृढतापूर्वक अपने निश्चित लक्ष्य की ओर निरन्तर बढ़ रहा है।"¹

कॉलेजों में सुधार

विश्वविद्यालयों में सुधार होने के कारण उनसे सम्बन्धित कॉलेजों में सुधार होना स्वाभाविक था। शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने के लिए कॉलेजों में शिक्षण सामग्री से सुसज्जित प्रयोगशालाओं तथा रसायनशालाओं का होना अनिवार्य था। उनमें पुस्तकालयों, वाचनालयों और छात्रावासों की भी उचित व्यवस्था वाञ्छनीय थी। व्यक्तिगत संस्थाओं के पास इन सब बातों का प्रबन्ध करने के लिए धन का अभाव था। अतः कर्जन ने उदारतापूर्वक कॉलेजों को १३१ लाख रुपये का विशेष सहायता अनुदान दिया। इस धन का वितरण विभिन्न प्रान्तों की जनसंख्या और कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की योगिक संख्या के आधार पर किया गया। गैर-सरकारी कॉलेजों को इस विशेष अनुदान से बहुत सहारा मिला और उन्होंने उचित व्यवस्था करके शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि की।

1 "It is true that the Act of 1904, by itself did not achieve much. But Curzon will have the credit of having been the pioneer to start a new movement in university reform which slowly and laboriously, but nevertheless steadily, has ever been progressing to its destined goal" —Nurullah & Naik, op. cit., pp 474-475

शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव^१ (१६०४)

११ मार्च, १६०४ को लाई कर्जन ने अपनी शिक्षा-नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया। इस प्रस्ताव में तत्कालीन भारतीय शिक्षा के दोषों का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया। इनमें से अनेक दोष आज भी इस देश की शिक्षा में कलक विन्दुओं के समान दृष्टिगोचर हो रहे हैं। प्रस्ताव में कहा गया—“संख्यात्मक दृष्टि से वर्तमान शिक्षा के दोष सर्वविदित हैं। ५ में से ४ गाँवों में स्कूल नहीं है। ४ बालकों में से ३ बिना शिक्षा प्राप्त किये बड़े होते हैं और ४० में से केवल १ बालिका किसी प्रकार के स्कूल में शिक्षा प्राप्त करती है।”^२ गुणात्मक दृष्टि से शिक्षा में निम्नांकित दोषों की ओर संकेत किया गया —

- १ उच्च शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य—सरकारी नौकरी प्राप्त करना है। इस प्रकार शिक्षा का क्षेत्र अत्यधिक संकुचित कर दिया जाता है, और जो व्यक्ति राजपद प्राप्त करने में असफल होते हैं, वे अन्य कार्यों के लिये अयोग्य हो जाते हैं।
- २ परीक्षाओं को आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया जाता है।
- ३ पाठ्य क्रम पूर्णतया साहित्यिक है।
- ४ स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों की बुद्धि का विकास कम किया जाता है और स्मृति का अधिक। परिणामतः, ठोस ज्ञान का स्थान यन्त्रवत् पुनरावृत्ति द्वारा ले जाया जाता है।
- ५ अंग्रेजी शिक्षा को प्रधानता देकर भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की जाती है।

‘प्रस्ताव’ में शिक्षा के सभी अंगों का विवेचन करने के पश्चात् उसके विकास के लिये सरकारी नीति घोषित की गई। इस नीति की मुख्य-मुख्य बातें अधोलिखित थी —

- १ प्राथमिक शिक्षा की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है और उसके विकास के लिये पर्याप्त प्रयास नहीं किया है। प्राथमिक शिक्षा का विकास करना—सरकार का एक प्रमुख कर्त्तव्य होना चाहिये।
- २ प्राथमिक शिक्षा के पाठ्य-क्रम में अंग्रेजी को नहीं सम्मिलित करना चाहिये। इस स्तर पर भारतीय भाषाओं की शिक्षा पर ही अधिक बल

१ Government Resolution on Educational Policy

२ ‘The shortcomings of the present system in point of quantity are well known. Four out of five villages are without a school. Three boys out of four grow up without education and only one girl in forty attends any kind of school’—Government Resolution on Educational Policy, 1904

दिया जाना चाहिये। अंग्रेजी की शिक्षा १३ वर्ष की आयु के पश्चात् दी जानी चाहिये।

३. माध्यमिक विद्यालयों का शिक्षण-स्तर ऊँचा उठाना चाहिये। नवीन शिक्षालयों को मान्यता एवं सहायता-अनुदान देने में कड़ाई करनी चाहिये जिससे अवाञ्छनीय स्कूलों की स्थापना न हो सके।
४. विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की शिक्षा का स्तर ऊँचा किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा का उद्देश्य—केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करना नहीं होना चाहिये।

उपरिर्कथित बातों के अतिरिक्त प्रौद्योगिक, कृषि, कला और नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में भी कर्जन ने अपनी नीति की घोषणा की। इनका वर्णन आगे यथा-स्थान किया जायगा। यद्यपि कर्जन ने अपने प्रस्ताव में तत्कालीन भारतीय शिक्षा के गुण-दोषों का निरूपण बिल्कुल ठीक किया था और शिक्षा-प्रसार के लिये उसके सुझाव भी प्रशंसनीय थे, परन्तु जिस नीति का अनुसरण करके वह कार्य को सम्पादित करना चाहता था, वह भारतीयों को पसन्द नहीं थी। “यद्यपि रोग का निदान ठीक था, परन्तु प्रस्तावित औषधि न तो उपयुक्त ही थी और न सामयिक ही। लार्ड कर्जन ने जो बातें कही, उनमें से बहुत-सी ठीक थी, पर जिस विधि से वह सुधार करना चाहता था, उससे शिक्षित भारतीयों के मस्तिष्क में गम्भीर सन्देह उत्पन्न हो गया। उन्होंने समझा कि इस सुधार कार्य में कोई गहरी राजनैतिक चाल छिपी हुई है।”¹

कर्जन और माध्यमिक शिक्षा

यद्यपि १८८२ से १९०२ तक माध्यमिक शिक्षा का विस्तार तीव्र गति से हुआ था, तथापि उसमें अनेक दोष उत्पन्न हो गये थे। माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यार्थियों में से अधिकांश भारतीयों द्वारा संचालित थे। इन संस्थाओं का शिक्षण-स्तर निम्न था। इसके पास शिक्षा की उचित व्यवस्था करने के लिये धन का अभाव था। अतः इन विद्यालयों में सुधार की ओर कर्जन का ध्यान जाना स्वाभाविक था। उसने माध्यमिक शिक्षा के लिये एक नवीन नीति निर्धारित करके कार्यान्वित की। इस नीति की मुख्य-मुख्य बातों पर हम आगे प्रकाश डाल रहे हैं —

1. “Though the diagnosis was correct, the remedy suggested was neither appropriate nor opportune. Lord Curzon was right in many of the things he said, but it was the way in which he wanted to reform that raised grave suspicions in the minds of the educated Indians. They thought that this reform move camouflaged some deep political motive.”—A. N. Basu : *op cit.* p. 64.

शिक्षा-विभाग द्वारा मान्यता

‘भारतीय शिक्षा-आयोग’ द्वारा दिये गये सहायता-अनुदान सम्बन्धी सुझावों को सरकार ने स्वीकृत किया था। जिन विद्यालयों को सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी, उन पर शिक्षा-विभाग का पूर्ण नियन्त्रण रहता था। परन्तु जिन स्कूलों को सहायता-अनुदान नहीं प्राप्त था, वे शिक्षा-विभाग के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं थे। वे अपनी प्रगति के लिये किसी भी नीति का अनुसरण कर सकते थे। ऐसी स्थिति में सभी गैर-सरकारी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे थे। फलस्वरूप उनमें ऐसे दोष उत्पन्न हो गए थे, जिनसे शिक्षा का बहुत अपकार हो रहा था। लार्ड कर्जन को विद्यालयों की इस स्थिति से सन्तोष नहीं हुआ। उसने कहा कि सभी माध्यमिक विद्यालयों पर शिक्षा-विभाग का नियन्त्रण होना चाहिए, चाहे वे सहायता प्राप्त हों अथवा नहीं। १९०४ के ‘प्रस्ताव’ में कुछ शर्तें निर्धारित कर दी गईं।^१ इनको पूरा करने पर ही स्कूलों को शिक्षा-विभाग से ‘मान्यता’ (Recognition) प्राप्त हो सकती थी। ये शर्तें निम्नलिखित थीं :—

१. जिस क्षेत्र में स्कूल स्थापित हो, वहाँ उसकी वास्तव में मांग हो।
२. विद्यालय की प्रबन्ध-समिति उचित प्रकार से संगठित हो।
३. विद्यालय में आवश्यक विषयों के शिक्षण का समुचित प्रबन्ध हो।
४. विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, मनोरंजन और अनुशासन की उपयुक्त व्यवस्था हो।
५. अध्यापकों का चरित्र अच्छा हो, उनकी संख्या पर्याप्त हो और उनमें अध्यापन कार्य की क्षमता हो।
६. शिक्षा-शुल्क की दर ऐसी हो, जिससे समीपवर्ती विद्यालयों की हानि की आशका न हो।

इन शर्तों को पूरा करने वाले विद्यालयों को ही सहायता-अनुदान प्राप्त होता था। ऐसे ही स्कूलों के विद्यार्थी छात्रवृत्तियाँ पाने और सार्वजनिक परीक्षाओं में सम्मिलित होने के अधिकारी थे। इस प्रकार, १९०४ से सभी गैर-सरकारी स्कूलों को मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य हो गया और उन पर शिक्षा-विभाग का नियन्त्रण स्थापित हो गया।

विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता

१९०४ से पूर्व विश्वविद्यालयों के नियमों में बहुत शिथिलता थी। जिन विद्यालयों को मान्यता नहीं प्राप्त थी, उनके छात्र भी विश्वविद्यालयों द्वारा ही जाने

वाली 'मैट्रीकुलेशन' परीक्षा में सम्मिलित हो सकते थे। १९०४ के 'भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम' द्वारा इन परीक्षा के लिये तैयार करने वाले सभी स्कूलों को अपने क्षेत्र के विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया। जिन स्कूलों को मान्यता नहीं प्राप्त थी, उनके छात्र 'मैट्रीकुलेशन' परीक्षा में नहीं बैठ सकते थे। इस प्रकार माध्यमिक स्कूलों पर विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग—दोनों का नियन्त्रण स्थापित हो गया।

मान्यता-प्राप्त विद्यालयों को सुविधायें

विश्वविद्यालय से मान्यता-प्राप्त विद्यालयों के छात्र 'मैट्रीकुलेशन' परीक्षा में बैठ सकते थे। विद्यालयों को शिक्षा-विभाग से भी मान्यता प्राप्त करना आवश्यक था। उन्हें कुछ सरकारी नियमों का भी पालन करना पड़ता था। यदि स्कूलों को शिक्षा-विभाग से कोई लाभ न होता, तो वे मान्यता-प्राप्त करने के इच्छुक न होते। अतः मान्यता-प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को शिक्षा विभाग से अधोलिखित सुविधायें प्राप्त करने की व्यवस्था की गई —

- १ मान्यता-प्राप्त स्कूलों के छात्र, सरकार द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाओं में प्रविष्ट हो सकेंगे।
- २ ऐसे विद्यालय सरकार से सहायता-अनुदान प्राप्त करके अधिक लाभ उठा सकेंगे।
- ३ राजकीय छात्रवृत्तियों का उपभोग करने वाले विद्यार्थियों को अपने वहाँ प्रवेश दे सकेंगे।

विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन देने, और इस प्रकार उनके शिक्षण-स्तर को ऊँचा उठाने के लिये राज्य की ओर से गैर-सरकारी स्कूलों को अधिक सहायता अनुदान देना प्रारम्भ किया गया। उन पर कड़ा नियन्त्रण रखने के लिये निरीक्षकों की संख्या में भी वृद्धि कर दी गई।

अमान्य विद्यालयों के छात्रों पर प्रतिबन्ध

मान्यता प्राप्त करने की शर्त निर्धारित करके सरकार का उन विद्यालयों पर अधिकार स्थापित हो गया, जो अपने छात्रों को 'मैट्रीकुलेशन' परीक्षा में भेजते थे। परन्तु कुछ मिडिल स्कूल भी थे, जिन्हें 'मैट्रीकुलेशन' परीक्षा से कोई प्रयोजन नहीं था। वे न तो मान्यता चाहते थे, और न सहायता अनुदान। उनका एकमात्र उद्देश्य—विद्यार्थियों को निम्न कक्षाओं में शिक्षा प्रदान करके मान्यता प्राप्त स्कूलों में भेजना था। इस प्रकार के विद्यालयों को स्वतन्त्र छोड़ना उचित न समझा गया। अतः यह नियम बना दिया गया कि किसी भी अमान्य (Unrecognised) विद्यालय का छात्र मान्यता प्राप्त स्कूल में प्रवेश नहीं पा सकेगा। फलतः विवश होकर मिडिल स्कूल भी सरकार से मान्यता प्राप्त करने लग। इस प्रकार सभी श्रेणियों के विद्यालयों पर सरकार का नियन्त्रण स्थापित हो गया।

सरकार की नई नीति की भारतीयों ने कटु आलोचना की। उनका कथन था कि सरकार माध्यमिक विद्यालयों पर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करके भारतीयों के शिक्षा-कार्यों और उनकी राष्ट्रीयता की भावना को कुचलना चाहती थी। यह कथन भविष्य में निराधार सिद्ध हुआ। परन्तु सरकारी नियंत्रण से माध्यमिक विद्यालयों की स्वतन्त्रता अवश्य नष्ट हो गई। इसके अतिरिक्त, सहायता-अनुदान एवं मान्यता प्राप्त होने से उनके कार्यों में शिथिलता भी आ गई। किन्तु इसके विपरीत, विद्यालयों को पर्याप्त लाभ भी हुआ। सरकारी निरीक्षण के कारण उनके शिक्षण-कार्यों में सुधार हुआ और सभी विद्यालयों के शिक्षण-स्तर में समानता स्थापित हो गई।

माध्यमिक विद्यालयों की गुणात्मक उन्नति

कर्जन माध्यमिक विद्यालयों की गुणात्मक उन्नति के लिये बहुत चिन्तित था। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसने निम्नलिखित आदेश दिये—

१. माध्यमिक विद्यालयों के लिये प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या और कार्य-क्षमता में उन्नति की जाय। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षण-महाविद्यालयों का सुधार किया जाय और उनकी संख्या में वृद्धि की जाय।
२. माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाय।
३. मिडिल स्कूलों में शिक्षा का माध्यम 'भारतीय भाषाएँ' हो और माध्यमिक विद्यालयों में प्रत्येक विद्यार्थी के लिये मातृभाषा का अध्ययन अनिवार्य हो।
४. माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा के स्तर को उच्च करने का भार निरीक्षकों को मँपा जाय और इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिये निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाय।
५. गैर-सरकारी स्कूलों को अधिक सहायता-अनुदान दिया जाय, जिससे वे शिक्षण की समुचित व्यवस्था करके शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठा सकें।
६. प्रत्येक जिले में एक राजकीय विद्यालय की स्थापना की जाय, और गैर-सरकारी स्कूल उमकी अपना आदर्श मानकर शिक्षण-कार्य करें।

कर्जन और प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में कर्जन के विचार अति उदार थे। 'शिमला-सम्मेलन' में अपना भाषण देते हुए उसने कहा : "प्राथमिक शिक्षा से मेरा अभिप्राय—जन-साधारण को मातृ-भाषा की शिक्षा देना है। मैं उन व्यक्तियों में हूँ जो उम्मीद कि सरकार ने इस दिशा में अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। भारत को

अधिक भय अज्ञातता से है। वस्तुतः अज्ञानता ही अविश्वास, अन्धविश्वास, असतार्थ एवं अनैतिकता का मूल कारण है। अज्ञानता का विनाश केवल ज्ञान से ही सकता है। हम भारतीय जनता को जितना ही अधिक शिक्षित बनायेंगे, उतना ही अधिक वह सुखी होगी और उसी अनुपात में वह राजनैतिक जीवन के लिए सामर्थ्य सिद्ध होगी।¹

वर्जन की प्रारम्भिक शिक्षा-नीति कुछ भिन्न थी। उच्च शिक्षा में तो वह केवल गुणात्मक उन्नति चाहता था, परन्तु प्राथमिक शिक्षा में वह विस्तार के साथ साथ छात्रों की योग्यता में भी वृद्धि चाहता था। सख्यात्मक (Quantitative) वृद्धि के सम्बन्ध में उसका विचार था कि—

- १ प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की पहले से अधिक आवश्यकता है।
- २ प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में सदैव स्थिरता रही है।
- ३ प्राथमिक शिक्षा की मन्द प्रगति का कारण यह है कि उसे पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं दी गई है।

प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मक (Qualitative) उन्नति के लिए उसकी नीति निम्नांकित सिद्धान्तों पर आधारित थी —

- १ प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- २ पाठ्यक्रम में सुधार।
- ३ सहायता अनुदान में सुधार।

कजन ने उपरिर्कथित दोनों दिशाओं में प्राथमिक शिक्षा के लिए जो कार्य किये उनका अध्ययन हम नीचे करेंगे —

प्राथमिक विद्यालयों की सख्यात्मक वृद्धि

१९वीं शताब्दी के अन्त में भारत पर महामारी और अकाल का भयकर प्रकोप रहा था। फलस्वरूप प्राथमिक विद्यालयों का नवनिर्माण स्थगित हो गया था। अतः कजन ने उनकी सख्या में वृद्धि करने के लिए उदारतापूर्वक अनावृत्त अनुदान

1 'Primary Education—by which I understand the teaching of the masses in the vernaculars—opens a wider and more contested field of study I am one of those who think that Government has not fulfilled its duty in this respect. What is the greatest danger in India? What is the source of suspicion superstition outbreaks crime? It is ignorance. And what is the only antidote to ignorance? Knowledge. In proportion as we teach the masses, so we shall make them happier and in proportion as they are happier, so they will become more useful members of the body politic'—Curzon's Speech at the Simla Conference, 1901

(Non recurring Grant) दिया। साथ ही प्राथमिक विद्यालयों को दिये जाने वाले सहायता-अनुदान में वृद्धि कर दी। जिला-परिषदों और नगरपालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय का $\frac{1}{2}$ भाग मिलने लगा, जबकि उन्हें अब तक केवल $\frac{1}{3}$ मिलता था। वरुन की इन नीतियों के फलस्वरूप प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई। १९०२ में इन विद्यालयों की संख्या ६३,६०४ और उनमें पढ़ने वाले छात्रों की योगिक संख्या ३०,७६६ थी। १९११ में विद्यालयों की संख्या बढ़कर १,१८,२६२ और विद्यार्थियों की संख्या ४८,०६,७३६ हो गई।

प्राथमिक विद्यालयों की गुणात्मक उन्नति

प्राथमिक विद्यालयों की गुणात्मक उन्नति के लिए वरुन ने निम्नलिखित कार्य किये —

(१) अध्यापकों का प्रशिक्षण—प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या बहुत कम थी। अतः वरुन ने इस बात पर बल दिया कि अध्यापकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाय, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण-विद्यालयों का निर्माण किया जाय। प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष नियत की गई। प्रशिक्षण के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह थी कि अध्यापकों को कृषि का सामान्य ज्ञान भी दिया जाता था, जिससे वे ग्रामीण विद्यालयों में छात्रों को कृषि की शिक्षा दे सकें। ग्रामीण छात्रों के लिये कृषि-शिक्षा की व्यवस्था करके वरुन ने वास्तव में अत्युत्तम कार्य किया।

(२) पाठ्य क्रम में सुधार—वरुन के मतानुसार प्राथमिक विद्यालयों की गुणात्मक उन्नति के लिए पाठ्य-क्रम में सुधार किया जाना आवश्यक था। वह 'भारतीय शिक्षा-आयोग' के विचार से सहमत नहीं था कि विद्यालयों के पाठ्यक्रम को सरल बना दिया जाय। इसके विपरीत, वह पाठ्य-क्रम में अधिक-से-अधिक विषयों को सम्मिलित करना चाहता था। अतः उसने पाठ्य क्रम में लिखने पढ़ने और गणित के अतिरिक्त कृषि को भी स्थान दिये जाने की इच्छा व्यक्त की। उसने सिफारिश की, कि—जिन विद्यालयों में सुयोग्य शिक्षक हों, उनमें 'किंडरगार्टन' (Kindergarten) एवं 'आब्जेक्ट पद्धति' (Object Method) को अपनाया जाय। उसका विश्वास था कि इस पद्धति का प्रयोग करने से भारतीयों के स्वाभाविक मानसिक दोषों का निवारण हो जायेगा और उनकी तक शक्ति का विकास होगा। प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिये शारीरिक व्यायाम आवश्यक कर दिया गया।

वरुन का विचार था कि पाठ्यक्रम का सम्बन्ध स्थानीय घातावरण से होना आवश्यक है। अतः उसने ग्रामीण तथा नागरिक क्षेत्रों के लिए विभिन्न पाठ्य क्रमों की व्यवस्था की। उसने ग्रामीण विद्यालयों के लिए कृषि की शिक्षा देना वाछनीय बताया। परंतु साथ ही उसने इस बात पर बल दिया कि छात्रों को ऐसी दी जाय जिससे वे कुशल कृषक, विचारक एवं परीक्षण-कर्त्ता बन सकें।

विक्रय में अपने हित की रक्षा कर सकें। ग्रामीण बालको को इस प्रकार की शिक्षा दिये जाने के विचार अति श्रेष्ठ थे। परन्तु दुर्भाग्यवश, वर्जन के विचारों को कार्यरूप में परिणत न किया जा सका। कृषि को पाठ्य-क्रम में अतिरिक्त विषय के रूप में स्थान दिया गया और ग्रामीण विद्यालयों के पाठ्य-क्रम को नागरिक विद्यालयों के पाठ्य-क्रम की अपेक्षा सरल बना दिया गया।

सहायता-अनुदान

‘भारतीय शिक्षा-आयोग’ की सिफारिश के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-अनुदान देने के लिये ‘परीक्षा-फल के अनुसार वेतन प्रणाली’ का अनुसरण किया जाने लगा था। वर्जन ने इस प्रणाली को सर्वथा अनुपयुक्त ठहराया। इसके स्थान पर उसने शिक्षकों की योग्यता, विद्यालयों की कार्य-क्षमता और छात्रों की संख्या आदि के आधार पर सहायता-अनुदान देने की प्रणाली प्रचलित की। यद्यपि सहायता-अनुदान में दी जाने वाली धन-राशि अपर्याप्त थी, तथापि इस प्रणाली से प्राथमिक विद्यालयों का बहुत हित हुआ।

कर्जन के अन्य शिक्षा-कार्य

कर्जन ने सामान्य शिक्षा के साथ-साथ, शिक्षा के अन्य क्षेत्रों की ओर भी ध्यान दिया। उसके प्रयास के फलस्वरूप कृषि, कला और नैतिक शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। इसके अतिरिक्त, उसने पुरातत्त्व विभाग का निर्माण किया, केन्द्रीय शिक्षा-विभाग की स्थापना की, और छात्रों को विदेश में अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्तियाँ दीं। हम इस पर नीचे विहंगम दृष्टि डाल रहे हैं —

(१) कृषि-शिक्षा—अपनी प्रखर बुद्धि के कारण कर्जन को यह समझते देर न लगी कि भारत कृषि-प्रधान देश है, और इसलिए कृषि-शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है। इस दिशा में अब तक कुछ कॉलेजों की स्थापना करके थोड़ा-सा कार्य किया जा चुका था। परन्तु इन कॉलेजों में कृषि का व्यावहारिक ज्ञान देने एवं कुशल कृषकों को उत्पन्न करने की क्षमता का अभाव था। कर्जन को कृषि शिक्षा की इस शोचनीय दशा से बहुत दुःख हुआ। अतः उसने कृषि-शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये अधोलिखित कार्य किये —

१. भारत के प्रत्येक प्रान्त में कृषि-विभाग का निर्माण किया और कृषि कार्यों तथा कृषि-शिक्षा को इसे सौंप दिया।
२. बिहार प्रान्त में पूसा नामक स्थान पर केन्द्रीय गवेषण-शाला (Central Research Institute) स्थापित की, और इसमें कृषि-सम्बन्धी सर्वोच्च शिक्षा एवं अनुसंधान-कार्यों की व्यवस्था की।
३. कर्जन ने निश्चय किया कि प्रत्येक प्रान्त में एक कृषि-कॉलेज खोला जाय, जिसमें पूर्ण शिक्षण-सामग्री से युक्त प्रयोगशालायें हों और कनिष्ठ से सम्बद्ध कृषि का एक फार्म हों।

- ४ मिडिल और हाई स्कूलों के पाठ्य-क्रमों में कृषि के विषय को स्थान दिया जाय ।
- ५ कृषकों को शिक्षा देने के लिये कृषि की विशिष्ट कक्षाएँ खोली जायँ ।
- ६ भारतीय भाषाओं द्वारा कृषि की शिक्षा देने के लिये उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन किया जाय ।

(२) कला की शिक्षा—कला की शिक्षा को स्थिरता एवं प्रोत्साहन देने के लिये कर्जन का नाम सदैव गर्व से लिया जायगा । १८६३ से कला-विद्यालयों के सम्बन्ध में दो विचारधाराएँ प्रवाहित हो रही थी । प्रथम विचारधारा के लोगों का मत था कि भारत के कला-विद्यालय भारतीय कलाओं की उन्नति करने में असफल हुए हैं, अतः उनको बन्द कर देना चाहिये । दूसरी विचारधारा को मानने वाले व्यक्तियों का कथन था कि कला-विद्यालयों के रूप को तो परिवर्तित कर देना चाहिये, पर उन्हें बन्द नहीं करना चाहिये । कर्जन दोनों विचारधाराओं का अध्ययन करके इस परिणाम पर पहुँचा कि कला-विद्यालयों में सुधार करके उन्हें चलते रहने दिया जाय । इनमें सुधार करने के लिये उसने निम्नांकित सुझाव दिये —

१. कला-विद्यालयों का प्रमुख कार्य—भारतीय कलाओं और इन कलाओं से सम्बन्धित उद्योगों को प्रोत्साहित करना होना चाहिये ।
२. कला-विद्यालयों को व्यावसायिक रूप नहीं प्रदान करना चाहिये ।
३. इन विद्यालयों का उद्देश्य—छात्रों की ऐसी कलाओं और उद्योग-कलाओं की शिक्षा देना होना चाहिए, जिन्हें विद्यार्थी अपने जीविकोपार्जन का साधन बनाना चाहते हैं ।
४. इन विद्यालयों को दूकानों से परिणत नहीं किया जाना चाहिये, और न शिक्षाधिकारियों को उनसे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये ।
५. शिक्षण का कार्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिये, जो कला-विशेषज्ञ हों और जिन्होंने भारतीय कला-कलियों तथा विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण की हो ।
६. अनेक कलाओं की शिक्षा दिये जाने की अपेक्षा कुछ चुनी हुई कलाओं की विशेष शिक्षा दी जानी चाहिये ।
७. विद्यार्थियों से कुछ शुल्क अवश्य लिया जाना चाहिये । निःशुल्क प्रवेश और छात्रवृत्तियाँ देने की प्रथा को समाप्त कर देना चाहिये ।
८. ज्यों ही छात्र कला की उत्तम वस्तुएँ बनाने के योग्य हों जायँ, उन्हें कुछ पारिश्रमिक दिया जाना चाहिये ।
९. औद्योगिक कलाओं की शिक्षा का सम्बन्ध स्थानीय उद्योग-कलाओं से अवश्य होना चाहिये ।

वर्जन के मुभावों के फलस्वरूप बला-विद्यालय उपरोक्त विचारधारकों के बीच में पिमने से बच गये। उनके उद्देश्यों, विधियों एवं मगठन में परिवर्तन हो गया और उन्होंने एक निश्चित मार्ग पर अपनी यात्रा प्रारम्भ की। परन्तु बला विद्यालयों और उनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई।

(३) नैतिक शिक्षा—भारतीय शिक्षा का इतिहास बताता है कि सरकार धार्मिक तटस्थता की नीति में आस्था रखती थी। धार्मिक शिक्षा को मामान्य विद्यालयों में कोई स्थान नहीं दिया गया था। 'भारतीय शिक्षा-आयोग' ने सिफारिश की थी कि कॉलेजों में पाठ्य-क्रम में नैतिक शिक्षा के लिये एक 'प्रारम्भिक नैतिक पुस्तक' (Moral Primer) रखी जाय। 'शिमला-सम्मेलन' में धार्मिक शिक्षा के प्रश्न पर विचार-विमर्श हुआ। वर्जन का मत था कि नैतिक शिक्षा के लिये पुस्तक को रखा जाना निरर्थक था। उसने कहा—“यदि द्यून युक्लिड की पुस्तक को रट सकते हैं, तो वे नैतिक शिक्षा की पुस्तक को भी रट लेंगे।”¹ इससे कोई लाभ नहीं होगा। विद्यार्थियों पर नैतिकता का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ना चाहिये। केवल ऐसी ही दशा में उनकी आध्यात्मिक एवं नैतिक उन्नति हो सकेगी। अतः छात्रों के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये उत्तम अनुशासन, सच्चरित्र अध्यापकों, मुख्यवस्थित छात्रावासों, पाठ्य-क्रम के अन्तर्गत महान् पुरुषों की जीवनियों और छात्रों तथा शिक्षकों में निकट सम्पर्क की आवश्यकता है। यदि विद्यार्थी इस प्रकार के वातावरण में रहेंगे, तो उनका आध्यात्मिक एवं नैतिक उत्थान स्वाभाविक रूप में होगा। इसके लिये प्रत्यक्ष रूप में शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। अपने विचारों को व्यक्त करते समय वर्जन ने केवल राजकीय विद्यालयों पर अपना ध्यान केन्द्रित रखा था। जहाँ तक गैर-सरकारी स्कूलों का प्रश्न था, वह चाहता था कि उनमें धार्मिक शिक्षा दी जाय। कारण यह था कि वह मिशनरियों को धर्म प्रचार की सुविधा देने के पक्ष में था।

(४) पुरातत्त्व विभाग का निर्माण—कर्जन को भारतीय स्मारकों के प्रति श्रद्धा और प्रेम था। उनकी देख-रेख के लिए उचित व्यवस्था नहीं थी। अतः कर्जन ने 'पुरातत्त्व विभाग' (Department of Archaeology) की स्थापना करके स्मारकों के संरक्षण का कार्य उसे सौंप दिया। १९०४ में उसने 'प्राचीन स्मारक-संरक्षण अधिनियम' भी पारित करा दिया। इस 'अधिनियम' ने प्राचीन स्मारकों को सुरक्षित रखकर भारतीय संस्कृति के अवशेषों को यथावत् बनाये रखने में प्रशंसनीय सहयोग दिया है।

(५) केन्द्रीय शिक्षा-विभाग की स्थापना—केन्द्रीय शिक्षा-विभाग की स्थापना का श्रेय कर्जन को है। 'बुड के घोषणा-पत्र' के अनुसार प्रान्तों में शिक्षा विभाग का

1. "If pupils can cram Euclid, there is nothing to prevent them from cramming ethics."—Lord Curzon in India, Vol II pp. 53-4

प्रतिष्ठापन हो गया था। परन्तु अभी तक कोई ऐसी संस्था या पदाधिकारी नहीं था जो केन्द्रीय सरकार को शिक्षा-सम्बन्धी परामर्श दे सके। इस कार्य को कर्जन ने पूरा किया। उसने केन्द्रीय शिक्षा-विभाग का निर्माण करके एक 'डाइरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन' की नियुक्ति की। इस पद को सर्वप्रथम एच० डब्ल्यू० औरेंज (H. W. Orange) ने सुशोभित किया।

(६) विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियाँ—विद्यार्थी-समाज में कर्जन का नाम कभी विस्मृत न किया जा सकेगा। वह प्रथम व्यक्ति था जिसने कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देकर विदेशों में प्रौद्योगिक (Technological) शिक्षा ग्रहण करने के लिये भेजा। यद्यपि छात्रवृत्तियों को प्रौद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र तक ही सीमित रखा गया, तथापि कर्जन ने एक नवीन प्रथा का प्रारम्भ करके पथ-प्रदर्शक का कार्य किया। आज उसी प्रथा के आधार पर अनेक भारतीय विद्यार्थी शिक्षा के विभिन्न विषयों का विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं।

भारतीय शिक्षा को कर्जन की देन

भारत आने वाले वाइसरायों में लाई कर्जन का नाम प्रथम श्रेणी में रखा जाता है। वह धुरन्धर विद्वान्, कुशल राजनीतिज्ञ, कर्तव्य-परायण शासक और प्रतिभाशाली व्यक्ति था। "जो कार्य उसने ७ वर्ष में किये, उन्हें कोई अन्य मनुष्य निश्चित रूप से दुगुने या त्रिगुने समय में कर पाता।"¹ परन्तु पाश्चात्य सभ्यता का कट्टर समर्थक और भारतीय संस्कृति को हेय समझने के कारण वह इस देश के निवासियों का स्नेह-भाजन न बन सका। गोखले ने तो उसके प्रशासन की तुलना औरंगजेब के शासन से की थी।² किन्तु उदार हृदय भारतीयों ने उसे क्षमा कर दिया है। वस्तुतः शिक्षा के क्षेत्र में आज उसके अनेक प्रशंसक हैं। वे बलपूर्वक कहते हैं कि कर्जन के शिक्षा-कार्यों के लिये भारत उसका सदैव ऋणी रहेगा। उनके कथन में सत्य वा कितना अंश है, इसी बात पर हमें यहाँ विचार करना है।

विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कर्जन गुणात्मक उन्नति चाहता था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसने 'भारतीय विश्वविद्यालय-आयोग' की नियुक्ति की और 'भारतीय विश्वविद्यालय-अधिनियम' पारित करवाया। कर्जन के इन प्रयासों के परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा का स्तर ऊँचा उठा और छात्रों की योग्यता में वृद्धि हुई।

1. "What Curzon achieved in seven years would certainly have required twice or thrice as much time for any other man."
—Nurullah & Naik : *op. cit.*, p. 451.

2. "For a parallel to such an administration we must, I think, go back to the times of Aurangzeb in the history of our own country."—Gokhale's *Speeches*, p. 680.

कर्जन ने माध्यमिक शिक्षा के स्तर को भी ऊँचा उठाने का प्रयास किया। इसी विचार से प्रेरित होकर उसने गैर-सरकारी स्कूलों को अधिक सहायता-अनुदान दिया और उनके निरीक्षण का समुचित प्रबन्ध किया। माध्यमिक शिक्षा को कर्जन की सबसे महत्त्वपूर्ण देन—शिक्षा का माध्यम था। १९०२ तक हाई स्कूलों और मिडिल स्कूलों में अंग्रेजी की तृती बोलती थी। उसने यह घोषित कर दिया कि १३ वर्ष की आयु से पूर्व बालकों को अंग्रेजी की शिक्षा न दी जाय और माध्यमिक विद्यालयों के पूर्ण शिक्षा-काल में मातृ-भाषा का अध्ययन अनिवार्य रूप से चले। "यदि शिक्षित वर्ग ही अपनी मातृ-भाषाओं की उपेक्षा करेंगे, तो निश्चय रूप से वे केवल बोलचाल की भाषाएँ रह जायेगी, जिनका अपना कोई भी साहित्य नहीं होगा।"¹

प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में कर्जन ने स्वीकार किया कि सरकार द्वारा उसकी अवहेलना की गई है। उसके मतानुसार प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करके जन-साधारण को शिक्षित करना सरकार का स्पष्ट कर्तव्य था। उसने प्राथमिक विद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि और शिक्षा की गुणात्मक उन्नति को अपना ध्येय बनाया। इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए कर्जन ने प्राथमिक विद्यालयों को अधिक आर्थिक सहायता दी, अध्यापकों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया और पाठ्यक्रम में सुधार किया।

कर्जन ने देश की आवश्यकताओं को समझ कर कृषि और कला की शिक्षा को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया। उसने पुरातत्व विभाग का निर्माण करके भारतीय संस्कृति के प्राचीन अवशेषों को सुरक्षित रखा और केन्द्रीय शिक्षा-विभाग की स्थापना करके भारतीय शिक्षा का महान् कल्याण किया।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि लार्ड कर्जन ने भारतीय शिक्षा के सभी अङ्गों को पुनर्संज्जित करने का भागीरथ प्रयास किया। शिक्षा-सुधार के जिस आन्दोलन का उसने इस शताब्दी के प्रारम्भ में सूत्रपात किया, उसकी गति में आज तीव्रता दृष्टिगोचर हो रही है। उसी की प्रेरणा के फलस्वरूप स्वतन्त्र भारत की शिक्षा में मातृभाषाओं के साथ-साथ, पारश्चात्य विज्ञानों को समाविष्ट करके शिक्षा की संज्ञा को निरूपित करने की अनेकानेक चेष्टायें की जा रही हैं।

अन्त में, हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत—कर्जन की राष्ट्रीयता विरोधी नीति को विस्मृत करके उसकी शिक्षा-सुधार सम्बन्धी सेवाओं की स्मृति को सावधानी से संजो रहा है। डा० अमरनाथ झा के इस कथन में पूर्ण सत्य का आभास मिलता है—“आज जब कि अगणित संघर्षों की स्मृति अतीत के गत में विनीत हो चुकी है,

1. "If the educated classes neglect the cultivation of their own languages, these will assuredly sink to the level of mere colloquial dialects possessing no literature worthy of the name."
—Government Resolution on Educational Policy, 1904

सभी भारतीय उस महान् वायसराय की विवेकपूर्ण राज्य-भर्मज्ञता के प्रति अनुस्यूहीत हैं, जिसने हमारे प्राचीन स्मारकों के संरक्षण एवं हमारे शिक्षा-स्तर को ऊँचा उठाने का इतना प्रयत्न किया। अपने इन कार्यों के लिये उसे आज भी स्मरण किया जाता है और भारतवासियों की अनेक पीढ़ियाँ इन कार्यों के लिये उसका गुणगान करेगी।¹

सारांश

कर्जन का भारत में आगमन—जिस समय कर्जन भारत आया, उस समय यहाँ राष्ट्रीयता की भावना का प्रादुर्भाव हो चुका था। कर्जन पारनात्य सम्पत्ता का पुजारी और भारतीय राष्ट्रीयता का प्रबल विरोधी था। शिक्षा में उसकी विशेष अभिरूचि थी। अतः भारतीय शिक्षा की दयनीय दशा की ओर उसका ध्यान जाना स्वाभाविक था।

शिमला शिक्षा-सम्मेलन (१९०१)—इस सम्मेलन में प्रान्तों के शिक्षा-संपालक और मिशनरियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। इसमें किसी भारतीय को नहीं बुलाया गया और सम्मेलन की कार्यवाही को बिल्कुल गुप्त रखा गया। अतः भारतीय संशंकित हो उठे।

भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (१९०२)—इस आयोग की नियुक्ति भारतीय विश्वविद्यालयों की जाँच करने और उनमें सुधार करने के लिये सुझाव देने के विचार से की गई। आयोग ने अग्रलिखित सुझाव दिये—(१) विश्वविद्यालय शिक्षण का कार्य करें; (२) अध्यापकों की नियुक्ति करें; (३) सीनेट के सदस्यों की संख्या कम कर दी जाय, (४) सीनेट में अध्यापकों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाय; और (५) मान्यता-प्राप्त कॉलेजों का निरीक्षण किया जाय।

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (१९०४)—इस अधिनियम द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों में अग्रलिखित परिवर्तन किये गये—(१) विश्वविद्यालय परीक्षा सत्रों के अतिरिक्त शिक्षण-कार्य करने लगे, (२) सीनेट के सदस्यों की संख्या ५० से १०० तक निश्चित कर दी गई, (३) बम्बई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालयों की सीनेटों में २० तथा अन्य में १५ सदस्य निर्वाचित किये जायेंगे; (४) सरकार को सीनेट द्वारा बनाये गये नियमों में संशोधन करके का अधिार होगा; और (५) विश्व-विद्यालयों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की सीमा निश्चित हो गई।

शिक्षा-नीति-सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव (१९०४)—इस प्रस्ताव में सत्कारीन भारतीय शिक्षा के दोषों का विवेचन किया गया और शिक्षा में सभी अङ्गों को विकसित करने की नीति निर्धारित की गई।

1. "Now that the ashes of the numerous strifes are cold, all Indians are grateful to the wise statesmanship of the great Viceroy who did so much to preserve our ancient monuments and raise our educational standards. By these achievements he still lives, and generations of Indians will bless him for them."—Quoted by Lord Ronaldshay : *The Life of Lord Curzon*, Vol. II, p. 390.

माध्यमिक शिक्षा—माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने के लिये अनेक कार्य किये गये। माध्यमिक विद्यालयों को शिक्षा-विभाग और विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य हो गया। अमान्य विद्यालयों के छात्रों को मान्यता-प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश पाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। मान्यता-प्राप्त विद्यालयों को अधिक आर्थिक सहायता दी गई और उनके निरीक्षण का प्रबन्ध कर दिया गया।

प्राथमिक शिक्षा—प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करने और उनके शिक्षण-स्तर को ऊँचा उठाने से लिये कर्जन ने सराहनीय कार्य किया। विद्यालयों को अधिक सहायता-अनुदान दिया गया। अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। पाठ्य-क्रम और सहायता-अनुदान प्रणाली में सुधार किया गया।

अन्य शिक्षा-कार्य—कर्जन ने कृषि, कला और नैतिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया। पुरातत्त्व-विभाग का निर्माण और केन्द्रीय शिक्षा-विभाग की स्थापना की। योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देकर प्रौद्योगिक शिक्षा का अध्ययन करने के लिये विदेशों को भेजा।

TEST QUESTIONS

- 1 "The corner-stone of Curzon's educational policy was the complete abandonment of the old policy of *laissez faire* and the extension of state-control over the whole field of education." Elucidate this statement.
"कर्जन की शिक्षा-नीति का अनिवार्य आधार—पुरानी अहस्तक्षेप नीति का पूर्ण परित्याग और शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र पर राज्य-अधिकार का प्रसार था।" इस कथन को स्पष्ट कीजिये।
- 2 Write a short essay on 'Curzon's contribution to Indian education'.
"भारतीय शिक्षा को कर्जन की देन" पर एक सक्षिप्त निबन्ध लिखिये।
- 3 What services did Curzon render to the cause of Primary Education in India ?
कर्जन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति के लिये क्या कार्य किये ?

२५

राष्ट्रीय आन्दोलन और शिक्षा की प्रगति (१९०५-१९२१)

प्रस्तावना

२०वीं शताब्दी के उषा-काल में राष्ट्रीय आन्दोलन ने भारतीय आत्मा को उसकी गहराई तक हिला दिया था। कर्जत की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण परिस्थिति पहले से अधिक गम्भीर हो गई थी। भारतीयों के प्रति उसके उद्दण्ड एवं अन्यायपूर्ण व्यवहार ने उनकी क्रोधाग्नि को प्रज्वलित कर दिया था। देश के नेताओं ने अंग्रेजों के अमानुषिक अत्याचारों और उनकी साम्राज्यवादी नीति का भंडाफोड़ करना प्रारम्भ किया। शिक्षित वर्ग ने अंग्रेजों की उस अर्थनीति की बटु आलोचना की, जिसकी छाया में—“विदेशी भारत का शोषण कर रहे थे। हमारे प्राकृतिक साधन निरन्तर निचोड़े जा रहे थे, देश में दुर्भिक्षों का ताँता लगा था और भारतीय जनता तथा उसके उद्योगों की शासन की रक्षा न प्राप्त होने के कारण निर्धनता तीव्र गति से बढ़ रही थी।”

भारतीय नवयुवक क्रान्तिकारी भावनाओं से ओत-प्रोत देश के अतीत वैभव की पुनर्स्थापना का स्वप्न देख रहे थे। कुछ कर्मठ समाज-सेवक जनता को सन्देश दे रहे थे कि जब भारतवासी अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाना अपना धार्मिक कर्तव्य समझने लगेंगे, तभी देश अपने अतीत गौरव की पुनः प्राप्ति कर सकेगा। इन सब बातों के फलस्वरूप १९०४ में राष्ट्रवाद का आन्दोलन अपने चरम बिन्दु पर था। उस समय के लगभग कुछ ऐसी विदेशी घटनाएँ हुईं, जिन्होंने भारतीय मस्तिष्क को विस्तार देकर जनता की निराशा का अन्त कर दिया। एबीसीनिमा में हृदयियों ने इटली को तथा जापानियों ने रूस को पराजित किया। मिस्र, ईरान, टर्की और रूस में जन-आन्दोलनों का वेग बढ़ रहा था। इन सब घटनाओं ने यूरोपीय जातियों की अजेयता के बुलबुले को फोड़ दिया और एशियाई जातियों में नव-जीवन तथा नव-साहस का संचार किया।

ऐसे समय में २० जुलाई, १९०५ को लाहौर काँग्रेस की नौकरशाही ने मूलतः पूर्ण एव निष्प्रयोजन नीति का पालन करके बंगाल-विभाजन की घोषणा की। इनको मुनवर सम्पूर्ण बंगाल एव साथ उठ खड़ा हो गया और कांग्रेस ने अपने ७ अगस्त १९०५ के 'कलकत्ता-अधिवेशन' राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय किया। इस आन्दोलन के चार मुख्य अंग थे—(अ) स्वराज्य की प्राप्ति, (ब) विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, (स) स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, और (द) राष्ट्रीय शिक्षा की माँग। यहाँ हमारा सम्बन्ध केवल 'राष्ट्रीय शिक्षा' से है। अतः हम नीचे इसका अध्ययन करेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा का विकास (१९०५-२१)

राष्ट्रीय शिक्षा की भावना का आविर्भाव—राष्ट्रीय शिक्षा की भावना का आविर्भाव वर्तमान शती के प्रथम दशक में माना जाता है। परन्तु इसका यह अर्थ प्रायः नहीं है कि १९वीं शताब्दी में राष्ट्रीय शिक्षा का विचार अविद्यमान था। १८८२ के 'भारतीय शिक्षा-आयोग' की जाँच ने शिक्षा के क्षेत्र में जागृति उत्पन्न कर दी थी और शिक्षित भारतीयों ने 'आयोग' के समक्ष तत्कालीन भारतीय शिक्षा के कुछ दोषों की ओर संकेत किया था। उन्होंने प्रचलित शिक्षा-प्रणाली से असन्तुष्ट होकर अनेक व्यक्तिगत शिक्षा संस्थाओं का निर्माण किया था, जिनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय था क्योंकि वे कतिपय बातों में राजकीय तथा मिशन स्कूलों के भिन्न थीं। इन विद्यालयों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं—

- १ इनका संचालन भारतीयों द्वारा किया जाता था।
- २ स्कूल-प्रबन्धका और शिक्षकों में आत्म-त्याग तथा निस्वार्थ सेवा की भावना थी।
- ३ धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था थी।
- ४ भारतीयों की सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये निर्धारित पाठ्य-क्रम में कुछ और विषय सम्मिलित कर दिये गये थे।
- ५ प्राचीन परम्पराओं और सभ्यता के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिये संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाता था।
- ६ आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षण का और विशेष ध्यान दिया जाता था।
- ७ विद्यार्थियों से कम शुल्क लिया जाता था।

इन विद्यालयों के सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि ये राजकीय शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत थे। इनका प्रमुख उद्देश्य—प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के कुछ दोषों को दूर करना था। इनमें से अधिकांश किसी विशेष सम्प्रदाय के द्वारा स्थापित किये गये थे। अतः इनको 'राष्ट्रीय विद्यालयों' की संज्ञा देना उपयुक्त न होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा की माँग—हम ऊपर लिख चुके हैं कि बग भग के शीघ्र बाद ही राष्ट्रीय आन्दोलन ने जोर पकड़ा और राष्ट्रीय शिक्षा की माँग की गई। ज्यो-ज्यो राष्ट्रीय आन्दोलन उग्रता धारण करता गया, त्यो त्यो भारतीय शिक्षा के राष्ट्रीयकरण अथवा स्वदेशीकरण की माँग प्रबल होती गई। ऐनी बेसेन्ट ने भारतीय शिक्षा के आम्लीकरण की अत्यधिक निन्दा करते हुए कहा कि भारत के राष्ट्रीय जीवन एवं राष्ट्रीय चरित्र को निर्बल बनाने के लिये भारतीय शिक्षा पर विदेशी प्रभुत्व से अधिक उत्तम उपाय और कोई नहीं हो सकता है।^१

महात्मा गांधी ने भी जोरदार शब्दों में भारतीय शिक्षा के विदेशी स्वरूप की कटु आलोचना की। उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में निम्नांकित दोष बताये —

- १ यह अन्यायपूर्ण शासन से सम्बन्धित है।
- २ यह विदेशी संस्कृति पर आधारित है और भारतीय संस्कृति को इससे पूर्णतया बहिष्कृत कर दिया गया है।
- ३ इसका एकमात्र उद्देश्य—मानसिक विकास करना है। इसका हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसमें हाथ के कार्य का कोई स्थान नहीं है।
- ४ इसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। वास्तविक शिक्षा, विदेशी माध्यम के द्वारा नहीं दी जा सकती है।^२

राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा

१९०५ से १९२१ तक भारतीय स्वतन्त्रता सघर्ष के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा की माँग पर देश के नेता बल देते रहे। ऐनी बेसेन्ट और महात्मा गांधी के अतिरिक्त अन्य भारतीयों ने भी तत्कालीन शिक्षा प्रणाली के दोषों का विश्लेषण किया। परन्तु जब राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा निश्चित करने का प्रश्न उठता था, तब भारतीय नेता

1 "Nothing can more swiftly emasculate national life, nothing can more surely weaken national character, than allowing the education of the young to be controlled by foreign influences, to be dominated by foreign ideals" —Quoted by Lala Lajpat Rai in *The Problem of National Education in India*, p 28

2 'The existing system of education is defective, apart from its association with an utterly unjust Government, in three most important matters (a) It is based upon foreign culture to the almost entire exclusion of indigenous culture, (b) It ignores the culture of the heart and the hand, and confines itself simply to the head and (c) Real education is impossible through a foreign medium"—Mahatma Gandhi *Young India* (1919 22), p 451

और शिक्षा-विशेषज्ञ एकमत नहीं हो पाते थे। प्रारम्भ में ऐसा होना स्वाभाविक था। परन्तु समय की गति के साथ-साथ उनके विचारों में स्थिरता आती चली गई और कुछ आधारभूत सिद्धान्तों पर राष्ट्रीय शिक्षा की रूप-रेखा निर्धारित कर दी गई। ये सिद्धान्त अधोलिखित थे।—

(१) भारतीय नियंत्रण—राष्ट्रीय नेताओं ने भारतीय शिक्षा पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रबल विरोध किया। उन्होंने माँग की—कि शिक्षा को पूर्णतया भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाय। “भारतीय शिक्षा ऐसी होनी चाहिये, जो भारतीय धार्मिक भावना से सराबोर होते हुए भी साम्प्रदायिकता से पृथक् रहे और छात्रों के समक्ष भक्ति, ज्ञान एवं नैतिकता के भारतीय आदर्शों की उपस्थित करे।”¹

(२) स्वदेश-प्रेम की शिक्षा—प्रचलित शिक्षा-प्रणाली में राजभक्ति की शिक्षा दी जाती थी और भारतीय परम्पराओं तथा संस्कृति का कोई स्थान नहीं था। ऐसी शिक्षा-प्रणाली को सर्वथा अनुपयुक्त ठहराया गया और कहा गया कि छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिये, जिससे उनमें स्वदेश-प्रेम की भावना प्रस्फुटित हो। इन उद्देश्य की प्राप्ति के लिये पाठ्य-क्रम में भारतीय साहित्य, इतिहास, विज्ञान, कला-कौशल और राजनीति आदि को सम्मिलित किया जाए।²

(३) दास्य अनुकरण का अन्त—प्रचलित शिक्षा-प्रणाली का उद्देश्य—भारतीयों पर पाश्चात्य आदर्शों को लादना और एक ऐसा वर्ग तैयार करना था, जो भारतीय होते हुए भी पाश्चात्य विचारों का हो। ऐसी शिक्षा-प्रणाली को दोष-युक्त बताया गया। अतः राष्ट्रीय नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जो छात्रों के समक्ष भारतीय राष्ट्रीयता की विशेषताओं को रखे। इन्हीं विशेषताओं के अनुसार छात्रों का चारित्रिक एवं मानसिक विकास किया जाना चाहिये। “ब्रिटिश आदर्श ब्रिटेन के लिये अच्छे हैं, परन्तु भारतीय आदर्श ही भारत के लिये अच्छे होंगे।”

1. “It must be controlled by Indians, shaped by Indians, carried on by Indians. It must hold up Indian ideals of devotion, wisdom and morality, and must be permeated by the Indian religious spirit rather than fed on the letter of the creeds.”—Annie Besant in *The Problem of National Education in India*, p. 28.

2. “National education must live in an atmosphere of proud and glorious patriotism and this atmosphere must be kept sweet, fresh and bracing by the study of Indian literature, Indian history, Indian triumphs in science, in art, in politics, in war, in colonization, in manufactures, in trade, in commerce.”—p. 29.

भारत की राष्ट्रीयता से अधिक श्रेष्ठ और अधिक उत्तम राष्ट्रीयता का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है।¹

(४) पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञानों का अध्ययन—राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थकों ने अनुभव किया कि विज्ञान के इस प्रगतिशील युग में भारत का बाह्य देशों से सम्पर्क स्थापित होना आवश्यक है। यह उसी दशा में सम्भव होगा, जब पाठ्य-क्रम में पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञानों को उचित स्थान दिया जाय और भारतीय छात्रों को उनमें विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिये प्रत्येक प्रकार की सुविधा प्राप्त हो। लाला लाजपत राय का मत था कि—“यूरोपियन भाषाओं, साहित्य और विज्ञानों के अध्ययन को भारत में प्रोत्साहन न देना भूलता और पागलपन होगा। अभी हमें उनका यथेष्ट ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है।”²

(५) अंग्रेजी के प्रभुत्व का अन्त—राष्ट्रीय शिक्षा में अंग्रेजी का प्रभुत्व अवाञ्छनीय है। अंग्रेजी को न तो पाठ्य-क्रम में प्रधानता दी जाय, और न इसे शिक्षा का माध्यम ही रखा जाय। इसके विपरीत, भारतीय भाषाओं को प्रमुखता दी जाय। गांधीजी के मतानुसार—अंग्रेजी का अध्ययन केवल व्यावसायिक और राजनैतिक लाभ के लिये किया जाता था। मनुष्य अन्ध्रा राजपद और स्त्रियाँ उत्तम वर प्राप्त करने के विचार से अंग्रेजी का अध्ययन करते थे। समाज में अंग्रेजी का धुन लग गया था और यह दासता एवं पतन का प्रतीक था।³ साहित्य में रुचि रखने वाले भारतीय अंग्रेजी का अध्ययन तो करें, परन्तु एक भी भारतीय को अपनी मातृभाषा की अवहेलना नहीं करनी चाहिये।⁴

1. “British ideals are good for Britain, but it is India’s ideals that are good for India. India is herself, and need not to be justified, for verily, God has evolved no greater, no more exquisite nationality than India’s”—Annie Besant in *The Problem of National Education in India*, pp. 29-30.

2. “In my judgment it will be a folly and madness to try to discourage the study and dissemination of European languages, European literatures and European sciences in India. The fact is that we have not had enough of them.”—Lala Lajpat Rai : *op. cit.*, p. 85.

3. “Our boys think that without English they cannot get Government service. Girls are taught English as a passport for marriage. The canker has so eaten into the society that in many cases the only meaning of education is a knowledge of English. All these are for me signs of our slavery and degradation.”

—Mahatma Gandhi . *op. cit.*, pp. 822-823.

4. “I would have our young men and women with literary tastes to learn as much of English and other world languages as they like. But I would not have a single Indian to forget, neglect or be ashamed of his mother-tongue.”—*Ibid* . p. 484.

(६) व्यावसायिक शिक्षा पर बल—तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली ने देश के आर्थिक विकास में योग नहीं दिया था। अतः उसकी निन्दा की गई। भारतीय जनमत इस पक्ष में था कि राष्ट्रीय शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को उचित स्थान दिया जाए। ऐसा करने से ही देश की आर्थिक समस्या का समाधान होगा और जनता को निर्भरता से मुक्ति मिलेगी। भारत की प्रत्यक्ष निर्धनता का आधारभूत कारण—व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है। अतः राष्ट्रीय शिक्षा का प्रथम उद्देश्य—भारतीयों को ऐसी व्यावसायिक शिक्षा देना होना चाहिये जिससे वे अधिक धनोपार्जन कर सकें।¹

दुर्भाग्यवश, व्यावसायिक शिक्षा के प्रश्न पर भारतीय नेताओं में मतभेद न हो सका। कुछ नेता मशीनों के प्रयोग के पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में। गांधी जी की बेसिक शिक्षा की अपनी एक अलग योजना थी। इस मत-विभिन्नता के बावजूद भी उपरोक्त सिद्धान्तों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा की एक निश्चित योजना तैयार हो गई। परन्तु उसको प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय की शिक्षा तक कार्यान्वित करना सरल नहीं था। विद्यालयों के नव-निर्माण के लिये धन, विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों और नवीन पाठ्य-क्रम आदि की आवश्यकता थी। किन्तु इन कठिनाइयों ने कर्म-क्षेत्र में अवतरित नि स्वार्थ देश-सेवकों को हतोत्साहित न किया और वे राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था करने में जुट गये।

राष्ट्रीय विद्यालयों का निर्माण

राष्ट्रीय विद्यालयों के निर्माण की दिशा में जो प्रयास किये गये, उन्हें निम्न-लिखित दो कालों में विभाजित किया जा सकता है :—

१. (१९०५-१९११)—१९०५ में बंगाल-विभाजन की घोषणा के फलस्वरूप सम्पूर्ण देश में विरोध की लहर दौड़ गई। भारतीयों और विद्यार्थियों ने अपना विरोध व्यक्त करने के लिये सभायों की और जलूस निकाले। इस पर सरकार का दमन-चक्र प्रारम्भ हुआ। छात्रों को राजनीति से पृथक् रहने के लिये आदेश दिया गया, और इन आज्ञा का पालन न करने पर उनको विद्यालय से निकाल दिये जाने की धमकी दी गई। छात्रों के इसका उत्तर स्वयं ही विद्यालयों का आविष्कार करके दिया। इन नवयुवकों की शिक्षा का प्रबन्ध करना राष्ट्रीय कर्त्तव्य समझा गया। अतः, बंगाल में गुरुदास बंदर्जी की अध्यक्षता से 'राष्ट्रीय शिक्षा-समिति'² का संगठन किया गया। इस समिति ने पश्चिमी बंगाल में ११, और पूर्वी बंगाल में ४० राष्ट्रीय हाई स्कूलों का निर्माण किया।³

1. "India's phenomenal poverty is one of the tragic facts of its life, and it is mainly due to the lack of means of education. Under the circumstances, the first aim of all publicly imparted education in India should be to increase the productive capacity of its citizens."—Lala Lajpat Rai : *op. cit.*, p. 209.

2. "Society for the Promotion of National Education in Bengal."

3. *Quinquennial Review of the Progress of Education in India* (1907-12), para 670

बंगाल के बाहर इस प्रकार के स्कूलों की स्थापना नहीं हुई। केवल पूना के निकट तालेगाँव स्थान पर 'समर्थ विद्यालय' निर्मित किया गया।

बंगाल में गुरुदास बनर्जी के अतिरिक्त, रासबिहारी घोष तथा रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार में सराहनीय योग दिया। इनके संयुक्त प्रयास से कलकत्ता में 'नेशनल कॉलेज' स्थापित किया गया और श्री अरविन्द इसके प्रथम प्रिंसिपल नियुक्त हुए। कलकत्ता में एक 'टेकनिकल इंस्टीट्यूशन' का भी निर्माण किया गया, जिसने आगे चलकर 'जादवपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेकनॉलॉजी' का रूप धारण किया।

'राष्ट्रीय शिक्षा-आन्दोलन' एक अन्य रूप में भी दृष्टिगोचर हुआ। १९०१ में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने शान्तिनिकेतन में एक 'ब्रह्मचर्य आश्रम' खोला, जो आज 'विश्व-भारती' के रूप में विकसित दिखाई देता है। इसी समय के लगभग 'आर्य-प्रतिनिधि सभा' ने वृन्दावन और हरिद्वार में गुरुकुल स्थापित किये। उनमें वैदिक मन्त्रों की मधुर ध्वनियाँ भारत के अतीत की गौरव-गाथा गुंजरित करने लगीं।

इस काल में भारत का बच्चा-बच्चा राष्ट्रीय शिक्षा की भावनाओं से सराबोर हो गया। ऐसा प्रतीत होता था, मानो नवनिर्मित राष्ट्रीय विद्यालयों में प्राचीन भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का पुनरुत्थान अनिवार्य रूप से होगा। परन्तु दुर्भाग्य-वश, राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन धीरे-धीरे शिथिल पड़ता गया और १९११ में बंगाल-विभाजन के अन्त के साथ वह भी समाप्त हो गया। कलकत्ता का 'नेशनल कॉलेज' बन्द हो गया और अन्य विद्यालय भी विलीन हो गये।

२. (१९२०-१९२२)—१९२० में राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन फिर प्रारम्भ हुआ। मॉटग्यू-चेल्सफोर्ड योजना (Montagu-Chelmsford Reform : १९१९) के सुधारों से असंतुष्ट और जलियाँवाला बाग के हत्याकाण्ड (१९१९) से आतंकित भारतीयों ने १ अगस्त, १९२० को महात्मा गांधी ने नेतृत्व में 'असहयोग आन्दोलन' प्रारम्भ किया। १९२० में कांग्रेस के 'नागपुर अधिवेशन' में महात्मा गांधी ने जनता से अपने बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों से हटा लेने की ओर विभिन्न प्रान्तों में राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों को स्थापित करने की अपील की।^१ गांधी जी की अपील व्यर्थ न गई। सहस्रों विद्यार्थियों ने विद्यालयों का बहिष्कार कर दिया। इस कार्य में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र अग्रणी रहे। उन्होंने विश्वविद्यालय के राष्ट्रीयकरण की माँग की, पर उन्हें सफलता न प्राप्त हुई। इस आन्दोलन में भाग लेने के लिये जिन छात्रों ने विश्वविद्यालय का बहिष्कार किया था, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये मौलाना मुहम्मद अली ने अलीगढ़ में 'जामिया मिलिया इस्लामिया' नामक विश्व-विद्यालय स्थापित किया। यह विश्वविद्यालय १९२५ में उठकर दिल्ली चला गया। भारत के अन्य भागों में भी अलीगढ़ का अनुकरण किया गया और ४ माह से कम में ही

‘बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ’ और अन्य प्रकार के अनेक राष्ट्रीय स्कूलों तथा कॉलेजों की स्थापना हो गई।

१९२० का राष्ट्रीय शिक्षा-आन्दोलन, असहयोग आन्दोलन का एक अङ्ग था। ५ फरवरी, १९२२ को चौरीचौरा नामक स्थान के गांधी जी को हिंसा के प्रयोग का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। फलस्वरूप, उन्होंने असहयोग आन्दोलन सत्सा स्थगित कर दिया। इसका प्रभाव राष्ट्रीय शिक्षा-आन्दोलन पर भी पडा, और उनमें शैथिल्य आ गया। परन्तु प्रथम काल के आन्दोलन से अधिक व्यापक और सक्रिय होने के कारण यह चलता रहा और राष्ट्रीय शिक्षा-प्रसार की दिशा में लाभप्रद कार्य करता रहा। इससे अंग्रेज शासकों को यह विश्वास हो गया कि तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली और उसके उद्देश्यों में परिवर्तन करना आवश्यक था। राष्ट्रीय विद्यालयों के निर्माण ने शिक्षा-सुधारका को सशक्त बना दिया और उन्होंने राष्ट्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय शक्ति को एकत्रित तथा संगठित करने के लिए सक्रिय आन्दोलन की राह पकड़ ली।

१९२१-२२ तक विभिन्न प्रान्तों में स्थापित किये गये राष्ट्रीय स्कूलों तथा कॉलेजों की संख्या का ज्ञान नीचे दी गई तालिका से हो जाता है —

राष्ट्रीय स्कूल तथा कॉलेज (१९२१-२२)^१

प्रान्त	शिक्षा-संस्थायें	विद्यार्थी
असम	३८	१,६०८
बंगाल	१६०	१४,८१६
बिहार व उड़ीसा	४४२	१७,३३०
संयुक्त प्रान्त	१३७	८,४७६
पंजाब	६६	६,३३८
मध्य-प्रान्त	८६	१७,१००
बम्बई	१८६	५,०७२
मद्रास	६२	१,३७५
अन्यत्र	१४	

राजकीय शिक्षा प्रयास (१९०५-२१)

लाइव वॉर्न की विदा से पूर्व ही भारत में राजनैतिक तथा सामाजिक हलचल प्रारम्भ हो गई थी। राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा की माँग

1. *Quinquennial Review of the Progress of Education in India (1917-22)*, p 5

की। १९१० में शिक्षा का विषय भारत-सरकार ने गृह-विभाग के अन्तर्गत न रखा जाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और मूमि-सम्बन्धी नए विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया। उसी वर्ष गोपाल कृष्ण गोखले ने नि.शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अपना ऐतिहासिक विधेयक केन्द्रीय धारा-सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस समय विधेयक पर तीसरी बार वाद-विवाद चल रहा था, उस समय सम्राट् जार्ज पचम् १२ दिसम्बर, १९११ को भारत में भ्रमणार्थ पधारे। दिल्ली-दरबार में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किये जाने के लिए ५० लाख रुपये की अतिरिक्त धन-राशि देने का आदेश दिया। ६ जनवरी, १९१२ को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में जनता को अपना सन्देश देते हुए कहा—“मिरी यह इच्छा है कि सम्पूर्ण देश में स्कूलों और कॉलेजों का एक ताना-बाना फैल जाय, जहाँ से उद्योगों तथा कृषि और जीवन के समस्त व्यवसायों में कुछ कर दिखाने वाले योग्य, उपयोगी, विश्वसनीय एवं साहसी नागरिक शिक्षा प्राप्त करके निकला करें।”^१

उपरिर्कथित परिस्थितियों से वाध्य होकर सरकार को अपनी शिक्षा-नीति पर पुनर्विचार करना पडा। फलस्वरूप, २१ फरवरी, १९१३ को नवीन ‘शिक्षा-नीति-सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव’ प्रकाशित किया गया।

‘शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव’(१९१३)^२

इस प्रस्ताव में शिक्षा-नीति के आधारभूत सिद्धान्तों की निर्धारित किया गया और शिक्षा के विभिन्न अंगों के विस्तार तथा उन्नति के लिए सिफारिशों की गईं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नाद्धृत है—

१. आधारभूत सिद्धान्त

१. शिक्षा-संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करने की अपेक्षा उनके शिक्षण-स्तर को ऊँचा उठाया जाय।
२. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को जीवनोपयोगी तथा व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाय।
३. भारत में उच्च शिक्षा तथा अनुसन्धान की व्यवस्था की जाय, जिससे छात्रों को विदेश जाये बिना यहाँ पर्याप्त सुविधाये उपलब्ध हो जायें।

1. “It is my wish that there may be spread over the land a network of schools and colleges, from which will go forth loyal and manly and useful citizens, able to hold their own in industries and agriculture and all the vocations in life.”—*Government Resolution on Educational Policy, 1913*, p. 1.

2. *Government Resolution on Educational Policy, 1913.*

२ प्राथमिक शिक्षा-सम्बन्धी सिफारिशें

- १ पूर्व-प्राथमिक (Lower Primary) स्कूलों का अधिक विस्तार किया जाय और उनमें लिखने-पढ़ने और गणित के अतिरिक्त ड्राइंग, गांव का नक्शा, प्रकृति-निरीक्षण एवं शारीरिक व्यायाम की शिक्षा दी जाय।
- २ उपयुक्त स्थानों पर उत्तर-प्राथमिक (Upper Primary) स्कूलों की स्थापना की जाय, और आवश्यकतानुसार लोअर प्राइमरी स्कूलों को अपर प्राइमरी स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाय।
- ३ जिला-परिपदों एवं स्थानीय सस्थाओं द्वारा अधिक स्कूल खोले जायें। जहाँ यह सम्भव न हो सके, वहाँ व्यक्तिगत स्कूलों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाय।
- ४ मकतबों तथा पाठशालाओं को उदारतापूर्वक सहायता-अनुदान किया जाय।
५. व्यक्तिगत स्कूलों के उत्तम प्रबन्ध तथा नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की जाय।
- ६ भारत के अधिकांश भागों में ग्रामों एवं नगरों के विद्यालयों के लिए विभिन्न पाठ्य-क्रम निश्चित करना असम्भव है। फिर भी नगर विद्यालयों में भूगोल और पर्यटन आदि विषयों को बढ़ाया जा सकता है।
- ७ जिस वर्ग के छात्र हों, उसी वर्ग के शिक्षक नियुक्त किये जायें।
- ८ शिक्षक मिडिल पास और एक वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हों।
९. शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश में अपने ज्ञान को नवीन करने के लिए अल्प कालीन दीक्षा की सुविधा दी जाय।
- १० प्रशिक्षित अध्यापकों को १२ रुपये मासिक से कम वेतन न दिया जाय और उनकी पदोन्नति, पेंशन अथवा प्रॉविडेण्ट फण्ड की व्यवस्था की जाय।
- ११ किसी भी अध्यापक से ५० से अधिक छात्रों को शिक्षा देने के लिए न कहा जाय। साधारणतया कक्षा में ३० से ४० तक विद्यार्थी हों।
- १२ मिडिल एवं वर्निक्यूलर स्कूलों में सुधार किया जाय और उनकी संस्था में वृद्धि की जाय।
- १३ विद्यालयों में काफी स्थान हो। साथ ही वे स्वच्छ एवं सस्ते हों।

३. माध्यमिक शिक्षा-सम्बन्धी सिफारिशें

- १ माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का पूर्ण पलायन उचित नहीं है।
२. राजकीय स्कूलों की संख्या में वृद्धि न की जाय, अपितु उनकी आगं बनाने का प्रयास किया जाय।

- ३ राजकीय स्कूलों में केवल प्रशिक्षित स्नातक ही अध्यापक नियुक्त किये जायें।
- ४ इन शिक्षकों का निश्चित ग्रेड एवं वेतन हो। न्यूनतम वेतन ८०) रुपये मासिक एवं उच्चतम ४००) रुपये मासिक हो।
- ५ राजकीय स्कूलों के छात्रों के लिये छात्रावासों की उचित व्यवस्था की जाय।
- ६ गैर-सरकारी स्कूलों को उदारतापूर्वक सहायता अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाय।
- ७ हाई स्कूल के पाठ्य-क्रम में इस प्रकार सुधार किया जाय कि वह स्वतः एक पूर्ण इकाई हो जाय।
- ८ पाठ्य क्रम में मनुअल ट्रेनिंग एवं विज्ञान ऐसे आधुनिकतम विषयों का सम्मिलित किया जाय।
- ९ छात्रों को स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा दी जाय और उनका 'स्वास्थ्य निरीक्षण' (Medical Examination) की व्यवस्था की जाय।
- १० माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण-स्तर को ऊँचा उठाने के लिये प्रशिक्षण-महाविद्यालय स्थापित किये जायें।
- ११ माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिये 'स्कूल फाइनल' परीक्षा की व्यवस्था की जाय और इसका प्रबंध विश्वविद्यालय द्वारा न किया जाकर, किसी अन्य संस्था द्वारा किया जाय।
- १२ इन विद्यालयों पर कड़ा नियन्त्रण रखा जाय, जिससे वे अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि करें।

४ विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा

- १ विश्वविद्यालयों ने अनेक कठिनाइयों का सामना करके भी उत्तम कार्य किया है, परन्तु विश्वविद्यालयों की दशा अच्छी नहीं है। अब उनमें सुधार की आवश्यकता है।
- २ भारत में अभी बहुत समय तक परीक्षक विश्वविद्यालयों की आवश्यकता रहेगी, परन्तु उनकी प्रादेशिक सीमाओं का निश्चित कर देना आवश्यक है।
- ३ इस समय देश में ५ विश्वविद्यालय और १८५ कॉलेज हैं। ये देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हैं। अतः विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाए और प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय।
- ४ विश्वविद्यालयों का कार्य बहुत बढ़ गया है। अतः उन्हें हाई स्कूलों को मायता प्रदान करने के कार्य से मुक्त कर दिया जाय। यह कार्य प्रांतीय सरकारों और देशी राज्यों को सौंप दिया जाय।

- ५ विश्वविद्यालयों में औद्योगिक विषयों की शिक्षा और अनुसन्धान कार्य की व्यवस्था की जाय ।
- ६ ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया जाय, जो शिक्षण-कार्य करना चाहते हैं ।
७. विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों, छात्रावासों और प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया जाय ।
- ८ विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के चरित्र-निर्माण और सामाजिक, नैतिक एवं बौद्धिक शक्तियों के विकास का वातावरण उपस्थित किया जाय ।

टिप्पणियाँ

१९१३ के 'सरकारी प्रस्ताव' में प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा की उन्नति तथा विस्तार के लिये महत्त्वपूर्ण सिफारिशों की गईं । परन्तु इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये शिक्षा-मर्मज्ञों की सम्मति आवश्यक थी । अतः एक अन्य शिक्षा-आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया । किन्तु १९१४ में प्रथम विश्व-युद्ध प्रारम्भ होने से आयोग की नियुक्ति की न जा सकी और मसलत शिक्षा-सुधार कुछ समय के लिये केवल कागज पर ही लिखे रह गये । महायुद्ध के उपरान्त भारत-सरकार ने कलकत्ता-विश्वविद्यालय की शिक्षा की जाँच और उसकी दशा में सुधार करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया ।

कलकत्ता-विश्वविद्यालय-आयोग (१९१७)^१

नियुक्ति का कारण—१९१६ में कलकत्ता-विश्वविद्यालय में सर आमुतोप मुकर्जी के प्रयास से 'स्नातकोत्तर विभाग' (Post-Graduate Department) खोला गया । इस विभाग की स्थापना द्वारा सर आमुतोप एक नवीन प्रयोग का उद्घाटन करने के लिये अत्यन्त उत्सुक थे । वे चाहते थे कि स्नातकोत्तर शिक्षण का कार्य विश्वविद्यालय में ही किया जाय । जब सरकार का ध्यान इस ओर गया, तब उसने विश्वविद्यालय की जाँच के लिये १४ सितम्बर, १९१७ को एक आयोग की नियुक्ति की ।

सदस्य—इस 'आयोग' के अध्यक्ष 'लीड्स (Leeds) विश्वविद्यालय' के उप-कुलपति, डा० माइकेल सैडलर (Michael Sadler) थे । अध्यक्ष के नाम पर इस 'आयोग' को 'सैडलर आयोग' भी कहा जाता है । 'आयोग' के अन्य सदस्यों में डा० ग्रेगरी (Gregory), सर फिलिप हार्टोग (Sir Philip Hartog) प्रोफेसर रैम्स म्योर (Ramsy Muir), बंगाल के शिक्षा-संचालक, सर आमुतोप मुकर्जी और उत्तर प्रदेश बोर्ड के सदस्य, डा० जियाउद्दीन अहमद थे ।

1. The Calcutta University Commission (Sadler Commission).

जाँच का विषय—‘आयोग द्वारा जाँच का विषय था—‘कलकत्ता विश्व-विद्यालय की अवस्था एवं आवश्यकता की जाँच करना और उससे सम्बन्धित समस्याओं का रचनात्मक ढंग से समाधान करने का सुझाव देना । ^१

अधिकार-क्षेत्र—यह ‘आयोग केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था । परन्तु तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से इसको अन्य विश्वविद्यालयों की भी जाँच करने का अधिकार दे दिया गया ।

रिपोर्ट—‘आयोग ने लगभग १७ माह के अथक परिश्रम के उपरान्त मार्च, १९१९ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । रिपोर्ट बहुत विस्तृत है और १३ भागों में विभाजित है । इसके अन्तर्गत माध्यमिक, कॉलेजिय एव विश्वविद्यालय शिक्षा का पूर्ण विवेचन किया गया और उन पर रचनात्मक सिफारिशों की गई हैं । ‘आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को विश्वविद्यालय की शिक्षा का आधार मानकर उसका सूक्ष्म परीक्षण किया है ।

सुझाव—‘आयोग’ ने माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के अतिरिक्त स्त्री शिक्षा, अध्यापकों के प्रशिक्षण, प्रौद्योगिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में भी सुझाव दिए । हम इनका विस्तृत वर्णन नीचे दे रहे हैं —

आयोग के सुझाव

‘आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा का आधार माना । अतः उसका विचार था कि जब तक माध्यमिक शिक्षा के दोषों का दूर करके उसकी वाया-भलट नहीं की जायगी, तब तक विश्वविद्यालय की शिक्षा में किसी प्रकार का सुधार करना सम्भव नहीं होगा ।

(१) माध्यमिक शिक्षा के दोष—‘आयोग’ के मतानुसार माध्यमिक शिक्षा के निम्नांकित दोष थे —

- १ माध्यमिक शिक्षा का पर्याप्त विस्तार हुआ है, पर उसमें गुणात्मक उन्नति नहीं हुई है ।
- २ माध्यमिक विद्यालयों की निम्नकोटि की शिक्षा का प्रमुख कारण—मुयोग्य अध्यापकों का अभाव है । उन्हें इतना कम वेतन मिलता है कि वे इस व्यवसाय की ओर आकर्षित नहीं होते हैं ।
- ३ माध्यमिक विद्यालयों में उचित शिक्षण-सामग्री एवं उपयोगी साधन उपस्थित नहीं हैं ।

1 “To enquire into the condition and prospects of the University of Calcutta and to consider the question of a constructive policy in relation to the question it presents’—Quoted by [S N Mukerji] *op cit*, p 216

४. माध्यमिक शिक्षा का दृष्टिकोण मंगुचित है, क्योंकि उस पर सार्वजनिक परीक्षाओं का दूषित प्रभाव है।
५. ऐसे अनेक विषय हैं, जो माध्यमिक विद्यालयों ने लिये महत्वपूर्ण तथा उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। परन्तु उन विषयों को माध्यमिक विद्यालयों में न पढाया जाकर इन्टरमीडियेट कॉलेजों में पढाया जाता है।
६. अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में धन का अभाव है। अतः उनकी कार्य-क्षमता न्यून है।

(२) माध्यमिक शिक्षा-सम्बन्धी सुझाव—'आयोग' का कथन था कि विश्व-विद्यालय की शिक्षा के सुधारार्थ माध्यमिक शिक्षा का पुनर्संज्ञक आवश्यक था। इस सम्बन्ध में 'आयोग' के सुझाव अधोलिखित थे :—

१. विश्वविद्यालयों में उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाय, जो इन्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों, और बी० ए० का कोर्स ३ वर्ष का कर दिया जाय।
२. इन्टरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से पृथक् कर दिया जाय। इन कक्षाओं की शिक्षा देने के लिये इन्टरमीडिएट कॉलेज स्थापित किये जायें।
३. इन्टरमीडिएट कॉलेजों में इंजीनियरिंग, चिकित्सा, वाणिज्य, अध्यापन, विज्ञान, कला और कृषि आदि विषयों की शिक्षा दी जाय।
४. इन कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा में हो।
५. प्रत्येक प्रान्त में माध्यमिक शिक्षा-परिषद्, (Board of Secondary & Intermediate Education) की स्थापना की जाय। माध्यमिक विद्यालयों और इन्टरमीडिएट कॉलेजों के निरीक्षण एवं नियन्त्रण का भार इन परिषदों को सौंप दिया जाय।
६. ये परिषदें, शिक्षा-विभाग के नियन्त्रण से मुक्त रखे जायें। इनकी प्रबन्ध-कारिणी में सरकार, विश्वविद्यालय, इन्टरमीडिएट कॉलेजों तथा हाई स्कूलों के प्रतिनिधि हों।

इन परिषदों के निर्माण का सुझाव 'आयोग' ने इस उद्देश्य से दिया था कि विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा के भार से मुक्त हो जायें और अपने ध्यान को पूर्णतः उच्च शिक्षा पर केन्द्रित कर सकें।

(३) कलकत्ता-विश्वविद्यालय-सम्बन्धी सुझाव—माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त 'आयोग' ने कलकत्ता-विश्वविद्यालय की समस्याओं को गहन अध्ययन किया, और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेजों और उनमें शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या इतनी अधिक हो गई थी कि विश्वविद्यालय उनका समुचित प्रबन्ध करने में असमर्थ था। इस सम्बन्ध में 'आयोग' ने अप्राकृतिक ३ सुझाव दिये :—

- १ ढाका मे शीघ्र ही एक 'सावास एव शिक्षण-विश्वविद्यालय' (Residential & Teaching University) की स्थापना की जाय ।
- २ कलकत्ता नगर की शिक्षा-सस्याओ को इस प्रकार संगठित किया जाय कि एक वास्तविक शिक्षण विश्वविद्यालय का निर्माण हो जाय ।
- ३ नगर के समीपवर्ती कॉलेजा का संगठन इस दृष्टि से किया जाय कि उपयुक्त स्थान पर नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए ।

(४) भारतीय विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में सामान्य मुद्दाव—'आयोग' ने भारतीय विश्वविद्यालयों के कार्यों, संगठन तथा आन्तरिक शासन के सम्बन्ध में सुझाव दिये । हम इनका विवरण नीचे दे रहे हैं —

- १ विश्वविद्यालयों पर सरकार का नियन्त्रण बहुत कठोर है, और उन्हें अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता नहीं है । अतः यह वाछनीय है कि उन्हें आर्थिक स्वतन्त्रता दी जाय ।
- २ विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को अधिक अधिकार प्रदान किये जायें ।
- ३ 'पास कोर्स' (Pass Course) के अतिरिक्त 'आनर्स' (Honours Course) का भी प्रबन्ध किया जाय । वी० ए० के कोर्स की अवधि ३ वर्ष कर दी जाय ।
- ४ विश्वविद्यालयों के लिये सरकारी नौकरी प्रणाली का पालन करना उपयुक्त नहीं है । अतः प्रोफेसर और रीडरों की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जाय, जिसमें शिक्षा के विशेषज्ञ भी रखे जायें ।
- ५ विश्वविद्यालयों के आन्तरिक प्रशासन के लिये 'सिनेट' के स्थान पर 'कोर्ट' और 'सिंडीकेट' के स्थान पर 'कार्यकारिणी समिति' स्थापित की जाय ।
- ६ परीक्षा, पाठ्य-क्रम, उपाधि वितरण और अनुसन्धान आदि शैक्षणिक कार्यों का करने के लिये 'एकेडेमिक समिति' (Academic Council) की स्थापना की जाय ।
- ७ विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों की उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय यथा—व्यावसायिक, इंजीनियरिंग, अध्यापन, डाक्टरों, कानून, कृषि—आदि ।
- ८ उप कुलपति का पद वैतनिक कर दिया जाय ।
- ९ विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिये विश्वविद्यालय में एक 'डाइरेक्टर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग', नियुक्त किया जाय ।
- १० मुस्लिम-शिक्षा पिछड़ी हुई अवस्था में है । अतः मुसलमान छात्रों को विशेष भुविधा देकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिय प्रोत्साहित किया जाय ।

(५) स्त्री-शिक्षा—स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार करने के लिये 'आयोग' ने नीचे लिखे सुझाव दिये —

१. जो लड़कियाँ १५-१६ वर्ष की आयु तक शिक्षा का लाभ उठाना चाहती हैं, उनके लिये सरकार द्वारा-पर्दा-स्कूलों की व्यवस्था की जाय।
२. कलकत्ता-विश्वविद्यालय में 'स्पेशल बोर्ड ऑफ वीमेन्स एजुकेशन' का निर्माण किया जाय। यह बोर्ड—स्त्रियों के लिये विशेष पाठ्यक्रम तैयार करे और उन्हें अध्यापिका-प्रशिक्षण तथा चिकित्सा-शिक्षा की सुविधा दे।
३. सह-शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाय।

(६) अध्यापक-प्रशिक्षण—'आयोग' की दृष्टि में माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव था। अतः उसने दीक्षित अध्यापकों की संख्या में वृद्धि करने के लिये कुछ सुझाव दिये, जैसे—

१. बी० ए० एवं इन्टरमीडिएट कक्षाओं के पाठ्य-क्रमों में 'शिक्षा' के विषय को स्थान दिया जाय।
२. कलकत्ता एवं ढाका-विश्वविद्यालयों में शिक्षा-विभाग की स्थापना की जाय।

(७) प्रौद्योगिक शिक्षा—'आयोग' ने भारतीयों के लिये प्रौद्योगिक (Technological) शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव किया। अतः उसने सुझाव दिया कि—

१. विश्वविद्यालयों के पाठ्य-क्रम में प्रौद्योगिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाय।
२. इस शिक्षा की परीक्षा की व्यवस्था की जाय और सफल छात्रों को उपाधियाँ प्रदान की जायें।

(८) व्यावसायिक शिक्षा—अपनी जाँच के आधार पर 'आयोग' इस परिणाम पर पहुँचा कि भारतीय छात्रों की साहित्यिक शिक्षा में अधिक अभिहित थी। इसका कारण 'आयोग' के विचार में 'व्यावसायिक' (Professional & Vocational) शिक्षा का अभाव था। अतः, व्यावसायिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिये 'आयोग' ने अधोलिखित सुझाव दिये :—

१. विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
२. इन्टरमीडिएट कक्षाओं के पाठ्य-क्रम को दोहराया जाय और उनमें आवश्यकतानुसार व्यवसाय की सामान्य शिक्षा सम्मिलित की जाय।

आयोग का मूल्यांकन—'कलकत्ता-विश्वविद्यालय-आयोग' ने इस देश की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्तुत्य-कार्य किया। यद्यपि इसकी निष्पत्ति केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय की जाँच करने के लिये हुई थी, तथापि इसने समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों के अनुसार के लिये सामान्य सुझाव दिये। मोनागसबरा, सरकार ने उक्त सुझावों को अंगीकार किया और उन्हीं के आधार पर सभी विश्वविद्यालयों में सुधार करने लगे।

यही कारण है कि इस 'आयोग' की रिपोर्ट का महत्त्व अखिल भारत के लिये है। इसके मुझावा ने भारतीय विश्वविद्यालयों को अवाञ्छनीय दोगों से मुक्त करके उन्हें एक नया जामा पहिना दिया। वे परीक्षा सस्यार्थें न रहकर, व्यापन तथा अनुसंधान के केन्द्र बन गये। 'आयोग' ने प्रौद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा-सम्बन्धी मुझाव देकर विश्वविद्यालयों पर जीवनोपयोगी शिक्षा देने का उत्तरदायित्व रखा, और इस प्रकार शिक्षा का वास्तविक जीवन से सम्बन्ध स्थापित कर दिया।

उपयुक्त गुणों के वावजूद, यह कहने में सकोच नहीं होना चाहिये कि 'आयोग' के कुछ मुझाव दोष-पूर्ण और समय से बहुत पूर्व थे। उदाहरणतः—भारत ऐसे निर्धन दश के लिये सावास (Residential) विश्वविद्यालयों की स्थापना का मुझाव बिल्कुल उपयुक्त नहीं था। इस दरिद्र देश में केवल कुछ ही सरक्षक ऐसी शिक्षा का व्यय-भार वहन करने में समर्थ होते। लन्दन और बर्लिन विश्वविद्यालय भी तो सावास नहीं हैं और उनमें प्रदान की जाने वाली शिक्षा किसी प्रकार ऑक्सफोर्ड और केम्ब्रिज के सावास-विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा से निम्नतर नहीं है। यदि उन देशों में सावास विश्वविद्यालयों के अभाव में उच्च कोटि की शिक्षा देना सम्भव था, तो भारत में भी यह बात असम्भव नहीं थी। 'आयोग' का एक अन्य दोषपूर्ण मुझाव था—'माध्यमिक शिक्षा को शिक्षा विभाग के अधिकार-क्षेत्र से निकाल कर 'बोर्ड' के नियन्त्रण में रखा देना। सैंडलर कमीशन और उत्तर प्रदेश बोर्ड के सदस्य डा० जिया-उद्दीन अहमद का मत है कि—इस हस्तान्तरण का परिणाम अच्छा नहीं निकला। इन्टरमीडिएट कालेजों का परीक्षण की असफल रहा है। किन्तु इन दोगों के होते हुए भी विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में 'आयोग' की सेवाएँ सराहनीय हैं। इसके मुझावों के फलस्वरूप ही १९०१ तक अनेक विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ। वस्तुतः आयोग ने विश्वविद्यालय का जो आदर्श उपस्थित किया, उसी को युग का प्रतिनिधि आदर्श स्वीकार किया गया और उसी को कुछ संशोधना के साथ आज भी मान्यता दी जाती है।

शिक्षा की प्रगति (१९०५-१९२१)

उच्च शिक्षा (विश्वविद्यालय व कॉलेज)

(१) नवीन विश्वविद्यालयों का निर्माण—१८८७ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निर्माण के उपरान्त ३० वर्षों तक कोई भी विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया। परन्तु इस अवधि में कॉलेजों की संख्या १८५ हा गई। यह अनुभव किया जाने लगा था कि इतने कॉलेजों का भार ५ विश्वविद्यालयों—कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, पंजाब और इलाहाबाद सौभालन में असमर्थ थे, अतः उनकी संख्या में वृद्धि की जानी आवश्यक थी। १९१३ के 'सरकारी प्रस्ताव' ने विश्वविद्यालयों का नव निर्माण पर जोर दिया। 'कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग' ने भी इस दिशा में कार्य करने के लिए परामर्श दिया। फलस्वरूप, १९१६ से १९२१ तक अग्रनिम्न ७ नए विश्वविद्यालय स्थापित किये गये —

१९१९, १९२०, १९२१ का इतिहास

१. बंगूर विश्वविद्यालय—इसकी स्थापना १९१६ में हुई। यह कॉलेज को हेनरी क्लॉपटन प्रदान करता था। इनके निर्माण से मद्रास विश्वविद्यालय का कार्य बढ़ा बढ़ा हुआ हो गया।

२. बनारस विश्वविद्यालय—इस विश्वविद्यालय का निर्माण १९१७ में बिहार और उड़ीसा की आसन्नताओं को पूर्ण करने के लिए किया गया।

३. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय—इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए १९१५ में केन्द्रीय धारा-सभा में 'बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी अधिनियम' पारित किया गया। इसकी स्थापना का ध्येय पं० मदनमोहन मालवीय को है। इसने १९१७ से 'शासन एवं शिक्षण-विश्वविद्यालय' के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया।

४. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय—बनारस विश्वविद्यालय के समान इस विश्वविद्यालय का भी निर्माण केन्द्रीय धारा-सभा के एक विशेष अधिनियम द्वारा १९२० में किया गया। यह विश्वविद्यालय—'मोहमडन एंग्लो-ओरिएण्टल कॉलेज' (Mohamedan Anglo-Oriental College) का विकसित स्वरूप है, जिससे सर सैयद अहमद खाँ का नाम सम्बन्धित है। बनारस विश्वविद्यालय की भाँति यह भी सावास एवं शिक्षण-विश्वविद्यालय है, और उसी के समान केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत है।

५. ढाका विश्वविद्यालय—इसकी स्थापना १९२० में की गई। यह भी सावास एवं शिक्षण-विश्वविद्यालय है।

६. लखनऊ विश्वविद्यालय—इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास १९२० में अवध के राजाओं तथा तालुकदारों के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप हुआ। यह भी सावास एवं शिक्षण-विश्वविद्यालय है।

७. उसमानिया विश्वविद्यालय—इस विश्वविद्यालय की स्थापना १९१८ में हैदराबाद के निजाम ने अपने राज्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये की। यह विश्वविद्यालय अपने ढंग का निराला है, क्योंकि इसमें उर्दू भाषा के माध्यम द्वारा शिक्षा दी जाती है।

(२) विश्वविद्यालयों को सहायता-अनुदान—भारत-सरकार ने विश्वविद्यालय-शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उसके स्तर को जँचा उठाने के लिए उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता दी। १९०० में केवल पंजाब विश्वविद्यालय को २६,३८० रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जाता था। १९२१ में इस धन-राशि को बढ़ाकर २०,५४४,००० रुपये कर दिया गया और सभी विश्वविद्यालयों को महायता-अनुदान दिया जाने लगा। १९०१ में विश्वविद्यालयों का व्यय ७,२१,००० रुपये था, परन्तु १९२१ में यह व्यय ७४,१२,००० रुपये हो गया।

(३) विश्वविद्यालयों का शिक्षण-कार्य—सरकारी सहायता-अनुदान एवं व्यक्तिगत साधनों से आर्थिक सहायता प्राप्त करके विश्वविद्यालय दत्त-चित्त होकर शिक्षण का कार्य करने लगे। इस काल के १२ विश्वविद्यालयों में से १ विश्व-विद्यालय—शिक्षण और सम्बद्धीकरण (Affiliation) का कार्य करता था, ५ केवल शिक्षण का, और ६ सम्बद्धीकरण का। अन्तिम प्रकार के विश्वविद्यालय कुछ शिक्षण कार्य भी करते थे, जो निम्नावित में से एक या उससे अधिक होता था :—

१. विश्वविद्यालय में भारतीय एवं विदेशी विद्वानों के भाषणों की व्यवस्था करना।
२. विश्वविद्यालय में कुछ विशिष्ट विषयों के शिक्षण का प्रवन्ध करना।
३. विश्वविद्यालय में ऑनसें तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं को चलाना।

(४) कॉलेजों का प्रसार—१९०४ के 'विश्वविद्यालय-अधिनियम' के अनुसार—कॉलेजों को मान्यता प्रदान करने के नियम कठोर बना दिये गये। परिणामतः कॉलेजों का स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो गया। इतना ही नहीं, वर्न् जर्जरित दशा में चलने वाले कॉलेजों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। १९०२ में कॉलेजों की संख्या १४५ थी, परन्तु १९०५ में वह घटकर १३८ रह गई। यहाँ एक विशेष बात उल्लेखनीय है। जब कि कॉलेजों की संख्या में उत्तरोत्तर हास हो रहा था, विद्यार्थियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही थी। अतः कुछ समय उपरान्त ऐसी स्थिति आ गई, जब नये कॉलेजों की स्थापना अनिवार्य हो गयी। यह कार्य १९६१ में प्रारम्भ हुआ और १९२१ तक ६६ कॉलेजों का नव-निर्माण हुआ। इस प्रकार १९२१ में २०७ कॉलेज थे और उनमें शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ५४,४७३ थी, जब कि १९०१ में १३८ कॉलेजों में १७,००० छात्र थे।

इस प्रकार १९०५ से १९२१ तक कॉलेजीय शिक्षा का प्रशंसनीय विस्तार हुआ, परन्तु यह शिक्षा देश के नवयुवकों की माँग की पूर्ति न कर सकी। १९०५ से पूर्व उच्च शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों की संख्या कम और राजकीय पदों की संख्या अधिक थी। परन्तु शून्य-शून्य। इस स्थिति में परिवर्तन होता चला गया और कॉलेजों की शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त सरकारी नौकरी प्राप्त करना सरल नहीं रह गया। फिर भी कॉलेजों में छात्रों की संख्या में वृद्धि होती गई। कारण यह था कि विद्यार्थियों के समक्ष कॉलेजों की उच्च शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। देश में औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के कॉलेजों की संख्या अपर्याप्त थी। अतः 'मैट्रीकुलेशन' परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र सामान्य शिक्षा के कॉलेजों में प्रवेश ले लेते थे। इस प्रकार सामान्य शिक्षा के कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या में यह निरुद्देश्य वृद्धि शुभ प्रगति का चिह्न न होकर रोग का लक्षण बनती जा रही थी।¹

1. "This aimless increase in the number of student in colleges of general education was, therefore, more a sign of disease than of robust growth."—Nurullah & Naik : *op cit.*, p. 512.

(५) कॉलेजों को सहायता-अनुदान—इस अवधि में सरकार ने कॉलेजीय शिक्षा में सुधार करने के लिये उदार आर्थिक सहायता दी। फलस्वरूप, कॉलेजों में छात्रानावासों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं आदि की समुचित व्यवस्था हो गई और शिक्षण-स्तर भी ऊँचा उठ गया। १९०७ तक केन्द्रीय सरकार कॉलेजों को ३,६५,०००) रुपया आवर्तक सहायता-अनुदान (Recurring Grant-in-Aid) के रूप में देती थी। १९०७ से १९१२ तक इस धन-राशि में २,४५,०००) रुपये की वृद्धि कर दी गई। १९१२ के पश्चात् इसमें २,८४,०००) रुपये और बढ़ा दिये गये। इसके अतिरिक्त, कॉलेजों को अनावर्तक सहायता-अनुदान भी उदारतापूर्वक दिया गया। १९२१-२२ में सरकार द्वारा कॉलेजीय शिक्षा पर ४६,२६,०००) रुपया व्यय किया गया। इस धन में गैर-सरकारी कॉलेजों का भाग १५,२८,०००) रुपया था।

(६) कॉलेजों का शिक्षण-कार्य—इस अवधि में कॉलेजों के शिक्षण-कार्य में पूर्व की अपेक्षा अधिक उन्नति हो गई थी और उनकी शिक्षा का स्तर भी ऊँचा हो गया था। कारण यह था कि अधिक सहायता-अनुदान प्राप्त होने से कॉलेजों ने सुयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति कर ली थी। साथ ही उत्तम भवन, प्रचुर शिक्षण-सामग्री आदि की व्यवस्था हो गई थी।

माध्यमिक शिक्षा (१९०५-१९२१)

पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि लार्ड कर्जन की नवीन शिक्षा नीति में माध्यमिक विद्यालयों की गुणात्मक उन्नति पर बल दिया गया था, न कि संख्यात्मक वृद्धि पर। फलस्वरूप, माध्यमिक स्कूलों पर सरकारी नियन्त्रण कड़ा कर दिया गया था। इस कठिनाई के होते हुए भी १९०५ से १९२१ तक माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। इसका प्रमुख कारण यह था कि सरकारी नौकरियों के द्वार अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों के लिये खुले हुए थे। ऐसी दशा में छात्रों की संख्या में वृद्धि होना और तदनुसार विद्यालयों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक था। १९०५ में माध्यमिक स्कूलों की संख्या ५,१२४, और उनमें शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या ५,६०,१२६ थी। १९२१ में ये संख्यायें क्रमशः ७,५३० और ११,०६,८०३ थी।

माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में इस अभिवृद्धि का श्रेय १९१३ के 'सरकारी प्रस्ताव' को प्राप्त था। इस 'प्रस्ताव' में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिये बनेक बहुमूल्य सुझाव दिये गये थे। इनका वर्णन पहले किया जा चुका है। परन्तु इन बन्ध में भी औचित्य है कि 'सरकारी प्रस्ताव' से अधिक श्रेय भारतीय समाज-सेवकों को दिया जाना चाहिए। इस बाल में होने वाली सामाजिक तथा राजनैतिक जागृति ने उनको शिक्षा-प्रसार के कार्य में संलग्न होने के लिये अनुप्राणित किया। जन-स्वीकार करना पड़ेगा कि माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि भारत के वर्य-परायण नेताओं के प्रयत्नों के कारण ही हुई।

(१) ध्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था—'भारतीय शिक्षा-आयोग' की सिफारिश को स्वीकार करके विभिन्न प्रान्तों में हाई स्कूल के पाठ्य-क्रम के अन्तर्गत औद्योगिक तथा व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया गया था और 'स्कूल-लीविंग सर्टिफिकेट' परीक्षा प्रारम्भ की गई थी। यह व्यवस्था इस अवधि में भी यथावत् रखी गई। यद्यपि अधिकांश विद्यार्थी अब भी 'मिट्रीकुलेशन' परीक्षा में सम्मिलित होते थे, तथापि 'स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट' प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या उनसे अधिक कम नहीं थी। १९१०-११ में सम्पूर्ण भारत में 'मिट्रीकुलेशन' परीक्षा में १६,६३२ और 'सर्टिफिकेट' परीक्षा में १०,१६१ छात्र बैठे।

इन आँकड़ों से सिद्ध होता है कि 'सर्टिफिकेट' परीक्षा की लोकप्रियता बढ़ रही थी। इसके तीन प्रमुख कारण थे प्रथम—इस परीक्षा में किसी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण नहीं घोषित किया जाता था। द्वितीय—इस परीक्षा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले छात्र, विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते थे। तृतीय—ये छात्र, सरकारी नौकरों के लिये प्रार्थी हो सकते थे।

उपर्युक्त गुणों की उपस्थिति में 'सर्टिफिकेट' परीक्षा का पाठ्य-क्रम उस आदर्श पर नहीं पहुँच सका जिसको १८५४ के 'घोषणा-पत्र' में अङ्कित किया गया था। इसके अनुसार, भारतीयों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें समाज का लाभप्रद सदस्य बना सके। यह आदर्श केवल कल्पना मात्र रह गया। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि हाई स्कूल का पाठ्य क्रम थोड़ा विस्तृत हो गया और उसमें कुछ औद्योगिक तथा व्यावसायिक विषयों का समावेश हो गया।

(२) अंग्रेजी शिक्षण में सुधार—पहले बताया जा चुका है कि माध्यमिक स्कूलों का प्रमुख ध्येय—अंग्रेजी की शिक्षा देना हो गया था। इस काल में भी इस ध्येय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अतः अंग्रेजी के शिक्षण को अधिक प्रभावोत्पादक बनाने के विचार से विभिन्न विधियों का प्रयोग किया गया। इनमें से प्रमुख थी—(१) 'डाइरेक्ट मथड (Direct Method) की नवीन प्रणाली, (२) प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी का शिक्षण, पाठ्य पुस्तकों की स्वीकृति और परीक्षा में कठोरता। परन्तु ये सभी प्रयास असफल रहे और अंग्रेजी का स्तर अधिक ऊँचा न उठ सका।

(३) शिक्षा का माध्यम—अंग्रेजी को अत्यधिक महत्त्व देने से भारतीय भाषाओं की शिक्षा का माध्यम न बनाया जा सका। यद्यपि कर्जन की शिक्षा नीति का अनुसरण करके अब भी मिडिल स्कूलों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा थी, परन्तु हाई स्कूल में माध्यम अंग्रेजी ही था।

(४) अध्यापकों का प्रशिक्षण—लार्ड कर्जन ने प्रशिक्षण महाविद्यालयों के नवनिर्माण की घोषणा करके माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण में एक नवीन युग का आह्वान किया था। १९१२ तक १५ शिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना

हो चुकी थी, जो लगभग १,४०० छात्राध्यापकों को दीक्षित कर रहे थे। १९१३ के 'सरकारी प्रस्ताव' ने प्रशिक्षण-कार्य को और आगे बढ़ाया। इस 'प्रस्ताव' में घोषित किया गया कि किसी भी अदीक्षित अध्यापक को स्कूल में अध्यापन-कार्य की अनुमति नहीं दी जायगी। फलस्वरूप, प्रशिक्षण-विद्यालयों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। १९२१ में १३ प्रशिक्षण-महाविद्यालय इस प्रकार के थे, जो माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को अंग्रेजी पढ़ाने की शिक्षा दे रहे थे। १९०४ में ऐसे प्रशिक्षण-महाविद्यालयों की कुल संख्या ४ थी।

टिप्पणी

इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा की सराहनीय प्रगति हुई। साथ ही उनकी गुणात्मक उन्नति भी हुई। छात्रों की संख्या में भी आशातीत वृद्धि हुई। परन्तु माध्यमिक शिक्षा-सम्बन्धी प्रमुख समस्याओं का समाधान न हो सका। हाई स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहा और व्यावसायिक शिक्षा की संतोपजनक व्यवस्था नहीं की गई।

प्राथमिक शिक्षा (१९०५-१९२१)

इस अवधि की प्राथमिक शिक्षा को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं — (१) १९०५ से १९१७ तक, और (२) १९१७ से १९२१ तक। प्रथम काल में प्राथमिक शिक्षा का रूप पूर्ववत् ही रहा। द्वितीय काल में उसका रूप तो बही रहा, परन्तु उसको अनिवार्य बनाने का प्रयास किया गया। हम इन दोनों कालों पर नीचे विहंगम दृष्टि डाल रहे हैं :—

प्राथमिक शिक्षा (१९०५-१९१७)

लार्ड कर्जन से पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिये भारत-सरकार ने समय-समय पर योजनाएँ बनाई थी। परन्तु फिर भी इस दिशा में कोई सतोपजनक कार्य नहीं किया गया था। कर्जन प्रथम वाइसराय था, जिसने १९०४ के 'सरकारी प्रस्ताव' में प्राथमिक शिक्षा का विकास करना सरकार का एक प्रमुख कर्तव्य बताया। उसने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ, उसकी गुणात्मक उन्नति की ओर भी ध्यान दिया। फलस्वरूप, १९११ तक प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में बहुत तीव्रता रही। दिसम्बर, १९११ में सम्राट् जार्ज पंचम भारत पदचारे और उन्होंने दिल्ली दरबार में प्राथमिक शिक्षा पर ब्यय किये जाने के लिये ५० लाख रुपये की धन-राशि प्रदान करने की घोषणा की। ६ जनवरी, १९१२ को कलकत्ता-विश्वविद्यालय में भाषण देते समय उन्होंने भारत में विद्यालयों का जाल बिछा हुआ देखने की आशा व्यक्त की। सम्राट् के भारत-आगमन से कुछ ही समय पूर्व १६ मार्च, १९११ में गोपाल कृष्ण गोखले ने केन्द्रीय धारा-सभा में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत किया, परन्तु १६ मार्च, १९१२ को विधेयक को गिरा दिया गया और गोखले को पराजय स्वीकार करनी पड़ी।

इस समय भारत-सरकार बड़ धर्म-सकट में थी। एक ओर तो उसे सम्राट द्वारा ५० लाख रुपया प्राथमिक शिक्षा के विकास पर व्यय करने का आदेश दिया गया था। दूसरी ओर इस आदेश के कुछ समय उपरान्त ही सरकार ने गोखले के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के विधेयक का विरोध करके उसे गिरा दिया था। ऐसी स्थिति में सरकार के लिये यह आवश्यक हो गया कि वह गोखले के विधेयक का विरोध करने का कुछ कारण दे, और साथ ही अपनी शिक्षा नीति की स्पष्ट व्याख्या करे। यह कार्य १९१३ में 'शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव' को प्रकाशित करके किया गया।

शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव, १९१३

इस प्रस्ताव में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक सिफारिशें तथा आदेश दिए गये। इनका विस्तृत वर्णन पहले किया जा चुका है। इस प्रस्ताव के सूक्ष्म अध्ययन से बिदित होता है कि सरकार का ध्यान प्राथमिक विद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि की अपेक्षाकृत गुणात्मक उन्नति की ओर अधिक था। वस्तुतः 'प्रस्ताव' में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में कोई नया सुझाव नहीं दिया गया। अतः प्राथमिक शिक्षा में कोई प्रगति दृष्टिगोचर नहीं हुई। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि 'प्रस्ताव' के सुझावों के परिणामस्वरूप १९१७ के अन्त तक संयुक्त प्रांत, बिहार, पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रान्तों में जिला-परिषदा और स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्राथमिक स्कूलों का निर्माण किया गया। किन्तु इस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना बंगाल उड़ीसा और मद्रास में न हो सकी। कारण यह था कि वहाँ व्यक्तिगत रूप से स्थापित किये गये विद्यालयों का जोर था। बंगाल सरकार ने 'पंचायती आदर्श' स्कूलों की योजना बनाई। इसके अनुसार लगभग १० ४ वर्ग मील में एक आदर्श प्राइमरी स्कूल स्थापित किया गया। यद्यपि इन स्कूलों का निर्माण सरकार द्वारा किया गया था, परन्तु इनका कार्य भार जिला-परिषदा को सौंप दिया गया था।¹

इन प्रयासों के बावजूद भी परिणाम अच्छे नहीं निकले। १९१७ तक विद्यालयों का जाने योग्य बालकों में से केवल ३ प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा पा रहे थे और लगभग ८३ वर्ग मील के क्षेत्रफल में बालकों का एक प्रारम्भिक स्कूल था।²

प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के प्रयास (१९१७-१९२१)

२०वीं शताब्दी के प्रथम दशक में राजनैतिक एवं सामाजिक जागृति की लहर देश के कोने-कोने में फैल चुकी थी। राष्ट्रीय चेतना न भारतीयों के हृदय में

1 S N Mukerji: *op cit*, p. 213

2 *Ibid*, p. 214

आकुलता का समावेश कर दिया था। वे अपने अधिकारों के प्रति जागृक हो चुके थे। अन्य अधिकारों के साथ-साथ, उन्होंने विदेशी सरकार से शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की वलपूर्वक शब्दा में माँग की। देश-भक्त नेताओं ने शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार के लिये तन मन से आन्दोलन करना प्रारम्भ किया। इनमें सर्वश्रेष्ठ स्थान गोपाल कृष्ण गोखले को प्राप्त है। उन्होंने १९१० में केन्द्रीय धारा सभा के सदस्य के रूप में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने के लिये आवाज-माला एक कर दिया। परन्तु उनसे भी पूर्व भारत के एक देशी राज्य के उदार एवं बुद्धिमान शासक इस दिशा में सक्रिय एवं सफल प्रयास कर चुके थे। वे थे—बडौदा-नरेश सायाजीराव गायकवाड।

बडौदा-नरेश का प्रथम प्रयास

महाराज सायाजीराव गायकवाड को अपनी प्रजा की शिक्षा में बहुत रुचि थी। अतः उन्होंने उसके हितार्थ प्रारम्भिक शिक्षा का प्रसार करने का सकल किया। क्योंकि बडौदा राज्य में शिक्षा की दशा बहुत पिछड़ी हुई थी, अतः सिंहासनाब्द होने के पश्चात् उन्होंने अपने राज्य के विभिन्न भागों में प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण की आज्ञा दी। १८९१ में इन स्कूलों की संख्या ५५८ हो गई, जबकि १८८१ में इनकी संख्या १८० थी।

मार्च, १८९२ में उन्होंने रचनात्मक कदम उठाया। एक राजाज्ञा द्वारा घोषित किया गया कि अमरेली नगर के एक ताल्लुका के ९ ग्रामों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। ७ से १२ वर्ष की आयु तक के बालकों और ७ से १० वर्ष की आयु तक की भव्य बालिकाओं को प्राथमिक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। नवम्बर १८९३ में अनिवार्य शिक्षा का यह कार्य प्रारम्भ किया गया और इसमें इतनी आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई कि उपरोक्त ताल्लुका के ५२ ग्रामों में शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। अमरेली में १५ वर्ष तक किये जाने वाले इस नवीन प्रयोग ने सिद्ध कर दिया कि सम्पूर्ण बडौदा राज्य के लिये प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य किया जाना उपयुक्त और वाछनीय होगा। अतः १९०६ में एक अधिनियम बनाकर राज्य के सभी वर्गों के लिये प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई।¹

गोखले का प्रयास

राष्ट्रीय भावनाओं से सराबोर, शिक्षा के मर्मज्ञ गोपाल कृष्ण गोखले बडौदा नरेश के उत्कृष्ट उदाहरण से अनुप्राणित हुए। उन्होंने विचार किया कि जिस कार्य को आय के सीमित साधनों वाला एक छोटा-सा देशी राज्य सफलतापूर्वक कर चुका है, उस कार्य को ब्रिटिश भारत में भी, जिसके पास धन का अभाव नहीं है अथवा सम्पादित किया जा सकता है। अतः उन्होंने भारत-सरकार को इस दिशा में क्रियाशील करने का दृढ़ निश्चय किया।

गोखले का प्रस्ताव—केन्द्रीय धारा-सभा (Imperial Legislative Council) के सदस्य के रूप में १९ मार्च, १९१० को गोखले ने यह प्रस्ताव (Resolution) रखा—“यह सभा सिफारिश करती है कि सम्पूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जाय और इस सम्बन्ध में निश्चित प्रस्तावों को उपस्थित करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग शीघ्र ही नियुक्त किया जाय।”^१

इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का प्रमुख कारण यह था कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की दयनीय दशा देखकर गोखले का हृदय द्रवित हो गया था। उनका विश्वास था—“यह बात स्पष्ट है कि अशिक्षित तथा अज्ञानी राष्ट्र वदापि वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता है और जीवन की दौड़ में अवश्य पीछे रह जायेगा।”^२ तत्कालीन प्राथमिक विद्यालय जनता की शिक्षा की माँग की पूर्ति करने में पूर्णतः असमर्थ थे। उस समय देश में केवल ६ प्रतिशत साक्षरता थी और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने योग्य बच्चों में से केवल २३.८ प्रतिशत बालक और २.७ प्रतिशत बालिकाएँ इस शिक्षा से लाभ उठा रहे थे। अतः गोखले ने अपने प्रस्ताव में निम्नांकित सुझाव दिये :—

१. जिन क्षेत्रों में ३३ प्रतिशत बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनमें ६ से १० वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य कर दी जाय।
२. इस शिक्षा का व्यय स्थानीय संस्थायें और सरकार १ : २ के अनुपात में वहन करें।
३. प्राथमिक शिक्षा की देख-भाल के लिए एक मन्त्री की नियुक्ति की जाय।
४. बजट में प्रतिवर्ष शिक्षा की प्रगति का स्पष्ट वर्णन किया जाय।
५. केन्द्र में प्राथमिक शिक्षा के लिए एक पृथक् विभाग स्थापित किया जाय, जो प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए योजना बनाये।

सरकार द्वारा प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन प्राप्त होने पर गोखले ने उसे वापिस ले लिया। सरकार ने १९१० में केन्द्र के अधीन एक शिक्षा-विभाग

1. “This Council recommends that a beginning should be made in the direction of making elementary education free and compulsory throughout the country, and a mixed commission of officials and non-officials be appointed at an early date to frame definite proposals.”—Gokhale's *Speeches*, p. 609.

2. “It is obvious that an illiterate and ignorant nation can never make any solid progress and must fall back in the race of life.”—*Ibid.*, p. 659.

स्थापित कर दिया, मंत्री की नियुक्ति कर दी और प्रतिवर्ष शिक्षा की प्रगति के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रकाशित करने लगी। परन्तु प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए बुद्ध नहीं किया। गोखले और जनता को सरकार से बड़ी-बड़ी आशाएँ थी, परन्तु वे पूर्ण न हुई।

गोखले का विधेयक—प्राथमिक शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता देख कर गोखले ने १६ मार्च, १९११ को केन्द्रीय धारा-सभा में प्राथमिक शिक्षा-सम्बन्धी अपना विधेयक (Bill) प्रस्तुत किया। “इस विधेयक का उद्देश्य-देश की प्राथमिक शिक्षा-प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धान्त को क्रमशः लागू करना था।”¹ यह विधेयक गोखले के प्रस्ताव पर आधारित था और उसकी मुख्य-मुख्य बातें अधोलिखित थी—

१. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिनियम को उन स्थानीय बोर्डों के क्षेत्रों में लागू किया जाय, जहाँ के बच्चों का एक निश्चित प्रतिशत प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। इस प्रतिशत को निश्चित करने का अधिकार गवर्नर-जनरल की परिपद को होगा।
२. स्थानीय बोर्ड—सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके इस अधिनियम को लागू कर सकते हैं।
३. प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए स्थानीय बोर्ड ‘शिक्षा-कर’ (Education Cess) लगा सकते हैं।
४. अभिभावकों के लिए ६ से १० वर्ष तक की आयु के बालकों को प्राथमिक विद्यालयों में भेजना अनिवार्य हो। यदि वे इस नियम का उल्लंघन करें, तो उन्हें दण्ड दिया जाय।
५. कालान्तर में बालिकाओं के लिये भी प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय।
६. जिस अभिभावक की आय १० रुपये मासिक से कम हो, उससे शिक्षा शुल्क न लिया जाय।
७. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का व्यय-भार स्थानीय बोर्डों और सरकार द्वारा वहन किया जाय। सरकार सम्पूर्ण व्यय का ३ भाग दे।

उपरिकथित मुझावों को देखने से ज्ञात होता है कि गोखले का विधेयक अत्यन्त साधारण था। इसको प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अति विनम्र भाव से गवर्नर-

1. “The object of this Bill is to provide for the gradual introduction of the principle of compulsion into the elementary education system of the country.”—Gokhale’s Speeches, p. 618

जनरल को सम्बोधित करते हुए कहा—“श्रीमान् जी ! साराश मे, मेरा विधेयक यह है । अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का श्रीगणेश करने का यह लघु एव तुच्छ प्रयास है ।”^१

विधेयक को जनमत-सग्रह के लिए स्थानीय सरकारों, विश्वविद्यालयों एव कुछ व्यक्तिगत सस्थाओं के पास भेजा गया । १७ मार्च, १९१२ को धारा-सभा में विधेयक पर वाद विवाद प्रारम्भ हुआ । दो दिन के भीषण सघर्ष के पश्चात् १६ मार्च १९१२ को इसे १३ वोटों के विरुद्ध ३८ वोटों से गिरा दिया गया । दुःख की बात यह है कि सरकारी सदस्यों ने तो इसके विपक्ष में मत प्रदान किया ही परन्तु उनके साथ-साथ जमींदार सदस्या ने भी अपने गोरे शासकों को प्रसन्न करने के लिये ऐसा ही किया । इस प्रकार भारत के कतिपय व्यक्तियों की स्वार्थ-सिद्धि इस देश की जन-शिक्षा में बाधक हुई ।

सरकारी प्रवक्ता की हैसियत से सर हार्कोर्ट बटलर (Harcourt Butler) ने गोखले के प्रस्तावित विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि स्वयं जनता इस प्रकार की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिये अभी तैयार नहीं है । यही कारण है कि उसने कभी ऐसी शिक्षा की माँग नहीं की । अतः अनिवार्यता का प्रश्न ही नहीं उठता । गोखले ने इन सभी तर्कों के अकारण्य उत्तर दिये, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली । सरकार ने विधेयक को असामयिक कहकर ठुकरा दिया ।

गोखले, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की चेष्टा में असफल हुए । परन्तु उनकी असफलता में सफलता निहित थी । यद्यपि वे सरकार को प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील न कर सके, तथापि उन्होंने जनता के समक्ष एक नवीन योजना प्रस्तुत की । सभी राजनैतिक दलों ने इसका समर्थन किया और सभी क्षेत्रों में इसने हलचल मचा दी ।

बम्बई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम (१९१८)^२

गोखले के कार्य से प्रेरणा प्राप्त करके भारत के एक अन्य महान् नेता विठ्ठल भाई पटेल ने बम्बई की प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया । इसका उद्देश्य—प्रान्त के नगरपालिका क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना था । विधेयक ने १९१८ में ‘बम्बई प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम’ का रूप धारण किया इसको ‘पटेल-अधिनियम’ (Patel Act) भी कहा जाता है । इसकी प्रमुख धारार्यें निम्नलिखित हैं —

१ बम्बई के अतिरिक्त अन्य सभी नगरपालिका क्षेत्रों में अधिनियम लागू होगा ।

1 “This, my Lord, is briefly the whole of my Bill It is a small and humble attempt to suggest the first steps of a journey”
—Gokhale’s Speeches, p 619

2 The Bombay Primary Education Act, 1918

- २ ७ से ११ वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी।
- ३ प्राथमिक शिक्षा निशुल्क होगी।
- ४ नगरपालिका-क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रत्येक अभिभावक को अपने बच्चों को मान्यता-प्राप्त प्राथमिक विद्यालय में भेजना पड़ेगा। यदि कोई अभिभावक इस नियम का उल्लंघन करेगा, तो उसे ५ रुपये अधिक दण्ड देना होगा।
- ५ जो व्यक्ति अनिवार्य शिक्षा से लाभ उठा सकने वाले बच्चों को नौकर रखेगा, उसे २५ रुपये अधिक दण्ड देना पड़ेगा।
- ६ अनिवार्य शिक्षा के कारण होने वाले अधिक व्यय की पूर्ति के लिये नगरपालिकाओं को पुराने करा को बढ़ाने और नये करों को लगाने का अधिकार होगा।
७. अनिवार्य शिक्षा के लिये सरकार अधिक सहायता-अनुदान देने के लिए बाध्य नहीं होगी। परन्तु सरकार स्वेच्छा से व्यय का कुछ भाग दे सकती है।
- ८ यह नगरपालिकाओं की इच्छा पर निर्भर होगा कि वे बालका और बालिकाओं—दोनों के लिये या इनमें से किसी एक के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करें।

‘पटेल-अधिनियम’ में सरकार के ऊपर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का दायित्व नहीं रखा गया। इतने बड़े प्रान्त में इस शिक्षा के व्यय के लिये निश्चित साधनों का भी स्पष्टीकरण नहीं किया गया। परन्तु इन दोषों के होते हुए भी इस अधिनियम ने प्राथमिक शिक्षा के इतिहास में एक नवीन अध्याय प्रारम्भ किया। ब्रिटिश भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निशुल्क बनाने का यह प्रथम प्रयास था। इस सुन्दर उदाहरण का अन्य प्रान्तों में अनुकरण किया गया और वहाँ भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा-सम्बन्धी अधिनियम पारित किये गये।

पंजाब—पंजाब में १९१९ में ‘प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम’ (Primary Education Act) पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार नागरिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों के लिये प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई।

समुक्त प्रान्त—यहाँ १९१९ में ‘प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम’ बना। इसके अनुसार नगरपालिका-क्षेत्रों में बालका तथा बालिकाओं के लिये प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया।

बंगाल—इस प्रान्त में १९१९ के ‘प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम’ के द्वारा नगरपालिका-क्षेत्रों में बालका के लिये प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। १९३२

में इस अधिनियम में संशोधन करके बालिकाओं को भी इस शिक्षा का लाभ दिया गया।

बिहार व उड़ीसा—यहाँ १९१९ में 'प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम' पास करके नागरिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों के लिये प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया।

बम्बई—'पटेल-अधिनियम' बम्बई के अतिरिक्त अन्य सभी नगरपालिका-क्षेत्रों के लिये था। अतः १९२० में 'बम्बई नगर के लिये 'प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम' (City of Bombay Primary Education Act) बनाया गया। इसके द्वारा बम्बई नगर के बालकों तथा बालिकाओं के लिये अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई।

मध्य-प्रान्त—इस प्रान्त में नागरिक और ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों एवं बालिकाओं के लिये १९२० में अनिवार्य 'प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम' पारित किया गया।

मद्रास—यहाँ १९२० में 'प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम' (Elementary Education Act) पास किया गया। इसके अनुसार, नागरिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों और बालिकाओं के लिये प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में सभी बड़े प्रान्तों में अधिनियम बनाकर प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। २ वर्ष की अवधि में ७ प्रान्तों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिनियमों का पारित होना—इस बात का प्रतीक है कि भारतीय, शिक्षा के महत्त्व को समझ चुके थे और इसके प्रसार के लिये त्रियाशील हो गये थे। लगभग ४० वर्षों के अविराम संघर्षों के उपरान्त उन्होंने सरकार को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का सिद्धान्त स्वीकार करने के लिये बाध्य किया। अपने महान् कार्य के लिये इस काल के नेता हमारी प्रशंसा के पात्र हैं।

प्राथमिक शिक्षा की स्थिति (१९०५-१९२१)

हम इसी अध्याय में 'प्राथमिक शिक्षा (१९०५-१७)' शीर्षक के अन्तर्गत उल्लेख कर चुके हैं कि १९११ तक प्राथमिक शिक्षा की प्रगति अवाद्य गति से हुई। परन्तु उसके उपरान्त इसमें स्थित्य आ गया। इसके दो प्रमुख कारण थे :—

१. प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य न होना।
२. सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राथमिक शिक्षा की संख्यात्मक वृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक उन्नति पर अधिक बल दिया जाना।

(१) प्राथमिक शिक्षा की संख्यात्मक वृद्धि—“१८८२ में १८९२ तक भारत में पाँच वर्षों और उससे अधिक आयु के पुरुषों की साक्षरता में १४ प्रतिशत

(१३ प्रतिशत से १४.४ प्रतिशत) और स्त्रियों की माधरता में १.३ प्रतिशत (७ प्रतिशत से २ प्रतिशत) वृद्धि हुई। १९२१ में पुरुषों और स्त्रियों की माधरता का प्रतिशत केवल ७.२ था। प्राथमिक शिक्षा की प्रगति अत्यधिक मन्द रही है।¹

(२) प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति—जैसा कि ऊपर मंचित किया जा चुका है, सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को गुणात्मक उन्नति पर बहुत जोर दिया और इस दिशा में निम्नलिखित कार्य किये :—

१. अध्यापक प्रशिक्षण—'भारतीय शिक्षा-आयोग' की सिफारिश के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया गया। फलतः राजकीय प्रशिक्षण-विद्यालय निर्मित किये गये और गैर-सरकारी शिक्षण-संस्थाओं को उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता दी गई। १९२१ में भारत में (बर्मा को सम्मिलित करके) ६२६ प्रशिक्षण-विद्यालय पुरानों के लिये, और १४६ न्‍नियों के लिये थे। इनमें क्रमशः २२,७७४ और ४,१५७ व्यक्तियों को दीक्षित किया जा रहा था। इस वर्ष प्राथमिक विद्यालयों में १८१,२८६ अध्यापक कार्य कर रहे थे, जिनमें से ६७,६१३ दीक्षित और शेष अदीक्षित थे।

२. अध्यापकों का वेतन—अध्यापकों की वेतन-वृद्धि के सम्बन्ध में कुछ प्रान्तों में उदारता की नीति का अनुसरण किया गया। इस कार्य में बम्बई अग्रणी रहा। वहाँ १९०१-०२ में अध्यापकों का वेतन लगभग ८ रुपये मासिक था। १९२१-२२ में इसे बढ़ाकर ३३ रुपये कर दिया गया। पंजाब और मध्य प्रान्त में भी प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की गई, परन्तु वह बम्बई से कम थी। बंगाल, बिहार और मद्रास में इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया। उदाहरणतः बंगाल में शिक्षकों का औसत मासिक वेतन ८ रुपये था।

३. पाठ्यक्रम—इस अवधि की एक विशेषता यह है कि समय-समय पर प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम को दोहरा कर और उसमें अधिक विषयों को स्थान देकर उसे जटिल बना दिया गया, एवं अधिकांश प्रान्तों में पाठ्यक्रम में प्रकृति-अध्ययन और बागवानी को सम्मिलित कर दिया गया।

४. भवन और शिक्षण-सामग्री—इस काल में प्राथमिक विद्यालयों के भवन और उनकी शिक्षण-सामग्री में सुधार करने की चेष्टा की गई। परन्तु जिस तीव्रता से प्राथमिक शिक्षा का विस्तार हो रहा था, उस अनुपात में इन कार्यों को नहीं किया गया। फलस्वरूप, समग्र रूप में विद्यालयों के भवन और उनकी शिक्षण-सामग्री को सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है।

समोक्षा

यद्यपि मे इस अवधि में प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए उपरिख्यित

कार्य किये गये, तथापि उनके परिणाम सुन्दर न निकले। वस्तुतः प्राथमिक शिक्षा की यथार्थ उन्नति नहीं हुई, और न शिक्षण का स्तर ही ऊँचा उठा। कारण यह था कि अदीक्षित अध्यापको की संख्या प्रशिक्षित शिक्षका से कहीं अधिक थी। पाठ्य-क्रम जटिल था और नागरिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों के पाठ्य-क्रमों में कोई विशेष अन्तर नहीं था। विद्यालयों के लिए उपयुक्त भवनो तथा शिक्षण-सामग्री का अभाव था। कुछ प्रान्तों में शिक्षको के वेतन में वृद्धि अवश्य कर दी गई थी, परन्तु प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात् वस्तुओं के मूल्य इतने अधिक हो गये थे कि अधिक वेतन प्राप्त होने पर भी शिक्षको को अपने जीवन का निर्वाह करना अत्यन्त कठिन था। जिन प्रान्तों में उनके वेतन में वृद्धि नहीं की गई थी, वहाँ तो उनकी दशा अत्यन्त कष्टकर थी। अतः यह कहना उपयुक्त ही होगा कि इस काल में प्राथमिक शिक्षा की न तो संख्यात्मक वृद्धि हुई और न गुणात्मक उन्नति।

स्त्रियों की शिक्षा (१९०५-१९२१)

भारत में स्त्री-शिक्षा की सदैव से उपेक्षा की गई है। कॉटन (Cotton) का कथन था कि स्त्री-शिक्षा की अप्रगतिशील अवस्था इस देश की शिक्षा प्रणाली को कलंकित कर रही है।¹ कर्जन ने स्वीकार किया था कि भारत में स्त्री-शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई दशा में है। उसके समय में सम्पूर्ण भारत में केवल ४२५,००० लड़कियाँ विभिन्न प्रकार के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रही थी। इनमें लगभग ३ एंग्लो-इण्डियन और भारतीय ईसाई थी। कर्जन ने स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहित करने का निश्चय किया परन्तु भारतीयों की रुढ़िवादिता, पर्दा-प्रथा और बाल-विवाह प्रथा की कठिनाइयाँ उसके समक्ष आईं। अतः उनमें बालिकाओं के लिए कुछ आदर्श विद्यालयों की स्थापना, और उनमें मयोग्य अध्यापिकाओं की नियुक्ति करके स्त्री-शिक्षा को विस्तृत करने का मार्ग अपनाया। इन कार्यों के परिणाम सन्तोषजनक नहीं निकले और स्त्री-शिक्षा अपनी पूर्व स्थिति में ही रही।

शिक्षा-नीति-सम्बन्धी 'सरकारी प्रस्ताव' (१९१३)

शिक्षा-नीति-सम्बन्धी 'सरकारी प्रस्ताव' में स्त्री-शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया। इसमें स्वीकार किया गया कि भारतीयों की सामाजिक प्रथाएँ स्त्रियों की शिक्षा में अवरोध डालती हैं। समाज के इन बन्धनों को तिरस्कृत करके स्त्री शिक्षा का प्रसार किया जाना सम्भव नहीं है। अतः प्रान्तीय सरकारों को लिखा गया कि वे स्थानीय सामाजिक परिस्थितियों को अपने दृष्टिकोण में रखकर स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये अपनी योजनाएँ भेजें। इसके साथ ही 'सरकारी प्रस्ताव' में स्त्री-शिक्षा के विकास के लिये अपेक्षित सामान्य सिद्धान्त निर्धारित किये गये :—

1. "The most conspicuous blot on the educational of India."

१. बालिकाओं को जीवनोपयोगी शिक्षा दी जाय और वह ऐसी हो, जिससे वे सामाजिक जीवन में अपना उचित स्थान ग्रहण कर सकें।
२. बालिकाओं को बालकों से भिन्न शिक्षा दी जाय और इसमें परीक्षाओं को कोई महत्त्व न दिया जाय।
३. बालिकाओं की शिक्षा में स्वास्थ्य-विज्ञान को विशेष स्थान दिया जाय और स्थानीय सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखा जाय।
४. बालिका-विद्यालयों में शिक्षण तथा निरीक्षण का कार्य करने के लिये स्त्रियाँ ही नियुक्त की जायें।
५. योग्य भारतीय अध्यापिकाओं के अभाव में यह बाध्यनीय होगा कि भारत में जो विदेशी स्त्रियाँ निवास कर रही हैं, उनको शिक्षण-कार्य के लिये प्रशिक्षित किया जाय।

इस नवीन शिक्षा-नीति के फलस्वरूप लड़कियों की शिक्षा को प्रेरणा मिली और उसके प्रत्येक स्तर पर प्रगति के चिह्न दिखाई देने लगे। हम इन विभिन्न स्तरों की ओर नीचे संकेत कर रहे हैं :—

१. उच्च शिक्षा—इस अवधि में उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में चार बार्ने उल्लेखनीय हैं : प्रथम—कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राओं की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। १९२१ में १,२६३ लड़कियाँ, कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त कर रही थी, जब कि १९०२ और १८८२ में उनकी संख्या क्रमशः १७७ और ६ थी। द्वितीय—हिन्दू लड़कियाँ अधिक संख्या में कॉलेजों में प्रवेश करने लगीं और मुस्लिम लड़कियों ने भी उच्च शिक्षा से लाभ उठाना प्रारम्भ किया। आर्ट्स कॉलेजों में पढने वाली १,२६३ लड़कियों में से ३९८ हिन्दू और २५ मुसलमान थीं। तृतीय—लड़कियों में परीक्षाओं में अपनी जपूर्व बुद्धि का परिचय दिया और लड़कों से किसी प्रकार पीछे नहीं रही। चतुर्थ—१९१६ में पूना में 'एस० एन० डी० टी० इण्डियन वीमेन्स यूनिवर्सिटी' की स्थापना की गई। इसका श्रेय भारत के सुविख्यात समाज-सेवक मर्दानासाहब नावों को है। उन्होंने अनुभव किया कि स्त्रियों तथा पुरुषों के लिये पाठ्य-क्रम तो भिन्न होना ही चाहिये, साथ ही स्त्रियों के निमित्त ऐसा पाठ्य-क्रम होना चाहिये जो उनके जीवन-कर्तव्य के अनुकूल हो। अतः इस विद्यालय का उद्देश्य—स्त्रियों को 'मुमाता' तथा 'सुगृहिणी' बनने की शिक्षा प्रदान करना था।

२. माध्यमिक शिक्षा—इस काल में स्त्रियों की माध्यमिक शिक्षा में प्रगति-नीय उन्नति हुई। १९२१ में हाई स्कूलों और मिडिल स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या क्रमशः ३६,६९८ और ९२,४६६ थी, जब कि १९०१ में यह संख्या क्रमशः ९,२७४ और ३२,३०८ थी। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाली लड़कियों की संख्या में वृद्धि होने के चार मुख्य कारण थे : प्रथम—प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाली बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हो गई थी। उनमें से

अनेक माध्यमिक शिक्षा की इच्छा रखती थी। अतः वे माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने लगीं। द्वितीय—शिक्षा-प्रसार के कारण भारतीयों का दृष्टिकोण बहुत कुछ परिवर्तित हो गया था और वे बाल-विवाह की हानियों से परिचित हो गये थे। ऐसी दशा में अनेक लड़कियों के लिये माध्यमिक शिक्षा सुलभ हो गई थी। तृतीय—भारतीयों का दृष्टिकोण व्यापक हो गया था और वे स्त्री-शिक्षा के लाभ से अवगत हो गये थे। अन्तिम—पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रसार के साथ-साथ, लड़कियों को अंग्रेजी शिक्षा देने का विरोध समाप्त होता जा रहा था। भारतीयों को लड़कियों को अंग्रेजी शिक्षा देने के आर्थिक लाभ का अनुभव हो चुका था। ऐसी लड़कियों के विवाह में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था और साथ ही विवाह में कम धन भी व्यय करना पड़ता था। अतः अधिकांश अभिभावक अपनी पुत्रियों को अंग्रेजी की शिक्षा देने लगे थे।

२. प्राथमिक शिक्षा—शिक्षा के इस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति हुई। १९२१ में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं की संख्या १,६८,५५० थी, जब कि १९०१ में यह संख्या ३,४८,५१० थी। इस काल में शिक्षण-विद्यालयों में दीक्षा लेने वाली छात्राओं की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। १८८१ में इस प्रकार की छात्राओं की संख्या ५१५, १९०१ में १,४१२ और १९२१ में ४,३६१ थी। बंगाल में स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये १९०७ में 'स्त्री-शिक्षा समिति' की स्थापना की गई। पदर्शनयौन स्त्रियों की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया गया।

३. व्यावसायिक शिक्षा—इस अवधि में पूर्व के समान स्त्रियों ने व्यावसायिक शिक्षा (Professional Education) में अपनी रुचि व्यक्त नहीं की। अधिकांश लड़कियों ने शिक्षण-विद्यालयों और मेडिकल स्कूलों में ही प्रवेश लिया। इनमें एंग्लो-इण्डियन और भारतीय-ईसाई छात्राओं की संख्या अधिक थी। स्त्रियों को 'त्रिविद्या-शिक्षा' की विशेष सुविधा देने के लिये १९१६ में 'लेडी हाईस्कूल कॉलेज' का डिप्लोमा में निर्माण किया गया।

मुसलमानों की शिक्षा (१९०५-१९२१)

'भारतीय शिक्षा-आयोग' ने मुस्लिम-शिक्षा की दिशा में एक नया दृष्टिकोण प्रकट किया था और इसकी ओर सरकार का ध्यान खिंचने में सफल हुआ था। सरकार—मुसलमानों को शिक्षित कर और इस प्रकार उनके जीवन को विवेक उन्हें हिन्दुओं का प्रतिद्वन्दी बनाकर अपने राजनैतिक हितों की रक्षा करना चाहती थी। मुसलमानों को शिक्षा की विशेष सुविधा देने के लिये १९०५ में 'मुस्लिम-शिक्षा आयोग' की स्थापना की गई। इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार पहलुओं का अध्ययन नीचे करेंगे—

१. मुस्लिम छात्र—१९०१ में भारत की शिक्षण-विद्यालयों में

मुसलमानों की संख्या १,७५६,६६१ थी। इनमें १,४६१,५३८ लड़के और २९५,४२३ लड़कियाँ थी।

२. मुस्लिम-शिक्षा की विशेषताएँ—इस काल की मुस्लिम-शिक्षा की चार प्रमुख विशेषताये थी —(१) मुसलमान छात्रों की संख्या लगभग उतनी ही थी, जितनी कि अन्य जातियों के छात्रों की, (२) जिन प्रान्तों में मुसलमान अल्प संख्या में थे, वहाँ उनकी शिक्षा में आश्चर्यजनक प्रगति हुई थी; (३) मुस्लिम स्त्रियाँ भी उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने लगी थी, और (४) माध्यमिक स्कूलों एवं कॉलेजों में अन्य जातियों की अपेक्षाकृत मुस्लिम छात्रों की संख्या कम थी।

३. विशिष्ट एवं पृथक् स्कूल—अधिकांश मुस्लिम छात्र सार्वजनिक विद्यालयों में पढ़ते थे। परन्तु वे उनसे सन्तुष्ट नहीं थे—क्योंकि उनमें धार्मिक शिक्षा एवं मुस्लिम अध्यापकों का अभाव था, अरबी और फारसी के अध्ययन की सुविधा नहीं थी और शिक्षा का माध्यम 'उर्दू' नहीं था। अतः मुसलमानों ने विशिष्ट एवं पृथक् स्कूलों की माँग की, जिसे सरकार ने पूर्ण किया। इस काल के मुस्लिम स्कूलों की तीन स्पष्ट समूहों में विभाजित किया जा सकता है :—

१. प्रथम समूह में मकतब, मुल्ला और कुरान स्कूल थे। इनमें प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ, धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी।
२. द्वितीय समूह में मदरसे थे, जिनमें उर्दू, अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी।
३. तृतीय समूह में आधुनिक ढंग के स्कूल और कॉलेज थे। इनमें उर्दू, अरबी और फारसी के साथ-साथ, अंग्रेजी की भी शिक्षा दी जाती थी।

टिप्पणी

मुसलमानों की शिक्षा के लिए विशिष्ट एवं पृथक् स्कूलों की स्थापना वा सिद्धान्त आधारभूत रूप से गलत था। इस प्रकार के स्कूलों का निर्माण करके मुसलमान छात्रों को छोटी आयु से ही अन्य जातियों के छात्रों से पृथक् कर दिया जाता था। इसके बड़े भयंकर परिणाम निकले। अल्प आयु में ही मुस्लिम छात्रों के अपरिपक्व मस्तिष्क में साम्प्रदायिकता की विपाक्त भावना अंकुरित होने लगती थी और वे हिन्दुओं तथा अन्य जातियों को अपने से पृथक् समझने लगते थे। जिस साम्प्रदायिकता का बीज-वपन इस काल में किया गया, उसका उन्नत रूप अगस्त, १९४७ में देश-विभाजन के रूप में देखने को मिला।

हरिजनों की शिक्षा (१९०५-१९२१)

इस अवधि में हरिजनों की शिक्षा में आशातीत प्रगति हुई। हरिजन छात्रों की सबसे अधिक संख्या प्राथमिक विद्यालयों में थी, परन्तु माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा-

शालाओं में भी हरिजन छात्र अध्ययन कर रहे थे। १९२१ में भारत के विभिन्न प्रान्ता में हरिजन छात्रों की संख्या निम्नांकित तालिका से स्पष्ट हो जाती है^१ —

प्रान्त	हरिजनो की जनसंख्या (हजारों में)	मान्यता प्राप्त विद्यालयों में हरिजन-छात्र
मद्रास	६,५३०	१,५७,११३
बम्बई	१,४६०	३६,५४३
बंगाल	६,६४०	६६,५५२
संयुक्त प्रान्त	७,६८०	३६,८७३
पंजाब	१,७००	३,७३२
बिहार व उड़ीसा	२,५३०	१५,०६६
मध्य प्रान्त	३,०१०	२८,६६६

इस काल में हरिजनो की शिक्षा की प्रगति के कुछ विशेष कारण थे, जिन पर हम नीचे प्रकाश डाल रहे हैं —

(१) राजकीय प्रयास—हरिजनो की शिक्षा को सरकार से विशेष प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। सरकार ने विविध विधियों द्वारा हरिजनो को शिक्षा ग्रहण करने के लिये आकर्षित किया, यथा—(१) निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, (२) छात्रवृत्तियाँ तथा अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता, (३) छात्रावासों का प्रबन्ध, (४) हरिजनो को शिक्षा देने वाले विद्यालयों को उदार सहायता-अनुदान, और (५) हरिजन शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था।

(२) व्यक्तिगत प्रयास—इस अवधि में सर्वर्ण हिन्दुओं में जागृति प्रारम्भ हो गई थी और उन्होंने भारतीय समाज पर लगी अस्पृश्यता की कलक-कालिमा को धो डालने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। आर्य-समाज, ब्रह्म-समाज और प्रार्थना-समाज पहले ही अछूतोद्धार के पुनीत कार्य में अपनी सेवाओं को अर्पित कर चुके थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने अस्पृश्यता को समूल नष्ट करने के लिये १९०५ से 'भारत-सेवक समाज' (Servants of India Society) की स्थापना की थी और वह सराहनीय कार्य कर रहा था। १९१४ में अमृतलाल ठक्कर ने इस 'समाज' के सदस्य बनकर हरिजनोद्धार के कार्य में अपने जीवन के शेष वर्ष व्यतीत किये। हरिजनो के उत्थान के लिए १९०६ से बिट्टलराम जी शिंदे ने पूना में 'दलित वर्ग उद्धार सभा' (Depressed Class Mission) स्थापित की। हरिजनोद्धार के कार्य में सबसे अधिक योग महात्मा गांधी ने दिया। उन्होंने अपने लेखों द्वारा जनता का ध्यान हरिजनो की पतित दशा की ओर आकर्षित किया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में हरिजन-समाज-मुद्धार को प्रमुख स्थान दिया। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने

१९२२ में वारदौली में हरिजनो की सामाजिक स्थिति में सुधार करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया। उसमें कहा गया कि—(क) हरिजनो के सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सगठित रूप में प्रयत्न किया जाय, (ख) उनको मानसिक तथा नैतिक उन्नति करने में सहायता दी जाय, (ग) उनको अपने बच्चा को शिक्षा देने का लाभ बताया जाय, और (घ) उनके लिये नागरिको को प्राप्त होने वाली प्रत्येक सुविधा प्रदान की जाय।

उपरिकथित समाज-सेवको तथा सस्थाओ के अतिरिक्त, बडौदा और कोल्हापुर के राजाओ ने हरिजनो के सामाजिक उत्थान के लिये भागीरथ प्रयास किये। बडौदा नरेश, सायाजीराव गायकवाड ने १८८३ में हरिजनो के लिये १८ विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की। उन्होने हरिजन विद्यार्थियो को छात्रवृत्तियाँ देकर, उनके लिये छात्रावासो का निर्माण कर, और उन्हें आर्थिक सहायता देकर शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रोत्साहन दिया। हरिजनों के नेता डा० अम्बेदकर को बडौदा-नरेश ने अपने व्यय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अमेरिका भेजा और अपने राज्य में उच्च पद पर नियुक्त किया। कोल्हापुर-नरेश, शाहू क्षत्रपति ने अपने राज्य के सभी विद्यालयो के द्वार हरिजनो के लिये खोल दिये और शिक्षित हरिजनो की राज-पद पर नियुक्तियाँ की।

(३) हरिजनो का प्रयास—उपरोक्त प्रयासो के परिणामस्वरूप, हरिजन अपने राजनैतिक तथा सामाजिक अधिकारो के प्रति जागरूक हुए। कुछ समय से शिक्षा प्राप्त करने के कारण वे इसके लाभ को पूर्णतः समझने लगे थे। उनमें ज्ञान विपत्ता की वृद्धि हुई और वे शिक्षा प्राप्त करने के अपने अधिकार की माँग करने लगे। इन कार्य में उन्हें अपने नेताओ—डा० धी० आर० अम्बेदकर और एम० सी० राजा में विशेष सहायता प्राप्त हुई। उनके नेतृत्व में हरिजनो ने भारतीय नागरिक के रूप में अन्य व्यक्तियो को प्राप्त—सभी अधिकारो के लिये आन्दोलन प्रारम्भ किया। वस्तुतः हरिजनो की जागृति ने ही उनके शिक्षा-कार्य को आगे बढ़ाया।

टिप्पणी

हरिजन-आन्दोलन से प्रभावित होकर प्रान्तीय सरकारो ने हरिजन छात्रा की शिक्षा ग्रहण करने के लिये सभी सुविधायें प्रदान की। मद्रास सरकार ने १९१६, १९२० और १९२२ में आदेश देकर सभी सार्वजनिक विद्यालयो के द्वार दलित वर्ग के विद्यार्थियो के लिये खोल दिये। मध्य प्रान्त, समुक्त प्रान्त और बम्बई में भी इसी नीति का अनुसरण किया गया। केन्द्रीय सरकार के एक आदेश द्वारा उन विद्यालयों का सहायता-अनुदान बन्द करने की आज्ञा दी गई, जो हरिजन छात्रा के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगायें। फलस्वरूप, हरिजना की शिक्षा की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी।

आदिवासियो एवं पहाडी जातियों की शिक्षा

पूर्व के गमान इम काल में भी आदिवासियो एवं पहाडी जातियो की शिक्षा

का विस्तार नहीं हुआ। इन जातियों की शिक्षा की व्यवस्था मुख्य रूप से मिशनरियों के हाथ में ही रही। सरकार ने भी इस दिशा में कुछ प्रयास किये और थोड़े से मिशन स्कूलों का संचालन स्वयं करने लगी।

अपराधी जातियों¹ की शिक्षा

इस काल की एक प्रमुख विशेषता—अपराधी जातियों का शिक्षित करना और उन्हें लाभप्रद व्यवसायों में लगाना था। इस दिशा में सरकार का यह सर्वप्रथम प्रयास था। ये जातियाँ खानाबदोश थीं और अपनी उदर-पूर्ति के लिये चोरी करती थीं या दूसरों के पशुओं को चुरा-चप ले जाती थीं। मद्रास प्रान्त में इन जातियों के लिए १० बस्तियाँ बनाई गईं। प्रत्येक बस्ती में एक स्कूल था, जिनमें बालकों के लिये शिक्षा अनिवार्य थी। १९२१ में इन विद्यालयों में १,४४३ छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनको व्यावसायिक शिक्षा देने के विचार से सरकार ने औद्योगिक स्कूलों का भी निर्माण किया। पंजाब में अपराधी जातियों के लिये ३३ स्कूल थे—२० लड़कों के लिए और १३ लड़कियों के लिए। इनमें क्रमशः ७३० लड़के और ४३१ लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। कुछ औद्योगिक स्कूल भी थे, जिनकी योगिक छात्र संख्या ११६ थी। सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालयों में १,८५५ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। बम्बई प्रान्त में अपराधी जातियों की शिक्षा के लिये ३६ स्कूल थे, जिनकी छात्र संख्या १,४७७ थी। सामान्य और मिशन स्कूलों में इन जातियों के ४,००० विद्यार्थी पढ़ रहे थे।^२

व्यावसायिक शिक्षा (१९०५-१९२१)

इस काल में सामान्य शिक्षा की अनेक व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति बहुत ही कम हुई। इस समय तक जा भी व्यावसायिक शिक्षा संस्थाएँ थीं, उनका एकमात्र उद्देश्य—राजकीय विभागों के लिये भारतीयों को किसी उद्योग या व्यवसाय की शिक्षा देना था। देश की औद्योगिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा संस्थाओं का निर्माण नहीं किया गया। १९२१ में व्यावसायिक शिक्षा-संस्थाओं और उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या आगे की तालिका से स्पष्ट हो जाती है —

1 Criminal Tribes

2 *Quinquennial Review of the Progress of Education in India (1917-22)*, p 211

व्यावसायिक शिक्षा-संस्थायें	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या
शिक्षण-महाविद्यालय	१२	५१६
चिकित्सा-शिक्षा के कॉलेज	७	३,८६३
कानून के कॉलेज	१३	५,८६५
इंजीनियरिंग कॉलेज	५	८०३
वाणिज्य के कॉलेज	५	४७६
कृषि-कॉलेज	२	३२६
योग	४४	११,८८५

सारांश

२०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ रहा था। राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत देश के नेताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा की माँग की।

राष्ट्रीय शिक्षा का विकास—यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा की माँग वर्तमान शताब्दी के प्रथम दशक में की गई थी, तथापि १९वीं शती में भी राष्ट्रीय शिक्षा का विचार विद्यमान था। तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली से असन्तुष्ट होकर भारतीयों ने व्यक्तिगत रूप से विद्यालयों का निर्माण किया था, जिनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय था। २०वीं शती में राष्ट्रीय आन्दोलन की उग्रता के साथ-साथ, भारतीय शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की माँग प्रबल होती गई। गाँधी जी ने भारतीय शिक्षा के विदेशी स्वरूप की कटु आलोचना की। राष्ट्रीय-शिक्षा को ६ सिद्धान्तों पर आधारित किया गया— (१) भारतीय नियन्त्रण, (२) स्वदेश-प्रेम की शिक्षा, (३) दास्य अनुकरण का अन्त, (४) पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञानों का अध्ययन, (५) अंग्रेजी प्रमुक्त वा अन्त, एवं (६) व्यावसायिक शिक्षा पर बल। इस सिद्धान्तों के आधार पर १९०५ से १९१६ तक बंगाल में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों का निर्माण किया गया। १९११ में बंगाल विभाजन के अन्त के साथ-साथ, राष्ट्रीय शिक्षा के आन्दोलन का भी अन्त हो गया। १९२० में यह आन्दोलन फिर प्रारम्भ हुआ। फलस्वरूप, ४ माह से कम में ही 'जार्जिन मिलिया इस्लामिया, बिहार-विद्यापीठ, काशी-विद्यापीठ, गुजरात-विद्यापीठ' आदि का निर्माण हुआ। लगभग सभी प्रान्तों में राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना हुई।

शिक्षा-नीति सम्बन्धी 'सरकारी प्रस्ताव'—१९१३ के इस प्रस्ताव में प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के सुधार के लिए अनेक सुझाव दिये गए। परन्तु प्रथम विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो जाने के कारण इन सुझावों की कार्यान्वित न किया जा सका। फलस्वरूप, भारतीय शिक्षा के विकास के लिये कुछ नहीं किया गया।

कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग—इस आयोग की नियुक्ति १९१७ में की गई। इसका उद्देश्य—कलकत्ता विश्वविद्यालय की जाँच करना था, परन्तु इसने भारत के समस्त विश्वविद्यालयों के सुधार के लिये सुझाव दिये। इसीलिए इस आयोग का अत्यधिक महत्त्व है। 'आयोग' ने माध्यमिक शिक्षा के दोष बताये और उनको दूर करने के लिए सुझाव दिये। कलकत्ता विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में भी उत्तम सुझाव रखे। 'आयोग' ने भारतीय विश्वविद्यालयों के कार्यों, संगठन तथा आन्तरिक प्रशासन के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें बताईं, जिनके आधार पर उनमें सुधार किया जा सकता था। 'आयोग' ने स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए कुछ उत्तम सुझाव दिये; यथा—पढाई-स्कूलों की व्यवस्था और अध्यापिका-प्रशिक्षण तथा चिकित्सा-शिक्षा की सुविधा। 'आयोग' ने अध्यापक-प्रशिक्षण, प्रौद्योगिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में भी सिफारिशें की।

उच्च शिक्षा—१९१६ से १९२१ तक भारत में ७ नये विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ। सरकार ने इनको उदार आर्थिक सहायता दी। फलस्वरूप, ये शिक्षण-कार्य में कुशलता प्राप्त करने लगे। १९११ से १९२१ तक ६६ कॉलेजों की स्थापना हुई। सरकार से पर्याप्त सहायता अनुदान मिलने के कारण इनका शिक्षण-स्तर उच्च हो गया।

माध्यमिक शिक्षा—इस काल में माध्यमिक शिक्षा की आशातीत प्रगति हुई। १९२१ में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या ५,१२४ थी। इन विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। अंग्रेजी के शिक्षण में सुधार हुआ। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया।

प्राथमिक शिक्षा—१९११ तक प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में बहुत तीव्रता रही। दिल्ली-दरबार में सम्राट् ने प्राथमिक शिक्षा पर ५० लाख रुपये व्यय किये जाने की आज्ञा दी। १९१३ के 'सरकारी प्रस्ताव' के फलस्वरूप लगभग सभी प्रान्तों में जिला-परिषदों और स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्राथमिक स्कूलों का निर्माण किया गया। परन्तु फिर भी प्राथमिक शिक्षा की संतोपजनक प्रगति नहीं हुई।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा—सर्वप्रथम बड़ौदा-नरेश ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया। १९०६ के अधिनियम द्वारा सम्पूर्ण बड़ौदा राज्य के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। गोलखे ने १६ मार्च, १९११ को केन्द्रीय धारा-सभा में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत किया, पर वह पास न हो सका। १९१८ के 'प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम' के द्वारा बम्बई नगर के अतिरिक्त सभी नगरपालिका-क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। १९१९ में पंजाब, संयुक्त प्रान्त, बंगाल और बिहार व उड़ीसा में अधिनियम बनाकर प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। १९२० में इस प्रकार के अधिनियम मध्य प्रान्त, मद्रास और बम्बई नगर के लिये भी बनाये गये।

स्त्रियों की शिक्षा—१९१३ के 'सरकारी प्रस्ताव' के मुभावों के फलस्वरूप प्रत्येक स्तर पर स्त्री-शिक्षा की प्रगति हुई। १९२१ में १,२६३ लड़कियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही थी। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी प्रगति हुई। प्राथमिक शिक्षा का सबसे अधिक विस्तार हुआ।

मुसलमानों की शिक्षा—मुसलमानों की शिक्षा की ओर सरकार ने विशेष ध्यान दिया। उनके लिये विशिष्ट एवं पृथक् स्कूलों की स्थापना की गई। मुस्लिम-स्त्रियों ने भी उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया।

हरिजनों की शिक्षा—हरिजनों के सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये तिलक, अमृतलाल ठक्कर, शिंदे, बडौदा-नरेश और कोल्हापुर के राजा ने अथक प्रयास किये। इन सब से अधिक कार्य महात्मा गाँधी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने किये। सरकार ने हरिजनों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष रूप से चेष्टा की। स्वयं हरिजनों ने भी शिक्षा प्राप्त करने के अपने अधिकार की माँग की। इन सभी बातों के कारण हरिजनों की शिक्षा की तीव्र प्रगति हुई।

अन्य जातियों की शिक्षा—आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों की शिक्षा में विस्तार नहीं हुआ। अपराधी जातियों के बच्चों को शिक्षित करने के लिये मद्रास, पंजाब और बम्बई में स्कूल खोले गये।

व्यावसायिक शिक्षा—इस काल में सामान्य शिक्षा की अपेक्षा व्यावसायिक शिक्षा की बहुत ही कम प्रगति हुई।

TEST QUESTIONS

1. Give a historical review of the attempts for Compulsory Primary Education in India from 1906 to 1920. How far did these attempts succeed?
भारत में १९०६ से १९२० तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिये किये गये प्रयासों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण कीजिये। ये प्रयास कहाँ तक सफल हुए?
2. "In spite of some defects, it is universally admitted that the Calcutta University Commission wielded the greatest influence on university education in this country." Comment.
"कुछ दोषों के बावजूद यह बात सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है कि 'कलकत्ता-विश्वविद्यालय-आयोग' ने इस देश की विश्वविद्यालय-शिक्षा पर सबसे अधिक प्रभाव डाला।" विवेचना कीजिये।
3. What defects in the Secondary Education were pointed out by the Sadler Commission? What suggestions were offered by the Commission to remedy them?

“सैडलर कमीशन’ द्वारा माध्यमिक शिक्षा में कौन-से दोष बताये गये ? उनको दूर करने के लिये आयोग के द्वारा क्या सुझाव दिये गये ?

- 4 “Between 1905 and 1921 we find a great ferment of educational thought within the fold of Indian struggle for freedom.” Elucidate the statement.

“१९०५ से १९२१ के बीच स्वतन्त्रता के लिये भारतीय सघर्ष के अन्तर्गत हमें शैक्षिक विचार की बहुत हलचल मिलती है।” इस कथन को स्पष्ट कीजिये।

- 5 What were the main recommendations of the Sadler Commission ? How did these recommendations affect the course of University Education in India ?

“सैडलर आयोग’ की प्रमुख सिफारिशों पर प्रकाश डालिये। इन सिफारिशों ने भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा की यात्रा तथा प्रगति को किस प्रकार प्रभावित किया ?

द्वैध-शासन में शिक्षा की प्रगति (१९२१-१९३७)

प्रस्तावना

१९१४ में प्रथम विश्व-युद्ध प्रारम्भ हुआ। अन्य मित्र-राष्ट्रों के साथ इंग्लैण्ड ने भी यह घोषित किया कि युद्ध—“संसार को जनतंत्रवाद के लिये सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से” लड़ा जा रहा है। इस घोषणा के पश्चात् महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने धन-जन से इंग्लैण्ड की सहायता की। १९१८ में युद्ध-विराम की घोषणा हुई। उस समय भारत में गहरी अशांति का साम्राज्य था। भारतीय उद्योग धन्धों की दशा दयनीय थी। बेकारी बढ़ती जा रही थी। कृषक, श्रमिक एवं मध्य श्रेणी के व्यक्ति क्षुब्ध हो रहे थे। किन्तु सरकार की ओर से जनता के कष्टों को दूर करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया। “साम्राज्य की आवश्यकता” पूर्ण हो जाने पर भारतवर्ष के साथ विश्वासघात किया गया।

मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट

इस बीच में भारत-मंत्री लार्ड मॉन्टेग्यू (Montagu) ने भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल लार्ड चेम्सफोर्ड (Chelmsford) के साथ भारत का दौरा करके देश की राजनीतिक एवं वैधानिक परिस्थितियों का अध्ययन किया और जुलाई, १९१८ में ‘मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट’ (Montagu-Chelmsford Report) प्रकाशित की। इसके अनुसार भारतीयों को थोड़ी मात्रा में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन देने का आश्वासन दिया गया। इसने भारतीय वातावरण को निराशा के बादलों से आच्छादित कर दिया। युद्ध से पूर्व की गई घोषणा में कहा कुछ गया था और अब किया कुछ और जा रहा था। अगस्त, १९१८ के ‘बम्बई अधिवेशन’ में कांग्रेस ने ‘रिपोर्ट’ को “निराशाजनक एवं असन्तोषप्रद” बताया।

द्वैध-शासन की स्थापना

उपरोक्त 'रिपोर्ट' के आधार पर ब्रिटिश संसद ने १९१९ का 'भारत-सरकार अधिनियम' (Government of India Act) पारित किया, और १९२१ में उसे कार्यान्वित कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार भारत में द्वैध-शासन-प्रणाली (Dyarchy), अर्थात् दोहरे शासन की व्यवस्था की गई। इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रान्तों के विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया—(१) संरक्षित (Reserved), और (२) हस्तान्तरित (Transferred)। संरक्षित विषयों को प्रशासन कर्मचारी वर्ग के हाथों में सौंपा गया। ये कर्मचारी गवर्नर-जनरल एवं भारत-मन्त्री के माध्यम से ब्रिटिश लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी थे। हस्तान्तरित विषयों के प्रशासक जन-प्रिय मंत्रीगण, प्रान्तीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। शिक्षा को हस्तांतरित विषयों में स्थान दिया गया और उसे लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिया गया। इस प्रकार, प्रांतीय शिक्षा हस्तान्तरित विषय हो गया। परन्तु यूरोपियनों की शिक्षा एवं केन्द्र-प्रशासित प्रदेशों—पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त, अजमेर-मेरवाड़, कुर्ग, दिल्ली, बंगलौर, विलोचिस्तान एवं सिकन्दराबाद—की शिक्षा पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण यथावत् बना रहा। इसके अतिरिक्त बनारस, अलीगढ़ और दिल्ली विश्वविद्यालयों, राजकुमारों के कॉलेजों तथा अखिल भारतीय गवेषणा-शालाओं पर केन्द्रीय सरकार ने अपना आधिपत्य रखा।

शिक्षा-मंत्रियों की कठिनाइयाँ

भारतीय शिक्षा के इतिहास में प्रथम बार शिक्षा पर प्रान्तों के जन-प्रिय भारतीय मंत्रियों का अधिकार स्थापित हुआ। परन्तु इन मंत्रियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है।—

१. शिक्षा हस्तान्तरित विषय था, परन्तु वित्त-विभाग पर अंग्रेज मंत्रियों का अधिकार था, जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी न होकर केवल गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे। शिक्षा की कोई भी योजना वित्त-विभाग के प्रशासकों के सक्रिय सहयोग और सहायता के बिना आगे नहीं बढ़ सकती थी। शिक्षा-मंत्रियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धन नहीं मिलता था। अतः उनकी शिक्षा-योजनाएँ अपूर्ण रह जाती थीं।
२. केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय शिक्षा के व्यय का सम्पूर्ण भार प्रान्तों पर डाल दिया और आर्थिक सहायता बन्द कर दी। ऐसी स्थिति में प्रान्तीय सरकारों के पास धन का अभाव रहने लगा और शिक्षा पर समुचित धन-राशि व्यय करना असम्भव हो गया।
३. प्रान्त की समस्त शक्तियाँ—गवर्नरों के हाथों में केन्द्रित थीं और वे हस्तांतरित विषयों (जिनमें शिक्षा भी थी) के क्षेत्र में नीति-विषयक एवं विस्तार-सम्बन्धी—दोनों प्रकार के प्रश्नों में हस्तक्षेप करते थे। ऐसी

परिस्थितियां में शिक्षा-मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों के समस्त अधिकार नाम-मात्र के ही थे।

- ४ शिक्षा-मन्त्रियों को 'भारतीय शिक्षा सेवा' (Indian Educational Service) के कर्मचारी वर्ग पर किसी प्रकार का प्रभुत्व तथा नियंत्रण प्राप्त नहीं था। कर्मचारीगण अपने आप को अनुभवहीन मन्त्रियों से अधिक कार्य-कुशल समझ कर मन्त्रियों का निर्देशन करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में वे मन्त्रियों की शिक्षा योजना को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे और उन्हें पूर्ण नहीं होने देते थे।
- ५ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, १९१६ के अधिनियम से असंतुष्ट थी। उसने द्वैध-शासन एवं विभाजित उत्तरदायित्व के सिद्धान्त की अवहेलना की, प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं का बहिष्कार किया और 'असहयोग आन्दोलन' प्रारम्भ किया। फलस्वरूप, जनता का ध्यान शिक्षा की अपेक्षा राजनैतिक समस्याओं पर अधिक केन्द्रित रहा।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में भारतीय शिक्षा मन्त्रियों ने अपने प्रान्तों की शिक्षा का भार अपने ऊपर लिया। अनेक कठिनाइयों के बीच से गुजरते हुए भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा-बहुत रचनात्मक कार्य अवश्य किया। कुछ प्रान्तों में अनिवाय प्राथमिक शिक्षा के अधिनियम पारित किये गये, औद्योगिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया गया, वयस्क साक्षरता की दिशा में रचनात्मक कदम उठाया गया एवं शिक्षा सम्बन्धी अन्य कार्य भी किये गये। शिक्षा मन्त्रियों को अपनी शिक्षा-योजनाओं को पूरा करने में 'राष्ट्रीय आन्दोलन' और शिक्षा के प्रति जनता के अदम्य उत्साह से बहुत प्रेरणा मिली। फलस्वरूप, १९२१ से १९३७ तक शिक्षा का विस्तार अत्यन्त तीव्र गति से हुआ।

हार्टाग समिति^१

द्वैध शासन-प्रणाली "एक असंगत आधार वाली, बोझिल, दुरूह तथा अस्त-व्यस्त प्रणाली सिद्ध हुई। भारतीय जनमत के सभी पक्ष उससे असंतुष्ट रहे। कांग्रेस ने उसका घोर विरोध किया और पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की। भारतीय आन्दोलन से प्रभावित होकर ब्रिटिश लोकसभा ने ८ नवम्बर, १९२७ को 'साइमन कमीशन' (Simon Commission) की नियुक्ति की, जिसका उद्देश्य—१९१६ की सुधार-योजना के अनुभवा की विवेचना करना था। इस कमीशन की नियुक्ति व समर भारत में राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन चल रहा था और भारतीय, शिक्षा-पद्धति की तीव्र आलोचना कर रहे थे। अतः कमीशन ने भारतीय शिक्षा की जांच करना आवश्यक समझा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कमीशन ने एक 'सहायक समिति' (Auxiliary Committee) की नियुक्ति की। इसने सभापति कमीशन के एक सम्य

सर फिलिप हर्टाग (Philip Hartog) थे। उन्हो के नाम से यह समिति 'हर्टाग-समिति' (Hartog Committee) के नाम से विख्यात है। समिति ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा के सभी अङ्गों का अध्ययन किया और सितम्बर, १९२६ में अपनी रिपोर्ट कमीशन के समक्ष प्रस्तुत की।

समिति की रिपोर्ट

समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि १९१७ से १९२७ तक शिक्षा के सभी अंगों की तीव्र गति से प्रगति हुई है और संख्यात्मक वृद्धि के साथ-साथ, गुणात्मक उन्नति भी हुई है। समिति का कथन था—“प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की अत्यधिक संख्या व्यक्त करती है कि शिक्षा के प्रति जनता की उदासीनता का अन्त हो रहा है। भारत की स्त्रियों में सामाजिक एवं राजनैतिक जागृति प्रारम्भ हो गई है और वे शिक्षा तथा सामाजिक सुधार की बलपूर्वक माँग कर रही हैं। शिक्षा प्राप्त करने वाले मुसलमानों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। दलित वर्गों की दशा सुधारने के लिये प्रयास किये गये हैं, और इन प्रयत्नों के फलस्वरूप वे शिक्षा के अपने अधिकार की माँग करने लगे हैं। सार्वजनिक नेताओं में शिक्षा की जटिल एवं कठिन समस्या को समझने और सुलझाने की इच्छा है एवं शिक्षा-मन्त्रियों ने शिक्षा पर पर्याप्त अतिरिक्त धन व्यय करने का प्रस्ताव किया है और व्यवस्थापिकाओं ने उनके कार्य का अनुमोदन किया है।”¹

भारतीय शिक्षा के इस सुन्दर पहलू का चित्रण करने के उपरान्त समिति ने दूसरे पहलू का भी चित्र प्रस्तुत किया। उसने लिखा कि सम्पूर्ण शिक्षा-व्यवस्था में अपव्यय एवं प्रभावहीनता के प्रमुख दोष दृष्टिगोचर होते हैं। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय सबसे अधिक है। प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या में अवश्य वृद्धि हुई है। माध्यमिक शिक्षा के संगठन में महान् दोष परिलक्षित होते हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षण से अधिक महत्त्व परीक्षाओं को दिया जाता है।² इस प्रकार शिक्षा के सभी अंगों की विशद व्याख्या करने के पश्चात् समिति ने लिखा—“हमसे शिक्षा के संगठन के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। उस संगठन के प्रत्येक पहलू पर पुनः विचार करने और उसको सशक्त बनाने की आवश्यकता है, और शिक्षा के संगठन के लिये जो संस्थाएँ उत्तरदायी हैं, उनके पारस्परिक सम्बन्धों को पुनः निर्धारित करना अनिवार्य है।”³

1. *Report of the Hartog Committee*, p. 345.

2. *Ibid*, pp. 345-46.

3. “We were asked to report on the organization of education. At almost every point that organization needs reconsideration and strengthening; and the relations of the bodies responsible for the organization of education need re-adjustment.”
—*Ibid*, p. 346.

शिक्षा के विभिन्न अवयवों के सम्बन्ध में 'हर्टाग समिति' ने जो विचार व्यक्त किये, उनका वर्णन आगे यथास्थान किया जायगा।

उच्च शिक्षा (१९२१-१९३७)

विश्वविद्यालयों का निर्माण

१९१३ के 'सरकारी प्रस्ताव' में कहा गया था कि प्रत्येक प्रान्त में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय, और अधिक से अधिक सम्भव स्थानों पर शिक्षण-विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जाय। फलस्वरूप, इस काल में ५ नवीन विश्वविद्यालयों का शिलान्यास किया गया। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है —

१. दिल्ली विश्वविद्यालय—इसकी स्थापना १९२२ में परीक्षा लेने और सम्बद्धीकरण करने के लिये की गई। इसके अन्तर्गत 'रामजस कॉलेज, हिन्दू कॉलेज और सेन्ट स्टीफेन्स कॉलेज' थे। १९३७ तक यह विश्वविद्यालय इसी स्थिति में रहा।

२. नागपुर विश्वविद्यालय—इस विश्वविद्यालय का निर्माण १९२३ में मध्य-प्रान्त एवं वरार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये किया गया। प्रारम्भ में यह केवल सम्बद्धीकरण की व्यवस्था करता था, परन्तु शीघ्र ही इसने अपने प्रवन्ध में कानून का एक कॉलेज स्थापित किया।

३. आन्ध्र विश्वविद्यालय—इसकी स्थापना १९२६ में मद्रास प्रान्त के तैलु भाषा के क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए की गई। यह शिक्षण एवं सम्बद्धीकरण विश्वविद्यालय था। १९३३ में इसने विज्ञान और औद्योगिक शिक्षा तथा १९३७ में आर्ट्स के शिक्षण का प्रवन्ध किया।

४. आगरा विश्वविद्यालय—इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास १९२७ में किया गया। यह सम्बद्धक विश्वविद्यालय था। इसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में उत्तर-प्रदेश, बिन्ध्य प्रदेश, ग्वालियर तथा राजस्थान थे।

५. अन्नमलई विश्वविद्यालय—यह एकात्मक (Unitary) शिक्षण एवं सम्बद्धक विश्वविद्यालय था। इसकी आधारशिला १९२६ में महाराजा अन्नमलई से २० लाख रुपए की दानस्वरूप प्राप्त धन-राशि से रखी गई। इसमें अंग्रेजी, तमिल और संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। तमिल भाषा के लिये इसमें एक अनुसन्धान-विभाग भी था।

पुराने विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन

इस काल में पुराने विश्वविद्यालयों में सुधार करके उनका पुनर्गठन किया गया। मद्रास विश्वविद्यालय ने विज्ञान के विभिन्न विषयों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था की और अनुसन्धान-कार्य भी प्रारम्भ किया। यम्बई विश्वविद्यालय ने स्वतन्त्र एवं औद्योगिक शिक्षा प्रदान करने के कार्य का शीघ्रगणना किया। आर्य

विश्वविद्यालय की स्थापना के उपरान्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सम्बद्धीकरण करने का कार्य समाप्त कर दिया और पूर्ण रूप से शैक्षणिक बन गया। पंजाब विश्व-विद्यालय ने विज्ञान के 'ऑनर्स कोर्स' को अधिक व्यापक बनाया। इन विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त, पटना और कलकत्ता विश्वविद्यालयों को भी पुनर्संज्ञित करके उनकी कार्य-क्षमता में उन्नति की गई।

विश्वविद्यालय-शिक्षा

इस अवधि में नवीन विश्वविद्यालयों के निर्माण एवं पुरानों के पुनर्गठन तथा विस्तार के कारण उच्च शिक्षा की अधिक सुविधायें हो गईं। फलस्वरूप, छात्रों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। १९२१-२२ में विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की यौगिक संख्या लगभग ६६,२५८ थी। १९३६-३७ में यह संख्या बढ़कर १,२६,२२८ हो गई। अनुसन्धान-कार्य करने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियों, प्रयोगशालाओं, उत्तम पुस्तकालयों एवं अन्य सुविधाओं द्वारा प्रोत्साहित किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था एवं यू० टी० सी० (University Training Corps) की स्थापना की गई। कलकत्ता, ढाका और कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में सैनिक शिक्षा (Military Science) को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। इस शिक्षा के फलस्वरूप विद्यार्थियों का शारीरिक एवं चारित्रिक विकास हुआ और वे अनुशासन के महत्त्व को समझने लगे। इस काल की विश्वविद्यालय-शिक्षा के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि विद्यार्थियों के लिये छात्रावासों का प्रवन्ध किया गया और उनके स्वास्थ्य की देख-भाल के लिये चिकित्सक नियुक्त किये गये।

'कलकत्ता-विश्वविद्यालय-आयोग' ने सुझाव दिया था कि इन्टरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से पृथक् कर दिया जाए और प्रान्तों में शिक्षा-परिपदों की स्थापना की जाय, जो इन्टरमीडिएट और हाई स्कूल कक्षाओं के शिक्षण का प्रवन्ध करें। इस सुझाव के अनुसार ढाका विश्वविद्यालय ने इन्टरमीडिएट की कक्षाएँ पृथक् कर दी। अलीगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली और मद्रास विश्वविद्यालयों ने भी इन्टरमीडिएट कक्षाओं से अपना कोई सम्बन्ध नहीं रखा। अब ये कक्षाएँ प्रांतीय स्थापित की गई परिपदों की अध्यक्षता में आ गईं। इस परिवर्तन पर १९२२ में विवाद प्रारम्भ हो गया, जो १९२६ तक चलता रहा। शिक्षा-विभागों का कठनाय कि इन्टरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षा का इतना उत्तम प्रबंध नहीं हो सकेगा सिद्धना कि विश्वविद्यालयों में था। फिर इन्टरमीडिएट कक्षाओं में विश्वविद्यालयों को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। इन कक्षाओं के पृथक् हो जाने में उन्हें धन के एक उत्तम साधन का अन्त हो गया। इस विवाद के फलस्वरूप अन्त, दार्जिल, अदमनतीर पटना विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में इन्टरमीडिएट कक्षाओं को रखने की शक्ति प्रदान की गई। मद्रास एवं दिल्ली विश्वविद्यालयों ने इन्टरमीडिएट कक्षाओं को

नहीं किया। उत्तर प्रदेश में शिक्षा-परिपद की स्थापना हो गई थी, फिर भी 'आगरा विश्वविद्यालय-अधिनियम' में इण्टरमीडिएट कक्षाएँ रखने की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त, केवल ढाका, पंजाब और बिहार में शिक्षा-परिपदों का निर्माण हुआ।

हर्टाग समिति और विश्वविद्यालय-शिक्षा

हर्टाग समिति ने विश्वविद्यालय-शिक्षा की जाँच की, और इस निष्कर्ष पर पहुँची कि उसमें निम्नलिखित दोष थे —

१. विश्वविद्यालयों की संख्या में सराहनीय वृद्धि हुई है, परन्तु शिक्षण का स्तर गिर गया है।
२. विश्वविद्यालय की शिक्षा में छात्रों में बौद्धिक रुचि उत्पन्न करने, उन्हें जीवन का अनुभव प्रदान करने तथा देश के नेता बनाने की क्षमता नहीं।
३. विश्वविद्यालयों में पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता है। फलस्वरूप, उनका ध्यान शिक्षण-कार्य पर केन्द्रित न रहकर, छात्रों की संख्यात्मक वृद्धि पर केन्द्रित रहता है।
४. विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बन्धित कॉलेजों के कार्य में सामंजस्य नहीं है। एव उनका वातावरण उचित रूप से विकसित नहीं किया गया है।
५. विश्वविद्यालयों द्वारा किया गया अनुसन्धान का कार्य सन्तोषजनक है, परन्तु 'ऑनर्स बोर्ड' का समुचित संगठन नहीं किया गया है।
६. विश्वविद्यालयों में सुसमृद्ध पुस्तकालयों का अभाव है।
७. विश्वविद्यालयों के छात्रों में सामूहिक जीवन का अभाव है और उनमें बेरोजगारी की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।
८. विद्याधिया को अंग्रेजी का इतना अल्प ज्ञान है कि वे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिये हुए व्याख्यानों को नहीं समझ पाते हैं। फलस्वरूप न केवल विश्वविद्यालयों का, अपितु माध्यमिक विद्यालयों का भी शिक्षण स्तर निम्नतर हो गया है।

विश्वविद्यालयों के इन दोषों को दूर करने के लिये समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिये —

१. शिक्षा की दृष्टि से एकात्मक विश्वविद्यालय सर्वोत्तम होते हैं। परन्तु भारत की परिस्थितियाँ को ध्यान में रखते हुए सम्मिश्र विश्वविद्यालयों की आवश्यकता अभी पर्याप्त समय तक रहेगी। अतः दोनों प्रकार के विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाय।

२. विश्वविद्यालयों के शिक्षा-न्तर को ऊँचा उठाना आवश्यक है। इससे न केवल विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले, अपितु माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों का भी कल्याण होगा।
३. विश्वविद्यालयों के प्रवेश-नियमों में कड़ाई की जाय। केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाय, जिनमें उच्च शिक्षा का लाभ उठाने की योग्यता हो।
४. विश्वविद्यालयों का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वे मुसमुद्र पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और अनुसन्धान-कार्यों की उत्तम व्यवस्था करें।
५. 'ऑनर्स कोर्स' के शिक्षण का प्रवर्धन किया जाय और इसको 'पास-कोर्स' में पृथक् रखा जाय। 'ऑनर्स-कोर्स' को सफल बनाने के लिये विश्व-विद्यालय और उनसे सम्बन्धित कॉलेजों के प्राध्यापकों पर सम्मिलित रूप से उत्तरदायित्व रखा जाय।
६. स्नातकों में बढ़ती हुई बेकारी को रोकने के लिये विश्वविद्यालयों में औद्योगिक शिक्षा का पाठ्य-क्रम प्रारम्भ किया जाय। औद्योगिक शिक्षा-प्राप्त छात्रों को सरकार द्वारा नौकरी दी जाय।
७. स्नातकों को नौकरी प्राप्त करने की सुविधा देने के विचार के विश्व-विद्यालयों में 'रोजगार-कार्यालय' (Employment Bureaus) स्थापित किये जायें।
८. विश्वविद्यालयों का एक प्रमुख कर्तव्य—जन-साधारण में ज्ञान का प्रसार करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये विश्वविद्यालयों द्वारा व्याख्यान-मालाओं की योजना का सूत्रपात किया जाय।

माध्यमिक शिक्षा (१९२१-१९३७)

१९२१ से १९३७ तक उच्चशिक्षा के क्षेत्र में कितनी अनेकमुखी उन्नति परिलक्षित होती है, उतनी माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अवलोकित नहीं होती है। निस्सन्देह, माध्यमिक विद्यालयों और उनमें शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या में, कॉलेजों और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई, परन्तु माध्यमिक शिक्षा के कुछ आधारभूत दोंषों (यथा—शिक्षा का माध्यम और अध्यापकों का प्रशिक्षण) का निवारण न हो सका।

माध्यमिक शिक्षा का विस्तार

१९२१-२२ में मान्यता-प्राप्त स्कूलों की संख्या ७,५३०; और उनमें शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या ११,०६,८०३ थी। १९३६-३७ में यह संख्या क्रमशः १३,०५६ और २२,८७,८७२ थी। इन आँकड़ों को देखने से माध्यमिक शिक्षा का विस्तार असाधारण ज्ञात होता है। इस आश्चर्यजनक वृद्धि के अग्रलिखित कारण थे :—

१. राजनैतिक चेतना एवं राष्ट्रीय शिक्षा के आन्दोलन के फलस्वरूप भारत वागी शिक्षा के महत्त्व से अवगत हो गये थे और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये विद्यालयों का नवनिर्माण किया जा रहा था।
२. पिछड़ी जातियों, निम्न वर्गों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता थी और परिणामस्वरूप माध्यमिक शिक्षा को सुलभ बनाने के लिये स्कूलों की स्थापना हो रही थी।
३. कुछ उदार व्यक्तियों ने स्कूलों के निर्माण के लिये धन दिया। कुछ व्यक्ति ऐसे थे, जो अपनी लोकप्रियता में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से इस दिशा में कार्यरत हुए।
४. एक क्षेत्र के निवासी अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिये अन्य क्षेत्रों में स्थापित विद्यालयों में नहीं भेजना चाहते थे। अतः उन्होंने सामूहिक प्रयास से अपने क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना की।
५. कुछ विद्यालयों का निर्माण समीपवर्ती क्षेत्रों के निवासियों की पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता एवं कलह के कारण हुआ।
६. कतिपय विद्यालयों के शिक्षकों ने प्रबन्धकों के व्यवहार से असंतुष्ट होकर पृथक् विद्यालय निर्मित किये।
७. शिक्षित व्यक्तियों में बेकारी बढ़ रही थी। अतः उनमें से कुछ उत्साही एवं बुद्धिमान मनुष्यों ने विद्यालयों की स्थापना करके अपने जीविकोपार्जन का साधन खोज लिया।

उपर्युक्त कारणों के फलस्वरूप १९३७ तक सम्पूर्ण देश में माध्यमिक विद्यालयों का एक ताना-बाना बुन गया। प्रायः प्रत्येक बड़े ग्राम और कस्बे में एक स्कूल भवन दिखाई देने लगा। अध्ययन की सुविधा होने के कारण उस क्षेत्र के बच्चे उनमें प्रवेश करने लगे और शीघ्र ही छात्रों की वाढ़ दिखाई देने लगी।

शिक्षा का माध्यम

इस काल की माध्यमिक शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि भारतीय भाषाओं की शिक्षा का माध्यम बनाया गया। परन्तु फिर भी कुछ स्कूल ऐसे थे जिनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही रही। इससे कारण थे—(१) उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। अतः कुछ विद्यालयों के प्रबन्धकों ने माध्यम के स्थान पर अंग्रेजी को ही प्रतिष्ठित रखा। (२) कुछ अभिभावक चाहते थे कि उनके बच्चे अंग्रेजी में दक्षता प्राप्त करें। अतः वे उनको ऐसे ही स्कूलों में भेजते थे, जहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। (३) कुछ क्षेत्रों में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। अतः वहाँ अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देना अनिवायं था। (४) भारतीय भाषाओं में विज्ञान

आदि की उत्तम पुस्तको एवं शब्दावली का अभाव होने के कारण अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाना पड़ता था।

उपरोक्त कठिनाइयों पर १९३७ तक विजय प्राप्त कर ली गई, और भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के पद पर प्रतिष्ठापन कर दिया गया।

माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक

इस काल में माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया गया। १९३७ में १५ शिक्षण-विद्यालय थे, जिनमें १,३४१ पुरुष और १४७ स्त्रियाँ थीं। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की दशा में सुधार करने के प्रयास किये गये। उनके लिये 'प्राविडेण्ड फण्ड' की योजना कार्यान्वित की गई। प्रबन्धकों द्वारा निकाले जाने वाले गैर-सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को विद्यालय-निरीक्षक से अपील करने का अधिकार दिया गया। सहायता-अनुदान पाने वाले विद्यालयों के लिये विद्यालय-निरीक्षक का निर्णय स्वीकार करना अनिवार्य कर दिया गया।

हार्टग समिति और माध्यमिक शिक्षा

हार्टग समिति ने उच्च शिक्षा के समान माध्यमिक शिक्षा की सूक्ष्म जाँच नहीं की। फिर भी 'समिति' ने माध्यमिक शिक्षा के प्रधान गुण-दोषों की ओर संकेत किया और शिक्षा का स्तर उच्च करने के लिये सुझाव दिये। समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों की दशा, उनकी शिक्षण-योग्यता और स्कूलों के सामाजिक जीवन को व्यापक बनाने में उन्नति हुई है। परन्तु उच्च शिक्षा के समान माध्यमिक शिक्षा में भी संगठन के दोष हैं। "माध्यमिक शिक्षा की सम्पूर्ण प्रणाली में आज भी उसी आदर्श की प्रधानता है कि प्रत्येक बालक जो माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश करता है, उसे विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिये अपने आप को तैयार करना चाहिये, और 'मेट्रीकुलेशन' एवं विश्वविद्यालय परीक्षाओं में एक विशाल संख्या में बालकों का असफल होना—प्रयास के एक महान् अपव्यय का द्योतक है।"¹

इस प्रकार 'समिति' के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के दो प्रमुख दोष थे—
(अ) मेट्रीकुलेशन परीक्षा की प्रधानता, (ब) अनुत्तीर्ण छात्रों की विशाल संख्या। इन दोषों के निवारण एवं माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिये समिति ने अप्रलिखित सुझाव दिये—

1. "The whole system of secondary education is still dominated by the ideal that every boy who enters a secondary school should prepare himself for the university, and the immense numbers of failures at the Matriculation and in the university examinations indicate a great waste of effort."—*Hartog Committee Report*, pp 345-346.

१. मिडिल स्कूलों का पाठ्यक्रम इतना संकुचित है कि उनके अध्ययन के उपरान्त छात्र कोई जीवनोपयोगी कार्य नहीं कर सकते हैं। अतः पाठ्यक्रम को विस्तृत किया जाय और उसमें ऐसे विषयों को स्थान दिया जाय जो छात्रों को धनोपार्जन में सहायता दें।
२. हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं व्यापारिक विषयों को सम्मिलित किया जाय और विद्यार्थियों को इन विषयों का अध्ययन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाय।
३. हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में ऐसे वैकल्पिक विषयों को स्थान दिया जाय, जो विद्यार्थियों के लिये लाभप्रद सिद्ध हों, और जिन्हें वे अपनी रुचि के अनुसार चुन सकें।
४. मिडिल स्कूलों का कोर्स समाप्त करने के पश्चात् परीक्षा लेने का व्यवस्था की जाय और उसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उन उद्योगों एवं व्यवसायों की शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेज दिया जाय जिनके लिये वे उपयुक्त समझे जायें।
५. शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने के लिये शिक्षकों के प्रशिक्षण की उच्च व्यवस्था की जाय। इसके साथ ही प्रशिक्षण-विद्यालयों की दशा में सुधार किया जाय और उनमें शिक्षण की आधुनिकतम पद्धतियों को अपनाया जाय।
६. प्रशिक्षण-विद्यालयों में अध्यापकों के लिये अभिनवन पाठ्य-क्रम (Refresher Course) की व्यवस्था की जाय।
७. अध्यापकों के वेतन एवं सेवा-प्रतिबन्धों (Conditions of Service) में सुधार किया जाय। जब तक ऐसा नहीं किया जायगा, तब तक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति नहीं हो सकेगी।
८. गैर-सरकारी स्कूलों में अध्यापकों को ६ माह के लिये नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार प्रबन्धक, ग्रीष्मावकाश का वेतन बचा लेते हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों से किसी प्रकार का लिखित संविदा (Agreement) नहीं भरवाया जाता है और उन्हें थोड़े समय का नोटिस देकर पद से पृथक् कर दिया जाता है। इन सब बातों में सुधार करके शिक्षकों को अपने पद की सुरक्षा प्रदान की जानी आवश्यक है।

समीक्षा

‘समिति’ ने माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में प्रशंसनीय सुझाव दिये। पाठ्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक तथा व्यापारिक विषयों को रखने की सिफारिश करते ‘समिति’ ने छात्रों को विभिन्न जीवनोपयोगी विषयों का अध्ययन करने की व्यवस्था की। इसमें विद्यार्थी—निरुद्देश्य साहित्यिक शिक्षा के अध्ययन से अपना सम्बन्ध-विच्छेद

कर सकते थे, जीवन में प्रवेश कर सकते थे और प्रवेश करने पर कोई लाभप्रद कार्य भी कर सकते थे। अध्यापकों की दशा में सुधार करने के लिये 'समिति' ने जो सुझाव दिये, उनके विषय में किसी प्रकार का मतभेद नहीं हो सकता है। परन्तु खेद की बात है कि इस दिशा में कोई त्रियाशील कदम नहीं उठाया गया और वर्षों तक गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की दशा करुणाजनक रही। इसकी प्रतिक्रिया शिक्षा पर हुई और उसके स्तर में क्रमिक ह्रास होता चला गया।

प्राथमिक शिक्षा (१९२१-१९३७)

भारतीय शिक्षा के इतिहास में इस अवधि की सर्वप्रथम घटना प्राथमिक शिक्षा की तीव्र प्रगति है। भारतीय अति दीर्घकाल से जन-शिक्षा की तीव्र माँग कर रहे थे, परन्तु ब्रिटिश सरकार ने इसकी सदैव अवहेलना की थी। शिक्षा-विभागों के जन-प्रिय मंत्रियों की अध्यक्षता में आ जाने से भारतीयों की आशा होने लगी थी कि जन-साधारण में शिक्षा का प्रसार होगा और वह निःशुल्क एवं अनिवार्य हो जायगी। हुआ भी ऐसा ही, जैसा कि नीचे दिये हुए विवरण से स्पष्ट हो जायगा।

प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम

१९२० तक भारत के अनेक प्रान्तों में अधिनियमों द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था। १९३७ तक विभिन्न प्रान्तों में भी ऐसे ही अधिनियम पारित किये गये, यथा—

बम्बई—१९२३ में बम्बई में 'प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम' पास किया गया, जिसके द्वारा बम्बई नगर के अतिरिक्त, सम्पूर्ण प्रान्त के बालकों तथा बालिकाओं के लिये प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया।

आसाम—इस प्रान्त में १९२६ में 'प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम' बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों एवं बालिकाओं के लिये प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई।

समुक्त-प्रान्त—यहाँ १९२६ में 'जिला-परिषद् प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम' (District Board Primary Education Act) बनाया गया और देहातो में निवास करने वाले बालकों तथा बालिकाओं के लिये प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया।

बंगाल—इस प्रान्त में १९३० में 'बङ्गाल ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम' (Bengal Rural Primary Education Act) पारित करके ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों और बालिकाओं पर लागू कर दिया गया।

उपर्युक्त अधिनियमों के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय संस्थाओं को सौंप दिया गया। अधिनियमों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व भी उन्हीं पर रखा गया। शिक्षा के व्यय की पूर्ति के लिये उन्हें 'शिक्षा-कर' (Education Cess) लगाने का अधिकार दे दिया गया। प्रान्तीय सरकारों ने इस व्यय के लिये आर्थिक

सहायता देने का वचन दिया। अनिवार्य शिक्षा का लाभ वे ही बालक और बालिकाएँ उठा सकते थे, जिनकी आयु साधारणतः ६ वर्ष से १० वर्ष की थी। अपने बच्चा को स्कूल न भेजने वाले अभिभावकों को दण्डित किया जा सकता था।

हर्टाग समिति और प्राथमिक शिक्षा

‘हर्टाग समिति’ ने प्राथमिक शिक्षा की समस्या का गहन अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँची कि प्राथमिक शिक्षा की स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी। ‘समिति’ के अनुसार—इसका प्रमुख कारण यह था कि पिछले समय में उच्च शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया था और प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं की अवहेलना की गई थी।¹

‘समिति’ ने कहा कि यद्यपि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार हो रहा था, तथापि वह सन्तोषजनक नहीं था, क्योंकि उसके मार्ग में अधोलिखित विशेष कठिनाइयाँ थी —

१. भारत की एक अति विशाल जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। अतः प्राथमिक शिक्षा—एक ग्रामीण समस्या है। नगरों में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सरलतापूर्वक की जा सकती है, परन्तु ग्रामों में यह कार्य अति दुष्कर है।
२. ग्रामों के स्कूल छोटे होते हैं। उनके लिये शिक्षक प्राप्त करना कठिन होता है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ग्रामीण वातावरण में निवास करना पसन्द नहीं करते हैं। ग्रामीण विद्यालयों के निरीक्षण में अनुविद्या का सामना करना पड़ता है।
३. ग्राम-निवासी अशिक्षित, निर्धन और रुढ़िवादी हैं। अतः वे शिक्षा की उपादेयता को नहीं समझते हैं। इसीलिए वे अपने बच्चा को विद्यालय नहीं भेजना चाहते हैं। फिर बच्चों को शिक्षा देने में उन्हें आर्थिक हानि भी होती है, क्योंकि उन्हें कृषि-कार्य के लिये अन्य व्यक्तियों को रखना पड़ता है।
४. प्रत्येक ग्राम में प्राथमिक विद्यालय नहीं है। बच्चों के लिये दूरे-दूरों के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने के लिये जाना कठिन होता है, वरन् प्राकृतिक बाधाएँ, आवागमन के साधनों का अभाव एवं मौसम की मारियाँ उनके मार्ग में अवरोध डालती हैं।

1. "While much attention has been paid in the past to a consideration of higher forms of education, the problems of primary education have been comparatively neglected."—Hartog Committee Report, pp. 3-4.

५. बहुत से पिछड़े हुए क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं किया गया है।
६. बालकों को अपने माता-पिता के साथ कृषि-कार्य करना पड़ता है। अतः कार्य की अधिकता हो जाने पर वे विद्यालयों में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो पाते हैं।
७. जातीय, धार्मिक एवं साम्प्रदायिक भेद-भाव प्राथमिक शिक्षा के विकास में बाधक है।
८. कुछ क्षेत्रों में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अतः वहाँ प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना एक दुरूह कार्य हो जाता है।

अपव्यय एवं अवरोधन^१—‘समिति’ ने कहा कि यद्यपि प्राथमिक विद्यालयों और छात्रों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है, परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा की प्रगति हो रही है। कारण यह है कि प्राथमिक शिक्षा में ‘अपव्यय’ एवं ‘अवरोधन’ अत्यधिक है। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व बालकों को किसी कक्षा में से हटा लेना—‘अपव्यय’ है।^२ इस दशा में बालक जो कुछ थोड़ा-बहुत पढ़ना-लिखना सीख लेता है, उसे वह भूल जाता है और निरक्षर हो जाता है। साक्षरता का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है, जब बालक कम से कम प्राथमिक शिक्षा को समाप्त कर लें। ‘अवरोधन’ का अर्थ स्पष्ट करते हुए ‘समिति’ ने लिखा कि एक बच्चे का एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक रहना—‘अवरोधन’ है।^३

‘समिति’ के मतानुसार ‘अपव्यय’ एवं ‘अवरोधन’ के कारण निम्नलिखित वे—

१. जो छात्र प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् विद्यालयों को छोड़ देते हैं, उन्हें उचित वातावरण नहीं मिलता है। उसके माता-पिता अशिक्षित होते हैं। वे घनाभाव के कारण पुस्तकें और मासिक पत्रिकाएँ आदि नहीं खरीद सकते हैं। अतः थोड़े समय के उपरान्त वे निरक्षर बन जाते हैं।
२. अधिकांश स्कूलों में एक ही शिक्षक है और सभी विद्यार्थियों को सभी विषयों की शिक्षा उसी के द्वारा दी जाती है। ऐसी दशा में स्तर निम्न हो गया है।

1. Wastage and Stagnation.

2. "By 'wastage' we mean the premature withdrawal of children from school at any stage before the completion of the primary course"—*Hartog Committee Report*, p. 47.

3. "By 'stagnation' we mean the retention in a lower class of a child for a period of more than one year."—*Ibid.*

३. प्राथमिक विद्यालयों की संख्या के अनुपात में निरीक्षकों की संख्या अति अल्प है। परिणामतः विद्यालयों का निरीक्षण नियमित रूप से नहीं होता है।
४. शिक्षण-पद्धति प्राचीन तथा अमनोवैज्ञानिक है। ऐसे शिक्षण से छात्रों को लाभ नहीं होता है।
५. प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, और जो शिक्षक अध्यापन-कार्य कर रहे हैं, उनमें आवश्यक योग्यता तथा प्रशिक्षण का अभाव है।
६. पाठ्य-क्रम दोषपूर्ण है, और उससे छात्रों का उचित हित नहीं होता है।
७. विद्यालयों में उचित शिक्षण-सामग्री का अभाव है। साथ ही उनमें स्थान की कमी है।
८. प्राथमिक विद्यालयों का वितरण अनियमित एवं अवैज्ञानिक है।
९. अनेक विद्यालय ऐसे हैं, जिनको 'विद्यालय' की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। फिर भी वे अपने अस्तित्व को बनाये हुए हैं।
१०. कुछ प्राथमिक स्कूल नियमित रूप से नहीं चलते हैं, और असमय ही बंद जाते हैं।
११. ग्रामीण जनता इतनी निर्धन है कि वह बच्चों को अल्प आयु में ही कार्य में लगा देती है।
१२. धार्मिक एवं जातीय भेदों के कारण विभिन्न स्कूलों की माँग की जाती है।
१३. रूढ़िवादी अभिभावक बालिकाओं को बालकों के विद्यालयों में शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। अतः वे पृथक् स्कूलों की स्थापना चाहते हैं।
१४. निरक्षर होने के कारण जनता अपने क्षेत्र में स्थित विद्यालय का पूर्ण लाभ अपने बच्चों को नहीं उठाने देती है।
१५. 'प्राथमिक-शिक्षा-अधिनियम' त्रुटिपूर्ण हैं, क्योंकि उन्होंने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ करने का कार्य स्थानीय सस्थाओं की इच्छा पर छोड़ दिया है।

शिक्षा-सम्बन्धी सुझाव

प्राथमिक शिक्षा के दोषों का विवेचन करने के उपरान्त 'समिति' ने उनका निवारण के लिये निम्नांकित सुझाव दिये :—

१. प्राथमिक विद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि पर जोर न देकर, गुणान्तर उन्नति पर बल दिया जाय।

- २ शिक्षा को ठोस (Consolidation) बनाने की नीति का अनुसरण किया जाय ।
- ३ जो विद्यालय छोटे हैं, जिनमें छात्रों की संख्या अति न्यून है और जिनमें शिक्षण की व्यवस्था उपयुक्त नहीं है, उन्हें तोड़ दिया जाय ।
- ४ प्राथमिक विद्यालयों की न्यूनतम शिक्षा-अवधि ४ वर्ष रखी जाय और उनके शिक्षण-स्तर को ऊँचा उठाया जाय ।
- ५ विद्यालयों के पाठ्य-क्रम को वातावरण एवं परिस्थिति के अनुसार अधिक उदार तथा उपयुक्त बनाया जाय और उसे व्यावहारिक जीवन से सम्बन्धित किया जाय ।
- ६ विद्यालयों का समय, अवकाश एवं कार्य-क्रम स्थानीय ऋतुओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार रखा जाय ।
- ७ विद्यालय की निम्नतम कक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय और उसमें होने वाले अपचय तथा अवरोधन को समाप्त करने के लिए हठ प्रयास किया जाय ।
- ८ विद्यालयों में ग्राम-सुधार का कार्य रखा जाय । उनमें सफाई, स्वास्थ्य, आत्म विश्वास, सहकारिता आदि गुणों का विकास किया जाय और उन्हें सामान्य चिन्तना, मनोरंजन तथा प्रौढ-शिक्षा का केन्द्र बनाया जाय ।
- ९ अध्यापकों के शिक्षण-स्तर को ऊँचा उठाया जाय । उनके प्रशिक्षण की अवधि में वृद्धि की जाय । प्रशिक्षण-विद्यालयों की दशा में सुधार किया जाय । उनमें अभिनवन पाठ्य-क्रम प्रारम्भ किये जायें ।
- १० शिक्षकों की वेतन वृद्धि की जाय और उनके सेवा-प्रतिबन्धों में सुधार किया जाय, जिससे योग्य व्यक्ति शिक्षण-कार्य के प्रति आकर्षित हो ।
- ११ विद्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के लिये निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाय ।
- १२ प्राथमिक शिक्षा को संगठित एवं विस्तृत करने का उत्तरदायित्व सरकार का है । अतः उसे पूर्णतः स्थानीय संस्थाओं पर नहीं छोड़ देना चाहिए, जैसा कि किया गया है ।
- १३ प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में शीघ्रता न की जाय । जिस क्षेत्र में अनिवार्य शिक्षा लागू की जानी है, उसका पहले अध्ययन किया जाय और वहाँ के लिए एक उपयुक्त योजना तैयार की जाय ।

समीक्षा

'समिति' ने प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिये जो मुझाव दिये, वे वस्तु अति विवेकपूर्ण एवं दूरदर्शी थे । शिक्षा का उचित लाभ उठाने के लिये उसको संगठित किया जाना और उसकी गुणात्मक उत्थिति की जानी आवश्यक थी । अधिकारियों ने 'समिति' के इस मुझाव का स्वागत किया, क्योंकि उनका नि

कि शिक्षा को ठोस बनाने की नीति ही भारतीयों के लिये कल्याणकारी होगी और बिना ऐसा किये, केवल शिक्षा का विस्तार करना निरर्थक होगा। इसके विपरीत, भारतीय, प्राथमिक शिक्षा का तीव्र विस्तार चाहते थे। अतः उन्होंने हर्टाग समिति के सुझावों की अत्यन्त निन्दा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा का विस्तार किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि इस नीति के अभाव में न तो जन-शिक्षा का प्रसार होगा और न देश की निरक्षरता का अन्त होगा। भारतीयों ने यह भी कहा कि 'समिति' ने अपव्यय तथा अवरोधन का जो चित्र उपस्थित किया है, वह अतिरिक्त है और यथार्थ आँकड़ों पर आधारित नहीं है। सारांश में, हर्टाग समिति ने प्राथमिक शिक्षा पर बज्र प्रहार किया और उसकी प्रगति को अवरुद्ध कर दिया। यही भाग्य अनिवार्य शिक्षा का भी हुआ। इसे हम नीचे दी हुई तालिकाओं से स्पष्ट कर रहे हैं :—

प्राथमिक शिक्षा का प्रसार (१९२१-१९३७)

	१९२१-२२	१९२६-२७	१९३१-३२	१९३६-३७
प्राथमिक स्कूल	१,५५,०१७	१,८४,८२६	१,६६,७०८	१,६२,२४४
छात्र-संख्या	६१,०६,७५२	८०,१७,६२३	६१,६२,४५०	१,०२,२४,२८८
व्यय (रुपयों में)	४,६४,६६,०८०	६,७५,१४,८०२	७,८७,६५,२३६	८,१३,३८,०१५

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र (१९२६-१९३७)

प्रान्त	नागरिक क्षेत्र		ग्रामीण क्षेत्र	
	१९२६-२७	१९३६-३७	१९२६-२७	१९३६-३७
मद्रास	२१	२७	३	१
बम्बई	६	६	—	—
बंगाल	—	१	—	२५
संयुक्त प्रान्त	२५	३६	—	२,६६१
पंजाब	५७	६३	१,४६६	२
बिहार व उड़ीसा	१	२	३	८
मध्य प्रान्त	३	२६	६६	१
मिन्घ	—	१	—	६
दिल्ली	१	१	—	—
योग	११५	१६७	१,५७१	३,०१५

व्यावसायिक शिक्षा (१९२१-१९३७)

राष्ट्रीय चेतना के इस युग में देश के विवेकी जन कोरे पुस्तकीय ज्ञान के विरुद्ध नारे लगा रहे थे और भारतीयों के समक्ष व्यावसायिक शिक्षा का आदर्श उपस्थित कर रहे थे। उनका यह सन्देश भारत के कोने कोने में गूँज उठा था— 'अव्यावहारिक साहित्यिक ज्ञान का वहिष्कार करके और प्राविधिक तथा औद्योगिक ज्ञान को उपलब्ध करके ही प्रचुर प्राकृतिक पदार्थों से युक्त इस देश की औद्योगिक उन्नति हो सकेगी।' केवल तभी भारत का सर्वतोमुखी विकास सम्भव होगा और हृदय-विदारक दरिद्रता की दाह-क्रिया होगी। इस आन्दोलन के फलस्वरूप १९२१ से १९३७ तक व्यावसायिक शिक्षा का प्रवाह निर्वाह रहा और उसका प्रत्येक अवयव संशोधित तथा परिष्कृत होकर सुसंगठित बना। हम इसका संक्षिप्त विवरण नीचे दे रहे हैं —

(१) कानून की शिक्षा—इस अवधि में कानून की शिक्षा की सबसे अधिक प्रगति हुई। कानून का व्यवसाय स्वतन्त्र था और साथ ही कानून के अध्ययन की आवश्यकता अनुभव की गई—जिससे कि भारतीय, वैधानिक जटिलताओं से अवगत हो जायें। परिणामतः देश के नवयुवकों का झुकाव कानून की शिक्षा की ओर अधिक हुआ। १९३७ तक भारत में १४ कानून-कॉलेजों का निर्माण हो चुका था। इनके अतिरिक्त, ६ विश्वविद्यालयों में कानून-विभाग थे और ६ सामान्य कॉलेज ऐसे थे, जिनमें कानून की शिक्षा की व्यवस्था थी।

(२) चिकित्सा—कानून की शिक्षा की अपेक्षा चिकित्सा-शिक्षा की उन्नति कम हुई। फिर भी यह पर्याप्त रूप से सतोपजनक थी। १९०२ में केवल ४ मेडिकल कॉलेज थे और उनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या १,४६२ थी। १९३७ में यह संख्या क्रमशः ११ और ४,९३६ हो गई। इसी प्रकार १९०२ में मेडिकल स्कूलों की संख्या ३० और छात्रों को ६,९९९ हो गई। इस काल में दो विशेष प्रकार के चिकित्सा-शिक्षालयों की स्थापना हुई, जिनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है, यथा—

१. स्कूल ऑफ ट्रापिकल मेडिसिन, कलकत्ता—इसकी स्थापना १९३१ में की गई। यह अपने ढंग का अकेला चिकित्सा-विद्यालय है। इसमें उष्ण कटिबन्धीय (Tropical) रोगों की स्नातकोत्तर शिक्षा दी जाती है।
२. ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एण्ड पब्लिक हेल्थ, कलकत्ता—इसका निर्माण १९३२ में किया गया। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्नातकोत्तर शिक्षा और जन-स्वास्थ्य-समस्याओं पर अनुसंधान करने की सुन्दर व्यवस्था है।

(३) इंजीनियरिंग-शिक्षा—इस अवधि में इंजीनियरिंग-शिक्षा की आशातीत प्रगति हुई। १९०२ में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या ४ और उनमें शिक्षा ग्रहण करने

करने वाले छात्रों की संख्या ८६५ थी। १९३७ में यह संख्या घटकर क्रमशः ८ और २,१९९ हो गई।

(४) पशु-चिकित्सा शिक्षा—भारत ऐसे कृषि-प्रधान देश में 'पशु' कृषकों की अमूल्य सम्पत्ति है। अतः स्वस्थ और उत्तम नस्ल के पशुओं की आवश्यकता है। भारत की विदेशी सरकार ने १९०२ तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। केवल यत्रतत्र नाम-मात्र के लिये थोड़ी-सी पशु-चिकित्सा शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित कर दी थीं। किन्तु इस काल में पशु-चिकित्सा-शिक्षा को विस्तृत करने का प्रयास किया गया। सयुक्त प्रान्त में १९२२ तक मुक्तेश्वर में 'इम्पीरियल वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट' (Imperial Veterinary Research Institute) बनाकर तैयार कर दिया गया। इसमें पशु-चिकित्सा की स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान की जाती है। १९३० में पटना में 'वेटेरिनरी कॉलेज' स्थापित किया गया। इन संस्थाओं के निर्माण से पशु-चिकित्सा-शिक्षा की आवश्यकता पूर्ण न हो सकी और जनता अधिक कॉलेजों की स्थापना की माँग करती रही।

(५) वन-विज्ञान-शिक्षा—भारतीय वनों की सम्पत्ति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हो चुका था और उनसे लाभ उठाने के विचार से वन-विभाग के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना प्रारम्भ कर दिया गया था। १९३७ में वन-विज्ञान की शिक्षा देने के लिये तीन कॉलेजें थी—(१) इंडियन फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज (Indian Forest Rangers' College), देहरादून, (२) फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून, और (३) फॉरेस्ट कॉलेज, कोयम्बटूर। द्वितीय कॉलेज में शिक्षा के साथ-साथ, अनुसंधान कार्य भी किया जाता था।

(६) कला की शिक्षा—लार्ड कर्जन ने १९०४ के 'सरकारी-प्रस्ताव' में कला-विद्यालयों के सुधार के लिये कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये थे। इस अवधि में उन्हीं सुझावों के अनुसार कला विद्यालयों का पुनर्गठन किया गया। यद्यपि इस कार्य में अधिक सफलता नहीं प्राप्त हुई, परन्तु कला-विद्यालयों की संख्या में वृद्धि अवश्य हुई। १९०२ में ४ कला विद्यालय थे, पर १९३७ में उनकी संख्या १४ हो गई थी, जिनमें २,१०६ छात्र पढ़ते थे।

(७) वाणिज्य-शिक्षा—इस काल में वाणिज्य की शिक्षा देने के लिये प्रशसनीय कार्य किया गया। १९३७ में वाणिज्य की शिक्षा देने के लिये ८ कॉलेजें थीं। इनमें १,३३६ छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इन कॉलेजों के अतिरिक्त, वाणिज्य की शिक्षा प्रदान करने के लिये ३५७ स्कूल थे, जिनमें १२,५८६ विद्यार्थी थे।

(८) कृषि की शिक्षा—लार्ड कर्जन ने कृषि की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया था। १९०१ में भारतीय कृषि की उन्नति करने के लिए एक 'इंस्पेक्टर-जनरल ऑफ एग्रिकल्चर' की नियुक्ति की गई थी। कृषि-विभाग का विस्तार किया गया था, और १९०५ में कृषि-शिक्षा तथा अनुसन्धान के लिए २० लाख रुपये प्रति वर्ष राजनेत्र

से दिया जाने लगा था। फलस्वरूप, भारत में कृषि की शिक्षा का कुछ प्रबन्ध हो गया और थोड़े से विद्यालय भी निर्मित कर दिये गये। दुर्भाग्यवश, कृषि-शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली कर्जेंट की नीति का अनुसरण नहीं किया गया। १९०२ में ३ कृषि-कॉलेज थे, पर १९३७ में उनकी संख्या बढ़कर कुल ६ तक पहुँची। ये कॉलेज कोयम्बटूर, पूना, कानपुर, नैनी, लायलपुर और नागपुर में थे। इन कॉलेजों के स्थापना-स्थानों को देखने से ज्ञात होता है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रान्तों में कृषि-शिक्षा के कॉलेज नहीं थे; यथा—बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सिन्ध और पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त।

उपरिकथित कॉलेजों के अतिरिक्त, १९२३ में बंगलौर से 'इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेन्ड्री एण्ड डेयरींग' (Imperial Institute of Animal Husbandry & Dairying) की स्थापना की गई। १९३४ के भूकम्प के उपरान्त पूसा (बिहार) के 'सेन्दूल रिसर्च इंस्टीट्यूट' को उठाकर दिल्ली में लाया गया। यद्यपि इन कॉलेजों ने कुशल कृषक उत्पन्न नहीं किये, तथापि इन्हें कृषि-विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने में कुछ सफलता अवश्य प्राप्त हुई। इतना निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि इन कॉलेजों ने भारत में कृषि की उच्च शिक्षा छात्रों के लिए सुलभ कर दी।

कृषि-शिक्षा के प्रसंग में 'रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर' (Royal Commission on Agriculture) द्वारा इस शिक्षा की प्रगति के लिए दिये गये सुझावों पर दृष्टिपात कर लेना अनुपयुक्त न होगा। सारांश में, ये सुझाव अधोलिखित थे :—

१. हाई-स्कूलों में कृषि की शिक्षा 'सैद्धान्तिक' (Theoretical) और 'व्यावहारिक' (Practical)—दोनों प्रकार की होनी चाहिए।
२. कृषि-शिक्षा नगर के विद्यालयों में न दी जाकर, ग्राम के विद्यालयों में दी जानी चाहिए, क्योंकि इस शिक्षा से ग्रामीण छात्र ही लाभ उठा सकते हैं।
३. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-शिक्षा का प्रसार करने के लिए 'कृषि मिडिल स्कूलों' की स्थापना की जाय।
४. प्रत्येक ग्राम-विद्यालय के पास ३ एकड़ का फार्म होना चाहिए। यदि यह सम्भव नहीं है, तो कम से कम ३ एकड़ का फार्म अवश्य हो।

भारत का दुर्भाग्य था कि कमीशन की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया और फलस्वरूप इस अवधि में कृषि-शिक्षा की समस्या का समाधान न किया जा सका।

(६) प्राविधिक एवं औद्योगिक शिक्षा—पिछले अध्याय में हम लिख चुके हैं कि 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' सरकार से प्राविधिक एवं औद्योगिक शिक्षा की निरन्तर माँग करती रही, परन्तु सरकार ने इस माँग का स्वागत नहीं किया। हाँ, इतना अवश्य किया

गया कि विदेशों में प्रौद्योगिक (Technological) शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ मिलने लगी थीं। १९०५ से १९१७ तक ११३ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गईं। सरकार के इस कार्य से जनता को सन्तोष नहीं हुआ, क्योंकि प्रौद्योगिक शिक्षा के अभिलाषी सभी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ नहीं प्राप्त हो पाती थीं। इसके अतिरिक्त, वे बहुत कम थीं और उनमें व्यय भी अधिक होता था। १९१७ में 'मॉरिसन समिति' (Morrison Committee) ने इन छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये, परन्तु उनसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। १९२१ में प्रान्तों में द्वाय-शासन की स्थापना के उपरान्त जनता ने प्राविधिक एवं औद्योगिक शिक्षा की माँग को प्रबल किया। यह कहा गया कि इस शिक्षा की व्यवस्था भारत में ही की जाय। सरकार ने इसका निर्णय करने का कार्य लाईटन (Lytton) की अध्यक्षता में एक विशिष्ट समिति^१ को सौंप दिया। इसने विदेशों में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों की कठिनाइयों का अध्ययन किया और उन्हें दूर करने के लिए अनेक सुझाव दिये। 'समिति' का सबसे महत्त्वपूर्ण सुझाव^२ यह था कि भारत में प्रौद्योगिक, प्राविधिक और औद्योगिक संस्थाओं का निर्माण किया जाय और उनमें उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाय। भारतीयों को अपने देश में ही यह शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि इन शिक्षा के विभिन्न अंगों का शीघ्र-अति-शीघ्र विकास किया जाय। इस सिफारिश के फलस्वरूप भारत में जिन संस्थाओं का निर्माण किया गया, उनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है :—

(i) बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फलकता—इसकी स्थापना भारत के सुविख्यात वैज्ञानिक, सर जगदीशचन्द्र बोस द्वारा की गई थी। इसमें वनस्पति-विज्ञान, जीव-विज्ञान, रसायन-शास्त्र तथा कृषि की शिक्षा एवं अनुसंधान की व्यवस्था है।

(ii) हारकोर्ट बटलर टेकनॉलॉजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर—इसकी स्थापना १९२१ में प्रौद्योगिक शिक्षा देने के लिये की गई।

(iii) इम्पेरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली—इसमें कृषि की उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान-कार्य का प्रबन्ध है।

(iv) इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर—इसकी स्थापना का

1. Committee on Indian Students in England, 1921-22.

2. "India has now been set on the road to self-government and autonomy, and it must be obvious that her sons and daughters ought to be able to receive their education within their own borders. We believe, therefore, that the only permanent solution of the problem is the development of education in India in all its branches as early as possible."—*The Report of the Committee on Indian Students in England*, Para 84.

श्रेय टाटा परिवार की है। इसमें विज्ञान की प्रायः सभी शाखाओं की शिक्षा की सुविधा है।

(v) इण्डियन स्कूल ऑफ़ भाइस, धनबाद—इसका निर्माण १९२६ में खान-सम्यन्धी शिक्षा देने के लिये किया गया।

(vi) अन्य सस्थाएँ—उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ अन्य सस्थायें भी उल्लेखनीय हैं मया—टेक्निकल इस्टीट्यूट ऑफ़ बलकत्ता, गवर्नमेन्ट स्कूल आफ़ टेकनीक लॉजी, मद्रास, जमशेदपुर टेक्निकल इस्टीट्यूट, टाटा नगर टेक्निकल इस्टीट्यूट, राची विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इस्टीट्यूट, बम्बई, और आर० सी० टेक्निकल इस्टीट्यूट, अहमदाबाद। १९३७ में सम्पूर्ण भारत में ५३५ प्रौद्योगिक, प्राविधिक और औद्योगिक विद्यालय थे, जिनमें ३०,५०६ छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे थे।

स्त्रियों की शिक्षा (१९२१-१९३७)

इस अवधि में नारी-जगत् के प्रत्येक क्षेत्र में विलक्षण क्रान्ति परिलक्षित हुई। देश के कर्मठ नेताओं, निःस्वार्थ समाज सेवकों और स्वयं स्त्रियों ने अपनी सामाजिक तथा राजनैतिक स्थिति में सुधार करने के लिये जो प्रयास किये, वे भारतीय इतिहास में बेजोड़ हैं। १९२९ में अजमेर के हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित 'बाल विवाह निषेध विधेयक' को 'शारदा एक्ट' का रूप देकर १४ वर्ष से कम आयु वाली लड़की का विवाह दण्डनीय अपराध कर दिया गया। राजनैतिक क्षेत्र में स्त्रियों को मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस प्रकार सामाजिक तथा राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन हो जाने के कारण स्त्रियों में अपूर्व बल का संचार हुआ और वे स्त्री-समाज के सभ्यता तथा उसके उत्कर्ष के लिये पूर्ण तन्मयता से लीन हो गईं। अपने इस कार्य क्रम में उन्हें महात्मा गांधी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनके प्रगतिशील चरणों का अनुगमन करके स्त्रियों ने रुढ़िवाद की ऊँची दीवारों को, जो उनको घेरे हुए खड़ी थी, विध्वंस कर दिया। राष्ट्रपिता के पथ प्रदर्शन में उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम वरणस्थल में प्रवेश करके अपनी विच्छेद तथा पृथकता की प्रवृत्ति का अन्त कर दिया। इतना ही नहीं, स्त्रियों ने १९२६ में 'अखिल भारतीय महिला सघ' का निर्माण किया और १९२७ में 'अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा सम्मेलन' आयोजित किया, जिसमें उन्होंने पुरुषों के अनुरूप विविध प्रकार की शिक्षा की अधिकारिणी होने की माँग का नारा बुलन्द किया।

उपर्युक्त सभी कारणों के फलस्वरूप १९२१ से १९३१ तक स्त्री शिक्षा की प्रगति का बहुमुखी स्वरूप दिखाई देने लगा। इस काल में स्त्री शिक्षा की विशेषता यह थी कि सह शिक्षा (Co education) के प्रति किसी प्रकार का विरोध नहीं रह गया था। १९३२-३७ में लगभग सभी प्रान्ता में सह शिक्षा का प्रचलन हो गया। लड़कों के विद्यालयों में शिक्षा पाने वाली लड़कियाँ का प्रतिशत ४३ ४ था। इसका अतिरिक्त कितने ही वादिक विद्यालयों का निर्माण हुआ, और शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर और

प्रत्येक प्रकार की शिक्षाशाला में लड़कियों की उपस्थिति एक सामान्य बात हो गई। अपने कथन की पुष्टि में हम नीचे एक तालिका दे रहे हैं —

बालिका-विद्यालयों एवं छात्राओं की संख्या (१९२१-१९३७)^१

शिक्षा-संस्थाएँ	१९२१-२१		१९३६-३७	
	विद्यालय	छात्राएँ	विद्यालय	छात्राएँ
प्राथमिक	२२,५७९	१,१९५,८९२	३२,२७३	२,६०७,०८६
मिडिल	५४८	८५,०७९	९७८	२१६,९६५
हाई स्कूल	१२०	२५,१३०	२८७	११४,४८१
आर्ट्स कॉलेज	१२	९३८	३१	६,०३९
विशिष्ट संस्थाएँ	२५८	११,१८४	४०४	२३,०२७
योग	२३,५१७	१,३१८,२२३	३३,९७३	२,९६७,५९८

उपर्युक्त आँकड़े अमोत्पादक हो सकते हैं और प्रथम दृष्टि में यह स्वाभाविक विचार उत्पन्न हो सकता है कि इस अवधि में स्त्री-शिक्षा की प्रशसनीय प्रगति हुई। प्रगति अवश्य प्रशसनीय थी, परन्तु फिर भी स्त्रियों की शिक्षा अत्यन्त पिछड़ी हुई दशा में थी। वास्तविकता यह है कि सम्पूर्ण जनसंख्या में से केवल २३ प्रतिशत लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर रही थीं और स्त्रियों की साक्षरता केवल ३ प्रतिशत थी।

हर्टाग समिति और स्त्री-शिक्षा

'हर्टाग समिति' के प्रचार बुद्धि सदस्यों से स्त्री शिक्षा की वास्तविकता छिपी न रह सकी, और उन्होंने स्त्री-शिक्षा का विस्तार करने के लिये निम्नलिखित सिफारिशों की —

- १ बालिकाओं की शिक्षा को उतना ही महत्त्व दिया जाय, जितना कि बालकों की शिक्षा को दिया जाता है। अतः दोनों की शिक्षा पर समान धन-राशि व्यय की जाय, जो इस समय नहीं की जा रही है।
- २ प्रत्येक प्रान्त में एक मुशिक्षित एवं अनुभवी महिला की नियुक्ति की जाय और उसे स्त्री-शिक्षा के प्रसार की योजनाएँ बनाने का कार्य सौंप दिया जाय।
- ३ समस्त स्थानीय संस्थाओं एवं शिक्षा-समितियों में स्त्रियों को प्रतिनिधित्व दिया जाय।
- ४ बालिका-विद्यालयों के नियमित निरीक्षण के लिये निरीक्षिकाओं की संख्या में अभिवृद्धि की जाय।

५. स्त्रियों को उच्च व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रोत्साहित किया जाय।
६. छोटे नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
७. ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के लिये अधिक प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किया जाय।
८. लड़कियों के स्कूलों में अपभ्यय तथा अवरोधन अत्यधिक है। अतः उन्हें रोकने का प्रयास किया जाय।
९. बालिकाओं को बालकों के विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा दी जाय।
१०. बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक तथा सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः उनके लिये शिक्षा को धीरे-धीरे अनिवार्य बनाया जाय।
११. हाई स्कूल में बालिकाओं के लिये बालकों से भिन्न पाठ्य-क्रम की व्यवस्था की जाय।
१२. बालिकाओं को गृह-विज्ञान, स्वास्थ्य, संगीत आदि विषयों की शिक्षा दी जाय।
१३. बालिकाओं के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापिकाओं का अभाव है। यह बात ग्रामीण विद्यालयों के सम्बन्ध में विशेष रूप से सत्य है। अतः अध्यापिकाओं को अधिक वेतन और कार्य करने की उत्तम सुविधायें देकर ग्रामों में जाने के लिये प्रलोभित किया जाय।
१४. अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

अन्त में, 'समिति' ने बलपूर्वक सिफारिश करते हुए लिखा—“शिक्षा प्राप्त करना केवल पुरुष का ही विशेषाधिकार नहीं है, अपितु पुरुष और स्त्री—दोनों का समान अधिकार है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय व्यवस्था को एवं स्वयं अपने को क्षति पहुँचाने बिना स्त्री और पुरुष में से कोई भी अकेला प्रगति नहीं कर सकता है। दोनों को शिक्षा में सन्तुलन करने का समय आ गया है। हमारा यह निश्चित मत है कि समग्र रूप से भारतीय शिक्षा की प्रगति के हित में शिक्षा-प्रसार की प्रत्येक योजना में स्त्री-शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।”¹

1. “The whole case of women's education rests on the claim that education is not the privilege of one sex, but equally the right of both, and that neither one sex nor the other can advance by itself without a strain on the social and national system and injury to itself. The time has come to redress the balance. We are definitely of opinion that, in the interest of the advance of Indian education as a whole, priority should now be given to the claims of girls' education in every scheme of expansion.”—*Hartog Committee Report*, p. 183.

मुसलमानों की शिक्षा (१९२१-१९३७)

'भारतीय शिक्षा-आयोग' ने मुसलमानों की शिक्षा को विस्तृत करने के लिये अनेक सुझाव दिये थे। सरकार ने हिन्दुओं का एक प्रतिद्वन्द्वी वर्ग निर्मित करने के उद्देश्य से उन सभी सुझावों को कार्यरूप में परिणत किया था। परिणामतः १९२१ तक मुस्लिम-शिक्षा की निर्बाध प्रगति हुई। १९२१ से १९३७ तक की अवधि में इतना अधिक प्रसार हुआ कि समग्र रूप में मुसलमानों में हिन्दुओं से अधिक साक्षरता थी। १९३७ में ३६,८८,८३६ मुसलमान शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जिनमें से २८,८५,५५५ लड़के और ८,०३,२८४ लड़कियाँ थी।

हर्टाग समिति और मुस्लिम-शिक्षा

'हर्टाग समिति' ने मुस्लिम-शिक्षा का विशेष रूप से अध्ययन किया और इस सम्बन्ध में अपने विचार निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किये :—

१ मुस्लिम-शिक्षा की स्थिति—मुस्लिम-शिक्षा अब भी पिछड़ी हुई दशा में है और सरकार ने मुसलमानों को विविध प्रकार की सुविधायें प्रदान करके उनकी शिक्षा को विकसित करने की चेष्टा की है।

२ पृथक् एवं विशिष्ट स्कूल—मुसलमानों की शिक्षा के लिये लगभग प्रत्येक स्तर पर पृथक् स्कूल और कॉलेज हैं। इनके अतिरिक्त, विशिष्ट स्कूल भी हैं। इन स्कूलों से मुसलमानों की शिक्षा में विस्तार अवश्य हुआ है, परन्तु यह बात भी निर्विवाद है कि इन स्कूलों के कारण अन्य जातियों की अपेक्षा मुसलमानों की शिक्षा का स्तर निम्नतर हो गया है। इससे मुस्लिम छात्रों का अत्यधिक अहित हो रहा है, क्योंकि वे शिक्षा-जगत् में अन्य जातियों के समकक्ष योग्यता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। पृथक् एवं विशिष्ट स्कूल भारत के लिये घातक सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि वे साम्प्रदायिकता तथा वैमनस्य के बीज बो रहे हैं। अतः यह वाछनीय होगा कि मुसलमानों को सामान्य स्कूलों में शिक्षा दी जाय।

दुर्भाग्यवश, सरकार द्वारा 'समिति' के सुझावों की उपेक्षा की गई और मुसलमानों के पृथक् एवं विशिष्ट स्कूल बन्द नहीं किये गये। इन स्कूलों ने मुसलमानों और हिन्दुओं के मध्य एक गहरी खाई निर्मित कर दी, जिसके भावी परिणाम अनिपातन सिद्ध हुए।

हरिजनों की शिक्षा (१९२१-१९३७)

देश के नेताओं, समाज-सुधारकों, दलित वर्गों के पथ-प्रदर्शकों और स्वयं हरिजनों के आन्दोलनों के परिणामस्वरूप युगों से पद-दलित अछूत वर्गों में जागरण प्रारम्भ हो गया था। १९२१ में प्रान्तीय शिक्षा का संचालन-मूत्र भारतीय मंत्रियों के हाथ में आ जाने के कारण हरिजन-शिक्षा की प्रगति में तेजी आ गई। इस काल में

हरिजनो की शिक्षा का विकास करने के लिये जो चेष्टायें की गईं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है :—

१. राजकीय प्रयास—विभिन्न प्रान्तों में हरिजन-शिक्षा का विस्तार करने के लिये विभिन्न कार्य-क्रम अपनाया गया। कुछ प्रान्तों के विभिन्न भागों में पृथक् नीति का अनुसरण किया गया, पर इन सबका ध्येय समान था। हरिजनो को शिक्षा प्राप्त करने की प्रत्येक सम्भव सुविधा दी गई और विविध विधियों द्वारा उनको शिक्षा से लाभ उठाने के लिये आकृष्ट किया गया। १९३७ तक हरिजनो के लिये स्थापित किये गये सभी विशिष्ट स्कूलों को बन्द कर दिया गया, क्योंकि अनुभव ने बताया कि उन स्कूलों की उपस्थिति हिन्दुओं तथा हरिजनो के मध्य एक ऊँची दीवार खड़ी करती जा रही थी। १९३७ तक लगभग सभी प्रान्तों में हरिजन बालक सामान्य विद्यालयों में बिना किसी कठिनाई के अध्ययन करने लगे थे।

२. महात्मा गांधी के प्रयास—अस्पृश्यता के निवारण तथा हरिजन-शिक्षा की प्रगति में सर्वमान्य योग महात्मा गांधी ने दिया। अपने समस्त जीवन-पर्यन्त गांधी जी ने हरिजनोत्थान के लिये अनवरत परिश्रम किया। १९२० में गांधी जी ने अति दृढतापूर्वक लिखा :—“किसी भी कार्य-क्रम में अस्पृश्यता को गौण स्थान प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस कलंक को धोये बिना ‘स्वराज्य’ एक निरर्थक शब्द है।”^१ “जब तक हम निर्बलों एवं असहायों की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक स्वराज्य की बात करना व्यर्थ है।”^२ महात्मा गांधी के इन विचारों का सर्वत्र हिन्दुओं पर १९२२ तक कोई व्यापक प्रभाव न पड़ा। उस वर्ष ‘साम्प्रदायिक परिनिर्णय’ (Communal Award) के विरोध में गांधी जी ने उपवास प्रारम्भ किया। ७ दिन के इस उपवास ने दलित-वर्गों के विरुद्ध प्रवाहित होने वाली दूषित विचारधारा में आमूल परिवर्तन कर दिया और सम्पूर्ण भारत महात्मा जी के निश्चय के समक्ष नतमस्तक होकर अस्पृश्यता को हिन्दू-समाज से समूल नष्ट करने के लिये तत्पर हो गया। १९३३ से गांधी जी ने ‘हरिजन’ नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया। यह लिखना अनावश्यक है कि गांधीजी के समस्त परिश्रम के फलस्वरूप न केवल हरिजनो का कार्याकल्प हुआ, अपितु उनमें शिक्षा का भी प्रचार हुआ।

३. अम्बेदकर का प्रयास—जो कार्य गांधी जी ने अखिल भारतीय पैमाने पर किया, उसी को डा० अम्बेदकर ने दलित-वर्गों के क्षेत्र में किया। अपने जातीय

1. “Untouchability cannot be given a secondary place in the programme. Without the removal of that taint, Swaraj is a meaningless term.”—B. R. Ambedkar : *What Gandhi and His Congress have done to the Untouchables*, p 195

2. “It is idle to talk of Swaraj so long as we do not protect the weak and the helpless.”—D. G. Tendulkar & Others : *Gandhiji, His Life & Work*, p. 352.

नेता अम्बेदकर की अध्यक्षता में हरिजनो ने अपनी राजनीति, सामाजिक एवं आर्थिक मांगों को सरकार तथा जनता के समक्ष रखा और उनको उपलब्ध किया। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि हरिजना में जागरण या सूत्रपात करने का श्रेय महात्मा गांधी के पश्चात् अम्बेदकर को ही प्राप्त है।

उपरिबोधित प्रयामा के फलस्वरूप हरिजन-शिक्षा दिन-दूनी, रात चौगुनी उत्प्रेरित करने लगी।

अन्य पिछड़ी जातियों की शिक्षा

१ आदिवासी एवं पहाड़ी जातियाँ—नेद का विषय है कि भारतीय मंत्रियों ने आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों की शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप इस काल में उनकी शिक्षा की प्रगति बहुत मन्द रही। मिशनरियाँ ने अवश्य अपने शिक्षा-कार्य को जारी रखा। परिणामतः छात्रों की संख्या में वृद्धि तो हुई, परन्तु यथार्थ आँकड़े उपलब्ध न होने के कारण यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वृद्धि किस अनुपात में हुई।

२ अपराधी जातियाँ—पूर्वकाल के समान इस अवधि में भी अपराधी जातियों को शिक्षित करने के लिये विशेष प्रयाम किये गये। मद्रास प्रान्त में १९३७ में १,१०३ बालक एवं बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, और शिक्षा उनके लिये अनिवार्य थी। बम्बई प्रान्त में अपराधी जातियों की शिक्षा की देखभाल के लिये एक विशेष शिक्षा-अधिकारी नियुक्त किया गया। बालका और बालिकाओं के लिये दिन और रात्रि—दोनों में चलने वाले विद्यालय थे। बंगाल में अपराधी जातियों की शिक्षा के लिये मिशनरी लोग क्रियाशील थे और उन्होंने विद्यालय तथा छात्रावास निर्मित किये। संयुक्त प्रान्त में अपराधी जातियों की शिक्षा की व्यवस्था सतीपजनक थी, परन्तु पंजाब में उनके विद्यालयों की संख्या कम हो गई थी। बिहार और उड़ीसा में भी अपराधी जातियों के बालकों एवं बालिकाओं के लिए विशिष्ट स्कूलों का प्रबन्ध था।

राष्ट्रीय शिक्षा (१९२१-१९३७)

पिछले अध्याय में उल्लेख किया जा चुका है कि 'असहयोग आन्दोलन' की समाप्ति के साथ साथ, राष्ट्रीय शिक्षा के आन्दोलन का भी १९२२ में अन्त हो गया। परन्तु राष्ट्रीय शिक्षा की जिस विचारधारा को 'आन्दोलन' ने जन्म दिया था, वह निरन्तर प्रवाहित होती रही। उससे प्रभावित होकर कुछ दूरदर्शी एवं विवेकी भारतीयों ने ऐसी राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण किया, जिसमें नवयुवकों का मानसिक विकास तथा चारित्रिक उत्थान करना सम्भव हो गया। इन राष्ट्रीय विद्यालयों पर हम नीचे विह्वगम दृष्टिपात कर रहे हैं —

१. जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली—इसकी स्थापना के कारणों पर पिछले अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। १९२५ में इसे अलीगढ़ से उठाकर दिल्ली ले आया गया। यह संस्था अपने स्थापन-काल से ही राष्ट्रीय शिक्षा का

विकास करने का अनुपम कार्य कर रही है और सरकार से अधिक सहायता नहीं लेती है। यह अपने अन्तर्गत निम्नाङ्कित संस्थाओं का संचालन कर रही है :—

- (अ) एक सावास कॉलेज—इसमे साहित्यिक विषयो तथा समाज-विज्ञानो की उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है।
- (ब) एक सावास हाई स्कूल—यह बिल्कुल आधुनिक ढङ्ग का है, और इसमे कला-कौशल की कुशलता को समुन्नत करने के लिये विद्यार्थियो को प्रत्येक प्रकार की सुविधा उपलब्ध है।
- (स) एक सावास प्राथमिक स्कूल—इसका संचालन 'प्रोजेक्ट पद्धति' (Project Method) के अनुसार किया जाता है।
- (द) उर्दू अकादमी—यह अकादमी (Academy) उर्दू का साहित्य प्रकाशित करती है।

२. विश्व-भारती—यह अखिल भारतीय संस्था भी आर्थिक सहायता के लिये सरकार की कृपा पर निर्भर नहीं है। इसकी स्थापना ६ मई, १९२२ को कवि सम्राट् रवीन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य हैं—(१) प्राच्य-संस्कृतियों मे मार्मजस्य स्थापित करके उनमे धनिष्ठता उत्पन्न करना, (२) पाश्चात्य विज्ञान तथा संस्कृति का समरूप अध्ययन करना, और (३) पूर्व तथा पश्चिम मे निकट सम्पर्क स्थापित करके विश्व-शान्ति की दशाओं को जन्म देना।

विश्व-भारती सावास एवं सह-शिक्षा की संस्था है, और यहाँ न केवल भारत के, अपितु सुदूर एशिया तथा यूरोप से भी छात्र एवं छात्रायें अध्ययन करने आते हैं। इस संस्था मे अप्रलिखित विभाग हैं (१) विद्या-भवन—इसमे भारतीय भाषाओं, भारतीय दर्शन आदि का अनुसन्धान-कार्य किया जाता है, (२) शिक्षा-भवन—यह कॉलेज है, जिसमे उच्च शिक्षा दी जाती है, (३) चीन-भवन—इसमे भारतीय छात्रों को चीनी संस्कृति, और चीनी छात्रों को भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है, (४) शिल्प-भवन—इसमे कुटीर-उद्योग-धन्धों की शिक्षा दी जाती है, (५) श्री निकेतन—यहाँ छात्रों मे ग्रामों के पुनर्संगठन करने के कार्य मे अभिरुचि उत्पन्न की जाती है, (६) कला-भवन—इसमे ललित-कलाओं और विशेष रूप से चित्रकला की शिक्षा की व्यवस्था है, और (७) सगीत-भवन—इसमे सगीत और नृत्य की शिक्षा दी जाती है।

३. गुरुकुल विश्वविद्यालय—इसकी स्थापना १९०२ मे पंजाब की आर्य-प्रतिनिधि सभा ने की थी। १९२४ मे इसको उठाकर कागड़ी ले आया गया। यह सरकार से सहायता-अनुदान नहीं लेता है। इसमे शिक्षा की अवधि १४ वर्ष की है। यहाँ 'स्नातक' (Graduate) और 'वाचस्पति' (M. A.) की उपाधियाँ दी जाती हैं। केवल लड़के इस विश्वविद्यालय मे प्रवेश ले सकते हैं और उनको प्राचीन नान्त आदर्श के अनुसार शिक्षा दी जाती है।

३. दारुल-उलूम, देवबन्द—इसे विश्व का चतुर्थ मुस्लिम विश्वविद्यालय माना जाता है। यह सावास संस्था है और इसमें अध्ययन करने के लिये ससार के विभिन्न भागों से विद्यार्थी आते हैं। यहाँ अरबी, फारसी और यूनानी चिकित्सा-शास्त्र की शिक्षा प्रदान की जाती है।

५. दारुल-उलूम नदवचतूल उलेमा—यह भी सावास विद्यालय है। इसकी रूप-रेखा बहुत कुछ आधुनिक ढंग के विश्वविद्यालय की सी है। परन्तु इसके साथ ही मुस्लिम परम्पराओं का परिश्रय नहीं किया गया है।

प्रौढ-शिक्षा' (१९२१-१९३७)

इस काल की एक प्रमुख विशेषता थी—प्रौढ-शिक्षा की योजना को कार्यान्वित करना। इसका श्रेय भारतीय मन्त्रियों को है, जिन्होंने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन अध्याय प्रारम्भ किया। यद्यपि उनके प्रयास अनियमित एवं अपर्याप्त थे, फिर भी उन्होंने अपने देशवासियों और सरकार को ऐसे क्षेत्र में कार्य करने के लिये अनुप्राणित किया, जहाँ शिक्षा-प्रसार की अत्यधिक आवश्यकता थी, क्योंकि १९४१ में भी उस वर्ष की 'जन-गणना रिपोर्ट' के अनुसार भारत में ८८ प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर थे। सुविधा की दृष्टि से हम प्रौढ-शिक्षा का अध्ययन दो कालों के अन्तर्गत करेंगे—

(१) १९२१ से पूर्व, और (२) १९२१ से १९३७ तक।

प्रौढ-शिक्षा : १९२१ से पूर्व

१९१७ से पूर्व प्रौढ-शिक्षा के लिये किये गये प्रयास प्रायः नगण्य थे। निस्सन्देह कुछ रात्रि-विद्यालयों का निर्माण देश के विभिन्न भागों में किया गया था, परन्तु उनका उद्देश्य—फैक्ट्रियों आदि में कार्य करने वाले उन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना था, जिन्हें दिन में अध्ययन करने के लिये समय नहीं मिलता था। कुछ वयस्क भी उनमें शिक्षा ग्रहण करते थे, परन्तु विद्यालयों का प्रमुख ध्येय उन्हें शिक्षा देना नहीं था।

'भारतीय शिक्षा-आयोग' की रिपोर्ट के अनुसार बम्बई प्रान्त में १८८१-८२ में १३४ वर्नाक्यूलर रात्रि-विद्यालय थे, जिनमें ३,९१९ छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इनके अतिरिक्त, दिवा-विद्यालयों से सम्बद्ध २२३ रात्रि-विद्यालय थे, जिनमें ४,९६२ वयस्क उपस्थित होते थे। इन वयस्क-विद्यालयों में साधारण लिखना, पढ़ना और अङ्कगणित की शिक्षा दी जाती थी। इन विद्यालयों की लोकप्रियता एवं माँग में देश में सभी सम्भव स्थानों पर रात्रि-विद्यालयों का संचालन किया जाय। परन्तु दुर्भाग्यवश, इस ओर रच-मात्र भी ध्यान नहीं दिया गया और वयस्क-साक्षरता की प्रगति न हो सकी। यदि सरकार ने 'आयोग' के मुझाव स्वीकार करके असाक्षरता को रात्रि-विद्यालय स्थापित कर दिये होते, तो आज यह देश निरक्षरता की कालिदास के मुक्त होता।

१९०१-०२ में केवल मद्रास, बम्बई और बंगाल में रात्रि-विद्यालय संचालित थे, जिनमें प्रौढ-शिक्षा का प्रबन्ध था। परन्तु सरकार की उपेक्षा के फलस्वरूप ये परिपल्लवित न हो सके, और १९१७ तक इनकी संख्या में निरन्तर ह्रास होता चला गया।

१९१६ के अधिनियम द्वारा भारतीयों को अति विशाल सख्या में मतदान का अधिकार प्राप्त हो गया। अतः प्रौढ-शिक्षा में जन-साधारण की रुचि उत्पन्न होना स्वाभाविक था, क्योंकि यह अनुभव किया गया कि शिक्षा के अभाव में भारतीय अपने मताधिकार का उचित उपयोग नहीं कर सकेंगे। इस परिवर्तित दृष्टिकोण के फलस्वरूप देश में वयस्क-साक्षरता के लिये क्रियात्मक पग उठाये गये। सरकार ने भी आर्थिक सहायता देकर इस पुनीत कार्य में योग दिया। परिणामतः सयुक्त प्रान्त, पंजाब, बम्बई, मध्य प्रान्त, बंगाल और मद्रास में रात्रि-विद्यालयों तथा रात्रि-कक्षाओं का आयोजन किया गया।

प्रौढ-शिक्षा : १९२१-३७

१९२१ में भारतीय मंत्रियों ने प्रौढ-शिक्षा की समस्या में अत्यधिक रुचि व्यक्त की। फलस्वरूप, १९२७ तक भारत के विभिन्न प्रान्तों में वयस्क-साक्षरता को लोकप्रिय बनाने के लिये अनवरत परिश्रम किया गया। १९१७ तक सम्पूर्ण भारत में ११,१५८ स्कूल और कक्षाएँ पुरुषों के लिये तथा ४७ स्त्रियों के लिये संचालित की जा चुकी थी। इनमें पुरुषों एवं स्त्रियों की संख्या क्रमशः २८६,००१ और १,३५१ थी। परन्तु प्रौढ-शिक्षा ने समतल धरातल पर अपना अभियान प्रारम्भ किया ही था कि १९२७ के विश्वव्यापी आर्थिक संकट ने उसके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। घनाभाव में वयस्क-साक्षरता की ओर से सरकार और जनता—दोनों ने मुख मोड़ लिया। फलतः प्रौढ-विद्यालयों की संख्या क्षीण होती चली गई। १९३७ में इस प्रकार के पुरुष-विद्यालयों की संख्या २,०१६ और स्त्री-विद्यालयों की ११ रह गई। उनमें क्रमशः ६२,६६१ पुरुषों तथा ६४६ स्त्रियों को साक्षर बनाया जा रहा था।

निष्कर्ष

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि १९३७ तक प्रौढ-शिक्षा के लिये जो चेष्टायें की गईं, उनका कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं निकला। परन्तु यह बात सर्वमान्य है कि उन चेष्टाओं ने वयस्क-शिक्षा की नींव डाल दी और उसी नींव पर उपयुक्त परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने पर प्रौढ-शिक्षा के भवन का निर्माण किया गया, जिसकी छाया में असह्यो निरक्षर वयस्क साक्षर बनकर देश के बुद्धिमान नागरिक और समाज के लाभप्रद सदस्य बन सके।

सारांश

द्वैध-शासन की स्थापना—१९१६ के अधिनियम के अनुसार भारत में द्वैध-शासन-प्रणाली की व्यवस्था की गई। प्रान्तों में दोहरा शासन स्थापित हो गया।

शिक्षा विभाग को भारतीय मंत्रिया की अध्यक्षता में हस्तान्तरित कर दिया गया। मंत्रियों ने शिक्षा प्रसार का कार्य प्रारम्भ किया। परन्तु उन्हें अनेक कठिनाइया का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि उन्हें पर्याप्त धन नहीं मिलता था, क्योंकि वित्त विभाग पर अग्रज मंत्रिया का अधिकार था। फिर भी भारतीय मंत्रियों की चेष्टाओं के फलस्वरूप शिक्षा का सराहनीय विस्तार हुआ।

हर्टांग समिति—१९२७ में हर्टांग समिति की नियुक्ति हुई। इस समिति ने भारतीय शिक्षा के सभी अंग का अध्ययन किया और उनकी उन्नति के लिए अमूल्य सुझाव दिये।

उच्च शिक्षा—इस काल में उच्च शिक्षा की आशाजनक उन्नति हुई। दिल्ली नागपुर आंध्र, आगरा और अन्नमलई विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ और पुराने विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन किया गया। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान-कार्य को प्रोत्साहित किया गया, सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई और छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिये चिकित्सक नियुक्त किये गये। हर्टांग समिति ने विश्वविद्यालयों के सुधार के लिये अनेक सुझाव दिये।

माध्यमिक शिक्षा—माध्यमिक शिक्षा की उतनी प्रगति नहीं हुई, जितनी विश्वविद्यालय शिक्षा की। फिर भी माध्यमिक शिक्षा की आश्चर्यजनक उन्नति हुई। अधिकांश स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषायें थी। शिक्षकों की दशा में सुधार किया गया। हर्टांग समिति ने सिफारिश की कि हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं व्यापारिक विषयों को स्थान दिया जाय।

प्राथमिक शिक्षा—प्राथमिक शिक्षा की अति तीव्र प्रगति हुई। बम्बई आसाम संयुक्त प्रान्त और बंगाल में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये अधिनियम पारित किये गए। हर्टांग समिति ने प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति पर जोर दिया और कहा कि इस शिक्षा में होने वाले अपव्यय तथा अवरोधन को रोकना आवश्यक है।

व्यावसायिक शिक्षा—इस काल में व्यावसायिक शिक्षा का प्रवाह निर्बाध रहा। सबसे अधिक प्रगति कानून की शिक्षा की हुई। चिकित्सा शिक्षा के लिये कॉलेज एवं स्कूल खोले गये। इंजीनियरिंग, पशु चिकित्सा, वन विज्ञान, वाणिज्य, कला, कृषि और प्राविधिक एवं औद्योगिक शिक्षा की भी व्यवस्था की गई।

स्त्रियों की शिक्षा—स्त्रियों की शिक्षा का अपूर्व प्रसार हुआ। इसमें शारदा एक्ट और गांधी जी ने विशेष योग दिया। स्वयं स्त्रियों ने अपनी शिक्षा के विवेक-आदानन किये। सह शिक्षा के प्रति विरोध समाप्त हो गया। हर्टांग समिति ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष रूप से सिफारिश की।

मुसलमानों की शिक्षा—मुसलमानों की शिक्षा का इतना विस्तार हुआ कि हिंदुओं की अपेक्षा उनमें अधिक साक्षरता हो गई। हर्टांग समिति ने मुसलमानों को

लिये पृथक एव विशिष्ट स्कूलों की निंदा की और उनको बंद करने का सुझाव दिया।

हरिजनो की शिक्षा—हरिजनो में शिक्षा का प्रसार करने का श्रेय गांधी जी और डा० अम्बेदकर को है। सरकार ने भी हरिजनो की शिक्षा को प्रोत्साहित किया।

अन्य जातियों की शिक्षा—आदिवासियो एव पहाड़ी जातियो की शिक्षा की ओर सरकार न विशेष ध्यान नहीं दिया। अपराधी जातियो के बालको तथा बालिकाओ की शिक्षा के लिये मद्रास बम्बई, बंगाल सयुक्त प्रान्त बिहार और उड़ीसा में उचित व्यवस्था थी।

राष्ट्रीय शिक्षा—राष्ट्रीय शिक्षा के लिये कुछ कमठ भारतीयों ने विशिष्ट शिक्षा सस्थायें स्थापित की। इनमें प्रमुख थी—जामिया मिलिया इस्लामिया, विश्व-भारती गुरुकुल विश्वविद्यालय दाहल-उलूम और दाहल उलूम मदवतुल उलेमा।

प्रौढ शिक्षा—प्रौढ शिक्षा इस काल की एक प्रमुख विशेषता थी। १९१७ से पूर्व प्रौढ शिक्षा के लिये प्रायः कुछ भी नहीं किया गया था। १९२० तक केवल मद्रास बम्बई और बंगाल में रात्रि विद्यालय संचालित थे। १९२१ के पश्चात् प्रौढ शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया। इसके लिये भारतीय मंत्री प्रशंसा के पात्र हैं।

TEST QUESTIONS

- 1 Examine critically the main recommendations of the Hartog Committee regarding the improvements necessary in Primary Education

प्राथमिक शिक्षा के लिये आवश्यक सुधारों के बारे में हार्टोग समिति की मुख्य सिफारिशों का विवेचनात्मक वर्णन कीजिये।

- 2 What were the views of the Hartog Committee on wastage and stagnation in Primary Education? What measures did it suggest to overcome them?

प्राथमिक शिक्षा में 'अपव्यय' और 'अवरोधन' के बारे में हार्टोग समिति के क्या विचार थे? उनके समाधान के लिये समिति ने क्या सुझाव दिये?

- 3 Trace in brief the development of Women's Education from 1921 to 1937. What in your opinion is the contribution of the Hartog Committee to Women's Education?

१९२१ से १९३७ तक स्त्री शिक्षा का विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिये। आपके विचारानुसार हार्टोग समिति का स्त्री शिक्षा के लिये क्या योग है?

१७

प्रान्तीय स्वशासन में शिक्षा की प्रगति (१९३७-१९४७)

प्रस्तावना

अपने स्वभावगत दोषो एवं भारतीय कांग्रेस के विरोध के परिणामस्वरूप द्वैध-शासन-प्रणाली असफल सिद्ध हुई। वह न तो निर्वाचक-मण्डल को राजनैतिक जागरण का प्रकाश ही दे सकी, और न उत्तरदायी शासन की वास्तविक शिक्षा ही। अतः कांग्रेस ने यह राष्ट्रीय माँग बुलन्द की—‘भारत के लिये शीघ्र ही पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य के आधार पर संविधान बनाने के लिये ‘गोलमेज सम्मेलन’ बुलाया जाय।’ १९३० से १९३२ तक ‘गोलमेज सम्मेलन’ के तीन अधिवेशन लन्दन में हुए। ‘सम्मेलन’ ने जो भी निश्चय किये, वे भारतीय राष्ट्रीयता की दृष्टि से अत्यन्त असन्तोषप्रद थे। परन्तु इन्हीं निर्णयों के आधार पर १९३५ का ‘भारत-सरकार अधिनियम’ (Government of India Act) बनाया गया और अप्रैल, १९३७ में कार्यान्वित कर दिया गया।

प्रान्तीय स्वशासन की स्थापना

१९३५ के ‘अधिनियम’ ने द्वैध-शासन को समाप्त कर दिया और प्रान्तीय प्रशासन के सम्पूर्ण क्षेत्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना की। प्रान्तों में संरक्षित एवं हस्तान्तरित विषयों का भेद मिटा दिया गया और समस्त प्रान्तीय विषय लोकप्रिय भारतीय मन्त्रियों के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में समाविष्ट कर दिये गये। शिक्षा भी इन्हीं विषयों में से एक थी। नये संविधान के अन्तर्गत १९३७ में ११ प्रान्तों में से ६ में कांग्रेस के मन्त्रिमण्डल बने। अतः यह आशा की जाने लगी कि कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों की अध्यक्षता में शिक्षा का पुनर्गठन करने का कार्य दृढता, मुचारता एवं

कुशलतापूर्वक सम्पन्न किया जायगा। पर दैव को कुछ और ही मंजूर था। भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध देश को द्वितीय विश्व-युद्ध में फँसा देने के प्रश्न को लेकर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने नवम्बर १९३९ में अपने पदों से त्याग-पत्र दे दिये। युद्ध के आवरण में ब्रिटिश भारत में निरंकुश शासन प्रारम्भ हो गया और प्रान्तीय सरकारों पर केन्द्रीय सरकार का पूर्ण नियन्त्रण स्थापित हो गया। फलस्वरूप, देश में शिक्षा-विकास की जो आशा व्याप्त थी, उस पर असमय ही तुपार-पात हो गया। युद्ध के उपरान्त १९४५-४६ के सामान्य निर्वाचन में कांग्रेस को आशातीत सफलता प्राप्त हुई। इस बार अप्रैल, १९४६ में ६ के स्थान पर ८ प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बने। उस समय से लेकर १५ अगस्त, १९४७ तक कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल अपने पद पर स्थिर रहे।

इस प्रकार, प्रान्तीय स्वशासन की १० वर्षों की अवधि में केवल ५ वर्ष प्रान्तीय शासन का सूत्र जन-प्रिय मन्त्रियों के हाथ में रहा। परन्तु इस अवधि में भी अंग्रेजों के निरंकुश शासन के नग्न रूप के विरुद्ध कांग्रेस का आन्दोलन चलता रहा और सम्पूर्ण जनता का ध्यान उसी पर केन्द्रित रहा। ऐसी परिस्थिति में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि राष्ट्रीय नेता शिक्षा के पुनर्गठन के लिए पर्याप्त धन और समय नहीं दे सके। अतः प्रान्तीय स्वशासन में शिक्षा का वैसा प्रसार एवं विकास न हो सका, जैसा कि होना चाहिए था।

केन्द्रीय सरकार के शिक्षा-कार्य (१९३७-४७)

द्वैध-शासन में केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा से किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं रखा था। १९३५ के अधिनियम ने शिक्षा के कार्यों को दो स्पष्ट भागों में विभक्त कर दिया—केन्द्रीय एवं प्रान्तीय। अतः १९३७ से केन्द्रीय सरकार पुनः पूर्व के समान शिक्षा में रुचि लेने लगी। १९४६ में बनने वाली 'अन्तरिम सरकार' (Interim Government) में पं० जवाहरलाल नेहरू वाइसराय की कार्यकारिणी समिति के उपसभापति नियुक्त हुए। फलतः केन्द्रीय सरकार के शिक्षा-विभाग पर भारतीयों का अधिकार स्थापित हो गया। उसी समय से पं० नेहरू की अध्यक्षता में केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान देना प्रारम्भ किया और विभिन्न समितियों तथा संस्थाओं का निर्माण किया गया, जिनमें अग्रलिखित प्रमुख थी —

१. केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड^१

इस बोर्ड की स्थापना १९२० में हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य—प्रान्तीय एवं केन्द्रीय शिक्षा-नीतियों में सामंजस्य स्थापित करना और केन्द्रीय सरकार को शिक्षा-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयों पर परामर्श देना था। यद्यपि बोर्ड ने अति लाभप्रद कार्य किया, तथापि आर्थिक संकट के कारण इसके अस्तित्व का अन्त कर दिया गया। 'हर्टिंग समिति' ने इस केन्द्रीय बोर्ड के भंग किये जाने पर दुःख प्रकट किया और इसके

पुनर्निर्माण का मुभाव दिया। फलस्वरूप, १९३५ में इसको पुनर्जीवित किया गया। १९३७ से १९४७ तक की अवधि में इसे समुचित रूप से संगठित करके भारतीय शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था करने का कार्य इसको सौंप दिया गया। उसी समय से यह बोर्ड, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में विविध कार्यों का अति कुशलता से संचालन करता चला आ रहा है। इसका अध्यक्ष, केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री, और इसके सदस्य, प्रान्तीय शिक्षा-मन्त्री एवं शिक्षा-संचालक होते हैं। अपने वार्षिक अधिवेशन में बोर्ड, शिक्षा की प्रगति पर पुनर्विचार करता है और प्रान्तीय सरकारों को शिक्षा-प्रसार के सम्बन्ध में परामर्श देता है। समय-समय पर शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने के लिये समितियों की नियुक्ति भी करता है। उदाहरणार्थ—इसी बोर्ड की सिफारिश के फलस्वरूप 'एवट एवं बुड समिति' की नियुक्ति हुई थी।

२. केन्द्रीय शिक्षा-सचिवालय^१

इस सचिवालय का निर्माण १९४५ में हुआ और स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त इसको मंत्रालय (Ministry) का रूप प्रदान किया गया। यह भारत-सरकार के शिक्षा-परामर्शदाता की अध्यक्षता में कार्य करता है। केन्द्रीय सरकार के समस्त शिक्षा-कार्यों पर इसी का नियन्त्रण है और यही उनका नियोजन करता है।

३. केन्द्रीय शिक्षा-सूचना कार्यालय^२

इस कार्यालय का प्रमुख कार्य—शिक्षा-सम्बन्धी तथ्यों तथा आँकड़ों को एकत्र करना और प्रान्तीय सरकारों एवं शिक्षा-संस्थाओं की शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करना है। यह भारतीय शिक्षा का विवरण एवं शिक्षा-सम्बन्धी पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ भी प्रकाशित करता है।

४. विश्वविद्यालय अनुदान-समिति^३

'केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड' की सिफारिश के अनुसार इस समिति का निर्माण १९४५ में किया गया। प्रारम्भ में इसका अधिकार-क्षेत्र केवल बनारस, अलीगढ़ और दिल्ली विश्वविद्यालयों तक ही सीमित था। परन्तु १९४७ में इसको पुनर्संज्ञित करके सभी विश्वविद्यालयों को इसके अन्तर्गत रख दिया गया। यह समिति विभिन्न विश्वविद्यालयों की शिक्षा में सामंजस्य रखती है, उनके लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता-अनुदान की सिफारिश करती है और इस प्रकार दिये गये अनुदान की देख-भाल रखती है।

1. Central Secretariat of Education.
2. Central Bureau of Education.
3. University Grants Committee.

ऐबट एण्ड वुड रिपोर्ट (१९३६-३७)^१

‘केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड’ की सिफारिश के अनुसार ‘ऐबट एवं वुड समिति’ की नियुक्ति की गई। ए० ऐबट (A. Abbott) इंग्लैण्ड के शिक्षा-बोर्ड के टेकनिकल स्कूलों का मूलपूर्व चीफ इंस्पेक्टर (Chief Inspector of Technical Schools, Board of Education) था। एस० एच० वुड (S. H. Wood) इंग्लैण्ड के शिक्षा-बोर्ड का डाइरेक्टर ऑफ इंटेलीजेन्स (Director of Intelligence) था। भारत-सरकार के निमंत्रण पर ये दोनों शिक्षा-विशेषज्ञ १९३६-१९३७ की शरद ऋतु में भारत आये। उनके पास समय का अभाव था। अतः उन्होंने केवल पंजाब, दिल्ली और संयुक्त प्रान्त का परिभ्रमण करके तत्कालीन शिक्षा की जाँच की और जून, १९३७ में सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यही रिपोर्ट ‘ऐबट एण्ड वुड रिपोर्ट’ के नाम से विख्यात है। यह रिपोर्ट दो भागों में विभाजित है—(क) वुड द्वारा लिखी गई ‘सामान्य शिक्षा एवं उसके संगठन’ पर रिपोर्ट, और (ख) ऐबट द्वारा लिखी गई ‘व्यावसायिक शिक्षा’ पर रिपोर्ट। शिक्षा के इन अंगों पर दिये गये सुझावों का विवरण निम्नांकित है^२—

(क) सामान्य शिक्षा-सम्बन्धी सिफारिशें^३

१. निम्न कक्षाओं में शिक्षण का कार्य दीक्षित अध्यापिकाओं द्वारा किया जाय।
२. प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा को विद्यार्थियों को स्वाभाविक अभिरुचियों तथा क्रियाओं पर आधारित किया जाय, न कि पुस्तकों पर।
३. निम्न-माध्यमिक (Lower Secondary) कक्षाओं में अंग्रेजी के अध्ययन पर बल न दिया जाय।
४. हाई स्कूल तक की शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी जाय।
५. अंग्रेजी के शिक्षण को साहित्यिक रूप न दिया जाय, अपितु उसे अधिक व्यावहारिक बनाया जाय।
६. रचनात्मक हस्तकार्य की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाय और उसे सभी स्कूलों के पाठ्य-क्रम में स्थान दिया जाय।
७. ग्रामीण मिडिल स्कूलों के पाठ्य-क्रम में ग्रामीण परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार विषयों को सम्मिलित किया जाय।
८. अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक कम-से-कम मिडिल पास हो। उनके लिये दीक्षा-काल

१. Abbott & Wood Report.

२. Abbott & Wood Report, pp. 100-19.

३. Recommendations on General Education.

३ वर्ष का हो। अध्यापकों के लिये अभिनवन पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाय।

६. शिक्षा का प्रबन्ध करने वाली स्थानीय संस्थाओं पर सरकार अधिक नियन्त्रण रखे।
१०. विद्यालयों के नियमित निरीक्षण के लिये निरीक्षकों की नियुक्ति की जाय और उन्हें कार्य करने की स्वतन्त्रता दी जाय।

(स) व्यावसायिक शिक्षा-सम्बन्धी सिफारिशें^१

१. व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार देश के उद्योगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाय।
२. प्रत्येक प्रान्त में व्यावसायिक शिक्षा का रूप वहाँ के उद्योगों, व्यापारों तथा परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किया जाय।
३. व्यावसायिक शिक्षा को उसी पद और स्तर पर रखा जाय, जिस पर साहित्यिक शिक्षा है।
४. सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षाओं को एक-दूसरे से विभिन्न न समझा जाय, अपितु इन्हें एक निरन्तर होने वाली प्रक्रिया का पूर्वकालीन एवं उत्तरकालीन रूप माना जाय।
५. सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षाओं के साधन तथा लक्ष्य विभिन्न हैं। अतः दोनों प्रकार की शिक्षाओं के लिये पृथक् विद्यालयों की व्यवस्था की जाय।
६. कुटीर उद्योग-धन्धों में लगे हुए व्यक्तियों को उचित व्यावसायिक एवं व्यापारिक प्रशिक्षण दिया जाय।
७. उद्योग एवं व्यापार और उद्योग एवं शिक्षा में निकट सम्पर्क स्थापित करने के लिये प्रत्येक प्रान्त में 'व्यावसायिक शिक्षा-परामर्शदात्री समिति'^२ का संगठन किया जाय।
८. उद्योगपति—भवन, सामग्री और धन देकर व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करें।
९. पूर्ण सामयिक व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना की जाय। ये विद्यालय दो प्रकार के होने चाहिये—(१) जूनियर वोकेशनल स्कूल, और (२) सीनियर वोकेशनल स्कूल। जूनियर स्कूल में छात्र दही कढ़ा पास

१. Recommendations on Vocational Education
 २. Advisory Council for Vocational Education

करके प्रवेश करें और उनका पाठ्य-क्रम ३ वर्ष का हो। सीनियर स्कूल मे ११वी कक्षा के उपरान्त २ वर्ष का पाठ्य-क्रम हो।

१०. जो व्यक्ति विभिन्न व्यवसायो मे लगे हुए हैं, उनको शिक्षा देने के लिये 'अंशकालिक व्यावसायिक स्कूल' स्थापित किये जायें। इनमे शिक्षा प्राप्त करने वाले इच्छुक कर्मचारियो को मालिको द्वारा एक सप्ताह में २३ दिन की छुट्टी दी जाय।
११. व्यावसायिक स्कूलो का पाठ्य-क्रम पूर्ण करने वाले छात्रो को प्रमाण-पत्र (Certificates) प्रदान किये जायें।
१२. जिन औद्योगिक क्षेत्रो की जनसंख्या कम से कम ५० हजार हो, वहाँ जूनियर और सीनियर टेकनिकल स्कूलो का निर्माण किया जाए।
१३. कला एवं हस्तकौशल के विद्यालयो की स्थापना एवं संचालन मे सरकार सहयोग प्रदान करे।
१४. व्यावसायिक शिक्षा-प्राप्त छात्रो को जीविकोपार्जन के लिये व्यवसाय निश्चित करने मे सहायता देने के विचार से उचित परामर्श दिया जाय।

रिपोर्ट का मूल्यांकन

ऐबट और बुड अपने समय के प्रसिद्ध शिक्षा-मर्मज्ञ थे। ऐबट तो तत्कालीन व्यावसायिक शिक्षा मे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका था। यद्यपि इन शिक्षा-मर्मज्ञो के पास समय का अभाव था और वे सम्पूर्ण भारत का परिभ्रमण नहीं कर सके, तथापि अपने सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर उन्होंने सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध मे जो सुझाव दिये, वे उस समय की परिस्थितियो तथा वास्तविक आवश्यकताओ को देखते हुए बहुमूल्य एवं व्यावहारिक थे। परन्तु भारत का दुर्भाग्य था कि इन सुझावो को प्रियान्वित न किया जा सका, क्योंकि शीघ्र ही द्वितीय विश्व-युद्ध के भयङ्कर विस्फोट ने सम्पूर्ण विश्व को आतंकित कर दिया। इस संकटकालीन परिस्थिति का बहाना लेकर भारतीय शिक्षा के प्रति उदासीन ब्रिटिश सरकार ने 'ऐबट एण्ड बुड रिपोर्ट' के विषय मे सोचना ही बन्द कर दिया।

उच्च शिक्षा (१९३७-१९४७)

इस अवधि मे विश्वविद्यालय-शिक्षा का व्यापक विस्तार हुआ और विश्व-विद्यालयो मे शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रो की संख्या मे आशातीत वृद्धि हुई। १९३७ मे इन छात्रो की संख्या १२६,२२८ थी, परन्तु १९४७ मे यह संख्या बढ़कर २४१,७६४ हो गई। यहाँ यह बात स्मरणीय है कि १९४७ मे भारत के अन्तर्गत वे सभी विश्वविद्यालय नहीं थे, जो १९३७ मे थे, क्योंकि उनमे से कुछ पाकिस्तान के अधिकार-क्षेत्र मे पहुँच गए थे।

शिक्षा-विस्तार के कारण

१९३७ से १९४७ तक विश्वविद्यालय-शिक्षा में विस्तार होने के अनेक कारण थे, यथा —

१. द्वितीय विश्वयुद्ध एवं 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव के कारण जन साधारण में आविर्भूत होने वाली सर्वव्यापक जागृति,
२. माध्यमिक शिक्षा का विस्तार,
३. स्त्रियो एवं पिछड़ी जातियों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने की उत्कण्ठा,
४. युद्ध के कारण नागरीयकरण की तीव्र प्रक्रिया,
५. युद्ध-कालीन समय में व्यवसायी वर्ग को व्यापार में अत्यधिक लाभ और उनके द्वारा उच्च शिक्षा के लिए दी गई उदार धनराशि,
६. युद्धकाल में शिक्षित व्यक्तियों की माँग में अभिवृद्धि।

नवीन विश्वविद्यालयों का निर्माण

इस काल में अधोलिखित ४ विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ —

१. **त्रावणकोर विश्वविद्यालय**—इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास १९३७ में किया गया। यह शैक्षिक एवं सम्बद्ध विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय का एक मुख्य उद्देश्य—मलयालम और तामिल साहित्यों का विकास करना है। इस ध्येय की पूर्ति के लिए एक 'प्राच्य पांडुलिपि-पुस्तकालय' (Oriental Manuscript Library) और 'पुस्तक प्रकाशन विभाग' (Publication Department) है।

२. **उत्कल विश्वविद्यालय**—१९३७ में उड़ीसा को बिहार से पृथक् करके एक नवीन प्रान्त का निर्माण किया गया। इस नवनिर्मित प्रदेश के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक थी। अतः १९४३ में एक शिक्षण एवं सम्बद्ध विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया।

३. **सागर विश्वविद्यालय**—१९४६ में इस विश्वविद्यालय की स्थापना, सर हरीसिंह गौड से २० लाख रुपये की दान-स्वरूप प्राप्त राशि से की गई। यह शैक्षिक एवं सम्बद्ध विश्वविद्यालय है।

४. **राजपूताना विश्वविद्यालय**—राजपूताने के देशी नरेशों ने प्रति वर्ष २,६५,००० रुपया देने का निश्चय करके राजपूताना विश्वविद्यालय की आधार-शिला १९४७ में रखी। प्रारम्भ में यह सम्बद्ध विश्वविद्यालय था और इसके अन्तर्गत २८ कॉलेज थे।

माध्यमिक शिक्षा (१९३७-१९४७)

इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा की तीव्र प्रगति हुई, परन्तु वह पूर्व बातों की अपेक्षावत् मन्द थी। १९३७ में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या १३,०५६ और उनमें शिक्षा का लाभ उठाने वाले छात्रों की संख्या २२,८७,८७२ थी। १९४७ में यह संख्या क्रमशः ११,९०७ और २६,८१,९८१ थी। यद्यपि १९४७ में कुछ माध्यमिक

विद्यालयों के पाकिस्तान राज्य के अन्तर्गत चले जाने से उनकी संख्या में कमी हो गई थी, परन्तु विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि ही हुई थी। इस प्रकार माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या में वृद्धि तो अवश्य हुई परन्तु यह उस अनुपात में नहीं हुई, जिसमें विश्वविद्यालयों के छात्रों की हुई।

शिक्षा की मन्द प्रगति के कारण

१९३७ से १९४७ तक माध्यमिक शिक्षा की मन्द प्रगति के अनेक कारण दिये जा सकते हैं; यथा—

१. इस काल की प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की गति में शीथिल्य रहा। इसकी प्रतिक्रिया माध्यमिक शिक्षा पर होनी स्वाभाविक थी, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों के छात्र ही माध्यमिक स्कूल में प्रविष्ट होते थे।
२. यह काल विश्व-युद्ध के कारण आर्थिक संकट का काल था। जीवन की सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई थी। इस मँहगाई का सबसे बुरा प्रभाव मध्य-वर्ग के व्यक्तियों पर पड़ा था। क्योंकि उन्हीं के बच्चे अधिकांश संख्या में माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ते थे; और क्योंकि उनके पास धन का अभाव था, अतः उनके लिए इसके अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं था कि वे अपने बच्चों को विद्यालय जाने से रोक दें।
३. इस काल में शिक्षकों को मँहगाई देने के विचार से शुल्क में वृद्धि कर दी गई। साथ ही पुस्तकों आदि का भी मूल्य बढ़ गया। ऐसी दशा में शिक्षा इतनी मँहगी हो गई कि आय के सामान्य साधन वाले व्यक्तियों के बच्चों को शिक्षा से लाभ उठाना स्वप्न की सी बात हो गई।

उपरिक्तित कारणों का परिणाम यह हुआ कि माध्यमिक विद्यालयों में केवल उन्हीं अभिभावकों के बच्चे प्रवेश करते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। जहाँ तक निम्न, मध्य वर्ग या श्रमिक श्रेणी के व्यक्तियों का प्रश्न था, उनके बच्चों के लिये इन स्कूलों के द्वार बन्द हो गये। ऐसी परिस्थिति में छात्रों की संख्या में ह्रास होना अनिवार्य था। मँहगाई-जनित आर्थिक कठिनाई का एक द्विपित परिणाम यह हुआ कि विद्यालय-प्रवेश का आधार 'योग्यता' के स्थान पर 'धन' हो गया। कितने ही तीव्र-बुद्धि बालक दरिद्रता के शिकंजे के फँसे होने के कारण विद्याध्ययन के लाभ से वंचित रह गये। फलतः माध्यमिक शिक्षा का स्तर गिर गया।

माध्यमिक शिक्षा की अन्य विशेषताएँ

इस अवधि की माध्यमिक शिक्षा की कुछ अन्य विशेषताएँ भी उल्लेखनीय हैं—(१) प्रायः सभी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम भारतीय 14

गई, (२) पाठ्य-पुस्तको का प्रकाशन किया गया और शब्दावली तैयार की जाने लगी, (३) प्रान्तीय सरकारो ने टेकनिकल और कृषि हाई-स्कूल खोले, (४) वाणिज्य की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया गया, (५) प्रशिक्षण-विद्यालयो की संख्या मे वृद्धि की गई, और (६) स्त्रियाँ अध्यापन-कार्य की ओर आकृष्ट हुई ।

माध्यमिक शिक्षा के दोष

पूर्व कालो के समान इस अवधि मे भी माध्यमिक शिक्षा की समस्याओ का समाधान न किया जा सका और उसमे जो दोष उभर आये थे, वे यथावत् बने रहे । साराश मे, ये दोष निम्नांकित थे .—

- १ ग्रामीण विद्यालयो तथा लड़कियो के स्कूलो के लिये विभिन्न पाठ्य-क्रम तैयार नही किये गये ।
- २ 'मेट्रीकुलेशन' परीक्षा मे अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रो की विशाल संख्या को कम करने के लिये कोई उपाय नही किया गया ।
- ३ युद्ध-जनित मँहगाई के कारण जन-साधारण के बच्चो के लिए माध्यमिक विद्यालयो के द्वार बन्द हो गये ।
४. सुयोग्य किन्तु निर्धन छात्रो को विद्यालयो मे प्रवेश न प्राप्त हो सकने के कारण शिक्षा का स्तर गिर गया ।
५. मँहगाई के समय मे भी शिक्षको के वेतन मे वृद्धि नही की गई । फलत उनमे इतना अधिक असन्तोष व्याप्त हुआ कि उनमे से अनेक ने हृदय-हीन शिक्षा-विभाग को ठुकरा कर अन्य विभागो को अपनी सेवाएँ अर्पित कर दी । ऐसी दशा मे विद्यालयो मे प्रशिक्षित एवं सुयोग्य अध्यापको का अभाव हो गया ।
- ६ प्रशिक्षित अध्यापको का स्थान अदीक्षित शिक्षको ने ग्रहण किया । परिणामतः शिक्षा का स्तर निम्न हो गया ।
- ७ अल्पवेतन होने के कारण उत्साही नवयुवको ने प्रशिक्षण-विद्यालयो की ओर आँख उठाकर भी देखना बन्द कर दिया । ऐसी परिस्थिति मे निम्न योग्यताओ के व्यक्तियो ने उनमे प्रवेश करना प्रारम्भ किया । इसकी प्रतिक्रिया विद्यालयो पर हुई और उनके अपकर्ष का सूत्रपात हुआ ।
- ८ सुयोग्य, अनुभवी एवं प्रशिक्षित अध्यापको की अनुपस्थिति मे माध्यमिक विद्यालयो के छात्रो को अपनी किशोरावस्था मे उचित परामर्श एवं प्रेरणा का लाभ मिलना बन्द हो गया । फलत- विद्यार्थियो मे अनुशासन-हीनता का श्रृंगारोस हुआ । देश की राजनैतिक हलचलो ने इस अनुशासन-हीनता मे योग दिया, और धीरे-धीरे विवृत होकर यह भार

एक ऐसी जटिल गुत्थी बन गई है, जिसे मुलभूतने में देश के प्रख्यात शिक्षा-मर्मज्ञों की बुद्धि भी हैरान है।

प्राथमिक शिक्षा (१९३७-१९४७)

इस काल की महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा की युग-प्रवर्तक घटना एवं प्राथमिक शिक्षा की अन्य नवीन योजनाओं पर अध्याय १७ में प्रकाश डाला जायगा। यहाँ हम पिछले अध्यायों के प्रसङ्ग में प्राथमिक शिक्षा का विवरण दे रहे हैं :—

जैसी कि आशा थी, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने प्राथमिक शिक्षा को विस्तृत करने की चेष्टा की। परन्तु अपने पदों पर अल्प-काल तक आसीन रहने के कारण उन्हें विशेष सफलता हस्तगत नहीं हुई। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों द्वारा किये गये प्राथमिक शिक्षा-सम्बन्धी कार्य-कलापों का अध्ययन हम निम्नांकित दो शीर्षकों के अन्तर्गत करेंगे :—

१. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने भारत के विभिन्न प्रान्तों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को प्रचलित करने के प्रयत्न किये। उनके इस कार्य का स्पष्टीकरण हम नीचे दी हुई तालिका से कर रहे हैं :—

अनिवार्य शिक्षा के क्षेत्र

प्रान्त	शिक्षा पाने वाले बालक		शिक्षा पाने वाली बालिकाएँ	
	नागरिक क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	नागरिक क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
बिहार	१७
बम्बई	६	१३४	११०	५,१००
मध्य प्रदेश	३४	१,०३१
पूर्वी पंजाब	३७	१,४२०
मद्रास	१६	३१	१२	१,६०७
उड़ीसा	१	१
उत्तर प्रदेश	३६	१,३७१	३	३
पश्चिमी बंगाल	१
दिल्ली	१	७
योग	१५२	३,६६५	१३५	६,७१०

२. प्राथमिक शिक्षा-सम्बन्धी अन्य कार्य

प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के अतिरिक्त, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने प्राथमिक शिक्षा को विस्तृत करने के लिये विभिन्न ग्रामों का प्रयोग किया। उन ग्रामों में स्कूल खोले, जहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं थे।

अतिरिक्त सहायता-अनुदान दिया, जिससे वे प्राथमिक शिक्षा के विस्तार में होने वाले व्यय का भार वहन कर सकें। जिन स्थानों में माँग थी, वहाँ बालिका-विद्यालय निर्मित किये। प्राथमिक स्कूलों में अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की, जिससे शिक्षण-कार्य दक्षता-पूर्वक सम्पन्न किया जा सके।

प्राथमिक शिक्षा की विशेषताएँ

प्राथमिक शिक्षा के प्रसंग में इस काल में उसकी विशेषताओं पर दृष्टिपात कर लेना युक्तियुक्त होगा। ये विशेषताएँ मुख्य रूप से दो थीं :—

१. स्थानीय संस्थाओं के शिक्षाधिकारों में कमी—'हर्टाग समिति' की सिफ़ारिश के अनुसार स्थानीय संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा पर जो अधिकार प्राप्त थे, उनमें कमी कर दी गई। इस कार्य में बम्बई प्रान्त ने पथ-प्रदर्शन का कार्य किया। उसने १९३८ और १९४७ के प्राथमिक शिक्षा-अधिनियमों द्वारा स्थानीय संस्थाओं को दी गई शक्तियों को अत्यधिक मात्रा में कम कर दिया।

२. शिक्षकों के वेतन में वृद्धि—इस काल की एक अन्य विशेषता यह थी कि प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के अल्प वेतन की ओर ध्यान दिया गया और निश्चय किया गया कि उनको कम से कम इतना वेतन अवश्य दिया जाय कि वे अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। विश्व-युद्धजनित महँगाई के कारण अध्यापकों के जीवन की दर्द-भरी कहानी से द्रवित होकर देश के विवेकी नेताओं ने उनकी आर्थिक दशा में सुधार करने का बीड़ा उठाया। प्रत्येक प्रान्त में उनके वेतन में वृद्धि की गई और साथ ही उन्हें महँगाई भी दी गई। परन्तु दुर्भाग्यवश, महँगाई रूपी दानव की क्षुधा को तृप्त करने के लिये अध्यापकों की अभिवृद्धित धन-राशि अपर्याप्त रही और उनकी दुःखद स्थिति की कहरण-गाथा प्रसारित किये जाने पर भी व्योम में विलीन हो गई।

व्यावसायिक शिक्षा (१९३७-१९४७)

यद्यपि इस अवधि में व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति अवश्य हुई, परन्तु उसके विषय में कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न अवयवों का विवरण निम्नांकित है.—

१. कानून की शिक्षा—१९४७ में १३ कानून कॉलेज थे, जिनमें ५,३३३ छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इस काल में कानून की शिक्षा के विषय में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि आध्र एवं बम्बई विश्वविद्यालयों ने इण्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को कानून की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दे दिया। अन्य विश्वविद्यालयों में केवल बी० ए० पास करने के उपरान्त ही छात्र इस शिक्षा के अधिकारी होते थे। प्रायः सभी विश्वविद्यालयों ने एल-एल० एम० या एल-एल० डी० की शिक्षा की व्यवस्था कर दी।

२. चिकित्सा-शिक्षा—१९४७ में प्रायः प्रत्येक प्रान्त में एक मेडिकल कॉलेज

या मेडिकल स्कूल था। छात्रों की संख्या मे भी पर्याप्त वृद्धि हो गई थी, परन्तु फिर भी देश के लिये जितने डाक्टरों की आवश्यकता थी, उतने उपलब्ध नहीं थे। इस काल की चिकित्सा-शिक्षा की दो प्रमुख विशेषतायें थी—(१) चिकित्सा की स्नातकोत्तर शिक्षा के लिये अधिक सुविधायें उपलब्ध हो गईं थी, और (२) काग्रेंसी मंत्रिमंडल आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-पद्धति को भी प्रोत्साहित कर रहे थे।

३. वाणिज्य-शिक्षा—इस अवधि मे वाणिज्य-शिक्षा की प्रगति हुई। सम्पूर्ण भारत मे १४ वाणिज्य-कॉलेज एवं २९६ वाणिज्य-स्कूल थे, जिनमे प्रमश ७,७८३ और १४,७८४ छात्र थे। आगरा, लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों मे वाणिज्य की स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई।

४. कला की शिक्षा—१९३७ से १९४७ तक कला के प्रति नवयुवकों की रुचि बढ़ने के कारण कला की शिक्षा प्रदान करने के लिये कला-विद्यालयों का नवनिर्माण किया गया। १९४७ मे भारत मे १४ कला-विद्यालय थे, जिसमे १,६६८ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे।

५. कृषि की शिक्षा—इस काल में कृषि की शिक्षा की आसाजनक उन्नति हुई और १२ नवीन संस्थानों का निर्माण हुआ। १९४७ मे १७ कृषि-कॉलेज थे, जो १,५५१ छात्रों को स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा प्रदान कर रहे थे। कृषि-शिक्षा की इतनी उन्नति के बावजूद भी वह भारत ऐसे खेतिहर देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये अपर्याप्त थी।

६. इंजीनियरिंग की शिक्षा—कृषि के समान इस अवधि मे इंजीनियरिंग की शिक्षा का भी सराहनीय विस्तार हुआ। १९४७ मे भारत मे १७ इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जिनमे २,५०० विद्यार्थी प्रतिवर्ष प्रवेश करते थे। परन्तु अन्य देशों की अपेक्षा और स्वयं अपनी आवश्यकताओं की देखते हुए, हमारा देश (भारत) इंजीनियरिंग की शिक्षा मे बहुत पिछड़ा हुआ था।

७. प्राविधिक शिक्षा—अब तक प्राविधिक शिक्षा की अवहेलना की गई थी, परन्तु इस अवधि मे इसका अत्यधिक प्रसार हुआ। इसके तीन प्रमुख कारण थे—(१) विद्व-युद्ध के कारण ऐसे व्यक्तियों की माँग बहुत बढ़ गई थी, जो प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हों। (२) युद्ध-सामग्री का उत्पादन करने के लिये भारत मे नवीन उद्योगों की स्थापना हो गई थी और उनमें प्राविधिक शिक्षा-प्राप्त मनुष्यों की आवश्यकता थी। (३) केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों द्वारा बनाई गई युद्धोत्तर विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये प्राविधिक-शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों की माँग बढ़ी। अतः प्राविधिक शिक्षा का विस्तार होना स्वाभाविक था। १९४७ मे ४९० संस्थायें थी, जिनमे २७,९४० छात्र थे।

अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा-समिति^१—भारत सरकार ने 'केन्द्रीय शिक्षा-

सलाहकार बोर्ड' के परामर्श के अनुसार १९४६ में 'अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा-समिति' का निर्माण किया। इस 'समिति' का उद्देश्य—केन्द्रीय सरकार को उच्च प्राविधिक शिक्षा के संगठन एवं नियोजन में परामर्श देना था। इस 'समिति' का एक अन्य कार्य—प्राविधिक शिक्षा-संस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करना था। 'समिति' ने भारत में उच्च प्राविधिक शिक्षा की संस्थाओं को विस्तृत एवं समुन्नत करने के लिए सरकार के समक्ष एक योजना प्रस्तुत की। इसको क्रियान्वित करने में १९४४ लाख रुपया व्यय होना था, और तत्पश्चात् ३० लाख रुपये का वार्षिक व्यय था।

स्त्रियों की शिक्षा (१९३७-१९४७)

१९३७ से १९४७ तक स्त्री-शिक्षा की, विशेष रूप से उच्च शिक्षा की अति तीव्र प्रगति हुई। द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान, भारत के विभिन्न सरकारी विभागों एवं व्यापारिक कार्यालयों में शिक्षित व्यक्तियों की माँग बढ़ी। फलस्वरूप, अनेक स्त्रियाँ उनमें कार्य करने लगीं। नौकरी करने से स्त्रियों ने जिस आर्थिक स्वतन्त्रता के आनन्द का उपभोग किया, उससे उन्हें शिक्षा ग्रहण करने की अधिक प्रेरणा प्राप्त हुई। युद्ध-काल में मँहगाई अधिक हो जाने के कारण मध्य वर्ग के व्यक्ति अधिक सकट में थे। अतः उनमें से जो उदार विचार के थे, उन्होंने अपनी स्त्रियों को घर से बाहर जाकर नौकरी करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की। इस परिवर्तित दृष्टिकोण ने स्त्री शिक्षा के उन्नयन में अतिशय योग दिया। १९४७ में स्त्रियों के लिए सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा के लिये १६,६५१ संस्थायें थीं, जिनमें ३,५५०,५०३ लड़कियाँ शिक्षा का लाभ उठा रही थी।^१

मुसलमानों की शिक्षा (१९३७-१९४७)

हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि १९३७ तक मुस्लिम-शिक्षा का पर्याप्त विस्तार हो चुका था और जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न था, मुसलमान अन्य जातियों से पीछे नहीं थे। अतः सरकार के लिए मुसलमानों की शिक्षा एक समस्या न रह गई। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार करने के भार से आने आपको मुक्त पाया। इस काल में मुस्लिम-शिक्षा के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है कि 'अखिल भारतीय मुस्लिम-शिक्षा सम्मेलन'^२ ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें मुस्लिम-शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नांकित माँगें सरकार के समक्ष रखी गईं—

१. मुसलमानों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो, परन्तु उन्हें वैयक्तिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य न किया जाय।
२. साम्प्रदायिक स्कूलों को भंग न किया जाय और उन्हें मान्यता प्रदान की जाय।

1. *Seven Years of Freedom*, p. 25.

2. All India Muslim Educational Conference

३. शिक्षा का माध्यम 'उर्दू' रखा जाय।
४. धर्म को शिक्षा का आधार बनाया जाय।
५. मुस्लिम प्राथमिक विद्यालयों के लिए विभिन्न पाठ्य-क्रम हो।
६. मुस्लिम बालकों तथा बालिकाओं के लिये पृथक् स्कूलों की स्थापना की जाय।
७. विद्यालयों में मुस्लिम अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की संख्या निश्चित की जाय।
८. स्थानीय जनसंख्या के अनुपात में हाई स्कूलों, विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक संस्थाओं में मुस्लिम छात्रों के लिये स्थान सुरक्षित रखे जायें।

हरिजनों की शिक्षा (१९३७-१९४७)

कांग्रेस बहुते समय से हरिजनोत्थान एवं अस्पृश्यता के निवारण के लिये आन्दोलन कर रही थी। १९३७ में विभिन्न प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के हाथ में प्रशासकीय शक्तियाँ आ जाने से उन्हें ऐसा स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ, जब वे वास्तव में दलित वर्गों की पतनोन्मुख दशा में सुधार करके कुछ ठोस कार्य कर सकते थे। इस भावना से अनुप्राणित होकर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने विभिन्न प्रान्तों में अस्पृश्यता का अन्त करने के उद्देश्य से अधिनियम बनाये। इसके अतिरिक्त, उन्होंने हरिजनों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के अवसर प्रदान किये। हरिजनों के लिए स्थापित किये गये विशिष्ट स्कूलों को समाप्त कर दिया गया और सभी सार्वजनिक विद्यालयों के द्वार उनके लिए खोल दिये गये। साथ ही, उनकी आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए, उन्हें विशेष सुविधायें भी प्रदान की गईं; यथा — छात्रवृत्तियों, पुस्तकों आदि के लिए अनुदान, परीक्षा-शुल्क से आशिक या पूर्ण मुक्ति, निःशुल्क शिक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि संस्थाओं में स्थानों की सुरक्षा, छात्रावासों की सुविधा, हरिजन शिक्षकों को विशेष सुविधायें, चमड़े आदि के कार्य की व्यावसायिक शिक्षा का प्रवन्ध, इत्यादि।

हरिजनों के सौभाग्य से १९४२ में डा० अम्बेदकर गवर्नर-जनरल की कार्य-कारिणी समिति के कानून-सदस्य बने। उनके प्रयास के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ देने की योजना स्वीकृत की। इस योजना का उद्देश्य—उन हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देना था, जो 'मैट्रीकुलेशन' परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् वैज्ञानिक अथवा औद्योगिक विषयों का भारत में अध्ययन करना चाहते थे। यह योजना १९४४-४५ में क्रिमान्वित की गई और ३ लाख रुपये छात्रवृत्तियों के लिए दिया गया।

यहाँ यह बात लिखनी युक्तिसंगत होगी कि जिस प्रकार कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने हरिजनों को शिक्षा प्राप्त करने के लिये विशेष सुविधायें दी, उसी प्रकार आदिवासियों, पहाड़ी जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों को भी दी।

प्रौढ-शिक्षा (१९३७-१९४७)

१९३७ में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने हाथ में प्रांतीय स्वायत्त शासन की बाग डोर आ जाने से जन शिक्षा के भाग्य ने पलटा खाय। शिक्षा प्रसार के अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एवं हरिजन शिक्षा के साथ प्रौढ शिक्षा को भी बराबर पर प्रतिष्ठित किया। आधुनिक प्रगतिशील युग में वयस्क निरक्षरता भारत के लिए लज्जा एवं अपमान की बात थी। अतः कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने निरक्षरता की इस कलक-कालिमा को धो डालने के लिए क्रियात्मक पग उठाये। अपने अधीनस्थ प्रान्तों की प्रौढ शिक्षा में यह अभिरुचि देखकर केन्द्रीय सरकार ने उनसे पीछे रहने में अपनी मान-हानि समझी। अतः केन्द्रीय सरकार ने १९३६ में बिहार के शिक्षा मन्त्री डा० संयद महमूद की अध्यक्षता में वयस्क साक्षरता के सम्बन्ध में व्यावहारिक सुझाव देने के लिए 'वयस्क शिक्षा-समिति' की नियुक्ति की।

प्रौढ-शिक्षा के उद्देश्य एवं महत्त्व

डा० संयद महमूद ने सभापति के पद से भाषण देते हुए वयस्क निरक्षरता के व्यपरोपण पर बल दिया। डा० महमूद ने लेनिन (Lenin) का एक वाक्य उद्धृत करते हुए कहा— निरक्षरता का व्यपरोपण एक राजनैतिक समस्या नहीं है। यह एक ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना राजनीति की चर्चा करना असम्भव है।^१ इस प्रकार प्रौढ शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालने के उपरांत डा० महमूद ने भारत में इस शिक्षा के निम्नलिखित तीन उद्देश्य प्रतिपादित किये —

- १ निरक्षर वयस्क को लिखना पढ़ना और अकगणित सिखाना।
- २ वयस्क को उसके जीवन से सम्बन्धित उपयोगी शिक्षा देना।
- ३ वयस्क को उत्तम नागरिक बनने की शिक्षा देना।

डा० महमूद ने अपने वक्तव्य में जनता से अपील की, कि इस पुनीत कार्य में सरकार का हाथ बँटाए, क्योंकि निरक्षरता को दूर करने के इस दुष्कार्य को केवल सरकार सम्पन्न नहीं कर सकती थी। अपने भाषण में इस कार्य के महत्त्व का उल्लेख करते हुए डा० महमूद ने कहा— आज कोई भी सरकार प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की महान् आवश्यकता की अवहेलना नहीं कर सकती है परन्तु बालका तथा बालिकाओं की शिक्षा का प्रसार करने के लिये सहानुभूतिपूर्ण वातावरण एवं अभिभावकों

1 Adult Education Committee

2 'The liquidation of illiteracy is not a political problem it is a condition without which it is impossible to speak of politics' —Lenin Quoted by Syed Mahmud in the Report of the Adult Education Committee (1939), p 54

का हितकर सहयोग अति आवश्यक है, और यह सहयोग उस समय तक प्राप्त नहीं हो सकता है, जब तक कि स्वयं अभिभावक शिक्षा के महत्त्व का अनुभव न करने लगे।”¹

प्रान्तों में प्रौढ-शिक्षा-कार्य

१९३७ से प्रान्तो मे जन-प्रिय मंत्रिमण्डलो की स्थापना के समय से ही प्रौढो को साक्षर बनाने की योजनायें क्रियान्वित कर दी गईं। विभिन्न प्रान्तो मे प्रौढ-शिक्षा के लिये किये गये कार्यों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है :—

आसाम—इस प्रान्त मे प्रौढ-शिक्षा के लिये १९३७ तक जो कार्य किये गये, वे प्रायः नगण्य थे। आसाम मे कांग्रेस का संयुक्त मंत्रिमण्डल बना। अतः वयस्को को साक्षर बनाने का कार्य उत्साह से प्रारम्भ किया गया। शिक्षा-विभाग को साक्षरता का कार्य सौपा गया। इस विभाग ने अपने अधीनस्थ कार्यालयो के सहयोग से साक्षरता एवं साक्षरता के उपरान्त भी शिक्षा की व्यवस्था की। एक वर्ष की अल्प अवधि में ही १,८४० प्रौढ-शिक्षा केन्द्र खोले गये और आगामी दो वर्षों मे २,१६,७११ प्रौढो को साक्षर बनाया गया।

बंगाल—बंगाल मे १९३७ से पहले से ही ग्राम-सभायें अपनी प्रौढ-पाठशालायें चला रही थी। प्रान्तीय सरकार ने इन्ही पाठशालायो को विकसित करके तथा आर्थिक सहायता देकर प्रौढ-शिक्षा की व्यवस्था की। बंगाल मे १९३९ मे प्रौढ-शिक्षा के लिये १०,००० विद्यालय थे, १९४२ मे यह संख्या बढकर २२,५७४ हो गई। इन मे क्रमशः १,५०,००० और ५,३०, १७८ प्रौढ साक्षर बनाये जा रहे थे।

बिहार—बिहार मे कांग्रेसी मंत्रिमण्डल के शिक्षा-मन्त्री डा० सैयद महमूद की अध्यक्षता मे प्रौढ-शिक्षा का सबसे अधिक विस्तार हुआ। वहाँ एक ही वर्ष मे ४,१०,००० वयस्क साक्षरता की परीक्षा मे सम्मिलित हुए। प्रान्तीय सरकार ने प्रौढो को साक्षर बनाने के लिये निम्नलिखित कार्य किये :—

१. सभी लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलो मे प्रौढ-शिक्षा-केन्द्र खोले गये। प्रत्येक वयस्क को साक्षर बनाने के लिये सरकार की ओर से ५ आना आर्थिक सहायता दी जाती थी।

1. “No Government can afford today to be blind to the imperative need of the expansion of primary education, but for the speeding up of the tempo of the progress of education of boys and girls, sympathetic atmosphere and helpful co-operation of the parents is an urgent necessity, and this cannot be achieved unless and until the parents themselves realize the importance of education.”—*Report of the Adult Education Committee (1939)*, p. 54.

२. स्थान-स्थान पर साक्षरता केन्द्र खोले गये और उन्हें १५ रुपये वार्षिक सहायता दी गई।
३. कॉलेजो और हाई स्कूलो मे साक्षरता-कक्षाओ का संगठन किया गया।
४. जेलो मे सभी बन्दियों को साक्षर बनाने का प्रयास किया गया।
५. पुलिस के सिपाहियो और चौकीदारो को साक्षर बनाने की आज्ञा दी गई।
६. "अपना गृह साक्षर बनाओ" (Make your home literate.) नामक आन्दोलन प्रारम्भ किया गया और प्रत्येक परिवार के एक शिक्षित व्यक्ति को अन्य सदस्यो को साक्षर बनाने का कार्य सौंप दिया गया।
७. उद्योगपतियो एवं मिल-मालिको को अपने श्रमिको को साक्षर बनाने के लिये आदेश दिया गया।
८. हजारो प्रामो मे पुस्कालय एव वाचनालय खोले गये।

बम्बई—इस प्रान्त के काँग्रेसी मंत्रिमण्डल ने १९३७ मे डा० क्लिफर्ड मॉन्शार्ट (Clifford Manshardt) की अध्यक्षता मे प्रौढ-शिक्षा की समस्या की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक 'प्रान्तीय प्रौढ-शिक्षा परिषद्'^१ संगठित की गई। इस परिषद् की एक समिति की अध्यक्षता मे बम्बई नगर मे प्रौढ-शिक्षा का कार्य प्रारम्भ किया गया। कॉलेजो एवं स्कूलो के छात्रो को ग्रीष्मावकाश मे नगर के प्रौढो को साक्षर बनाने के लिये अनुप्राणित किया गया। यह योजना इतनी अधिक सफल हुई कि बम्बई नगर के वयस्को को साक्षर बनाने के उद्देश्य से 'बम्बई नगर वयस्क-शिक्षा-समिति'^२ का निर्माण किया गया और इसको वयस्क साक्षरता का कार्य सम्पन्न करने के लिये ५० हजार रुपया वार्षिक अनुदान दिया गया। परन्तु सरकार का ध्यान विशेष रूप से बम्बई नगर पर ही केन्द्रित रहा, और ग्रामीण क्षेत्रो मे वयस्को को साक्षर बनाने का कार्य अधिक लगन के साथ नहीं किया गया।

१९३८ मे बम्बई सरकार ने एक 'एड-हॉक एडुकेशन एडवाइजरी बोर्ड'^३ नियुक्त किया। इसके अधिकांश सदस्य गैर-सरकारी कर्मचारी थे। इस बोर्ड ने एस० आर० भगत (S. R. Bhagat) की अध्यक्षता मे निरक्षरता-निवारण का प्रशासनीय कार्य किया। १९३९ मे सरकार ने नए पुस्तकालयो की स्थापना एवं पुराने पुस्तकालयो को अधिक सुसमृद्ध बनाने की योजना त्रियान्वित की। १९४१-४२ मे सरकार ने प्रौढ-शिक्षा के कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने का कार्य प्रारम्भ किया।

1. Provincial Board for Adult Education.
2. Bombay City Adult Education Committee.
3. Ad-Hoc Education Advisory Board.

सरकार के इन सभी कार्यों के फलस्वरूप प्रौढ-शिक्षा के कार्य को एक नवीन प्रेरणा तथा स्फूर्ति प्राप्त हुई।

उड़ीसा—इस प्रान्त के काँग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने निरक्षरता-निवारण के निमित्त १५,००० रुपये का अनुदान दिया। मन्त्रिमण्डल के कार्य-काल में वयस्क शिक्षा का कार्य अति तीव्र गति से आगे बढ़ा, परन्तु मन्त्रियों के पद-त्याग करते ही इस कार्य का प्रभाव मन्द होकर क्षीण होता चला गया।

पंजाब—इस प्रान्त में सर सिकन्दर ह्याट खाँ का गैर-काँग्रेसी मन्त्रिमण्डल कार्य कर रहा था। अतः अन्य प्रान्तों के समान यहाँ प्रौढ-साक्षरता का कार्य न किया गया। परन्तु फिर भी सरकार ने वयस्को में हजारों पुस्तकों का बिना कोई मूल्य लिये वितरण किया। १९३८-३९ में ४२,००० प्राइमरी एव ५०,००० अन्य उपयोगी पुस्तकों वितरित की गईं।

इस प्रान्त में प्रौढ-शिक्षा का प्रसार करने का श्रेय डा० लॉबेक् (Laubach) को है, जिसने मिशन स्कूला को वयस्क-शिक्षा का केन्द्र बनाया। उसके प्रयास के परिणामस्वरूप पंजाब में प्रौढ-शिक्षा का अच्छा प्रसार हुआ।

उत्तर-प्रदेश—इस प्रान्त के काँग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने प्रौढ-शिक्षा के प्रसार में स्तुत्य योग प्रदान किया। स्थान-स्थान पर प्रौढ-शिक्षा के केन्द्र स्थापित किये गये और वयस्को के लिये पुस्तकें का प्रबन्ध किया गया। १९३९ से १९४२ तक इस प्रान्त में ७,२५,००० वयस्को को साक्षर बनाया गया।

मैसूर—भारत के कुछ देशी राज्यों में भी वयस्क-शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया गया। इनमें मैसूर, हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर उल्लेखनीय हैं, परन्तु इन सब में मैसूर सर्वोपरि था। उस समय से लेकर आज तक यह राज्य प्रौढ-शिक्षा के कार्य में संलग्न है।

१९४० में मैसूर विश्वविद्यालय के छात्र-संघ (Students' Union) ने मैसूर नगर में निरक्षरता के विघ्न आन्दोलन प्रारम्भ किया। १९४१ में 'मैसूर राज्य साक्षरता समिति'^१ का निर्माण हुआ। इस समिति द्वारा मैसूर राज्य में प्रौढ-शिक्षा के निमित्त निम्नांकित कार्य किये गये —

१. वयस्को को शिक्षा देने के लिये साक्षरता-कक्षार्थें खोली गईं। जो वयस्क इन कक्षाओं की शिक्षा समाप्त कर लेते थे, उनकी परीक्षा ली जाती थी और सफल वयस्को को प्रमाण-पत्र दिये जाते थे।
२. साक्षर वयस्को के लिये कुछ ऐसे केन्द्र स्थापित किये गये, जहाँ पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाओं आदि की व्यवस्था की गई। यह प्रबन्ध इसलिए किया गया, जिससे साक्षर प्रौढ फिर निरक्षर न बन जायें।

- ३ राज्य की ओर से उन ग्रामों को—जा ३० रुपये एकत्र कर लेते थे, ७० रुपये का अनुदान दिया जाता था। इस सम्मिलित धन राशि से ग्राम में एक छोटा-सा पुस्तकालय स्थापित कर दिया जाता था।
- ४ मैसूर राज्य ने नजनगढ नामक स्थान पर डेन्मार्क के 'फोक हाईस्कूल'¹ के सिद्धान्त पर बयस्कों के लिए एक विद्यापीठ निर्मित की। इसमें बयस्कों को विभिन्न जीवनोपयोगी विषयों की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का काल ५ माह तक है। विद्यापीठ में प्रौढ-शिक्षा के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध है।

निष्कर्ष

उपरिर्कथित विवरण के आधार पर यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि इस अवधि में पूर्व कालों की अपेक्षा प्रौढ-शिक्षा के लिए कहीं अधिक और रचनात्मक कार्य किया गया। इसके लिए प्रान्ता के कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल हमारी प्रशंसा के भाजन है। यदि १९३७ से १९४७ तक की १० वर्ष की अवधि में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल अपने पद पर आसीन रहते, तो बयस्क-शिक्षा का कार्य और भी सफल होता। परन्तु द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने अपने पदों का त्याग कर दिया और फलस्वरूप उनकी प्रौढ-शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं को व्यर्थ समझ कर या मितव्ययता की नीति का अनुसरण करने के कारण सरकार ने बन्द कर दिया। सरकार की इस अनुदारता एवं सकीर्ण हृदयता से प्रौढ-शिक्षा को बड़ा धक्का लगा और अकारण ही उसकी प्रगति अवरुद्ध हो गई। परन्तु निरक्षरता-निवारण के उच्चादर्श से अभिप्रेरित कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने विश्व-युद्ध के उपरान्त एक बार फिर प्रशासकीय शक्ति को हस्तगत करके प्रौढ-शिक्षा के जीर्ण कलेवर में प्राण फूँक दिये।

सारांश

प्रान्तीय स्वशासन की स्थापना—१९३५ के 'भारत सरकार अधिनियम' को अप्रैल, १९३७ में कार्यान्वित किया गया। सरक्षित एवं हस्तान्तरित विषयों का भेद समाप्त हो गया। ६ प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बने और उन्होंने शिक्षा की प्रगति में योग दिया।

केन्द्रीय सरकार के शिक्षा-कार्य—केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा की ओर ध्यान दिया और 'केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड', 'केन्द्रीय शिक्षा सचिवालय', 'केन्द्रीय सूचना कार्यालय' तथा 'विश्वविद्यालय-अनुदान समिति' का सगठन किया।

ऐबट एण्ड बुड रिपोर्ट—यह रिपोर्ट जून, १९३७ में प्रस्तुत की गई। इसमें सामान्य शिक्षा एवं उसके सगठन के सम्बन्ध में बुड द्वारा अनेक उत्तम सुझाव दिये

गये। ऐबट ने व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के लिये सुझाव दिये। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हो जाने के कारण सरकार ने इन सुझावों की ओर रचनात्मक भी ध्यान नहीं दिया।

उच्च शिक्षा—इस काल में विश्वविद्यालय-शिक्षा का अत्यधिक विस्तार हुआ। त्रावणकोर, उत्तल, सागर और राजपूताना विश्वविद्यालयों का शिलान्यास किया गया।

माध्यमिक शिक्षा—माध्यमिक शिक्षा की प्रगति विश्वविद्यालय शिक्षा की अपेक्षा कम हुई। मेहगाई के कारण साधारण स्थिति के योग्य बालक विद्यालयों में प्रवेश न कर सके, अतः शिक्षा का स्तर गिर गया। प्रायः सभी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं हो गई। प्राविधिक, कृषि और वाणिज्य की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया।

प्राथमिक शिक्षा—कांग्रेसी मन्त्रिमण्डली ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में योग दिया। विभिन्न प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए अधिनियम पारित किये गये। स्थानीय सस्याबा के शिक्षाधिकारों में कमी कर दी गई। शिक्षकों के वेतन में वृद्धि हुई।

व्यावसायिक शिक्षा—व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति तो अवश्य हुई परन्तु उसके सम्बन्ध में कोई विशेष बात नहीं है। पूर्व के समान कानून, चिकित्सा शास्त्र, वाणिज्य, कला, कृषि, प्रौद्योगिक और इंजीनियरिंग की शिक्षा चलती रही।

स्त्रियों की शिक्षा—आर्थिक कठिनाइयों के कारण मध्य वर्ग की अनेक स्त्रियाँ नौकरी करने लगीं। युद्ध के कारण शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की माँग बढ़ी और स्त्रियों को दफतरो आदि में कार्य मिला। इन कारणों से स्त्री शिक्षा का प्रवाह तीव्र हो गया।

मुसलमानों की शिक्षा—शिक्षा-क्षेत्र में मुसलमान अन्य जातियों से पीछे नहीं थे। अतः सरकार के लिये मुस्लिम शिक्षा के प्रसार की कोई समस्या नहीं रह गई।

हरिजनों की शिक्षा—कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने हरिजनों के लिये सभी विद्यालयों के द्वार खोल दिये। छात्रवृत्तियाँ, पुस्तक-अनुदान, छात्रावास आदि की सुविधा देकर हरिजनों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया। डा० अम्बेदकर के प्रयास से केन्द्रीय सरकार ने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक विषयों की शिक्षा प्राप्त करने वाले हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियाँ देनी प्रारम्भ की।

प्रौढ़ शिक्षा—कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने प्रौढ़ शिक्षा की ओर ध्यान दिया। केन्द्रीय सरकार ने डा० सैयद महमूद की अध्यक्षता में वयस्क-साक्षरता के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये एक समिति नियुक्त की। विभिन्न प्रान्तों में प्रौढ़ शिक्षा के लिये अनेक कार्य किये गये यथा—अरसाम में प्रौढ़ शिक्षा का कार्य शिक्षा विभाग को सौंपा

गया। बंगाल में ग्राम-सभाओं द्वारा प्रौढ-पाठशालाओं का प्रबन्ध किया गया। बिहार में प्रौढ-शिक्षा के लिए सबसे अधिक कार्य किया गया। स्कूलों और कॉलेजों में प्रौढ-शिक्षा केन्द्र खोले गये। पुलिस के सिपाहियों, जेलों के बन्दियों और चौकीदारों को साक्षर बनाया गया। बम्बई नगर के प्रौढों को साक्षर बनाने के लिये विशेष रूप से प्रयास किया गया, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक कार्य न किया गया। उड़ीसा सरकार ने वयस्क-शिक्षा-कार्य के लिए १५,००० रुपये का अनुदान दिया। पंजाब में बिना मूल्य लिये प्रौढों को पुस्तकें बाँटी गईं। इस प्रान्त में मिशनरियों ने वयस्क-शिक्षा की प्रगति में योग दिया। उत्तर प्रदेश में ७,२५,००० वयस्कों को साक्षर बनाया गया। मैसूर राज्य के विश्वविद्यालय के छात्रसंघ ने निरक्षरता के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ किया। राज्य की ओर से एक समिति नियुक्त की गई, जिसने साक्षरता-कक्षायें खोली, प्रौढ-शिक्षा केन्द्र स्थापित किये, पुस्तकालयों का संगठन किया और एक विद्यापीठ का निर्माण किया।

TEST QUESTIONS

1. Summarize the views expressed by Messrs Abbott and Wood on the development of the vocational education in this country. How far were they put into practice in Indian schools and colleges ?
 इस देश में व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिये ऐवट और वुड द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को संक्षेप में लिखिये। उनको भारतीय स्कूलों और कॉलेजों में कहाँ तक कार्यान्वित किया गया था ?
2. Give a brief account of the educational activities of the Central Government and the Congress Ministries from 1937 to 1947.
 १९३७ से १९४७ तक केन्द्रीय सरकार और कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

प्राथमिक शिक्षा की नवीन योजनाएँ
[विद्या-मन्दिर, वालंटरी-स्कूल व बेसिक शिक्षा]
(१९३७-१९४७)

प्रस्तावना

'शिक्षा' एक राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक है। यदि आप किसी देश के उन्नयन एवं अवनयन का कारण जानना चाहते हैं, तो इसे उस देश की शिक्षा के इतिहास में खोजिये। स्वामी विवेकानन्द के इन लोकप्रसिद्ध शब्दों में सत्य का पूर्ण आभास मिलता है—“हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है? इसमें शिक्षा का अभाव है। अतः यदि देश को समुन्नत बनाना है तो सर्वप्रथम जन-साधारण को शिक्षित करना है।”¹ स्वामी जी के इस सारगर्भित सन्देश ने नवाम्बुत्थान के युग में कार्य-रत राष्ट्र-निर्माताओं में एक नई जान डाल दी। ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय आन्दोलन बढ़ता गया, स्वामी जी के इन शब्दों का अर्थ-विस्तार होता गया। जिस देश में केवल ७ प्रतिशत साक्षरता थी², उसके उत्थान की कल्पना भी निमूल थी। अतः, जब दैवयोग से १९३७ में राष्ट्रीय नेताओं ने भारत के विभिन्न प्रान्तों में उत्तरदायी शासन का मूत्र गम्हाया, तो उन्होंने सार्वजनिक बल्याण के कार्य-क्रम में प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करते जन-शिक्षा-प्रसार कार्य को सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया। प्राथमिक शिक्षा के विभाग की पुरातन विधियों में उन्हें कोई आकर्षण नहीं मिला और वे अपनी नवीन योजनाओं का परीक्षण करने के लिये उत्कण्ठित हो उठे। ये योजनाएँ अर्थात्प्रवृत्त थीं—

1. Swami Vivekananda : *Lectures from Colombo to Almora*
p. 127.

2. *Census Report, 1931.*

- १ विद्यामन्दिर-योजना (Vidya Mandir Scheme)
- २ वालटरी स्कूलों की योजना (Scheme of Voluntary Schools)
- ३ बेसिक शिक्षा की योजना (Scheme of Basic Education)

१-विद्यामन्दिर योजना

इस योजना को प्रतिपादित करने वाले मध्य प्रांत के तत्कालीन शिक्षा-मन्त्री प० रविशंकर शुक्ल थे। १९३७-३८ की इस योजना का उद्देश्य—नाममात्र को सरकारी व्यय पर मध्य प्रांत के छोटे ग्रामों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करना था। इस योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं—

- १ प्रत्येक ग्राम में जहाँ स्कूल नहीं हैं और जहाँ लगभग ४० बालक एवं बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त करने योग्य हैं, वहाँ एक विद्यामन्दिर की स्थापना की जायगी।
- २ अन्य प्राथमिक विद्यालयों के समान विद्यामन्दिर में भी लिखने-पढ़ने, अकगणित तथा प्राथमिक स्कूलों के अन्य साधारण विषयों की शिक्षा दी जायगी।
- ३ विद्यामन्दिर, सामान्य प्राथमिक विद्यालयों से कुछ बातों के कारण भिन्न होगा। विद्यामन्दिर में राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास किया जायगा। विद्यामन्दिर एवं स्थानीय ग्रामीण समाज में निकट सम्पर्क स्थापित किया जायगा। विद्यामन्दिर ग्रामोत्थान के लिये कार्य करेगा।
- ४ प्रत्येक विद्यामन्दिर को भवन तथा अन्य सामग्री दी जायगी। विद्यामन्दिर के व्यय के लिये इतनी भूमि दी जायगी, जिससे २०० रुपये वार्षिक आय होगी। इसी आय से विद्यामन्दिर के व्यय की पूर्ति होगी।
- ५ विद्यामन्दिर की देखभाल कृषि विभाग करेगा। परन्तु यदि किसी गाँव में ग्राम-पंचायत होगी, तो विद्यामन्दिर का संचालन एक स्थानीय समिति के द्वारा किया जायगा।
- ६ विद्यामन्दिर की आय का प्रमुख साधन—दी हुई भूमि होगी। अत्यधिक आवश्यकता के समय सरकार आर्थिक सहायता देगी। ग्रामीण जनता दान इत्यादि के रूप में धन देकर विद्यामन्दिर की सहायता कर सकेंगी।
- ७ एक विद्यामन्दिर में केवल एक शिक्षक होगा। वह कम-से-कम मिडिल पास और विशेष रूप से प्रशिक्षित होगा। उसे कम-से-कम १५ रुपये मासिक वेतन मिलेगा। उसकी सेवाएँ स्थायी हो जाने के पश्चात् उसका लगभग ५०० रुपये का जीवन बीमा (Life Insurance) करा दिया जायगा।

८. विद्यामन्दिर में शिक्षा-काल ४ से ७ वर्ष का होगा। अध्ययन के विषय ग्रामीण वातावरण से सम्बन्धित होंगे। औद्योगिक एवं कृषि-शिक्षा की व्यवस्था होगी।

विद्यामन्दिर योजना की प्रगति

१९३८-३९ में विद्यामन्दिर-योजना को अति उरसाह से क्रियान्वित किया गया और लगभग ८० विद्यामन्दिरों की स्थापना की गई। दुर्भाग्य से, कुछ ही समय पश्चात् १९३९ में कांग्रेसी मन्त्रिमंडल ने त्याग-पत्र दे दिया। इससे योजना को बड़ा आघात पहुँचा। प्रान्तीय सरकार ने उसमें तनिक भी रुचि नहीं ली। फलतः उसकी प्रगति अवरुद्ध हो गई।

२—वालंटरी स्कूलों की योजना

थोड़े से सरकारी व्यय पर प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिये 'वालंटरी-स्कूल' नामक एक अन्य योजना थी। इसको १९३८ में कांग्रेसी मन्त्रिमंडल ने बम्बई प्रान्त में क्रियान्वित किया। इस योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे—(१) शिक्षा के लिये व्यक्तिगत प्रयास को प्रोत्साहन देना और इस प्रकार शिक्षा के व्यय को कम करना; (२) ऐसे ग्रामों में स्कूलों की स्थापना करना, जहाँ सरकार या स्थानीय संस्थाओं द्वारा स्कूलों के स्थापित करने में अत्यधिक व्यय होगा। 'वालंटरी स्कूलों' की इस योजना का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

कुछ स्थानों में ऐसे स्कूल थे, जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा संचालित किये जा रहे थे। क्योंकि उन क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की स्थापना में अत्यधिक व्यय होता, अतः राज्य की ओर से इन गैर-सरकारी विद्यालयों को उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता दी गई। इन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रति बालक के लिये ४ रुपया, और प्रति बालिका के लिये ६ रुपया वार्षिक अनुदान दिया जाता था। पिछड़ी जातियों के बालकों एवं बालिकाओं के लिये प्रति बच्चा ३ रुपया प्रतिवर्ष के हिसाब से आर्थिक सहायता दी जाती थी। इसके अतिरिक्त, स्कूलों की अन्य सामग्री के लिये भी धन दिया जाता था।

वालंटरी स्कूलों की इस योजना को आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई और बम्बई सरकार ने अल्प धनराशि व्यय करके प्राथमिक शिक्षा का पर्याप्त प्रसार किया। विश्व-युद्ध के प्रारम्भ होने और कांग्रेसी मन्त्रिमंडल के त्याग-पत्र देने से इस योजना को बड़ा आघात पहुँचा। कुछ वर्षों तक ये स्कूल ज्यों-ज्यों करके चलते रहे। इनमें से थोड़े से बन्द भी हो गये। युद्ध के उपरान्त जब कांग्रेसी मन्त्रिमंडल को पुनः शक्ति प्राप्त हुई, तब इस योजना के अनुसार स्कूलों का पुनर्संज्ञान किया गया। फलस्वरूप, १९४७ तक ६६८४ वालंटरी-स्कूलों का संचालन किया जा रहा था। इनमें ३,४८,७६० छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। लगभग सभी छोटे ग्रामों में वालंटरी स्कूल शिक्षा प्रदान करने का कार्य करने लगे थे।

३—बैसिक शिक्षा की योजना

जब १९३७ में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने प्रान्तीय स्वशासन का कार्य-भार सम्हाला, तब उन्होंने अपने को एक विचित्र दुविधा में पाया। एक ओर, वे कम-से-कम समय में सर्वव्यापी, निशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना चाहते थे, क्योंकि वे जनता की इस उचित माँग को पूर्ण करने के लिये वचन-बद्ध थे। दूसरी ओर, वे राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी की 'पूर्ण मद्य-निषेध' (Total Prohibition) की नीति को कार्यान्वित करना चाहते थे। शिक्षा-प्रसार के कार्य के लिये विशाल धन-राशि की आवश्यकता थी। परन्तु मद्य-निषेध की नीति का अनुसरण करने से—प्रान्तीय आय के एक उत्तम साधन को खो देना था। इन दोनों विरोधी कार्यों को एक साथ किस प्रकार सम्पन्न किया जाय? कांग्रेसी मंत्रिमंडल के समक्ष यह विषय समस्या थी। वे एक ही कार्य कर सकते थे—प्राथमिक शिक्षा का प्रसार या मद्य-निषेध। कांग्रेसी मंत्रिमंडल का इस संकट से, उनके नेता महात्मा गांधी ने अपनी 'बैसिक शिक्षा' की योजना प्रस्तुत करके, उद्धार किया।

महात्मा गांधी के शिक्षा-विषयक विचार

महात्मा गांधी न केवल एक उच्च-कोटि के राजनीतिज्ञ, अपितु एक महान् समाज-सुधारक भी थे। समाज की विभिन्न समस्याओं—शिक्षा, अस्पृश्यता, धर्म आदि के विषय में उनके अपने मौलिक विचार थे। वे राष्ट्रीय-युननिर्माण के लिये शिक्षा के महत्त्व से भली प्रकार अवगत थे। अतः १९३७ में भारत के अनेक प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की स्थापना होते ही उन्होंने भारतीयों का ध्यान जन-शिक्षा की ओर आकर्षित करने के विचार से अपने समाचार-पत्र 'हरिजन' में शिक्षा-सम्बन्धी लेख लिखने प्रारम्भ किये। यही लेख 'बैसिक शिक्षा-योजना' के आधार बने। एक लेख में गांधी जी ने अपने शिक्षा-विषयक विचारों को अधोलिखित शब्दा में व्यक्त किया :—

“राष्ट्र के रूप में हम शिक्षा में इतने पिछड़े हुए हैं कि यदि हमने शिक्षा का यह कार्य-श्रम धन पर आधारित किया, तो हम राष्ट्र के प्रति शिक्षा के अपने उत्तर-दायित्वों को इस पीढ़ी में थोड़े समय में निर्वाह करने की आशा नहीं कर सकते हैं। अतः मैंने अपनी रचनात्मक योग्यता की ख्याति को संकट में डालकर यह प्रस्ताव करने का साहस किया है कि शिक्षा—आत्म-निर्भर होनी चाहिये। शिक्षा से मेरा अर्थ है—‘वृत्ते एवं मनुष्य की सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शक्तियों का सर्वतोमुखी विकास।’ साक्षरता न तो शिक्षा का अन्त है और न आदि। यह तो अनेक साधनों में से एक साधन है जिम्मे द्वारा मनुष्य एवं स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है। अतः मैं वृत्ते की शिक्षा—उसे एक उपयोगी हस्तशिल्प मिगाकर और जिम समय में वह अपनी शिक्षा प्रारम्भ करता है, उनी मनुष्य

से उसे उत्पादन करने योग्य बनाकर प्रारम्भ करना चाहता हूँ। इस प्रकार यदि राज्य, विद्यालयों में निर्मित वस्तुओं को लेने का उत्तरदायित्व से ले, तो प्रत्येक विद्यालय आत्म-निर्भर बनाया जा सकता है।”¹

अखिल-भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन²

गांधी जी के शिक्षा-विषयक विचारों ने देश में हलचल मचा दी। उनके द्वारा प्रस्तुत शिक्षा-योजना के उभय पक्षों को लेकर विचारकों में असाधारण वाद-विवाद प्रारम्भ हो गया। अतः गांधी जी ने देश के शिक्षा-मर्मज्ञों द्वारा अपनी योजना की जाँच कराना निश्चित किया। उस समय महात्मा जी वर्षा में थे। यहाँ २२ और २३ अक्टूबर, १९३७ को मारवाड़ी हाई-स्कूल की रजत-जयन्ती का समारोह होने वाला था। इस अवसर पर भारत के विभिन्न भागों से शिक्षा-विशेषज्ञों, राष्ट्रीय नेताओं एवं समाज-सुधारकों को आमन्त्रित किया गया और ‘अखिल-भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन’, जिसे ‘वर्षा-शिक्षा-सम्मेलन’ भी कहते हैं, का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में गांधी जी ने सभापति का स्थान ग्रहण किया। उन्होंने सम्मेलन में भाग लेने वाले शिक्षा-विशारदों के समक्ष अपने शिक्षा-सम्बन्धी विचार व्यक्त किये। गम्भीर विचार-विमर्श के उपरान्त सम्मेलन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये, जो धार्मिक शिक्षा-योजना के आधार हैं :—

१. राष्ट्र के प्रत्येक बच्चे को ७ वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाय।
२. शिक्षा वा माध्यम मातृ-भाषा हो।
३. इस सम्पूर्ण अवधि में शिक्षा किसी हस्त एवं उत्पादक कार्य के माध्यम से दी जाय। अन्य विषय इस केन्द्रीय कार्य से सम्बन्धित किये जायें। बच्चों की अन्य सभी योग्यताओं का विकास, या उनको दिया जाने वाला शिक्षण, उनके वातावरण से पूर्णतः सम्बन्धित हो।
४. सम्मेलन की आशा है कि शनैः-शनैः शिक्षा की इस प्रणाली से अध्यापकों का वेतन निकलने लगेगा।³

आकिर हुसेन समिति⁴

उपरिलिखित प्रस्तावों को पारित करने के उपरान्त सम्मेलन ने जामिया-मिलिया इस्लामिया, दिल्ली, के उपकुलपति डा० आकिर हुसेन की अध्यक्षता में एक

1. *Harijan*, July 31, 1937.

2. All-India National Education Conference.

3. *Hindustani Talimi Sangh : Educational Reconstruction*, p. 82.

4. Zakir Husain Committee.

समिति नियुक्त की। इसे 'जाकिर हुसेन समिति' के नाम से पुकारा जाता है। इस समिति का उद्देश्य—वर्धा-शिक्षा-सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के अनुसार एक विस्तृत पाठ्य-क्रम तैयार करना था। इस समिति ने दिसम्बर १९३७ और अप्रैल १९३८ में दो रिपोर्टें प्रस्तुत की। प्रथम रिपोर्ट में वर्धा-शिक्षा-योजना के आधारभूत सिद्धान्तों, उद्देश्यों, शिक्षकों तथा उनके प्रशिक्षण, विद्यालयों में सगठन, प्रशासन एवं निरीक्षण और कताई-युनाई के विस्तृत पाठ्य-क्रम इत्यादि का विशद वर्णन किया। द्वितीय रिपोर्ट में समस्त विषयों के पाठ्य-क्रम एवं उनको आधारभूत हस्त एवं उत्पादक कार्य से सम्बन्धित करने के उपायों पर अपना मत प्रकट किया।

इसी बीच 'जाकिर हुसेन समिति' की प्रथम रिपोर्ट फरवरी १९३८ में हरि-पुरा में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन में विचार-विनिमय के लिये रखी गई और भारतीय शिक्षा को पुनर्संज्ञित करने के लिये उसे कांग्रेस की योजना स्वीकार कर लिया गया। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये अप्रैल १९३८ में सेवामार्ग में 'अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद्'^१ की स्थापना की गई। इस परिषद् को 'हिन्दुस्तानी तालीमी संघ' भी कहा जाता है। कारण यह है कि गांधी जी इस नवीन शिक्षा को 'नई तालीम' के नाम से पुकारते थे।

योजना की रूपरेखा

वैश्व शिक्षा की योजना की रूपरेखा निम्नलिखित प्रकार से है—

१. वैश्व शिक्षा की अवधि ७ वर्ष की है। यह शिक्षा ७ से १४ वर्ष तक की आयु के बालकों और बालिकाओं के लिये नि:शुल्क एवं अनिवार्य है।
२. शिक्षा का माध्यम 'मातृ-भाषा' है और अंग्रेजी की शिक्षा नहीं दी जाती है।
३. सम्पूर्ण शिक्षा का सम्बन्ध किसी आधारभूत शिल्प (Basic Craft) से होना है, जिसे बच्चों की योग्यता तथा ध्यान की आवश्यकताओं को देखकर चुना जाता है।
४. पुने हुए शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाती है कि वह बच्चा को उत्तम शिल्पी बना देती है और जो वस्तुओं के बनाने हैं, लगी होती हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है या जिनको बेचकर विद्यालय के अन्य के कुछ भाग की पूर्ति की जा सकती है।
५. इस शिल्प की शिक्षा, यात्रिक विधि में न दी जाकर इस प्रकार दी है कि छात्र उमर के माता-पिता तथा समाज में परिचित हो जायें।^२

1. All-India National Education Board.
 2. K. G. Salydain in Year-Book of Education (1937-38), 1940, p. 503

पाठ्य-क्रम

वैसिक शिक्षा के पाठ्य-क्रम में निम्नलिखित विषय होते हैं —

१. आधारभूत शिल्प—अग्रलिखित आधारभूत शिल्पो में से कोई १ चुना जाता है—(क) कृषि, (ख) बतार्ई-बुनार्ई, (ग) लकड़ी का काम, (घ) मिट्टी का काम, (ङ) चमड़े का काम, (च) मछली पालना, (छ) फल एवं शाक उद्यान-कर्म, (ज) बालिकाओं के लिए गृह-विज्ञान, (झ) कोई अन्य शिल्प, जिसके लिये स्थानीय तथा भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल हों।
२. मातृ-भाषा।
३. गणित।
४. सामाजिक अध्ययन—इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र।
५. सामान्य विज्ञान—(अ) प्रकृति अध्ययन, (ब) वनस्पति विज्ञान, (स) प्राणि-शास्त्र, (द) रसायन शास्त्र, (र) स्वास्थ्य विज्ञान, (न) अणु-विज्ञान का ज्ञान, (व) महान् वैज्ञानिकों एवं अन्वेषकों की कृतियों।
६. कला—रेखा-चित्रण एवं संगीत आदि।
७. हिन्दी (जहाँ मातृ-भाषा नहीं है)।
८. शारीरिक शिक्षा (व्यायाम एवं खेल-कूद)।

पाँचवीं कक्षा तक सह-शिक्षा है और बालकों को दो-दोनों के लिए उच्च पाठ्य-क्रम है। उसके उपरान्त, दोनों के लिये पृथक्-पृथक् पाठ्य-क्रमों की आवश्यकता है। ६ठी और ७वीं कक्षाओं में बालिकाएँ आधारभूत शिल्प के स्थान पर कृषि-कर्म से उच्च पाठ्य-विषय ले सकती हैं। शिक्षा का मातृ-भाषा में प्रदान किया जाना चाहिए, अर्थात् हिन्दी का अध्ययन सब छात्रों के लिए प्रारम्भिक पाठ्य-क्रम में पढ़ाई जाती है। जिन प्रान्तों की भाषा 'हिन्दी' नहीं है, उन प्रान्तों में मातृ-भाषा पाठ्य-क्रम में प्रमुख भाषा के स्थान पर मातृ-भाषा के स्थान पर कोई स्थान नहीं दिया गया है।

अध्यापन-विधि

वैसिक शिक्षा में अध्यापन-विधि का अर्थ है कि शिक्षक को छात्रों को वैसिक शिक्षण प्रणाली में अध्यापन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हमारे देश में, शिक्षकों को वैसिक शिक्षण के विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। अल्प समय में ही उपरान्त उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया है। प्रथम कक्षा में बालकों को वैसिक शिक्षण प्रणाली में अध्यापन प्रदान किया जाता है।

प्रथम कक्षा में बालकों को वैसिक शिक्षण प्रणाली में अध्यापन प्रदान किया जाता है। तदनन्तर, बालकों को वैसिक शिक्षण प्रणाली में अध्यापन प्रदान किया जाता है।

सीखते हैं, उस समय किसी आधारभूत शिल्प की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ज्यों-ज्यों बच्चे आगे की कक्षाओं में पहुँचते हैं, वे विभिन्न विषयों के ज्ञान का अर्जन करते हैं। परन्तु उनको इन विषयों की शिक्षा स्वतन्त्र रूप से प्रदान न की जाकर किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से दी जाती है। गणित, सामाजिक विषय, सामान्य विज्ञान आदि के शिक्षण में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी विषय का कोई भाग आधारभूत शिल्प के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो उसे किसी अन्य विधि से पढ़ा दिया जाता है। पाठ्य-क्रम के समस्त विषय परस्पर सम्बन्धित ज्ञान-क्षेत्रों के रूप में बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। इस प्रकार ७ वर्ष के अन्त में बच्चों को सभी विषयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। साथ ही उन्हें आधारभूत शिल्प की इनकी अच्छी जानकारी हो जाती है कि उसकी सहायता से वे धनोपार्जन करने लगते हैं।

अध्यापक

बेसिक शिक्षा-प्रणाली में अध्यापकों का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। विद्यालयों के लिये उनका चुनाव करते समय उन अध्यापकों को वरीयता दी जाती है, जो उस क्षेत्र के निवासी होते हैं, जहाँ विद्यालय स्थित है। शिक्षण कार्य के लिये पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिमान (Preference) दिया जाता है।

बेसिक विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक ही नियुक्त किये जाते हैं। प्रशिक्षण विद्यालयों में वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं, जो या तो 'मैट्रीकुलेशन' परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों या वर्नाक्यूलर फाइनल परीक्षा पास करने के उपरान्त कम-से-कम २ वर्ष तक किसी विद्यालय में अध्यापन कार्य कर चुके हों। प्रशिक्षण विद्यालयों में दो प्रकार का पाठ्य-क्रम होता है — (१) दीर्घकालीन प्रशिक्षण, और (२) अल्पकालीन प्रशिक्षण। प्रथम में प्रशिक्षण की अवधि ३ वर्ष है, और द्वितीय में १ वर्ष। इस अवधि में छात्राध्यापकों को बेसिक विद्यालयों के सभी विषयों की शिक्षण विधि का ज्ञान प्रदान किया जाता है।

नामकरण के कारण

यहाँ यह बताना आवश्यक प्रतीत होता है कि इस शिक्षा का नाम 'बेसिक शिक्षा' क्यों रखा गया है। 'बेसिक' (Basic) शब्द का हिन्दी रूपान्तर है—'आधारभूत'। इसी प्रसङ्ग में 'बेसिक शिक्षा' के नामकरण के निम्नांकित कारणों को समझा जा सकता है —

- १ यह शिक्षा भारत की राष्ट्रीय सम्यता, संस्कृति एवं शिक्षा-सङ्गठन का आधार है।
- २ प्रत्येक भारतीय बच्चे को, यदि वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं है, यह आधारभूत शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाती है।
३. यह आधारभूत शिक्षा प्रत्येक भारतीय—पुरुष अथवा स्त्री, धनी अथवा

निर्धन, हिन्दू अथवा मुसलमान, हरिजन अथवा ब्राह्मण—की सामान्य सम्पत्ति है।

४. इस शिक्षा का बच्चों की आधारभूत आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों से घनिष्ठ सम्बन्ध है।
५. यह शिक्षा सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों से सम्बन्धित है।
६. यह शिक्षा सभी भारतीयों को ऐसा आधारभूत ज्ञान प्रदान करती है, जो उनको अपने वातावरण को बुद्धिमत्तापूर्वक समझने एवं प्रयोग करने में सहायक सिद्ध होती है।
७. इस शिक्षा का आधार कोई शिल्प होता है, जिसका प्रयोग व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन-निर्वाह के लिये किया जा सकता है।

एक शिक्षा के उद्देश्य

१. नागरिकता के गुणों का विकास—प्रजातन्त्र-शासन-व्यवस्था में प्रत्येक केंद्र शासन के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य के प्रति उसके कर्तव्य बढ जाते साथ ही उसे अनेक अधिकार भी प्राप्त हैं। वह इन कर्तव्यों तथा अधिकारों का हि तभी कर सकता है, जब वह इनके प्रति सजग हो। इसके लिये ऐसी शिक्षा आवश्यकता है, जो उसमें नागरिकता के गुणों का विकास करे। बेसिक शिक्षा में बात की ओर पूरा-पूरा ध्यान दिया गया है। 'जाकिर हुसेन समिति' ने इस विषय अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लिखा है.—“आधुनिक भारत में नागरिकता—के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में विस्तार से प्रजा-एक होनी है। नई पीढ़ी को कम-से-कम इस बात का अवसर अवश्य मिलना है कि वह अपनी समस्याओं, अधिकारों एवं कर्तव्यों को समझे।”

२. नैतिक विकास—आधुनिक समाज का उत्तरोत्तर नैतिक पतन होता जा रहा है। लौकिक जीवन को प्रमुखता देने वाले व्यक्ति अपने स्वार्थों की दृष्टि में अपने प्यो, सिद्धान्तों तथा आदर्शों को विस्मृत कर चुके हैं। समाज की इस पतनोन्मुख को देखकर गांधी जी ने शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य—व्यक्ति में नैतिकता को बढट करना, बताया। गांधी जी के अनुसार—“मैंने सबसे ऊँचा स्थान हृदय की तृप्ति या चारित्रिक निर्माण को दिया है, और मुझे अनुभव हुआ है कि सबको इस रूप से नैतिक शिक्षा दी जा सकती है। इस बात से कोई प्रयोजन नहीं है कि आयु और पालन-पोषण में कितना अन्तर है।”

बेसिक शिक्षा में नैतिक विकास की ओर पूर्ण ध्यान दिया गया है। बच्चों के स्वयंपरायणता, दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान, पारस्परिक सहयोग और सत्यता के मार्गों का अनुसरण करने की शिक्षा दी जाती है।

३. सांस्कृतिक उद्देश्य—प्रचलित शिक्षा-प्रणाली का एक मुख्य दोष यह है कि भारतीय संस्कृति का पाठ न पढाया जाकर, बच्चों को पाश्चात्य रंग में रंगा

जाता है। वे अपनी परम्परागत सस्कृति से दूर हो जाते हैं। इससे होने वाली हानि के सम्बन्ध में गांधीजी ने लिखा है —“यदि किसी स्थिति पर जाकर एक पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयत्नों से विल्कुल अचेत हो जाती है या अपनी सस्कृति पर लज्जा करने लगती है, तो वह नष्ट हो जाती है।”¹ अतः गांधी जी ने अक्षरज्ञान से अधिक महत्त्व शिक्षा के सांस्कृतिक पहलू को दिया। इसीलिये वेसिक शिक्षा में भारतीय शिल्पो को स्थान दिया गया है और शिक्षा को सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाया गया है।

४ त्रिविध विकास—प्रचलित शिक्षा प्रणाली में केवल बुद्धि के विकास पर बल दिया जाता है और शारीरिक तथा आत्मिक विकास की पूर्णतः उपेक्षा की जाती है। अतः इस प्रकार व्यक्ति का केवल एकांगी विकास होता है, पूर्ण विकास नहीं। वेसिक शिक्षा में मानसिक, शारीरिक एवं आत्मिक विकास की ओर पूरा ध्यान दिया गया है। पाठ्य-क्रम के लिये इस प्रकार के विषय चुने गये हैं, जिनसे तीनों प्रकार का विकास होना निश्चित हो जाता है।

५ आर्थिक उद्देश्य—वेसिक शिक्षा में आर्थिक उद्देश्य के दो अभिप्राय हैं — प्रथम—बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं से विद्यालय के व्यय की आंशिक पूर्ति करना द्वितीय—वेसिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् बालकों को बड़े होकर किसी उद्योग द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

६ सर्वोदय समाज—आज का भौतिकवादी समाज स्वार्थसिद्धि की नीति व नींव पर खड़ा है। समाज स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभाजित है—‘धनपति’ और ‘धनहीन’। दोनों ही वर्ग विकृत हैं। एक की विकृति का कारण ‘धन की अधिकता’ है और दूसरे की विकृति का कारण—‘धन का अभाव’। धनपति, शोषण की चिता प खड़े होकर जीवन का आनन्द लूट रहे हैं। धनहीन व्यक्तियों को भरपेट भोजन और तन ढकाने के लिए कपड़े भी नसीब नहीं होते हैं।

वेसिक शिक्षा के उद्देश्य—इस विकृत समाज के स्थान पर सर्वोदय समाज की स्थापना करना है। सर्वोदय समाज में स्वार्थ का स्थान परमार्थ सग्रह की वृत्ति का स्थान त्याग की वृत्ति और शोषण का स्थान सेवा लेगी। इस समाज में धर्म महत्ता होगी, पैसों की नहीं, और सहयोग तथा स्नेह की भावनाएँ हागी, ईर्ष्या और द्वेष की नहीं। इस समाज के निर्माण के लिये वेसिक शिक्षा इस बात पर बल देनी कि बच्चे सामूहिक तथा सहयोगी जीवन व्यतीत करें। इसीलिये वेसिक शिक्षा बच्चों में त्याग, आत्मविश्वास, समाज सेवा, प्रेम आदि की उच्च भावनाओं को कूट-कूट भरने का प्रयत्न करती है।

1 “If at any stage one generation goes completely out of touch with the efforts of its predecessors or in any wise gets ashamed of itself or its culture, it is lost”—*Young India*, March 20, 1924.

बेसिक शिक्षा की विशेषताएँ

'वर्धा-शिक्षा-योजना' की विशेषताओं के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये गये हैं, उन्हें हम संक्षेप में नीचे दे रहे हैं —

१. आकिर हुमेन समिति के अनुसार^१—(अ) एक शिल्प का विषय-प्रवेश, (ब) पाठ्य-क्रम के विषयों का समन्वय तथा सहसम्बन्ध, (स) जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध, (द) क्रिया द्वारा सीखने की विधि, (य) वैयक्तिक रुचि, और (र) वास्तविक उत्तरदायित्व की भावना ।

२. बेसिक विद्यालयों के पाठ्य-क्रम के अनुसार^२—(अ) क्रिया का केन्द्रीकरण (ब) विषयों का सहसम्बन्ध, (स) अध्यापक को स्वतन्त्रता, (द) उत्पादन पर बल, (य) हस्तकार्य के लिये आदर, और (र) नागरिकता का आदर्श ।

३. डा० पटेल के अनुसार^३—(अ) नि शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, (ब) शिक्षण-केन्द्र के रूप में एक शिल्प, (स) योजना में आत्म-निर्भरता पर बल, (द) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, (य) नागरिकता का आदर्श, (र) एक सहकारी समुदाय का आदर्श, और (ल) अहिंसा का आदर्श ।

४. हंसराज भाटिया के अनुसार^४—(अ) शिक्षण का केन्द्र बालक, (ब) ज्ञान को एक "एकीकृत सम्पूर्ण" समझा जाना, (स) बच्चों का क्रिया अथवा आत्मचेष्टा द्वारा सीखना, (द) क्रिया का प्रयोजन एवं उत्पादक होना, (य) शिक्षण किसी शिल्प-कार्य द्वारा किया जाना, (र) अध्यापकों एवं बालकों को कार्य करने की अधिक स्वतन्त्रता, (ल) बच्चों द्वारा हस्तकार्य का सम्मान किया जाना, (व) अध्यापकों एवं बच्चों द्वारा सामाजिक प्रगति के लिये कार्य किया जाना, और (श) अध्यापकों और बच्चों द्वारा सत्य और अहिंसा के आदर्शों को दृष्टि में रखते हुए, विश्व-शान्ति में योग देना ।

उपर्युक्त सूचियों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि 'वर्धा-शिक्षा-योजना' की विभिन्न विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। परन्तु उनमें से अनेक विशेषताएँ सामान्य हैं। इन विशेषताओं में अन्य अनेक विशेषताएँ जोड़ी जा सकती हैं, किन्तु स्थानाभाव के कारण हम ऐसा न करके केवल दो अन्य प्रमुख विशेषताओं की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आवृत्त कर रहे हैं —

1. *Educational Reconstruction*, p 122.

2. *Syllabus for Basic Schools*, Ministry of Education, Government of India, 1956, pp. 5-6.

3. M. S. Patel : *The Educational Philosophy of Mahatma Gandhi*, pp. 113-119.

4. Hans Raj Bhatia : *What Basic Education Means ?* p. 12.

१. वर्धा-शिक्षा-योजना भारत की भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के सर्वथा अनुकूल है।
२. इस योजना में राष्ट्रीयता, देशभक्ति तथा असाम्प्रदायिकता की भावनाएँ निहित हैं।

वैसिक शिक्षा के दोष

'वर्धा-शिक्षा-योजना' के जिन दोषों की ओर संकेत किया गया है, वे निम्न-लिखित हैं :—

१. यह योजना विशेष रूप से ग्रामों के लिए है, न कि नगरों के लिये।
२. इस योजना में 'उत्पादित-सिद्धान्त' (Principle of Productivity) की अति है। अतः इसका अनुकरण करने से वैसिक विद्यालय कुटीर-उद्योगों में परिणत हो जाते हैं।
३. 'उत्पादित सिद्धान्त' से अध्यापकों का नैतिक पतन हो जाता है, क्योंकि वे विद्यालयों को फँसिट्टियाँ और विद्यार्थियों को घनोपाजन करने का साधन समझने लगते हैं।
४. यह युग वायुयानों एवं बमों का है और विज्ञानों की प्रगति अति तीव्र गति से हो रही है। ऐसे युग में कनाई और बुनाई के समान मध्य-कालीन उद्योगों के प्रयोगों का उपदेश करके भारत की औद्योगिक प्रगति अवरुद्ध होती है।
५. आधारभूत शिल्प के द्वारा समस्त विषयों की शिक्षा दी जानी एक असंभव बात है।
६. आधारभूत शिल्प की सहायता से न तो बच्चों का सर्वतोमुखी विकास करना सम्भव है और न उन्हें सामान्य शिक्षा ही दी जा सकती है, क्योंकि 'वर्धा-शिक्षा-योजना' में व्यावसायिक तथा बौद्धिक शिक्षा में उचित सन्तुलन का अभाव है।
७. तकली द्वारा कताई पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया है। क्योंकि इस कार्य द्वारा अधिक उत्पादन होना सम्भव नहीं है, अतः इसमें विद्यार्थियों का समय नष्ट होता है और उनके लिए शिक्षा महँगी पड़ती है।
८. 'वर्धा-शिक्षा-योजना' में भारतीय सस्कृति को सुरक्षित रखने की ओर पूर्ण ध्यान दिया गया है, पर धर्म की शिक्षा में कोई स्थान नहीं दिया गया है। अतः धर्म-विहीन वैसिक शिक्षा उसी प्रकार की है, जिस प्रकार वि आत्माविहीन बुद्धि।
९. वैसिक विद्यालय एक वर्ष में २८८ दिन खुलना है। इतने अधिक कार्य-दिवस रखकर बच्चों को अत्यधिक थम करने के लिए बाध्य किया जाता है।

१०. पाठ्य-क्रम के विभिन्न विषयों के लिये समय का विभाजन अत्यन्त त्रुटिपूर्ण है। शारीरिक शिक्षा के लिए प्रतिदिन केवल १० मिनट दिये हैं, जब कि आधारभूत शिल्प के लिये ३ घण्टे २० मिनट का समय निर्धारित किया गया है।
११. प्राथमिक शिक्षा पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है और माध्यमिक तथा उच्चशिक्षा की उपेक्षा की गई है।

अन्त में, हम कह सकते हैं कि—“यह योजना काल्पनिक है, एक अनावश्यक विश्वास है, एक मन सृष्टि है, और वास्तविक व्यवहार से परे है। इस योजना में एक सुव्यवस्थित शिक्षा-दर्शन की अपेक्षा भावुकता अधिक है। इसे गांधीजी की महानता से प्रभावित व्यक्तियों ने भावुकतावश ही स्वीकार किया है।”¹

उपसंहार

वेसिक शिक्षा-योजना के उपर्युक्त गुण-दोषों के विवेचन के आधार पर हमें यह स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि भारत ऐसे निर्धन देश के लिए ‘वर्धा शिक्षा-योजना’ अत्यधिक कल्याणकारी सिद्ध होगी। वस्तुतः हमारे देश के लिए इससे अधिक उत्तम शिक्षा-योजना की कल्पना करना ही असम्भव है। इस योजना की महानतम देन है—‘उत्पादक क्रिया का सिद्धान्त’। यह योजना गांधी जी की दूरदर्शिता की प्रतीक और उनकी देश-सेवा तथा तपस्या का अनुपम फल है। हमें हृदय-विश्वास है कि जिस प्रकार उनकी राजनैतिक योजनाओं में इस देश की राजनैतिक समस्याओं का समाधान करने के लिये अद्वितीय शक्ति विद्यमान रहती थी, उसी प्रकार उनकी ‘वर्धा-शिक्षा-योजना’ में भारत की समस्त शिक्षा-समस्याओं को हल करने की पूर्ण क्षमता है।

वेसिक शिक्षा का इतिहास (१९३७—१९४७)

हम १९३७ से १९४७ तक वेसिक शिक्षा के इतिहास का अध्ययन तीन विभिन्न कालों के अन्तर्गत करेंगे—(१) १९३७ से १९४० तक, (२) १९४० से १९४५ तक, और (३) १९४५ से १९४७ तक।

१. वेसिक शिक्षा (१९३७-४०)

‘जाकिर हुसेन समिति’ ने वेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट रिजल्ट्स, १९३७ में प्रस्तुत की। १९३८ में हरिपुरा में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में वेसिक शिक्षा-योजना को स्वीकृति प्रदान की गई और सरकार को इस भाग के उन प्रान्तों में जहाँ कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल थे, त्रियान्वित कर दिया गया। वेसिक शिक्षा का प्रथम विद्यालय ‘विद्यामंदिर प्रशिक्षण विद्यालय’ था, जिसकी स्थापना वर्ष १९३८

1. Jhingran & Sharma : *Reports on Indian Education*
p, 37.

मे वर्धा में की गई थी। इस विद्यालय का उद्देश्य—बेसिक स्कूलों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करना था। इसके उपरान्त मध्य प्रान्त, उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई और वादमीर में बेसिक शिक्षा-योजना को कार्यान्वित किया गया। इन स्थानों में बेसिक स्कूलों की स्थापना की गई, प्रशिक्षण विद्यालयों का निर्माण किया गया, शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई, अभिनवन पाठ्य-क्रमों का संगठन किया गया और बिहार, बम्बई तथा उड़ीसा में विशेष शिक्षाधिकारियों की अध्यक्षता में 'बेसिक शिक्षा-परिषदों'¹ की स्थापना की गई। काश्मीर राज्य के शिक्षा-सचालक के० जी सैयदेन ने बेसिक शिक्षा-योजना में विशेष रुचि ली। देश की वृत्तिपय राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओं में भी बेसिक शिक्षा की योजना को कार्यान्वित किया, यथा—जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूना, गुजरात विद्यापीठ, इत्यादि। परन्तु द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रारम्भ होने और कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के त्याग-पत्र देने से बेसिक शिक्षा-योजना के प्रसार में शिथिलता आ गई।

इस काल की एक प्रमुख घटना उल्लेखनीय है। अक्टूबर १९३६ में पूना में 'बेसिक राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन'² आयोजित किया गया। इसमें देश के विभिन्न भागों से बेसिक शिक्षा के कार्यकर्त्ता सम्मिलित हुए और उन्होंने विचार विमर्श करके बेसिक शिक्षा-योजना को अधिक सफल बनाने के लिए उपाय निश्चय किये।

२ बेसिक शिक्षा (१९४०-४५)

कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के पद-त्याग का वर्धा शिक्षा योजना पर अति विपरीत प्रभाव पड़ा और अब तक अति उत्साह से चलाई जाने वाली इस योजना की प्रगति धीमी पड़ गई। १९४० में वर्धा का विद्यामन्दिर प्रशिक्षण विद्यालय बन्द कर दिया गया। जैसा कि कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने निश्चय किया था, मध्य प्रान्त के नामल स्कूलों को 'बेसिक प्रशिक्षण-विद्यालयों' में परिवर्तित नहीं किया गया। उड़ीसा सरकार ने बेसिक शिक्षा योजना को स्थगित कर दिया और 'बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन' को भंग कर दिया। परन्तु जिस कार्य की ओर से सरकार विमुख हो गई, उसको पूर्ण करने का संकल्प उड़ीसा के 'उत्कल मौलिक शिक्षा परिषद' ने किया।

इसके पश्चात् १९४२ से १९४५ तक राष्ट्रीय आन्दोलन ने जोर पकड़ा। फलस्वरूप यत्र-तत्र बेसिक शिक्षा की प्रगति के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे। इस अवधि की दो प्रधान घटनाओं का उल्लेख करना अनुपयुक्त न होगा, यथा—

(क) १९४१ में दिल्ली में जामियानगर नामक स्थान पर 'द्वितीय बेसिक शिक्षा-सम्मेलन' का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बेसिक शिक्षा की प्रगति पर सन्तोष प्रकट किया गया।

(ख) जनवरी १९४५ में सेवाग्राम में 'अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन

1 Board of Basic Education

2 Basic National Education Conference

आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य—बेसिक शिक्षा की प्रगति का पु-लोकन करना और भविष्य के लिए कार्य-क्रम तैयार करना था। गांधी जी ने सम्मे-मे भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को बताया कि बेसिक शिक्षा को केवल प्रारंभ-शिक्षा के स्तर तक ही सीमित नहीं रखना चाहिये, अपितु शिक्षा के सभी स्तरों-लागू करना वाछनीय होगा।¹ गांधी जी के प्रस्ताव को स्वीकार करके बेसिक शिक्षा को निम्नलिखित चार प्रकार² के स्कूलों में विभाजित किया गया :—

१. पूर्व-बेसिक स्कूल—इन स्कूलों में ३ वर्ष से ६ वर्ष तक की आयु के ब-की शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
 २. बेसिक स्कूल—इन स्कूलों में ७ वर्ष से १४ वर्ष तक के बालकों व-वालिकाओं को शिक्षा दी जाय।
 ३. उत्तर-बेसिक स्कूल—इस प्रकार के स्कूलों में १५ वर्ष से १८ वर्ष-आयु तक के लड़कों और लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाय।
 ४. प्रौढ़-स्कूल—इन स्कूलों में प्रौढ़ों को शिक्षित बनाया जाय और उ-स्वस्थ, सुखी और स्वच्छ जीवन व्यतीत करने का पाठ पढाया जाय।
३. बेसिक शिक्षा (१९४५-४७)

द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् भारत के ८ प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमण्डल-शासन-सूत्र सम्हाला। फलतः बेसिक शिक्षा में एक बार फिर स्फूर्ति आ गई। स-प्रान्तों में बेसिक शिक्षा-योजना को कार्यान्वित कर दिया गया। बम्बई के तत्काल-मुख्य-मन्त्री एवं शिक्षा-मन्त्री, श्री० जी० खेर ने प्रान्तों के शिक्षा-मन्त्रियों तथा अ-कार्यकर्त्ताओं का एक सम्मेलन किया, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गये -

१. प्रान्तों में बेसिक योजना को कार्यान्वित किया जाय।
२. यदि एक छात्र की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, तो उसको बेसिक शिक्षा की ७ वर्ष की अवधि में अंग्रेजी की शिक्षा न दी जाय।
३. बच्चों की शिक्षा में उनके स्वास्थ्य, भोजन और अच्छी आदतों-निर्माण का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय।

इस सम्मेलन के निश्चय के फलस्वरूप सभी प्रान्तों एवं राज्यों में बेसि-शिक्षा के प्रसार का कार्य उत्साह से आरम्भ किया गया, और यह बात स्पष्ट ही-कि राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में बेसिक शिक्षा के भवन का एक दृढ़ आधार पर भवि-में निरन्तर निर्माण होता रहेगा।

बेसिक शिक्षा और केन्द्रीय सरकार

जब केन्द्रीय सरकार ने बेसिक शिक्षा में प्रान्तीय सरकारों की अभिर-देखी, तो उसने भी इस शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक पग उठाने का निश्चय किय-

1. "Education in all stages of life from cradle to gra-
through manual work and rural handicrafts."

2. Pre-Basic, Basic, Post-Basic and Adult Schools.

इस उद्देश्य से 'केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड' ने १९३८ में बम्बई के तत्कालीन मुख्यमन्त्री, वी० जी० खेर की अध्यक्षता में 'वर्धा-शिक्षा-योजना' की जाँच करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की। इस समिति को 'खेर समिति' के नाम से पुकारा जाता है।

प्रथम खेर समिति—१९३८ की 'प्रथम खेर समिति' ने 'वेसिक शिक्षा योजना' का गहन अध्ययन करके निम्नलिखित सुझाव दिये —

१. सबप्रथम वेसिक शिक्षा की योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में त्रियान्वित किया जाय।
२. वेसिक शिक्षा ६ वर्ष से १४ वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये अनिवार्य हो, परन्तु ५ वर्ष की आयु वाले बच्चे भी वेसिक विद्यालया में प्रवेश ले सकते हैं।
३. वेसिक स्कूलों को छोड़कर अन्य प्रकार के विद्यालया में प्रवेश की अनुमति बच्चों को तभी दी जाय, जब वे ५वीं कक्षा पास कर लें या ११ वर्ष से अधिक आयु के हों।
४. छात्रों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाय।
५. वेसिक विद्यालय का पाठ्य-क्रम समाप्त करने वाले छात्रों के लिये किसी बाह्य परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसके लिये विद्यालय की आन्तरिक परीक्षा ही पर्याप्त होगी। उसमें उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायें।¹

द्वितीय खेर समिति—'केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड' ने 'प्रथम खेर समिति' की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और १९३९ में 'द्वितीय खेर समिति' की नियुक्ति की। इस समिति का उद्देश्य—वेसिक शिक्षा प्रणाली और उच्च शिक्षा में समन्वय स्थापित करना था। इसके लिये समिति ने अधोलिखित सिफारिशों की² —

१. वेसिक शिक्षा का शिक्षा-बाल ८ वर्ष का हो। ६ वर्ष की आयु से १४ वर्ष की आयु तक बच्चे इस शिक्षा का ग्रहण करें।
२. ८ वर्ष की इस अवधि को प्रक्रमों (Stages) में विभाजित किया जाय—(अ) प्रथम प्रक्रम या जूनियर स्टेज, और (ब) द्वितीय प्रक्रम या सीनियर स्टेज। प्रथम में ५ वर्ष का, और द्वितीय में ३ वर्ष का शिक्षा वाला हो।

1. Report of the Committee of the C A B E appointed to consider the Wardha Scheme of Education, p 12

2. Report of the Second Wardha Education Committee of C A B E 1939, together with the Decisions of the Board Thereon, p 7.

३ जब विद्यार्थी जूनियर स्टेज की शिक्षा समाप्त कर ले, अर्थात् जब वे ५वी कक्षा पास कर लें, तभी उनको उत्तर प्राथमिक (Post Primary) शिक्षा के अन्य किसी विद्यालय में प्रविष्ट होने की आज्ञा दी जाय।

'केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड' ने उपर्युक्त सिफारिशों को स्वीकृत किया और 'सार्जेंट शिक्षा-योजना' को त्रियान्वित किया गया।

सारांश

विद्यामन्दिर—इस योजना को १९३८-३९ में मध्य प्रान्त में त्रियान्वित किया गया। इस योजना के अनुसार उन ग्रामों में—जहाँ लगभग ४० बालक एव पालिकाएँ शिक्षा प्राप्त करने योग्य थे, स्कूल खोले गये। प्रत्येक विद्यामन्दिर को भवन और २०० रुपये वार्षिक आय की भूमि दी गई। सम्पूर्ण प्रान्त में लगभग ८० विद्यामन्दिर स्थापित किये गए।

वालटरी स्कूल—यह योजना १९३८ में बम्बई प्रान्त में कार्यान्वित की गई। इसके अन्तर्गत समितियों या व्यक्तियों द्वारा स्थापित किये गये स्कूलों को प्रोत्साहित किया गया। १९४७ तक पूरे प्रान्त में ६,६८४ वालटरी स्कूलों का संचालन किया जा रहा था।

बैसिक शिक्षा की योजना—शिक्षा के सम्बन्ध में गांधी जी के विचार मौलिक थे। शिक्षा से उनका अर्थ था—बच्चे एव मनुष्य की सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शक्तियों का सर्वतोमुखी विकास। १९३७ में वर्षा में 'अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन' हुआ और गांधी जी ने उनके समक्ष अपनी शिक्षा की योजना प्रस्तुत की। यही योजना 'बैसिक शिक्षा-योजना' के नाम से विख्यात हुई। 'जाकिर हुसेन समिति' ने इस योजना के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया।

बैसिक शिक्षा की रूपरेखा—बैसिक शिक्षा ७ वर्ष की आयु से लेकर १४ वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये अनिवार्य है। शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा है और सम्पूर्ण शिक्षा का सम्बन्ध किसी आधारभूत शिल्प से होता है। पाठ्य-क्रम में आधारभूत शिल्प के अतिरिक्त मातृभाषा, हिन्दी, गणित, सामाजिक विषय, सामान्य विज्ञान और कला सम्मिलित हैं। बैसिक शिक्षा प्रणाली में अध्यापन का कार्य—क्रियाओं एव अनुभवों के माध्यम से किया जाता है।

बैसिक शिक्षा के उद्देश्य—(१) नागरिकता के गुणा का विकास, (२) नैतिक विकास, (३) सांस्कृतिक उद्देश्य, (४) विविध विकास, (५) आर्थिक उद्देश्य, और (६) सर्वोदय समाज।

बैसिक शिक्षा की विशेषताएँ—(१) नि शुल्क एव अनिवार्य शिक्षा, (२) शिक्षण-केन्द्र के रूप में एक शिल्प, (३) शिक्षण का केन्द्र 'बालक' (४) पाठ्य-क्रम के विषयों का समन्वय तथा सहसम्बन्ध, (५) जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध (६) अध्यापक और छात्रों की स्वतन्त्रता, (७) उत्पादन पर बल, (८) हस्तकार्य के लिये आदर, तथा (९) नागरिकता, अहिंसा और सहकारी समुदाय के आदर्श।

बेसिक शिक्षा के दोष—(१) विशेष रूप से ग्रामों के लिये, (२) उत्पादित सिद्धान्त पर अत्यधिक बल, (३) विज्ञान के आधुनिक युग में मध्यकालीन उद्योगों के प्रयोग की निरर्थकता, (४) धार्मिक शिक्षा का अभाव, (५) विभिन्न विषयों के लिये समय का विभाजन ऋटिपूर्ण, और (६) प्राथमिक शिक्षा पर अत्यधिक बल।

बेसिक शिक्षा का इतिहास—१९३८ में बेसिक शिक्षा-योजना मध्य प्रान्त, उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई, उड़ीसा और काश्मीर में कार्यान्वित की गई। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के पद-त्याग करने पर योजना की प्रगति अवरुद्ध हो गई। द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने इस योजना को फिर प्रसारित किया। 'द्वितीय खेर समिति' ने बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव दिये, जिन्हें 'सार्जेन्ट-शिक्षा-योजना' ने कार्यान्वित किया।

TEST QUESTIONS

1 Describe, in detail, the fundamental features of the Basic Education, explaining the implications of a basic craft and 'self supporting' aspect of the education
बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का सविस्तर वर्णन कीजिये और इस शिक्षा के आधारभूत शिल्प और 'स्वावलम्बी' पहलू की जटिलताओं को स्पष्ट कीजिये।

2. Write a reasoned criticism of the Wardha Scheme
वर्धा-योजना की यथोचित समीक्षा कीजिये।

3 "The present system of education does not meet the requirements of the country in any shape or form." In what respects does the Wardha Scheme meet the requirements of this country ?

"शिक्षा की वर्तमान प्रणाली किसी भी रूप या प्रकार से देश की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करती है।" वर्धा-योजना इस देश की आवश्यकताओं को किस प्रकार पूर्ण करती है ?

१६

युद्धोत्तर शिक्षा-प्रगति (सार्जेंट-योजना : १९४४)^१

प्रस्तावना

ज्यों ही द्वितीय विश्वयुद्ध के दुःखान्त अभिनय का अन्त हुआ, लगभग सभी युद्ध-ग्रस्त देशों ने पुनर्निर्माण की योजनायें बनाना प्रारम्भ कर दिया। यद्यपि भारत ने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग नहीं लिया था, तथापि वह उसके प्रभावों से आक्रान्त था। अतः भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों के युद्धोत्तर विकास की योजनाओं के निर्माण-कार्य की ओर रचनात्मक कदम उठाये गये। इन योजनाओं में शिक्षा को भी स्थान मिला। अतः 'वाइसरॉय की प्रबन्धकारिणी कौंसिल की पुनर्निर्माण समिति'^२ ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा-सलाहकार, सर जॉन सार्जेंट (Sir John Sargent) को भारत में 'युद्धोत्तर शिक्षा-विकास' पर एक स्मृति-पत्र (Memorandum) तैयार करने का आदेश दिया। सार्जेंट ने १९४४ में अपनी रिपोर्ट 'केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड' के समक्ष प्रस्तुत की और बोर्ड द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान की गई। इस रिपोर्ट को 'भारत में युद्धोत्तर शिक्षा-विकास योजना'^३ अथवा 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट'^४

1. Sargent Scheme

2. Reconstruction Committee of the Viceroy's Executive Council

3. Scheme of Post-War Education Development in India

4. Report of the Central Advisory Board of Education 1944.

अथवा 'सार्जेंट-योजना' के नाम से पुकारा जाता है। सार्जेंट-योजना को भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली के निर्माण के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया जाता है।

सार्जेंट-रिपोर्ट में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक, शिक्षा की अन्य समस्याओं, उनके संगठन, उसके प्रमुख दोषों, उन दोषों के निवारण के उपाय एवं शिक्षा की भावी रूपरेखा का अति विस्तृत वर्णन किया गया है। रिपोर्ट में दी हुई सभी सिफारिशों को पूर्णतः क्रियान्वित करने में ४० वर्षों का समय लगता और युद्ध-पूर्व के प्रमाणों के अनुसार ३१.२६० लाख रुपये की आवश्यकता होती। इन संख्याओं से 'सार्जेंट-रिपोर्ट' की सिफारिशों के महत्त्व का सरलतापूर्वक अनुमान लगाया जा सकता है। इन सिफारिशों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि आज भी उनका महत्त्व पूर्ववत् है।

'सार्जेंट-रिपोर्ट' की सिफारिशें

सार्जेंट-रिपोर्ट में भारत की सम्पूर्ण शिक्षा को १२ अध्यायों में विभाजित किया गया है। हम इनका सक्षिप्त विवरण नीचे दे रहे हैं —

१ पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

३ से ६ वर्षों तक की अवस्था वाले शिशुओं के लिये शिक्षा-संस्थायें स्थापित की जायें। ये संस्थायें समस्त शिक्षण-साधनों और सुयोग्य शिक्षकों से सम्पन्न हों। शिशु-शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य—बच्चों को सामाजिक अनुभव एवं शिष्टाचार सिखाना हो, न कि सामान्य शिक्षा प्रदान करना। यह शिक्षा नि-शुल्क हो।^१

२. प्राथमिक अथवा बेसिक शिक्षा

६ से १४ वर्षों तक की अवस्था के समस्त बच्चों के लिये सार्वभौमिक, नि-शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक या बेसिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय। अपव्यय रोकने के लिये शिक्षा को अनिवार्य बनाना आवश्यक है और अनिवार्यता को कार्यान्वित करने के लिये 'उपस्थिति निरीक्षक पदाधिकारी' (Attendance Officers) नियुक्त किये जायें।

'रिपोर्ट' में बेसिक शिक्षा के मौलिक सिद्धान्तों का समर्थन, परन्तु शिक्षा को आत्म-निर्भर बनाने का विरोध किया गया। उसमें कहा गया कि बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विक्रय कठिन है। बेसिक शिक्षा के काल को दो भागों में विभक्त किया गया (क) जूनियर बेसिक (६-११), और (ख) सीनियर बेसिक (११-१४)। जूनियर बेसिक स्कूलों में सह-शिक्षा को अनुपयुक्त बताया गया। शिक्षा का माध्यम बच्चों की मातृभाषा हो। जूनियर बेसिक स्कूलों में अंग्रेजी की शिक्षा को कोई स्थान नहीं

1. Report of the Central Advisory Board of Education on Post-War Educational Development in India (1944), pp 16-17

दिया गया, पर सीनियर वेसिक स्कूलों में इसका अन्तिम निर्णय करने का अधिकार प्रान्तीय शिक्षा-विभागों को दे दिया गया। बाह्य परीक्षा के स्थान पर आन्तरिक परीक्षा को उचित बताया गया, जिसकी समाप्ति के उपरान्त प्रमाण-पत्र देना आवश्यक बताया गया।¹

३ हाई-स्कूल शिक्षा

हाई-स्कूल की शिक्षा ११ वर्ष से १७ वर्ष तक की आयु के छात्रों के लिये हो। इन स्कूलों में केवल असाधारण योग्यता के छात्र ही प्रवेश पा सकें। ११ वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को इन स्कूलों में प्रवेश न दिया जाय। प्रत्येक छात्र जो हाई स्कूल में प्रवेश करे, कम-से-कम १४ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अनिवार्य रूप में शिक्षा ग्रहण करे। इसके उपरान्त भी यह ध्यान रखना आवश्यक हो कि स्कूल-शिक्षा समाप्त करने से पूर्व छात्र स्कूल न छोड़ दें।

हाई स्कूल में छात्रों से शुल्क लिया जाय। परन्तु ५० प्रतिशत छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाय और निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी जायें, जिससे वे शिक्षा के लाभ से वंचित न रह जायें। सभी हाई-स्कूलों में शिक्षा का माध्यम छात्रों की मातृभाषा हो और अंग्रेजी की शिक्षा द्वितीय अनिवार्य विषय के रूप में दी जाय।

हाई स्कूल दो मुख्य प्रकार के हों—साहित्यिक और प्राविधिक।² दोनों प्रकार के हाई स्कूलों में कुछ विषयों की शिक्षा सामान्य रूप से दी जाय, यथा—(१) मातृभाषा, (२) अंग्रेजी, (३) आधुनिक भाषाएँ, (४) भारत एवं विश्व का इतिहास, (५) भारत एवं विश्व का भूगोल, (६) गणित, (७) विज्ञान, (८) अर्थशास्त्र, (९) कृषि, (१०) कला, (११) शारीरिक शिक्षा। इन विषयों के अतिरिक्त साहित्यिक हाई स्कूलों में प्राच्य भाषाओं (Classical Languages) और नागरिक-शास्त्र की शिक्षा भी दी जाय। प्राविधिक हाई स्कूलों में जिन अन्य विषयों की शिक्षा की व्यवस्था हो, वे हैं—काष्ठकला, धातु-कला, साधारण इंजीनियरिंग, ड्राइंग, वाणिज्य-सम्बन्धी (Commercial) विषय, बुक-कीपिंग, शार्ट-हैंड, टाइप-राइटिंग, एकाउंटेंसी, व्यापार-पद्धति इत्यादि। नरतिरक्षकों को गृह-विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने की सुविधा हो।³

४ विश्वविद्यालय-शिक्षा

विश्वविद्यालय की बी० ए० की उपाधि पाने के लिये न्यूनतम अवधि ३ वर्ष होनी चाहिये। अतः सार्जेंट-रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि इंटरमीडिएट वक्सा

1. *Report of the Central Advisory Board of Education*, pp 7-8

2. *Academic & Technical.*

3. *Report*, pp 18-21.

को भंग कर दिया जाय और उसकी १२वीं कक्षा को विश्वविद्यालय में तथा ११वीं कक्षा को हाई स्कूल के अन्तर्गत कर दिया जाय। विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने के नियमों में इतनी कठोरता कर दी जाय कि माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त १५ छात्रों में से केवल १ छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सके। विश्वविद्यालयों की शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये योग्य अध्यापकों की नियुक्ति की जाय। उनके वेतन में वृद्धि की जाय तथा उनके सेवा-प्रतिबन्धों में सुधार किया। शिक्षकों एवं छात्रों के पारस्परिक सम्बन्ध में घनिष्टता उत्पन्न की जाय। भारत के समस्त विश्व-विद्यालयों में साम्य एवं ऐवय स्थापित करने के लिये 'विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग' का संगठन किया जाय। 'उपकक्षा प्रणाली' (Tutorial System) को और अधिक प्रचलित किया जाय।¹

५. प्राविधिक, वाणिज्य एवं कला-शिक्षा

प्राविधिक, वाणिज्य, एवं कला-शिक्षा के लिये पूर्ण-कालिक (Full-time) तथा अंशकालिक (Part-time) विद्यालय स्थापित किये जायें। भारतीय कलाओं तथा उद्योगों के लिये निम्नलिखित चार प्रकार के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है :—

(१) उच्च श्रेणी—इस श्रेणी में भविष्य के मुख्य कार्याधिकारी (Executives) तथा अनुसन्धानकर्त्ता आते हैं। इस श्रेणी के लिये शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी, टेकनिकल हाई स्कूल का पाठ्यक्रम समाप्त करने के उपरान्त किसी विश्व-विद्यालय के प्रौद्योगिक (Technological) विभाग या किसी अन्य पूर्ण-कालिक टेकनिकल संस्था में प्रवेश लेकर शिक्षा ग्रहण करें। ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश पर कड़ाई रखी जाय, जिससे योग्य छात्र ही प्रवेश पा सकें।

(२) निम्न श्रेणी—इस श्रेणी के अन्तर्गत निम्न कार्याधिकारी, फोरमैन (Foreman) आदि आते हैं। इस श्रेणी के व्यक्तियों को शिक्षा देना टेकनिकल हाई-स्कूलों का कार्य हो। परन्तु टेकनिकल स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त छात्रों को 'राष्ट्रीय डिप्लोमा'² या इसी प्रकार की कोई अन्य उच्च उपाधि अंशकालिक विद्यार्थियों के रूप में उपलब्ध करनी आवश्यक हो।

(३) कुशल शिल्पकार—कुशल शिल्पकारों (Craftsmen) में उन छात्रों को भर्ती किया जाय जो टेकनिकल हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो। परन्तु सीनियर वैसिक स्कूल में शिक्षा समाप्त करके और २ और ३ वर्ष तक किसी जूनियर टेकनिकल स्कूल या औद्योगिक विद्यालय में पूर्णकालिक छात्रों के रूप में शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी भी कुशल शिल्पकारों में भर्ती हो सकते हैं।

(४) अर्द्धकुशल एवं अकुशल कारीगर—इन कारीगरों में सीनियर वैसिक

1. Report, pp. 32-33.

2. National Diploma.

मिडिल स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले वे छात्र भर्ती किये जायें, जिन्होंने किसी शिल्प का अध्ययन किया हो।

६. प्रौढ़-शिक्षा

प्रजातन्त्र के आदर्शों को सफल बनाने के लिये प्रौढ़-शिक्षा की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है। अतः १० वर्ष की आयु से ४० वर्ष की आयु वाले प्रौढ़ों की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय। बालकों, युवतियों, पुरुषों और स्त्रियों के लिये पृथक् विद्यालयों की व्यवस्था की जाय। प्रौढ़-शिक्षा को रोचक तथा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए चित्र, मैजिक लैंटर्न, सिनेमा, ग्रामोफोन, रेडियो, नृत्य, संगीत एवं अभिनय अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं। पुस्तकालयों एवं वाचनालयों का भी आयोजन किया जाय, पर सम्पूर्ण देश में इनकी स्थापना २० वर्ष में हो जानी चाहिए। एक कक्षा में २५ से अधिक वयस्क नहीं होने चाहिये।¹

७. अध्यापकों का प्रशिक्षण

इस योजना को सफल बनाने तथा विविध प्रकार के स्थापित किये गए विद्यालयों के कुशल संचालन के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की एक बहुत बड़ी संख्या आवश्यक हो जाती है। वर्तमान प्रशिक्षण-विद्यालय इस अभाव की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। कारण यह है कि पूर्व-बेसिक एवं जूनियर बेसिक स्कूलों में ३० विद्यार्थियों के लिए १ अध्यापक, सीनियर बेसिक स्कूलों में २५ विद्यार्थियों के लिए १ अध्यापक; और हाई स्कूलों में २० विद्यार्थियों के लिए १ अध्यापक की आवश्यकता है। अतः योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक बड़े पैमाने पर अध्यापकों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों, बेसिक शिक्षकों तथा हाई स्कूल शिक्षकों की दीक्षा के लिए पृथक् प्रशिक्षण-विद्यालयों का निर्माण करना अनिवार्य है। शिक्षकों के लिए अभिनवन पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाय। योग्य व्यक्तियों को शिक्षण-कार्य के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जाय।

८. छात्रों का स्वास्थ्य

छात्रों के स्वास्थ्य की देख-भाल के लिए समुचित व्यवस्था की जाय। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ६, ११ एवं १४ वर्ष की आयु में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का निरीक्षण डाक्टरों के द्वारा किया जाय। छात्रों का स्वास्थ्य-अभिलेख (Medical Record) रखा जाय, जिसमें उनके स्वास्थ्य की दशा, तोल एवं ऊँचाई आदि का विवरण हो। एक विद्यालय से अन्य विद्यालय को जाते समय यह अभिलेख छात्र को दे दिया जाय। यदि शिक्षक किसी छात्र में किसी प्रकार की अस्वस्थता तथा रोग के लक्षण देखे, तो वह स्कूल हेल्थ-ऑफिसर को इस सम्बन्ध में तुरन्त सूचना दे। अस्वस्थ

छात्रों की निःशुल्क चिकित्सा की जाय। स्कूलों में साधारण रोगों तथा चोटों की चिकित्सा का प्रबन्ध किया जाय। शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाय। जो छात्र 'कुपोषण' (Malnutrition) के शिकार हों, उनकी ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय। सभी छात्रों के लिये मध्याह्न के समय भोजन का प्रबन्ध हो। वे अपने घरों से भी भोजन ला सकते हैं। शिक्षार्थियों की रक्षाएँ स्वच्छ, प्रकाश-युक्त एवं हवादार हों और उनका फर्नीचर उपयुक्त हो।¹

६. विकलांग छात्रों की शिक्षा

शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से विकलांग (Handicapped) छात्रों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। उनके लिये 'विशिष्ट स्कूलों' की स्थापना की जाय और उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे वे कोई उत्पादक कार्य करके अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। विकलांग छात्रों के विशिष्ट विद्यालयों के शिक्षकों की दीक्षा के लिये प्रशिक्षण सस्थायें स्थापित की जायें।

१०. विनोदात्मक तथा सामाजिक क्रियायें²

प्रत्येक विद्यालयों में छात्रों के लिये विनोदात्मक तथा सामाजिक क्रियाओं की व्यवस्था की जाय। आयु के अनुसार अग्रलिखित क्रियाओं में से जो उचित हो, उनका चयन किया जा सकता है—बागवानी, लोकनृत्य, शारीरिक व्यायाम, जूनियर रेड-क्रास ग्रुप, अभिनय, बालचर, व्यासंग (Hobbies), वाद-विवाद, अन्तर्विद्यालय-प्रतियोगितायें, तरुण-कृषक-गोष्ठियाँ, (Young Farmer's Clubs), स्काउटिंग, युवक आन्दोलन (Youth Movement)।

११. सेवा-योजनालय³

सेवा-योजनालयों की स्थापना की जाय, जो सीनियर वेसिक, जूनियर-टेकनिकल और हाई स्कूलों के छात्रों की व्यवसाय चुनने में सहायता दें। विश्व-विद्यालयों के अपने स्वयं के सेवा-योजनालय होने चाहिये। इन योजनालयों के पदाधिकारी, शिक्षा एवं उद्योग का व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले दीक्षित विशेषज्ञ होने चाहिये।

१२. शिक्षा का प्रशासन

शिक्षा के प्रशासन की व्यवस्था के लिये मुख्य इकाई 'प्रान्त' हो। परन्तु विश्वविद्यालय तथा उच्च टेकनिकल शिक्षा का प्रबन्ध तथा समन्वय अखिल भारतीय पैमाने पर किया जाय। राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली की स्थापना के लिये केन्द्रीय एवं

1. Report, pp. 64-73.

2. Recreational & Social Activities.

3. Employment Bureaus.

प्रान्तीय सरकारों के बीच अधिक निकट सहयोग होना चाहिये। इस ध्येय में सफलता प्राप्त करने के लिये केन्द्र में एक प्रबल शिक्षा-विभाग का सर्जन किया जाय और इस दृष्टिकोण से 'केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड' के कर्त्तव्यों तथा कार्यक्षेत्र में अभिवृद्धि करनी आवश्यक है।

'सार्जेन्ट-योजना' का मूल्यांकन

१८१४ के 'बुड के घोषणा-पत्र' के पश्चात् अनेक समितियों एवं आयोगों की नियुक्ति की गई थी और भारतीय शिक्षा के विकास तथा विस्तार के लिये बहुत से 'सरकारी प्रस्ताव' प्रकाशित किये जा चुके थे, परन्तु न तो उनका दृष्टिकोण ही व्यापक था, और न उनके विचार ही स्पष्ट थे। इनके विपरीत, सार्जेन्ट-शिक्षा-योजना' एक ऐसा व्यापक प्रयास था, जिसमें शिक्षा के सभी पक्षों का सूक्ष्म परिवेक्षण करके उनको समुन्नत करने के लिये बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किये गये थे। परन्तु इस विषय में शिक्षाविदों में मतव्ययता नहीं है। अतः 'सार्जेन्ट-योजना' के गुण-दोषों की विवेचना करना आवश्यक प्रतीत होता है।

गुण :-

१. यह योजना भारतीय शिक्षा के इतिहास में राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली का सूत्रपात करने की दृष्टि से सर्वप्रथम राजकीय प्रयास है।^१
२. भगवान दयाल के अनुसार—इस योजना की मुख्य विशेषता—इसकी व्यापकता है। यह समय रूप में भारतीय शिक्षा का चित्र उपस्थित करती है। यह केवल उन विभिन्न प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं का ही वर्णन नहीं करती है, जिनकी इस देश में आवश्यकता है, अपितु शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं का भी उल्लेख करती है; यथा—स्कूल-स्वास्थ्य-सेवा, विनोदात्मक तथा सामाजिक क्रियाएँ, सेवा-योजनालय आदि।^२
३. यह बात उल्लेखनीय है कि इस योजना की अभिधारणायें अत्यन्त निर्भीक हैं। इसमें यह बात बड़ी निर्भीकता के साथ कही गई है कि वर्तमान प्रणाली पर शिक्षा की प्रभावोत्पादक संरचना का निर्माण नहीं किया जा सकता है।^३

1. "As the first official attempt to plan a national system of education for India, it deserves a careful study."—Nurullah & Naik : *op. cit.*, p. 834.

2. Bhagwan Dayal : *op. cit.*, p. 164.

3. "It may be noted that the Report is rather bold in its admissions and some of its remarks are noteworthy, e. g., "The present system does not provide the foundations on which an effective structure could be erected."—S. N. Mukerji : *op. cit.*, (1951), p. 253.

४. इस योजना ने भारतीय शिक्षा-प्रणाली के प्रमुख दोषों पर ही प्रकाश नहीं डाला है, अपितु उनमें सुधार करने के उपाय भी बताती है।¹
५. के० जी० सैयदेन के अनुसार—राष्ट्रीय शिक्षा की यह प्रथम व्यापक योजना है। यह इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि भारत, शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रों से पिछड़ा हुआ रहेगा। यह योजना इस विश्वास पर आधारित है कि अन्य देशों के समान इस देश में भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने की क्षमता है।²
६. के० जी० सैयदेन के अनुसार—इस योजना में शिक्षा के विभिन्न प्रक्रमों पर सभी छात्रों को शिक्षा के लिये समान अवसर देने की इच्छा व्यक्त की गई है। निर्धन छात्रों को प्राथमिक शिक्षा से पूर्ण लाभ उठाने के उद्देश्य से केवल निःशुल्क शिक्षा की, अपितु अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है, यथा—मध्याह्न का भोजन, पुस्तकें, छात्रवृत्तियाँ, स्वास्थ्य-निरीक्षण एवं चिकित्सा। उच्चतर प्रक्रमों पर योग्य एवं प्रबल-बुद्धि छात्रों के लिये निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव किया गया है।³
७. यह योजना शिक्षण व्यवसाय के महत्त्व पर स्पष्ट शब्दों में बल देती है और अध्यापकों के निम्न वेतन तथा सेवा-प्रतिबन्धों में सुधार करने का प्रस्ताव करती है।⁴

दोष :—

उपर्युक्त गुणों के होते हुए भी सार्जेंट-योजना पर अनेक आक्षेपों किये गये हैं। हम इन आक्षेपों के आधार पर योजना के दोषों की व्याख्या नीचे कर रहे हैं—

१. भगवान् दयाल के अनुसार—सार्जेंट योजना एक मौलिक लेख नहीं है। इसको पूर्व प्रतिवेदनो एवं योजनाओं द्वारा, जिनमें वर्धा-योजना सम्मिलित है, दिये गये लाभप्रद सुझावों का केवल उत्तम संक्षेप-मात्र कहा जा सकता है।⁵

1 "It not only pointed out the main defects but suggested remedies too"—S. N. Mukerji : *op. cit.*, p. 254.

2. K. G. Salyidain · *Education, Culture, and Social Order*, p. 507.

3 *Ibid.*

4. "It stresses in clear terms the importance of the teaching profession and makes proposals for increasing its miserable standard of salaries and poor conditions of service."—*Ibid.*

5. Bhagwan Dayal · *op. cit.*, p. 164.

२. एस० एन० मुकर्जी के अनुसार—भारतीय शिक्षा की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये समय-समय पर केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रकाशित किये गये प्रतिवेदनो को जोड़-भाँटकर 'सार्जेंट योजना' को तैयार किया गया है।¹
३. यह योजना केवल प्राप्त किये जाने वाले आदर्श को प्रस्तुत करती है और शिक्षा-विकास के पूर्ण कार्य-क्रम का वर्णन नहीं करती है।²
४. भारत के समक्ष इङ्ग्लैण्ड की शिक्षा-प्रणाली का आदर्श उपस्थित किया गया है। परन्तु वास्तविकता यह है कि भारत के लिये इंग्लैंड आदर्श नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों की सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक दशाएँ एक-दूसरे से पूर्णतया भिन्न हैं।
५. सार्जेंट-रिपोर्ट में शिक्षा-योजना की केवल रूपरेखा ही प्रस्तुत की गई है। इसमें पाठ्य-क्रम, शिक्षण-विधियो, धार्मिक शिक्षा, स्त्री-शिक्षा और परीक्षाओं—जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उल्लेख भी नहीं मिलता है।
६. इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली की अपूर्ण रूपरेखा माना गया है, क्योंकि इसमें ग्रामीण-शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न कर किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया है।
७. यह योजना बहुत सर्चीली है। इसको क्रियान्वित करने में लगभग ३१३ करोड़ रुपये व्यय होंगे। भारत जैसे निर्धन देश के लिये इतना धन व्यय करना सम्भव नहीं है। इसीलिए इस योजना को काल्पनिक कहा गया है।
८. इस योजना को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए ४० वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। भारत की स्थिति तथा आवश्यकता का विचार करते हुए, यह योजना बहुत ही लम्बी है। स्वतन्त्र भारत के राष्ट्र-निर्माता इतना समय इस प्रतीक्षा में नहीं व्यतीत कर सकते हैं कि ४० वर्ष के उपरांत भारतीयों की शिक्षा का स्तर ऊँचा हो जायगा। तब तक तो सम्भवतः अन्य देश कहीं आगे निकल जायेंगे।

निष्कर्ष

जब हम 'सार्जेंट-योजना' के उपरिलिखित गुण-दोषों पर विचार करते हैं तो गुण की अपेक्षा दोष ही अधिक दिखाई देते हैं। इसी आधार पर योजना पर भारी आरोप लगाये गये हैं और उसको काल्पनिक, अराष्ट्रीय, विलम्बकारी, और सर्चीली

1. S. N. Mukerji : *op. cit.* (1951), p. 250.

2. "It is pointed out that the scheme merely describes the ideal to be reached and does not give a detailed programme of development"—Nurullah & Naik : *op. cit.*, p. 847.

कहकर भारत ऐसे निर्धन देश के लिये अनुपयुक्त ठहराया गया है। पर वास्तविकता यह है कि योजना-निर्माण के समय से लेकर अब तक की २४ वर्ष की अवधि में भारतीय शिक्षा-प्रणाली को न तो उन दोषों से मुक्त किया जा सका है, जिनका उल्लेख योजना में किया गया है और न उन गुणों से युक्त किया गया है, जो योजना में विद्यमान हैं। आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली अपने पूर्व रूप में चली आ रही है। यदि हमने योजना का छिद्रान्वेषण न करके और आलोचना करने के अपने अभ्यास का परित्याग करके योजना को २७ वर्ष पूर्व क्रियान्वित कर दिया होता तो आज भारतीय शिक्षा की रूप-रेखा ही कुछ और होती।

‘सार्जेंट-योजना’ और केन्द्रीय सरकार

केन्द्रीय सरकार ने ‘सार्जेंट-रिपोर्ट’ में वर्णित योजना को अति दीर्घकालीन एवं अव्यावहारिक समझ कर क्रियान्वित नहीं किया, परन्तु रिपोर्ट में प्रतिपादित सिद्धान्तों को देश की शिक्षा के लिये हितकर अवश्य समझा। अतः उनको दृष्टिकोण में रखकर केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित कार्य किये —

- १ १९४५ में केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा-विभाग को अपने अन्तर्गत रखते हुए भी एक स्वतन्त्र इकाई का रूप प्रदान किया।
- २ केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को आदेश दिया कि वे ‘सार्जेंट-योजना’ के सुझावों के आधार पर पंचवर्षीय योजनाएँ बनायें। अतः १९४७-५२ के लिये पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया। इनमें से कुछ प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं को १९४६ में ही क्रियान्वित कर दिया गया था।
- ३ १९४७-४८ में केन्द्र ने प्रान्तीय सरकारों को ४० करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया, जिससे कि प्रान्तीय शिक्षा-योजनाओं को सुचारु रूप से चलाया जा सके।
- ४ इस ‘योजना’ के सुझावों के अनुसार ‘अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा समिति’ की स्थापना की गई और दिल्ली में एक ‘पॉलीटेक्नीक कॉलेज’ (Polytechnic College) का निर्माण किया गया।
- ५ ‘योजना’ के सुझावों को स्वीकार करके १९४५ में ‘शिक्षा-योजनालय’ (Educational Bureau) एवं ‘विश्वविद्यालय अनुदान-समिति’ का संगठन किया गया।
- ६ ‘योजना’ के सुझावों के अनुसार शिक्षकों की वेतन-वृद्धि, ६ से ११ वर्ष तक के बच्चा के लिये नि:शुल्क एवं अनिवार्य वैसिक शिक्षा, विश्व विद्यालयों में सुधार, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राविधिक और वयस्क शिक्षा के लिये त्रियात्मक पग उठाये गये।
- ७ ‘योजना’ की ४० वर्ष की अवधि को घटाकर १६ वर्ष कर दिया गया था।

सारांश

द्वितीय विश्व-युद्ध के उपरान्त तत्कालीन भारतीय शिक्षा-सलाहकार, सर जॉन सार्जेंट ने सरकार के आदेशानुसार भारत में युद्धोत्तर शिक्षा-विकास के लिये एक योजना तैयार की। इस योजना में पूर्व-प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय-शिक्षा तक, शिक्षा की अन्य समस्याओं, उसके संगठन, उसके प्रमुख दोषों, उन दोषों को दूर करने के उपाय एवं शिक्षा की भावी रूप-रेखा का अति विशद वर्णन किया गया है।

योजना के विषय—यह योजना १२ अध्यायों में विभाजित की गई है। (१) पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा, (२) प्राथमिक एवं बेसिक शिक्षा, (३) हाई स्कूल शिक्षा, (४) विश्वविद्यालय-शिक्षा, (५) प्राविधिक, वाणिज्य एवं कला-शिक्षा, (६) प्रौढ-शिक्षा (७) अध्यापकों का प्रशिक्षण, (८) छात्रों का स्वास्थ्य, (९) विकलांग छात्रों की शिक्षा, (१०) विनोदात्मक तथा सामाजिक क्रियाएँ, (११) सेवा-योजनालय, और (१२) शिक्षा का प्रशासन।

योजना का मूल्यांकन—भारतीय शिक्षा के इतिहास में राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली का स्तनपान करती है। इसकी मुख्य विशेषता—इसकी व्यापकता है। इसकी अभिधारणायें अत्यन्त निर्भीक हैं। भारतीय शिक्षा-प्रणाली के दोषों पर प्रकाश डालती है। शिक्षा के विभिन्न प्रक्रमों पर सभी छात्रों को शिक्षा का समान अवसर देती है। शिक्षकों की दशा में सुधार करने का सुभाव देती है। परन्तु इन गुणों के साथ-साथ, योजना में कुछ दोष भी हैं—मौलिक लेख नहीं हैं, केवल प्राप्त किये जाने वाले आदर्शों को प्रस्तुत करती है, शिक्षा-योजना की केवल रूपरेखा प्रस्तुत करती है, अराष्ट्रीय, विलम्बकारी, काल्पनिक और खर्चीली है।

TEST QUESTIONS

1. Explain the importance of the Sargent Report and summarise its main recommendations.

सार्जेंट रिपोर्ट के महत्त्व को बताइये और उसकी मुख्य सिफारिशों को संक्षेप में लिखिये।

2. Write a reasoned criticism of the Sargent Plan as a Scheme of National Education.

राष्ट्रीय शिक्षा की योजना के रूप में सार्जेंट-योजना की ताकिक आलोचना कीजिये।

3. Discuss the present position of compulsory education with reference to the recommendations contained in the Sargent Report on the subject.

सार्जेंट-रिपोर्ट में उल्लिखित प्राथमिक शिक्षा को सिफारिशों के सदृश में अनिवार्य शिक्षा की वर्तमान स्थिति की समीक्षा कीजिये।

अंग्रेजी शासन-काल में शिक्षा (सिहावलोकन)

प्रस्तावना

१५ अगस्त, १९४७ को एक लम्बे संघर्ष के बाद भारत ने परतन्त्रता की वेडियों से मुक्त होकर, विश्व के स्वतन्त्र राष्ट्रों में अपना स्थान ग्रहण किया। हम पिछले अध्याय में पराधीन भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई शिक्षा-प्रणाली का वर्णन समाप्त कर चुके हैं। परन्तु इससे पूर्व कि हम स्वतन्त्र भारत में शिक्षा का विवरण प्रारम्भ करें, यह युक्ति-संगत प्रतीत होता है कि हम अंग्रेजी शासन-काल में शिक्षा का सिहावलोकन करें लें। भारतीय नेताओं एवं शिक्षा-विशारदों का मत है कि अंग्रेजों की शिक्षा-नीति तथा अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति भारत के लिये सर्वथा अनुपयुक्त, अहितकर एवं अराष्ट्रीय थी। इसके विपरीत, भारत के अंग्रेज शासकों का कथन है कि अंग्रेजी शिक्षा तथा अंग्रेजी शिक्षा-व्यवस्था भारत के लिये एक ऐसा श्रेष्ठ वरदान है, जो इस देश की शिक्षा के इतिहास में बेजोड़ है। समस्त ब्रिटिश-कालीन शिक्षा के अध्ययन के पश्चात् यदि हम उस शिक्षा के गुणावगुण का तटस्थतापूर्वक विवेचन करें तो हम जान सकते हैं कि दोनों दृष्टिकोणों में सत्य का वितना अंश है।

अंग्रेजी शिक्षा के लाभ

अंग्रेजी की नवीन शिक्षा एवं उसका प्रसार करने के लिये अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति की कनिष्ठ भारतीयों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। ये निम्नलिखित रूप में स्वीकार करते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में युग-परिवर्तन का कार्य किया। इसी शिक्षा के पन्थरूप अंग-प्रार्थनीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध पनपट हुए, भारतीयों के सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोणों में परिवर्तन हुआ, शिक्षा पर एक विशेष जाति का एका

धिवार समाप्त होकर, वह सभी भारतीयों की सामान्य सम्पत्ति हो गई, भारतीय वैज्ञानिकों, बलाकारों, कवियों तथा राजनीतिज्ञों को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई और भारत में नवजागरण तथा नवाम्मुत्थान का युग प्रारम्भ हुआ, जिसके फलस्वरूप उसने शताब्दियों तक पदाध्यात होने के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपना प्राचीन एवं गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। अतः अंग्रेजी शिक्षा एवं तत्सम्बन्धित शिक्षा-व्यवस्था भारत के लिये एक अनुपम दान है। जिन कारणों पर यह विचारधारा आधारित है, उनकी ओर हम नीचे संवेत कर रहे हैं —

(१) पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान से सम्पर्क—अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारतीयों का पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान से सम्पर्क स्थापित हो गया। यह सम्पर्क ऐसे समय में स्थापित हुआ, जब भारतीय अपनी प्राचीन सम्यता और सस्कृति को विस्मृत करके पतनोन्मुख हो रहे थे। ऐसे समय अंग्रेजी की नवीन शिक्षा ने इस देश के निवासियों का पथ आलोकित किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को अपनाकर पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञानों से परिचय प्राप्त किया और उन्नति के पथ पर अग्रसर हुए।

(२) भारतीय समाज का आधुनीकरण—अंग्रेजी शिक्षा की एक अत्य महान् देन—भारतीय समाज का आधुनीकरण है। जिस समय भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, उस समय यहाँ के समाज की दशा अत्यन्त शोचनीय थी। इसमें सती प्रथा, शिशु हत्या, बाल विवाह, अस्पृश्यता एवं जाति भेद की हानिप्रद कुरीतियाँ प्रचलित थीं और उनसे दश का अधःपतन हो रहा था। अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित होकर भारतीयों ने इन सामाजिक दूषणों के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ करके उनकी अन्त्येष्टि क्रिया की, और भारतीय समाज को एक नवीन रूप प्रदान किया।

(३) साहित्यिक एवं सांस्कृतिक जागृति—भारत में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक जागृति करने का श्रेय अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त है। अंग्रेज विद्वानों ने सस्कृत का अध्ययन किया और सस्कृत की पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस प्रकार, उन्होंने भारत के लुप्त गौरव का प्रामाणिक परिचय हमारे समक्ष उपस्थित किया। अपने साहित्य तथा सस्कृति की जिन बातों को हम विस्मृत कर चुके थे, उनको हमने अंग्रेजी भाषा के द्वारा समझा। फलस्वरूप, देश में बौद्धिक जागरण प्रारम्भ हुआ और हमें अपने साहित्य तथा सस्कृति में पुनः अभिरुचि उत्पन्न हुई। इसका सबसे बड़ा एवं विशेष परिणाम—प्राचीन भाषाओं के साहित्य का विकास है।

(४) वैज्ञानिक उन्नति—ब्रिटिश शासन की स्थापना के उपरान्त जब अंग्रेजी शिक्षा के परिणामस्वरूप भारत में नवजागरण प्रारम्भ हुआ, तब राजा राममोहन राय आदि नेताओं ने यह अनुभव किया कि पश्चिम की अमूर्तपूर्व प्रगति का एक प्रमुख कारण—विज्ञान की उन्नति है। अतः उन्होंने अंग्रेजी के द्वारा भारतीयों का वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दिलाने की माँग की। प्रारम्भ में तो सरकार इस ओर उदासीन रही, पर वह बहुत समय तक इस माँग को न टाल सकी। १८६७ में जगदीशचन्द्र बोस ने भौतिक विज्ञान विषयक अपनी खोजों से यूरोप के विद्वानों को

आश्चर्यचकित कर दिया। फलतः भारतीयों में यह आत्म-विश्वास जाग्रत हुआ कि वे वैज्ञानिक क्षेत्र में भी प्रगति कर सकते हैं। उसी समय से वे विज्ञान के अध्ययन में जुट गये और अनेक भारतीयों ने व्यक्तिगत रूप से विज्ञान के अध्ययन के लिये सस्थाओं का निर्माण किया। अध्ययन की इस सुविधा के कारण ही अनेक भारतीय वैज्ञानिकों को विश्व में उच्चतम वैज्ञानिक सम्मान प्राप्त हुआ। इनमें श्रीनिवास रामानुजम्, जगदीशचन्द्र बोस, चन्द्रशेखर वेंकटरमण आदि विशेष रूप के उल्लेखनीय हैं।

(५) ललित कलाओं का पुनरुत्थान—भारत की ललित कलाओं के पुनरुत्थान का श्रेय अंग्रेजों को प्राप्त है। फर्ग्युसन ने अपने चिरस्मरणीय ग्रन्थ में भारत की वास्तुकला के भव्य स्मारकों का विशद वर्णन करके ललित कलाओं के प्रति भारतीयों की रुचि को पुनः जाग्रत किया। भारत सरकार ने बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और लाहौर में कला-विद्यालय स्थापित करके भारतीय कलाओं को पुनर्जीवित किया। उसी समय से भारतीय, कला के क्षेत्र में उन्नति करने लगे। आज भी अबनीन्द्रनाथ टैगोर, नन्दलाल बोस, असितकुमार हालदार आदि के नाम गर्व से लिये जाते हैं।

(६) लोकप्रिय राजनैतिक सस्थाओं का विकास—अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप ही भारत में लोकप्रिय राजनैतिक सस्थाओं की वृद्धि एवं विकास हुआ। उदाहरणार्थ—अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके ही भारतीयों के हृदय में लोकतन्त्रवाद की विचारधाराएँ दृढ़ होती गईं एवं प्रजातन्त्र की सस्थाओं का क्रमशः विकास होता गया।

(७) शिक्षा प्रसार के नवीन साधन—शिक्षा प्रसार के नवीन साधन भी अंग्रेजों की देन हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत मुद्रणालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, रेडियो, चलचित्रों आदि को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। स्वतन्त्र भारत ने इनको शिक्षा प्रसार के साधनों में स्थान दिया है और इनकी सहायता से शिक्षण तथा निरक्षरता के निवारण का कार्य किया जा रहा है।

(८) भारतीय पुनर्जागरण—भारतीय पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण—अंग्रेजी की शिक्षा है। स्कूलों एवं कालेजों में प्रदान की जाने वाली अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के विचारों तथा दृष्टिकोणों में आमूल परिवर्तन कर दिया। अंग्रेजी की शिक्षा ने भारतीय मस्तिष्क के बौद्धिक पृथक्त्व का अन्त कर दिया तथा पाश्चात्य साहित्य, इतिहास एवं विज्ञान से उसका सम्पर्क स्थापित कर दिया। परिणामस्वरूप, इस देश में उसी प्रकार की विशाल मानसिक प्रगति हुई, जैसी कि यूरोप में १५वीं तथा १६वीं शताब्दियों में पुनर्जागरण के समय हुई थी। वास्तव में, भारतीय पुनर्जागरण का सूत्रपात—अंग्रेजी साहित्य, विज्ञान तथा आधुनिक दर्शन के अध्ययन से हुआ।

अंग्रेजी शिक्षा की हानियाँ

अंग्रेजी शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था के सम्बन्ध में जो विचार ऊपर व्यक्त किये गये हैं, उनसे अनेक भारतीय सहमत नहीं हैं। उनके मतानुसार विद्वानों द्वारा

भारत पर लादी गई शिक्षा-प्रणाली ने यहाँ की मध्यता, संस्कृति, साहित्य तथा सामाजिक एवं नैतिक उच्चादर्शों पर कुठाराघात करके उनको मरणासन्न कर दिया। अंग्रेजी शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था पर जो दोषारोपण किये गये हैं, हम उनका संक्षिप्त परिचय नीचे दे रहे हैं —

(१) अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली—देश के वातावरण के प्रतिकूल—विदेशियों द्वारा आयोजित की जाने के कारण अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली इस देश के वातावरण के प्रतिकूल थी। यह एक विदेशी वृक्ष था, जो भारत-भूमि में उचित प्रकार से पल्लवित नहीं हो सकता था। इसीलिये इसका अनियमित रूप में विकास हुआ।^१

(२) राष्ट्रीय विशेषताओं का विनाश—अंग्रेजी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य—भारत की राष्ट्रीय विशेषताओं का विनाश करना और यहाँ के निवासियों को भारतीय होते हुए भी पसन्द, व्यवहार तथा विचार में अंग्रेज बनाना था। अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारत को एक ईसाई देश बनाने की चेष्टा की गई।^२

(३) अंग्रेजी शिक्षा का निष्कृष्ट ध्येय—अंग्रेजों द्वारा १८३५ में जिस शिक्षा-नीति का प्रतिपादन किया गया, जिसका १८५४ में अनुसरण किया गया और जिस पर १८८२ में बल दिया गया, उसका एक मात्र ध्येय—अंग्रेजी दफतरो के लिये 'बाबू वर्ग' को तैयार करना था।

(४) अंग्रेजी माध्यम के दुष्परिणाम—भारतवासियों को अंग्रेजी माध्यम के द्वारा शिक्षा दी गई। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उनको अपने साहित्य तथा भाषाओं का समुचित ज्ञान न प्राप्त हो सका। साथ ही, भारतीय भाषाओं एवं भारतीय मस्तिष्क का विवास अवरुद्ध हो गया।^३

(५) धर्महीनता एवं नैतिक पतन—अंग्रेजी विद्यालयों में भारतीयों के धर्म की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई। शिक्षा को पूर्णतया लौकिक बना दिया गया। धार्मिक शिक्षा के अभाव में व्यक्तियों में न केवल धर्महीनता की वृद्धि हुई, अपितु धर्म के अभाव में उनका नैतिक पतन भी होना प्रारम्भ हो गया। इसका स्पष्ट

1. "Indian Educational Policy is described as a foreign plant, not suited to the Indian soil, and therefore, showing an unseemly growth." M. R. Paranjpe : *op. cit.*, p. v.

2. "It is described as an attempt to make India lose her national characteristics and make the people, Indian by birth but English in taste, manners and outlook. It is believed to have been an attempt to make India a Christian nation."—*Ibid.*

3. "By enforcing a foreign medium of instruction, it is believed to have arrested the development of Indian languages and Indian intellect."—*Ibid.*

परिणाम यह हुआ कि नवयुवकों में अनुशासनहीनता तथा भक्तिहीनता की भावनाओं का समावेश हुआ।¹

(६) शिक्षा का मन्द विकास—अंग्रेजों पर एक दोषारोपण यह भी किया जाता है कि यद्यपि उन्होंने अपनी शिक्षा और उसकी पद्धति को इस देश में प्रचलित किया, परन्तु उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने के लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। फलतः शिक्षा के विकास की गति अत्यन्त मन्द रही। लगभग १५० वर्षों में अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली द्वारा केवल १५ प्रतिशत भारतीयों को शिक्षित बनाया जा सका। इसका प्रमुख कारण यह था कि अंग्रेजी शिक्षा-नीति का आधार 'निस्यन्दन-सिद्धान्त' (Downward Filtration Theory) था। अंग्रेजों ने अपना ध्यान केवल उच्च वर्ग की शिक्षा पर ही केन्द्रित रखा और जनसाधारण की शिक्षा की सर्वथा अवहेलना की।

राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली के विकास में असफलता

भारत के अंग्रेज शासकों पर सर्वमहान् दोषारोपण यह किया जाता है कि वे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली का निर्माण एवं विकास नहीं कर सके। इस आक्षेप को निर्मूल नहीं कहा जा सकता है। १९१९ के 'भारत-सरकार-अधिनियम' के अनुसार भारतीय शिक्षा को लोकप्रिय मंत्रियों को हस्तान्तरित करके अंग्रेजों ने इस देश की शिक्षा से अपना हाथ खींच लिया। इसके विपरीत, यह तर्क उपस्थित किया जाता है कि अंग्रेजों ने १९४४ की 'सार्जेन्ट-योजना' में शिक्षा का एक ऐसा रूप प्रस्तुत किया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली के अनेक लक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। यह तर्क निराधार नहीं है, परन्तु इसका खंडन करते हुए हम निःशङ्क रूप से कह सकते हैं कि 'सार्जेन्ट-योजना' में राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली की केवल कल्पना ही की गई थी और अंग्रेजों के भारत से प्रस्थान की शुभ वेला तक वह निरी कल्पना ही रही, अर्थात् ३ वर्ष की लम्बी अवधि में उस कल्पना को यथार्थता में परिवर्तित करने के लिये एक भी क्रियात्मक पग नहीं उठाया गया।

सारांश में, अंग्रेज, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली का निर्माण एवं विकास करने में पूर्णतः असफल रहे। इस असफलता के प्रमुख कारणों की ओर हम नीचे संकेत कर रहे हैं —

(१) प्राच्य तथा पाश्चात्य आदर्शों के समन्वय में असफलता—अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति का प्रमुख दोष यह था कि वह प्राच्य तथा पाश्चात्य आदर्शों का समन्वय करने में असफल रही। भारत और इंग्लैण्ड के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं नैतिक

1. "The Indian education of the last one hundred years is charged with making India less religious and therefore less moral, or again less willing to accept the dictum of elders and therefore less disciplined, and less loyal to authorities"—M. R. Paranjpe : *op. cit.*, p. v.

आदर्शों में किसी प्रकार का साम्य नहीं था। एक आध्यात्मिकता में विश्वास करता था, तो दूसरा भौतिकवादिता में। अंग्रेज मिशनरियों ने अपनी संस्कृति और धर्म को श्रेष्ठ समझा और भारतीय संस्कृति तथा परम्पराओं को घृणा की दृष्टि से देखा। उन्होंने भारतीय धर्म को नष्ट करके, उसके स्थान पर ईसाइयत को प्रतिष्ठित करने में पृथ्वी और आकाश को एक बर दिया।

अंग्रेज शासकों ने राज और धन में मद के बंधु होकर इस बात का स्वप्न में भी विचार नहीं किया कि प्राच्य एवं पाश्चात्य आदर्शों का समन्वय भी किया जा सकता था। यदि उनमें से कुछ चैतन्य प्रशासकों के मस्तिष्क में यह विचार आया भी, तो किप्लिंग (Kipling) ऐसे लेखकों ने यह लिखकर उन्हें हतोत्साहित कर दिया—
“पूर्व और पश्चिम, संसार के दो छोर हैं और इन दोनों का मिलन असम्भव है।”¹

इसके अतिरिक्त, अंग्रेजों ने इस देश के शासक होने के नाते अपने को भारतीयों से श्रेष्ठतर समझा। शासकों एवं शासितों के मध्य एक दीवार खड़ी हो गई और वह क्रमशः ऊँची होती चली गई। होटलो, रेलों के डिब्बों, बलबों और स्कूलों में प्रवेश करने की नीति भी भेद-भाव पर आधारित कर दी गई। विभिन्न संस्थाओं पर यह छाप लगा दी गई—“केवल यूरोपियनों के लिये”। नवाम्युत्थान के युग में राष्ट्रीय नेताओं ने अंग्रेजों की नीति का उत्तर पाश्चात्य-संस्कृति एवं आदर्शों का तिरस्कार करके देना प्रारम्भ किया। ऐसी स्थिति में पूर्व और पश्चिम का संयोग वास्तव में असम्भव सिद्ध हो गया।

(२) साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण—अंग्रेज भारत को अपने साम्राज्य का एक अविच्छिन्न अङ्ग समझते थे और प्रत्येक सम्भव नीति से इस पर अपने प्रभुत्व को बनाये रखना चाहते थे। उन्होंने इस बात की कभी कल्पना ही नहीं की कि भारत को स्वतन्त्रता प्रदान करके सम्मानित पद भी दिया जा सकता था। अपने शासन-काल के आदि से अन्त तक उन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये इस देश का शोषण किया। उनका विश्वास था कि दैव ने उनको इस असम्भव देश को सम्भ्र बनाने का कार्य सौंपा है। अंग्रेज धर्म-प्रचारकों का विचार था कि ईसाई धर्म को स्वीकार करके ही भारतीयों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जहाँ इस प्रकार की भावनायें कार्य कर रही थी, वहाँ राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली के निर्माण की बात सोचना बिल्कुल असम्भव था।

(३) शिक्षा के उद्देश्यों में अस्थिरता—भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों के सम्बन्ध में अंग्रेज प्रशासकों के विचारों में कभी स्थिरता नहीं रही। उद्देश्यों का रूप समय-समय तथा अवसर के अनुसार सदैव परिवर्तित होता रहा। उदाहरणार्थ—टैस्टिंग्ज और डंकन, शिक्षा के द्वारा उन व्यक्तियों की क्षति-पूर्ति करना चाहते थे, जिन्हें अंग्रेजी-

1. “East is East and West is West, and never the twain shall meet.”

परिणाम यह हुआ कि नवयुवकों में अनुशासनहीनता तथा भक्तिहीनता की भावनाओं का समावेश हुआ।^१

(६) शिक्षा का मन्द विकास—अंग्रेजों पर एक दोपारोपण यह भी किया जाता है कि यद्यपि उन्होंने अपनी शिक्षा और उसकी पद्धति को इस देश में प्रचलित किया, परन्तु उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने के लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। फलतः शिक्षा के विकास की गति अत्यन्त मन्द रही। लगभग १५० वर्षों में अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली द्वारा केवल १५ प्रतिशत भारतीयों को शिक्षित बनाया जा सका। इसका प्रमुख कारण यह था कि अंग्रेजी शिक्षा-नीति का आधार 'निस्सन्दन-सिद्धान्त' (Downward Filtration Theory) था। अंग्रेजों ने अपना ध्यान केवल उच्च वर्ग की शिक्षा पर ही केन्द्रित रखा और जनसाधारण की शिक्षा की सर्वथा अवहेलना की।

राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली के विकास में असफलता

भारत के अंग्रेज शासकों पर सर्वमहान् दोपारोपण यह किया जाता है कि वे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली का निर्माण एवं विकास नहीं कर सके। इस आक्षेप को निर्मूल नहीं कहा जा सकता है। १९१९ के 'भारत-सरकार-अधिनियम' के अनुसार भारतीय शिक्षा को लोकप्रिय मंत्रियों की हस्तान्तरित करके अंग्रेजों ने इस देश की शिक्षा से अपना हाथ खींच लिया। इसके विपरीत, यह तर्क उपस्थित किया जाता है कि अंग्रेजों ने १९४४ की 'सार्जेन्ट-योजना' में शिक्षा का एक ऐसा रूप प्रस्तुत किया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली के अनेक लक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने हैं। यह तर्क निराधार नहीं है, परन्तु इसका खंडन करते हुए हम निःसङ्क रूप से कह सकते हैं कि 'सार्जेन्ट-योजना' में राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली की केवल कल्पना ही की गई थी और अंग्रेजों के भारत से प्रस्थान की शुभ वेला तक वह निरी कल्पना ही रही, अर्थात् ३ वर्ष की लम्बी अवधि में उस कल्पना को यथार्थता में परिवर्तित करने के लिये एक भी क्रियात्मक पग नहीं उठाया गया।

सारासा में, अंग्रेज, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली का निर्माण एवं विकास करने में पूर्णतः असफल रहे। इस असफलता के प्रमुख कारणों की ओर हम नीचे संकेत कर रहे हैं—

(१) प्राच्य तथा पाश्चात्य आदर्शों के समन्वय में असफलता—अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति का प्रमुख दोष यह था कि वह प्राच्य तथा पाश्चात्य आदर्शों का समन्वय करने में असफल रही। भारत और इंग्लैण्ड के सामाजिक, मासृतिक, आर्थिक एवं नैतिक

1. "The Indian education of the last one hundred years is charged with making India less religious and therefore less moral, or again less willing to accept the dictum of elders and therefore less disciplined, and less loyal to authorities."—M. R. Paranjpe : *op. cit.*, p. v.

आदर्शों में किसी प्रकार का साम्य नहीं था। एक आध्यात्मिकता में विश्वास करता था, तो दूसरा भौतिकवादिता में। अंग्रेज मिशनरियों ने अपनी संस्कृति और धर्म को श्रेष्ठ समझा और भारतीय संस्कृति तथा परम्पराओं को घृणा की दृष्टि से देखा। उन्होंने भारतीय धर्म को नष्ट करके, उसके स्थान पर ईसाइयत को प्रतिष्ठित करने में पृथ्वी और आकाश को एक कर दिया।

अंग्रेज शासकों ने राज और धन में मद के वेमुध होकर इस बात का स्वप्न में भी विचार नहीं किया कि प्राच्य एवं पाश्चात्य आदर्शों का समन्वय भी किया जा सकता था। यदि उनमें से कुछ चतुर्नय प्रशासकों के मस्तिष्क में यह विचार आया भी, तो किप्लिंग (Kipling) ऐसे लेखकों ने यह लिखकर उन्हें हतोत्साहित कर दिया—
“पूर्व और पश्चिम, संसार के दो छोर हैं और इन दोनों का मिलन असम्भव है।”^१

इसके अतिरिक्त, अंग्रेजों ने इस देश के शासक होने के नाते अपने को भारतीयों से श्रेष्ठतर समझा। शासकों एवं शासितों के मध्य एक दीवार खड़ी हो गई और वह दमनः ऊँची होती चली गई। होटलो, रेलों के डिब्बों, बलबों और स्कूलों में प्रवेश करने की नीति भी भेद-भाव पर आधारित कर दी गई। विभिन्न संस्थाओं पर यह छाप लगा दी गई—“केवल यूरोपियनों के लिये”। नवाम्युत्थान के युग में राष्ट्रीय नेताओं ने अंग्रेजों की नीति का उत्तर पाश्चात्य-संस्कृति एवं आदर्शों का तिरस्कार करके देना प्रारम्भ किया। ऐसी स्थिति में पूर्व और पश्चिम का संयोग वास्तव में असम्भव सिद्ध हो गया।

(२) साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण—अंग्रेज भारत को अपने साम्राज्य का एक अविच्छिन्न अङ्ग समझते थे और प्रत्येक सम्भव नीति से इस पर अपने प्रभुत्व को बनाये रखना चाहते थे। उन्होंने इस बात की कभी कल्पना ही नहीं की कि भारत को स्वतन्त्रता प्रदान करके सम्मानित पद भी दिया जा सकता था। अपने शासन-काल के आदि से अन्त तक उन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये इस देश का शोषण किया। उनका विश्वास था कि दैव ने उनको इस असम्य देश को सम्य बनाने का कार्य सौंपा है। अंग्रेज धर्म-प्रचारकों का विचार था कि ईसाई धर्म को स्वीकार करके ही भारतीयों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जहाँ इस प्रकार की भावनार्यें कार्य कर रही थी, वहाँ राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली के निर्माण की बात सोचना विल्कुल असम्भव था।

(३) शिक्षा के उद्देश्यों में अस्थिरता—भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों के सम्बन्ध में अंग्रेज प्रशासकों के विचारों में कभी स्थिरता नहीं रही। उद्देश्यों का रूप समय-समय तथा अवसर के अनुसार सदैव परिवर्तित होता रहा। उदाहरणार्थ—हेस्टिंग्स और डंकन, शिक्षा के द्वारा उन व्यक्तियों की क्षति-पूर्ति करना चाहते थे, जिन्हें अंग्रेजी-

1. “East is East and West is West, and never the twain shall meet.”

सामन की स्थापना में हानि हुई थी। १८१३ के 'आना-यत्र' में प्राच्य माहित्य तथा ज्ञान का प्रात्याहित करने का आदेश दिया गया। १८५४ के 'घोषणा-यत्र' में शिक्षा का उद्देश्य—भारतीयों की बौद्धिक एवं चारित्रिक उन्नति करने के साथ-साथ, अंग्रेजी शिक्षा द्वारा ऐसे व्यक्तियों का उत्पन्न करना बनाया गया, जो राज्य को मुहूब बना सकें। १९१३ के 'गरवारी प्रस्ताव' में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य—चरित्र-निर्माण करना निर्धारित किया गया। इस प्रकार, शिक्षा के उद्देश्यों में निरन्तर परिवर्तन होता रहा। तेजी देना में राष्ट्रीय शिक्षा का विचार न आना—बोर्ड आश्चर्य की बात नहीं थी।

(४) शिक्षा-प्रसार की दोषपूर्ण विधियाँ—यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा-प्रसार की जितनी विधियाँ का अनुसरण किया, वे सभी दोषपूर्ण थीं। सर्वप्रथम उन्होंने भारत की देशी शिक्षा-व्यवस्था को बेमौत मार डाला। उनका विचार था कि देशी विद्यालया के स्थान पर अंग्रेजी ढंग के स्कूलों की स्थापना करके शिक्षा-प्रसार का कार्य सुगमतापूर्वक किया जा सकेगा। परन्तु वे अपने इन कार्य में असफल हुए। इसी प्रकार उनका 'निस्पन्दन मिद्दान्त' भी निरर्थक सिद्ध हुआ। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को प्रतिष्ठित करना, माध्यमिक स्कूलों एवं कॉलेजों में अंग्रेजी की शिक्षा को प्रधानता देना एवं भारतीय भाषाओं की अवहेलना करना—शिक्षा प्रसार की दोषपूर्ण विधियों के कुछ अन्य ज्वलन्त उदाहरण हैं।

(५) शिक्षा विभाग की अवहेलना—अंग्रेजों ने जितना ध्यान अन्य विभागों की ओर दिया, उसका शतश भी शिक्षा-विभाग की ओर नहीं दिया। जिस प्रकार के सुयोग्य एवं कुशल मनुष्यों को अन्य विभागों में कार्य करने के लिए इंग्लैंड से भारत भेजा गया, उस प्रकार के मनुष्यों को भारतीय शिक्षा-विभाग में नियुक्त नहीं किया गया। सर माइकेल सैडलर (Sir Micheal Sadler) एवं सर अलेक्जेंडर ग्रान्ट (Sir Alexander Grant) की सी प्रतिभा वाले शिक्षा विशेषज्ञ और नहीं थे। १८६६ में आई० ई० एस० के पद का निर्माण किया गया, पर इसके सेवा-प्रतिबन्धों को उनसे कहीं कम आकर्षक रखा गया, जितने कि आई० सी० एस० के थे। ऐसी दशा में सुयोग्य व्यक्तियों के भारत आने का प्रश्न ही नहीं उठता था। जो व्यक्ति आये भी, उनमें इतनी कार्य-क्षमता नहीं थी कि वे इस देश के लिए राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली की योजना बना सकते।

निष्कर्ष

उपरिलिखित ब्रिटिश-कालीन शिक्षा एवं अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के लाभ-हानियों अथवा गुण-दोषों पर दृष्टि डालने से सहसा यही विचार उत्पन्न होता है कि अंग्रेजों ने अपनी भाषा और शिक्षा-पद्धति को परवश भारत पर लाद कर एक ऐसा जघन्य अपराध किया, जिसके लिये वे अक्षम्य हैं। पर यदि हम अपनी भावुकता के बशी-भूत न होकर निष्पक्ष एवं तटस्थ रूप से विचार करें, तो हमें यह स्वीकार करने के

लिए बाध्य होना पड़ेगा कि अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी शिक्षा-व्यवस्था हमारे लिए एक अद्वितीय वरदान बनकर आई। अंग्रेजी के अध्ययन से ही हमारे पिछले १०० वर्षों में युगान्तर हुआ। इसका श्रीगणेश उस समय हुआ, जब हमने ज्ञान एवं प्रकाश के लिए अपना मुँह पूर्व से पश्चिम की ओर मोड़ा। पाश्चात्य साहित्य, शिक्षा तथा विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीयों ने देश में सर्वतोमुखी सुधार की ज्योति को जाग्रत किया, धर्मान्धता एवं बुद्धिहीन श्रद्धा का स्थान विवेक तथा तर्क ने ग्रहण किया, उदारता एवं स्वतन्त्र विचार ने मूर्खतापूर्ण कट्टरता तथा शास्त्रवाद पर विजय प्राप्त की। धार्मिक रूढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियों की वेडियों से भारत को मुक्ति प्राप्त होने लगी। सती-प्रथा, शिशु-हत्या आदि कुत्सित दूषणों की अन्त्येष्टि हुई। जातीय भेद-भाव का अभेद्य दुर्ग घबस हो रहा है और सर्वत्र अस्पृश्यता का जनाजा निकाला जा रहा है। पाश्चात्य देशों में प्रतिपादित समानता, स्वतन्त्रता एवं राष्ट्रीयता के सिद्धान्तों ने हमारे देश पर अमिट छाप लगा दी है। भारतीय विधान-सभा द्वारा स्वीकृत नवीन शासन-विधान पर इसकी स्पष्ट छाया दृष्टिगोचर होती है। पश्चिम में किये गए वैज्ञानिक आविष्कारों एवं यन्त्रों को ग्रहण करके भारत के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का कायाकल्प हो रहा है। इन सबके लिए हम अंग्रेजी शिक्षा के ऋणी हैं। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली का प्रचलन न किया गया होता, तो हम आज भी सम्भवतः अन्य असभ्य जातियों के समान अन्धकार में अपना मार्ग टटोल रहे होते।

सारांश

अंग्रेजी शिक्षा के लाभ—(१) पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान से सम्पर्क, (२) भारतीय समाज का आधुनिकीकरण, (३) साहित्यिक एवं सांस्कृतिक जागृति, (४) वैज्ञानिक उन्नति, (५) ललित कलाओं का पुनरुत्थान, (६) लोकप्रिय राजनैतिक समस्याओं का विकास, (७) शिक्षा प्रसार के नवीन साधन, और (८) भारतीय पुनर्जागरण।

अंग्रेजी शिक्षा से हानियाँ—(१) अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली देश के वातावरण के प्रतिकूल, (२) राष्ट्रीय विशेषताओं का विनाश, (३) अंग्रेजी शिक्षा का निवृष्ट घ्येय, (४) अंग्रेजी माध्यम के दुष्परिणाम, (५) धर्म-हीनता एवं नैतिक पतन, और (६) शिक्षा का मन्द विकास।

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास में असफलता—(१) प्राच्य तथा पाश्चात्य आदर्शों के समन्वय में असफलता, (२) साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण, (३) शिक्षा के उद्देश्यों में अस्थिरता, (४) शिक्षा-प्रसार की दोषपूर्ण विधियाँ, और (५) शिक्षा-विभाग की अवहेलना।

TEST QUESTIONS

1. Discuss critically the view that the British totally failed to evolve a national system of education for India.
इस विचार की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए कि अंग्रेज भारत में शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली का विकास करने में पूर्णतः असाफल्य हुए।
2. "The British educational administration did several good things which India will always acknowledge." Elucidate.
"ब्रिटिश शैक्षिक प्रशासन ने अनेक उत्तम कार्य किये, जिनके लिए भारत सदैव आभारी रहेगा।" स्पष्ट कीजिए।

प्राथमिक एवं बेसिक शिक्षा (१९४७-१९७१)

प्रस्तावना

“राष्ट्र का विकास—उसके निवासियों की शिक्षा पर निर्भर है।” स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में भारत ने अपने नवनिर्माण के लिए शिक्षा-प्रसार की आवश्यकता का अनुभव किया। ऐसा करना स्वाभाविक था, क्योंकि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय ६ से ११ वर्ष वाले वय-वर्ग (Age Group) के केवल ३० प्रतिशत बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अतः देश की राष्ट्रीय सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क, सार्वभौमिक तथा अनिवार्य बनाने का निश्चय किया। इस उद्देश्य से स्वतन्त्र भारत के संविधान की ४५वीं धारा में स्पष्ट रूप से १० वर्ष के अन्दर सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क एवं अनिवार्य बनाने की घोषणा की गई है।¹ परन्तु इस घोषणा से पूर्व भारत के विभिन्न प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के सफल प्रयत्न किये जा चुके थे।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

पराधीन भारत में भी राष्ट्रीय आन्दोलन एवं भारतीय जन-असन्तोष के फलस्वरूप अनेक प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए अधिनियम

1. “The State shall endeavour to provide within a period of ten years from the commencement of this Constitution for the free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.”—Article 45 of the *Constitution adopted by Free India on January 26, 1950.*

३५६ | भारतीय शिक्षा का इतिहास

पारित किये जा चुके थे। इनका वर्णन पहले किया जा चुका है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से प्राथमिक शिक्षा के प्रसार का उत्तरदायित्व राज्य-सरकारों पर है। १ जुलाई, १९५७ को भारत-सरकार द्वारा स्थापित की गई 'अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा-परिषद्'^१, केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों को प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं अनिवार्य नि-मुक्त प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में परामर्श देकर प्रशासनीय कार्य कर रही है।^२ १९६१ में स्थापित की गई 'केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड' की स्थायी प्राथमिक शिक्षा-समिति^३ ने प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को निर्धारित किया है तथा उसके प्रसार के लिए अनेक नवीन योजनाएँ कार्यान्वित की हैं।^४ उपर्युक्त प्रयासों के फलस्वरूप स्वतन्त्रता के उपरान्त होने वाली प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का अनुमान निम्नांकित तालिका से सहज ही लगाया जा सकता है^५ —

वर्ष	विद्यालय-संख्या	छात्र-संख्या	शिक्षक-संख्या	व्यय (करोड़ रुपये में)
१९५०-५१	२,०६,६७१	१,८२,६३,६७७	५,३७,६१८	३६.४६
१९५५-५६	२,७८,१३५	२,२६,१६,७३४	६,६१,२४६	५३.७३
१९६०-६१	३,३०,३६७	२,६६,४२,२५३	७,४१,६६५	७३.४४
१९६१-६२	३,५१,५३०	२,६४,७४,३७७	७,६४,७४७	८२.६७
१९६२-६३	३,६६,२६२	३,१२,८६,६२६	८,३२,६६६	६२.६४
१९६३-६४	३,७७,१०६	३,३१,०३,२७१	८,०६,६००	६६.०१
१९६४-६५	३,८५,२५०	३,३५,७८,०००		१०५.१८

प्राथमिक शिक्षा पर विहंगम दृष्टिपात

प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिये अब तक जो प्रयत्न किये गये हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि विद्यालय जाने वाले बच्चों में पिछले १५ वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यद्यपि शेष जनसंख्या को स्तर पर लाने के लिये अब भी विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है, फिर भी यह उत्साहवर्द्धक है कि अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) एवं आदिम जातियों (Aborigines) के बच्चों के नामांकन में वृद्धि पहले की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से हुई है। इसी प्रकार, बालक और बालिकाओं की शिक्षा में जो बड़ा अन्तर था, वह अब शून्य-शून्य कम होता जा रहा है।^६

1. All India Council for Elementary Education.
2. *Hindustan Year-Book*, 1970, p. 180.
3. Standing Committee of Central Advisory Board of Education on Primary Education.
4. Prem Kirpal : *A Decade of Education in India*, p. 57.
5. *India*, 1968, p. 65.
6. चौथी पंचवर्षीय योजना (प्रारम्भिक रूपरेखा), पृ० २२२।

विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या में जो वृद्धि हुई है, वह सराहनीय है, पर भारतीय संविधान के उस निर्देश को पूरा नहीं किया जा सका है, जिसके अनुसार १४ वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी। फिर भी, इस दिशा में प्रभावशाली कदम के रूप में अधिक बल इस बात पर दिया जा रहा है कि पढ़ाई छोड़कर बैठ जाने वाले बच्चों की संख्या कम-से-कम हो। इस समय प्राथमिक कक्षाओं में ऐसे बच्चों की संख्या ६० प्रतिशत है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं, जैसे—विद्यालयों का उत्तम संगठन, बिना मूल्य लिये पाठ्य-पुस्तकों का वितरण, दोपहर के भोजन की व्यवस्था एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम में संशोधन।^१

प्राथमिक शिक्षा के स्तर का उन्नयन करने के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता से 'राज्य-शिक्षा-संस्थानों' (State Institutes of Education) की स्थापना की योजना को १९६३-६४ में कार्यान्वित किया गया। इन संस्थानों के लक्ष्य हैं—सेवागत विद्यालय-निरीक्षकों एवं प्रशिक्षण-विद्यालयों के अध्यापकों का प्रशिक्षण, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिये अध्ययन की विशेष सामग्री की खोज एवं इन शिक्षकों के लिये उचित साहित्य का प्रकाशन। हरियाणा और नागालैंड के अतिरिक्त शेष सब राज्यों में 'राज्य-शिक्षा-संस्थानों' की स्थापना की जा चुकी है। इन संस्थानों के व्यय का भार आधा राज्य सरकारों द्वारा और आधा केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है।^२

विशिष्ट विद्यालयों एवं पश्चिमी बंगाल के शहरी क्षेत्रों में स्थित कुछ प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त, प्राथमिक स्तर की शिक्षा सम्पूर्ण देश में निःशुल्क है। लगभग सभी राज्य-सरकारें प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में उपयुक्त अधिनियमों का निर्माण कर चुकी हैं या पुराने अधिनियमों को संशोधित करके समयानुकूल बना चुकी हैं। आन्ध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल और दिल्ली की सरकारों ने अपने प्राथमिक शिक्षा-अधिनियमों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर नवीन रूप प्रदान किया है।^३

प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिये कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के फलस्वरूप ६-११ वय-वर्ग के बच्चों की संख्या, जो १९५०-५१ में ९५ लाख थी, १९६५-६६ में बढ़कर लगभग ५१४.५ लाख हो गई।^४ इसी प्रकार, ११-१४ वय-वर्ग के बच्चों की संख्या ३१.२ लाख से बढ़कर लगभग १३०.५

१. चौथी पंचवर्षीय योजना (प्रारम्भिक रूपरेखा), पृ० २२३।
२. *21st Year of Freedom*, p. 121.
३. *Hindustan Year-Book*, 1970, p. 180.
४. *India*, 1969, p. 62.

लाख हो गई।¹ १९६९-७० में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में २१ लाख ७० हजार नये दाखिलों का लक्ष्य रखा गया है।² १९७३-७४ में ६-१४ वय-वर्ग के ८६८ करोड़ बच्चों को दाखिला किया जायगा, जिनमें से ५२ ६५ बालक और ३४ १४ करोड़ बालिकाएँ होंगी।³

बालका और बालिकाओं की इस अभिवृद्धित संख्या के कारण चौथी योजना के अन्त तक ६,४४,००० नये शिक्षकों की आवश्यकता होगी। शिक्षकों की पूर्ति करने के लिये, और साथ ही उन्हें अध्यापन-कार्य में अधिक दक्ष बनाने के लिये शिक्षक-प्रशिक्षण को योजनाएँ तैयार की गई हैं।⁴

बेसिक शिक्षा

१९४४ में 'केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड' ने 'सार्जेंट-योजना' में प्रतिपादित बेसिक शिक्षा की सामान्य रूपरेखा को मान्यता प्रदान की। १९४५ में वर्षों में होने वाली 'हिन्दुस्तानी तालीमी सघ' की बैठक ने भारत के लिये बेसिक शिक्षा की आवश्यकता को स्वीकार किया और इसका नाम 'नई तालीम' रखा। इस 'सघ' ने १९४७ में बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया, जिसका देश के सब प्रान्तों में स्वागत किया।

१९४८ में भारत-सरकार द्वारा बी० जी० खेर की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई और उसको ऐसे सुझाव देने का आदेश दिया गया, जिनसे देश में बेसिक शिक्षा की योजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जा सके। 'खेर-समिति' ने अपने प्रतिवेदन में लिखा कि बेसिक शिक्षा को १६ वर्ष के अन्दर दो पञ्चवर्षीय योजनाओं और एक षड्वर्षीय योजना द्वारा कार्यान्वित किया जाय प्रथम दो योजनाओं में ६ से ११ वर्ष वाले और षड्वर्षीय योजना में १४ वर्ष तक के बच्चों के लिये बेसिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया जाय।

'खेर-समिति' के सुझावों और 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' की सिफारिश स्वीकार करके भारत-सरकार ने १९५० से पूर्व ही प्राथमिक शिक्षा को बेसिक रूप देने, बेसिक विद्यालयों की स्थापना करने और प्राथमिक विद्यालयों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया। सरकार के इन प्रयासों के फलस्वरूप बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली प्रगति को आगे (पृ० ३६०) की तालिका में स्पष्ट किया गया है —

1 *India*, 1969, p 62

२ नवभारत टाइम्स, ३० अगस्त, १९६९।

3 *Hindustan Times*, 22 April, 1969

4 *Ibid*

वेसिक शिक्षा की प्रगति व व्यय¹

विवरण	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६१-६२	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५
(अ) स्कूलों की संख्या							
१. पूर्णियर वेसिक	३३,३७६	४२,६७१	६५,६४६	७३,६८२	७८,२६३	८३,४६१	८२,०००
२. सीनियर वेसिक	३८८	४,४८२	१४,२६६	१५,४८५	१६,५५३	१७,०३६	१८,०००
३. पोस्ट वेसिक	—	१६	३१	३१	२४	१७	३८
(ब) छात्रों की संख्या							
१. पूर्णियर वेसिक	८,४६,२४०	३७,३०,४५६	६५,०१,१३४	७६,४३,४१२	८३,६६,६३७	९२,८७,१४४	९०,३५,०००
२. सीनियर वेसिक	६६,४८२	१३,२६,७४८	३२,२०,२६८	३५,८६,५५०	३८,८२,७३४	४०,०६५	४२,६७,०००
३. पोस्ट वेसिक	—	२,३७७	४,३४०	४,७१२	५,८३८	४,४६७	५,६५०
(स) शिक्षकों की संख्या							
१. पूर्णियर वेसिक	७४,७५६	१,११,३४७	१,७५,६०६	१,६६,४२६	२,११,४१३	२,४१,१६२	२,३८,०००
२. सीनियर वेसिक	२,५६३	३६,६७२	१,०२,०८३	१,११,८१०	१,२०,०४८	१,२४,५६८	१,३१,८००
३. पोस्ट वेसिक	—	—	२४६	२६५	२६३	२१८	३४०
(द) व्यय करोड़ रुपयों में							
१. पूर्णियर वेसिक	३.६४	८.११	१५.६६	१८.८७	२०.८७	२४.४८	२४.५४
२. सीनियर वेसिक	०.२१	४.०६	१२.३६	१३.५३	१५.१८	१६.३४	१८.१६
३. पोस्ट वेसिक	—	०.०४	०.०४	०.०५	०.०५	०.०५	०.०६

पंचवर्षीय योजनाओं में बेसिक शिक्षा की प्रगति

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में ६ से ११ वर्ष वाले वय-वर्ग के लगभग ५० प्रतिशत बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो गई। इनमें ६८ प्रतिशत बालक और ३२ प्रतिशत बालिकाएँ थी। ११ से २४ वर्ष वाले वय-वर्ग में जिन बच्चों को सुविधा प्राप्त हुई, उनकी संख्या बढ़कर १४ से २७ प्रतिशत हो गई, पर इसमें लड़कियाँ केवल २० प्रतिशत ही थी।^१

द्वितीय योजना के अन्त तक ६ से ११ वर्ष वाले वय-वर्ग के ६० प्रतिशत तथा ११ से १४ वर्ष वाले वय-वर्ग के १६ प्रतिशत बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधा दी गई। प्राथमिक कक्षाओं में से ६६ लाख छात्र बढ़े, जिनके लिये ६०,००० नए प्राथमिक स्कूलों की आवश्यकता पड़ी। आशा की जाती थी कि बेसिक स्कूलों की संख्या १२,००० हो जायगी।^२

तृतीय योजना में ५७,७६० प्राथमिक विद्यालयों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित करने, वर्तमान विद्यालयों को बेसिक ढाँचे के ढङ्ग पर लाने, सभी प्रशिक्षण संस्थाओं का बेसिक प्रणाली के आधार पर पुनर्गठन करने, नगर-क्षेत्रों में बेसिक स्कूल खोलने और बेसिक शिक्षा को प्रत्येक स्थानीय समुदाय के विकास कार्यों से सम्बद्ध करने की व्यवस्था थी।^३

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रगति में योग

केन्द्रीय सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा की प्रगति में विशेष योग दिया जा रहा है। जो राज्य बेसिक शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, उनको केन्द्रीय सरकार किये जाने वाले व्यय का ५० प्रतिशत वार्षिक सहायता-अनुदान के रूप में देती है। जो राज्य प्राथमिक स्कूलों को बेसिक प्राथमिक स्कूलों का रूप देना चाहते हैं, उन्हें केन्द्रीय सरकार कुल व्यय का ७५ प्रतिशत देती है। नवीन बेसिक स्कूलों की स्थापना में किये गये व्यय का २५ प्रतिशत भार केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया गया है।

उपरिलिखित कार्यों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में परामर्श लेने के लिए एक 'स्थायी बेसिक शिक्षा-समिति'^४ स्थापित की है। अप्रैल १९५६ में इस समिति ने देश में बेसिक शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से एक विस्तृत योजना तैयार की, और बेसिक शिक्षा के प्रति सरकार की नीति भी निर्धारित की। इस समिति ने सिफारिश की है कि राज्यों में अधिक से अधिक संख्या में उत्तर-

१. दूसरी पंचवर्षीय योजना (प्रारम्भिक रूपरेखा), पृ० १८७।

२. वही, पृ० १८७-१८८।

३. संक्षिप्त तीसरी पंचवर्षीय योजना, पृ० १५०।

४. Standing Committee of the Central Advisory Board of Education on Basic Education.

बेसिक स्कूल स्थापित किये जायें, माध्यमिक स्कूलों में बेसिक शिक्षा प्रदान की जाय एवं बेसिक स्कूलों में अंग्रेजी की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय ।

बेसिक शिक्षा-प्रसार के आधारभूत तत्त्व

बेसिक शिक्षा-प्रसार के दो आधारभूत तत्त्व हैं—(१) सार्वभौमिक, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध करना, और (२) वर्तमान प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित करना ।

प्रथम कार्य में अभी तक जो सफलता प्राप्त हुई है, उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । द्वितीय कार्य में विभिन्न कठिनाइयों का अनुभव किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख अधोलिखित हैं—

१. बेसिक स्कूलों के लिये पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध नहीं है ।
२. बेसिक स्कूलों के पास उपयुक्त भवन, शिक्षण-सामग्री तथा धन का अभाव है ।
३. भारत के अनेक राज्यों में बेसिक शिक्षा का क्रियात्मक रूप से विरोध किया गया है ।
४. यद्यपि बेसिक शिक्षा बालकों के लिये अति रोचक एवं आकर्षक है, परन्तु शिक्षकों के लिये पर्याप्त कठिन है । इस पद्धति को अपनाने में उनकी कठोर परिश्रम करना पड़ता है । आधुनिक परिस्थितियों में जबकि शिक्षक अपने अल्प वेतन के कारण असन्तुष्ट हैं, वे परिश्रम से बचना चाहते हैं । ऐसी दशा में बेसिक स्कूलों की उन्नति होना सम्भव नहीं जान पड़ता है ।

बेसिक शिक्षकों का प्रशिक्षण

बेसिक विद्यालयों को सुचारु रूप से चलाने के लिये प्रशिक्षित अध्यापकों का होना परम आवश्यक है । अतः उनको प्रशिक्षित करने की दिशा में लगभग सभी राज्य-सरकारों ने रचनात्मक कदम उठाये हैं । आसाम में 'गुरु-प्रशिक्षण-केन्द्रों (Guru Training Centres) को बेसिक प्रशिक्षण-संस्थाओं में परिणत कर दिया गया है, बिहार, बम्बई और उत्तर प्रदेश में बेसिक ट्रेनिंग स्कूल और बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज हैं । इसी प्रकार की प्रशिक्षण-संस्थायें देश के लगभग सभी राज्यों में हैं ।

कुछ व्यक्तिगत संस्थायें भी बेसिक शिक्षा-प्रणाली के अनुसार अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का कार्य कर रही हैं; यथा—जामिया-मिलिया इस्लामिया टीचर्स-ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दिल्ली, श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय टीचर्स बेसिक सेन्टर, कोयम्बटूर, नई तालीम भवन, सेवामाग, ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, बम्बई; सर्वोदय महाविद्यालय, तर्की, बिहार; विद्या भवन, उदयपुर; तथा विद्या-भवन, शान्ति-निकेतन ।

उत्तर-वेसिक प्रशिक्षण-विद्यालय

राज्य-सरकारों द्वारा उत्तर-वेसिक प्रशिक्षण-विद्यालय स्थापित किये गये हैं। इन प्रशिक्षण विद्यालयों से एक 'प्रदर्शन स्कूल' (Demonstration School) सम्बन्धित होता है। इनके उद्देश्य निम्नांकित हैं —

- १ वेसिक स्कूलों के लिए अध्यापकों, निरीक्षकों एवं निर्देशकों को तैयार करना।
२. वेसिक शिक्षा-योजना में कार्य करने के लिए प्रशासकों तथा आयोजकों को प्रशिक्षित करना।
- ३ पूर्व-वेसिक तथा उत्तर-वेसिक प्रशिक्षण-विद्यालयों को वेसिक ट्रेनिंग स्कूलों के लिये अध्यापकों को तैयार करना।
४. वेसिक शिक्षा के क्षेत्र में नये अनुसन्धान तथा परीक्षण करना।
- ५ वेसिक विद्यालयों में शिक्षण के लिए नवीन विधियों की खोज करना।
- ६ शिक्षण के लिए सहायक सामग्री तैयार करना, यथा—पुस्तकें, मॉडल, चार्ट और श्रव्य तथा दृश्य साधन।
- ७ वेसिक शिक्षकों की ज्ञान-वृद्धि के लिए उपयुक्त पुस्तकें तथा पढ़ने योग्य अन्य साहित्य प्रकाशित करना।
- ८ वेसिक शिक्षकों, निरीक्षकों एवं अन्य शिक्षाधिकारियों द्वारा अनुभव को जाने वाली कठिनाइयों को दूर करना।

उपरिर्कथित योजना के अनुसार—अब तक भारत के अनेक राज्यों में उत्तर-वेसिक प्रशिक्षण-विद्यालय खोले गये हैं, यथा—आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमालय प्रदेश, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, मैसूर, हैदराबाद और सौराष्ट्र। इन राज्यों में प्रायः सभी प्रशिक्षण-विद्यालय राजकीय हैं, परन्तु कुछ व्यक्तिगत संस्थाएँ भी उनमें सम्मिलित कर ली गई हैं, यथा—जामिया-मिलिया इस्लामिया टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दिल्ली, विद्याभवन, उदयपुर, और श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय, टीचर्स वेसिक सेन्टर, कोयम्बटूर।

योजना के अन्तर्गत उत्तर-वेसिक प्रशिक्षण विद्यालयों के अतिरिक्त, पूर्व-वेसिक प्रशिक्षण विद्यालयों का भी निर्माण किया गया है।

वेसिक शिक्षा की समस्याएँ व कठिनाइयाँ

वेसिक शिक्षा-योजना १९३८ में भारत के विभिन्न प्रान्तों में क्रियान्वित की गई थी। उस समय से लेकर आज तक एक लम्बी अवधि व्यतीत हो चुकी है, परन्तु वेसिक शिक्षा की उतनी प्रगति नहीं हुई है, जितनी वि. आशा थी। यद्यपि वेसिक शिक्षा-प्रणाली प्राचीन शिक्षा-पद्धति से बही उत्तम है, तथापि इसके परिणाम सुन्दर

नहीं निकले हैं।¹ इसके अतिरिक्त, बेसिक शिक्षा को लोकप्रियता भी प्राप्त नहीं हुई है।² इन सब बातों का कारण यह है कि बेसिक शिक्षा की अनेक समस्याएँ हैं, अनेक कठिनाइयाँ हैं। जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जायगा, और जब तक बेसिक शिक्षा के मार्ग में रोड़े अटकाने वाली कठिनाइयों को दूर नहीं किया जायगा, तब तक न तो संतोषजनक परिणाम ही निकलेंगे, और न बेसिक शिक्षा की प्रगति ही होगी। हम इन समस्याओं तथा कठिनाइयों पर नीचे प्रकाश डाल रहे हैं :—

१. सरकार की उदासीनता

प्राथमिक अथवा बुनियादी शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा-संरचना का आधार है। इसी आधार पर शिक्षा के विशाल भवन का निर्माण किया जाना है। इस सिद्धान्त को स्वीकार करने के बावजूद भी प्राथमिक शिक्षा का विकास तथा संगठन करना सरकार का प्रमुख कर्तव्य है, परन्तु इस दिशा में कोई भी रचनात्मक कदम नहीं उठाया गया है। १९५० के भारतीय संविधान में यह बात लेखबद्ध कर दी गई है कि १० वर्ष के अन्दर ६ से १४ वर्ष वाले वय-वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं के लिये सरकार की ओर से निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर दी जायगी। परन्तु खेद है कि इसके लिये कोई ठोस प्रयत्न नहीं किया गया है। जो कार्य-क्रम सरकार द्वारा बनाये गये हैं, उनके आधार पर यह आशा की जाती है कि १९७०-७१ तक ६ से ११ वर्ष वाले वय-वर्ग के ६२.२ प्रतिशत, तथा ११ से १४ वर्ष वाले वय-वर्ग के ४७.४ प्रतिशत बच्चों के लिये शिक्षा-सुविधायें प्राप्त होंगी।³ सरकार की इस प्रत्यक्ष असफलता का प्रमुख कारण यह है कि उसने प्राथमिक शिक्षा के प्रति उदासीनता की नीति का अनुसरण किया है। जबकि विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा के विकास एवं विस्तार तथा उसकी समस्याओं के समाधान के लिये सुझाव देने के उद्देश्य से आयोगों की नियुक्ति की गई है, प्राथमिक बेसिक शिक्षा के लिये इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है। स्पष्ट रूप से सरकार ने अपने एक पुनीत कर्तव्य की अवहेलना की है और अपने एक महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया है।

1. "While the superiority of Basic over the old system is admitted by almost everyone, results have not always been commensurate with the hopes entertained about the system."

—*Progress of Education in India (1947-52)*, p. 27.

2. "The masses have not much liking for it." —D. Muzumdar : "Nai Talim in the Crucible", *Modern Review*, April, 1955, p. 312.

३. चौथी पंचवर्षीय योजना (प्रारम्भिक रूपरेखा), पृ० २२२।

२ बेसिक शिक्षा प्रणाली से जनता की अनभिज्ञता

अपने दीर्घकालीन अस्तित्व के कारण सामान्य शिक्षा पद्धति से भारतीय पूर्णतः अवगत हो चुके हैं और उससे गुण दोषों को मली प्रकार समझते हैं। परन्तु १९३७ में प्रतिपादित बेसिक शिक्षा-प्रणाली से जन-साधारण को पूर्ण परिचय प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार ने इस देश की अधिकांश निरक्षर जनता का ध्यान बेसिक शिक्षा की विधियों एवं उससे होने वाले लाभों की ओर किसी भी प्रकार के प्रचार द्वारा आकर्षित नहीं किया है। यही कारण है कि कुछ क्षेत्रों में जनता ने बेसिक शिक्षा का घोर विरोध किया है।^१ ऐसी परिस्थिति में बेसिक शिक्षा के प्रसार एवं उसकी लोकप्रियता का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता।

३ बेसिक शिक्षा की घलत धारणा

बेसिक शिक्षा का सिद्धान्त प्रतिपादित करते समय गांधी जी का मुख्य उद्देश्य यह था कि बालक को किसी लाभप्रद हस्तशिल्प के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाय। बेसिक शिक्षा-योजना को कार्यान्वित करने वाले व्यक्ति महात्मा जी के इस आदर्श को विस्मृत कर चुके हैं। लगभग सभी बेसिक स्कूलों में कताई पर बल दिया जाता है, और प्रत्येक विषय के शिक्षण की अवधि कठोरतापूर्वक निश्चय कर दी गई है। फलतः, अध्यापकों एवं छात्रों को वह स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त है, जिसके लिये महात्मा गांधी अपनी योजना में प्रयत्नशील थे। ऐसी दशा में बेसिक शिक्षा को लाभ होने की अपेक्षा हानि होने की ही अधिक सम्भावना है।

४. उच्च वर्ग के व्यक्तियों का दृष्टिकोण

भारत में समाजवादी समाज की स्थापना का नारा हमारे नेतागणों द्वारा बुलन्द किया जा रहा है। वे तथा अन्य धनी-मानी व्यक्ति बेसिक शिक्षा का गुणगान करते हैं और उसके प्रसार के लिये लम्बे-लम्बे व्याख्यान देते हैं। परन्तु जब स्वयं उनके बच्चों की शिक्षा का प्रश्न उपस्थित होता है, तब वे उन्हें बेसिक प्राथमिक स्कूल में न भेजकर किसी उत्तम व्यक्तिगत संस्था अथवा पब्लिक स्कूल में भेजते हैं, और इस प्रकार की संस्थाओं का आधे दिन शिला-यास होता है। जब तक यह वर्ग-भेद समाप्त न होगा, जब तक देश के धनी व्यक्तियों, निर्धन कृषकों एवं दरिद्र श्रमिकों के बच्चे एक साथ एक ही प्रकार के प्राथमिक स्कूलों में अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक बेसिक शिक्षा-योजना की सफलता का विचार कल्पना मात्र रहेगा। केवल निम्न वर्गों के लिये इस योजना को उपयुक्त बताना—एक हास्यास्पद तथा लज्जाजनक बात है।

1 "In some cases, the introduction of Basic education appears to have met with resistance from the people and the teaching profession"—*Progress of Education in India (1947-52)*, p 27

५ अभिभावकों का दृष्टिकोण

बेसिक शिक्षा के प्रति अभिभावकों में किसी प्रकार का उत्साह परिलक्षित नहीं होता है। उनका कथन है कि वे अपने बच्चों को स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजते हैं, न कि कताई व बुनाई और गुड़ाई व निकाई के लिये। ये कार्य तो वे घर पर ही कर सकते हैं और अपने इस कार्य से माता-पिता का हाथ भी बँटा सकते हैं। अतः उन्हें स्कूल भेजना व्यर्थ है। जब अभिभावकों का बेसिक शिक्षा के प्रति यह दृष्टिकोण है, तब उसकी प्रगति की आशा करना ही व्यर्थ है।

६ शिक्षकों का अभावप्रस्त जीवन

बेसिक स्कूलों के अध्यापकों को इतना अल्प वेतन मिलता है कि सुख-सुविधा की वस्तुओं को जुटाने की बात तो दूर रही, वे अपने जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को भी पूर्ण करने में असमर्थ रहते हैं। इन असतुष्ट एव अर्द्ध-शुधित अध्यापकों से बेसिक शिक्षा की कठिन प्रणाली को कठिन परिश्रम करके चलाने की आशा की जाती है, यह कितनी हास्यास्पद बात है। जब तक बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों की आर्थिक दशा में सुधार नहीं किया जायगा, तब तक बेसिक शिक्षा की योजना केवल परिहास का ही कारण रहेगी।

७ स्कूल-भवनों का अभाव

बेसिक शिक्षा की असफलता का एक अन्य कारण यह भी है कि स्कूलों के लिए उपयुक्त भवनों का अभाव है। अनेक स्कूल-भवन ऐसे हैं, जिनकी छतें बरसात में टपकती हैं, जिनमें छात्रों के बैठने के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है और जो अस्वस्थ एवं अस्वच्छ वातावरण में स्थित हैं। कितने ही ग्रामीण विद्यालय टूटे-फूटे खडहरो व पुरानी भोपड़ियों में चलते हैं। ऐसे विद्यालयों के छात्रों को वर्ष के अधिकांश भाग में बूझों की शरण लेनी पड़ती है और प्रकृति के प्रतिकूल थपेड़ों को सहन करना पड़ता है। ऐसी दशा में बेसिक शिक्षा में न तो छात्रों की रुचि ही उत्पन्न हो सकती है और न शिक्षा का स्तर ही ऊँचा उठ सकता है।

८. अन्य समस्याएँ एव कठिनाइयाँ

बेसिक शिक्षा की अन्य समस्याएँ व कठिनाइयाँ अप्रलिखित हैं - (१) प्रशिक्षण का भारी व्यय, (२) ग्रामीण जनता की निर्धनता एव निरक्षरता, (३) उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकों तथा शिक्षण-सामग्री का अभाव, (४) दोषपूर्ण पाठ्य-क्रम, और (५) स्थानीय संस्थाओं की घृणास्पद राजनीति।

यदि बेसिक शिक्षा-योजना को सम्पूर्ण भारत में त्रियान्वित किया जाना है और साथ ही बेसिक-शिक्षा के कार्य-क्रम को सफल बनाना है, तो हमें बेसिक-शिक्षा को उपयुक्त समस्याओं तथा कठिनाइयों में मुक्त करना पड़ेगा। इस विनाशकारी कार्य को बेचल सरकार ही सम्पन्न नहीं कर सकेगी, जनता को भी सरकार के साथ बंधे-तो-बन्धों

मिलाकर कार्य में संलग्न होना पड़ेगा। तभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वैसिक शिक्षा-योजना को सफलता प्राप्त होगी।

वैसिक शिक्षा का विहंगावलोकन

वैसिक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। वैसिक शिक्षा में प्रगति तो अवश्य हुई है, परन्तु उसे उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता है। वैसिक प्राथमिक शिक्षा को और भी अधिक सम्पन्न बनाने, प्राथमिक स्कूलों को वैसिक स्कूलों में परिणत करने तथा सामान्य और वैसिक विद्यालयों के भेद-भाव को कम करने के लिये एक राष्ट्रीय कार्य-क्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम की दो प्रमुख विशेषताएँ ये हैं कि—(१) इसके लिये न तो अधिक धन की आवश्यकता है, और (२) न उच्च शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों की।

नवीन जूनियर एवं सीनियर वैसिक स्कूलों को प्रारम्भ करने तथा सामान्य शिक्षा के स्कूलों और अध्यापक-प्रशिक्षण-विद्यालयों को वैसिक ढङ्ग में परिणत करने एवं नवीन वैसिक अध्यापक-प्रशिक्षण-संस्थाओं का निर्माण करने के साथ-साथ परवर्ती-वैसिक क्षेत्र के सुधार की ओर भी ध्यान दिया गया है। १९५५-५६ में एक योजना क्रियान्वित की गई, जिसके अन्तर्गत स्वैच्छिक संघटनों एवं राज्य-सरकारों को नवीन परवर्ती वैसिक स्कूल, जिनमें माध्यमिक शिक्षा दी जा सके और वर्तमान माध्यमिक वैसिक स्कूलों में सुधार करने तथा सीनियर वैसिक स्कूलों में उच्च कक्षाओं को व्यवस्था करने के लिये आर्थिक सहायता दी गई। इस योजना के अतिरिक्त, पोस्ट-वैसिक स्कूल भी स्थापित किये गए हैं, जिससे कि जूनियर और वैसिक सीनियर स्कूलों में अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद छात्र वैसिक प्रणाली पर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर सकें।¹

“राष्ट्रीय वैसिक शिक्षा-संस्था” अपने आरम्भिक काल, फरवरी १९५६ से ही प्रशिक्षण, अनुसन्धान एवं साहित्य प्रकाशन के कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर रही है। इस संस्था ने बच्चों की पुस्तकों की पुरस्कार प्रतियोगिता, बच्चों की पुस्तकों के लेखकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से ‘साहित्य रचनाशालाएँ (Literacy Workshops)’ के आयोजन एवं बच्चा के निमित्त आदर्श पुस्तकों के प्रकाशन की योजनाओं के साथ-साथ, वैसिक शिक्षा के अध्यापकों एवं छात्रों के लिए उपयोगी साहित्य और टीकाओं, महायुक्त पाठ्य-सामग्री तथा मूलाधार पुस्तकों के उत्पादन की योजनाओं का भी श्रोगणेश कर दिया है।²

वैसिक शिक्षा से सम्बन्धित सुधार अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में ही किये गये हैं। सरकार नागरिक क्षेत्रों में भी वैसिक शिक्षा का विस्तार करने की चेष्टा कर रही है।

1. *India*, 1969, p. 65.

2. *Ibid.*

सरकार ने दिल्ली में एच केन्द्रीय बेसिक स्कूल' स्थापित किया है जिससे कि वह नागरिक क्षेत्रों के बेसिक स्कूलों के लिए उदाहरणस्वरूप हो और उन्हें यह दिखा सके कि वे कितनी उन्नति कर सकते हैं। इनमें अनिश्चित देण के पब्लिक स्कूलों में शिक्षा की बेसिक प्रणाली को प्रियाचित करने के प्रदन पर विचार करन हेतु एक विशेष समिति की नियुक्ति हो चुकी है।

पंचवर्षीय योजनाआ के अन्तगत बेसिक शिक्षा को जो प्रास्ताह्न दिया गया है उसके फलस्वरूप देश में इस शिक्षा की सुविधाआ में पर्याप्त विस्तार हुआ है। नये बेसिक स्कूलों की अति विगास सख्या की स्थापना की गई है, और गैर बेसिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिणत करने का काय अति तीव्र गति से चल रहा है। अनेक प्राथमिक विद्यालयों में हस्त शिल्प का शिक्षण इसलिये प्रारम्भ कर दिया गया है, जिससे कि उनको बेसिक स्कूलों में सरलता से परिवर्तित किया जा सके। बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की माँग की पूर्ति करने के लिये नये बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय निर्मित किये गये हैं और विद्यमान प्रशिक्षण सस्थाओं में छात्राध्यापकों की सख्याआ में वृद्धि कर दी गई है। जो शिक्षक परम्परागत विधि से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उनको लाभचित करने के लिए बेसिक प्रशिक्षण-सस्थाओं में अल्पकालीन प्रशिक्षण योजना कार्याचित कर दी गई है।

बेसिक शिक्षा के प्रसार में केन्द्रीय सरकार में अति सराहनीय काय किये हैं। हम उनका वणन अधोलिखित शीपकों में कर रहे हैं —

१. पोस्ट-बेसिक शिक्षा—केन्द्रीय सरकार ने पोस्ट-बेसिक विद्यालयों के निर्माण और प्रगति के लिए एक योजना का निर्माण किया है। इसके अनुसार राज्य सरकारों को इस प्रकार के विद्यालयों का सम्पूर्ण ध्यय और व्यक्तिकत संगठना को व्यय का ६० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है।

२. परिवर्तन का कार्यक्रम—सन १९५६ में ११ मई से १३ मई तक इलाहाबाद में प्राथमिक विद्यालयों को बेसिक रूप प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय सेमिनार हुआ जिसमें सभी राज्यों के शिक्षा सचालकों ने भाग लिया। सेमिनार में प्राथमिक विद्यालयों की बेसिक स्कूलों में परिणत करने की समस्याआ पर विचार किया गया और उन समस्याआ के समाधान हेतु सुझाव भी दिये गए। सेमिनार ने इस बात की सिफारिश की कि तृतीय योजना के अन्त तक प्राथमिक विद्यालयों को बेसिक स्कूलों में परिणत करने का काय समाप्त कर दिया जाय।

३. बेसिक शिक्षा के लिए साहित्य एवं अय सामग्री का निर्माण—बेसिक शिक्षा के लिए उपयुक्त साहित्य एवं अय वाञ्छित सामग्री का निर्माण करने के लिए ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। इस काय पर प्रति वय लगभग एक लाख रुपया व्यय किया जा रहा है। इस काय के अतगत अब तक शिक्षकों के लिए ६ निर्देशन पुस्तकें (Guide Books) चुनी जा चुकी हैं और बालकों के लिए सामान्य विज्ञान पर २५ पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है। इस काय के अतगत विभिन्न हस्तशिल्पों की शैक्षिक सम्भावनाओं पर पांच शोध योजनाओं (Research Projects) पर काम हो चुका है।

४ सेन्ट्रल वेसिब स्कूल, नई दिल्ली—नई दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक-स्तर का एए नगरीय वेसिब स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस स्कूल का निर्माण करने का उत्तरदायित्व दिल्ली की 'गांधी स्मारक निधि' को दिया गया है।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा—अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का भार राज्य-सरकारों पर है। 'अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा-गरिपद'—केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को प्राथमिक शिक्षा-सम्बन्धी परामर्श देती है। प्राथमिक शिक्षा का उद्वहन करने के लिये 'राज्य-शिक्षा-संस्थानों' की स्थापना की गई है। लगभग सभी राज्यों में प्राथमिक शिक्षा-अधिनियम लागू कर दिये गये हैं। १९७३-७४ में ६-१४ वय-वर्ग के ८६८ करोड़ बच्चों को दाखिला दिया जायगा।

वेसिब शिक्षा—'केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड' देश में वेसिब शिक्षा की योजना को कार्यान्वित करने की सिफारिश की। १९४८ की 'लेर-समिति' ने योजना-सम्बन्धी अनेक सुझाव दिये। अतः १९५० से पूर्व ही भारत-सरकार ने देश में वेसिब शिक्षा की योजना को लागू कर दिया।

वेसिब शिक्षा की प्रगति—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में ६ से ११ वर्ष वाले वय वर्ग के लगभग ५० प्रतिशत और द्वितीय योजना में लगभग ६० प्रतिशत बच्चा की शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो गई। तृतीय योजना में ५७, ७६० प्राथमिक विद्यालयों को वेसिब स्कूलों में परिवर्तित किया गया। केन्द्रीय सरकार वेसिब शिक्षा की प्रगति में योग दे रही है। वह राज्य-सरकारों द्वारा वेसिब शिक्षा पर किये गये व्यय का ३० प्रतिशत वार्षिक सहायता-अनुदान के रूप में देती है।

वेसिब शिक्षकों का प्रशिक्षण—वेसिब शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये प्रत्येक राज्य में राजकीय वेसिब ट्रेनिंग स्कूल और कॉलेज हैं। कुछ व्यक्तिगत संस्थाएँ भी इस दिशा में कार्य कर रही हैं। कुछ राज्यों में उत्तर-वेसिब प्रशिक्षण विद्यालय भी स्थापित किये गये हैं।

वेसिब शिक्षा की समस्याएँ व कठिनाइयाँ—(१) सरकार की उदासीनता, (२) वेसिब शिक्षा प्रणाली से जनता की अनभिज्ञता, (३) वेसिब शिक्षा की गलत धारणा, (४) उच्च वर्ग के व्यक्तियों का दृष्टिकोण, (५) अभिभावकों का दृष्टिकोण, (६) शिक्षकों का अभावग्रस्त जीवन, (७) स्कूल भवनों का अभाव, (८) प्रशिक्षण का भारी व्यय, (९) ग्रामीण जनता की निर्धनता एवं निरक्षरता, और (१०) दोषपूर्ण पाठ्य क्रम तथा पाठ्य-पुस्तक का अभाव।

TEST QUESTIONS

- 1 How has the Government of India tried to tackle the various problems connected with the Basic Education during the last five years ?

पिछले पाँच वर्षों में भारत-सरकार ने बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिये क्या प्रयास किये हैं ?

2. "While the superiority of Basic System over the old system is admitted by almost everyone, results have not always been commensurate with the hopes entertained about the system." Comment on the statement and give reasons in support of your answer.

"यद्यपि बेसिक प्रणाली को प्राचीन प्रणाली से सभी व्यक्तियों द्वारा श्रेष्ठ माना जाता है, पर इस प्रणाली के परिणाम सदैव आशाओं के अनुरूप नहीं हुए हैं।" इस कथन की आलोचना कीजिये और अपने उत्तर की पुष्टि में कारण दीजिये।

माध्यमिक शिक्षा और उसके दोष (१९४७-१९७१)

प्रस्तावना

हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा का समुचित संगठन किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा का व्यक्तियों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दशाओं पर अत्यधिक व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वतन्त्र भारत में समितियों एवं आयोगों की नियुक्तियाँ की गईं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं :—

१. ताराचन्द समिति^१ (१९४८)—इस समिति की अनेक सिफारिशों में से एक महत्त्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि माध्यमिक स्कूल बहुमुखी (Multilateral) होने चाहिये, परन्तु स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक-मुखी (Unilateral) स्कूलों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। 'समिति' की एक सिफारिश यह भी थी कि माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं की जाँच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाय।

२. विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग^२ (१९४८-४९)—इस 'आयोग' का प्रमुख उद्देश्य—विश्वविद्यालय-शिक्षा की जाँच करना था, परन्तु इसने माध्यमिक शिक्षा का भी परीक्षण किया और अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये। 'आयोग' के मतानुसार शिक्षा की सम्पूर्ण संरचना में माध्यमिक शिक्षा सबसे 'निर्बल कड़ी' (Weakest Link) थी। 'आयोग' ने कहा कि स्कूल या इण्टरमीडिएट कॉलेज में १२ वर्ष अध्ययन करने के

१. Tarachand Committee.

२. University Education Commission.

उपरान्त ही छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दी जाय। इस आयोग का विस्तृत वर्णन आगे किया जायेगा।

३. माध्यमिक शिक्षा-आयोग^१ (१९५२-५३)—‘ताराचन्द समिति’ और ‘केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड’ की सिफारिशों के फलस्वरूप ‘माध्यमिक शिक्षा-आयोग’ की नियुक्ति की गई, जिसने माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन किया और उसके सुधार के सम्बन्ध में बहुमूल्य सुझाव दिये। इस आयोग का विस्तृत वर्णन अध्याय २३ में किया जायगा।

माध्यमिक विद्यालयों के प्रकार

इस समय भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के विद्यालय दृष्टिगोचर होते हैं, जिनमें माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाती है, यथा—मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक स्कूल, टेकनिकल स्कूल, बहुउद्देशीय स्कूल (Multi-Purpose Schools), सीनियर बेसिक स्कूल, उत्तर-बेसिक स्कूल (Post-Basic Schools), और इण्टरमीडिएट कॉलेज।

इस समय देश में माध्यमिक शिक्षा के २६,८८३ उपविभाग (Sections) हैं। इनमें से २६.८१ प्रतिशत ऐसे स्कूलों से हैं, जिनमें केवल माध्यमिक शिक्षा दी जाती है; ४८.६४ प्रतिशत ऐसे स्कूलों में हैं, जिनमें केवल मिडिल और माध्यमिक स्तर की शिक्षा दी जाती है, और २४.५४ प्रतिशत ऐसे स्कूलों में है, जिनमें प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक शिक्षा दी जाती है।^२

माध्यमिक शिक्षा का प्रसार

भारत में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार अति तीव्र गति से हुआ है। इसकी पुष्टि निम्नांकित तालिका से दी जाती है^३ :—

वर्ष	स्कूल-संख्या	छात्र-संख्या	शिक्षक-संख्या	व्यय (करोड़ रुपये में)
१९५०-५१	२०,८८४	५२,३२,००६	२,१२,०००	३०.७४
१९५५-५६	३२,५६८	८५,२६,५०६	३,३८,१८८	६२.०२
१९६०-६१	६६,६२०	१,८१,२२,३५६	६,४१,६८६	१११.८३
१९६१-६२	७५,२२१	२,०५,६५,७३६	७,१२,५६०	१२७.६६
१९६२-६३	८२,८१७	२,२६,७०,११६	७,६०,०७१	१४७.०५
१९६३-६४	८८,५८४	२,४७,३६,६६६	८,५२,००७	१६६.८८
१९६४-६५	९६,१५०	२,५२,६५,०००	८,८६,७५०	१८४.३३
१९६५-६६	१,२०,१५०	२,५८,०५,७३६	—	—

1. Secondary Education Commission.
2. Second All-India Educational Survey, p. 58.
3. India, 1969, p. 64.

केन्द्रीय सरकार और माध्यमिक शिक्षा

केन्द्रीय सरकार माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन एवं सुधार के लिये ठोस कदम उठा रही है। 'माध्यमिक शिक्षा-आयोग' की सिफारिश के अनुसार सरकार ने १९५५ में 'अखिल भारतीय माध्यमिक परिषद्' ¹ की स्थापना की। इसका प्रमुख उद्देश्य—माध्यमिक शिक्षा का प्रसार करना और इस शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्रीय एवं राज्य-सरकारों को परामर्श देना है। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये दिल्ली में स्थित 'सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन' ² का विस्तार किया गया है। माध्यमिक विद्यालयों की पाठ्य पुस्तकों में सुधार करने के निमित्त दिल्ली में केन्द्रीय पाठ्य पुस्तक अनुसन्धान ब्यूरो ³ की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त अग्रजी शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के विचार से १९५८ में हैदराबाद में 'सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश' ⁴ स्थापित किया गया है। इस सस्था में अग्रजी शिक्षण के सम्बन्ध में अनुसन्धान-कार्य और शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाता है। ⁵

माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणात्मक उन्नति करने के लिये केन्द्रीय सरकार १९६४-६५ से विज्ञान शिक्षण, विज्ञान शिक्षकों के प्रशिक्षण और पुस्तकालयों की सम्पन्नता पर विशेष बल दे रही है। 'नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन' में 'विज्ञान-विभाग' की स्थापना की गई है, जो माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण के लिये उचित पाठ्य क्रम, पाठ्य पुस्तकें, उपकरणों और शिक्षण विधियों आदि के बारे में नवीन खोज करता रहता है। ⁶

पंचवर्षीय योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा

'माध्यमिक शिक्षा-आयोग' ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के सम्बन्ध में जो ढाँचा बनाया था, उसे कार्यान्वित करने का कार्य पंचवर्षीय योजनाओं में प्रारम्भ कर दिया गया है। चतुर्थ योजना में इस कार्य के लिये १,२१० करोड़ रुपये की धन राशि निर्धारित की गई है, जबकि तृतीय, द्वितीय तथा प्रथम योजना में यह धन राशि क्रमशः ८८ करोड़, ४८ करोड़ और २० करोड़ थी। ⁷ इस प्रकार यह आशा की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा का नवीकरण एक कदम और आगे बढ़ेगा। अन्य कार्य-क्रमों में इस समय वर्तमान हुई स्कूलों का एक अनुपात उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तथा

1 All India Council for Secondary Education

2 Central Institute of Education

3 Central Bureau of Text-Book Research

4 Central Institute of English

5 Hindustan Year-Book, 1970, p 181

6 21st Year of Freedom, p 124

7 चौथी पंचवर्षीय योजना, पृ० २२१।

बहु-उद्देशीय स्कूलों में पारंगत किया जायगा तथा नये बहु-उद्देशीय स्कूलों की स्थापना की जायगी। प्रथम तथा द्वितीय योजना-काल में २,११५ बहु-उद्देशीय विद्यालयों के निर्माण का आयोजन किया गया था।^१ तृतीय योजना के अन्त में इन विद्यालयों की संख्या ३६०७ थी।^२

द्वितीय योजना में माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान के शिक्षण की व्यवस्था के प्रति विशेष ध्यान दिया गया है। इस योजना की समाप्ति पर १४,००० माध्यमिक विद्यालयों में से ११,५०० में विज्ञान की शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध हो चुकी हैं।^३ तृतीय योजना-काल में सभी माध्यमिक स्कूलों में सामान्य-विज्ञान के अनिवार्य विषय की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त २१,६०० माध्यमिक स्कूलों में से ६,५०० से अधिक में विज्ञान ऐच्छिक विषय के रूप में भी पढाया जाने लगा।

माध्यमिक शिक्षा का विहंगावलोकन

१९५२ के 'माध्यमिक शिक्षा-आयोग' की सिफारिशों और 'केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड' के परामर्शों के अनुसार भारत-सरकार ने यह निश्चय किया कि माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का होगा —

१. ८ वर्ष की एकीकृत प्राथमिक वेसिक शिक्षा।
२. ३ या ४ वर्ष की विविध पाठ्यक्रमों (Diversified Courses) की माध्यमिक शिक्षा।
३. हायर सेकण्डरी के बाद प्रथम डिग्री (बी० ए०, बी० एस-सी०, बी० कॉम०) प्राप्त करने के लिये ३ वर्ष की विश्वविद्यालय-शिक्षा।^४

उत्तर प्रदेश, गुजरात, मद्रास, केरल और नागादेश के अतिरिक्त सभी राज्य माध्यमिक शिक्षा को उपरोक्त स्वरूप के अनुसार पुनर्गठित करने के लिये प्रयत्नशील हैं। पर सब राज्यों को आर्थिक और प्रशासकीय कठिनाइयों तथा प्रशिक्षित अध्यापकों के अभाव के कारण समान सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से हो जाती है कि १९६४-६५ के कुल २५,०१७ माध्यमिक विद्यालयों में केवल ६,१२८ उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे। इन सब विद्यालयों में १९५५-५६ में छात्रों की संख्या २६ लाख से बढ़कर १९६५-६६ में ५४ लाख हो गई।^५ १९६६-७० में मिडिल स्कूलों में ६ लाख ४० हजार और हाई व हायर सेकण्डरी स्कूलों में ५ लाख

1. संक्षिप्त तीसरी पंचवर्षीय योजना, पृ० १५१।

2. *The Times of India Directory & Year-Book*, 1967, p 142.

3. तीसरी पंचवर्षीय योजना (प्रारम्भिक रूपरेखा), पृ० ६६।

4. *India*, 1969, p 64.

5. *Ibid.*

३० हजार नये दाखिलो का लक्ष्य रखा गया है।¹ १९७३-७४ में ६वीं से ११वीं कक्षाओं तक ३ लाख ८० हजार नये दाखिलो की आशा है।²

‘शिक्षा-आयोग ने विश्वविद्यालय की प्रथम डिग्री प्राप्त करने के लिये १५ वर्ष (१० वर्ष की हाई स्कूल शिक्षा २ वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और ३ वर्ष की प्रथम डिग्री की शिक्षा) की अवधि निश्चित की है।³ कुछ राज्यों ने ‘शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित की जाने वाली यह अवधि स्वीकार कर ली है और वे चौथी योजना के अन्त तक अपनी शिक्षा-संस्थाओं में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को इसके अनुरूप बना देंगे।⁴

उपरोक्त छात्र संख्याओं से विदित हो जाता कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा का काफी विस्तार हुआ है। पर अब सरकार द्वारा शिक्षा के विस्तार की अपेक्षा शिक्षा के स्तर को सुधारने पर अधिक बल दिया जा रहा है। शिक्षा सुधार की योजनाओं के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को विविध रूपों बनाने के लिये अब तक देश के विभिन्न भागों में लगभग ४००० बहु-उद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है।

सरकार माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप को इस प्रकार पुनर्गठित करने का प्रयास कर रही है जिससे कि उसका प्रमुख लक्ष्य—कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों के लिये कुशल व्यक्ति तैयार करना हो जाय। इस लक्ष्य को सामने रखकर व्यावसायिक शिक्षा को सबसे अधिक महत्त्व दिया जा रहा है। छात्रों का शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्ग प्रदर्शन करने के लिये अनेक राज्यों में ‘शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्ग प्रदर्शन राज्य कार्यालयों’⁵ की स्थापना की जा चुकी है।⁶ केन्द्रीय सरकार इन कार्यालयों को और जहाँ ये नहीं हैं, वहाँ इनको स्थापित करने के लिये शत प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता देती है।

विज्ञान की शिक्षा पर पहले से अधिक बल दिया जा रहा है। माध्यमिक विद्यालयों के विज्ञान के अध्यापकों को पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से अध्ययन करने और ‘समीक्षकालीन संस्थानों’ (Summer Institutes) में भाग लेने के लिये प्रोत्साहन

1 नवभारत टाइम्स ३० अगस्त, १९६६।

2 *Hindustan Times*, 21 April, 1969

3 *India* 1969, p 64

4 *Hindustan Times*, 21 April, 1969

5 State Bureaux of Educational & Vocational Guidance

6 *Hindustan Year-Book*, 1970, p 181

दिया जा रहा है, जिससे उनके ज्ञान और पढ़ाने की कुशलता में वृद्धि हो। 'राष्ट्रीय शिक्षा-अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्'¹ ने 'विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग' एवं 'संयुक्त राज्य-सहायता-कोष' के सहयोग से १९६७-६८ में देश के विभिन्न भागों में विज्ञान के विभिन्न विषयों में ५६ ग्रीष्मकालीन संस्थानों का आयोजन किया, जिनसे लगभग २८,००० शिक्षक लाभान्वित हुए।²

विज्ञान की शिक्षा में सुधार करने के लिये केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकारों को माध्यमिक विद्यालयों की प्रयोगशालाओं को पूर्ण रूप से सुसज्जित करने, विज्ञान के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने और 'राज्य-विज्ञान-शिक्षा-संस्थाओं'³ की स्थापना करने में होने वाले व्यय का आधा भार वहन करती है। अब तक ११ राज्यों में 'राज्य-विज्ञान-शिक्षा-संस्थाओं' की स्थापना हो चुकी है।⁴

'राष्ट्रीय शिक्षा-अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण-परिषद्'—अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मँसूर के 'प्रादेशिक कॉलेजों' (Regional Colleges) का संचालन करती है। इन कॉलेजों के मुख्य कार्य हैं—बहु-उद्देशीय विद्यालयों के लिये शिक्षकों को तैयार करना, विस्तार-सेवाओं (Extension Services) के लिये प्रादेशिक केन्द्रों के रूप में कार्य करना, विज्ञान के शिक्षकों के ज्ञान एवं कुशलता में वृद्धि करना, शिक्षक-प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिये पत्राचार-पाठ्यक्रम का आयोजन करना।⁵

उक्त 'परिषद्' ने पाठ्य-पुस्तकों और शिक्षा-सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित करने का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 'परिषद्' ने १९६७-६८ में ३१ आदर्श पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन किया एवं निकट भविष्य में इस प्रकार की २५ पुस्तकों और प्रकाशित होने वाली है। अहिन्दी क्षेत्रों के लिये हिन्दी की पाठ्य-पुस्तकों को प्रकाशित करने की योजना 'परिषद्' के विचाराधीन है।⁶

देश में कुछ वर्षों से 'केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय' द्वारा स्थापित किये गये 'केन्द्रीय विद्यालय' कार्य कर रहे हैं। ये सावास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें विशेष रूप से सैनिक और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश मिलता है। इन स्कूलों में अंग्रेजी और हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है और सभी स्कूलों का पाठ्यक्रम एक-सा है। इन स्कूलों के छात्रों के लिये 'अखिल भारतीय

1. National Council of Educational Research & Training, (NCERT).

2. 21st Year of Freedom, p. 124.

3. State Institutes of Education.

4. 21st Year of Freedom, p. 121.

5. Ibid, p. 121.

6. Ibid, p. 124.

उच्चतर माध्यमिक परीक्षा' की व्यवस्था की गई है, जिसकी व्यवस्था दिल्ली में स्थापित 'केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा-बोर्ड'¹ द्वारा की जाती है। केन्द्रीय विद्यालयों के संचालन और प्रशासन का भार 'केन्द्रीय विद्यालय संगठन' नामक समिति पर है। इस समय सम्पूर्ण देश में ११८ केन्द्रीय विद्यालय हैं, जिनमें ५७,००० छात्र और छात्राओं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं।²

माध्यमिक परीक्षा-प्रणाली में सुधार करने के लिये लगभग सब राज्यों में 'मूल्यांकन यूनिटों' (Evaluation Units) की स्थापना की जा चुकी है।³

साराश में, माध्यमिक शिक्षा को नये सिरे से सुधारने की दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं और एक ऐसी पद्धति का विकास करने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिससे विश्वविद्यालयों में आज जो इतनी भीड़भाड़ दिखाई दे रही है, वह रुक जाय। इसके साथ ही, माध्यमिक विद्यालय छोड़ने वालों को ऐसा प्रशिक्षण देने की योजना बनाई जा रही है, जिससे उनको रोजगार मिल सके और जब वे जीवन में प्रवेश करें, तब उत्पादक कार्यकर्त्ता सिद्ध हो।⁴

माध्यमिक शिक्षा के दोष

शिक्षा की संरचना में माध्यमिक शिक्षा का स्थान अति महत्वपूर्ण है। यह प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च-शिक्षा को जोड़ने वाली एक कड़ी है। परन्तु खेद का विषय है कि यह सबसे निर्बल कड़ी है। आज माध्यमिक शिक्षा में इतने दोष उत्पन्न हो गये हैं कि जब तक उनका निराकरण नहीं किया जायगा, तब तक समग्र रूप से भारतीय शिक्षा का उन्नयन असम्भव है। यही कारण है कि आधुनिक भारत में माध्यमिक शिक्षा की बटु आलोचना हो रही है और सर्वत्र उसमें सुधार करने के लिए आवाज़ बुलन्द की जा रही है। संक्षेप में, हमारी माध्यमिक शिक्षा के दोष निम्नांकित हैं—

१. उद्देश्य-विहीनता

माध्यमिक शिक्षा उद्देश्य-विहीन है। स्वतन्त्र भारत में भी शिक्षा का वही उद्देश्य है, जो परतन्त्र भारत में था। शिक्षा केवल इस उद्देश्य से प्राप्त की जाती है कि कोई नौकरी मिल जाय। आवश्यकता इस बात की है कि माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा की प्रेरक न रखकर एक स्वतन्त्र इकाई बना दिया जाय। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए—छात्रों को स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की क्षमता

1. Central Board of Secondary Education.

2. *21st Year of Freedom*, p. 121.

3. *India*, 1969, p. 64.

4. चौथी पंचवर्षीय योजना, (प्रारम्भिक रूपरेखा), पृ० २२४।

प्रदान करना। अतः यह आवश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा, छात्रों की व्यावसायिक एवं उत्पादक क्षमता का विकास करे।

२. अनुपयुक्त पाठ्य-क्रम

माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्य-क्रम एक-मार्गीय (Single Track) है। सभी विद्यार्थियों को एक पूर्व-निर्धारित पाठ्य-क्रम का अध्ययन करना पड़ता है। छात्रों को अपनी रुचि एवं जिज्ञासा के अनुसार विषयों के चयन का अवसर प्राप्त नहीं होता है। परिणाम यह होता है कि उनके मौलिक विचारों एवं मानसिक शक्तियों का विकास नहीं हो पाता है। साथ ही, पाठ्य-क्रम का विद्यार्थियों के वातावरण और वास्तविक एवं व्यावहारिक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है, फलतः जीवन-क्षेत्र में पदार्पण करने पर वे अपने को एक ऐसी विचित्र स्थिति में पाते हैं कि वे सामाजिक वातावरण से अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं।¹ आवश्यकता इस बात की है कि पाठ्य-क्रम का विस्तार किया जाय और उसमें विभिन्न उद्योगों, व्यवसायों तथा कृषि-सम्बन्धी विषयों का समावेश किया जाय और छात्रों को उनकी रुचियों के अनुसार विषयों को चुनने में विशेषज्ञों द्वारा सहायता दी जाय।

३. अनुशासनहीनता

वर्तमान माध्यमिक शिक्षा का एक प्रमुख दोष है—अनुशासनहीनता। छात्रों पर अनुशासनहीन होने का आक्षेप लगाना अनुचित है। वस्तुतः शिक्षा-प्रणाली, परीक्षा-पद्धति, उद्देश्य-विहीन शिक्षा आदि कुछ ऐसी बातें हैं, जिनके फलस्वरूप छात्रों में अनुशासनहीनता की उत्पत्ति पर आश्चर्य नहीं किया जा सकता है। हम यह स्वीकार करने को उद्यत हैं कि राजनैतिक आन्दोलन छात्रों में अनुशासनहीनता के लिए कुछ सीमा तक उत्तरदायी हैं, परन्तु पूर्णतः नहीं। निम्न सामाजिक मूल्यों का भी समाज के सदस्य के रूप में छात्रों पर प्रभाव पड़ा है। फिर आर्थिक कठिनाइयों में ग्रस्त अध्यापकों ने इस बात की चिन्ता करना छोड़ दिया है कि विद्यार्थी समाज किस दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। इन कारणों के अतिरिक्त भद्दे चलचित्रों, कामोद्दीपक फिल्मी गानों एवं जातीय पक्षपात ने भी छात्रों की अनुशासनहीनता में अत्यधिक योगदान किया है। अतः यदि हम इस देशव्यापी अनुशासनहीनता का निराकरण करने के इच्छुक हैं, तो हमें उपर्युक्त सभी दोषों के निवारण की ओर समुचित ध्यान देना

1. "The education given in our schools is isolated from life. The curriculum as formulated and as presented through the traditional methods of teaching does not give the students insight into the everyday world in which they are living. When they pass out of school, they feel ill-adjusted and cannot take their place confidently and competently in the community."—Report of the Secondary Education Commission, p. 22.

पड़ेगा। साथ ही छात्रों को जीवन में अनुशासन का महत्त्व बताकर उनके अन्तर में अनुशासन के प्रति प्रेम एवं श्रद्धा की भावना को जाग्रत करना होगा। यह कार्य तभी सम्पन्न किया जा सकता है—जब सरकार, जनता और अभिभावक दृढ़ निश्चय करके इस दिशा में एक साथ त्रियात्मक पग उठाएँ।

४ व्यक्तिगत स्कूलों की अवाछनीय वृद्धि

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा प्रसार के नाम पर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। परन्तु यह वृद्धि अवाछनीय होने के साथ-साथ छात्रों, अध्यापकों एवं अन्त में देश के लिए अभिशाप सिद्ध हुई है। इनमें से अधिकांश स्कूल किसी जाति विशेष, राजनैतिक दल या सेठ-साहूकार की निजी सम्पत्ति हैं, जिनमें जातिवाद का ताण्डव नृत्य होता है, जिन्हें राजनैतिक रगमच में परिणत कर दिया है और जो प्रबन्धकों की आय के निश्चित साधन हो गए हैं। अध्यापकों को अल्प वेतन पर नियुक्त किया जाता है, उनके वेतन में से कटौती की जाती है और प्रीम्पावकाश में उनसे त्याग-पत्र ले लिया जाता है। ऐसे स्कूलों के अनुशासन, शिक्षा-स्तर एवं शिक्षकों और छात्रों के चरित्र का अनुमान सरलतापूर्वक लगाया जा सकता है। स्कूल निरीक्षक भी ऐसे स्कूलों के प्रति या तो स्वयमेव उदासीन हो जाते हैं, या कोई कड़ी कार्यवाही करने को इच्छा करने पर भी अपने को असमर्थ पाते हैं, क्योंकि उनमें स्कूल प्रबन्धकों से लोहा लेने की शक्ति नहीं होती है। ये व्यक्तिगत स्कूल माध्यमिक शिक्षा के भाल पर ऐसे कलक-बिन्दु हैं, जिनको शीघ्रातिशीघ्र धो डालना आवश्यक है। यह कार्य करने की सामर्थ्य केवल सरकार में है, और केवल शिक्षा का राष्ट्रीयकरण ही इसका एकमात्र उपाय है।

५ शिक्षा का निम्न स्तर

माध्यमिक शिक्षा का एक अन्य स्पष्ट दोष यह है कि शिक्षा का स्तर निम्न है। इसके लिये मुख्य रूप से हमारी सरकार उत्तरदायी है, क्योंकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त सरकार का ध्यान शिक्षा प्रसार पर ही केन्द्रित रहा है, और उसकी गुणात्मक उन्नति की ओर तनिक भी नहीं गया है। परन्तु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं। युद्धजनित मँहगाई के कारण सभी वस्तुओं के मूल्यों में कई गुना वृद्धि हो गई है परन्तु शिक्षकों का वेतन वही है, जो युद्ध से पूर्व था। सरकार शिक्षकों की दशा की ओर पूर्णतः उदासीन रही है जबकि अन्य विभागों में कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन और मँहगाई दी जा रही है। शिक्षकों को इतना वेतन नहीं मिलता है कि वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर लें। ऐसी दशा में उनकी कार्य-क्षमता कम हो जाना और उनके द्वारा कार्य की उपेक्षा किया जाना स्वाभाविक है। फिर अनेक विद्यालय ऐसे हैं, जिनके पास इतना भी धन नहीं है कि वे उपयुक्त भवन और पाठ्य-सामग्री की व्यवस्था कर लें। इन सभी बातों ने शिक्षा के स्तर पर अपना कुप्रभाव डाला है और उसका स्तर निम्न हो गया है। वर्तमान परिस्थितियों में

चरका का यह मत कर्तव्य हो जाता है कि वह इन स्कूलों की ओर ध्यान दे और उनके शिक्षक-पुत्र को उद्योग का पूरा-पूरा प्रदान करे।

६. दौलतुन परीक्षा-प्रणाली

सांख्यिक परीक्षा-प्रणाली में एक नयी, अतिवृद्ध अनेक दोष भरे हुए हैं। इस प्रणाली में अतिवृद्ध ही दोषों का उल्लेख किया जान, उद्योग ही रुक हैं। वस्तुतः यह भारत की साम्प्रदायिक, सामाजिक एवं राजनैतिक प्रणाली से भी अधिक बुरी है। 'मिड्रीकुलेशन' परीक्षा का सम्पूर्ण सांख्यिक शिक्षा पर शासन है। एक विद्यालय और उसके शिक्षकों तथा छात्रों की संख्या परीक्षा की बसौटी पर जाँची जाती है। यही विद्यालय उत्तम समझा जाता है, जिसका परीक्षा-फल उत्तम होता है। ऐसी परिस्थितियों में अध्यापक उत्तम परीक्षा-फल देने के लिये अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थी ज्ञान के बर्जन से वास्तविक लाभ उठाने की अपेक्षा केवल पुस्तकों को संभवतः रटने हैं, जिससे उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो। परिणाम यह होता है कि उनके मस्तिष्क तथा व्यक्तित्व का विकास अवस्था हो जाता है। परीक्षा ही छात्रों के ज्ञान और अध्यापकों की कार्य-क्षमता की वास्तविक बसौटी नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि वर्तमान परीक्षा-प्रणाली में इस प्रकार परिवर्तन किया जान, जिससे छात्र अर्जित ज्ञान से लाभान्वित हो सकें और अध्यापकों की कार्य-क्षमता को भी आँका जा सके।

७. सुसंगठित सामाजिक जीवन का अभाव

विद्यालयों में सुसंगठित सामाजिक जीवन का सर्वथा अभाव है। कारण यह है कि खेल, पर्यटन, शारीरिक व्यायाम तथा विनोदात्मक एवं सामाजिक प्रियाओं का कोई भी आयोजन नहीं किया जाता है, जिससे छात्रों में सम्पर्क स्थापित हो और उनमें घनिष्ठता बढे। इसके अतिरिक्त स्कूलों में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा का पूर्ण अभाव है। इस प्रकार सामान्यतः एक साधारण स्कूल—एक फौजदारी के समान होता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य—छात्रों को 'मिड्रीकुलेशन' परीक्षा में उत्तीर्ण कराना होता है। इसके अतिरिक्त भी स्कूलों के कुछ और कार्य हैं। उन्हें छात्रों को देश के भागी नागरिकों के रूप में तैयार करना है। अतः जब तक छात्रों को विद्यालयों में सुसंगठित सामाजिक जीवन व्यतीत करने की शिक्षा नहीं दी जायगी, तब तक ये देश के मुशक एवं कर्तव्यनिष्ठ नागरिक नहीं बन सकेंगे।

निष्कर्ष

हमने ऊपर माध्यमिक शिक्षा के दोषों की ओर संकेत किया है। यहाँ यह कहना आवश्यक नहीं है कि उन दोषों का दीर्घातिशील उन्मूलन आवश्यक है। बिना ऐसा किये उच्च शिक्षा में सुधार और देश की प्रगति की आशा करना व्यर्थ है। इस प्रकार की दोषपूर्ण शिक्षा प्राप्त करके हमारे नवयुवक कदापि देश के योग्य नागरिक

नहीं बन सकते हैं। विद्यालय ही वे स्थान हैं, जहाँ छात्रों के चरित्र एवं देश के भावी नागरिकों का निर्माण होता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे विद्यालय और उनमें प्रदान की जाने वाली शिक्षा पूर्णतः दोष रहित हो। हमारी शिक्षा प्रणाली में माध्यमिक शिक्षा—सबसे दुर्बल सस्थान (Weakest Spot) है। हम उसे सबसे शक्तिशाली सस्थान बनाना हैं। तभी हम सभ्य देशों के माथे दौड़ में आगे निकल सकेंगे।

साराश में, हमारी माध्यमिक शिक्षा स्वतन्त्र भारत की आकांक्षाएँ एवं आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसे भारत के प्रत्येक नवयुवक को अपने देश का योग्य नागरिक बनाना चाहिए।¹

साराश

माध्यमिक शिक्षा—माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की आवश्यकता का अनुभव करके 'ताराचन्द समिति', विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग और 'माध्यमिक शिक्षा आयोग' की नियुक्तियाँ की गईं। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् माध्यमिक विद्यालयों और उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में अति सराहनीय प्रगति हुई है।

केन्द्रीय सरकार और माध्यमिक शिक्षा—केन्द्रीय सरकार ने माध्यमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिये 'अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्' की स्थापना की है 'सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ़ ऐजुकेशन' को विस्तृत किया है और 'केन्द्रीय पाठ्य पुस्तक अनुसन्धान ब्यूरो' का निर्माण किया है।

पंचवर्षीय योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा—पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत 'माध्यमिक शिक्षा-आयोग' द्वारा बनाये गये ढाँचे को कार्यान्वित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रथम योजना में इस कार्य पर २० करोड़ रुपये, द्वितीय योजना में ४८ करोड़ रुपये और तृतीय योजना में ८८ करोड़ रुपये व्यय किया गया। चतुर्थ योजना में १,२१० करोड़ रुपये व्यय किया जायगा। द्वितीय योजना के अन्त तक २,११५ बहु उद्देशीय विद्यालय स्थापित किये गये। तृतीय योजना के अंत में इनकी संख्या ३,६०७ थी।

माध्यमिक शिक्षा के दोष—(१) उद्देश्य विहीनता, (२) अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, (३) अनुशासनहीनता (४) व्यक्तिगत स्कूला की अबाधनीय वृद्धि, (५) निम्न शिक्षा स्तर, (६) दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, और (७) सुसंगठित सामाजिक जीवन का अभाव।

1 'In short, our education must be brought into line with the aspirations and requirements of free India. It should train every young Indian to be a worthy son of his motherland.'

TEST QUESTIONS

1. Secondary Education is considered to be the weakest link in our educational system. What are its major weaknesses and how are they sought to be removed ?

हमारी शिक्षा-प्रणाली में माध्यमिक शिक्षा को सबसे निर्बल कड़ी समझा जाता है। इसके प्रमुख दोष क्या हैं, और उनको किस प्रकार दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए ?

2. Comment upon the view that the present system of Secondary Education in India is the gift of the British regime and needs drastic changes. What modification would you like to introduce to suit present needs ?

इस कथन की आलोचना कीजिये कि भारत में माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान प्रणाली ब्रिटिश शासन की देन है और उसमें क्रान्तिकारी परिवर्तनों की आवश्यकता है। वर्तमान आवश्यकताओं के लिये आप कौन-सा उचित परिवर्तन करना चाहेंगे ?

3. Secondary Education in India is said to be excessive in quantity and defective in quality. Discuss the reforms that you would like to introduce in Secondary Education.

भारत में माध्यमिक शिक्षा परिमाण में अत्यधिक और गुण में दोषपूर्ण कही जाती है। उन सुधारों का वर्णन कीजिए जो आप माध्यमिक शिक्षा में करना चाहेंगे।

माध्यमिक शिक्षा-आयोग^१
(१९५२-१९५३)
मुदालियर कमोशन^२

प्रस्तावना

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अति तीव्र विकास हुआ। अनेक माध्यमिक विशालया का नवनिर्माण किया गया और उनमें अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। स्वतन्त्र भारत में राजनैतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा था, अतः उनसे सामंजस्य स्थापित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा के पुनर्निर्माण की आवश्यकता का अनुभव किया गया। १९४८ में 'केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड' ने सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा कि माध्यमिक शिक्षा की जाँच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाय। १९५१ में 'बोर्ड' ने अपनी माँग को फिर दोहराया। उसने बलपूर्वक कहा कि माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा एक मार्गीय (Unilateral) बन चुकी है। उसे समाप्त करने वाले छात्रों के समक्ष विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने या नौकरी की खोज में भटकने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि माध्यमिक शिक्षा को छात्रों की रुचियाँ एवं रुझानों के अनुकूल बनाया जाय, जिससे वे शिक्षा से वास्तविक लाभ उठा सकें।

1 Secondary Education Commission

2 Mudaliar Commission

आयोग की नियुक्ति

'केन्द्रीय बोर्ड' के सुभाव को स्वीकार करके भारत सरकार ने २३ सितम्बर, १९५२ को मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति, डा० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर (Dr Lakshmanswami Mudaliar) की अध्यक्षता में 'माध्यमिक शिक्षा-आयोग' की नियुक्ति की। अध्यक्ष के नाम पर इस आयोग को 'मुदालियर शिक्षा-आयोग' (Mudaliar Education Commission) भी कहा जाता है।

आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य

'आयोग' की नियुक्ति के दो मुख्य उद्देश्य थे —

१. भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उस पर प्रकाश डालना।
२. माध्यमिक शिक्षा के पुनर्संरुद्धन एवं सुधार के लिए निम्नलिखित के सम्बन्ध में सुझाव देना—

- (क) माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, सगठन एवं विषय-वस्तु,
- (ख) माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक बेसिक तथा उच्च शिक्षा के सम्बन्ध,
- (ग) विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों या पारस्परिक सम्बन्ध,
- (घ) माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित अन्य समस्याएँ।^१

'आयोग' ने विभिन्न राज्यों का भ्रमण करके माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक पहलू का ज्ञान प्राप्त किया। तदुपरान्त उसने १४ अध्यायों में विभाजित २४४ पृष्ठ की एक बृहद रिपोर्ट तैयार की और २८ अगस्त, १९५३ को उसे भारत-सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया।

आयोग के विचार एवं सुझाव

माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न अवयवों एवं उनसे सम्बन्धित समस्याओं के विषय में 'आयोग' द्वारा जो विचार व्यक्त किये गये और जो सुझाव दिये गये, उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है —

१. माध्यमिक शिक्षा के दोष

१. माध्यमिक शिक्षा का जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है।
२. इस शिक्षा से व्यावहारिक जगत का किंचित् मात्र भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता है।
३. अध्यापन की रीतियाँ परम्परागत हैं और वे छात्रों को प्रभावित करने में असमर्थ हैं।
४. माध्यमिक शिक्षा का पाठ्य-क्रम छात्रों को दिन-प्रतिदिन के उस विश्व के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं देता है, जिसमें वे रह रहे हैं।

- ५ माध्यमिक शिक्षा—एक-पक्षीय एवं सकीर्ण है और छात्रों की रुचि के अनुकूल नहीं है।
- ६ माध्यमिक शिक्षा—विद्यार्थियों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को शिक्षित एवं विकसित करने में विफल रहती है।
- ७ अंग्रेजी भाषा—शिक्षा का माध्यम एवं अध्ययन का अनिवार्य विषय है। अतः जिन छात्रों को इस भाषा का समुचित ज्ञान नहीं होता है, वे इसके अध्ययन में कठोर परिश्रम करके अपने समय तथा शक्ति को नष्ट करते हैं।
- ८ शिक्षण विधियाँ इतनी दोषपूर्ण हैं कि वे छात्रों में विचार की स्वतन्त्रता अथवा क्रिया की रुचि का विकास करने में प्रायः विफल रहती हैं।
- ९ शिक्षण-विधियाँ—छात्रों में सहकारिता की भावना उत्पन्न करने की अपेक्षा प्रतिस्पर्धा की भावना पर अधिक बल देती हैं।
- १० कक्षाओं में छात्रों की संख्या इतनी अधिक होती है कि अध्यापक एक छात्रों में व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित नहीं हो पाता है।
- ११ वर्तमान शिक्षा में छात्रों के चरित्र-निर्माण की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता है। फलतः छात्रों में अनुशासनहीनता की वृद्धि हो रही है।
- १२ परीक्षा-प्रणाली अत्यधिक दोषपूर्ण है। यह अध्यापक का निर्जीव तथा यांत्रिक रीतियों को प्रोत्साहित करती है और महत्त्वहीन वस्तुओं पर बल देती है। इससे छात्रों के ज्ञान की वास्तविक परीक्षा नहीं हो पाती है।

२ माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य

(१) लोकतान्त्रिक नागरिकता का विकास^१—भारत एक स्वतन्त्र राज्य है, और उसका उद्देश्य—धर्म-निरपेक्ष गणतन्त्र की स्थापना करना है। अतः माध्यमिक शिक्षा द्वारा ऐसे नागरिकों का निर्माण किया जाना चाहिए—जो भारत के नवीन वातावरण के अनुकूल हों। आदर्श नागरिकों में विचार-स्वच्छता, भाषण एवं लेखन में स्पष्टता, सामाजिकता, अनुशासन, सहयोग, सहिष्णुता, सच्ची देशभक्ति और विश्व-नागरिकता की भावना के गुणों का होना अनिवार्य है। अतः हमारी शिक्षा का उद्देश्य—छात्रों में इन गुणों का विकास करना होना चाहिए। ऐसा करने पर ही वे अपने देश के आदर्श नागरिक बन सकेंगे और गणतन्त्र को सफल बना सकेंगे। संक्षेप में, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य—लोकतान्त्रिक नागरिकता का विकास होना चाहिए।

(२) व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि^२—माध्यमिक शिक्षा का एक अन्य

1. Development of Democratic Citizenship

2. Improvement of Vocational Efficiency.

उद्देश्य—नागरिकों में व्यावसायिक कुशलता की वृद्धि करना है। अतः छात्रों को औद्योगिक शिक्षा दी जानी आवश्यक है। यह शिक्षा उन्हें किसी व्यवसाय को करने के लिए उपयुक्त बनायेगी और उन्हें नौकरी की खोज में इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा।

(३) व्यक्तित्व का विकास^१—माध्यमिक शिक्षा का तीसरा उद्देश्य—नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। अतः शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे छात्रों का साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक विकास करके भारत में राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान सम्भव हो सके। इसके लिये यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में कला, हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य एवं व्यासंगी (Hobbies) को सम्मानित पद प्रदान किया जाय।

(४) नेतृत्व का विकास^२—प्रजातन्त्र उसी दशा में सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है, जबकि उसका प्रत्येक नागरिक अनुशासन एवं नेतृत्व में शिक्षा प्राप्त कर चुका हो। अतः माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य—छात्रों को अनुशासन के साथ-साथ नेतृत्व की भी शिक्षा प्रदान करना है। विद्यालयों में इस प्रकार के अनेक अवसर आते हैं, जब छात्रों पर अपने समाज का नेतृत्व करने का भार आ पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि ऐसे अधिक-से-अधिक अवसर छात्रों को दिये जायें, जिससे उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास हो सके। ऐसे विद्यार्थी ही जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। कारण यह है कि वे सामाजिक, राजनैतिक, औद्योगिक अथवा सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने में संकोच नहीं करेंगे और उसका निर्वाह भी कर सकेंगे।

३. माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठन^३

१. माध्यमिक शिक्षा की अवधि ७ वर्ष होनी चाहिये।
२. यह शिक्षा ११ से १७ वर्ष अर्क की आयु के बालकों तथा बालिकाओं के लिये होनी चाहिये।
३. शिक्षा-काल दो भागों में विभाजित किया जाय : (क) ३ वर्ष की जूनियर माध्यमिक शिक्षा, और (ख) ४ वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा।
४. वर्तमान इन्टरमीडिएट कक्षा को तोड़ दिया जाय। उसकी ११वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा के पाठ्य-क्रम में, और १२वीं कक्षा को डिग्री कोर्स में सम्मिलित कर दिया जाय।
५. डिग्री कोर्स ३ वर्ष का कर दिया जाय। उच्चतर माध्यमिक-विद्यालयों

1. Development of Personality.
2. Development of Leadership.
3. New Organizational Pattern of Secondary Education.

- से विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने वाले छात्रों के लिये १ वर्ष का 'पूर्व-विश्वविद्यालय (Pre-University) कोर्स' रखा जाय।'
- ६ बहु-उद्देशीय (Multi-Purpose) स्कूलों की स्थापना की जाय। छात्रों के विविध उद्देश्यों, योग्यताओं एवं क्षमताओं की प्राप्ति करने के लिए इन स्कूलों का पाठ्य-क्रम उनकी विभिन्न रूचियों के अनुकूल हो।
 ७. ग्रामीण विद्यालयों में कृषि की शिक्षा का विशेष रूप से प्रवर्धन किया जाय। इन विद्यालयों में उद्यान-विज्ञान (Horticulture), पशु-पालन एवं कुटीर उद्योग-धन्धों की भी व्यवस्था की जाय।
 - ८ बहुत बड़ी संख्या में प्राविधिक स्कूलों की स्थापना की जाय। ये स्कूल या तो स्वतन्त्र रूप से स्थापित किये जायें या बहु-उद्देशीय स्कूलों से सम्बद्ध हों।
 - ९ बड़े नगरों में केन्द्रीय प्राविधिक संस्थानों का निर्माण किया जाय, जिससे कि वे अनेक स्थानीय स्कूलों की माँग की पूर्ति कर सकें।
 - १० यथासम्भव प्राविधिक स्कूलों की स्थापना विभिन्न उद्योगों में सलग्न कारखानों के पास की जाय, और वे कारखानों के घनिष्ठ सहयोग में कार्य करें।
 - ११ अधिनियम द्वारा यह अनिवार्य कर दिया जाय कि कल-कारखाने, प्राविधिक स्कूलों के छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करें।
 - १२ उद्योगों पर 'उद्योग-शिक्षा-कर' (Industrial Education Cess) लगाया जाय और इससे प्राप्त धन को प्राविधिक शिक्षा के विस्तार में व्यय किया जाय।
 - १३ पब्लिक स्कूलों को कुछ समय तक यथावत चलने दिया जाय, परन्तु एक निश्चित अवधि में उनकी शिक्षा का संगठन उसी प्रकार कर दिया जाय, जैसा कि अन्य माध्यमिक स्कूलों का हो।
 - १४ बालकों तथा बालिकाओं के पाठ्य-क्रम में किसी प्रकार की विभिन्नता की आवश्यकता नहीं है, परन्तु बालिकाओं को 'गृह-विज्ञान के अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाय।

४. भाषाओं का अध्ययन^१

- १ माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा (Regional Language) होनी चाहिये। परन्तु अनेक 'भाषा-भाषी अल्पसंख्यकों' (Linguistic Minorities) के लिए केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड^१ के मुझाबों के अनुसार विशेष प्रकार की सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये।

२. मिडिल स्कूलों में प्रत्येक छात्र को कम-से-कम दो भाषाएँ सिखाई जानी चाहिये। अंग्रेजी और हिन्दी की शिक्षा जूनियर वेसिक स्तर के बाद दी जानी चाहिये। परन्तु इस सिद्धान्त पर ध्यान रखा जाय कि एक ही वर्ष में दोनों भाषाओं की शिक्षा प्रारम्भ न कर दी जाय।
३. हायर सेकण्डरी स्तर पर कम से कम दो भाषाओं की शिक्षा दी जाय। इनमें से एक मातृभाषा हो और दूसरी क्षेत्रीय भाषा।

५. माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्य-क्रम

१. पाठ्य-क्रम ऐसा होना चाहिये, जिससे छात्रों की विभिन्न योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास किया जा सके।
२. पाठ्य-क्रम में विविधता तथा लचीलापन होना चाहिये, जिससे कि उसे छात्रों की आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों के अनुकूल बनाया जा सके।
३. पाठ्य-क्रम का सामाजिक जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिये।
४. पाठ्य-क्रम ऐसा होना चाहिये, जिससे छात्रों को न केवल कार्य करने, अपितु अवकाश का सदुपयोग करने के लिये शिक्षित किया जा सके।
५. पाठ्य-क्रम में ऐसे विषय नहीं होने चाहिये, जिनका एक-दूसरे से कोई सम्बन्ध न हो, अपितु पाठ्य-क्रम के समस्त विषयों में अन्तःसम्बन्ध होना आवश्यक है।

६. पाठ्य-क्रम के विषय

(क) मिडिल अथवा जूनियर हाई स्कूल—(१) भाषाएँ, (२) समाज-विज्ञान, (३) सामान्य विज्ञान, (४) गणित (५) कला एवं संगीत, (६) शिल्प (Craft), और (७) शारीरिक शिक्षा (Physical Education)।

(ख) हायर सेकण्डरी स्कूल—इन स्कूलों के पाठ्य-क्रम में विविधता (Diversification) की आवश्यकता है, जिससे छात्रों की अभिरुचियों तथा योग्यताओं का विकास किया जा सके। उद्देश्य की प्राप्ति के लिये पाठ्य-क्रम में अप्रलिखित ७ समूह होने चाहिये—(१) मानव-विज्ञान (Humanities), (२) विज्ञान, (३) टेक्निकल विषय, (४) वाणिज्य-विषय (Commercial Subjects), (५) कृषि-विज्ञान, (६) ललित कलाएँ (Fine Arts), और (७) गृह-विज्ञान।

छात्र उपर्युक्त समूहों में से किसी भी समूह के विषयों को ले सकते हैं, परन्तु सभी समूहों के विद्यार्थियों के लिये कुछ 'आन्तरिक विषय' (Core-Subjects) होंगे, जिनका अध्ययन सब विद्यार्थियों को करना पड़ेगा। ये विषय हैं—(१) भाषा, (२) सामान्य विज्ञान, (३) समाज विज्ञान, और (४) शिल्प।

६. शिक्षण की प्रायोगिक विधियाँ

१. विद्यालयों में शिक्षण-विधियों का उद्देश्य—केवल कुशलनापूर्वक ज्ञान

प्रदान करना ही नहीं होना चाहिये, अपितु छात्रों में उपयुक्त मूल्यों (Desirable Values), उचित दृष्टिकोणों (Proper Attitudes) एवं कार्य करने की आदतों का समावेश करना चाहिये।

२. शिक्षण में मौखिक वातों (Verbalism) एवं कंठस्थ करने की क्रिया (Memorization) पर बल नहीं दिया जाना चाहिये। इसके विपरीत, शिक्षण ऐसी परिस्थितियों के माध्यम द्वारा किया जाना चाहिये, जो साभिप्रायिक (Purposeful), मूर्त (Concrete) एवं वास्तविक हों। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये शिक्षण-विधियों में 'क्रिया-पद्धति' (Activity Method) और 'योजना-पद्धति' (Project Method) को स्थान देना चाहिये।
३. समस्त विषयों के शिक्षण में बोलने और लिखने में स्पष्ट रूप से विचार करने एवं स्पष्ट रूप से विचारों को व्यक्त करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिये।
४. शिक्षण-विधियों का उद्देश्य—छात्रों को अधिक-से-अधिक ज्ञान देना नहीं होना चाहिये, अपितु उन्हें इस बात की शिक्षा देना होना चाहिये कि वे व्यक्तिगत प्रयासों से किस प्रकार ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं।
५. छात्रों को समुदाय में कार्य करने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिये, जिससे उनमें सामुदायिक जीवन का विकास हो सके।

८. चरित्र-निर्माण की शिक्षा¹

१. छात्रों के चरित्र का निर्माण करना—सभी अध्यापकों का विशेष उत्तरदायित्व है। अतः स्कूल के प्रत्येक कार्य-क्रम में चरित्र-निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिये।
२. उत्तम अनुशासन के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षकों एवं छात्रों में घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित किया जाय।
३. सामूहिक लेखों एवं सह-पाठ्य-क्रियाओं (Co-curricular Activities) को प्रोत्साहित किया जाय, और उनकी शैक्षिक सम्भावनाओं (Educational Possibilities) को खोजकर उनसे अधिक-से-अधिक लाभ उठाया जाय।
४. राजनैतिक चुनावों एवं प्रचार-कार्य में १७ वर्ष से कम आयु के छात्रों का प्रयोग न किया जाय। एक कानून बनाकर इसको दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया जाय।

- ५ अतिरिक्त पाठ्य-क्रियाओं (Extra-curricular Activities) को विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा का अभिन्न अंग समझा जाय और सब अध्यापकों को इन क्रियाओं में अपने समय का एक निश्चित भाग व्यय करना अनिवार्य कर दिया जाय।
- ६ सब स्कूलों में एन० सी० सी०, फर्स्ट एड और जूनियर रेड-क्रास कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

६ माध्यमिक विद्यालयों में मार्ग-प्रदर्शन एवं समुपदेशन^१

'आयोग' ने अनुभव किया कि माध्यमिक विद्यालयों में पढने वाले छात्रों का मार्ग-प्रदर्शन एवं समुपदेशन किया जाना आवश्यक है, जिससे कि वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायों एवं कार्यों को भली-भाँति समझ लें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये 'आयोग' ने निम्नांकित सुझाव दिये —

- १ शिक्षाधिकारियों द्वारा छात्रों के शैक्षिक मार्ग-प्रदर्शन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।
- २ यह आवश्यक है कि छात्र, उद्योगों के विभिन्न व्यवसायों के क्षेत्र, प्रकृति एवं महत्त्व की जानकारी प्राप्त करें। अतः विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित कार्यों के फिल्म तैयार किये जायें और उन्हें छात्रों को दिखाया जाय। साथ ही छात्रों को विभिन्न उद्योगों के कल-बारखानों में ले जाया जाय।
- ३ विद्यालयों में प्रशिक्षित 'मार्ग-प्रदर्शन अधिकारियों' (Guidance Officers) और 'जीविकोपार्जन शिक्षकों' (Career Masters) की नियुक्ति की जाय।
- ४ केन्द्रीय सरकार मार्ग-प्रदर्शन अधिकारियों तथा जीविकोपार्जन-शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करे। राज्य की सरकारें अध्यापकों तथा अन्य उपयुक्त व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशिक्षण संस्था में ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिये भेजें।

१० छात्रों का शारीरिक कल्याण^२

- १ सब राज्यों में 'स्कूल स्वास्थ्य सेवा' (School Medical Service) को उचित रूप से संगठित किया जाय।
- २ विद्यालयों में अध्ययन करने वाले सब छात्रों की प्रति वर्ष पूर्ण रूप से स्वास्थ्य परीक्षा की जाय।
- ३ जो छात्र गम्भीर रोगों से पीड़ित हों या जो निरन्तर अस्वस्थ रहते हों, उनकी स्वास्थ्य बार-बार परीक्षा की जाय।

1. Guidance & Counselling in Secondary Schools
2. Physical Welfare of Students

- ४ सभी रोगी छात्रों की चिकित्सा विद्यालय-स्वास्थ्य-अधिकारी (School Health Officer) द्वारा की जाय।
- ५ छात्रावासों और निवास-विद्यालयों (Residential Schools) में सन्तुलित एवं पीण्डक आहार की व्यवस्था की जाय।
- ६ स्कूलों के कुछ अध्यापकों को प्राथमिक चिकित्सा (First Aid) तथा स्वास्थ्य के सामान्य सिद्धान्तों में प्रशिक्षित किया जाय।
- ७ छात्रों को स्वस्थ रखने के लिये उनसे शारीरिक श्रम करवाया जाय।
- ८ ४० वर्ष से कम आयु के शिक्षक, छात्रों के साथ शारीरिक श्रम के कार्य करें, जिससे छात्रों के समक्ष एक सुन्दर उदाहरण उपस्थित हो और वे शारीरिक श्रम करने में सकोच न करें।

११ परीक्षा एवं शैक्षिक मूल्यांकन^१

- १ 'बाह्य परीक्षाओं' (External Examinations) की सख्या में कमी की जाय।
- २ परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के ढङ्ग में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि परीक्षा 'निबन्धात्मक ढङ्ग' (Essay Type) की न रह जाय।
- ३ छात्रों के कार्य का अंतिम मूल्यांकन करते समय 'आन्तरिक परीक्षाओं' (Internal Examinations) के साथ साथ नियतकालिक-परीक्षाओं (Periodical Tests) और 'विद्यालय-अभिलेखों' (School Records) को भी उचित महत्त्व प्रदान किया जाय।
- ४ बाह्य तथा आन्तरिक परीक्षाओं में छात्रों के कार्य का मूल्यांकन अकेले में न किया जाकर, प्रतीकात्मक (Symbolic) होना चाहिये।
- ५ प्रत्येक छात्र का एक 'विद्यालय अभिलेख' रखा जाय, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उसके द्वारा किये गये कार्यों एवं उनमें प्राप्त सफलता का उल्लेख हो।
- ६ सेकण्डरी स्कूल का सम्पूर्ण पाठ्य-क्रम समाप्त होने के उपरान्त ही केवल एक सार्वजनिक परीक्षा ली जाय।

१२ अध्यापकों की उन्नति

'आयोग' के मतानुसार माध्यमिक शिक्षा के पुनर्निर्माण में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कारक 'अध्यापक' है। किसी विद्यालय की विख्याति उसमें कार्य करने वाले शिक्षकों पर निर्भर है। अतः 'आयोग' ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करके उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशों की —

- १ सम्पूर्ण देश में शिक्षकों का चुनाव एवं नियुक्ति की विधि एक-सी होनी चाहिये।

२. व्यक्तिगत विद्यालयों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों के चुनाव के लिये एक समिति होनी चाहिये। समिति के सदस्यों में स्कूल का प्रधानाचार्य भी होना चाहिये।
३. प्रशिक्षित अध्यापकों की परिबीक्षा (Probation) की अवधि १ वर्ष होनी चाहिये।
४. माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक होने चाहिये। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की वही योग्यता होनी चाहिये जो इण्टरमीडिएट कॉलेजों के अध्यापकों की होती है।
५. समान योग्यता एवं समान कार्य करने वाले शिक्षकों को समान वेतन दिया जाना चाहिये।
६. अध्यापकों को पर्याप्त वेतन नहीं मिलता है। अतः विशिष्ट समितियों की नियुक्ति की जाय, जो इस बात का सुझाव दें कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों को कितना वेतन दिया जाना चाहिये।
७. अध्यापकों को अपनी और अपने आश्रित सम्बन्धियों की चिन्ताओं से मुक्त करने के लिये प्रत्येक राज्य में त्रिमुखी लाभ-योजना कार्यान्वित की जानी चाहिये। इसके अन्तर्गत अध्यापकों को पेन्शन, प्रॉविडेंट-फण्ड और जीवन-बीमा की सुविधायें दी जायें।
८. अध्यापकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाय, विद्यालयों के मकानों, उनके निवास की व्यवस्था की जाय। स्वास्थ्य-संरक्षण मण्डल, बैंकों, शिक्षा-सम्मेलनों आदि में जाने के लिये उन्हें विमानों में निःशुल्क और छुट्टी दी जाय तथा चिकित्सालयों में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाय।
९. अध्यापकों की कठिनाइयों पर विचार करने के लिये उनकी शिकायतें सुनने के लिये 'विवाचन मण्डल' (Arbitration Boards) अथवा समितियों की नियुक्ति की जाय।
१०. शिक्षकों द्वारा द्यूदान पढ़ाने की प्रथा रद्द कर दी जाय।

अध्यापकों का प्रशिक्षण

१. प्रशिक्षण-विद्यालय वेतन दो प्रकार के होंगे—(क) प्रथम उनके लिये जो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है। इनका प्रशिक्षण-काल २ वर्ष का होना चाहिये, (ख) द्वितीय उनके लिये जो स्नातक है। इनका प्रशिक्षण-काल इस समय १ वर्ष रहे, परन्तु कुछ मन्त्र के पत्रबद्ध = वर्ष का दिया जाय।
२. छायाध्यापकों की एक संस्था अर्थात् प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिये किया जाय।
३. प्रशिक्षण-विद्यालयों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों (Practical Training) विद्यार्थियों के लिये प्रशिक्षण-मण्डल (School Boards) के द्वारा किया जाय।

और कार्य-शाला में व्यावहारिक प्रशिक्षण (Practical Training in Workshops) की व्यवस्था की जाय।

४. प्रशिक्षण-विद्यालयों में छात्राध्यापकों से किसी प्रकार का शुल्क न लिया जाय। सब छात्राध्यापकों को राज्य की ओर से उपयुक्त शिष्यवृत्तियाँ (Stipends) दी जायें। जो शिक्षक किसी स्कूल में कार्य कर रहे हों, उन्हें प्रशिक्षण-काल के लिये पूर्ण वेतन पर छुट्टी दी जाय।
५. अध्यापिकाओं के अभाव की पूर्ति करने के लिये अंशकालिक प्रशिक्षण पाठ्य-क्रमों की व्यवस्था की जाय।

१४. प्रशासन की समस्याएँ^१

१. प्रशासन की समस्याओं पर शिक्षा-मन्त्री को परामर्श देने का उत्तर-दायित्व शिक्षा-संचालक पर होना चाहिये। शिक्षा-मन्त्री तक उसकी सीधी पहुँच होनी चाहिए और उसका पद संयुक्त शिक्षा-सचिव के समकक्ष होना चाहिये।
२. केन्द्र एवं राज्यों में एक समिति का निर्माण किया जाना चाहिये, जो शिक्षा-सम्बन्धी मामलों पर विचार करके उपयुक्त योजनाएँ बनाये।
३. लोक-शिक्षा संचालक की अध्यक्षता में २५ सदस्यों का एक 'माध्यमिक शिक्षा-परिषद्' स्थापित किया जाय, जो माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित नीतियों को निर्धारित करे।
४. परिषद् को एक उपसमिति परीक्षाओं की व्यवस्था करे।
५. एक 'शिक्षक-प्रशिक्षण परिषद्' (Teachers' Training Board) की स्थापना की जाय, जो अध्यापकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करे।
६. विद्यालय-निरीक्षक स्कूलों की समस्याओं का अध्ययन करके, उनमें सुधार करने के लिये सुझाव दें और समय-समय पर अध्यापकों को शिक्षण-कार्य के सम्बन्ध में परामर्श दें।
७. विद्यालयों को मान्यता तभी प्रदान की जाय, जब वे मान्यता-सम्बन्धी सभी शर्तों को पूर्ण कर दें।
८. मान्यता-प्राप्त विद्यालयों का संचालन सरकार द्वारा स्वीकृत प्रबन्ध-कारिणी समिति करें। समिति का कोई सदस्य विद्यालय के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे।

'माध्यमिक शिक्षा-आयोग' का मूल्यांकन

'मुदालियर कमीशन' ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्संरुद्धन के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये हैं, उनको प्रायः सभी शिक्षा-विद्वानों ने व्यावहारिक और लाभप्रद माना है। परन्तु कुछ विचारक ऐसे भी हैं, जिनका दृष्टिकोण भिन्न है। अतः 'आयोग'

द्वारा दिये गये सुझावों के गुण-दोषों का विवेचन करके एक निष्कर्ष पर पहुँचना आवश्यक हो जाता है।

गुण :—

१. आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करके अति अभिनन्दनीय कार्य किया है। इस बात में मत-विभिन्नता नहीं हो सकती है कि हमारी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य—लोकतान्त्रिक नागरिकता का विकास करना होना चाहिये।
२. पाठ्य-क्रम की विविधता से माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्ति-कारी परिवर्तन हो जायगा। सभी बालकों की अभिरुचियाँ तथा अभियोग्यताएँ समान नहीं होती हैं। अतः पाठ्य-क्रम को उनकी अभिरुचियों एवं अभियोग्यताओं के अनुसार होना आवश्यक है।
३. बहु-उद्देशीय स्कूलों की स्थापना से शिक्षा का रूप व्यावहारिक हो जायगा और छात्र अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुसार विषयों का चयन करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगे।
४. भारत जैसे कृषि-प्रधान देश के ग्रामीण विद्यालयों में कृषि की शिक्षा को अनिवार्य बनाये जाने का सुझाव अति महत्वपूर्ण है।
५. स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् देश का औद्योगीकरण अति तीव्र गति से किया जा रहा है। नवीन उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव देकर आयोग ने अति प्रशंसनीय कार्य किया है।
६. आयोग की इस सिफारिश को सभी शिक्षाविदों ने स्वीकार किया है कि—शिक्षण की विधियों में क्रिया-रीतियों को स्थान दिया जाय और पाठन-सामग्री के प्रयोग से उनको सजीव बनाया जाय।
७. माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के चरित्र-निर्माण की अति आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में जो सुझाव दिये गये हैं, वे छात्रों को चरित्रवान् एवं अनुशासन-प्रिय बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।
८. छात्रों का मार्ग-प्रदर्शन करने का सुझाव वस्तुतः अद्वितीय है। अनेक बालक अपनी योग्यताओं से परिचित न होने के कारण प्रायः गलत व्यवसायों तथा कार्य-क्षेत्रों में प्रवेश करके असफलता की आमन्त्रित करते हैं। अनुभवहीन बालक प्रशिक्षित व्यक्तियों से मार्ग-प्रदर्शन का लाभ उठाकर अपनी शक्तियों वा उचित दिशाओं में प्रयोग कर सकेंगे।
९. परीक्षा एवं शैक्षिक मूल्यांकन के विषय में आयोग के सुझाव माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में युग-प्रवर्तक सिद्ध होंगे। यदि आयोग के सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया जाय, तो हमारी दोषपूर्ण शिक्षा-प्रणाली दोष-मुक्त हो जायेगी।

- १० अध्यापक शिक्षा के केन्द्र-बिन्दु है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए आयोग ने शिक्षकों की दशा, सेवा-प्रतिबन्धों (Service Conditions), वेतन, प्रशिक्षण आदि के सम्बन्ध में बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। उन सुझावों को कार्यान्वित करने से हमारी शिक्षा का कायाकल्प हो जायगा।

दोष —

- १ माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन के सम्बन्ध में दिये गये सुझाव सर्वथा अपूर्ण हैं। व्यक्तिगत विद्यालयों की प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों की योग्यता के विषय में कुछ नहीं कहा गया है।
- २ किसी भी राष्ट्र के उत्थान में मुशिक्षित स्त्रियों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। आयोग ने स्त्री-शिक्षा के विस्तार के सम्बन्ध में कोई भी महत्त्वपूर्ण सुझाव नहीं दिया है।
- ३ इन्टरमीडिएट कक्षा को तोड़ने का सुझाव उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। जिस स्तर पर विश्वविद्यालयों तथा डिग्री कॉलेजों में इस कक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है, उस स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा देना सम्भव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, इस योजना को कार्यान्वित करने में एक बड़ी धन-राशि की आवश्यकता होगी।
- ४ माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक छात्र को तीन भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक होगा—मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी और अंग्रेजी। तीन भाषाओं के अतिरिक्त आन्तरिक विषयों का भी अध्ययन अनिवार्य होगा। इन सबके साथ-साथ एक समूह के विषय और लेने पड़ेगे। इस प्रकार, छात्रों के लिये पाठ्य-क्रम बहुत भारी हो जाता है।
५. बालकों तथा बालिकाओं के पाठ्य-क्रम में भेद नहीं किया गया है।

निष्कर्ष

'माध्यमिक शिक्षा-आयोग' के उपयुक्त सुझावों के गुणावगुण की विवेचना करने के उपरान्त यह बात निर्विवाद रूप से मान्य है कि अधिकांश सुझाव अति महत्त्वपूर्ण और स्लाघनीय हैं। यदि उनके अनुसार हमारी माध्यमिक-शिक्षा का पुन-संज्ञान किया जाय, तो उसका रूप पूर्णतः परिवर्तित हो जायगा और वह देश के नवयुवकों का हित करके अन्ततोगत्वा देश का कल्याण करेगी।

आयोग के सुझावों का कार्यान्वयन

'आयोग' के अधिकांश सुझावों को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार करके कार्यान्वित कर दिया गया है। हम उनका संक्षिप्त विवरण आगे दे रहे हैं —

१. वर्तमान स्कूलों को बहु-उद्देशीय स्कूलों में बदल कर नया रूप दिया जाना ।
२. कृषि-शिक्षा का विस्तार करने के लिये 'ग्रामीण उच्च शिक्षा-समिति' और 'ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिये राष्ट्रीय परिपद' की स्थापना ।
३. प्राविधिक शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग के कॉलेजों तथा प्राविधिक विद्यालयों (Polytechnics) का निर्माण ।
४. माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य रूप से तीन भाषाओं का अध्यापन ।
५. छात्रों के शारीरिक कल्याण के लिये 'अखिल भारतीय क्रीडा परिपद' की स्थापना और केन्द्रीय सरकार द्वारा कैम्पों तथा सन्तरण-तडागों (Swimming Pools) आदि के लिये सहायता-अनुदान ।
६. विज्ञान आदि विषयों के अध्यापन में सुधार, मिडिल स्कूलों में दस्त-कारी की शिक्षा देने तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करने की सुविधाओं का आयोजन ।
७. माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिये 'अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिपद' की स्थापना ।

सारांश

माध्यमिक शिक्षा के पुनर्निर्माण की आवश्यकता का अनुभव करके 'केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड' ने 'माध्यमिक शिक्षा-आयोग' की नियुक्ति की सिफारिश की । अतः भारत सरकार ने मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 'माध्यमिक शिक्षा-आयोग' की नियुक्ति की । इसमें दो विदेशी विद्वानों को भी स्थान दिया गया ।

आयोग के सुझाव—आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के दोषों की विशद व्याख्या की और उनको दूर करने के लिये अग्रलिखित सुझाव दिये—(१) माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, (२) माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठन, (३) भाषाओं का अध्ययन, (४) माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्य-क्रम, (५) पाठ्य-क्रम के विषय, (६) शिक्षण की प्राथमिक विधियाँ, (७) चरित्र-निर्माण की शिक्षा, (८) माध्यमिक विद्यालयों में मार्ग-प्रदर्शन एवं समुपदेशन, (९) छात्रों का शारीरिक कल्याण, (१०) परीक्षा एवं शैक्षिक-मूल्यांकन, (११) अध्यापकों की उन्नति, (१२) अध्यापकों का प्रशिक्षण, एवं (१३) प्रशासन की समस्याएँ ।

सरकार द्वारा सुझावों का कार्यान्वयन—(१) बहु-उद्देशीय स्कूलों की स्थापना, (२) 'ग्रामीण उच्च-शिक्षा समिति', 'अखिल भारतीय क्रीडा-परिपद', और 'अखिल-भारतीय माध्यमिक शिक्षा-परिपद' की स्थापना, (३) कृषि-शिक्षा का विस्तार,

(४) इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं प्राविधिक विद्यालयों का निर्माण, और (५) माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाओं का अध्यापन ।

TEST QUESTIONS

- 1 "Teacher-Training has not received the attention it deserves in the development of our educational system" Explain
What are the recommendations of the Mudaliar Commission of 1953 in regard to this ?

"हमारी शैक्षिक प्रणाली के विकास में शिक्षक-प्रशिक्षण के प्रति वह ध्यान नहीं दिया गया है, जो दिया जाना चाहिए।" इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसके सम्बन्ध में १९५३ के मुदालियर कमीशन की क्या सिफारिशें हैं ?

- 2 Critically examine the recommendations of the Mudaliar Commission for the reorganization of Secondary Education in India. What steps have been taken so far, towards their implementation ?

भारत में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिये मुदालियर कमीशन की सिफारिशों का विवेचनात्मक वर्णन कीजिये। उनको कार्यान्वित करने के लिए अब तक कौन-से उपाय किये गये हैं ?

- 3 Discuss the pattern of Secondary Education as recommended in the Report of the Secondary Education Commission

माध्यमिक शिक्षा-आयोग के प्रतिवेदन में दिये हुए माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप का वर्णन कीजिये।

4. Comment upon the National Pattern of Education suggested by the Mudaliar Commission bringing out its merits and demerits

मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के नवीन आकार के बारे में क्या सिफारिशें की हैं—माध्यमिक शिक्षा-आयोग द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा के आकार की व्याख्या कीजिये और गुणों और दोषों का स्पष्टीकरण कीजिये।

विश्वविद्यालय-शिक्षा (१९४७-१९७०)

प्रस्तावना

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त विश्वविद्यालयों की संख्या में श्लाघनीय वृद्धि हुई है। देश के विभाजन से पूर्व भारत में २१ विश्वविद्यालय थे, परन्तु उसके उपरांत १९ रह गये। उस समय से लेकर आज तक ५५ नये विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी है। इस प्रकार अब हमारे देश में ७४ विश्वविद्यालय हैं।

स्वतन्त्र भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। १९४७ में उच्च-शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या १,९९,२५३ थी।^१ परन्तु १९६६ में यह संख्या बढ़कर १९,५९,००० हो गई, और सरकार द्वारा उच्च-शिक्षा पर १३१*४१ करोड़ रुपये व्यय किये गये।^२

विश्वविद्यालयों के प्रकार

विश्वविद्यालय तीन प्रकार के हैं—(१) सम्बद्धक (Affiliating) विश्व-विद्यालय—जिनमें अध्यापन-कार्य नहीं होता है, अपितु ये परीक्षाओं के संचालन आदि की व्यवस्था करते हैं, (२) सम्बद्धक तथा शिक्षण (Affiliating & Teaching) विश्वविद्यालय—जो उपर्युक्त कार्य के साथ-साथ, अध्यापन एवं शोध-कार्य की सुविधायें भी प्रदान करते हैं, और (३) सावास तथा शिक्षण (Residential & Teaching) विश्वविद्यालय—जो सभी प्रकार के अध्यापन कार्य की व्यवस्था करते हैं और उनका अपने अधीन कॉलेजों पर नियन्त्रण रहता है।

1. S. N. Mukerji : *op. cit* , p. 362.

2. *India*, 1969, p 68.

भारत के विश्वविद्यालय¹

विश्वविद्यालय	स्थापन-तिथि	प्रकार
१. आगरा विश्वविद्यालय, आगरा	१९२७	सम्बद्धक
२. कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	१९६२	सावाम व शिक्षण
३. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	१९२१	" "
४. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	१८७७	" "
५. आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर,	१९२६	सम्बद्धक व शिक्षण
६. आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	१९६४	सावास व शिक्षण
७. अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर	१९२९	" "
८. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	१९१६	" "
९. बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर	१९६४	संघीय (Federal)
१०. बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर	१९६७	सम्बद्धक
११. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	१९६०	सम्बद्धक व शिक्षण
१२. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	१९६२	" "
१३. बम्बई, विश्वविद्यालय, बम्बई	१९५७	संघीय व शिक्षण
१४. बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान	१९६०	सम्बद्धक व शिक्षण
१५. कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	१८५७	" "
१६. दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	१९२२	" "
१७. दिवरूगढ़ विश्वविद्यालय, दिवरूगढ़	१९६५	" "
१८. गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी	१९४८	" "
१९. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	१९५७	" "
२०. गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	१९४९	" "
२१. इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़	१९५६	" "
२२. इन्दौर विश्वविद्यालय, इन्दौर	१९६४	शिक्षण व संघीय
२३. जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर	१९५७	सम्बद्धक व शिक्षण
२४. जादवपुर विश्वविद्यालय, जादवपुर	१९५५	शिक्षण व एकात्मक (Unitary)
२५. जम्मू व काश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	१९४८	सम्बद्धक व शिक्षण
२६. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	१९६४	सावास व शिक्षण
२७. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	१९६४	सम्बद्धक व शिक्षण

विश्वविद्यालय	स्थापन-तिथि	प्रकार
२८. जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर	१९६२	सावास व शिक्षण
२९. कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	१९६०	" "
३०. कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	१९६१	" "
३१. कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर	१९६५	सम्बद्धक
३२. कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड	१९४९	सम्बद्धक व शिक्षण
३३. केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम्	१९३७	संघीय व शिक्षण
३४. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	१९५६	सावास व शिक्षण
३५. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	१९२१	" "
३६. मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास	१८५७	सम्बद्धक व शिक्षण
३७. मदुराई विश्वविद्यालय, मदुराई	१९६६	" "
३८. मगध विश्वविद्यालय, बुद्धगया	१९६२	" "
३९. मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ	१९६६	" "
४०. एम० एस० यूनीवर्सिटी ऑफ बडौदा, बडौदा	१९४९	सावास व शिक्षण
४१. मराठावाड विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	१९५८	सम्बद्धक व शिक्षण
४२. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	१९१६	" "
४३. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	१९२३	" "
४४. नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, सिलीगुरी	१९६२	" "
४५. उड़ीसा यूनीवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टेकनालॉजी, भुवनेश्वर	१९६२	सावास व शिक्षण
४६. उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	१९१८	सम्बद्धक व शिक्षण
४७. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ	१९४७	" "
४८. पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	१९६२	सावास व शिक्षण
४९. पटना विश्वविद्यालय, पटना	१९१७	" "
५०. पूना विश्वविद्यालय, पूना	१९४९	सम्बद्धक व शिक्षण
५१. रवीन्द्र भारती, कलकत्ता	१९६२	" "
५२. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	१९४७	" "
५३. रांची विश्वविद्यालय, रांची	१९६०	" "
५४. रवि शंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	१९६४	" "
५५. रडकी विश्वविद्यालय, रडकी	१९४९	सावास व शिक्षण
५६. सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर	१९६७	सम्बद्धक व शिक्षण
५७. सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर	१९५५	" "
५८. सागर विश्वविद्यालय, सागर	१९४६	" "
५९. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	१९६५	" "
६०. शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	१९६२	" "

विश्वविद्यालय	स्थापन-तिथि	प्रकार
६१ एस० एन० डी० टी० वीमेन्स यूनी- वर्सिटी, वम्बई	१९५१	सम्बद्धक व शिक्षण
६२ श्री चैकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति	१९५४	" "
६३ साउथ गुजरात यूनीवर्सिटी, सूरत	१९६५	" "
६४ उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर	१९६२	" "
६५ यूनीवर्सिटी आफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, बंगलौर	१९६४	" "
६६ यू० पी० एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी, पन्थनगर, नैनीताल	१९६०	सावास व शिक्षण
६७ उत्कल विश्वविद्यालय, कटक	१९४३	सम्बद्धक व शिक्षण
६८ वाराणसेय सस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	१९५८	" "
६९ विन्नम विश्वविद्यालय, उज्जैन	१९५७	" "
७० विश्वभारती विश्वविद्यालय, शान्ति- निकेतन	१९५१	सावास व शिक्षण
७१ ए० पी० सिंह यूनीवर्सिटी ऑफ रीवा, रीवा	१९६८	सम्बद्धक
७२ कालीनट विश्वविद्यालय, कालीकट	१९६८	"
७३ गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर	१९६७	"
७४ महाराष्ट्र वृषि विद्यापीठ	१९६८	सम्बद्धक व शिक्षण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग^१ (१९५३)

मरवार द्वारा १९४८ में नियुक्त 'विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग'^२ के सुझाव के अनुसार १९५३ में 'विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग' की स्थापना की गई। १९५६ में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे एक स्वतन्त्र संस्था स्वीकार कर लिया गया। इस अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष के अतिरिक्त 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के ६ सदस्य होंगे। इनमें में ३ विश्वविद्यालयों के उपकुलपति, ४ प्रगल्भ भारतीय शिक्षा-मर्मण एवं २ केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि होंगे।

आयोग की स्थिति—३१ मार्च, १९६६ को 'आयोग' की स्थिति इस प्रकार थी - अध्यक्ष—डी० एम० कोटारी, सदस्य—एम० धावन, ताम्र मजूमदार, डी० एम० देही, पी० बी० मन्त्रेन्द्रनद्वर, जे० वें० पन्ड्रमणि, पी० गोविन्दन नय्यर, दन्तुमतिदेन विमानवान व वी० के गोबर, मेत्रेटरी पी० जे० निनि।^३

- 1 University Grants Commission
- 2 University Education Commission.
3. India, 1969, p. 69.

आयोग के कर्तव्य—‘विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग’ के कर्तव्य निम्न-लिखित हैं —

१. विश्वविद्यालय-शिक्षा में सुधार करने और शिक्षण के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये विश्वविद्यालयों को परामर्श देना ।
२. भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर में समन्वय रखने और विश्वविद्यालय-शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर एक विशेषज्ञ-संस्था के रूप में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना ।
३. विश्वविद्यालयों की आर्थिक आवश्यकताओं को जाँच करना और केन्द्रीय सरकार द्वारा उनको सहायता-अनुदान में दिये जाने वाले धन के सम्बन्ध में सुझाव देना ।
४. विश्वविद्यालयों को अपने कोष में से दिये जाने वाले धन का वितरण करना और इस सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारित करना ।
५. नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं पुराने विश्वविद्यालयों के कार्य-क्षेत्र की वृद्धि पर पूछे जाने पर अपना मत व्यक्त करना ।
६. केन्द्रीय सरकार एवं विश्वविद्यालयों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देना और उनकी शिकायतों का समाधान करना ।
७. विश्वविद्यालयों द्वारा विविध सेवाओं के लिए प्रदान की गई उपाधियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार एवं राज्य-सरकारों को अपनी सम्मति देना ।
८. विश्वविद्यालयों के लिये उपयुक्त समझी जाने वाली सूचनाओं को भारत तथा विदेशों से एकत्र करके विश्वविद्यालयों को प्रेरित करना ।
९. विश्वविद्यालयों से उनकी परीक्षाओं, पाठ्य-क्रमों, शोध-कार्यों आदि के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना ।
१०. विश्वविद्यालय-शिक्षा के विस्तार एवं विकास से सम्बन्धित आवश्यक कार्यों को सम्पन्न करना ।^१

हमें का विषय है कि ‘विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग’ अपने कर्तव्यों का सतर्कता से पालन कर रहा है, जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय-शिक्षा के क्षेत्र में अभिनन्दनीय विकास हो रहा है । वस्तुतः भारत-सरकार ने आयोग की स्थापना करके महान् आवश्यकता की पूर्ति की है ।

विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा

एक अध्ययन-मंडली ने, जिसने अपनी रिपोर्ट जनवरी, १९५७ में सरकार को दी, सामान्य शिक्षा (General Education) की दो योजनाएँ तैयार की हैं । इसकी मुख्य योजना में प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि से सम्बन्धित मूल विषयों के अध्ययन की सामान्य शिक्षा, सभी स्नातक-पूर्व (Under-Graduates) गैर-

1. *University Grants Commission Act, 1956, Section 12.*

व्यावसायिक (Non-Professional) संकायों के लिये अनिवार्य है। वैकल्पिक योजना में डिग्री पाठ्य-क्रम के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में सामान्य शिक्षा के लिये सप्ताह में ६ घंटों (Periods) के अध्यापन की व्यवस्था की गई है। भारत के केवल १५ विश्वविद्यालयों ने सामान्य शिक्षा के पाठ्य-क्रम को लागू किया है।

त्रि-वर्षीय डिग्री पाठ्य-क्रम¹

देश की नवीन आवश्यकताओं एवं अभिरूचियों को ध्यान में रखकर विश्व-विद्यालय की शिक्षा के पुनर्संज्ञा के लिये प्रयास किये गये हैं। इस क्षेत्र में किये गये अधिक महत्त्वपूर्ण निर्णयों में एक निर्णय 'त्रि-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम' प्रारम्भ करने का है। भारत के ४१ विश्वविद्यालयों और ७६३ कॉलेजों में इस सुधार को क्रियान्वित किया जा रहा है। दिल्ली एवं जादवपुर के विश्वविद्यालयों में इसे क्रमशः १९४३-४४ और १९५६-५७ में ही प्रारम्भ किया जा चुका है। बम्बई विश्वविद्यालय ने इस योजना को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। शेष सभी विश्वविद्यालयों ने इसे क्रियान्वित करना स्वीकार कर लिया है। इस सुधार को क्रियान्वित करने में जो धन व्यय होगा, उसे 'त्रि-वर्षीय पाठ्य-क्रम अनुमान व्यय समिति' की सिफारिश के अनुसार एक ओर 'केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय' एवं 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग', और दूसरी ओर राज्य-सरकार तथा प्रबन्धक समान रूप में वहन करेंगे।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय²

केन्द्रीय सरकार पर अग्रलिखित पाँच केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संचालन का उत्तरदायित्व है — (१) अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी, (२) बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी, (३) दिल्ली यूनीवर्सिटी, (४) विश्वभारती यूनीवर्सिटी, शान्तिनिकेतन, (५) जवाहरलाल नेहरू यूनीवर्सिटी, नई दिल्ली।³

केन्द्रीय सरकार द्वारा अप्राकृत सस्थाओं को अनुदान दिया जाता है — (१) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, (२) कन्या गुरुकुल, देहरादून, (३) श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पाडेचेरी, (४) लोक भारती, सनोसरा (गुजरात)।⁴

विश्वविद्यालय-शिक्षा के दोष

विश्वविद्यालय शिक्षा का 'उद्देश्य' बताते हुए १८५२ में न्यूमैन ने लिखा — "यदि विश्वविद्यालय की शिक्षा का कोई व्यावहारिक उद्देश्य है, तो मैं कह सकता हूँ कि वह समाज के उत्तम नागरिकों को प्रशिक्षित करना है।"⁵ एक राष्ट्र के विश्व-

1. Three Year Degree Course

2. Central Universities

3. *Hindustan Year-Book*, 1970, p 182

4. *Ibid*

5. "If a practical end must be assigned to a university course, then I say it is training of good members of society"

—Cardinal Newman : *The Scope & Nature of University Education*, Discourse 6

विद्यालयों की शिक्षा का स्तर वहाँ के निवासियों के बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक स्तर का मानदण्ड है। "देश का वैभव विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित होता है। दूषित विश्वविद्यालय सम्पूर्ण राष्ट्र को दूषित कर देते हैं।" विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य न केवल बुद्धिमान नागरिकों का, अपितु सुयोग्य व्यक्तियों का भी निर्माण करना है। 'विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग' ने भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों का भ्रमण करते समय इस बात का अनुभव किया कि—सभी व्यक्ति राष्ट्रीय कल्याण के लिये विश्व-विद्यालय शिक्षा के महत्त्व से अवगत थे, परन्तु वे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की अपूर्णता से क्षुब्ध थे। भावी नागरिकों का निर्माण करने वाले विश्वविद्यालय, शिक्षा की प्राचीन पद्धति से आबद्ध नहीं रह सकते हैं। समाज की अभिवृद्धित जटिलता तथा परिवर्तनशील रूप के कारण यह आवश्यक हो गया है कि यदि वे हमारे राष्ट्रीय जीवन में प्रभावपूर्ण रूप से कार्य करना चाहते हैं, तो वे अपने उद्देश्यों तथा विधियों में परिवर्तन करें।¹ अपने जिन दोषों का निराकरण करके विश्वविद्यालय राष्ट्रीय जीवन में उपयुक्त स्थान ग्रहण कर सकते हैं, उन पर हम नीचे प्रकाश डाल रहे हैं —

१. विश्वविद्यालय-शिक्षा में अपध्यय²

विश्वविद्यालय-शिक्षा में अत्यधिक अपध्यय है। इस सम्बन्ध में 'विश्व-विद्यालय शिक्षा-आयोग' ने अपने विचारों को इन शब्दों में व्यक्त किया है "सार्व-जनिक धन का प्रति वर्ष महान् अपध्यय हो रहा है, परन्तु इससे भी अधिक दुःख की बात यह है कि सार्वजनिक धन की गम्भीर हानि के प्रति उनकी ही उदासीनता है जितनी कि छात्रों और उनके अभिभावकों पर भयकर निराशा तुपारापात के प्रति।"³

1 "The prosperity of the country is linked up with the university. A vicious university is like a contaminated fountain which is bound to imperil health of those who drink from it"

—R K Smgh • *Our Universities*, p 9

2 "We were everywhere struck by a deep general awareness of the importance of higher education for national welfare and an uneasy sense of the inadequacy of present pattern. The universities as the makers of the future cannot persist in the old patterns, With the increasing complexity of society and its shifting pattern, universities have to change their objectives and methods, if they are to function effectively in our national life"

—*Report of the University Education Commission*, pp 5-6

3 Wastage in University Education

4 "A deplorable wastage of public funds goes on year after year. But what is worse, there is an unconcerned complacency about this serious loss of public funds on the one hand, and waste of time, energy and funds of students and their parents, besides terrible frustration of their hopes and inspirations on the other"—*Report of University Education Commission*, p 86

विश्वविद्यालय-शिक्षा में होने वाले अपव्यय का अनुमान नीचे की तालिका से लगाया जा सकता है —

विभिन्न परीक्षाओं के फल (१९५६-६०)^१

परीक्षा विवरण	सम्मिलित होने वाले छात्र (संख्या)	उत्तीर्ण होने वाले छात्र (संख्या)	सफलता प्रतिशत
आई० ए०	२,३६,१४६	८७,६१५	३७.१
आई० एस-सी०	६६,१८८	४१,५२६	४३.२
बी० ए०	१३,३५,३४७	५८,४५२	४३.२
बी० एस-सी०	५०,५०६	२२,३६७	४४.३
एम० ए०	१६,८५४	१६,३४३	८२.३
एम० एस-सी०	५,०१०	३,६७१	७६.३
व्यावसायिक विषय	८३,८४३	५३,३५४	६०.५

इस अपव्यय को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि केवल योग्य छात्रों को ही विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जाय। 'सार्जेंट-रिपोर्ट' के अनुसार हाई स्कूल-परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों में से १५ में से केवल १ को प्रवेश दिया जाय।^२ इसके अतिरिक्त, पाठ्य-क्रम में इस प्रकार सुधार किया जाय कि वह साहित्यिक न रहकर व्यावहारिक हो जाय, अन्यथा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या में कमी न हो सकेगी। परीक्षा-प्रणाली में सुधार करना और अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के पद से हटाना भी आवश्यक है तभी विश्वविद्यालय-शिक्षा के अपव्यय को कम किया जा सकेगा।

२. दोषपूर्ण पाठ्यक्रम

हमारे विश्वविद्यालयों के पाठ्य-क्रम विभिन्न प्रकार के छात्रों की अभिरुचियों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, फलस्वरूप उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस दोष का निवारण करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि विश्वविद्यालयों के पाठ्य-क्रमों में उसी प्रकार की विविधता समाविष्ट की जाय, जैसे कि 'मुदालियर कमिशन' ने माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्य-क्रम के लिये निर्धारित की है। विश्वविद्यालयों के पाठ्य-क्रम का लचीला होना आवश्यक है, जिससे उसको परिवर्तनशील समाज की परिस्थितियों और उसके सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके। "शिक्षा प्रणालियों का निर्माण कुछ समय के लिए, न कि सदैव के लिये किया जाता है। मानव को शिक्षा देने की कोई स्थायी विधि नहीं है। जो पाठ्य-क्रम वैदिक काल या पुनरुत्थान के युग में उपयुक्त था, उस २०वीं शताब्दी में बिना परिवर्तित किये प्रयोग

1 *Education in India, (1959-60), p 171*

2 *Sargent Report, p 32.*

नहीं किया जा सकता है।¹ अतः यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों के पाठ्य-क्रम में यथाशीघ्र सुधार किया जाए।

३. शिक्षा में विशिष्टीकरण²

विश्वविद्यालय-शिक्षा का एक स्पष्ट दोष यह है कि विभिन्न विषयों में विशिष्टीकरण पर बल दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि विश्व-विद्यालय की शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त छात्रों को किसी विशेष विषय में तो दक्षता प्राप्त हो जाती है; परन्तु उनका दृष्टिकोण असन्तुलित रहता है और वे पूर्णतया शिष्ट व्यक्ति नहीं बन पाते हैं। सैयदैन ने उचित ही लिखा है —“विशिष्टीकरण में एक प्रकार की संकीर्णता एवं काल्पनिकता होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि विज्ञान के छात्रों को कला और कविता तथा सामाजिक और राजनैतिक समस्याओं का कोई ज्ञान नहीं होता, और आर्ट्स के विद्यार्थियों को इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि विज्ञान तथा वैज्ञानिक विधियों ने उस संसार को—जिसमें वे निवास करते हैं, किस प्रकार परिवर्तित कर दिया है।”³

विश्वविद्यालय-शिक्षा में इस अलौकिक विशिष्टीकरण का निराकरण करने के विचार से ‘विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग’ ने सुझाव दिया है कि ‘सामान्य शिक्षा’ (General Education) को विश्वविद्यालयों के पाठ्य-क्रम में स्थान दिया जाय। इस शिक्षा का उद्देश्य—वर्तमान पाठ्य-क्रम में असन्तुलित विशिष्टीकरण के दोषों का उन्मूलन करना है।

४. छात्रों में पथ-प्रदर्शन की व्यवस्था न होना⁴

हमारे विश्वविद्यालयों में छात्रों का पथ-प्रदर्शन करने और उनको परामर्श देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अभाव में छात्र स्वयं अपनी इच्छा से या किसी

1. “Educational systems are built for a time and not for all time. There are not changeless ways of educating human nature. A curriculum which had vitality in the Vedic period or Renaissance cannot continue unaltered in the 20th Century.”

—Report of the University Education Commission, p. 44.

2. Specialisation in Education.

3. There is a certain narrow, unimaginative type of specialisation which results in the Science students being complacently ignorant of art and poetry; and Arts students having no appreciation of how science and the scientific technique have transformed the world in which they are living.”—K. G. Saiyadain : *Education, Culture & Social Order*, p. 163.

4. No Provision for Students' Guidance & Counselling.

अनुभवहीन व्यक्ति के परामर्श से पाठ्य-क्रम में विषयों का चयन करते हैं। परिणाम यह होता है कि अनेक छात्र ऐसे विषयों का चुनाव कर लेते हैं, जो या तो उनकी प्रवृत्ति के प्रतिकूल होते हैं या जिनका अध्ययन करने की उनमें क्षमता नहीं होती है। जब उन्हें इस बात का ज्ञान होता है, तब इतना विलम्ब हो जाता है कि वे अपने को कुछ करने में असमर्थ पाते हैं। फलतः उन्हें छात्र-जीवन में असफलता, और इस असफलता के परिणामस्वरूप व्यावहारिक जीवन में निराशा का सामना करना पड़ता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि विश्वविद्यालय-जीवन में आदि से लेकर अन्त तक छात्रों को अनुभवी तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों का पथ प्रदर्शन एवं परामर्श प्राप्त हो। इस सम्बन्ध में जैसी व्यवस्था 'मुद्रालियर कमीशन' ने माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए की है, वैसी ही व्यवस्था विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए भी की जानी चाहिए।

५ शिक्षा का निम्न स्तर

हमारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर पर्याप्त निम्न है। आयर्लैंड ने उचित ही लिखा है — "हमारे ज्ञान और शिक्षण का स्तर वैसा तो कभी भी ऊँचा नहीं था, परन्तु अब वह अति तीव्रता से नीचे की ओर जा रहा है।" ¹ इसके अनेक कारण प्रस्तुत किये जाते हैं। यह बात सचविदित है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों पर कार्य का भार अत्यधिक है। फलस्वरूप वे अपने व्याख्यानो को पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। कक्षाओं में इतने अधिक छात्र होते हैं कि उनमें और अध्यापकों में व्यक्तिगत सम्पर्क असम्भव होता है। ट्यूटोरियल पद्धति, विमर्श गोष्ठियों और पुस्तकालयों में अध्ययन करने की प्रथा का पूर्ण अभाव है। फिर अध्यापकों का वेतन इतना न्यून है कि उन्हें अपने कार्यों में रुचि लेने की कोई इच्छा ही नहीं होती है। साथ ही, छात्रों को प्रतिदिन इतने घण्टे कॉलेज में अध्ययन करना पड़ता है कि कुछ घण्टों के पश्चात् रोचक व्याख्यान भी उनके लिये अरुचिकर प्रतीत होने लगता है। 'राधाकृष्णन् कमीशन' ने विश्वविद्यालयों के अध्यापन के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये कुछ बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, जिनमें से प्रमुख हैं (१) अध्यापकों की वेतन वृद्धि, (२) उनके द्वारा सप्ताह में १८ घण्टे अध्यापन कार्य, (३) सेवा प्रतिबन्धों में सुधार, (४) ट्यूटोरियल कक्षाओं की व्यवस्था, (५) पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं का सुसंगठन, एवं (६) विमर्श-गोष्ठियों को प्रोत्साहन।

६ शिक्षा का माध्यम 'अग्रजों' होना

हमारे देश को स्वतन्त्र हुए आज पूरे २३ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, पर अब

1 "Our standards whether in scholarship or teaching, never very high or exacting are now fast racing, to the bottom"

भी विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के पद पर 'अंग्रेजी' भाषा प्रतिष्ठित है। हमारी दीर्घकालीन दासता ने हम में अंग्रेजी से इतना मोह उत्पन्न कर दिया है कि हम अब भी उसका आँचल पकड़े हुए हैं। परन्तु इससे हमारे नवयुवकों का कितना अनर्थ हो रहा है, इस बात को हमने कभी शान्त मस्तिष्क से नहीं विचारा है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन था :—“विदेशी माध्यम ने राष्ट्र की शक्ति को क्षीण कर दिया है। इसने व्यक्तियों की आयु कम कर दी है, इसने उनको जन-साधारण से पृथक् कर दिया है, इसने शिक्षा को अनावश्यक रूप से महँगा बना दिया है।” इन दोषों को देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अंग्रेजी को शीघ्रातिशीघ्र शिक्षा के माध्यम के पद से हटा देना चाहिये। 'विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग' ने सुझाव दिया है कि प्रादेशिक भाषा या संघीय भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाय। अधिक उपयुक्त यह होगा कि संघीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय, जिससे देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों के मध्य सम्पर्क स्थापित करने और अग्निल भारतीय सेवाओं की परीक्षा लेने में सुविधा हो।

७ दोषपूर्ण परीक्षा-प्रणाली

हमारे विश्वविद्यालयों की परीक्षा-प्रणाली अनेक दोषों से युक्त है। आज तक जितनी भी समितियाँ एवं आयोग नियुक्त किये गये हैं, उन सब ने इन दोषों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। १९०२ के 'भारतीय विश्वविद्यालय-आयोग' का कथन था—“भारत में विश्वविद्यालय-शिक्षा का सर्वमहान् दोष यह है कि 'शिक्षण' परीक्षा के अधीन है, न कि 'परीक्षा' शिक्षण के।”^१ १९४६ के 'विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग' का मत था—“यदि हम विश्वविद्यालय-शिक्षा के केवल एक विषय में सुधार का सुझाव दें तो वह परीक्षाओं के सम्बन्ध में होना चाहिए।”^२ इस सुधार के विषय में विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग' ने कुछ बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, जिनमें से मुख्य है —(१) वैज्ञानिक पद्धतियों को परीक्षा-पद्धति में न्यायान्वित करना, (२) प्रगति-परीक्षाओं द्वारा छात्रों का

1 “The imposition of a foreign medium has sapped the energy of the nation. It has shortened the lives of the people, it has estranged them from the masses, it has made education unnecessarily expensive ”

2 “The greatest evil from which university education in India suffers, is that teaching is subordinated to examination, and not examination to teaching”—*Report of the University Education Commission*, p 328.

3. “If we are to suggest one single reform in university education, it should be that of examination.”—*Report of the University Education Commission*, p 328.

परीक्षण करना, (३) वस्तुनिष्ठ प्रगति-परीक्षाओं का कुलक तैयार करना, और (४) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के लिये क्रमशः ७०, ५५ और ४० प्रतिशत अंक निर्धारित करना ।

अन्य दोष

विश्वविद्यालय शिक्षा में और भी अनेक दोष हैं यथा—धार्मिक शिक्षा का अभाव, जिससे छात्रों का नैतिक पतन हो रहा है । स्वास्थ्य-शिक्षा की व्यवस्था न होने से विद्यार्थियों का शारीरिक विकास अवरुद्ध हो गया है । कॉलेजों एवं विश्व-विद्यालयों के अध्यापक प्रशासन-कार्य में रुचि लेने के कारण शिक्षण-कार्य की अवहेलना करते हैं । उच्च शिक्षा सस्थायों में घनाभाव के कारण शिक्षण सामग्री, छात्रावासों, व्यायामशालाओं आदि का प्रबन्ध नहीं कर पाती है । विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान-कार्य पर कम ध्यान दिया जाता है ।

निष्कर्ष

उपरिक्तित प्रायः सभी दोषों की ओर 'विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग' का ध्यान आकर्षित हुआ है और उसने उनके निराकरण के लिये अपने प्रतिवेदन में उपचारों का प्रस्ताव किया है, जिनमें से अधिकांश को सरकार द्वारा स्वीकार करके कार्यान्वित कर दिया गया है । हम आशा हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा अपने वर्तमान दोषों से मुक्त होकर भारत के नवयुवकों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के साथ-साथ, उनकी बौद्धिक एवं शारीरिक शक्तियों को विकसित करके, उन्हें देश के योग्य नागरिक बनायेगी ।

विश्वविद्यालय-शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में छात्रों में संख्या में वृद्धि हुई है । १९५०-५१ में छात्र संख्या ४,०३,५१९ थी, जो १९६५-६६ में बढ़कर १९,५९,००० हो गई ।^१ इन आँकड़ों से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में कितनी शक्ति व्यय जा रही है । विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों की शिक्षा के प्रकार को उन्नत करने एवं अपव्यय को कम करने के लिये 'विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग' कुछ उपाय कर रहा है । माध्यमिक कक्षाओं में विविधतायुक्त शिक्षा के प्रवर्तन से कदाचित् कॉलेजों में छात्रों की भीड़ कुछ कम हो जाय । यह भी प्रश्न उपस्थित हुआ है कि—सावजनिक सेवाओं में भर्तियों की दृष्टि से किस सीमा तक डिग्री पर निर्भर किया जाय या वित्कुल ही न किया जाय ? इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक समिति विचार कर रही है । विश्वविद्यालयों में सम्बद्ध कॉलेज—जिनमें से अनेक में मानदण्ड असन्तोषजनक है, एवं और महत्वपूर्ण समस्या उपस्थित करते हैं,

और केन्द्रीय सरकार इस पर भी विचार कर रही है। यह बात निर्विवाद है कि माध्यमिक कक्षाओं एवं विश्वविद्यालयों के स्तर पर सार्वजनिक सेवाओं के लिए भर्ती की शक्तों एवं विधियों में उपयुक्त परिवर्तन करने से विश्वविद्यालय की शिक्षा को वृहत्तर उद्देश्य, अर्थ एवं दिशा प्राप्त होगी और इस प्रकार राष्ट्रीय विकास में अधिक सहायता मिल सकेगी।

सारांश

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त भारत में ५५ विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इस समय देश में ७४ विश्वविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय ३ प्रकार के हैं—सम्बद्धक, शिक्षण एवं सम्बद्धक और सावास एवं शिक्षण।

विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग—इसकी स्थापना १९५३ में की गई, और १९५६ में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे स्वतन्त्र संस्था स्वीकार कर लिया गया। इस आयोग को विश्वविद्यालय-शिक्षा सम्बन्धी अधिकांश मामलों की देख-रेख का भार सौंपा गया है। आयोग को विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देने तथा उनकी विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने का भी अधिकार प्राप्त है। आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त ६ सदस्य होते हैं :—३ विश्वविद्यालयों के उपकुलपति, ४ प्रसिद्ध भारतीय शिक्षा-विशेषज्ञ, और २ केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि।

सामान्य शिक्षा—विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिये सामान्य शिक्षा की योजना तैयार की गई है। प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि से सम्बन्धित मूल-विषयों के अध्ययन की सामान्य शिक्षा सभी स्नातक-पूर्व गैर-व्यावसायिक संकायों के लिये अनिवार्य होगी।

त्रि-वर्षीय डिग्री पाठ्य-क्रम—४१ विश्वविद्यालयों और ७६३ कॉलेजों में इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। बम्बई विश्वविद्यालय ने इसे स्वीकार नहीं किया है, और गोरखपुर विश्वविद्यालय इस पर विचार कर रहा है। शेष विश्वविद्यालयों ने इसे क्रियान्वित करना स्वीकार कर लिया है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय—अलीगढ़, बनारस, दिल्ली, विश्वभारती और जवाहरलाल विश्वविद्यालयों के संचालन का भार केन्द्रीय सरकार पर है।

विश्वविद्यालय-शिक्षा के दोष—(१) विश्वविद्यालय-शिक्षा में अपव्यय; (२) दोषपूर्ण पाठ्य-क्रम, (३) शिक्षा का विशिष्टीकरण, (४) छात्रों के पथ-प्रदर्शन की व्यवस्था न होना, (५) शिक्षा का निम्न स्तर, (६) शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना; और (७) दोषपूर्ण परीक्षा-प्रणाली।

समस्याएँ—(१) छात्रों की संख्या में असाधारण वृद्धि, (२) उनकी शक्ति का वेकार जाना, (३) सार्वजनिक सेवाओं के लिये डिग्री पर निर्भर होना और अनेक कॉलेजों में शिक्षा का निम्न स्तर।

TEST QUESTIONS

- 1 What are the present developments in University Education in India ? Write a critical essay giving your views on the reorganization of University Education

भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की वर्तमान अग्रगतियाँ क्या हैं ? विश्वविद्यालय शिक्षा के पुनर्गठन के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए एक आलोचनात्मक निबन्ध लिखिये ।

- 2 Summarise briefly the defects of the University Education
विश्वविद्यालय-शिक्षा के दोषों का संक्षेप में वर्णन कीजिये ।

- 3 Write short notes on the following —(a) University Grants Commission, (b) Scheme of General Education, and (c) Three-Year Degree Course

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये —(अ) विश्वविद्यालय-अनुदान आयोग, (ब) सामान्य शिक्षा की योजना, (स) त्रि-वर्षीय डिग्री पाठ्य-क्रम ।

विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग^१ (१९४८-१९४९)

राधाकृष्णन् कमीशन^२

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त विश्वविद्यालयों और उनमें शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हुई। परन्तु विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जा रही थी, उससे जन-साधारण में अत्यधिक असन्तोष था। विश्वविद्यालय-शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य—छात्रों को किसी परीक्षा के लिये तैयार करना था। स्वतन्त्र भारत की नवीन राजनैतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में इस प्रकार की शिक्षा देश के नवयुवकों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त समझी गई, और देश तथा वातावरण की आवश्यकताओं के अनुसार उनके नवनिर्माण की माँग की गई। अतः 'अन्तर्विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद्'^३ और 'केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड' ने सरकार से एक 'अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग' नियुक्त करने की सिफारिश की, जो देश की नई माँगों के अनुकूल विश्वविद्यालय शिक्षा के पुनर्गठन के लिये सुभाव दे।

आयोग की नियुक्ति

उपयुक्त सिफारिश को स्वीकार करके भारत-सरकार ने ४ नवम्बर, १९४८ को डा० एस० राधाकृष्णन् (Dr. S. Radhakrishnan) की अध्यक्षता में 'विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग' की नियुक्ति की। अध्यक्ष के नाम पर इस आयोग को 'राधाकृष्णन् कमीशन' भी कहा जाता है।

1. University Education Commission.
2. Radhakrishnan Commission.
3. Inter-University Board of Education.

आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य

‘आयोग’ की नियुक्ति के उद्देश्य “भारतीय विश्वविद्यालय-शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना और उन सुधारों तथा विस्तारों के विषय में सुझाव देना, जो देश की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं के उपयुक्त होने के लिये वाछनीय हो सकें।”¹

‘आयोग’ ने विश्वविद्यालय-शिक्षा से सम्बन्धित एक प्रश्नावली तैयार करके शिक्षा-विशेषज्ञों के पास भेजी। लगभग ६०० व्यक्तियों ने इस प्रश्नावली के उत्तर दिये। ‘आयोग’ के सदस्य भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में गये। वहाँ उन्होंने शिक्षाधिकारियों, छात्रों की संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं अन्य शिक्षाविदों से भेंट की और विश्वविद्यालय-शिक्षा के सभी अवयवों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। तदुपरान्त ‘आयोग’ ने अथक परिश्रम से अपनी रिपोर्ट तैयार की और २५ अगस्त, १९४६ को उसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया।

आयोग के विचार एवं सुझाव

‘आयोग’ ने विश्वविद्यालय-शिक्षा के सभी पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किये हैं और उनमें सुधार करने के लिये सुझाव भी दिये। हम उनमें से महत्त्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों का संक्षिप्त विवरण नीचे दे रहे हैं :—

१. विश्वविद्यालय-शिक्षा के उद्देश्य

भारतीय संविधान में न्याय, स्वतन्त्रता, समता तथा बन्धुता की प्राप्ति द्वारा लोकतान्त्रिक गणराज्य स्थापित करने का संकल्प किया गया है। इन्हीं आदर्शों को ध्यान में रखकर ‘आयोग’ ने विश्वविद्यालय-शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताये :—

१. स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में महान् परिवर्तन हो चुका है। अतः हमारे विश्व-विद्यालयों के कर्तव्यों तथा दायित्वों में वृद्धि हो गई है। अब उन्हें ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है, जो राजनैतिक, प्रशासकीय तथा व्यावसायिक क्षेत्र में नेतृत्व ग्रहण कर सकें।
२. विश्वविद्यालय, समाज-सुधार में महत्त्वपूर्ण योग दे सकते हैं। अतः उनका उद्देश्य—ऐसे नेताओं को जन्म देना होना चाहिये जो दूरदर्शी, बुद्धिमान तथा साहसी (Intellectual Adventurer) हों।
३. विश्वविद्यालयों को ऐसे विवेकी व्यक्तियों को जन्म देना चाहिए, जो प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा का प्रसार कर सकें, ज्ञान की निरन्तर खोज कर सकें, मानव-जीवन का अर्थ तथा सार जान सकें,

1. “.....to report on Indian University Education and suggest improvements and extensions that may be desirable to suit present and future requirements of the country.”—*Report of the University Education Commission, p. 1.*

रोजगारों की व्यवस्था कर सकें और देश तथा समाज के विभिन्न भौतिक अभावों की पूर्ति के लिए साधनों को जुटा सकें।

४. शिक्षा का उद्देश्य—जीवन और ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में समन्वय स्थापित करना है। अतः यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों में जो विषय पढ़ाये जायें, वे पाठ्य-क्रम के अभिन्न अङ्ग हों, जिससे कि छात्रों के मस्तिष्क में विभिन्न तत्त्वों का संकलन न हो, अपितु सम्पूर्ण तत्त्वों का एक ही सचि में समावेश हो जाय।
५. छात्रों का आध्यात्मिक विकास करना—विश्वविद्यालयों का एक प्रमुख कर्तव्य है।
६. विश्वविद्यालय—देश की सभ्यता तथा संस्कृति के पोषक हैं। यदि हम सभ्य कहलाना चाहते हैं, तो हमें दुखी-दरिद्रों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, शान्ति एवं स्वाधीनता से प्रेम करना चाहिए, और अत्याचार तथा अन्याय से घृणा करनी चाहिए, विश्वविद्यालय की शिक्षा का उद्देश्य—नवयुवकों में इन तत्त्वों का संचार करना होना चाहिए।
७. शिक्षा का उद्देश्य—व्यक्ति के जन्मजात गुणों को खोज निकालना और प्रशिक्षण द्वारा उन गुणों को विकसित करना है। विश्वविद्यालय अपने छात्रों के प्रति इन दोनों कर्तव्यों का पालन करें।
८. स्वस्थ मस्तिष्क—स्वस्थ शरीर में निवास करता है। अतः विश्वविद्यालयों में छात्रों के न केवल मानसिक विकास, अपितु शारीरिक स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दिया जाय। शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों में अनुशासन, साहस, नेतृत्व तथा सामूहिक भावना का विकास करेगी।
९. साहित्य—मानवीय भावनाओं को स्पर्शित तथा परिवर्द्धित करता है। अतः विश्वविद्यालयों को भाषा एवं मातृभाषा के साहित्य को सामान्य-शिक्षा में सर्वप्रथम स्थान देना चाहिए। साथ ही विश्वविद्यालयों में दार्शनिक अध्ययनों पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन के आचरणों तथा उद्देश्यों से घनिष्ठ सम्बन्ध है।
१०. “हम न्याय, स्वतन्त्रता, समानता तथा बन्धुता की प्राप्ति द्वारा प्रजातन्त्र की खोज में रत हैं।”^१ अतः यह आवश्यक है कि हमारे विश्वविद्यालय इन आदर्शों के प्रतीक तथा संरक्षक हों।

२. अध्यापक वर्ग^२

अध्यापकों की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए ‘आयोग’ ने लिखा—

1. “We are engaged in a quest for democracy through the realisation of justice, liberty, equality and fraternity.”—*Report of the University Education Commission*, p. 36.

2. Teaching Staff.

१. अध्यापको को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं है। यही कारण है कि शिक्षण का स्तर गिरता चला जा रहा है। इसके लिए अध्यापक उतने उत्तरदायी नहीं है, जितने कि विश्वविद्यालय और सरकार। अध्यापको को अन्वेषण तथा पुस्तकालयों की सुविधा प्राप्त नहीं है। यदि विश्व-विद्यालय और सरकार आवश्यक साधनों को जुटा दें, तो अध्यापक अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता हो सकता है।
- २ हमारे विश्वविद्यालयों में लोकतान्त्रिक नियन्त्रण तथा निर्वाचनों की पद्धति है। अतः अध्यापको में विश्वविद्यालय के प्रशासनात्मक कार्यों में अधिक रुचि हो गई है, और वे अपने अध्यापन कार्य की उपेक्षा करने लगे हैं।
- ३ अध्यापको का वेतन न्यून है, उनकी सेवा की शर्तें आकर्षक नहीं हैं, और उन्हें अपना कार्य करने की प्रेरणा नहीं प्राप्त होती है।

उपरिलिखित नुटियों को दूर करने के लिये 'आयोग' ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए, यथा —

- १ अध्यापको को प्राविडेन्ट-फंड की अधिक उत्तम सुविधा दी जाय। इसके लिए अध्यापक और विश्वविद्यालय—दोनों आठ-आठ प्रतिशत दें।
- २ विश्वविद्यालय के समीप ही अध्यापको के निवास की व्यवस्था की जाय।
- ३ अध्यापक अपने पद पर ६० वर्ष की आयु तक रहे, और यदि उनका स्वास्थ्य अच्छा है, तो वे ६४ वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं।
४. अध्यापको को अध्ययन के लिए एक बार में एक १ वर्ष का अवकाश, और सम्पूर्ण सेवा-काल में ३ वर्ष का अवकाश मिलना चाहिए।
- ५ अध्यापको को एक सप्ताह में अधिक से अधिक १८ घण्टे (Periods) का अध्यापन कार्य दिया जाय।
- ६ अध्यापको को चार वर्गों में विभक्त किया जाय—(क) प्रोफेसर, (ख) रीडर, (ग) लेक्चरर, और (घ) इस्ट्रक्टर। इनके अतिरिक्त, अनुसंधान अभिसदस्य (Research Fellows) भी हों। इनका वेतनक्रम निम्नलिखित होना चाहिए —

विश्वविद्यालयों में

(क) प्रोफेसर	६००—५०—१,३५० रु०
(ख) रीडर	६००—३०— ६०० रु०
(ग) लेक्चरर	३००—२५— ६०० रु०
(घ) इस्ट्रक्टर	२५०—२५— ५०० रु०
(ङ) अनुसंधान-अभिसदस्य	२५०—२५— ५०० रु०

सम्बद्ध स्नातक-वक्षा कॉलेज	स्नातकोत्तर-कक्षा कॉलेज
लेक्चरर " " " २००-१५-३२०-२०-४०० रु०	२००-१५-३०-२०-४००-२५-५०० रु०
सीनियर पोस्ट " " " ४००-२५-६०० रु०	५००-२५-८०० रु०
(प्रत्येक कॉलेज में दो)	
प्रिंसिपल " " " ६००-४०-८०० रु०	८००-५०-१,००० रु०

७. अध्यापको को निम्न पद से उच्च पद पर उन्नति केवल योग्यता के आधार पर दी जाय ।
८. जूनियर (लेक्चरर आदि) और सीनियर (रीडर व प्रोफेसर) पदों का अनुपात २ : १ होना चाहिए ।

३. अध्यापन के स्तर^१

हमारे विश्वविद्यालयों का अध्यापन-स्तर निम्न है । अतः इस बात की आवश्यकता है कि विश्वविद्यालय अपने शिक्षण-स्तर को उच्चतम बनाएँ । जब तक हमारे विश्वविद्यालय ऐसा नहीं करेंगे, तब तक हमारी उपाधियों को अपने देश और विदेशों में आदर प्राप्त नहीं होगा, और छात्रों को एक बहुत बड़ी संख्या में उच्च-शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों को जाना पड़ेगा । विश्वविद्यालयों में शिक्षण-स्तर की अभिवृद्धि करने के लिए 'आयोग' ने अधोलिखित सुझाव दिये ।—

१. विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिये विद्यार्थी वर्तमान इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हों ।
२. प्रत्येक प्रान्त में अधिक संख्या में इंटरमीडिएट कॉलेज खोले जायें, जिनमें योग्य शिक्षक और समुचित शिक्षण-सामग्री हों ।
३. हाई स्कूल एवं इंटर के उपरान्त छात्रों को व्यावसायिक एवं प्राविधिक स्कूल में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय, और इस प्रकार के स्कूल पर्याप्त संख्या में स्थापित किये जायें ।
४. शिक्षण-विश्वविद्यालयों की कला एवं विज्ञान कक्षाओं में ३,००० और सम्बद्ध कॉलेजों में १,५०० से अधिक छात्र न रखे जायें ।
५. परीक्षा-दिवसों को छोड़कर कार्य करने के दिन एक वर्ष में कम-से-कम १८० हों ।
६. शिक्षकों के व्याख्यान परिधम से तैयार किये जायें, ट्यूटोरियल-कक्षाओं की व्यवस्था की जाय और पुस्तकालय में अध्ययन तथा लिखित-कार्य पर बल दिया जाय ।
७. किसी भी कक्षा के लिए पाठ्य-क्रम निर्दिष्ट न किया जाय ।
८. व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के ऊपर अधिक नियन्त्रण रखा जाय ।

६. विभिन्न व्यवसायो में लगे हुए व्यक्तियों के लिए सायंकाल के समय कक्षाओं का प्रवन्ध किया जाय ।
१०. पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं को पूर्ण रूप से सुसंरक्षित तथा आधुनिक ढंग से सुसज्जित किया जाय ।
११. विश्वविद्यालयों में हाई-स्कूल तथा इंटर कॉलेजों के अध्यापकों के लिए 'अभिनवन पाठ्यक्रम' (Refresher Course) की व्यवस्था की जाय ।
१२. स्नातकोत्तर स्तर पर विमर्श-गोष्ठियों (Seminars) को प्रोत्साहित किया जाय ।

४. पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम 'औपचारिक' (Formal) शिक्षा के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि पाठ्य-क्रम के द्वारा ही छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त कराया जा सकता है । परन्तु यह आवश्यक है कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं एवं अनुभवों में अन्तर्सम्बन्ध एवं सामंजस्य हो । जब तक छात्र ज्ञान तथा अनुभव की एकता का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक उनके मस्तिष्क का सन्तुलित विकास सम्भव नहीं होगा । विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और माध्यमिक-स्कूलों में कला एवं विज्ञान की शिक्षा के साथ-साथ, सामान्य-शिक्षा (General Education) की भी व्यवस्था की जाय, जिससे कला एवं साहित्य के छात्र विज्ञान के विषयों का, और विज्ञान के छात्र कला एवं साहित्य के विषयों का ज्ञान अर्जित कर सकें । इस प्रकार 'सामान्य-शिक्षा' तथा 'विशेषीकृत शिक्षा' (Specialization) में सामंजस्य स्थापित करके, संकुचित विशेषता को दूर किया जा सकेगा । साथ ही, छात्रों के व्यक्तित्व का उपयुक्त विकास हो सकेगा और वे सुयोग्य नागरिक बन सकेंगे । सामान्य शिक्षा का पाठ्य-क्रम तथा पाठ्य-वस्तु विशिष्ट क्षेत्रों के अनुरूप होने चाहिए ।

पाठ्य-क्रम के विषय में 'आयोग' के कुछ प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं :—

१. स्नातक की उपाधि प्राप्त करने की अवधि ३ वर्षों हो । स्नातकोत्तर उपाधि 'आनर्स कोर्स' के १ वर्ष पश्चात् और स्नातक बनने के २ वर्ष उपरान्त प्रदान की जाय ।
 २. विश्वविद्यालयों तथा माध्यमिक स्कूलों में सामान्य शिक्षा के सिद्धान्तों एवं प्रयोगों का शिक्षण अविलम्ब प्रारम्भ कर दिया जाय ।
 ३. छात्रों के वैयक्तिक एवं सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाय और सामान्य-शिक्षा तथा विशेषीकृत-शिक्षा में समन्वय स्थापित किया जाय ।
५. स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान^१

मानव-सम्पत्ता ने उन विशेषज्ञों के कार्यों में अत्यधिक लाभ उठाया है, जिन्होंने

प्रकृति के रहस्यो तथा मानव के व्यवहारो मे गहराई तक प्रवेश किया है। आधुनिक जीवन अन्वेषण तथा अनुसंधान का ही परिणाम है। प्रगतिशील समाज अपने तीन समूहो के समावेश पर निर्भर रहना है—विद्वान्, अन्वेषक (Discoverer), एवं आविष्कारक (Inventor)। विद्वान् अतीत की खोज करते है और बुद्धि, सौन्दर्य तथा श्रेष्ठता के आदर्शो को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अन्वेषक नवीन मतों की खोज करते है, और आविष्कारक उन्हे हमारी वर्तमान आवश्यकताओ के लिये प्रयुक्त करते हैं। “विश्वविद्यालय इस प्रकार के मनुष्यो को जन्म देने के लिये मुख्य अभिकरण होते है, जो प्रगतिशील क्रियाओ का प्रभावपूर्ण साधन मे एकीकरण करते हैं।”¹ विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रसार करने के लिये उतने ही उत्तरदायी हैं, जितने कि नागरिको को प्रशिक्षित करने के लिये। ‘अनुसंधान’ विश्वविद्यालयो का प्रमुख कर्तव्य है। अत आवश्यकता इस बात की है कि हमारे विश्वविद्यालयो मे वैज्ञानिक अन्वेषण को प्राथमिकता दी जाय। केवल तभी हमारे देश मे ऐसे प्रशिक्षित अन्वेषण-कर्ता उत्पन्न होंगे, जो बौद्धिक जीवन के आदर्श प्रभाव स्थापित करेंगे और देश की भौतिक प्रगति मे सक्रिय योग देंगे। विश्वविद्यालयो मे स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-कार्य को सफल बनाने के लिये ‘आयोग’ ने निम्नलिखित सुझाव दिये :—

१. स्नातकोत्तर कक्षाओ के नियमो मे साम्य होना चाहिये और उनके शिक्षण का संगठन—भाषण, गोष्ठी (Seminar) एवं प्रयोगशाला कार्य पर आधारित होना चाहिये। उनके पाठ्य-क्रम मे एक विशिष्ट विषय का उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान की विधियो का प्रशिक्षण सम्मिलित किया जाना चाहिये।
२. पी० एच-डी० के छात्रो की अखिल-भारतीय स्तर पर निर्वाचित किया जाय। उनके अनुसंधान-कार्य की अवधि कम से कम २ वर्ष होनी चाहिये।
३. पी० एच-डी० एवं अन्य अनुसंधान कार्य करने वाले विद्यार्थियो के लिये छात्रवृत्तियो तथा अभिवृत्तियो (Research Fellowships) की व्यवस्था की जानी चाहिये।
४. डी० लिट्० एवं डी० एस-सी० की उपाधियां केवल उच्चकोटि की लौकिक कृतियो पर प्रदान की जानी चाहिये।
५. शिक्षा-मंत्रालय को विज्ञान मे अनुसंधान-कार्य को प्रोत्साहित करने के लिये पर्याप्त संख्या मे छात्रवृत्तियां देनी चाहिये।

1. “The Universities are the chief agencies for producing those types of men who will fuse progressive activities into an effective instrument.”—*Report of the University Education Commission*, p. 140.

६ विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभाग को अनुसन्धान-कार्य के लिये सरकार द्वारा उदार सहायता-अनुदान दिया जाना चाहिये ।

६ व्यावसायिक शिक्षा

'आयोग' ने व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा—“व्यावसायिक शिक्षा वह प्रक्रिया है, जो पुरुषों और स्त्रियों को व्यावसायिक भावना के साथ परिश्रमपूर्ण एवं उत्तरदायी सेवा के लिये तैयार करती है ।”¹ 'आयोग' के मतानुसार व्यावसायिक शिक्षा पर महान् उत्तरदायित्व है । हमारी सकटपूर्ण सम्यता उसी दशा में जीवित रह सकती है, जब हमारे व्यावसायिक मनुष्य अपनी नैतिक शक्तियाँ और मानसिक योग्यताओं को आधुनिक गहन समस्याओं का समाधान करने में प्रयोग करें । व्यावसायिक शिक्षा का आधार केवल व्यावसायिक कार्यपटुता ही नहीं होनी चाहिये, अपितु सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों तथा सम्बन्धों को समझने की क्षमता और बिना पूर्व द्वेष के यथार्थता को देखने की अनुशासित शक्ति भी होनी चाहिये । अतः यह आवश्यक है कि व्यावसायिक शिक्षा मनुष्य को ऐसा ज्ञान प्रदान करे, जिससे वह सम्पूर्ण मानवीय तथा सामाजिक रगभूमि में अपने व्यवसाय को कुशलतापूर्वक सम्पन्न करने की योग्यता प्राप्त करे । यदि व्यावसायिक शिक्षा इस कार्य में असफल होती है तो वह आधुनिक सम्यता, शान्ति और व्यवस्था प्रदान करने में असफल रहेगी ।²

इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा के महत्त्व तथा दायित्व पर प्रकाश डालकर, 'आयोग' ने भारत के विभिन्न व्यवसायों के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये, उनकी ओर हम नीचे सचेत कर रहे हैं —

(क) कृषि (Agriculture)—कृषि शिक्षा के सम्बन्ध में 'आयोग' ने निम्नांकित सिफारिशों की —

- १ भारत कृषि प्रधान देश है । अतः कृषि-शिक्षा को प्रमुख राष्ट्रीय समस्या मान लेना चाहिये ।
- २ प्रजातान्त्रिक देश में कृषि की ठोस नीति का निर्माण उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है, जो कृषि का ज्ञान रखते हैं एवं कृषि-कार्य में सलग्न हैं । अतः राष्ट्रीय आर्थिक योजना में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में कृषि शिक्षा का प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

1. "Professional education is the process by which men and women prepare for exacting responsible service in the professional spirit"—*Report of the University Education Commission*, p. 174

2. *Ibid*, pp 174-175

- ३ कृषि-शिक्षा, कृषि-अनुसंधान तथा कृषि-नीति का निर्माण यथासम्भव उन्ही व्यक्तियों या संस्थाओं के हाथ में होना चाहिये, जिन्हें कृषि-जीवन वा विशेष ज्ञान हो ।
- ४ कृषि-शिक्षा की संस्थाएँ यथासम्भव ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिये, जिससे छात्रों को कृषि-जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हो सके ।
- ५ वर्तमान कृषि-कॉलेजों को पर्याप्त आर्थिक महायत्ना देकर अधिक साधन सम्पन्न बनाया जाय, और उनमें योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाय ।
- ६ नवीन कृषि-कॉलेजों को यथासम्भव नवीन ग्रामीण विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध रखा जाय, जिससे कृषि-शिक्षा को अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित रख कर अधिक सम्पन्न बनाया जा सके ।
७. केन्द्रीय और राज्य-सरकारों द्वारा 'प्रयोगात्मक फार्म' (Experimental Farms) खोले जायें । कृषि अनुसंधान-कार्य उन्हीं फार्मों में किया जाय ।
- ८ वर्तमान कृषि-अनुसंधानशालाओं को आर्थिक सहायता देकर विस्तृत किया जाय ।
- ९ 'इण्डियन कॉउन्सिल ऑफ एग्रिकल्चर रिसर्च' के साधनों में वृद्धि की जाय और वह विभिन्न कृषि-अनुसंधान-केन्द्रों के लिये समोजक का कार्य करे ।
- १० विश्वविद्यालयों में अनुसंधान-केन्द्रों की स्थापना की जाय ।

(ख) वाणिज्य (Commerce)—'आयोग' ने विभिन्न स्तरों पर वाणिज्य की शिक्षा का विवेचन करने के उपरांत उसके विषय में निम्नलिखित सुझाव दिये —

- १ विश्वविद्यालय में वाणिज्य की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ३ या ४ विभिन्न प्रकार की फार्मों में व्यावहारिक (Practical) कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाय ।
- २ स्नातक-परीक्षा पास करने के पश्चात् छात्रों को किसी विशेष शाखा में विशेषज्ञ बनने का परामर्श दिया जाय और उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाय ।
- ३ एम० कॉम० में पुस्तकीय ज्ञान कम रखा जाय, और केवल कुछ ही छात्रों को यह कोर्स लेने की आज्ञा दी जाय ।

(ग) शिक्षा व्यवसाय (Teaching Profession)—शिक्षा-व्यवसाय में सुधार करने के उद्देश्य से 'आयोग' ने अधोलिखित सिफारिशों की —

- १ प्रशिक्षण-संस्थाओं के पाठ्य-क्रम में सुधार किया जाय । पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा विद्यालयों में अध्यापन के अभ्यास को अधिक महत्त्व दिया जाय ।
- २ छात्राध्यापकों के कार्य का मूल्यांकन करने में उनके अध्यापन की सफलता पर विशेष ध्यान रखा जाय ।

३. अध्यापन के अभ्यास के लिये केवल उपयुक्त विद्यालयों को ही चुना जाए।
४. प्रशिक्षण-विद्यालयों में अधिकांश अध्यापक वे हों, जो स्कूलों में पढ़ाने का पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर चुके हों।
५. शिक्षा-सिद्धान्त (Theory of Education) का पाठ्य-क्रम लचीला और स्थानीय वातावरण के अनुकूल बनाया जाय।
६. एम० एड० डिग्री के लिये उन्हीं व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाय, जिन्हें कुछ वर्षों के शिक्षण का अनुभव हो।
७. प्रोफेसरो तथा लेक्चररो द्वारा मौलिक कार्य अखिल भारतीय स्तर पर किया जाय।

(घ) इंजीनियरिंग एवं टेक्नॉलॉजी (Engineering & Technology)—
इंजीनियरिंग एवं टेक्नॉलॉजी की शिक्षा के सम्बन्ध में 'आयोग' की मुख्य सिफारिशें निम्नांकित थीं—

१. वर्तमान इंजीनियरिंग तथा टेक्नॉलॉजी की संस्थाओं की देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति माना जाय और उनकी उपयोगिता में वृद्धि करने के प्रयास किये जायें।
२. फोरमेन, ट्राफ्ट्समेन और ओवरसियरो को शिक्षा देने वाले इंजीनियरिंग स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जाय।
३. इंजीनियरिंग स्कूलों और कॉलेजों में अध्ययन करने वाले छात्रों को कारखानों में कार्य करके व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाय।
४. देश के विभिन्न उद्योगों की मांग को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग और टेक्नॉलॉजी की संस्थाओं के पाठ्यक्रम को विस्तृत किया जाय।
५. इंजीनियरिंग के प्रचलित पाठ्यक्रम में सुधार किया जाय। प्रथम वर्षों के पाठ्यक्रम में छात्रों को इंजीनियरिंग की समस्त शाखाओं की शिक्षा दी जाय और तदुपरान्त विशिष्ट शाखा की।
६. वर्तमान इंजीनियरिंग और टेक्नॉलॉजीकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर-अध्ययन एवं अनुसंधान की यथासम्भव व्यवस्था की जाय।
७. उच्च-शिक्षा प्रदान करने के लिये टेक्नॉलॉजीकल संस्थाओं का शीघ्रता-शीघ्र निर्माण किया जाय।
८. इंजीनियरिंग कॉलेजों को राजकीय विभागों तथा मन्त्रालयों के नियंत्रण में रखकर विद्वद्विद्यालयों से सम्बन्ध बर दिया जाय।

(ङ) कानून (Law)—कानून की शिक्षा के सम्बन्ध में 'आयोग' ने मुझाव निम्नलिखित थे—

१. देश के सभी कानून-कॉलेजों का पूर्ण रूप में पुनर्गठन किया जाय।

२. कानून-विभाग के अध्यापको की नियुक्ति विश्वविद्यालयों द्वारा उसी प्रकार की जाय, जिस प्रकार अन्य विभागों के अध्यापको की, की जाती है।
३. छात्रों को कानून की शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति तभी दी जाय, जब वे ३ वर्ष का सामान्य डिग्री कोर्स पास कर लें।
४. कानून के विशेष विषयों का पाठ्यक्रम ३ वर्ष का हो।
५. कानून के अध्यापक पूर्णकालीन और अंशकालीन—दोनों प्रकार के होने चाहिये। पूर्णकालीन अध्यापक कानून के आधारभूत विषयों की, और अंशकालीन अध्यापक व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा दें।
६. कानून के छात्रों को अपने अध्ययन-काल में अन्य डिग्री कोर्स लेने की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में दी जाय।

(च) चिकित्सा (Medical)—चिकित्सा-शिक्षा के विषय में 'आयोग' ने जो विचार प्रकट किये, उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं.—

१. किसी भी मेडिकल कॉलेज में १०० से अधिक छात्रों को प्रवेश न दिया जाय।
२. कॉलेज के जिन विभागों का सम्बन्ध अस्पताल से हो, वे सब एक ही स्थान पर हों।
३. कॉलेज में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र के लिये १० रोगी हों।
४. स्नातक-पूर्व एवं स्नातकोत्तर वृक्षाओं के छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाय।
५. स्नातकोत्तर शिक्षा केवल उन्हीं कॉलेजों में दी जाय, जिनमें सुयोग्य शिक्षा एवं उपयुक्त साधन हों।
६. सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुश्रुपा (Nursing) को अधिक महत्त्व प्रदान किया जाय।
७. देशी चिकित्सा-प्रणालियों में अनुसंधान-कार्य के लिये विशेष सुविधायें प्रदान की जायें।
८. मेडिकल कॉलेजों के प्रथम वर्ष में चिकित्सा-शास्त्र का इतिहास, भारतीय चिकित्सा-प्रणाली को विशेष रूप से ध्यान में रखकर पढाया जाय।

७. धार्मिक शिक्षा

हिन्दू और मुस्लिम युगों में धार्मिक शिक्षा—भारतीय शिक्षा-पद्धति का विशेष अंग थी। धार्मिक शिक्षा को छात्र के वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को निर्मात्रित करने के लिये आवश्यक समझा जाता था। अंग्रेज शासकों ने धार्मिक तटस्थता की नीति का अनुसरण किया और धार्मिक शिक्षा को भारतीय शिक्षा-पद्धति में कोई स्थान नहीं दिया। परन्तु आधुनिक युग में भौतिकवाद से पीड़ित व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिये धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा है। स्वतन्त्र भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है, परन्तु इसका या अर्थ नहीं है कि वह धर्म

की अवहेलना करता है। वह धार्मिक संकीर्णता का विरोधी है, परन्तु प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसरण की अनुमति देता है। यदि हमारे धर्म-निरपेक्ष राज्य का यह आधार है, तो धर्म-निरपेक्षता का अर्थ 'धर्म का निषेध' नहीं है। इसका अर्थ है—गहन आध्यात्मिकता, न कि संकीर्ण धार्मिकता। अतः हमारे सविधान के आधारभूत सिद्धान्तों के अनुसार आध्यात्मिक शिक्षा आवश्यक हो जाती है। इसी दृष्टिकोण को अपने समक्ष रखकर 'आयोग' ने धार्मिक शिक्षा के विषय में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये —

१. सभी शिक्षा-संस्थायें कुछ मिनट के मौन-चिन्तन के पश्चात् अपना दैनिक कार्य प्रारम्भ करें।
२. डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में विश्व के महान् धार्मिक नेताओं—बुद्ध, कनफ्यूसियस, सुकरात, ईसा, शंकर, रामानुज, माध्व, मुहम्मद, कबीर, नानक, गांधी—की जीवनियाँ पढाई जायें।
३. द्वितीय वर्ष में विश्व के धार्मिक ग्रन्थों में से सार्वभौमिक महत्त्व के चुने हुए भाग पढाये जायें।
४. तृतीय वर्ष में धर्म-दर्शन की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन किया जाय।

८ शिक्षा का माध्यम

'आयोग' को विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षा-संस्थाओं में शिक्षा के माध्यम की समस्या पर अति गम्भीर विचार करना पडा। कारण यह था कि अन्य किसी समस्या पर शिक्षा-विशेषज्ञों का इतना मतभेद नहीं था, जितना कि शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर। इसके अतिरिक्त माध्यम की समस्या पर विचार करते समय आयोग को विभिन्न राज्यों और जातियों की भाषाओं का शिक्षा के माध्यम के रूप में निष्पक्ष होकर विचार करना पडा। अन्ततोगत्वा 'आयोग' माध्यम के विषय में नीचे दिये हुए निष्कर्षों पर पहुँचा —

१. सघीय भाषा में अन्य स्रोतों से आये हुए शब्दों का समन्वय किया जाय और इस प्रकार उसे समृद्ध बनाया जाय।
२. अन्तर्राष्ट्रीय प्राविधिक एवं वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दों (International Technical & Scientific Terminology) को अपनाया जाय और भारतीय भाषाओं की ध्वनि, प्रकृति एवं उच्चारण के अनुसार उनका भारतीयकरण किया जाय।
३. उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में यथाशीघ्र अंग्रेजी के स्थान पर किसी भारतीय भाषा का प्रयोग प्रारम्भ किया जाय।
४. विभिन्न कठिनाइयों के फलस्वरूप संस्कृत को शिक्षा के माध्यम के स्थान पर प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता है।
५. उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को तीन भाषाओं का ज्ञान कराया जाय—प्रादेशिक भाषा (मातृभाषा), सघीय भाषा (राष्ट्रभाषा), और अंग्रेजी।

६. उच्च शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा (Regional Language) हो, परन्तु राष्ट्रभाषा को एक या अधिक विषयों की शिक्षा का माध्यम बनाया जा सकता है।
७. संघीय भाषा के लिए केवल देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाय और इस लिपि के वर्तमान दोषों को दूर किया जाय।
८. संघीय एवं प्रादेशिक भाषाओं को विकसित करने के लिये यथाशीघ्र क्रियात्मक पग उठाया जाय।
९. वैज्ञानिकों एवं भाषा-विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जाय, जो सभी भारतीय भाषाओं में समान रूप से प्रयोग किये जाने के लिये एक वैज्ञानिक शब्द-कोश का निर्माण करे, और जो सभी भारतीय भाषाओं में विभिन्न विद्वानों की पुस्तकों का प्रकाशन करे।
१०. राज्य-सरकारें उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कॉलेजों और विश्व-विद्यालयों की सभी कक्षाओं में संघीय भाषा की शिक्षा की व्यवस्था करें।
११. नवीन ज्ञान के सम्पर्क में रहने के लिये हाई स्कूल और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी का अध्ययन यथापूर्व रखा जाय।

६. परीक्षाएँ

भारतीय शिक्षा में परीक्षाओं की प्रचलना है। गत वर्षों में नियुक्त की गई समितियों और आयोगों ने प्रचलित परीक्षा-प्रणाली के दोषों की तीव्र आलोचना की है। इन दोषों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है और अभी तक उनके निराकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया है। आयोग ने लिखा : - "हमें विश्वास है कि यदि हम विश्वविद्यालय-शिक्षा के केवल एक विषय में सुधार का सुझाव दें, तो वह परीक्षाओं के सम्बन्ध में होना चाहिए। यद्यपि परीक्षाओं के प्रति भारत तथा संसार में अत्यधिक असन्तोष है और प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री एवं महत्वपूर्ण शिक्षा-संस्थायें उनके उन्मूलन के पक्ष में हैं, तथापि हम इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। यदि परीक्षाओं की उचित रूप से व्यवस्था की जाय, तो वे शिक्षा-प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती हैं।"¹ इस विचार से प्रेरित होकर आयोग ने परीक्षाओं में सुधार करने के लिए अग्रलिखित सुझाव दिये :—

1. "We are convinced that if we are to suggest one single reform in University Education it should be that of the examinations. We know that in India as elsewhere in the world, dissatisfaction with examinations has been so keen that eminent educationists and important educational organizations have even advocated the abolition of examinations. We do not share that extreme view and feel that examinations rightly designed and intelligently used, can be a useful factor in the educational process."—*Report of the University Education Commission, p. 328.*

१. शिक्षा-मन्त्रालय और विश्वविद्यालयों में परीक्षा लेने की वैज्ञानिक पद्धतियों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाय और इस अध्ययन के परिणामों को परीक्षा-पद्धति में क्रियान्वित करके, उसमें सुधार किया जाय ।
२. प्रत्येक विश्वविद्यालय में तीन सदस्यों का एक पूर्णकालीन बोर्ड स्थापित किया जाय । इस बोर्ड के दो प्रमुख कार्य होंगे —
 - (क) विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज के अध्यापकों को वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं (Objective Tests) की नवीन योजनाएँ बनाने में परामर्श देना और पाठ्य-क्रम में संशोधन के लिये सामग्री देना ।
 - (ख) सम्बद्ध कॉलेजों के छात्रों का समय-समय पर प्रगति परीक्षाओं (Progressive Tests) द्वारा परीक्षण करना ।
३. कक्षा में छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए यथाशीघ्र वस्तुनिष्ठ प्रगति-परीक्षाओं (Objective Progressive Tests) का एक कुलक (Set) विकसित किया जाय ।
४. राजकीय पदों के लिये विश्वविद्यालय की डिग्री को अनिवार्यता न दी जाय । सेवा-आयोग (Service Commissions) कुछ शुल्क लेकर परीक्षाओं की व्यवस्था करें और उनमें उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से चुनाव किया जाय ।
५. कक्षा-कार्य को परीक्षाओं में कोई महत्त्व नहीं दिया जाता है । अतः यह आवश्यक है कि परीक्षा के पूर्णाङ्कों का तृतीय भाग कक्षा-कार्य के लिये सुरक्षित कर दिया जाय ।
६. तीन वर्ष के डिग्री पाठ्य-क्रम की परीक्षा तीन वर्ष उपरान्त न ली जाय, अपितु प्रत्येक वर्ष के अन्त में 'स्वतः पूर्ण इकाइयों' (Self-contained Units) में परीक्षा ली जाय, और विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय में पास होना आवश्यक हो ।
७. परीक्षक का चुनाव बड़ी सावधानी से किया जाय । केवल वे ही व्यक्ति परीक्षाएँ नियुक्त किये जायें, जो अपने विषय को ५ वर्ष तक पढ़ा चुके हों ।
८. परीक्षाओं के स्तर को ऊँचा करने के लिये प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियों के लिये न्यूनतम अङ्क क्रमशः ७०, ५५ और ४० प्रतिशत निर्धारित किये जायें ।
९. मौखिक परीक्षाएँ (Viva-Voce Tests) केवल स्नानवोत्तर एवं व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए हों ।

१०. छात्र, उनके कार्य तथा उनका कल्याण^३

“नवयुवक की निशा नया नवीन गन्ध की मोत्र—विश्वविद्यालयों के प्रमुग

कर्तव्य हैं। आज के बालक और बालिकाएँ—कल के परिपक्व नागरिक हैं। छात्र का निर्माण विश्वविद्यालय के लिये नहीं होता है, अपितु विश्वविद्यालय छात्र का निर्माण करने के लिये होता है। अतः यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय प्रत्येक सम्भव प्रयास और विधि से छात्रों की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का पूर्ण और अधिकतम विवास करें।¹ अतः 'आयोग' ने छात्रों के व्यक्तित्व के विवास और चरित्र-निर्माण के लिये निम्नांकित सुझाव दिये —

- १ विश्वविद्यालयों और कलेजा में छात्रों का प्रवेश बिना किसी प्रकार का भेद भाव किये, केवल योग्यता के आधार पर दिया जाय।
- २ प्रथम डिग्री कोर्स में विद्यार्थियों के लिये विभिन्न प्रकार के पाठ्य-क्रमों की व्यवस्था की जाय।
- ३ विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर, व्यावसायिक एवं उच्च अनुसंधान कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें।
- ४ योग्य किन्तु निर्धन छात्रों को परीक्षाओं के आधार पर छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जायें।
- ५ प्रवेश के समय और तदुपरान्त वर्ष में एक बार प्रत्येक छात्र और छात्रों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा की जाय।
- ६ प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्रों की चिकित्सा के लिये अस्पताल हो।
- ७ सक्रामक रोगों से पीड़ित छात्रों को विश्वविद्यालय या कॉलेज में प्रवेश न दिया जाय।
- ८ छात्रों के सम्पर्क में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की एक वर्ष में एक बार स्वास्थ्य परीक्षा की जाय।
- ९ शिक्षा-संस्था के भवन, छात्रावास आदि—सभी स्थानों की सफाई रखी जाय और इस कार्य को रिपोर्ट नियमित रूप से उप-कुलपति को दी जाय।
- १० मध्याह्न के समय उचित मूल्य पर छात्रों को पौष्टिक भोजन दिया जाय।
- ११ छात्रों के सक्रामक रोगों—चेचक, हैजा, टाइफाइड आदि के टीके लगाये जायें।

1 "Education of the youth and the discovery of new truth are the principal functions of universities. The boys and girls of today are the matured citizens of tomorrow. The student is not created for the university but the university exists for the student, and therefore, it must spare no effort and omit no devices which may promote the fullest and most complete realization of the student's possibilities on all planes—physical, intellectual and spiritual"—*Report of the University Education Commission, pp 344-345*

- १२ प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक 'डाइरेक्टर ऑफ फिजीकल एजुकेशन' की नियुक्ति की जाय।
- १३ छात्रों के खेल-कूद, जेमनेशियम आदि की उपयुक्त व्यवस्था की जाय।
- १४ सभी शिक्षा-संस्थाओं में एन० सी० सी० की स्थापना की जाय। जो छात्र एन० सी० सी० दल के सदस्य न हों, उनके लिये २ वर्ष की शारीरिक शिक्षा अनिवार्य हो। एन० सी० सी० का समस्त व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाय।
- १५ छात्रों को समाज-सेवा (Social Service) कार्य के लिये प्रेरणा दी जाय।
- १६ विश्वविद्यालयों में छात्रावास की उचित व्यवस्था की जाय। एक छात्रावास में ५० से अधिक विद्यार्थी न हों। उन्हें खेल, व्यायामशाला और सामुदायिक जीवन व्यतीत करने की सुविधा दी जाय।
- १७ विश्वविद्यालयों के छात्र-संघ राजनीति से यथासम्भव कोई सम्बन्ध न रखें। छात्र-संघ में विश्वविद्यालय के अधिकारी किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।
- १८ उत्तम प्रशासन में छात्रों की रुचि उत्पन्न की जाय और 'प्रोक्टोरियल-प्रणाली (Proctorial System) का विकास किया जाय।
- १९ विश्वविद्यालयों में 'छात्र कल्याण परामर्शदात्री समिति' (Advisory Board of Student Welfare) की स्थापना की जाय।
- २० अनुशासन बनाये रखने के लिये छात्रों को लाभदायक तथा रचनात्मक कार्यों में रत रखा जाय।

११. स्त्री शिक्षा

स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए आयोग ने लिखा — "शिक्षित स्त्रियाँ के बिना शिक्षित व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। यदि सामान्य शिक्षा पुरुषों या स्त्रियों तक सीमित रखी जाती है, तो स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी दशा में शिक्षा को अन्य पीढ़ी को हस्तान्तरित किया जा सकेगा।"^१ स्त्री शिक्षा के महत्त्व और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 'आयोग' ने इस विषय में निम्नलिखित विचार व्यक्त किये —

- १ स्त्रियों की शिक्षा ऐसी हानी चाहिए, जिससे वे मुमता और मुगूहिणी बन सकें।

1. "There cannot be an educated people without educated women. If general education had to be limited to men or women, that opportunity should be given to women, for then it would most surely be passed on to the next generation" — *Report of the University Education Commission, p 393.*

- २ पुरुषों के जिन कॉलेजों में स्त्रियों की शिक्षा दी जा रही है, उनमें स्त्रियों को जीवन की सामान्य सुविधायें तथा शिष्टाचारों की समुचित व्यवस्था की जाय।
३. स्त्रियों की शिक्षा-सुविधाओं में विस्तार किया जाय।
- ४ स्त्रियों को अपने हितों के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने में सुयोग्य पुरुषों और स्त्रियों द्वारा परामर्श दिया जाय।
- ५ शिक्षा प्राप्त करने में स्त्रियाँ, पुरुषों का अनुकरण न करें, अपितु स्त्रियोचित शिक्षा प्राप्त करें।
- ६ स्त्रियों एवं पुरुषों की शिक्षा अनेक बातों में समान हो सकती है, परन्तु वह पूर्णतः एक-सी नहीं होनी चाहिये।
- ७ शिक्षा संस्थाओं का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिये, जिससे स्त्रियाँ सामान्य समाज में अपना सामान्य स्थान ग्रहण कर सकें।
- ८ गृह अर्थशास्त्र (Home Economics) और गृह-प्रबन्ध (Home Management) की शिक्षा प्राप्त करने के लिये स्त्रियों को प्रेरणा दी जाय।
- ९ सह-शिक्षा की संस्थाओं में स्त्रियों के प्रति शिष्ट व्यवहार किया जाय।
- १० समान कार्य के लिये अध्यापिकाओं को उतना ही वेतन दिया जाय, जितना पुरुष-शिक्षकों को दिया जाया है।

१२ ग्रामीण विश्वविद्यालय

भारत खेतिहर देश है। अतः उसकी उन्नति और आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये ग्रामीण कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। इस दिशा में कार्य प्रारम्भ करना बाध्यकारी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये छोटे-छोटे सांवास्तिक स्नातक-पूर्व कॉलेज स्थापित किये जायें। उनके केन्द्र में एक विश्वविद्यालय हो। कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगभग ३०० हो, और समस्त कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय के छात्रों की संख्या २,५०० से अधिक न हो।

सभी कॉलेजों में पृथक् अध्यापक और शिक्षण की सुविधा हो। परन्तु जहाँ तक पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं आदि का प्रश्न है, वे सब कॉलेजों के लिये एक ही स्थान पर हो सकते हैं। इन कॉलेजों का प्रमुख ध्येय—छात्रों को सामान्य शिक्षा देना और उनकी व्यक्तिगत रचिमा का विकास करना, होना चाहिए। जिस समय छात्र स्नातक-पूर्व शिक्षा में अध्ययन कर रहे हों, उन्हें विश्वविद्यालय या व्यावसायिक स्कूल में किसी पाठ्य-क्रम को अध्ययन करने की सुविधा होनी चाहिए। इस प्रकार की सुविधा से उनका अधिक विकास सम्भव हो सकेगा, और वे स्नातक-पूर्व शिक्षा के साथ-साथ किसी विषय की विशेष शिक्षा भी प्राप्त कर सकेंगे। स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में बड़े विभाजन नहीं होना चाहिए, जिसमें कि एक विद्यार्थी कुछ विषयों की स्नातक-पूर्व शिक्षा प्राप्त करते हुए भी स्नातकोत्तर शिक्षा ग्रहण कर सकें।

राधाकृष्णन् कमीशन का मूल्यांकन

‘राधाकृष्णन् कमीशन’ ने विश्वविद्यालय-शिक्षा के सभी अंगों की विस्तृत समीक्षा करके, उनसे सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिए हैं, जिनको सर्व-सम्मति से अद्वितीय माना गया है। कुछ विचारको ने ‘आयोग’ पर दोषारोपण लगाया है कि उसने स्त्री-शिक्षा के विषय में उत्तम सिफारिशें नहीं की हैं और धार्मिक शिक्षा को महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है। हम इस आक्षेप को सर्वथा निराधार समझते हैं, क्योंकि भारत की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिकोण में रखते हुए ‘आयोग’ ने स्त्री-शिक्षा और धार्मिक-शिक्षा के विषय में जो सुझाव दिये हैं, वे पर्याप्त रूप से अभिनन्दनीय हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि ‘आयोग’ ललित-कलाओं के सम्बन्ध में बिल्कुल मौन है, यद्यपि उसे इनके सम्बन्ध में भी अपनी सिफारिशें देनी थी।

आज तक विश्वविद्यालय-शिक्षा का परीक्षण करने के लिये जितने भी आयोगों और समितियों की नियुक्ति हुई है, उन सब में ‘विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग’ को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। यदि ‘आयोग’ की सभी सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया जाय, तो हमारे विश्वविद्यालयों की रूपरेखा पूर्णतया परिवर्तित हो जायगी और वे वास्तव में राष्ट्र की बहुमूल्य निधि हो जायेंगे। डा० राजेश्वर प्रसाद ने आयोग के कार्यों की सराहना करते हुए लिखा है—“आयोग ने हमारी विश्व-विद्यालय शिक्षा की प्राप्तियों पर अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक विचार करके एव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, और साथ ही अति अमूल्य प्रस्ताव तथा सुझाव भी दिये हैं।”¹

राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद ने आगे कहा है—“विश्वविद्यालय आयोग के प्रतिवेदन का महत्त्व अधिकांश रूप से इस बात में है कि वह इस देश की वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव करता है और इस आधार पर उसकी शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं की विवेचना करता है। यही कारण है कि प्रतिवेदन को अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तनों के सुझाव देने पड़े हैं। साथ ही प्रतिवेदन का एक गुण यह भी है कि वह अतीत से पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद नहीं करना चाहता है, अपितु उसमें प्राप्य सर्वोत्तम बातों को सुरक्षित रखना चाहता है।”²

1 “The Commission has submitted a very valuable report containing a review of the achievements of our university education and also suggestions and recommendations which are of a far-reaching character.”—*Speeches of President Rajendra Prasad*, Publication Division, 1955, p 5

2 “The value of the University Commission Report lies very largely, in the fact that it recognises the necessity for a fundamental change in the set-up of things in this country and proceeds to deal with its educational problems on that basis. It has,

'आयोग' के सुझावों से प्रभावित होकर 'केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड' ने अपनी २२ व २३ अप्रैल, १९५० की विशेष बैठकों में उनमें से अधिकांश को स्वीकार कर लिया। सरकार ने भी उन सुझावों को मान्यता प्रदान की और उन्हें क्रियान्वित करने का निश्चय किया।

सारांश

'अन्तर्विश्वविद्यालय शिक्षा-परिपक्व' और 'केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड' की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने ४ नवम्बर, १९४८ को 'विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग' की नियुक्ति की। आयोग ने २५ अगस्त, १९४९ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में विश्वविद्यालय-शिक्षा के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं —

१ विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य—राजनैतिक, प्रशासकीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में नेतृत्व करने की शिक्षा देना। दूरदर्शी, बुद्धिमान एवं साहसी नव-युवकों का निर्माण करना। प्रजातन्त्र को सफल बनाने वाले व्यक्तियों का जन्म देना। छात्रों का मानसिक एवं शारीरिक विकास करना। विश्वविद्यालयों का न्याय, स्वतन्त्रता, समानता तथा बन्धुता के आदर्शों का प्रतीक होना।

२ अध्यापक-वर्ग—अध्यापकों को पुस्तकालय एवं अनुसन्धान की सुविधा देना, वेतन-वृद्धि करना, प्राविडेण्ट फण्ड की उत्तम व्यवस्था करना, सप्ताह में १८ घण्टे का अध्यापन कार्य देना, और अध्यापकों का ४ वर्गों में विभक्त किया जाना—प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और इन्स्ट्रक्टर।

३ अध्यापन का स्तर—अध्यापन का स्तर उच्च करने के लिए शिक्षण-सामग्री की व्यवस्था करना, इण्टरमीडिएट कॉलेज चलेना, किसी कक्षा के लिये पाठ्य-क्रम निश्चित न करना, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं को सुगठित करना और अध्यापकों के लिए अभिनवन पाठ्य-क्रम की व्यवस्था करना।

४ पाठ्य-क्रम—स्नातक की उपाधि प्राप्त करने की अवधि ३ वर्षों होना, सामान्य शिक्षा के सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाना, और सामान्य शिक्षा तथा विशेषीकृत शिक्षा में समन्वय बनाना।

५ स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान—स्नातकोत्तर कक्षाओं के नियमों में साम्य होना, पी० एच० डी० की अवधि २ वर्षों होना, अनुसन्धान करने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियाँ देना, और विश्वविद्यालयों के विज्ञान-विभाग को अनुसन्धान के लिये उदार आर्थिक सहायता देना।

therefore, had to recommend many revolutionary changes. It has, further, the merit of not contemplating a complete break with the past but of conserving the best that is available"—*Ibid*, p. 5.

६ व्यावसायिक शिक्षा—वृत्ति-शिक्षा को प्रमुख राष्ट्रीय समस्या मानना, वृत्ति-कॉलेजों को साधन-सम्पन्न बनाना और नवीन वृत्ति-कॉलेजों को नवीन ग्रामीण-विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध करना। वाणिज्य के छात्रों के लिए व्यावहारिक शिक्षण का प्रवन्ध करना, और एम० कॉम० में पुस्तकीय ज्ञान कम रखना। प्रशिक्षण सस्थाओं में सुधार करना, शिक्षा-सिद्धान्त का पाठ्य-क्रम लचीला होना, और छात्राध्यापकों का छात्रवृत्तियाँ देना। इजीनियरिंग और टेक्नॉलॉजी की सस्थाओं को राष्ट्रीय सम्पत्ति समझना, इजीनियरिंग के पाठ्य-क्रम में सुधार करना और उच्च शिक्षा के लिये टेक्नॉलॉजीकल मस्यारों स्थापित करना। कानून व कॉलेजों का पुनर्गठन करना और कानून के छात्रों को अन्य डिग्री कोर्स लेने की अनुमति कम देना। मेडिकल कॉलेजों में १०० से अधिक छात्र न होना, और देशी चिकित्सा-प्रणालियों में अनुसन्धान की सुविधायें देना।

७ धार्मिक शिक्षा—दैनिक कार्यों आरम्भ करने से पूर्व कुछ मिनट मौन-चिन्तन करना, धार्मिक नेताओं की जीवनीय पढ़ाना और धर्म-दर्शन की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन करना।

८. शिक्षा का माध्यम—उच्च शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा होना, छात्रों को मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा और अंग्रेजी का ज्ञान कराना और भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक शब्द-कोश तैयार करना।

९. परीक्षायें—छात्रों का प्रगति-परीक्षाओं द्वारा परीक्षण करना, वस्तुनिष्ठ-प्रगति-परीक्षाओं का कुलक तैयार करना, और प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के लिए क्रमशः ७०, ५५ और ४० प्रतिशत अङ्क होना।

१० छात्र, उनके कार्य तथा उनका कल्याण—छात्रों के प्रवेश में भेद-भावन किया जाना, प्रथम डिग्री कोर्स के लिए विभिन्न पाठ्य-क्रमों की व्यवस्था करना, अनुसन्धान-कार्य पर ध्यान केन्द्रित करना, छात्रों की स्वास्थ्य चिकित्सा होना, एन० सी० सी० की स्थापना करना, और छात्र कल्याण परामर्शदात्री समिति का संगठन करना।

११ स्त्री-शिक्षा—स्त्रियों को सुमाता और सुगृहिणी बनने की शिक्षा देना, गृह-अर्थशास्त्र और गृह प्रवन्ध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना और स्त्री-शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करना।

१२ ग्रामीण विश्वविद्यालय—ग्रामों में सावासिक स्नातक-पूर्व कॉलेज खोलना और उनके नेट्र में एक विश्वविद्यालय का होना। कॉलेजों का प्रमुख ध्येय—छात्रों को सामान्य शिक्षा देना और स्नातक-पूर्व तथा स्नातकोत्तर पाठ्य क्रमों में कठोर विभाजन न होना।

TEST QUESTIONS

1. What reforms have been suggested in the University Education of this country by the Radhakrishnan Commission ?

राधाकृष्णन् आयोग द्वारा इस देश की विश्वविद्यालय-शिक्षा में किन सुधारों का सुझाव दिया गया है ?

2. Comment upon the view that the Indian Universities, as they exist today, despite many admirable features, do not fully satisfy the requirements of a national system of education. How far do you think the implementations of the recommendations of University Commission of 1948 can fulfil the needs of the country ?

इस कथन की आलोचना कीजिए कि आज के भारतीय विश्वविद्यालय अनेक प्रशंसनीय विशेषताओं के बावजूद भी शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करते हैं। आपके विचारानुसार १९४८ के विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन देश की आवश्यकताओं को कहीं तक पूर्ण कर सकता है ?

२६

शिक्षा-आयोग^१ (१९६४-१९६६) कोठारी कमीशन^२

प्रस्तावना

लगभग १०० वर्ष से कुछ कम में नियुक्त किया जाने वाला यह छठा आयोग था। इसमें पहले के पाँच आयोग थे — (१) १८८२ का 'भारतीय शिक्षा-आयोग', (२) १९०२ का 'भारतीय विश्वविद्यालय-आयोग', (३) १९१७ का 'कलकत्ता विश्व-विद्यालय-आयोग', (४) १९४८ का 'विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग', और (५) १९५२ का 'माध्यमिक शिक्षा-आयोग'। इनमें से तीन का सम्बन्ध विश्वविद्यालय-शिक्षा से, एक का विद्यालय-शिक्षा से, और शेष एक का माध्यमिक शिक्षा से था। इनमें से किसी भी आयोग का सम्बन्ध शिक्षा के मूल पहलुओं में नहीं था। अतः एक ऐसे आयोग की नियुक्ति आवश्यक थी, जिसका सम्पूर्ण शिक्षा-व्यवस्था में सम्बन्ध हो और जो समस्त रूप में शिक्षा की व्यवस्था के बारे में अपने मुभाष दे सके।

आयोग की नियुक्ति के कारण और उद्देश्य

भारत-सरकार ने १४ जुलाई, १९६४ में अपने 'प्रस्ताव' (Resolution)^३ में 'आयोग' की नियुक्ति के कारण और उद्देश्य अस्पष्टिगण शब्दों में अंकित किये —

1. Education Commission
2. Kothari Commission
3. Resolution of the Government of India Setting up the Education Commission, dated the 14th July, 1964

- १ स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय से ही भारत-सरकार ने देश की परम्पराओं और मान्यताओं (Values) तथा आधुनिक समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली का विकास करने का प्रयत्न किया है। इस दिशा में कुछ कदम भी उठाये गये हैं, पर शिक्षा प्रणाली का विकास समय की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में अब भी 'विचार और कार्य' (Thought & Action) में भारी अन्तर दिखाई देता है। देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा ही लोकतन्त्रीय समाज का निर्माण कर सकती है। शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्रीय एकता सम्भव है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह आवश्यक समझा गया कि शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र की जाँच की जाय। इस जाँच के फलस्वरूप ही सतुलित एवं समन्वित राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली का विकास होना सम्भव होगा, और ऐसी ही प्रणाली से राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों को पूर्ण योग मिलेगा।
- २ स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से भारत ने राष्ट्रीय विकास के एक नवीन युग में प्रवेश किया है। इस युग में उसके लक्ष्य हैं—शासन और जीवन के ढङ्ग के रूप में धर्म-निरपेक्ष लोकतन्त्र (Secular Democracy) की स्थापना, जनता की निर्धनता का अन्त, सब के लिये रहन-सहन का उचित स्तर, कृषि का आधुनीकरण, उद्योगों का तीव्र विकास, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Technology) का प्रयोग, तथा परम्परागत आध्यात्मिक मूल्यों के साथ इसका सामंजस्य, समाजवादी ढंग के समाज की रचना और इसके फलस्वरूप धन का उचित वितरण और शिक्षा, रोजगार तथा सांस्कृतिक प्रगति के लिये सबको अवसरों की समानता। इन लक्ष्यों की प्राप्ति तभी की जा सकती है, जब परम्परागत शिक्षा-प्रणाली में आमूल-मूल परिवर्तन कर दिया जाय।
- ३ स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से मध्य स्तरों पर शिक्षा का आश्चर्यजनक विस्तार हुआ है। पर इस विस्तार के बावजूद शिक्षा के अनेक अंगों के प्रति व्यापक असन्तोष है। उदाहरणार्थ—अभी तक १४ वर्ष की आयु तक के बच्चे के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। निरक्षरता की समस्या का समाधान नहीं किया जा सका है। माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को ऊँचा नहीं उठाया जा सका है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में पाठ्य-क्रमों के विभिन्नीकरण (Diversification of Curricula) की योजना का पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सका है, जिसके परिणामस्वरूप एक आर शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी अधिक हो

गई है, और दूसरी ओर अनेक उद्योगों में प्रशिक्षित व्यक्तियों का अत्यधिक अभाव है। शिक्षकों के वेतनों और सेवा-प्रतिबन्धों (Service-Conditions) में वाञ्छित परिवर्तन नहीं हुआ, और शिक्षा की अनेक महत्त्वपूर्ण समस्याएँ अभी तक उग्र विवाद के विषय बनी हुई हैं। मारास में, शिक्षा की 'संख्यात्मक' (Quantitative) वृद्धि तो हुई है, पर 'गुणात्मक' (Qualitative) नहीं। इसके अतिरिक्त, शिक्षा की गुणान्मक उन्नति के लिये राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों को लागू नहीं किया जा सका है।

४. भारत-सरकार को इस बात का पूर्ण विश्वास है कि 'शिक्षा' राष्ट्रीय समृद्धि और वलयाण का आधार है। देश का जितना हित शिक्षा से हो सकता है, उतना किसी दूसरी वस्तु से नहीं। अतः सरकार ने शिक्षा का प्रतिष्ठापन करना निश्चय किया है। सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मध्य साधनों का उपयोग करने का भी निश्चय किया है। यह केवल उत्तम और प्रगतिशील शिक्षा के आधार पर किया जा सकता है। अतः सरकार ने शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान पर अधिक से अधिक धन व्यय करने का निश्चय किया है।

५. शैक्षिक विभाग के सम्पूर्ण क्षेत्र की जाँच की जानी बाँझनीय है, क्योंकि शिक्षा-प्रणाली के विभिन्न अंग एक-दूसरे पर प्रबल प्रतिक्रिया करने हैं और प्रभाव डालते हैं। विद्वद्विचारकों को तब तक शिक्षा के शक्ति-शाली और प्रगतिशील केन्द्र नहीं बनाया जा सकता है, जब तक कि उत्तम माध्यमिक स्कूल न हों, और माध्यमिक स्कूल उत्तम तभी होंगे—जब प्राथमिक विद्यालयों का गुणान्मक रूप में संचालन किया जायगा। अतः शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र की, न कि कुछ अंगों की जाँच की जानी आवश्यक है। पिछले समय में अनेक आयोगों और समितियों ने शिक्षा के विशेष अंगों और क्षेत्रों का अध्ययन किया है। इनके विवरण, अथवा शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र का एक डकार्टे के रूप में सूक्ष्म अध्ययन किया जाना है।

सरकार ने अपने विचार हुए कारणों को ध्यान में रखकर और भारतीय शिक्षा में उपरिचिन्तित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 'शिक्षा आयोग' को नियुक्त करने का निश्चय किया।

भारत निदेश
 शिक्षा-अनुशासक
 डॉ० एन० बालगोपी
 की।

आयोग की
 'G.S.P.'
 भाग

१९५४ को 'शिक्षा-
 अनुशासक'
 डॉ० एन० बालगोपी

अध्यक्ष के अतिरिक्त, सदस्यों की संख्या १४ थी। इनमें से ६ भारतीय और ५ विदेशी थे।

‘आयोग’ का उद्घाटन-समारोह २ अक्टूबर, १९६४ को नई दिल्ली के विज्ञान-भवन में हुआ। उस अवसर पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन ने अपने सन्देश में कहा :—“मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि कमिशन शिक्षा के सब पहलुओं—प्राथमिक, विश्वविद्यालयीय और टेकनिकल—की जांच करे और ऐसे सुझाव दे, जिनसे हमारी शिक्षा-व्यवस्था को अपने सभी स्तरों पर उन्नति करने में सहायता मिले।”

“It is my earnest desire that the commission will survey all aspects of education—primary, secondary, university and technical—and make recommendations which will lead to improve our educational system at all its levels.”—President S. Radhakrishnan.

आयोग के विचार एवं सुझाव

‘आयोग’ ने शिक्षा के जिन महत्त्वपूर्ण अंगों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये और सुझाव दिये हैं, वे निम्नलिखित हैं —

(१) शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य, (२) शिक्षा की संरचना और स्तर, (३) शिक्षकों की स्थिति, (४) अध्यापक-शिक्षा, (५) छात्र-संख्या और जनवर्ग, (६) शैक्षिक अवसरों की समानता, (७) विद्यालय-शिक्षा का विस्तार, (८) विद्यालय पाठ्य-क्रम, (९) विद्यालय-प्रशासन और निरीक्षण, (१०) शिक्षण-विधियाँ, मार्ग-प्रदर्शन और मूल्यांकन, (११) उच्च शिक्षा, (१२) कृषि की शिक्षा, (१३) व्यावसायिक प्राविधिक और इंजीनियरिंग-शिक्षा, (१४) विज्ञान की शिक्षा, और (१५) वयस्क-शिक्षा।

स्थानाभाव के कारण हम इनका संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं। विशेष और विस्तृत अध्ययन के लिये विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा द्वारा प्रकाशित “शिक्षा-आयोग (कोठारी समीक्षण)—सुझाव और समीक्षा” देखिये।

१ शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य^१

‘आयोग’ के विचारानुसार शिक्षा को लोगों के जीवन, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से सम्बन्धित किया जाना चाहिये, जिनमें कि उनका आर्थिक, सामाजिक राजनैतिक और सांस्कृतिक विकास करके राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिये आयोग ने अप्रतिष्ठित पंचमुरी कार्यक्रम का सुझाव दिया है :—शिक्षा द्वारा—(१) उत्पादन में वृद्धि, (२) सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास, (३) प्रजातन्त्र की मृदुदृढ़ता, (४) आधुनिकरण की प्रतिभा

में तीव्रता, (५) सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं का विकास करके चरित्र का निर्माण।

(१) शिक्षा और उत्पादन (Education & Productivity)—शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिये 'आयोग' ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

१. विज्ञान की शिक्षा को विद्यालय और विश्वविद्यालय-शिक्षा के सब पाठ्य-क्रमों का अभिन्न अंग बनाया जाय।
२. कार्य-अनुभव (Work Experience) को सम्पूर्ण शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाय, और टेकनॉलॉजी तथा औद्योगीकरण की दिशा में मोड़ने का प्रयास किया जाय।
३. माध्यमिक शिक्षा को अधिक से अधिक व्यावसायिक रूप दिया जाय।
४. उच्च-शिक्षा में कृषि-सम्बन्धी और प्राविधिक शिक्षा पर बल दिया जाय।

(२) सामाजिक और राष्ट्रीय एकता (Social & National Integration)—शिक्षा द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के विकास के लिये 'आयोग' ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

१. सार्वजनिक शिक्षा के लिये 'सामान्य विद्यालय-प्रणाली' (Common School System) को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाय।
२. शिक्षा के सब स्तरों पर सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा (Social & National Service) को सब छात्रों के लिये अनिवार्य कर दिया जाय।
३. प्रत्येक शिक्षा-संस्था में सामाजिक और सामुदायिक सेवा के कार्य-क्रम का विकास किया जाय।
४. प्रत्येक जिले में 'श्रम और सामाजिक सेवा-शिविरों' (Labour & Social Service Camps) की व्यवस्था की जाय।
५. एन० सी० सी० के कार्य-क्रम को चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जारी रखा जाय।
६. मातृभाषा अर्थात् प्रादेशिक भाषा को विद्यालय और उच्च-शिक्षा का माध्यम बनाया जाय।
७. अखिल-भारतीय शिक्षा-संस्थाओं में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में जारी रखा जाय।
८. प्रादेशिक भाषाओं को उन क्षेत्रों में—जहाँ वे प्रयोग की जाती हैं, जल्दी से जल्दी प्रशासन की भाषायें बनाया जाय।
९. अंग्रेजी के शिक्षण और अध्ययन को विद्यालय-न्तर से जारी रखा जाय।
१०. संसार की कुछ महत्त्वपूर्ण भाषाओं की शिक्षा के लिये कुछ स्कूल और विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें।

११. देश के अधिकांश निवासियों के लिये हिन्दी को 'संयोजक भाषा' (Link Language) का रूप दिया जाय।
१२. राज्यों में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये सब भारतीय भाषाओं के विस्तार की व्यवस्था की जाय।
१३. बी० ए० और एम० ए० के स्तरों पर दो भारतीय भाषाओं के अध्ययन की सुविधा कर दी जाय।
१४. राष्ट्रीय चेतना के विकास को विद्यालय-शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य बनाया जाय।

(३) शिक्षा और प्रजातन्त्र की सुदृढ़ता (Education & Consolidation of Democracy)—शिक्षा द्वारा प्रजातन्त्र की सुदृढ़ता के लिये 'आयोग' ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

१. १४ वर्ष तक की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाय।
२. माध्यमिक और उच्च शिक्षा का विस्तार करके सब स्तरों पर कुशल नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाय।
३. जाति, वर्ग, स्थिति, धर्म और लिंग का भेद-भाव किये बिना सब बच्चों को शिक्षा के समान अवसर दिये जायें।

(४) शिक्षा और आधुनीकरण (Education & Modernization)—शिक्षा द्वारा देश का आधुनीकरण करने के बारे में 'आयोग' ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

१. आधुनीकरण करने के लिये टेकनॉलॉजी को अपनाया जाय।
२. शिक्षा के द्वारा उचित दृष्टिकोणों तथा मान्यताओं (Values) का विकास किया जाय।
३. शिक्षा के द्वारा स्वतन्त्र अध्ययन, स्वतन्त्र विचार और स्वतन्त्र निर्णय की आदतों का निर्माण किया जाय।
४. सामान्य व्यक्ति के शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाया जाय।

(५) सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास (Development of Social, Moral & Spiritual Values)—इस सम्बन्ध में 'आयोग' के सुझाव निम्नलिखित हैं :—

१. सभी-शिक्षा-संस्थाओं में नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मान्यताओं की शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
२. प्राथमिक स्तर पर इन मान्यताओं की शिक्षा रोचक कहानियों के माध्यम से दी जाय।
३. माध्यमिक स्तर पर इन मान्यताओं के विषय में शिक्षकों तथा छात्रों द्वारा विचार-विमर्श किया जाय।

- ४ विश्वविद्यालयों में 'तुलनात्मक धर्म' (Comparative Religion) नामक विभागों की स्थापना की जाय। इन विभागों में इस बात की खोज की जाय कि इन मान्यताओं की प्रभावशाली दृष्टि से किस प्रकार पढ़ाया जाय।

२ शिक्षा की संरचना और स्तर¹

(१) विद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना (New Structure of School Education)—आयोग ने देश में प्रचलित शिक्षा-प्रणाली का ध्यान में रखकर, विद्यालय-शिक्षा की जो नवीन संरचना प्रस्तुत की है, वह इस प्रकार है —


१० वर्षों की सामान्य शिक्षा	—	२ वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा
	—	३ या २ वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा
	—	३ से ३ वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा
	—	४ या ५ वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा
	—	१ से ३ वर्ष की पूर्व-विद्यालय शिक्षा

(२) संरचना-सम्बन्धी सुझाव (Suggestions Regarding the Structure)—विद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना के बारे में 'आयोग' ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं —

- १ सामान्य शिक्षा की अवधि १० वर्षों की रखी जाय।
- २ सामान्य शिक्षा प्रारम्भ होने से पहले १ से ३ वर्षों तक पूर्व-विद्यालय या पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाय।
- ३ प्राथमिक शिक्षा की अवधि ७ से ८ वर्षों की रखी जाय और इसको दो भागों में बाँटा जाय — (i) ४ या ५ वर्षों का निम्न प्राथमिक स्तर, (ii) ३ वर्षों का उच्च प्राथमिक स्तर।
- ४ निम्न माध्यमिक शिक्षा की अवधि ३ या २ वर्षों की रखी जाय।
- ५ निम्न माध्यमिक स्तर पर दो प्रकार की शिक्षा दी जाय—(i) ३ या २ वर्षों की माध्यमिक शिक्षा, (ii) १ से ३ वर्षों की व्यावसायिक शिक्षा।
- ६ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि २ वर्षों की रखी जाय।
- ७ उच्चतर माध्यमिक स्तर पर दो प्रकार की शिक्षा दी जाय (i) २ वर्षों की सामान्य शिक्षा, या (ii) १ से ३ वर्षों की व्यावसायिक शिक्षा।

- ८ प्रथम सार्वजनिक वाह्य परीक्षा १० वर्ष की विद्यालय-शिक्षा के बाद ली जाय।
- ९ ६वीं कक्षा से पृथक् विद्यालयों की स्थापना करने की प्रचलित विधि को समाप्त किया जाय।
- १० १०वीं कक्षा तक किसी विषय में विशिष्टीकरण की आज्ञा न दी जाय।
- ११ माध्यमिक स्कूल केवल दो प्रकार के रखे जायें—(i) हाई स्कूल, जिनमें शिक्षा की अवधि २० वर्ष की हो, और (ii) हायर सेकण्डरी स्कूल, जिनमें शिक्षा की अवधि ११ या १२ वर्ष की हो।

(३) उच्च शिक्षा की नवीन संरचना (New Structure of Higher Education)—‘आयोग’ के अनुसार उच्च शिक्षा की संरचना इस प्रकार होगी —



(४) संरचना-सम्बन्धी सुझाव (Suggestions Regarding the Structure)—‘आयोग’ ने उच्च शिक्षा की नवीन संरचना के बारे में अधोलिखित सुझाव दिये हैं —

- १ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि ३ वर्ष रखी जाय।
- २ द्वितीय डिग्री कोर्स की अवधि २ या ३ वर्ष की रखी जाय।
- ३ कुछ विश्वविद्यालयों में ‘ग्रेजुएट स्कूलों’ (Graduate Schools) की स्थापना की जाय, जिनमें कुछ विषयों में ३ वर्ष के स्नातकोत्तर (Post-Graduate) कोर्स की व्यवस्था की जाय।
- ४ उत्तर प्रदेश में त्रि-वर्षीय डिग्री कोर्स का प्रारम्भ कुछ चुने हुए विषयों और चुने हुए विश्वविद्यालयों में प्रारम्भ किया जाय।

(५) स्तरों का उन्नयन (Raising of Standards)—‘आयोग’ ने शिक्षा के स्तरों को ऊँचा उठाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं —

- १ १० वर्ष की विद्यालय-शिक्षा को गुणात्मक रूप से उन्नत बनाया जाय।

२. १० वर्ष में कक्षा १० के स्तर को इस स्थिति पर पहुँचा दिया जाय, जिस पर आजकल हायर सेकण्डरी का स्तर है।
३. विश्वविद्यालय उपाधियों के कोर्स में अधिक उन्नत विषय-वस्तु को स्थान दिया जाय।
४. 'विद्यालय सकुलो' (School Complexes) का निर्माण किया जाय। हर सकुल में एक माध्यमिक स्कूल और उसके आस पास के सब प्राथमिक स्कूल रखे जायें। ऐसे सकुल में होने वाले सब स्कूलों द्वारा सामूहिक रूप से स्तरों में सुधार करने के लिए प्रयास किया जाय।

३. शिक्षक की स्थिति^१

'आयोग' ने अनुभव किया कि शिक्षण-व्यवसाय की ओर प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिये शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति को उन्नत बनाना बहुत आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखकर 'आयोग' ने शिक्षकों की स्थिति में सुधार करने के विचार से निम्नांकित सुझाव दिये हैं —

(१) वेतन (Remuneration)—'आयोग' के वेतन सम्बन्धी सुझाव हैं —

१. भारत-सरकार द्वारा विद्यालय-शिक्षकों का न्यूनतम वेतन क्रम (Scales of Pay) निर्धारित किया जाय।
२. सरकारी और गैर सरकारी, सभी विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन-क्रम में समानता के सिद्धान्त का पालन किया जाय।
३. विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों के वेतन-क्रम में पर्याप्त वृद्धि की जाय।

(२) शिक्षकों के वेतन क्रम (Scales of Pay of Teachers)—'आयोग' ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्यापकों के लिये निम्नांकित वेतन क्रमों का सुझाव दिया है —

शिक्षक	वेतन
१. माध्यमिक कोर्स पास प्राथमिक स्कूलों के अप्रशिक्षित शिक्षक,	न्यूनतम वेतन १०० रु०
२. उपरोक्त शिक्षकों का २ वर्ष की सेवा के बाद,	न्यूनतम वेतन १२५ रु०
३. माध्यमिक कोर्स और २ वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक,	न्यूनतम वेतन १२५ रु०

(प्रथम)

४. उपरोक्त शिक्षको का ५ वर्ष की सेवा के बाद;	न्यूनतम वेतन	१५० रु०
५. सेकण्डरी कोर्स और २ वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक;	न्यूनतम वेतन	१५० रु०
६. उपरोक्त शिक्षको का २० वर्ष बाद,	अधिकतम वेतन	२५० रु०
७. श्रेणी (६) में से १५% चुने जाने वाले शिक्षक;		२५०-३०० रु०
८. १ वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त ग्रेजुएट;	न्यूनतम वेतन	२२० रु०
९. उपरोक्त शिक्षको का २० वर्ष बाद,		४०० रु०
१०. श्रेणी (६) में से १५% चुने जाने वाले शिक्षक;		४००-५०० रु०
११. अप्रशिक्षित ग्रेजुएट जब तक वे प्रशिक्षण प्राप्त न कर लें,	न्यूनतम वेतन	२२० रु०
१२. स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में कार्य करने वाले शिक्षक,		३००-६०० रु०
१३. प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उपरोक्त शिक्षक,		
१४. माध्यमिक स्कूलों के प्रधान,		
१५. सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षक,		
१६. विश्वविद्यालयों के शिक्षक		

जितना वेतन वे पा रहे हैं, उसमें एक वर्ष की वेतन-वृद्धि।

इनका वेतन इनकी योग्यताओं और विद्यालय के आकार पर निर्भर होगा। इनको सम्बद्ध कॉलेजों के लिये निर्धारित कोई भी वेतन-क्रम दिया जा सकता है।

(i) लेक्चरर, जूनियर स्केल	३००-२५-६०० रु०
(ii) लेक्चरर, सीनियर स्केल	४००-३०-६४०-४०-८०० रु०
(iii) सीनियर लेक्चरर या रीडर	७००-४०-११०० रु०
(iv) प्रिंसिपल I	७००-४०-११०० रु०
II	८००-५०-१५०० रु०
III	१०००-५०-१५०० रु०
(i) लेक्चरर	४००-४०-८००-५०-६५० रु०
(ii) रीडर	७००-५०-१२५० रु०
(iii) प्रोफेसर	११००-५०-१३००-६०-१६०० रु०

(३) कार्य और सेवा की दशाएँ (Conditions of Work & Service)—
‘आयोग ने शिक्षका के काय तथा सेवा-सम्बन्धी दशाओं में सुधार करने के लिये अधोलिखित सुझाव दिये हैं —

- १ प्रत्येक शिक्षा सस्था में कुशल काय के लिये न्यूनतम सुविधाएँ प्रदान की जायें ।
- २ समस्त शिक्षका को व्यावसायिक उन्नति करने के लिये उपयुक्त सुविधाएँ दी जायें ।
- ३ शिक्षका के काय करने के घटों को निश्चित करते समय न केवल उनके शिक्षण कार्य को, बल्कि उनके द्वारा किये जाने वाले सब कार्य को ध्यान में रखा जाय ।
- ४ शिक्षको को पाँच वर्ष में कम से कम एक बार भारतवर्ष के किसी भी भाग में घूमने के लिये उनके वेतन के अनुसार रियायती दर पर रेलवे टिकट देने की योजना बनायी जाय ।
- ५ व्यक्तिगत विद्यालयों में शिक्षका की सेवा-दशाएँ सरकारी विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षको की सेवा दशाओं के समान बनाई जायें ।
- ६ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षको को आवास प्रदान करने के लिये प्रत्येक प्रकार का प्रयत्न किया जाए ।
- ७ शिक्षको के लिए सहकारी गृह-निर्माण-योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाय ।
- ८ शिक्षको को सभी नागरिक अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाय । उन्हें जिला, राज्य या राष्ट्र के स्तर पर किसी भी सार्वजनिक पद को ग्रहण करने की आज्ञा दी जाय । ऐसी स्थिति में उन्हें शिक्षा सस्था से अवकाश दिया जाय ।
- ९ शिक्षको पर चुनावों में भाग लेने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाया जाय ।
- १० शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्यापिकाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहित किया जाय । उनको अधिकाधिक अशकालीन काय करने की सुविधाएँ दी जायें ।

४ अध्यापक-शिक्षा^१

‘आयोग ने अध्यापका की व्यावसायिक शिक्षा में सुधार करने और समुन्नत बनाने के लिए अप्रकृत सुझाव दिये हैं —

(१) शिक्षक-शिक्षा की पृथक्ता का अन्त (Removal of the Isolation of Teacher-Education)—'आयोग' का विचार है कि अध्यापको की व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिये उसे विश्वविद्यालय के साहित्यिक जीवन, विद्यालय-जीवन तथा शिक्षा-सम्बन्धी नवीनतम विचारों के समीप लाया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिये 'आयोग' ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं —

१. 'शिक्षा' विषय को विश्वविद्यालयों के बी० ए० और एम० ए० के पाठ्य-क्रमों में स्थान दिया जाय।
२. प्रत्येक प्रशिक्षण-संस्था में 'प्रसार-सेवा-विभाग' (Extension Service Department) की स्थापना की जाय।
३. विभिन्न प्रकार की शिक्षण-संस्थाओं की पृथक्ता को दूर करने के लिये सब को 'ट्रेनिंग कॉलेज' की सजा दी जाय।
४. प्रत्येक राज्य में 'कॉम्प्रीहेन्सिव कॉलेजों' (Comprehensive Colleges) का निर्माण किया जाय, जिनमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिये अध्यापको को प्रशिक्षण दिया जाय।
५. प्रत्येक राज्य में 'अध्यापक-शिक्षा का स्टेट बोर्ड' (State Board of Teacher-Education) स्थापित किया जाय। यह बोर्ड सब स्तरों और सब क्षेत्रों में अध्यापक-शिक्षा के लिये उत्तरदायी बनाया जाय।

(२) व्यावसायिक शिक्षा में सुधार (Improvement in Professional Education)—अध्यापक-शिक्षा के कार्य-क्रम में गुणात्मक उन्नति करने के लिये 'आयोग' ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं —

१. प्रशिक्षण-विद्यालयों के पाठ्य-क्रमों की दिशा और विषय-सामग्री को परिवर्तित किया जाय।
२. विश्वविद्यालयों में सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकृत (Integrated) पाठ्य-क्रम प्रारम्भ किये जायें।
३. अध्यापन के अभ्यास में गुणात्मक सुधार किया जाय।
४. विशिष्ट पाठ्यक्रमों और कार्य-क्रमों का निर्माण किया जाय।
५. अध्यापक-शिक्षा के सब स्तरों पर पाठ्यक्रमों और कार्य-क्रमों को दोहराया जाय।

(३) प्रशिक्षण-काल (Period of Training)—विभिन्न प्रशिक्षण-स्तरों की अवधि के बारे में 'आयोग' के सुझाव निम्नांकित हैं —

१. प्राइमरी स्कूलों के उन शिक्षकों के लिये, जो सेकण्डरी स्कूल-बोर्ड पास हैं, प्रशिक्षण की अवधि २ वर्षों की रखी जाय।
२. माध्यमिक स्कूलों के उन शिक्षकों के लिये, जो स्नातक हैं, प्रशिक्षण की

अवधि कुछ समय तक १ वर्ष की रखी जाय, पर इस अवधि को बढ़ा कर २ वर्ष कर दिया जाय।

३ शिक्षा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि को बढ़ाकर ४ सत्र (Term) अथवा १½ वर्ष का कर दिया जाय।

(४) प्रशिक्षण सस्थाओं में सुधार (Improvement in Training Institutions)—प्रशिक्षण सस्थाओं में गुणात्मक उन्नति करने के लिये 'आयोग' ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं —

- १ ट्रेनिंग कालेजों के अध्यापकों के पास दो—'स्नातकोत्तर उपाधियाँ (Master's Degree) और 'शिक्षा की उपाधि (Degree in Education) होनी चाहिए।
- २ मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, विज्ञान या गणित ऐसे विषयों को पढ़ाने के लिये योग्य विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाना चाहिए, भन्ने ही वे अप्रशिक्षित (Untrained) हों।
- ३ स्कूला में कार्य करने वाले अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिये 'श्रीष्मकालीन सस्थाओं (Summer Institutes) का संगठन किया जाय।
- ४ प्राइमरी स्कूला के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली सस्थाओं के अध्यापक या तो शिक्षा विषय में एम० ए० (M A in Education) हों, या किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (M A, M Sc आदि) के साथ बी० एड० (B Ed) की उपाधि प्राप्त कर चुके हों।
- ५ प्रशिक्षण सस्थाओं में छात्रों से शुल्क न लिया जाय और उनके लिये छात्रवृत्तियाँ तथा भ्रूण की व्यवस्था की जाय।

(५) प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार (Expansion of Training Facilities)—प्रशिक्षण-सुविधाओं का विस्तार करने के लिये 'आयोग' ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं —

- १ प्रत्येक राज्य को अपने क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान करने के लिये एक योजना तैयार करनी चाहिए, जिससे शिक्षकों की माँग की पूर्ति तथा शिक्षण-कार्य में लगे हुए शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।
- २ विस्तृत आधार पर पत्र व्यवहार द्वारा शिक्षा और अशकालीन प्रशिक्षण की सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए।
- ३ विद्यालय शिक्षकों को शिक्षण-कार्य करते हुए शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधायें दी जानी चाहिए।

(६) उच्च शिक्षा के शिक्षकों की व्यावसायिक तैयारी (Professional Preparation of Teachers in Higher Education)—'आयोग' ने उच्च शिक्षा

के कार्य में सलग्न अध्यापको के लिये अपने व्यवसाय अथवा शिक्षण-कार्य के लिये तैयारी करना आवश्यक समझा है और इस सम्बन्ध में नीचे लिखे सुझाव दिये —

- १ जो व्यक्ति पहली बार लेक्चरर के रूप में किसी उच्च शिक्षा-संस्था में नियुक्त होते हैं, जिन्हें संस्था के अच्छे अध्यापको के व्याख्याना को सुनने के अवसर दिये जायें।
- २ प्रत्येक विश्वविद्यालय और यथासम्भव प्रत्येक कॉलेज में नये शिक्षको के लिये नियमित रूप से 'निश्चित पाठ्य-क्रमों' (Orientation Courses) का संगठन किया जाय।
- ३ बड़े विश्वविद्यालयों या कुछ विश्वविद्यालयों के एक समूह में इन पाठ्य-क्रमों को विशिष्ट शिक्षको को नियुक्त करके संचालित किया जाय।

५. छात्र-संख्या और जनबल^१

'आयोग' ने जनबल को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक स्कूलों और उच्च शिक्षा-संस्थाओं में छात्र-संख्याओं के बारे में निम्नलिखित सुझाव दिये हैं —

- १ उत्तर-प्राइमरी शिक्षा (Post-Primary Education) में छात्र-संख्या-सम्बन्धी नीति को चार बातों पर आधारित किया जाय—(i) माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिये जनता की माँग, (ii) छात्रों के समस्त स्वाभाविक गुणों का पूर्ण विकास, (iii) माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तरों पर उत्तम शिक्षा की सुविधायें प्रदान करने की समाज की क्षमता, और (iv) जनबल की आवश्यकतायें।
- २ पहली तीन योजनाओं में माध्यमिक और उच्च शिक्षा की माँग में बहुत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी होगी। इस बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिये अध्यापको, धन और शिक्षण-सामग्री को जुटाना कठिन होगा। अतः हायर सेकण्डरी स्कूला, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में चुने हुए छात्रों को प्रवेश दिया जाय।
३. धनी समाज भी समस्त योग्य छात्रों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा देने में बठिनाई का अनुभव करते हैं। ऐसा करना भारत के लिए असंभव होगा। अतः भविष्य में छात्र-संख्या-सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति का यह लक्ष्य निर्धारित किया जाय—योग्य छात्रों में जो सबसे अधिक प्रतिभा-शाली हों, उनको माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाय और उनको उदारतापूर्वक छात्रवृत्तियाँ दी जायें, जिससे उनकी आर्थिक बठिनाइयों का समाधान हो जाय।

४. शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार जनशक्ति या रोजगार प्राप्त करने के अवसरों को ध्यान में रखकर किया जाय।

६. शैक्षिक अवसरों की समानता^१

‘आयोग’ ने शिक्षा के क्षेत्र में दो प्रकार की असमानतायें बताई हैं—(१) शिक्षा के सब पक्षों और स्तरों पर लड़कों तथा लड़कियों की शिक्षा में असमानता, (२) उन्नत वर्गों, पिछड़े लोगों, अछूतों, आदिवासियों और पहाड़ी जातियों की शिक्षा में असमानता। दोनों प्रकार की असमानताओं को न्यूनतम सीमाओं तक पहुँचाने के लिये ‘आयोग’ ने अधोलिखित सुझाव दिये हैं :—

(१) निःशुल्क शिक्षा (Free Education)—निःशुल्क शिक्षा के विषय में ‘आयोग’ के सुझाव निम्नांकित हैं :—

१. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त से पूर्व समस्त सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर तक ट्यूशन फ्रीस समाप्त कर दी जाय।
२. निम्न माध्यमिक शिक्षा को पंचवर्षीय योजना के अन्त तक या उससे पूर्व सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क बनाया जाय।
३. अगले १० वर्षों में उच्चतर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय-शिक्षा को योग्य एवं जरूरतमन्द छात्रों के लिये निःशुल्क बनाया जाय।

(२) शिक्षा के खर्चों में कमी (Reduction in Costs of Education)—शिक्षा के खर्चों में कमी करने के लिये ‘आयोग’ के सुझाव निम्नांकित हैं :—

१. प्राथमिक स्तर पर बालकों को पाठ्य-पुस्तकें और लिखने की सामग्री मुफ्त दी जाय।
२. माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ‘पुस्तक-गृहों’ (Book-Banks) के कार्य-क्रम का विकास किया जाय। इन पुस्तक-गृहों से छात्रों को पाठ्य-पुस्तकें दी जायें।
३. माध्यमिक विद्यालयों और उच्च शिक्षा-संस्थाओं के पुस्तकालयों में पर्याप्त संख्या में पाठ्य-पुस्तकों को रखा जाय।
४. प्रतिभाशाली छात्रों को पाठ्य-पुस्तकों और अन्य आवश्यक पुस्तकों को खरीदने के लिये अनुदान दिये जाय।

(३) छात्रवृत्तियों की व्यवस्था और योजनाएँ (Provision & Schemes for Scholarships)—‘आयोग’ ने छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, योजनाओं और छात्र-सहायता के अन्य रूपों के बारे में अप्रलिखित सुझाव दिये हैं :—

- १ छात्रवृत्तियों का कार्यक्रम शिक्षा के सब स्तरों पर सगठित किया जाय।
२. निम्न प्राथमिक स्तर के उपरान्त किसी भी योग्य एवं प्रतिभाशाली बालक को अपनी भावी शिक्षा से वंचित न किया जाय।
- ३ माध्यमिक स्तर पर पहुँचने वाले १५ प्रतिशत योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जायें।
- ४ विश्वविद्यालय-स्तर पर पूर्व-स्नातक छात्रों की सम्पूर्ण संख्या के १५ प्रतिशत को १९७६ तक, और २५ प्रतिशत को १९८६ तक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जायें।
- ५ १९७६ तक स्नातकोत्तर छात्रों की सम्पूर्ण संख्या के २५ प्रतिशत को, और १९८६ तक ५० प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जायें।
- ६ 'राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों' (National Scholarships) की योजना को विस्तृत किया जाय।
- ७ व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) प्राप्त करने वाले छात्रों में से विद्यालय स्तर पर ३० प्रतिशत को, और कॉलेज-स्तर पर ५० प्रतिशत को छात्रवृत्तियाँ दी जायें।
- ८ प्रतिभाशाली छात्रों को विदेशों में उच्च अध्ययन करने के लिये प्रतिवर्ष ५०० छात्रवृत्तियाँ दी जायें।
- ९ 'ऋण-छात्रवृत्तियाँ' (Loan Scholarships) कुछ सीमा तक सामान्य शिक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों को, और अनिवार्य रूप से विज्ञान तथा व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं के छात्रों को दी जायें।
- १० छात्रों को अध्ययन-काल में धन उपाजन की सुविधायें दी जायें, जिससे वे अपनी शिक्षा का कुछ व्यय निकाल सकें।

७ विद्यालय-शिक्षा का विस्तार^१

'आयोग' ने विद्यालय के सभी स्तरों पर शिक्षा के विस्तार की सिफारिश की है और निम्नलिखित सुझाव दिये हैं —

(१) पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (Pre-Primary Education)—पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में 'आयोग' ने निम्नलिखित सुझाव दिये —

- १ प्रत्येक राज्य के 'राजकीय शिक्षा-संस्थान' (State Institute of Education) में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिये राज्य-स्तर वा एक केन्द्र स्थापित किया जाय।
- २ प्रत्येक जिले में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के विचार के लिये एक केन्द्र स्थापित किया जाय।

३. व्यक्तिगत प्रयत्नको को पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन के लिये प्रोत्साहित किया जाय ।
- ४ पूर्व-प्राथमिक विद्यालया के कार्य-क्रमों को लचीला बनाया जाय ।

(२) प्राथमिक शिक्षा (Primary Education)—प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिये 'आयोग' ने नीचे लिखे सुझाव दिये हैं —

- १ सव बच्चों को १९७५-७६ तक ५ वर्ष की उत्तम और प्रभावशाली प्राथमिक शिक्षा दी जाय ।
- २ देश के सब भागों में ७ वर्ष की ऐसी शिक्षा १९८५-८६ तक प्रदान की जाय । इस प्रकार १९८५-८६ तक संविधान द्वारा प्रतिपादित लक्ष्य को अवश्य प्राप्त किया जाय ।
- ३ 'अपव्यय' एवं 'अवरोधन' (Wastage & Stagnation) को रोकने पर बल दिया जाय ।
- ४ प्राथमिक विद्यालयों के विस्तार के लिये ऐसी योजना बनाई जाए कि प्रत्येक बालक को अपने घर से १ मील के घेरे में लोअर प्राइमरी स्कूल, और १ से ३ मील तक के घेरे में अपर प्राइमरी स्कूल मिल जाय ।

(३) माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)—'आयोग' का विचार है कि आने वाले कुछ वर्षों में घनाभाव के कारण राज्यों द्वारा माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना सम्भव नहीं है । इसलिए इस शिक्षा के विस्तार के लिये अधोलिखित सिद्धान्तों एवं उपायों के अनुसार कार्य किया जाय —

- १ माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाय, जिससे निम्न माध्यमिक स्तर पर २० प्रतिशत, और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ५० प्रतिशत छात्र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकें ।
- २ माध्यमिक शिक्षा में अवसरों की समानता पर बल दिया जाय ।
- ३ लड़कियों, अछूत जातियों एवं जनजातियों में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिये विशेष कार्य-क्रमों का आयोजन किया जाय ।
- ४ अगले २० वर्षों में माध्यमिक शिक्षा की सख्या को नियमित किया जाय ।

८. विद्यालय-पाठ्यक्रम^१

विद्यालय के प्रचलित पाठ्यक्रम के दोषों को दूर करने के लिये 'आयोग' ने विभिन्न वक्षाओं के लिये पाठ्य-क्रम निर्धारित किये हैं, जिनका विवरण आगे दिया जा रहा है —

१. निम्न प्राथमिक (Lower Primary, Classes I to IV)—१. एक भाषा : मातृभाषा या क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा (Mother Tongue or Regional Language), २. गणित (Mathematics), ३. वातावरण का अध्ययन (Study of Environment)—कक्षा ३ और ४ में विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन पढाया जाय, ४. सृजनात्मक क्रियाएँ (Creative Activities), ५. कार्य-अनुभव और समाज-सेवा (Work-Experience & Social Service), ६. स्वास्थ्य-शिक्षा (Health Education) ।

२. उच्चतर प्राथमिक (Higher Primary, Classes V to VII)—१. दो भाषायें : (अ) मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, (ब) हिन्दी या अंग्रेजी । २. गणित, ३. विज्ञान, ४. सामाजिक अध्ययन (या इतिहास, भूगोल और नागरिकशास्त्र), ५. कला (Art), ६. कार्य-अनुभव और समाज-सेवा, ७. शारीरिक शिक्षा (Physical Education), ८. नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा (Education in Moral & Spiritual Values) ।

३. निम्न माध्यमिक (Lower Secondary, Classes VIII to X)—१. तीन भाषाएँ : अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में सामान्य रूप से अप्रलिखित भाषाएँ होनी चाहिए :—(क) मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, (ख) उच्च या निम्न स्तर की हिन्दी, (ग) उच्च या निम्न स्तर की अंग्रेजी । हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में सामान्यतः अप्रलिखित भाषाएँ होनी चाहिये :—(क) मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, (ख) अंग्रेजी (या हिन्दी यदि अंग्रेजी मातृभाषा के रूप में ले ली गई है), (ग) हिन्दी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, २. गणित, ३. विज्ञान, ४. इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र, ५. कला, ६. कार्य-अनुभव और समाज-सेवा, ७. शारीरिक शिक्षा, ८. नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा ।

४. उच्चतर माध्यमिक (Higher Secondary, Classes XI & XII)—१. कोई दो भाषाएँ—जिनमें कोई आधुनिक भारतीय भाषा, कोई आधुनिक विदेशी भाषा तथा कोई शास्त्रीय भाषा सम्मिलित हो, २. अप्रलिखित में से कोई से तीन विषय चुने जायें : (i) एक अतिरिक्त भाषा, (ii) इतिहास, (iii) भूगोल, (iv) अर्थ-शास्त्र, (v) तर्कशास्त्र (Logic), (vi) मनोविज्ञान, (vii) समाजशास्त्र, (viii) कला, (ix) भौतिकशास्त्र, (x) रसायनशास्त्र, (xi) गणित, (xii) जीव-विज्ञान, (xiii) भूगर्भ-शास्त्र (Geology), (xiv) गृह-विज्ञान (Home Science), ३. कार्य-अनुभव तथा समाज-सेवा, ४. शारीरिक शिक्षा, ५. कला या शिल्प (Art or Craft), ६. नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा ।

५. त्रि-भाषी फार्मूले में संशोधन (Amendment in the Three-Language Formula)—‘आयोग’ का विचार है कि स्कूल स्तर पर त्रि-भाषी फार्मूले के लागू होने से बहुत-सी कठिनाइयाँ आयी हैं और यह सफलता भी प्राप्त नहीं कर सचा है ।

अतः असतोष एवं विरोध की भावनायें उत्पन्न हो गई हैं। इस स्थिति में सुधार करने के लिये इस फ़ार्मूले में संशोधन किया जाना आवश्यक है। 'आयोग' के विचार से यह संशोधन निम्नांकित सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना चाहिये :—

१. 'हिन्दी' संघ की राजभाषा के रूप में मातृभाषा के बाद महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करे।
२. अंग्रेजी का ज्ञान छात्रों के लिए लाभप्रद होगा।
३. तीन भाषाओं को सीखने के लिये सबसे उपयुक्त स्तर निम्नतर—माध्यमिक स्तर है।
- ४ हिन्दी या अंग्रेजी का शिक्षण उस समय प्रारम्भ किया जाय, जब उनके लिये अधिकाधिक प्रेरणा एवं आवश्यकता का अनुभव किया जाय।

'आयोग' ने उपरोक्त सिद्धान्तों के आधार पर त्रिभाषी फ़ार्मूले का रूप इस प्रकार अंकित किया है :—

- (अ) मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा।
- (ब) संघ की राजभाषा या सह-राजभाषा, जब तक यह है।
- (स) एक आधुनिक भारतीय या योरोपियन भाषा, जो छात्र द्वारा पाठ्य-क्रम में से न चुनी गई हो और शिक्षा का माध्यम न हो।

६. हिन्दी का स्थान (Place of Hindi)—'आयोग' ने कहा है कि अंग्रेजी को उच्च-शिक्षा में वैदिक आदान-प्रदान की भाषा का काम करना होगा। परन्तु अंग्रेजी अधिकांश भारतीय जनता के लिए विनिमय की भाषा नहीं बन सकती है। यह भाषा कालान्तर में हिन्दी ही होगी। इसलिए इसे भारत के सभी भागों में फैलाने के लिए कार्य किया जाना चाहिए।

७. विभिन्न भारतीय भाषाओं का स्थान (Place of Different Indian Languages)—'आयोग' की राय में भारतीय भाषाओं का अध्ययन लिपियों के अन्तर के कारण कठिन है। इसलिये प्रत्येक आधुनिक भाषा का कुछ साहित्य देवनागरी और रोमन लिपि में प्रकाशित किया जाय। 'आयोग' ने कहा कि स्कूलों में भाषा की शिक्षा की नई नीति इसलिए आवश्यक हो गई है, क्योंकि अंग्रेजी का अनिश्चित काल के लिए प्रतिष्ठित सह-राजभाषा के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होना है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक समुचित भाषा-नीति का होना आवश्यक है। अतः मातृभाषा को स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाय। 'आयोग' ने कहा है कि हिन्दी के अतिरिक्त, सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किया जाय, ताकि एक राज्य से दूसरे में विनिमय के लिए इन भाषाओं का प्रयोग किया जा सके।

८. अंग्रेजी का स्थान (Place of English)—'आयोग' ने अगिन भारतीय शिक्षा-संस्थाओं और विद्वद्विद्यालयों में अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाये रखने

पर जोर दिया है। अंग्रेजी की पढाई स्कूल-स्तर से ही जारी रखनी चाहिए। सर्वोत्तम कोटि के स्नातकोत्तर-अध्ययन और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शोध-कार्य के लिए ६ महा-विश्वविद्यालय, जिनमें अंग्रेजी भाषा—शिक्षा का माध्यम हो, विकसित किये जायें। इन्हें वर्तमान विश्वविद्यालयों में से ही चुना जाय और इनमें एक प्रौद्योगिक-विज्ञान का तथा एक कृषि का विश्वविद्यालय हो।

६. शास्त्रीय भाषाओं का स्थान (Place of Classical Languages)—‘आयोग’ ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के महत्त्व को स्वीकार किया है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली में संस्कृत विशेष अधिकार रखती है। परन्तु ‘आयोग’ इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है कि संस्कृत या अन्य किसी शास्त्रीय भाषा को त्रि-भाषी फ़ार्मूले में स्थान प्रदान किया जाय। ‘आयोग’ का विचार है कि इस फ़ार्मूले में केवल आधुनिक भारतीय भाषाओं को ही स्थान दिया जाय। ‘आयोग’ इस बात से सहमत है कि मातृभाषा तथा संस्कृत का एक मिश्रित पाठ्य-क्रम बनाया जा सकता है। परन्तु जनमत इसके पक्ष में नहीं है। अतः इन परिस्थितियों में शास्त्रीय भाषाओं को विद्यालय-पाठ्य-क्रम में केवल वैकल्पिक विषय के रूप में स्थान दिया जा सकता है। यह स्थान कक्षा ८ तथा आगे की कक्षाओं में हो।

६. विद्यालय-प्रशासन और निरीक्षण^१

विद्यालय-प्रशासन और निरीक्षण की चर्चा करते हुए ‘आयोग’ ने विशेष रूप से निम्नलिखित बातों पर बल दिया है :—

(१) सामान्य विद्यालय-पद्धति (Common School System)—‘आयोग’ का विचार है कि इस समय भारत में प्रशासन की निरीक्षण की पद्धतियाँ उचित और सहानुभूतिपूर्ण नहीं हैं। इन दोषों को दूर करने के लिये ‘सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य विद्यालय-पद्धति’ (Common School System of Public Education) की स्थापना की जाय। इस पद्धति में सब सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों का समावेश किया जाय। ‘आयोग’ ने इस पद्धति के निर्माण के लिये निम्नलिखित उपायों को काम में लाने के लिये कहा है :—

१. विभिन्न प्रबन्धकों के अधीन कार्य करने वाले शिक्षकों के बीच जो भेद-भाव प्रचलित है, उसे समाप्त किया जाय।
२. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राथमिक स्तर के बालकों से फीस न ली जाय।
३. पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निम्न माध्यमिक स्तर की फीस समाप्त कर दी जाय।
४. सरकार का यह दायित्व है कि यदि कोई विद्यालय उपयुक्त ढंग से

संचालित नहीं किया जा रहा है, तो वह या तो उमका प्रबन्ध स्वयं अपने हाथ में ले ले या उसे वन्द कर दे।

५. व्यक्तिगत विद्यालयों की प्रबन्ध-ममितियों में शिक्षा-विभाग के प्रतिनिधि रखे जायें।
६. गैर-सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति, उनका वेतन एवं उनमें सम्बन्धित सभी अन्य बातें सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के समान हो।

(२) प्रशासन और निरीक्षण (Administration & Supervision)—
‘आयोग’ ने विद्यालय-प्रशासन और निरीक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य सिफारिशें की हैं —

१. प्रशासन को निरीक्षण से पृथक् रखा जाय। जिला-स्तर पर प्रशासन-कार्य ‘जिला-विद्यालय-परिषद्’ (District School Board) के हाथ में रहे, और निरीक्षण-कार्य जिला शिक्षा-अधिकारी को सौंपा जाय। परन्तु दोनों एक-दूसरे के सहयोग से कार्य करें।
२. प्रत्येक विद्यालय में दो प्रकार का निरीक्षण किया जाय (१) प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष में एक बार ‘जिला-विद्यालय-परिषद्’ द्वारा, तथा माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा-विभागों द्वारा, (२) प्राथमिक विद्यालयों में जिला विद्यालय-अधिवारी और माध्यमिक विद्यालयों में राज्य-विद्यालय-शिक्षा-परिषद् द्वारा त्रि-वर्षीय (Triennial) या पंचवर्षीय (Quinquennial) निरीक्षण संगठित किये जायें।
३. प्रत्येक राज्य में ‘राज्य विद्यालय-शिक्षा परिषद्’ (State Board of School Education) की स्थापना की जाय। यह प्रचलित माध्यमिक-शिक्षा-परिषद् के कार्यों एवं दायित्वों का निर्वाह करे।
४. शिक्षा-मन्त्रालय में एक ‘राष्ट्रीय विद्यालय-शिक्षा परिषद्’ (National Board of School Education) की स्थापना की जाय, जो विद्यालय-शिक्षा के सम्बन्ध में भारत-सरकार को परामर्श दे।

१०. शिक्षण-विधियाँ, मार्ग-प्रदर्शन और मूल्यांकन

‘आयोग’ ने शिक्षण-विधियों, मार्ग-प्रदर्शन और मूल्यांकन से सम्बन्धित विषयों के बारे में निम्नलिखित सुझाव दिये —

(१) शिक्षण विधियों में सुधार (Improvement in Teaching Methods)—
आयोग के अनुसार हमारे अधिकांश विद्यालयों में अभी तक परम्परागत विधियों का

अनुसरण किया जा रहा है। उनमें सुधार करने के लिये 'आयोग' ने नीचे लिखे सुझाव दिये :—

१. शिक्षण-विधियों में लचीलेपन तथा गतिशीलता को स्थान प्रदान किया जाय।
२. शिक्षा में गतिशीलता लाने के लिये शिक्षकों में पहलवदमी, परीक्षण, तथा सृजनात्मकता के गुणों का विकास किया जाय।
३. नवीन शिक्षण-विधियों के प्रसार के लिये अभिनवन पाठ्य-क्रमों, वर्कशॉपों, प्रदर्शनो, परीक्षणों, विचार-सम्मेलनों, सेमिनारों आदि का आयोजन किया जाए।

(२) पाठ्य-पुस्तकों में सुधार (Improvement in Text-Books)—'आयोग' ने पाठ्य-पुस्तकों की निम्न स्थिति में सुधार करने के लिये अधोलिखित सुझाव दिये हैं :—

१. राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण के लिये एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाय।
२. पाठ्य-पुस्तकों को लिखने के लिये देश के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाय।
३. 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्' (NCERT) द्वारा जिन सिद्धान्तों एवं रूपरेखाओं के अनुसार पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण के लिये कार्य किया जा रहा है, उन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी कार्य किया जाय।
४. प्रत्येक राज्य में पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण के लिये एक विशेष समिति की नियुक्ति की जाय।
५. पाठ्य-पुस्तकों की तैयारी तथा मूल्यांकन करना—राज्य के शिक्षा-विभाग का दायित्व माना जाय।
६. शिक्षा-विभाग अखिल भारतीय रेडियो से सम्पर्क स्थापित करके रेडियो-प्रसारणों द्वारा विभिन्न पाठों के अध्यापन की व्यवस्था करें।

(३) प्राथमिक स्तर पर मार्ग-प्रदर्शन (Guidance at Primary Stage)—प्राथमिक स्तर पर मार्ग-प्रदर्शन के सम्बन्ध में 'आयोग' ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

१. प्राथमिक विद्यालय की निम्नतम कक्षा से मार्ग-प्रदर्शन देना प्रारम्भ किया जाय।
२. प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण-शाल में मार्ग-प्रदर्शन सम्बन्धी बातों से अवगत कराया जाय।

३. छात्रों तथा उनके अभिभावकों को आगे की शिक्षा के लिये विषयों का चुनाव करने में सहायता दी जाय।

(४) माध्यमिक स्तर पर मार्ग-प्रदर्शन (Guidance at the Secondary Stage)—माध्यमिक स्तर पर मार्ग-प्रदर्शन प्रदान करने के लिए अधोलिखित व्यवस्था की जाय :—

१. सभी माध्यमिक स्कूलों के लिए न्यूनतम मार्ग-प्रदर्शन कार्य-क्रम तैयार किया जाय।
२. १० माध्यमिक विद्यालयों के लिये एक परामर्शदाता (Counsellor) नियुक्त किया जाय।
३. प्रत्येक जिले में कम से कम एक विद्यालय में मार्ग-प्रदर्शन का विस्तृत कार्य-क्रम संचालित किया जाय।
४. माध्यमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण-काल या सेवा-काल में मार्ग-प्रदर्शन की धारणा से अवगत कराया जाय।

(५) मूल्यांकन (Evaluation)—‘आयोग’ का विचार है कि मूल्यांकन के लिये लिखित परीक्षा को महत्त्व दिया जाता है। इनमें बहुत से दोषों का प्रचलन हो गया है। अतः इसको सुधारने तथा मूल्यांकन के कार्य-क्रम को विस्तृत बनाने के लिये ‘आयोग’ ने निम्नांकित सुझाव दिये हैं :—

१. मूल्यांकन के नवीन दृष्टिकोण द्वारा लिखित परीक्षाओं को सुधारने के लिये प्रयास किया जाय।
२. छात्रों के विकास के उन मुख्य पक्षों को मापने के लिये विभिन्न रीतियों को खोजा जाय, जिनका मापन लिखित परीक्षा द्वारा नहीं हो पाता है।
३. निम्न प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन द्वारा मूलमूल कुशलताओं में छात्रों की उपलब्धियों (Achievements) को सुधारा जाय।
४. उच्चतर प्राथमिक स्तर पर छात्रों की उपलब्धियों की जाँच करने के लिये लिखित परीक्षाओं के अतिरिक्त मौखिक तथा निदानात्मक (Diagnostic) परीक्षाओं का प्रयोग किया जाय। मंचित अभिलेख-पत्रों (Cumulative Record Cards) की भी व्यवस्था की जाय।
५. प्राथमिक स्तर की समाप्ति पर एक बाह्य परीक्षा ली जाय।
६. बाह्य परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों में प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ (Objective) बनाने का प्रयत्न किया जाय।
७. आन्तरिक जाँच (Internal Assessment) व्यापक हो। इसमें द्वारा बालकों के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाय। बाह्य परीक्षाओं के

साथ-साथ, आन्तरिक जाँची को प्रमाण-पत्र प्रदान करने का आधार बनाया जाय ।

११. उच्च शिक्षा

(१) वरिष्ठ विश्वविद्यालयों का विकास (Development of Major Universities)—‘आयोग’ का विचार है कि उच्च-शिक्षा में सबसे महत्त्वपूर्ण सुधार ‘वरिष्ठ-विश्वविद्यालयों का विकास’ करना है, जहाँ सर्वोत्तम प्रकार का स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान कार्य किया जा सके और जो विश्व के किसी भी भाग में स्थित सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों के कार्य की तुलना में निम्नतर सिद्ध न हो । ‘विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग’ यथासम्भव प्रचलित विश्वविद्यालयों में से ‘वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के विकास’ के लिये ६ विश्वविद्यालयों को चुने, जिनमें कम से कम १ दृष्टि तथा १ प्रौद्योगिकी का हो । यह कार्य-क्रम १९६६-६७ से प्रारम्भ किया जाना चाहिये । ‘वरिष्ठ विश्व-विद्यालय’ असाधारण क्षमता एवं अध्यवसाय के छात्रों एवं शिक्षकों को रखें । इस दृष्टिकोण से वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के विकास में अधोलिखित बातों पर ध्यान दिया जाय —

१. प्रत्येक वरिष्ठ विश्वविद्यालय पूर्व-स्नातक स्तर के लिए कुछ छात्रवृत्तियाँ निर्धारित करे, जिससे वह स्नातकोत्तर कार्य के लिये पर्याप्त संख्या में प्रतिभाशाली छात्र प्राप्त कर सके ।
२. शिक्षक-वर्ग की नियुक्ति राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर की जाय ।
३. प्रत्येक वरिष्ठ विश्वविद्यालय में ‘उन्नत अध्ययन केन्द्रों के समूह’ (Clusters of Advanced Centres) स्थापित किये जायें ।
४. वरिष्ठ विश्वविद्यालयों का व्यय ‘विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग’ द्वारा वहन किया जाय ।

(२) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सुधार (Improvement in Universities & Colleges)—वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त, देश के अन्य सभी विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध कॉलेजों के सुधार के बारे में ‘आयोग’ ने निम्नांकित सुझाव दिये हैं :—

१. वरिष्ठ विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध कॉलेजों को उत्तम शिक्षक प्रदान करें ।
२. वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्रों में ऐसी भावना उत्पन्न की जाय कि वे अध्ययन के पश्चात् शिक्षण-अध्यवसाय को अपनायें ।
३. विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध कॉलेज अपने नव-निर्वाचित शिक्षकों को यथासम्भव कुछ समय के लिये वरिष्ठ विश्वविद्यालयों में भेजें, जहाँ वे

अपने विषय से सम्बन्धित नवीन विचारों एवं प्रक्रियाओं की जाँकारी प्राप्त करें।

४. प्रतिभाशाली विद्वानों तथा वैज्ञानिकों को अनुसन्धान तथा सेमिनारों का संचालन करने के लिए आमंत्रित किया जाय।

(३) शिक्षण में सुधार (Improvement in Teaching)—‘आयोग’ ने शिक्षण-कार्य में सुधार करने के लिये अधोलिखित मुद्दाव दिये हैं —

१. औपचारिक कक्षा-कार्य एवं प्रयोगशाला कार्य के घण्टा में कमी की जाय और इस कमी से जो समय बचे, उसका प्रयोग एक निर्देशक (Instructor) के पथ-प्रदर्शन में स्वाध्ययन, निर्धारित कार्य, लेखों को लिखने, समस्याओं के समाधान तथा अनुसन्धान कार्यों को पूर्ण करने के लिये किया जाय।
२. विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में पुस्तकालयों को उत्तम बनाया जाय।
३. सभी विषयों में रटने की प्रवृत्ति को रोका जाय और मौलिक चिन्तन पर बल दिया जाय।
४. कक्षा-कार्य के बाद छात्रों को ४५ मिनट का अध्ययन समय प्रदान किया जाय, जिससे वे व्याख्यान की सामग्री को याद कर सकें।
५. यह नियम बनाया जाय कि कोई भी शिक्षक सत्र के मध्य में एक सप्ताह को छोड़कर दूसरी सप्ताह में न जाय।

(४) मूल्यांकन में सुधार (Improvement in Evaluation)—‘आयोग’ ने मूल्यांकन में सुधार करने के लिये अधोलिखित मुद्दाव दिये हैं :—

१. समस्त शिक्षण-विश्वविद्यालयों में बाह्य परीक्षाओं के स्थान पर स्वयं शिक्षकों द्वारा ‘आन्तरिक एवं क्रमिक मूल्यांकन’ (Internal & Continuous Evaluation) की प्रणाली को ग्रहण किया जाय।
२. ‘विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग’ विश्वविद्यालयों के सहयोग से ‘केन्द्रीय परीक्षा-सुधार यूनिट’ (Central Examination Reform Unit) की स्थापना करे।
३. परीक्षाओं को उत्तर-मुद्रिकाओं की जाँच करने के परिणामस्वरूप गिनने वाले पारिधमिक को समाप्त कर दिया जाय।
४. एक परीक्षक द्वारा जाँची जाने वाली उत्तर-मुद्रिकाओं की संख्या बढ़ने में ५०० में अधिक न हो।

(५) शिक्षा का माध्यम (Medium of Instruction)—‘आयोग’ ने विश्व-विद्यालय-स्तर पर शिक्षा के माध्यम के विषय में निम्नांकित मुद्दाव दिए हैं —

१. विश्वविद्यालय-स्तर पर ‘क्षेत्रीय भाषाओं’ (Regional Languages)

को १० वर्ष की अवधि में शिक्षा के माध्यम के रूप में ग्रहण किया जाय।

२. पूर्व-स्नातक स्तर पर उच्च शिक्षा यथासम्भव क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से दी जाय और स्नातकोत्तर स्तर पर अंग्रेजी के माध्यम से।
३. आधुनिक भारतीय भाषाओं (जिनमें उर्दू सम्मिलित हो) के विकास के लिये उच्च अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की जाय।
४. शास्त्रीय तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं को विश्वविद्यालय-स्तर पर वैकल्पिक विषयों के रूप में रखा जाय। इस स्तर पर किसी भी भाषा को अनिवार्य न बनाया जाय।
५. विश्वविद्यालयों तथा सम्यद्ध कॉलेजों में अंग्रेजी के अध्ययन के लिये उपयुक्त सुविधाएँ प्रदान की जायें।
६. हसी भाषा के अध्ययन के लिये सुविधाएँ प्रदान की जायें।

(६) चयनात्मक प्रवेश-प्रणाली (System of Selective Admission)—

उच्च शिक्षा-संस्थाओं में प्रवेश चाहने वाले छात्रों का चुनाव किस प्रकार किया जायेगा—इस सम्बन्ध में 'आयोग' के विचार निम्नलिखित हैं —

१. शिक्षा-संस्थाओं में छात्रों की संख्या का निश्चय संस्थाओं में उपलब्ध शिक्षण-सुविधाओं और शिक्षकों की संख्या के आधार पर किया जाय।
२. विश्वविद्यालयों द्वारा प्रवेश-योग्यताओं की व्यवस्था की जाय।
३. विश्वविद्यालयों द्वारा प्रवेश चाहने वाले छात्रों में से सर्वोत्तम का चुनाव किया जाय।

(७) नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना (Establishment of New Universities)—'आयोग' के मतानुसार नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना करते समय अधोलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाय :—

१. कोई नवीन विश्वविद्यालय तब तक स्थापित न किया जाय, जब तक 'विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग' की सहमति तथा आवश्यक धन की व्यवस्था न हो जाय।
२. नवीन विश्वविद्यालय सामान्यतः उस स्थान पर स्थापित न किया जाय, जहाँ कुछ समय से कोई विश्वविद्यालय संचालित नहीं किया जा रहा है।
३. नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना तभी की जाय, जब इस बात का विश्वास हो जाय कि उससे शिक्षा के स्तर में उन्नति होगी और उसमें उच्च स्तर का अनुसन्धान कार्य किया जायगा।

१२. कृषि की शिक्षा

‘आयोग’ ने कृषि की शिक्षा के जिन महत्त्वपूर्ण पक्षों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनकी चर्चा आगे की पक्तियों में की जा रही है —

(१) कृषि-विश्वविद्यालय (Agricultural Universities)—‘आयोग’ ने देश में कृषि-विश्वविद्यालयों के बारे में निम्नांकित सुझाव दिये हैं —

- १ प्रत्येक राज्य में एक कृषि-विश्वविद्यालय खोला जाय ।
- २ कृषि-विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसन्धान, शिक्षा तथा प्रसार के कार्य-क्रमा को अपने हाथ में लिया जाय ।
- ३ कृषि-विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर कार्य को उच्च स्तर का बनाया जाय ।
- ४ स्नातकोत्तर कार्य के लिये प्रवेश केवल कृषि-स्नातको के लिए ही सीमित न रखा जाय, वरन् दूसरे क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को भी प्रोत्साहित किया जाय ।
- ५ प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि १० वर्ष की विश्वविद्यालय के बाद ५ वर्ष की रखी जाय ।
- ६ कृषि-विश्वविद्यालयों में कक्षा-शिक्षण के अतिरिक्त, प्रयोगशाला तथा प्रायोगिक कार्यों पर अधिक बल दिया जाय ।
- ७ शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ५ या ६ केन्द्रों की स्थापना की जाय ।
- ८ कृषि-विश्वविद्यालयों के २५ प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने की व्यवस्था की जाय ।
- ९ प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय के पास १,००० एकड़ भूमि से कम का फार्म न हो, जिसमें कम से कम ५०० एकड़ भूमि जोतने योग्य हो ।
- १० उपाधि प्रदान करने से पूर्व १ वर्ष तक के छात्रों से फार्म पर कृषि-कार्य कराया जाय ।

(२) कृषि-कॉलेज (Agricultural Colleges)—कृषि के कॉलेजों के सम्बन्ध में ‘आयोग’ के सुझाव अधोलिखित हैं —

१. नवीन कृषि-कॉलेजों की स्थापना की जाय और समस्त पूर्व-स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्य कृषि-विश्वविद्यालयों में ही किया जाय ।
२. प्रत्येक कृषि-कॉलेज में २०० एकड़ भूमि का सुव्यवस्थित फार्म हो ।
- ३ कृषि-कॉलेजों का प्रति पाँचवें वर्ष ‘अखिल भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद्’ तथा ‘विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग’ द्वारा समुक्त रूप से निरीक्षण किया जाय ।

(३) कृषि-पॉलिटेक्नीक (Agricultural Polytechnics)—आयोग ने सुझाव

दिया कि कृषि की शिक्षा देने के लिये 'पॉलिटिकनीको' की स्थापना की जाय और उनके सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार व्यक्त किये हैं :—

१. मेट्रीकुलेशन स्तर के उपरान्त कृषि-पॉलिटिकनीको की स्थापना की जाय ।
२. इन पॉलिटिकनीको में १,००० छात्रों तक को शिक्षा दी जाय ।
३. कृषि-शिक्षा की माँग की पूर्ति करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के समीप स्थित पॉलिटिकनीको में कुछ समय के लिए कृषि-शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाय ।

(४) विद्यालय में कृषि-शिक्षा (Agricultural Education in Schools)—'आयोग' का विचार है कि कृषि-शिक्षा को विद्यालय की सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाय । इस दृष्टिकोण से 'आयोग' ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

१. समस्त प्राथमिक विद्यालयों (शहरी क्षेत्र के विद्यालयों सहित) में कृषि-सम्बन्धी जानकारी को सामान्य शिक्षा का अभिन्न अङ्ग बनाया जाय ।
२. विद्यालय-स्तर पर कृषि-कार्य के अनुभव को शिक्षा का प्रमुख अङ्ग बनाया जाय ।
३. शिक्षक-शिक्षा के कार्यक्रमों में कृषि तथा ग्रामीण समस्याओं से सम्बन्धित बातों को स्थान प्रदान किया जाय ।
४. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्य-क्रमों में कृषि और ग्रामीण समस्याओं को स्थान दिया जाय ।

१३. व्यावसायिक, प्राविधिक और इंजीनियरिंग शिक्षा।

उपरोक्त शिक्षा से सम्बन्धित 'आयोग' ने जिन बातों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनमें महत्वपूर्ण का विवरण नीचे दिया जा रहा है .—

(१) व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षा (Vocational & Technical Education)—आयोग ने व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षा के बारे में निम्नांकित सुझाव दिये हैं .—

१. औद्योगिक प्रशिक्षण-मंस्थानों (Industrial Training Institutes) में प्रशिक्षण की सुविधाओं का और अधिक विस्तार किया जाय ।
२. जूनियर टेक्निकल स्कूलों का नाम परिवर्तित करके—टेक्निकल हाई-स्कूल कर दिया जाय ।
३. विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों के लिये व्यावसायिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षण के लिए अंशकालीन शिक्षा, पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्षा तथा

लघु-गहन कोर्सों (Short-Intensive Courses) के आधार पर सुविधाएँ प्रदान की जायें ।

४. उद्योग के सहयोग से समय-समय पर सर्वेक्षण (Survey) किये जाएँ, और उनसे आधार पर टेकनिसियनों (Technicians) के प्रशिक्षण के लिए पाठ्य-विषयों का विस्तार एवं पुनः निरीक्षण किया जाय ।
५. डिप्लोमा प्रदान करने वाले स्कूलों में व्यावहारिक कार्य पर अधिक बल दिया जाय ।
६. औद्योगिक क्षेत्रों में पॉलिटैकनिकों की स्थापना की जाय ।
७. शिक्षकों और छात्रों को छुट्टियों में उत्पादन कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय ।
८. पॉलिटैकनिकों में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा स्तर पर बालिकाओं की विशेष रुचि से पाठ्य-विषयों की व्यवस्था की जाय ।

(२) इंजीनियरों की शिक्षा (Education of Engineers)—इंजीनियरों की शिक्षा से सम्बन्धित 'आयोग' के सुझाव निम्नलिखित हैं :—

१. इंजीनियरिंग की कुछ शाखाओं, जैसे—विद्युत-अणु-सम्बन्धी (Electronics) और उपकरण-सम्बन्धी (Instrumentation) शिक्षा के लिए योग्य एवं प्रतिभाशाली बी० एस०-सी० पास छात्रों को चुना जाय ।
२. डिग्री कोर्स के छात्रों को तृतीय वर्ष में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाय ।
३. 'वर्कशाप-प्रेक्टिस' (Workshop Practice) में उत्पादन कार्य पर अधिकाधिक बल दिया जाय ।
४. रासायनिक प्रौद्योगिकी (Chemical Technology), विमान-विद्या (Aeronautics), नक्षत्र-विज्ञान (Astronautics) आदि पाठ्य-विषयों का विकास किया जाय ।
५. शिक्षकों के लिये व्यापक रूप से 'सुमर-संस्थानों' (Summer Institutes) की व्यवस्था की जाय ।
६. शिक्षण-व्यवसाय को आकर्षक बनाने के लिये उपयुक्त वेतन-क्रम लागू किये जायें ।

१४. विज्ञान की शिक्षा

'आयोग' ने विज्ञान की शिक्षा पर बहुत बल दिया है और उसके विकास के लिये अधोलिखित सुझाव दिये हैं :—

१. विज्ञान तथा गणित में स्नातकोत्तर पाठ्य-विषयों के स्तर को उच्च बनाया जाय और इस स्तर पर छात्रों की सख्या में भी वृद्धि की जाय, जिससे उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके ।

२. विज्ञान तथा गणित के उच्च अध्ययन-केन्द्रों की स्थापना की जाय। इन केन्द्रों में योग्य एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों को शिक्षक नियुक्त किया जाय। यदि सम्भव हो तो कुछ व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय स्थािति के हो।
३. कुछ 'विजिटिंग प्रोफेसरो' (Visiting Professors) को समझौते के आधार पर २ से ३ वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किया जाय।
४. भारत के कुछ अन्तर्राष्ट्रीय स्थािति के वैज्ञानिक विदेशों में कार्य कर रहे हैं। 'विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग' उन्हें तथा अन्य विदेशी वैज्ञानिकों को आमन्त्रित करे।
५. प्रायोगिक भौतिकशास्त्र तथा रसायनशास्त्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाय।
६. औद्योगिक कार्य-कर्त्ताओं को पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्षा तथा सामकालीन कक्षाओं के माध्यम से वर्कशापों का प्रयोग करने के लिए सुविधाएँ दी जायें।
७. वैज्ञानिक विषयों के छात्रों को सांख्यिकी (Statistics) का सामान्य ज्ञान प्रदान किया जाय।
८. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को शिक्षा-प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया जाय, क्योंकि यह आज के युग की महत्त्वपूर्ण माँग है।
९. दो वर्ष के एम० एस्-सी० कोर्सों के अतिरिक्त एक वर्ष या कम अवधि से कुछ विशेष कोर्स प्रदान किये जायें जो वर्तमान वैज्ञानिक, औद्योगिक तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।
१०. विश्वविद्यालय तथा इंजीनियरिंग संस्थान योग्य औद्योगिक कार्य-कर्त्ताओं को पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्षा तथा सामकालीन कक्षाओं के लिये भर्ती करें। इन संस्थानों में डिप्लोमा तथा डिग्री कोर्सों के अतिरिक्त मिस्त्रियों (Mechanics), प्रयोगशाला-शिल्पियों (Laboratory Technicians) तथा अन्य कुशल कार्य-कर्त्ताओं (Skilled Operators) के लिये विशेष एवं लघु कोर्सों का भी आयोजन किया जाय।
११. एम० एस्-सी० स्तर के आये एक नवीन उपाधि की व्यवस्था की जाय। इस नवीन उपाधि का कोर्स वैकल्पिक आधार पर प्रदान किया जाय।
१२. विज्ञान के 'ग्रीष्म-संस्थानों' (Summer Institutes) की व्यवस्था की जाय। इनमें स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को आमन्त्रित किया जाय। इनके द्वारा देश की विज्ञान-शिक्षा में महत्त्वपूर्ण सुधार किया जा सकता है।

१५ वयस्क-शिक्षा^१

‘आयोग’ ने निम्नलिखित नीतियों के अन्तर्गत वयस्क शिक्षा का काफी विस्तृत विवेचन किया है यथा—

(१) वयस्क-शिक्षा की आवश्यकता (Need of Adult Education)—आयोग का विचार है—शिक्षा जीवन-मर्यान्त चलने वाली प्रक्रिया है। आज के प्रौढ़ को तीव्र गति से परिवर्तन होने वाले आधुनिक विश्व का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। कोई भी राष्ट्र अपनी सुरक्षा का भार पूर्णतया पुलिस या सेना के हाथ में नहीं सौंप सकता है। वस्तुतः राष्ट्रीय सुरक्षा पर्याप्त सीमा तक नागरिकों की शिक्षा, विभिन्न मामला में उनके ज्ञान, उनके चरित्र, उनकी अनुशासन की भावना तथा उनकी सुरक्षात्मक कार्यों में सक्रिय रूप में भाग लेने की योग्यता पर निर्भर है। अतः राष्ट्र की सुरक्षा तथा उसकी उन्नति के लिये प्रौढ़ों को शिक्षित किया जाना आवश्यक है। हमारे देश में प्रौढ़ शिक्षा की ओर भी अर्ध-आवश्यकता है, क्योंकि भारत की ७० प्रतिशत जनसंख्या निपटना और पढ़ना नहीं जानती है। दूसरे, भारत लोकतन्त्रीय गणतन्त्र है, जिसे प्रौढ़ों को सुरक्षा एवं उन्नति के लिये महत्वपूर्ण कार्य करना है। अतः प्रौढ़ों को शिक्षित करना परमावश्यक हो गया है।

(२) वयस्क-शिक्षा का कार्यक्रम (Programme of Adult Education)—‘आयोग’ का मत है कि प्रौढ़ों को शिक्षित बनाने के लिये प्रौढ़ शिक्षा का प्रभावशाली कार्यक्रम तैयार किया जाय। उसने इस कार्यक्रम में निम्नलिखित बातों के समावेश पर बल दिया है—

(i) निरक्षरता का उन्मूलन, (ii) अनवरत शिक्षा, (iii) पत्राचार पाठ्यक्रम, (iv) पुस्तकालय, (v) प्रौढ़-शिक्षा में विश्वविद्यालयों का कार्य, (vi) प्रौढ़ शिक्षा का सगठन तथा प्रशासन।

(i) निरक्षरता का उन्मूलन (Liquidation of Illiteracy)—‘आयोग’ ने वयस्क निरक्षरता को दूर करने के लिये अधोलिखित उपायों को प्रस्तुत किया है—

- १ निरक्षरता को १० वर्ष की अवधि में देश के प्रत्येक कोने से समाप्त कर दिया जाय।
- २ १९७१ में साक्षरता का राष्ट्रीय स्तर ६० प्रतिशत तथा १९७६ में ८० प्रतिशत कर दिया जाय।
- ३ निरक्षरता के प्रसार को रोकने के लिये निम्नांकित उपायों को काम में लाया जाय—

(अ) ६-११ वय-वर्ग के सब बच्चों के लिये ५ वर्ष की सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय।

(व) ११-१४ वय-वर्ग के उन बच्चों के लिये अंशकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाय, जिन्होंने या तो बीच में स्कूल छोड़ दिया हो या विद्यालय जाने की सुविधा का उपभोग न किया हो।

(स) १५-३० वय-वर्ग के प्रौढ़ों के लिये अंशकालीन सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय।

४ स्त्रियों में साक्षरता की उन्नति के लिये 'केन्द्रीय समाज-कल्याण-परिषद्' (Central Social Welfare Board) द्वारा 'संक्षिप्त कोर्सेस' (Condensed Courses) का संचालन किया जाय और ग्रामीण क्षेत्रों की स्त्रियों को साक्षर बनाने के लिये 'ग्राम-सेविकाओं' (Village-Sisters) की नियुक्ति की जाय।

५ साक्षरता को बनाये रखने के लिये 'अनुसरण कार्यक्रम' (Follow-up) पुस्तकालय का प्रयोग तथा पठन-सामग्री का उत्पादन किया जाय।

(ii) अनवरत शिक्षा (Continuation Education)—'आयोग' ने शिक्षित वयस्कों की शिक्षा को जारी रखने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये हैं —

१. सभी प्रकार तथा सभी स्तरों की शिक्षा-संस्थाएँ नियमित समय के पश्चात् उन व्यक्तियों के लिये, जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं, विभिन्न पाठ्य-विषयों के शिक्षण की व्यवस्था करने के लिये प्रोत्साहित की जायें।

२. शिक्षा-संस्थाओं में ऐसे पाठ्य-विषयों का आयोजन किया जाय, जिनके द्वारा वयस्कों के सामान्य ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि की जा सके।

३. कार्य-कर्त्ताओं (Workers) को जीवन के दृष्टिकोण को विस्तृत बनाने तथा अपनी कुशलताओं के विकास के लिये आगे शिक्षा प्रदान की जाय। इसके लिये विशेष अंश-कालीन पाठ्य-विषयों का आयोजन किया जाय।

४. 'केन्द्रीय समाज-कल्याण-परिषद्' द्वारा संचालित प्रौढ़ स्त्रियों के लिये संस्थाएँ तथा मैसूर राज्य में स्थित शिक्षापीठों के समान विशेष संस्थाएँ स्थापित की जायें।

(iii) पत्राचार-पाठ्यक्रम (Correspondence Courses)—'आयोग' ने वयस्क-शिक्षा का प्रसार करने के लिये 'पत्राचार-पाठ्यक्रम' पर बल दिया है, जिसमें उसने निम्नांकित बातों को स्थान दिया है —

१. उन लोगों के लिये पत्राचार-पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाय, जो अंश-कालीन कोर्सेस का भी अध्ययन करने में असमर्थ हैं।

२. जो व्यक्ति पत्राचार-पाठ्यक्रम लें, उन्हें कभी-कभी शिक्षकों से मिलने के अवसर प्रदान किये जायें।

- ३ पत्राचार पाठ्यक्रम का रेडियो तथा टेलीविजन कार्य-क्रमों से सामजस्य स्थापित किया जाय।
- ४ पत्राचार-पाठ्यक्रम कृषि, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों के कार्य-कर्ताओं के लिये व्यवस्थित किये जायें।

(iv) पुस्तकालय (Libraries)—‘आयोग’ ने प्रौढ शिक्षा में पुस्तकालयों के कार्य के विषय में अधोलिखित सुझाव दिये हैं —

- १ पुस्तकालय सलाहकार-समिति’ (Advisory Committee on Libraries) ने सम्पूर्ण देश में पुस्तकालयों का एक जाल बिछाने का जो सुझाव दिया है, उसे कार्यान्वित किया जाय।
- २ विद्यालयों के पुस्तकालयों को सार्वजनिक पुस्तकालयों के रूप में संगठित किया जाय और उनमें बच्चों तथा नव साक्षरों (Neo-Literates) की रुचियों के अनुसार पठन सामग्री को स्थान दिया जाय।

(v) प्रौढ-शिक्षा में विश्वविद्यालयों का कार्य (Role of Universities in Adult Education)—‘आयोग’ का विचार है कि विश्वविद्यालयों को प्रौढों को शिक्षित करने के विषय में अपने दायित्व को ग्रहण करना चाहिये। विश्वविद्यालयों को समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए कार्य करना चाहिये। विश्वविद्यालय पत्राचार-पाठ्यक्रमों, प्रसार व्याख्यानों, सेमिनारों, स्वच्छता, जनसंख्या पर नियन्त्रण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य-सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करके उन विचारों को जनता तक पहुँचाने के लिये विभिन्न आन्दोलनों का संचालन कर सकते हैं। ‘आयोग’ का मत है कि प्रौढ शिक्षा के कार्य-क्रमों को संचालित करने के लिये प्रत्येक विश्वविद्यालय प्रौढ-शिक्षा-विभाग खोले और प्रौढ शिक्षा के सम्बन्धित कार्य-क्रमों को चलाने के लिये सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता दी जाय।

(vi) प्रौढ-शिक्षा का संगठन तथा प्रशासन (Organization & Administration of Adult Education)—‘आयोग’ ने प्रौढ-शिक्षा के संगठन और प्रशासन के सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किये हैं —

१. राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा-परिषद्’ (National Board of Adult Education) की स्थापना की जाय। इस परिषद् के अधोलिखित कार्य होने चाहिये —
 - (अ) औपचारिक प्रौढ शिक्षा तथा प्रशिक्षण के विषय में केन्द्र तथा राज्य-सरकारों को परामर्श देना, उनके लिये विभिन्न कार्य-क्रमों का निर्माण करना।
 - (ब) प्रौढ शिक्षा के लिये आवश्यक साहित्य तथा पठन-सामग्री के लिये आवश्यक माधनों एवं सेवाओं को प्रोत्साहन देना।

- (ग) विभिन्न प्रकार की तथा मातृभाषी एवं अंग-भाषी भाषियों में समन्वय स्थापित करना ।
- (घ) अंग-भाषीय एवं अंग-शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की जाँच करना और दूसरी दुर्गमताएँ प्रगति के लिए सुझाव देना ।
- (ङ) अंग-शिक्षा के क्षेत्र में अनुसन्धान-कार्य को प्रोत्साहित करना ।

आयोग का सुझावन

'आयोग' ने अनेक अन्वेषण सुझाव दिये हैं जैसे— शिक्षकों के वेतन-प्रश्नों में कृपि, उनकी ६३ वीं वर्ष आयु करने की अनुमति, विज्ञान पर आधुनिक शिक्षा, शिक्षा का क्षेत्र में सुसज्ज आदि । ये सभी सुझाव अन्वेषण पर ही निबन्धित हैं । यदि वे कार्यान्वित हों, तब ही वे शिक्षण-निष्ठ होंगे; अन्यथा वे ही शिक्षण-आयोगों के सुझाव अन्वेषण के अन्वेषण-विशेषों में निबन्धित हैं, वही प्रकार ही भी निबन्धित रह जायेंगे ।

'आयोग' की विचारधारा में मान्यता भी थी, पर यदि उनकी मान्यता में भी सन्देह तो हानि अधिक होगी । वैज्ञानिक शिक्षा, जिन पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं और जो हमको अन्वेषण-सामग्रीयों का अन्वेषण से निरासत में निर्यात है, उसकी दाल-शिक्षा हो जायगी । अन्वेषण पर खर्च होने से अन्वेषण-सामग्रीयों का अन्वेषण बना रहेगा और अन्वेषण-सामग्रीयों का विक्रय रुक जायगा । अन्वेषण का अन्वेषण न करने के कारण हम अन्वेषण-सामग्रीयों और अन्वेषण को हानि जायेंगे । विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर अन्वेषण-सामग्रीयों का खर्च हम अन्वेषण-सामग्रीयों से दूर हो जायेंगे ।

उपरोक्त के आधार पर हम कह सकते हैं कि 'आयोग' की विचारधारा को मान्यता और अन्वेषण-सामग्रीयों कहना उचित न होगा । हमने इस बात पर सन्देह नहीं होगा चाहिये । 'आयोग' का सन्त विज्ञान-प्रकार किया गया था, उसके और अधिक आला नहीं की जा सकती थी । इसके अनेक सदस्य विदेशी थे, जिनको यहाँ की शिक्षा में कोई रुचि नहीं थी । इसके अतिरिक्त, सबसे बड़े सन्देह की बात यह है कि भारत में शिक्षा का नियंत्रण करने के निम्ने विदेशियों से परामर्श किया गया । क्या भारत में परामर्श देने वालों का अन्वेषण था ? एक बात और है । 'आयोग' के विदेशी सदस्य भारत में म्यानी रुब में नहीं रहे । वे अन्वेषण-सामग्रीयों रहे । मातृभाषी के प्रोफेसर शमोवस्की (Shumovsky) जो 'आयोग' के सदस्य थे, केवल विज्ञान पर हस्ताक्षर करने के निम्ने भारत आये । उन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि विदेशी सदस्यों की भारत में शिक्षा के नियंत्रण में कितनी रुचि थी । इस स्थिति में उनके मन में जो भी आया होगा, उन्होंने वह दिया होगा और उन्हीं को 'आयोग' के सचिव में नियुक्त कर दिया होगा, मने ही उनमें कोई उदाहरण, कोई साधकता, कोई औचित्य हो ना न हो । इस परिस्थिति में आप स्वयं 'आयोग' के कार्यों और उसके सुझावों का सुझावन कर सकते हैं । ऐसा करने पर आप उन्हीं निष्कर्षों पर पहुँचेंगे जिन पर हम पहुँचे हैं; ५५

‘आयोग’ के प्रतिवेदन में कोई भी प्रान्तिवारी मुभाव नहीं है। ऐसा कहलाने के लिये प्रतिवेदन में भारतीयों की आवश्यकताओं और बाधाओं एवं उनकी भावी प्रगति के लिये उपयुक्त शिक्षा-दर्शन का विवेचन होना चाहिये था।

सारांश

भारत-सरकार ने १४ जुलाई, १९६४ को ‘शिक्षा-आयोग’ की नियुक्ति की। आयोग ने निम्नावित के सम्बन्ध में अपने मुभाव दिये —

१ शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य—शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास करना, प्रजातन्त्र को मुहृढ बनाना, देश का आधुनीकरण करना, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना।

२ शिक्षा की संरचना और स्तर—१० वर्ष की सामान्य शिक्षा, ३ वर्ष का प्रथम डिग्री कोर्स, २ या ३ वर्ष का द्वितीय डिग्री कोर्स, २ या ३ वर्ष का स्नातकोत्तर कोर्स।

३ शिक्षक की स्थिति—विद्यालय-शिक्षकों के न्यूनतम वेतन-भ्रम का निर्धारण, विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों के वेतन-भ्रम में पर्याप्त वृद्धि, शिक्षकों के कार्य तथा सेवा-सम्बन्धी दशाओं में सुधार।

४ अध्यापक शिक्षा—शिक्षक-शिक्षा की पृथकता का अन्त, व्यावसायिक शिक्षा में सुधार, अध्यापक-प्रशिक्षण की २ वर्ष की अवधि, प्रशिक्षण-संस्थाओं में सुधार, प्रशिक्षण-मुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा के शिक्षकों की व्यावसायिक तैयारी।

५ छात्र-सह्या और जनबल—छात्र-सह्या को जनबल की आवश्यकताओं के अनुसार सीमित करना, चुने हुए छात्रों को प्रवेश देना, रोजगार के अवसरों के अनुसार शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार करना।

६ शैक्षिक अवसरों की समानता—निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा के व्यय में कमी, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था।

७ विद्यालय-शिक्षा का विस्तार—पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन, ५ वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिक रूप।

८ विद्यालय-पाठ्यक्रम—निम्न प्राथमिक, उच्चतर प्राथमिक, निम्न माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों के पाठ्य-भ्रम, त्रि-भाषी फार्मुले में सशोधन, हिन्दी का स्थान, विभिन्न भारतीय भाषाओं का स्थान, अंग्रेजी का स्थान, शास्त्रीय भाषाओं का स्थान।

९ विद्यालय-प्रशासन और निरीक्षण—सामान्य विद्यालय-पद्धति की स्थापना, और निरीक्षण की पृथकता।

१० शिक्षण-विधियाँ, मार्ग-प्रदर्शन और मूल्याङ्कन—लचीली और गतिशील

शिक्षण-विधियाँ, पाठ्य-पुस्तको मे सुधार, प्राथमिक और माध्यमिक स्तरो पर मार्ग-प्रदर्शन, लिखित परीक्षाओं मे सुधार, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ।

११. उच्च शिक्षा—वरिष्ठ विश्वविद्यालयो का विकास, विश्वविद्यालयो और कॉलेजो मे सुधार, शिक्षण मे सुधार, मूल्यांकन मे सुधार, शिक्षा का माध्यम, चयनात्मक प्रवेश-प्रणाली, नवीन विश्वविद्यालयो की स्थापना ।

१२ कृषि की शिक्षा—प्रत्येक राज्य मे १ कृषि-विश्वविद्यालय, नये कृषि-कॉलेजो की स्थापना पर प्रतिबन्ध, कृषि-पॉलिटिकनिको की स्थापना, शिक्षा के सभी स्तरो पर कृषि-शिक्षा की व्यवस्था ।

१३. व्यावसायिक, प्राविधिक और इंजीनियरिंग शिक्षा—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओ का विस्तार, पॉलिटिकनिको की स्थापना, इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओ की शिक्षा, 'समर इंस्टीट्यूट्स' की व्यवस्था ।

१४. विज्ञान की शिक्षा—विज्ञान और प्रौद्योगिकी को शिक्षा-प्रणाली का अङ्ग बनाना, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के वैज्ञानिको को आमन्त्रित करना, वैज्ञानिक और औद्योगिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये विशेष बोर्स प्रदान करना ।

१५ वयस्क शिक्षा—वयस्क शिक्षा की आवश्यकता और कार्यक्रम—निरक्षरता का उन्मूलन, अनवरत शिक्षा, पत्राचार-पाठ्यक्रम, पुस्तकालय, प्रौढ-शिक्षा मे विश्वविद्यालयो के कार्य, प्रौढ-शिक्षा का संगठन और प्रशासन ।

TEST QUESTIONS

- 1 The appointment of the Education Commission, 1964 (Kothari Commission), has been criticised on the ground that there was no need for the appointment of a Commission so soon after the Reports of the University Education Commission and the Secondary Education Commission (Radhakrishnan and Mudaliar). State what can be said in defence of the appointment of the Commission

१९६४ के 'शिक्षा-आयोग' (कोठारी कमीशन) की इस आधार पर आलोचना की गई है कि 'विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग' और 'माध्यमिक शिक्षा-आयोग' (राधाकृष्णन् और मुदालियर) की रिपोर्ट के इतने शीघ्र बाद ही एव आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं थी। बताइये कि आयोग की नियुक्ति के पक्ष मे क्या कहा जा सकता है ।

- 2 How far do you agree with the view that the recommendations made by the Education Commission cannot be implemented? State your reasons for the view you hold.

आप इस विचार से वहाँ तक सहमत हैं कि शिक्षा-आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है ? आपका जो विचार हो, उसके पक्ष में तर्क दीजिये ।

- 3 Summarize briefly the recommendations of the Education Commission (Kothari Commission) on teacher education. How far are they likely to improve educational standards ?

शिक्षा-आयोग (कोठारी कमीशन) द्वारा की गई शिक्षक प्रशिक्षण विषयक सिफारिशों का संक्षिप्त सारांश लिखिए । शैक्षणिक स्तरों के सुधार में वे कहीं तक सहायक सिद्ध होंगी ?

- 4 What steps have been suggested by the Education Commission (1964-66) to remove the isolation of training institutions of Primary and Secondary teachers from the main stream of academic life of the university as well as from the daily problems of schools ?

प्राथमिक तथा माध्यमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण संस्थानों का विश्व विद्यालयों के विद्वत्परिपद जीवन से तथा विद्यालयों की दैनिक समस्याओं से पार्थक्य को हटाने के लिये शिक्षा-आयोग (१९६४-६६) ने क्या सुझाव दिये हैं ?

शिक्षा के अन्य क्षेत्र (१९४७-१९७१)

प्रस्तावना

स्वातन्त्र्योत्तर काल में प्राथमिक, माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय-शिक्षा के अतिरिक्त, शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में भी आशातीत प्रगति हुई है और विभिन्न प्रकार की शिक्षा की सरकार द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है। हम उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दे रहे हैं :—

ग्रामीण उच्च-शिक्षा (विश्वविद्यालय व कॉलेज)

ग्रामीण शिक्षा की वर्तमान स्थिति—भारत ग्रामो का देश है। १९६१ की जनगणना के अनुसार इस देश की ८२ प्रतिशत जनता ग्रामो में निवास करती है।^१ परन्तु खेद का विषय है कि इस विशाल ग्रामीण जन-समुदाय की उच्च शिक्षा की सदैव से अवहेलना की गई है। इस बात की पुष्टि में हम कह सकते हैं कि शिक्षा पर किये जाने वाले सम्पूर्ण व्यय का केवल ३४.३ प्रतिशत ग्रामीण शिक्षा पर व्यय किया जाता है।^२ इस धन का अधिकांश भाग—प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर व्यय दिया जाता है और उच्च शिक्षा के लिए अति अल्प धन-राशि शेष रह जाती है। यही कारण है कि इतने बड़े देश की ग्रामीण जनता के लिए केवल ३ विश्वविद्यालय हैं—आनन्द, अन्नमलई और विद्वभारती। इनमें से प्रथम और तृतीय की स्थापना अभी कुछ ही वर्ष पूर्व १९५६ और १९५१ में क्रमशः हुई है। केवल अन्नमलई विश्व-

1. *India, 1969, p 15*

2. *Progress of Education in India (1947-52), p. 4.*

विद्यालय १९२८ से कार्य कर रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना वैयक्तिक प्रयासों के फलस्वरूप ही हुई है। इनके निर्माण के लिए सरकार को कोई श्रेय नहीं दिया जा सकता है। इन विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त ग्रामीण उच्च शिक्षा के लिए लगभग ६० कॉलेज हैं। ये समस्त तथ्य एवं आँकड़े सिद्ध करते हैं कि ग्राम-निवासियों को उच्च शिक्षा से वंचित रखकर कितना जघन्य अपराध किया गया है।

विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग—ग्रामीण उच्च शिक्षा की ओर सरकार का ध्यान सर्वप्रथम १९४९ 'विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग' ने यह लिखकर आकर्षित किया—“सामान्य प्रकार का प्रबन्ध करने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि—ग्रामीण विश्वविद्यालय से सम्बद्ध छोटे-छोटे सावासिक स्नातक-पूर्व कालेज हों। इन कॉलेजों के केन्द्र में विशिष्ट और उच्च शिक्षा की सुविधाओं के लिये एक विश्व-विद्यालय हो।”¹—(विस्तृत जानकारी के लिए देखिये—अध्याय २५)।

ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-समिति—'विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग' के सुभाव को मान्यता प्रदान करके भारत-सरकार ने अक्टूबर १९५४ में 'ग्रामीण-उच्चतर शिक्षा-समिति'² की स्थापना की। इस समिति को अग्रलिखित आधारों पर ग्रामीण विश्वविद्यालयों की रूपरेखा तैयार करने का आदेश दिया गया—(१) ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च-शिक्षा के उद्देश्य—संगठन एवं पाठ्य-क्रम, (२) उच्च-शिक्षा का बेसिक तथा माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्ध, और (३) अन्य सम्बन्धित समस्याएँ। समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को 'रूरल इन्स्टीट्यूट्स' (Rural Institutes) में परिवर्तित करने की सिफारिश की, और इनके पाठ्यक्रम के विषय में निम्नांकित सुभाव दिये—

१. ग्रामीण सेवाओं के लिए ३ वर्ष का डिप्लोमा कोर्स।
२. शिक्षण-डिप्लोमा (Teaching Diploma) के लिए १ वर्ष का कोर्स।
३. शिक्षण-सर्टिफिकेट (Teaching Certificate) के लिए १ वर्ष का कोर्स।
४. ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्तियों (Rural Health Workers—Women) के लिए २ वर्ष का सर्टिफिकेट-कोर्स।
५. ओवरसियरों के लिए २ वर्ष का सर्टिफिकेट-कोर्स।
६. कृषि-विज्ञान के लिए २ वर्ष का सर्टिफिकेट-कोर्स।³

ग्रामीण उच्च शिक्षा के प्रयास—'ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-समिति' की सिफारिश को स्वीकार करके भारत सरकार ने १९५६ में 'ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च-शिक्षा के

1. *Report of the University Education Commission*, p. 575.
 2. *Rural Higher Education Committee*.
 3. *The Committee on Higher Education, Rural Institutes* (Ministry of Education), p. 64.

निम्ने राष्ट्रीय समिति की नियुक्ति की। यह 'समिति' ग्रामीण उच्चतर शिक्षा के बारे में नयी प्रकार का परामर्श देती है। इन 'समिति' ने १५ सत्याजो को 'रूरल इंस्टीट्यूट्स' में परिचय करने के निम्ने चुना है। इन 'रूरल इंस्टीट्यूट्स' ने अवतिष्ठित स्थानों पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है :—(१) श्री निकेतन (पश्चिमी बंगाल), (२) माक्री-ग्राम (मद्रास), (३) जानिया-नगर (बिन्ही), (४) उदमपुर (राजस्थान), (५) बिरोनी (बिहार), (६) बिचुरी (उत्तर प्रदेश), (७) सनोतर (गुजरात), (८) वापम्बटोर (मद्रास), (९) गरयोती (महाराष्ट्र), (१०) अमरावती (महाराष्ट्र), (११) राजपुरा (पंजाब), (१२) वर्धा (महाराष्ट्र), (१३) हनुमानमडी (मैसूर), (१४) ठक्कूर (किरत), और (१५) इन्दौर (मध्य प्रदेश)।^१

इन 'रूरल इंस्टीट्यूट्स' में निम्नलिखित पाठ्य-क्रमों की व्यवस्था की गई है :—

१. ग्रामीण विज्ञान (Rural Science) में ३ वर्ष का डिप्लोमा कोर्स।
२. कृषि-विज्ञान (Agricultural Science) में २ वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स।
३. सिविल और रूरल इंजीनियरिंग (Civil & Rural Engineering) में ३ वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स।
४. सेनिटरी इंस्पेक्टरों (Sanitary Inspectors) का १ वर्ष का कोर्स।
५. हाई स्कूल उत्तीर्ण छात्रों को नि-वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के लिए तैयार करने के हेतु १ वर्ष का कोर्स।

गोवर्दी के दृष्टिकोण से 'ग्रामीण विज्ञानों का डिप्लोमा' विश्वविद्यालयों की बी० ए० और बी० एस-सी० की उपाधियों के बराबर माना गया है। १९६७-६८ में 'रूरल इंस्टीट्यूट्स' को ३२७ लाख रुपये का अनुदान दिया गया।^२

गरयोती के 'रूरल इंस्टीट्यूट' में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त छात्रों के लिये सामान्य शिक्षा और शिक्षक-प्रशिक्षण—दोनों कोर्सों का साथ-साथ अध्ययन करने की सुविधा प्रदान की गई है। इन सम्मिलित कोर्सों की अवधि ३ वर्ष है। गोवर्दी के दृष्टिकोण से इस इंस्टीट्यूट के डिप्लोमा को बी० ए०, बी० टी० के बराबर माना जाता है।^३

1. National Council for Higher Education in Rural Areas.
2. *Hindustan Year-Book*, 1970, p. 185.
3. *Ibid.*
4. *21st Year of Freedom*, p. 127.
5. *India*, 1969, p. 72.

‘ग्रामीण अर्थशास्त्र और सहयोग’ (Rural Economics & Cooperation) में १९६१ से स्नातकोत्तर डिप्लोमा (Post-Graduate Diploma) की शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। इस डिप्लोमा को भारत-सरकार ने विश्वविद्यालयों की एम० ए० की उपाधि के बराबर मान लिया है।^१

ग्रामीण उच्च शिक्षा के कार्य-क्रम को सफल बनाने के लिए ‘फोर्ड फाउण्डेशन’ (Ford Foundation) ने भारत सरकार को ८१.८१ लाख रुपये दिये हैं। ग्रामीण उच्च-शिक्षा के लिए इस प्रकार प्रयास तो प्रारम्भ कर दिये गए हैं, पर उनको संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। ग्रामीण उच्च-शिक्षा की समस्या का समाधान केवल १५ विद्यालयों से नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के विद्यालयों का तो जाल विद्यमान चाहिए। फिर उनमें केवल स्नातक-पूर्व शिक्षा की ही व्यवस्था न रहे—जैसी कि वर्तमान समय में है, अपितु स्नातकोत्तर शिक्षा का भी प्रवन्ध किया जाय और ग्रामीण समस्याओं से सम्बन्धित सभी विषयों का पाठ्य क्रम में समावेश कर दिया जाय।

कुछ सुझाव—ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं —

- १ भारत के प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय।
- २ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रत्येक जिले में एक उच्चतर-माध्यमिक स्कूल और उपयुक्त स्थानों पर ‘रूरल इन्स्टीट्यूट’ हो।
- ३ स्कूल बहु-उद्देशीय हो, जो हमारे ग्रामों के लिये विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ताओं का निर्माण कर सकें।^२

ग्रामीण विश्वविद्यालय के कार्य—ग्रामीण विश्वविद्यालयों के निम्नलिखित प्रमुख कार्य होने चाहिये —

१. विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित ग्रामीण उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा स्नातक-पूर्व कॉलेजों को मान्यता प्रदान करना।
- २ छात्रों को स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करना।
३. ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित समस्याओं पर अनुसंधान करना।
- ४ ग्राम-निवासियों को अपने समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के लिये प्रेरणा देना।

1. *India*, 1969, p. 72

2 S N. Mukerji : *Education in India—Today & Tomorrow*,

3. *Ibid*, p 185.

- ७ ग्राम-विद्यालयों में राष्ट्रीय एवं लोकगीतों में अभिरुचि उत्पन्न करने के लिये समुचित प्रवन्ध किया जायगा।
- ८ ग्राम-विद्यालयों में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी हस्तशिल्प तथा व्यवसाय की सामान्य शिक्षा दी जायगी।
- ९ स्वास्थ्य, कृषि तथा श्रम-विभागों के सहयोग से ग्राम-निवासियों के लिये स्वास्थ्य-विज्ञान, कृषि की वैज्ञानिक प्रणालियाँ, कुटीर उद्योग-घन्धों एवं सहकारिता का ज्ञान प्रदान करने के लिये व्याख्यान-मालाओं की आयोजना की जायगी।
- १० सूचना एवं प्रसार विभाग के सहयोग से ग्राम-विद्यालयों में चलचित्र तथा स्लाइड प्रदर्शित किये जायेंगे। ग्राम-निवासियों को राष्ट्रीय समस्याओं से अवगत कराने के लिये विद्वानों एवं नेताओं को आमंत्रित किया जायगा।
- ११ ग्राम-विद्यालयों तथा ग्रामीणों के मध्य दलों के आधार पर सामूहिक खेलों की व्यवस्था की जायगी।
- १२ ग्राम-विद्यालयों में समय-समय पर मेलों एवं प्रदर्शनियों का प्रवन्ध किया जायगा।

प्रान्तीय शिक्षा मन्त्रियों का सम्मेलन—फरवरी, १९४९ में दिल्ली में प्रान्तीय शिक्षा-मन्त्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें इस 'द्वादश-सूत्री योजना' पर विचार-विनिमय किया गया। तदुपरान्त यह कार्यक्रम बनाया गया कि ३ वर्ष की अवधि में १२ से ५० वर्ष की अवस्था वाले निरक्षर व्यक्तियों में से कम-से-कम ५० प्रतिशत को साक्षर बना दिया जाय। परन्तु केन्द्रीय एवं राज्य-सरकारों की आर्थिक कठिनाइयों के कारण इस कार्यक्रम को कार्यान्वित न किया जा सका।

समाज-शिक्षा की नवीनतम योजनाएँ—समाज-शिक्षा के अन्तर्गत एक 'पञ्चसूत्रीय कार्यक्रम' बनाया गया है, जिसके उद्देश्य हैं (१) साक्षरता का प्रसार, (२) स्वास्थ्य तथा सफाई के नियमों का ज्ञान का प्रसार, (३) वयस्क व्यक्तियों के आर्थिक स्तर की उन्नति, (४) नागरिकता की भावना, अधिकारों एवं उत्तमों के प्रति जनता को जागरूक करना, और (५) समाज एवं व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना। योजनाओं को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्यां पर है, जबकि केन्द्र मार्ग प्रदर्शन, आर्थिक सहायता एवं समन्वय की व्यवस्था करता है।

उच्च कर्मचारियों को समाज-शिक्षा के कार्य का प्रशिक्षण देने एवं प्रमुख समस्याओं पर उपयुक्त अनुसंधान करने के लिये दिल्ली में 'राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा-केन्द्र' की स्थापना की गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थापित 'पुस्तकालय-संस्थान'²

1. National Centre for Fundamental Education,
2. Library Institute.

पुस्तकालयों के क्षेत्र में इसी प्रकार का कार्य करता है। भारत सरकार 'दिल्ली-सार्वजनिक पुस्तकालय' चला रही है। इन्दौर में 'कृषि-समाज-शिक्षा-संस्थान'^१ स्थापित किया जा चुका है।

विभिन्न भारतीय भाषाओं में सस्ते दामों की और अच्छे स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन के लिये 'नेशनल बुक ट्रस्ट' (National Book Trust) द्वारा कार्य किया जा रहा है। ध्येय यह है कि इन पुस्तकों को अधिकाधिक पाठकों तक पहुँचाया जाय।

'केन्द्रीय चलचित्र संग्रहालय' में शिक्षा एवं संस्कृति-सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर ४,९७४ चलचित्र आदि हैं, जो संग्रहालय की सदस्य शिक्षा-संस्थाओं को नि:शुल्क दिये जाते हैं। १,०४५ शिक्षा-संस्थान एवं सामाजिक संगठन इस संग्रहालय के सदस्य हैं। 'श्रव्य-दृश्य शिक्षा' शीर्षक एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है।

केन्द्रीय एवं राज्य-सरकारें श्रव्य-दृश्य (Audio-Visual) कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण-गोष्ठियों का भी आयोजन करती रहती हैं। एक 'केन्द्रीय श्रव्य-दृश्य शिक्षा-संस्था' स्थापित की जा चुकी है।

सरकार—बच्चों की अशिक्षा को मिटाने के प्रश्न पर बराबर गम्भीर ध्यान देती रही है। शिक्षा-मंत्रालय ने विभिन्न कार्य-क्रमों में समन्वय करना जारी रखा है और सम्बन्धित शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सेवाएँ और प्रायोगिक परियोजनाएँ प्रारम्भ कर दी हैं। प्रायोगिक परियोजनाओं में मुख्यतः इन परियोजनाओं की चर्चा की जा सकती है—वर्क्स सोशल एजुकेशन इन्स्टीट्यूट, इन्दौर, इन्स्टीट्यूट ऑफ लाइवरी साइंस, दिल्ली, और भूँसूर स्टेट विद्यापीठ कार्यक्रम।

नव-साक्षरों के लिये १४ विभिन्न भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों की प्रतियोगिता के अन्तर्गत ४० व्यक्तियों को पुरस्कार दिये गये।^२ नेशनल बुक-ट्रस्ट के 'मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रूल्स' में परिवर्तन किया गया है, और ट्रस्ट का उद्देश्य और अधिक स्पष्ट किया गया है। ट्रस्ट ने अंग्रेजी-हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित की हैं। ट्रस्ट के कार्य-क्रम में "भारत-भूमिवासी" नामक एक पुस्तकमाला प्रकाशन सम्मिलित है।

स्त्री-शिक्षा (१९४७-७१)

१९४७ के बाद स्त्री-शिक्षा का द्वापनीय विषय हुआ है। यह बात आगे (पृ० ४७७) की तालिकाओं से स्पष्ट हो जाती है :—

1. Workers' Social Education Institute.
2. 21st year of Freedom, p. 135,

(तालिका १)^१

शिक्षा के स्वरूप	(१९४९-५०)	(१९६०-६१)
	छात्राभा की संख्या	छात्राभा की संख्या
१ विश्वविद्यालय-शिक्षा		
शोध	८५	७६८
एम० ए० व एम० एस-सी०	१,६५६	६,२१५
बी० ए० व बी० एस०-सी०	१०,७५९	६३,३०९
इन्टर (आर्ट्स व साइंस)	२३,५४०	७६,५१७
व्यावसायिक शिक्षा	४,०५५	२६,१२४
विशिष्ट शिक्षा	७७१	७,३५५
२ स्कूल-शिक्षा		
हाई व हायर सेकण्डरी	७,०८,००७	२६,२७,५७३
मिडिल	—	—
प्राथमिक	५०,३४,७४०	१,०९,४४,०५१
पूर्व-प्राथमिक	१२,३०६	८२,१२२
३ व्यावसायिक शिक्षा	३५,७६०	८५,५४०
४ विशिष्ट शिक्षा	१,७९,६४१	३,३६,८४०
योग	६०,११,३२०	१,४२,५९,४८४

(तालिका २)^२

बालिकाओं की व्यावसायिक शिक्षा (१९६२-६३)

विषय	कॉलेजो में	स्कूलो में
कृषि	१७९	२२३
कॉमर्स	१,१६८	१७,३५४
इंजीनियरिंग	५२७	१,५०७
कानून	८९९	—
औषधि-शास्त्र	११,३१४	९,००६
शारीरिक शिक्षा	१३२	६२९
अध्यापिका-प्रशिक्षण		
(i) वेसिक	८,३३५	३५,७९१
(ii) गैर-वेसिक	११,५७०	५,८९४
टेकनॉलॉजी	३०	—
टेकनिकल	—	३०,०९८
पशु-औषधि शास्त्र	३८	—
अन्य विषय	२५७	४८
योग	३४,४४९	१,००,५४५

1 Programme of Educational Development (1961-66), pp 17-17 A & Education in India, Vol I, pp 269-272

2 Education in the States (1962-63), pp. 4-5

१९६८-६९ में शिक्षा के सब स्तरों पर बालिकाओं की संख्या २,६२,२०,००० थी।^१

स्त्री-शिक्षा की राष्ट्रीय समिति^२—केन्द्रीय सरकार ने श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में मई, १९५८ में 'स्त्री-शिक्षा की राष्ट्रीय समिति' की नियुक्ति की। समिति का उद्देश्य—स्त्री-शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर अपने सुझाव देना था। समिति ने जनवरी, १९५९ में अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। रिपोर्ट में दिये गये मुख्य-मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं —

१. स्त्री-शिक्षा को देश की समस्याओं में प्रमुख स्थान प्रदान किया जाना चाहिये।
२. पुरुषों एवं स्त्रियों की शिक्षा में जो विषमता है, उसे शीघ्रतिशीघ्र समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिये। दोनों की शिक्षा में समानता स्थापित करना सरकार का वर्तमान है।
३. केन्द्रीय सरकार को स्त्री-शिक्षा का भार स्वयं अपने ऊपर लेना चाहिए और स्त्री-शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिये एक योजना बनाकर एक निश्चित समय में पूर्ण कर देनी चाहिये।
४. केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों के लिये स्त्री-शिक्षा के विस्तार की नीति निर्धारित करे, और उसका अनुसरण किये जाने के लिये राज्य-सरकारों को आर्थिक सहायता दे।
५. केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय में स्त्री-शिक्षा का एक पृथक् विभाग स्थापित किया जाना चाहिये।
६. राज्यों में स्त्री-शिक्षा के प्रसार के निमित्त 'बालिका एवं स्त्री-शिक्षा की राज्य-समितियाँ'^३ स्थापित की जायें।
७. ग्रामीण-क्षेत्रों में स्त्री-शिक्षा के प्रसार की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। इस व्यय का पूर्ण भार सरकार वहन करे।
८. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितना धन स्त्री-शिक्षा के लिये निर्धारित किया गया है, उसके अतिरिक्त १० करोड़ रुपये और व्यय किये जायें।

स्त्री-शिक्षा की नवीन योजनाएँ—१९५९-६० में बालिकाओं की शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों तथा वयस्क स्त्रियों की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर सरकार को परामर्श देने के लिये महिला-शिक्षा की एक 'राष्ट्रीय परिषद्' स्थापित की गई। शिक्षा-मन्त्रालय ने महिलाओं की शिक्षा के लिये एक विशेष व्यवस्था की है, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई है। राज्य-सरकारों को परामर्श दिया गया है कि प्रत्येक राज्य के शिक्षा-विभाग में एक उप-निर्देशक अथवा सयुक्त-निर्देशक

1. *Times of India Directory*, 1969, p. 969.

2. The National Committee on Women's Education.

3. State Councils of Education for Girls & Women.

नियुक्त किया जाना चाहिये, जिसका कार्य—बालिकाओं तथा महिलाओं की शिक्षा से सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम बना और कार्यान्वित करना होगा। तीसरी योजना में स्त्री-शिक्षा पर १७५ करोड़ रुपये व्यय किये गये।¹

बालिकाओं और वयस्क महिलाओं की शिक्षा के एक विशेष कार्यक्रम के लिये 'राष्ट्रीय परिषद्' की सिफारिशों को अमल में लाने के लिये शिक्षा-मंत्रालय द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। यह विशेष व्यवस्था तृतीय पंचवर्षीय योजना का अंश थी। छात्राओं के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि उनमें हाँकी, वाली-वाल, फुटबाल, क्रिकेट आदि आधुनिक खेलों के प्रति रुचि उत्पन्न हो। शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों और बालिकाओं की संस्थाओं में अब भी अल्पधिक अन्तर है। इस अन्तर को दूर करने के लिये चौथी योजना में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अधिक से अधिक बालिकाओं और महिलाओं को अध्ययन की विशेष सुविधायें प्रदान की जायेंगी।²

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा (१९४७-७१)

इन वर्गों की शिक्षा की अधिक से अधिक सुविधाएँ देने के लिये उपाय किये जा चुके हैं और व्यावसायिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

भारत सरकार ने १९४४-४५ में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने की एक योजना आरम्भ की। १९४८-४९ से अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को तथा १९४९-५० से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को भी यह लाभ दिया जाने लगा है। १९६७-६८ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को २१,७२१ छात्रवृत्तियाँ देने में सरकार ने १.१ करोड़ रुपये व्यय किये।³ १९५९-६० में यह व्यय इस प्रकार था :—

जाति व वर्ग	प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ	व्यय किया गया धन
अनुसूचित जातियाँ	३८,६६७	१,४३,४०,१००
अनुसूचित आदिम जातियाँ	६,११२	२२,८८,६६१
अन्य पिछड़े वर्ग	१७,१६३	६०,६८,५११
योग	६२,००२	२,५७,२७,३०२

1. *The Times of India Directory & Year-Book*, p. 146.
2. *Hindustan Times*, 21 April, 1969.
3. *India*, 1969, p. 127.

भारत सरकार ने १९५३-५४ से इन वर्गों के योग्य विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्तियाँ देने की योजना आरम्भ कर दी है। तीनों समूहों में से प्रत्येक के लिये १२ छात्रवृत्तियाँ हैं। स्वदेश में भी भेदिक से आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। पहली योजना में इस प्रकार की ३७,०७७; दूसरी योजना में १,६१,४७२; और तीसरी योजना में ३,१५,३५८ छात्रवृत्तियाँ दी गईं। तीसरी योजना में इन छात्रवृत्तियों पर १४.२१ करोड़ रुपये व्यय हुए। १९६७-६८ में इन छात्रवृत्तियों पर ५.१४ करोड़ रुपये व्यय किये गये।¹

केन्द्रीय सरकार ने सभी प्राविधिक तथा अन्य शिक्षा-संस्थाओं में इन वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लिये स्थान सुरक्षित रखने, आवश्यक उत्तीर्ण अंकों की मात्रा में कमी करने तथा अधिकतम आयु-सीमा में वृद्धि करने के सुभाव दिये, जिनको देश की विभिन्न शिक्षा-संस्थाओं ने कार्यरूप दिया है।

विकलाङ्गों की शिक्षा (१९४७-७१)²

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय तक भारत में विकलाङ्गी की शिक्षा की बहुत कम व्यवस्था थी। अन्धों की शिक्षा के लिये कलकत्ता में २, बिहार में २, बम्बई में ४, मध्य प्रान्त में १, मद्रास में ६, पंजाब में २, उत्तर प्रदेश में ६, अजमेर में १, और तुगलकाबाद (दिल्ली) में १ स्कूल था। इनके अतिरिक्त गुँगों और बहिरों के लिये ३३, मानसिक दुर्बलता वालों के लिये २, और कोढ़ियों के लिये २ स्कूल थे। १३ सुधार-गृह (Reformatories) भी थे। इन स्कूलों में विकलागों को साधारणतया बुनने, कातने, घेत के काम, रस्सी बनाने आदि की शिक्षा दी जाती थी। अन्धों को 'ब्रैले-लिपि' (Braille-Code) द्वारा, जिसका आविर्भाव १९४१ में हो चुका था, लिखने-पढ़ने की भी शिक्षा दी जाती थी। पटना के अन्धों के स्कूल में टाइप-राइटिंग की शिक्षा की व्यवस्था थी।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त राज्यों के शिक्षा-मंत्रालयों एवं शिक्षा-विभागों ने विकलागों की शिक्षा का भार अपने ऊपर लिया। मई, १९५२ में 'भारतीय बाल-कल्याण परिषद्'³ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य—बाल-कल्याण के क्षेत्र में अनुसंधान करना है। एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था 'केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड'⁴ है। यह किशोर अपराधियों, विकलागों एवं बाल-कल्याण के कार्यों की देखभाल करता है। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस बोर्ड द्वारा बाल-कल्याण कार्यों के लिये ६ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।⁵

1. *India*, 1969, p. 127.
2. *Education of the Handicapped*.
3. *Indian Council of Child-Welfare*.
4. *Central Social Welfare Board*.
5. *India*, 1969, p. 112.

‘राष्ट्रीय परामर्श-परिषद्’ सरकार को विकलागों की शिक्षा, प्रशिक्षण एवं नियोजन सम्बन्धी समस्याओं पर परामर्श देती है। उच्चतर शिक्षा अथवा प्राविधिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये अन्धे, बहिरे एवं विकलाग छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं।

इस समय भारत में विकलागों के लिए अप्रलिखित प्रमुख सस्थायें हैं¹ — (१) अन्ध-राष्ट्रीय केन्द्र, देहरादून, (२) राष्ट्रीय पुस्तकालय, दिल्ली, (३) वयस्क बहिर-प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद, (४) विकलाग कामदिलाऊ दफ्तर—बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, मद्रास, जलधर, कानपुर, अहमदाबाद, बंगलौर और कलकत्ता, (५) अंधे बच्चों का आदर्श विद्यालय, देहरादून (१९५९), (६) अंधों का शिक्षक-प्रशिक्षण केन्द्र, बम्बई (१९६३), (७) केन्द्रीय ब्रैल मुद्रणालय, देहरादून (१८५१), जो १० भारतीय भाषाओं में अन्धों के लिये साहित्य प्रकाशित करता है।

१९६८-६९ में विकलागों के लिए २०२ स्कूल थे, जबकि १९५८-५९ में इनकी संख्या १२४ थी। इन स्कूलों में १३२ अन्धों के लिए, और ७५ गूंगों के लिये थे।²

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये दो नवीन योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं। इनमें से एक योजना के अन्तर्गत नेत्रहीनों और गूंगे-बहिरो के स्कूलों में काम करने वाले तीन शिक्षकों को भ्रमण करने के लिये छात्रवृत्तियाँ दी गई हैं। इस योजना का उद्देश्य—देश की अन्य संस्थाओं के कार्यों को देखने के लिए शिक्षकों को भेजना और इस प्रकार उनके अनुभव में वृद्धि करना है।

दूसरी योजना के अन्तर्गत विकलागों के विद्यालयों में दस्तकारी सिखाने वाले पाँच शिक्षकों को बंगलौर और कलकत्ता में ‘अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड’ की प्रशिक्षण सस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण सस्था और भारत सरकार इन प्रशिक्षणार्थियों को मासिक भत्ता देती है और इन प्रशिक्षणार्थियों के स्थान पर उनकी मस्थाओं में रखे जाने वाले शिक्षकों के लिए सरकार सस्थाओं को सहायता देती है।

भारत सरकार ने नेत्रहीनों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण की एक योजना तैयार की है। एक सामान्य पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और यह पाठ्यक्रम ‘यूनीसेफ (UNICEF) के सहयोग से, जिसने कि शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को वृत्ति देना स्वीकार कर लिया है तथा ‘अमरीकन फाउण्डेशन फॉर ओवरसीज ब्लाईड’ (American Foundation for Overseas Blind) जिसने कुछ आवश्यक पुस्तकें और सज-सामान देना स्वीकार कर लिया है, के सहयोग से चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत पहला पाठ्यक्रम बम्बई में जुलाई, १९६३ में प्रारम्भ किया गया।

प्राविधिक शिक्षा³ (१९४७-७१)

१९४७ में जब भारत स्वतन्त्र हुआ, तब देश में प्राविधिक शिक्षा देने के लिये

1 *Hindustan Year-Book*, 1970, p 186

2 *India*, 1969, pp. 113 & 114.

3. Technical Education

३८ संस्थायें थीं। इन संस्थाओं में २,६४० छात्र प्रतिवर्ष डिग्री कोर्स के लिये प्रवेश पाते थे। इन संस्थाओं के अतिरिक्त ४३ पॉलीटेक्नीक भी थे, जिनमें प्रतिवर्ष ३,६७० छात्र विभिन्न डिप्लोमा कोर्सों के लिये प्रवेश पा सकते थे।¹

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त देश के कर्णधारों ने यह अनुभव किया कि भारत की भौतिक प्रगति तभी सम्भव है जब उद्योगों, यातायात के साधनों, कृषि आदि के विकास के लिये प्राविधिक शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति हों। अतः प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राविधिक शिक्षा के अधिकतम विकास पर बल दिया गया। यह निश्चित किया गया कि इंजीनियरिंग के १४ कॉलेज स्थापित किये जायें। इनके अतिरिक्त औद्योगिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना, ट्रापट स्कूलों का जूनियर टेकनिकल हाई स्कूलों में परिवर्तन, सामान्य माध्यमिक विद्यालयों का टेकनिकल हाई-स्कूलों के रूप में विकास, और औद्योगिक एवं प्राविधिक स्कूलों वा कॉलेजों में रूपान्तर करने की योजनाओं का निर्माण किया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में किये गये उपायों के अतिरिक्त, द्वितीय योजना में प्राविधिक कर्मचारियों की बढ़ती हुई मांग के कारण औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा के विस्तार को विशेष महत्व प्रदान किया गया। इसी उद्देश्य से द्वितीय योजना में व्यावसायिक व प्राविधिक शिक्षा के लिए ४८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई, जबकि प्रथम योजना में यह धनराशि २३ करोड़ थी। तृतीय योजना में प्राविधिक शिक्षा के विकास के कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए १४२ करोड़ रुपए रखे गये।² चौथी योजना में इस धनराशि को बढ़ाकर २५३ करोड़ रुपये कर दिया गया है।³

प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति

(तालिका १)

व्यावसायिक व टेकनिकल स्कूल शिक्षा⁴

वर्ष	स्कूल-संख्या	छात्र-संख्या	शिक्षक-संख्या	धन (करोड़ रुपये में)
१९५०-५१	२,३३६	१,८७,१६४	११,५६८	३.६६
१९५५-५६	३,०७४	२,६२,४६५	१६,५६७	५.४५
१९६०-६१	४,१४५	४,०१,२७४	२७,१५२	११.४१
१९६१-६२	३,७५१	४,०८,४४२	२८,८५७	१२.८०
१९६२-६३	३,८४६	४,२४,२६४	२६,८४६	१३.०४
१९६३-६४	४,१३७	४,५७,३५०	३३,४६४	१६.२४
१९६४-६५	३,१४७	२,६७,१४६	१७,३८०	७.२६
१९६५-६६	३,२६०	२,६०,०००	१८,५००	८.२२

1. *Administration of Education in India*, Edited by S. N. Mukerji, p. 234.

2. *Third Five-Year Plan*, p. 107.

3. चौथी पंचवर्षीय योजना (प्रारम्भिक रूपरेखा), पृ० २३१।

4. *India*, 1969, p. 65.

(तालिका २)
उच्च टेकनिकल शिक्षा^१

	संस्थायें		प्रवेश पा सकने वाले छात्र		उत्तीर्ण होने वाले	
वर्ष	इजीनियरिंग व टेकनिकल डिग्री	इजीनियरिंग व टेकनिकल डिप्लोमा	इजीनियरिंग व टेकनिकल डिग्री	इजीनियरिंग व टेकनिकल डिप्लोमा	इजीनियरिंग व टेकनिकल डिग्री	इजीनियरिंग व टेकनिकल डिप्लोमा
१९५१	५३	८६	४,७८८	६,२१६	२,६६३	२,६२१
१९५६	७१	१०६	६,६१२	१०,३१८	४,३३७	४,१००
१९६१	१११	२०६	१५,४६७	२६,५२५	७,०२६	१०,३४१
१९६२	११४	२३१	१७,६६६	२६,६२४	८,४२६	१२,०४१
१९६३	११८	२४८	२०,७४४	३७,८२२	९,१२०	१२,६३८
१९६४	१२६	२६१	२१,७००	४१,३००	१०,३२०	१७,२८०
१९६५	१३३	२७४	२४,६६५	४८,०४८	१०,२८२	१७,६६६
१९६६	१३७	२८४	२५,००६	४८,५७६	१३,०५१	२२,२६०
१९६७	१३८	२८४	२३,८७६	४८,१६५	१३,७७२	२१,१६१
१९६८	१३८	२८४	२१,८५२	४२,०३१	१४,५६३	२३,२२४

तीसरी योजना में २३ इंजीनियरिंग कॉलेज और ६४ पॉलीटेकनीक स्थापित करने की योजना थी, जिनमें से २१ कॉलेज और ७७ पॉलीटेकनीक स्थापित किये जा चुके हैं। चण्डीगढ़ में भवन निर्माण कला का कॉलेज स्थापित किया गया है। राज्य योजनाओं के अन्तर्गत स्त्रियों के लिये २४ पॉलीटेकनीक स्थापित किये जायेंगे। इनमें से अब तक १८ पॉलीटेकनीक स्थापित किये जा चुके हैं। उद्योग और अन्य तकनीक संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के लिये १६ केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं जहाँ अशकालिक डिप्लोमा पाठ्य-क्रमों की व्यवस्था की गई है।^१

खडगपुर के 'इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनॉलॉजी' में १९५१ में कार्य करना प्रारम्भ किया। बम्बई के 'इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनॉलॉजी' में १९४८ से, मद्रास के 'इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनॉलॉजी' में १९५६ से, और कानपुर के 'इंस्टीट्यूट' में १९६० से अध्यापन-कार्य करना प्रारम्भ किया। दिल्ली में स्थापित किये जाने वाले 'कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और टेकनॉलॉजी' को १९६३ से 'इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनॉलॉजी' की स्थिति प्रदान की गई है। १९६६-६७ में इन नव संस्थाओं में छात्रों की संख्या ७,६८४ थी। खडगपुर, बम्बई और मद्रास की संस्थाओं में ३ वर्ष का विशिष्ट बी० एस-सी० पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। रांची में 'इंस्टीट्यूट ऑफ फोर्ज एण्ड फाउण्ड्री टेकनॉलॉजी' की स्थापना की गई है।^३

1 India, 1969, p. 69.

2 India, p. 69.

3 Ibid, p. 72.

चिकित्सा-शिक्षा (१९४७-७१)

शिक्षा व प्रशिक्षण—इस समय देश में ६३ मेडिकल कॉलेज, १५ दन्त-चिकित्सा कॉलेज और आधुनिक चिकित्सा-शिक्षा के लिये अन्य प्रकार की ११ संस्थायें हैं। नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और पुरानों के विस्तार के कारण अधिक छात्र चिकित्सा-शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। १९५५ में इन छात्रों की संख्या ३,६६० थी। १९६६ में यह संख्या बढ़कर ११,५०० हो गई।^१

सेन्ट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो—इस ब्यूरो की स्थापना नवम्बर, १९५६ में हुई थी। यह देश में विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य-स्वास्थ्य कार्यक्रमों के द्वारा स्वास्थ्य-शिक्षा में समन्वय और उसकी उन्नति करता है। यह दो मासिक पत्रिकायें 'स्वस्थ हिन्द' (अंग्रेजी में) और 'आरोग्य सन्देश' (हिन्दी में) तथा दो त्रैमासिक पत्रिकायें 'Cheb News' (अंग्रेजी में) और 'स्वास्थ्य शिक्षा' (हिन्दी में) प्रकाशित करता है। ब्यूरो सेवा-रत व्यक्तियों के लिये अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।^२

ऑल-इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज—इस संस्था की स्थापना संसद के एक अधिनियम के अनुसार १९५६ में की गई थी। यह औपधि-विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शोध-कार्य करता है, स्नातक की उपाधि के लिये छात्रों को शिक्षा देता है और कुछ विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करता है। इस संस्था में सम्पूर्ण भारत के छात्रों को लिखित प्रतियोगिता के आधार पर चुना जाता है। इस समय इस संस्था में २५६ स्नातक पूर्व और २६७ स्नातकोत्तर छात्र हैं। इसमें ५७५ रोगी-शय्याओं वाला चिकित्सालय है।^३

विशिष्ट प्रशिक्षण—उपचारिकाओं के प्रशिक्षण की सुविधायें देश के लगभग सभी बड़े चिकित्सालयों और बम्बई, हैदराबाद, जयपुर, नई दिल्ली, पूना, इंदौर और बेंगलूर के उपचारण कॉलेजों में हैं। मद्रास की 'आध्र महिला सभा' जैसे कई गैर-सरकारी संघटनों ने भी केन्द्र से अनुदान प्राप्त करके उपचारिकाओं के अल्पकालीन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की है। देश में नर्सों, दाइयों और स्वास्थ्य-निरीक्षकों के लिये ५६६ नर्सिंग स्कूल और कॉलेज हैं।^४

कृषि-शिक्षा (१९४७-७१)

स्वतन्त्र भारत में कृषि-शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। इस समय देश में ७० कृषि-कॉलेज और ८ कृषि-विश्वविद्यालय हैं।^५ ये विश्वविद्यालय अमरीबा

1. *India*, 1969, p. 101.

2. *Ibid.*

3. *Ibid.*

4. *India*, 1968, p. 102.

5. *The Times of India Directory & Year-Book*, 1969, p. 271.

के 'लेड ग्राट इंस्टीट्यूट्स' के प्रकार के हैं, जिनमें कृषि-शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार के कार्य-क्रमों को समन्वित रूप प्रदान किया गया है।¹ ये विश्वविद्यालय बंगाल में कल्याणी, उड़ीसा में भुवनेश्वर, पंजाब में चंडीगढ़, राजस्थान में उदयपुर, उत्तर-प्रदेश में पन्तनगर, आंध्र में राजेन्द्रनगर, मध्य-प्रदेश में जबलपुर और मैसूर में हेवल नामक स्थानों में हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में ४ नये कृषि-विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का विचार है, जिनमें से एक महाराष्ट्र में होगा और दूसरा मद्रास राज्य में।

१९२६ में स्थापित की जाने वाली 'इण्डियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च' नामक संस्था देश में कृषि की शिक्षा और अनुसंधान को नियोजित और समन्वित करती है। इस संस्था के पास अपना स्वयं का कोई अनुसंधान केन्द्र नहीं है। अतः यह केन्द्र और राज्यों की अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और मान्यता-प्राप्त कृषि-कॉलेजों में किये जाने वाले अनुसंधान कार्य में योग देती है।²

प्रतिमाशाली छात्रों को कृषि, कृषि-इंजीनियरिंग, गृह-विज्ञान, दुग्ध व्यवसाय और पशु-चिकित्सा के विषयों में पूर्वं-स्नातक पाठ्यक्रमों के अध्ययन की ओर आकर्षित करने के लिये छात्रवृत्तियों की एक योजना १९६३-६४ से चालू की गई है। इस योजना के अनुसार ७५ रुपये मासिक की २५० छात्रवृत्तियाँ योग्यता और निर्धनता के आधार पर दी जाती हैं। 'इण्डियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च' द्वारा कृषि और दुग्ध-व्यवसाय के विषयों का अध्ययन करने वाले स्नातकोत्तर छात्रों को २०० रुपये से २५० रुपये प्रतिमास की अभिसदस्यता भी दी जाती है।³

शिक्षा की नवीनतम गतिविधियाँ

स्वतन्त्र भारत में शिक्षा के अन्य क्षेत्रों की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है और शिक्षा-मंत्रालय ने ठोस कदम उठाये हैं। हम इन नवीनतम गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय अग्रांकित शीर्षकों के अन्तर्गत दे रहे हैं —

शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद

शारीरिक शिक्षा—शारीरिक शिक्षा की एक एकीकृत योजना क्रियान्वित की गई है। इसमें शारीरिक शिक्षा, राष्ट्रीय अनुशासन योजना और ६० सी० सी० की वर्तमान योजनाओं की सर्वोत्तम बातों को सम्मिलित किया गया है। 'कुञ्ज' समिति की सिफारिशों के अनुसार इस एकीकृत योजना को अधिकांश राज्यों और मधीय क्षेत्रों में स्वीकार कर लिया है।

'नेशनल फिटनेस वोर' की योजना के अन्तर्गत देश के ससस्त हाई और हायर-सेकण्डरी स्कूला को खाना है। १९६७-६८ के प्रारम्भ में इस योजना के अन्तर्गत १३,५०० से अधिक विद्यालय थे।⁴

1. *The Eighteenth Year of Freedom*, p. 166

2. *Hindustan Year-Book*, 1970, p. 211.

3. *The Eighteenth Year of Freedom*, p. 166,

4. *India*, 1968, p. 75.

१९५७ में ग्वालियर में 'लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन' की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज में त्रि-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान की व्यवस्था है। इस कॉलेज की गतिविधियों में निरन्तर विस्तार हो रहा है।

जनता में शारीरिक स्वास्थ्य की चेतना को उदय करने के लिये १९६० में 'नेशनल फिजिकल ऐफिशेन्सी ड्राइव' की योजना क्रियान्वित की गई थी। १९६८-६९ में इस योजना को नवम्बर, १९६८ से जनवरी १९६९ तक सम्पूर्ण देश में लागू किया गया।^१

खेल-कूद—खेल-कूद-विषयक गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं —

१. राष्ट्रीय खेलकूद-सघटनों को सहायता दी जाती है, टीमों को विदेशों में खेलने के लिये भेजा जाता है, विदेशी टीमों को भारत में आकर खेलने के लिये आमंत्रित किया जाता है तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है।
२. 'राजकुमारी खेलकूद-प्रशिक्षण योजना' के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा रहे हैं।
३. अधिकांश राज्यों में 'राज्यीय खेलकूद परिषद्' स्थापित कर दी गई हैं और शेष में स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

'अखिल-भारत खेलकूद परिषद्' नामक केन्द्रीय शिक्षण-संस्था स्थापित की जा चुकी है। यह परिषद् देश में खेल-कूद के विकास के सम्बन्ध में भारत-सरकार तथा खेलकूद-संघ को परामर्श देती रहती है।

१९६१ में पटियाला में स्थापित किया जाने वाला 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स' अब तक १,००३ खेल-शिक्षकों को प्रशिक्षित कर चुका है। इसमें विभिन्न खेलों के पाठ्य-क्रम विदेशी कुशल व्यक्तियों की अध्यक्षता में आयोजित किये जाते हैं। इसका उद्देश्य—शैक्षिक संस्थाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को लोकप्रिय बनाना है। 'नेशनल कोचिंग स्कीम' के अनुसार यह संस्था विभिन्न राज्यों में ३५ प्रादेशिक केन्द्र स्थापित कर चुकी है।^२

ग्वालियर के शारीरिक शिक्षा के कॉलेज और पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिये भारत-सरकार ने जनरल वे० एम० वेरिअण्ट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की है।^३

युवक-कल्याण^४

युवक-कल्याण के क्षेत्र में होने वाले अभिनन्दनीय कार्य अग्रलिखित हैं —

- 1 India, 1969, p 76
- 2 India, 1968, p 75.
3. India, 1969, p 76
- 4 Youth Welfare

(१) वार्षिक अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोहों का संगठन, (२) अन्तर्कालेज समारोहों के संगठन के लिये विश्वविद्यालयों की आर्थिक सहायता, (३) युवक-कल्याण कार्यों के सफल कार्यान्वयन और समन्वय के लिये युवक-कल्याण बोर्डों और समितियों की उन्नति करने के लिये विश्वविद्यालयों की आर्थिक सहायता, (४) छात्रों में शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान उत्पन्न करने के लिये और उनको ग्रामीणों के सम्पर्क में लाने के लिये श्रम और समाज-सेवा शिविरो का संगठन, (५) विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा-संस्थाओं को छात्रों के लिये व्यायामशालाओं, तैरने के तालाबों, रंगमंचों, मनोरंजन के लिये हॉलो, खुले थियेटरो आदि की व्यवस्था करने के लिए आर्थिक सहायता, और (६) स्कूलों में स्कार्टिंग की उन्नति ।

भारतीय भाषाओं का विकास

भारतीय भाषाओं के विकास का प्रश्न अत्यन्त आवश्यक बन गया है। यह आवश्यक है कि वे शीघ्र ही सम्पन्न हो जायें, कार्य करने की कुशलता प्राप्त करें और आधुनिक ज्ञान के आदान-प्रदान में प्रभावशाली माध्यम बनें। इस बात का प्रयत्न किया जाय कि सभी भारतीय भाषाओं में परस्पर आदान-प्रदान हो। इन उद्देश्यों को सामने रखते हुए यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक मुख्य भाषा के लिए एक संस्थान स्थापित किया जाय, साहित्य-सृजन को प्रोत्साहन दिया जाय और विश्वकोश तथा कोश एवं अन्य सन्दर्भ ग्रन्थ तैयार किये जाएँ। विश्वविद्यालयों को भी प्रोत्साहन दिया जाय जिससे कि वे आधुनिक भारतीय भाषाओं के अपने विभागों को अधिक विकसित करें।

उपरोक्त पुस्तकों के प्रकाशन के लिये भारत-सरकार द्वारा व्यय का आधा धन दिया जाता है। फलस्वरूप, अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिनमें से महत्वपूर्ण हैं— स्वामी विवेकानन्द, तैलुगु विश्वकोश, बंगला भाषा में 'रामचरितमानस' और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकों का जामिया-मिलिया इस्लामिया द्वारा उन्हें में अनुवाद।¹

हिन्दी का विकास

संविधान के अनुच्छेद ३५१ में हिन्दी को भारत-संघ की सरकारी भाषा घोषित किया गया है। इसके अनुसार हिन्दी के प्रचार और विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं। इनमें से प्रमुख योजनाएँ हैं—हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण-कॉलेजों की स्थापना, अहिन्दी-भाषी राज्यों में विद्यालयों के लिए योग्य हिन्दी-अध्यापकों की व्यवस्था, हिन्दी के प्रचार और विकास के लिए ऐच्छिक सङ्गठनों और व्यक्तियों को अनुदान, हिन्दी में पुस्तकें और अन्य पाठ्य-सामग्री तैयार कराना, आदि।

अहिन्दी-भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रचार के लिए १९६३-६४ में ४७१,००० रुपये और १९६४-६५ में १४१,००० रुपये अनुदान के रूप में दिये गये। इस प्रकार

के राज्यों में तीसरी योजना में हिन्दी के माध्यम द्वारा शिक्षा देने वाले स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की गई। इन स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक पुस्तकालयों को हिन्दी की पुस्तकें मुफ्त दी गईं। अन्य भाषाओं की उत्तम पुस्तकों को हिन्दी में अनुवाद कार्य दिल्ली, भोपाल, बनारस, राँची और जयपुर के सरकारी दफ्तरों में किया जा रहा है। इस कार्य के लिए विदेशी भाषाओं की अनेक पुस्तकों को चुना गया है। इनमें से १९६६ के अन्त तक ७८० पुस्तकों का अनुवाद दिल्ली के 'सेन्ट्रल हिन्दी डाइरेक्ट्रेट' द्वारा किया जा चुका है।^१

छात्रवृत्तियाँ

समान अवसर प्रदान करने और प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिये छात्रवृत्ति एक महत्त्वपूर्ण साधन है। अतः भारत सरकार ने छात्रवृत्तियों की विभिन्न योजनाएँ प्रारम्भ की हैं, जिनको निम्नलिखित पाँच भागों में विभाजित किया जा सकता है^२—

- १ भारतवासियों को अपने देश में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियाँ।
- २ भारतवासियों को विदेशों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियाँ।
- ३ अन्य देशों से विद्वानों के विनिमय के कार्यक्रम।
- ४ विदेशियों को भारत में अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्तियाँ।
- ५ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये छात्रवृत्तियाँ।

उपरोक्त छात्रवृत्तियों पर व्यय प्रति वर्ष बढ़ रहा है। यह व्यय १९५०-५१ में २७५ करोड़ रुपये से बढ़कर १९६०-६१ में २० करोड़ रुपये हो गया और १९६५-६६ में लगभग ३५ करोड़ हो गया। चौथी योजना में माध्यमिक, विश्व-विद्यालय और तकनीकी शिक्षा पर छात्रवृत्तियों की व्यय-व्यवस्था बढ़कर ५४ करोड़ रुपये हो जायगी और कृषि शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा की छात्रवृत्तियों पर १५ करोड़ रुपये अलग से व्यय होगा। इसके परिणामस्वरूप, छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ एवं अन्य रियायतों पर वार्षिक व्यय १९७०-७१ तक बढ़कर लगभग ५७ करोड़ रुपये हो जायगा।^३

शिक्षकों की दशा में सुधार

पिछले कुछ वर्षों से शिक्षकों के वेतनों और सेवा-दशाओं में सुधार करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त होने के कारण अनेक राज्य सरकारों ने अपने शिक्षकों की वेतन-दरा को बढ़ा दिया है। राज्य सरकारों इस बात का भी प्रयत्न कर रही हैं कि सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में कार्य करने वाले शिक्षकों के वेतनों की असमानता को दूर कर दिया जाय। कुछ

1 21st Year of Freedom, p. 138

2, Hindustan Year-Book, 1970, pp. 188-189.

३ चौथी पंचवर्षीय योजना (प्रारम्भिक रूपरेखा), पृ० २३०।

(१) वार्षिक अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोहों का संगठन, (२) अन्तर्कलेज समारोहों के संगठन के लिये विश्वविद्यालयों की आर्थिक सहायता, (३) युवक-कल्याण कार्यों के सफल कार्यान्वयन और समन्वय के लिये युवक-कल्याण बोर्डों और समितियों की उन्नति करने के लिये विश्वविद्यालयों की आर्थिक सहायता, (४) छात्रों में शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान उत्पन्न करने के लिये और उनको ग्रामीणों के सम्पर्क में लाने के लिये श्रम और समाज-सेवा शिविरो का संगठन, (५) विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा-संस्थाओं को छात्रों के लिये व्यायामशालाओं, तैरने के तालाबों, रंगमंचों, मनोरंजन के लिये हॉल, खुले थियेट्रो आदि की व्यवस्था करने के लिए आर्थिक सहायता, और (६) स्कूलों में स्काउटिंग की उन्नति ।

भारतीय भाषाओं का विकास

भारतीय भाषाओं के विकास का प्रश्न अत्यन्त आवश्यक बन गया है । यह आवश्यक है कि वे शीघ्र ही सम्पन्न हो जायें, कार्य करने की कुशलता प्राप्त करें और आधुनिक ज्ञान के आदान-प्रदान में प्रभावशाली माध्यम बनें । इस बात का प्रयत्न किया जाय कि सभी भारतीय भाषाओं में परस्पर आदान-प्रदान हो । इन उद्देश्यों को सामने रखते हुए यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक मुख्य भाषा के लिए एक संस्थान स्थापित किया जाय, साहित्य-सृजन को प्रोत्साहन दिया जाय और विश्वकोश तथा कोश एवम् अन्य सन्दर्भ ग्रन्थ तैयार किये जाएँ । विश्वविद्यालयों को भी प्रोत्साहन दिया जाय जिससे कि वे आधुनिक भारतीय भाषाओं के अपने विभागों को अधिक विकसित करें ।

उपरोक्त पुस्तकों के प्रकाशन के लिये भारत-सरकार द्वारा व्यय का आधा घन दिया जाता है । फलस्वरूप, अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिनमें से महत्त्वपूर्ण हैं — स्वामी विवेकानन्द, तैलुगु विश्वकोश, बंगला भाषा में 'रामचरितमानस' और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकों का जामिया-मिलिया इस्लामिया द्वारा उर्दू में अनुवाद ।¹

हिन्दी का विकास

संविधान के अनुच्छेद ३५१ में हिन्दी को भारत-संघ की सरकारी भाषा घोषित किया गया है । इसके अनुसार हिन्दी के प्रचार और विकास के लिए विभिन्न योजनायें प्रारम्भ की गई हैं । इनमें से प्रमुख योजनायें हैं—हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण-कॉलेजों की स्थापना, अहिन्दी-भाषी राज्यों में विद्यालयों के लिए योग्य हिन्दी-अध्यापकों की व्यवस्था, हिन्दी के प्रचार और विकास के लिए ऐच्छिक सङ्गठनों और व्यक्तियों को अनुदान, हिन्दी में पुस्तकें और अन्य पाठ्य-सामग्री तैयार कराना, आदि ।

अहिन्दी-भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रचार के लिए १९६३-६४ में ४७१,००० रुपये और १९६४-६५ में १४१,००० रुपये अनुदान के रूप में दिये गये । इस प्रकार

1. 21st Year of Freedom, p. 139.

के राज्यों में तीसरी योजना में हिन्दी के माध्यम द्वारा शिक्षा देने वाले स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की गई। इन स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक पुस्तकालयों को हिन्दी की पुस्तकों मुफ्त दी गईं। अन्य भाषाओं की उत्तम पुस्तकों को हिन्दी में अनुवाद-कार्य दिल्ली, भोपाल, बनारस, राँची और जयपुर के सरकारी दफ्तरों में किया जा रहा है। इस कार्य के लिए विदेशी भाषाओं की अनेक पुस्तकों को चुना गया है। इनमें से १९६६ के अन्त तक ७८० पुस्तकों का अनुवाद दिल्ली के 'सेन्ट्रल हिन्दी डाइरेक्ट्रेट' द्वारा किया जा चुका है।¹

छात्रवृत्तियाँ

समान अवसर प्रदान करने और प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिये छात्रवृत्ति एक महत्त्वपूर्ण साधन है। अतः भारत सरकार ने छात्रवृत्तियों की विभिन्न योजनायें प्रारम्भ की हैं, जिनको निम्नलिखित पाँच भागों में विभाजित किया जा सकता है²—

१. भारतवासियों को अपने देश में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियाँ।
२. भारतवासियों को विदेशों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियाँ।
३. अन्य देशों से विद्वानों के विनिमय के कार्यक्रम।
४. विदेशियों को भारत में अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्तियाँ।
५. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये छात्रवृत्तियाँ।

उपरोक्त छात्रवृत्तियों पर व्यय प्रति वर्ष बढ़ रहा है। यह व्यय १९५०-५१ में २७५ करोड़ रुपये से बढ़कर १९६०-६१ में २० करोड़ रुपये हो गया और १९६५-६६ में लगभग ३५ करोड़ हो गया। चौथी योजना में माध्यमिक, विद्व-विद्यालय और तकनीकी शिक्षा पर छात्रवृत्तियों की व्यय-व्यवस्था बढ़कर ५४ करोड़ रुपये हो जायगी और कृषि-शिक्षा तथा चिकित्सा-शिक्षा की छात्रवृत्तियों पर १५ करोड़ रुपये अलग से व्यय होंगे। इसके परिणामस्वरूप, छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ अब अन्य रियायतों पर वार्षिक व्यय १९७०-७१ तक बढ़कर लगभग ५७ करोड़ रुपये हो जायगा।³

शिक्षकों की दशा में सुधार

पिछले कुछ वर्षों से शिक्षकों के वेतनों और सेवा-दशाओं में सुधार करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त होने के कारण अनेक राज्य सरकारों ने अपने शिक्षकों की वेतन-दरा को बढ़ा दिया है। राज्य सरकारें इस बात का भी प्रयत्न कर रही हैं कि सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में कार्य करने वाले शिक्षकों के वेतनों की असमानता को दूर कर दिया जाय। कुछ

1. *21st Year of Freedom*, p. 138.

2. *Hindustan Year-Book*, 1970, pp. 188-189.

३. चौथी पंचवर्षीय योजना (प्रारम्भिक रूपरेखा), पृ० २३०।

(१) वार्षिक अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोहों का मंगठन, (२) अन्तर्कालेज समारोहों के संगठन के लिये विश्वविद्यालयों की आर्थिक सहायता, (३) युवक-कल्याण कार्यों के सफल कार्यान्वयन और समन्वय के लिये युवक-कल्याण बोर्डों और समितियों की उन्नति करने के लिये विश्वविद्यालयों की आर्थिक सहायता, (४) छात्रों में शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान उत्पन्न करने के लिये और उनको प्रामीणों के सम्पर्क में लाने के लिये श्रम और समाज-सेवा शिविरो का मंगठन, (५) विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा-संस्थाओं को छात्रों के लिये व्यायामशालाओं, तैरने के तालावों, रंगमंचों, मनोरंजन के लिये हॉलो, खुले थियेटरो आदि की व्यवस्था करने के लिए आर्थिक सहायता, और (६) स्कूलों में स्वाउटिंग की उन्नति।

भारतीय भाषाओं का विकास

भारतीय भाषाओं के विकास का प्रश्न अत्यन्त आवश्यक बन गया है। यह आवश्यक है कि वे शीघ्र ही सम्पन्न हो जायें, कार्य करने की कुशलता प्राप्त करें और आधुनिक ज्ञान के आदान-प्रदान में प्रभावशाली माध्यम बनें। इस बात का प्रयत्न किया जाय कि सभी भारतीय भाषाओं में परस्पर आदान-प्रदान हो। इन उद्देश्यों को सामने रखते हुए यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक मुख्य भाषा के लिए एक संस्थान स्थापित किया जाय, साहित्य-सृजन को प्रोत्साहन दिया जाय और विरवकोश तथा कोश एवं अन्य सन्दर्भ ग्रन्थ तैयार किये जाएँ। विश्वविद्यालयों को भी प्रोत्साहन दिया जाय जिससे कि वे आधुनिक भारतीय भाषाओं के अपने विभागों को अधिक विकसित करें।

उपरोक्त पुस्तकों के प्रकाशन के लिये भारत-सरकार द्वारा व्यय का आधा धन दिया जाता है। फलस्वरूप, अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिनमें से महत्त्वपूर्ण हैं:— स्वामी विवेकानन्द, तैलुगु विरवकोश, बंगला भाषा में 'रामचरितमानस' और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकों का जामिया-मिलिया इस्लामिया द्वारा उर्दू में अनुवाद।²

हिन्दी का विकास

संविधान के अनुच्छेद ३५१ में हिन्दी को भारत-संघ की सरकारी भाषा घोषित किया गया है। इसके अनुसार हिन्दी के प्रचार और विकास के लिए विभिन्न योजनायें प्रारम्भ की गई हैं। इनमें से प्रमुख योजनायें हैं—हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण-कॉलेजों की स्थापना, अहिन्दी-भाषी राज्यों में विद्यालयों के लिए योग्य हिन्दी-अध्यापकों की व्यवस्था, हिन्दी के प्रचार और विकास के लिए ऐच्छिक सङ्गठनों और व्यक्तियों को अनुदान, हिन्दी में पुस्तकें और अन्य पाठ्य-सामग्री तैयार कराना, आदि।

अहिन्दी-भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रचार के लिए १९६३-६४ में ४७१,००० रुपये और १९६४-६५ में १४१,००० रुपये अनुदान के रूप में दिये गये। इस प्रकार

के राज्यों में तीसरी योजना में हिन्दी के माध्यम द्वारा शिक्षा देने वाले स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की गई। इन स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक पुस्तकालयों को हिन्दी की पुस्तकों मुफ्त दी गईं। अन्य भाषाओं की उत्तम पुस्तकों को हिन्दी में अनुवाद-कार्य दिल्ली, भोपाल, बनारस, राँची और जयपुर के सरकारी दफ्तरो में किया जा रहा है। इस कार्य के लिए विदेशी भाषाओं की अनेक पुस्तकों को चुना गया है। इनमें से १९६६ के अन्त तक ७८० पुस्तकों का अनुवाद दिल्ली के 'सेन्ट्रल हिन्दी डाइरेक्ट्रेट' द्वारा किया जा चुका है।^१

छात्रवृत्तियाँ

समान अवसर प्रदान करने और प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिये छात्रवृत्ति एवं महत्त्वपूर्ण साधन है। अतः भारत सरकार ने छात्रवृत्तियों की विभिन्न योजनाएँ प्रारम्भ की हैं, जिनको निम्नलिखित पाँच भागों में विभाजित किया जा सकता है^२—

१. भारतवासियों को अपने देश में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियाँ।
२. भारतवासियों को विदेशों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियाँ।
३. अन्य देशों से विद्वानों के विनिमय के कार्यक्रम।
४. विदेशियों को भारत में अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्तियाँ।
५. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये छात्रवृत्तियाँ।

उपरोक्त छात्रवृत्तियों पर व्यय प्रति वर्ष बढ़ रहा है। यह व्यय १९५०-५१ में २७५ करोड़ रुपये से बढ़कर १९६०-६१ में २० करोड़ रुपये हो गया और १९६५-६६ में लगभग ३५ करोड़ हो गया। चौथी योजना में माध्यमिक, विश्व-विद्यालय और तकनीकी शिक्षा पर छात्रवृत्तियों की व्यय-व्यवस्था बढ़कर ५४ करोड़ रुपये हो जायगी और कृषि-शिक्षा तथा चिकित्सा-शिक्षा की छात्रवृत्तियों पर १५ करोड़ रुपये अलग से व्यय होंगे। इसके परिणामस्वरूप, छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ एवं अन्य रियायतों पर वास्तविक व्यय १९७०-७१ तक बढ़कर लगभग ५७ करोड़ रुपये हो जायगा।^३

शिक्षकों की वेतन में सुधार

पिछले कुछ वर्षों से शिक्षकों के वेतनों और सेवा-दशाओं में सुधार करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार से आधिक्य सहायता प्राप्त होने के कारण अनेक राज्य सरकारों ने अपने शिक्षकों की वेतन-दशा को बढ़ा दिया है। राज्य सरकारें इस बात का भी प्रयत्न कर रही हैं कि सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में कार्य करने वाले शिक्षकों के वेतनों की अमानता को दूर कर दिया जाय। कुछ

1. *21st Year of Freedom*, p. 138.

2. *Hindustan Year-Book*, 1970, pp. 188-189.

३. चौथी पंचवर्षीय योजना (प्रारम्भिक स्वरूप), पृ० २३०।

राज्य-सरकारों ने गैर-सरकारी स्कूला के अध्यापकों के लिये पेंशन, प्राविडेन्ट फण्ड और जीवन-धीमा की विविध लाभ-योजना क्रियान्वित कर दी है।

शिक्षकों के कल्याण में वृद्धि करने के लिये १९६२ में 'नेशनल फाउन्डेशन फॉर टीचर्स वेलफेयर' की स्थापना की गई थी। 'फाउन्डेशन' ने सरकारी अनुदानों और व्यक्तिगत चन्दों से लगभग ६० लाख रुपया एकत्रित कर लिया है। जो राज्य शिक्षकों के कल्याण के लिये धन एकत्रित करेगा, उसे 'फाउन्डेशन' आर्थिक सहायता देगा। राज्य-सरकार और 'फाउन्डेशन' के धन का अनुपात ८० प्रतिशत और २० प्रतिशत होगा।

'विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग' राज्यों के विश्वविद्यालयों और सरकारी तथा गैर-सरकारी कॉलेजों के अध्यापकों को नये वेतन दर देने के लिये आर्थिक सहायता दे रहा है। अब तक ३५ विश्वविद्यालय नये वेतन-दर देने के लिये तैयार हो गये हैं। जब सब विश्वविद्यालयों में वेतन-दर लागू हो जायेंगे, तब लगभग ५००० विश्व-विद्यालय-शिक्षक लाभान्वित होंगे।

सारांश

१ ग्रामीण उच्च-शिक्षा—ग्रामीण उच्च शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। ग्रामीण जनता की उच्च शिक्षा के लिये केवल ३ विश्वविद्यालय और ६० कॉलेज हैं। 'विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग' ने अपनी रिपोर्ट में सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। 'ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-परिपक्व' ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को 'रूरल इन्स्टीट्यूट्स' में परिवर्तित करने की सिफारिश की। १५ संस्थाओं को 'रूरल इन्स्टीट्यूट्स' में परिवर्तित कर दिया गया है।

२ प्रौढ अथवा समाज शिक्षा—प्रौढ शिक्षा को समाज-शिक्षा का नाम देकर उसके रूप को अभिवृद्धित कर दिया गया है। निरक्षर बयस्कों में ज्ञान का प्रसार करने के लिये 'द्वादश सूत्रीय योजना' प्रस्तुत की गई है। समाज-शिक्षा के अन्तर्गत एक 'पंचसूत्रीय कार्यक्रम' बनाया गया है।

३ स्त्री-शिक्षा—स्त्री-शिक्षा के सभी क्षेत्रों में सराहनीय प्रगति हुई है। 'स्त्री-शिक्षा की राष्ट्रीय समिति' ने स्त्री शिक्षा की विभिन्न समस्याओं पर उत्तम मुद्दाव दिये हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लड़कियों की शिक्षा के विस्तार तथा अध्यापिकाओं की शिक्षा के लिये प्रारम्भ की गई योजना में उत्तम प्रगति हुई है। तृतीय योजना में स्त्री शिक्षा पर १७५ करोड़ रुपये व्यय किये गये।

४ पिछड़े वर्गों की शिक्षा—अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित आदिम-जातियाँ एवं पिछड़े वर्गों की शिक्षा की ओर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। सभी संस्थाओं में इन वर्गों के छात्रों के लिये स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं और उन्हें छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं।

५ विषय-क्षेत्रों की शिक्षा—स्वतन्त्रता प्राप्ति तक विज्ञान की शिक्षा की

बहुत बम व्यवस्था थी। स्वतन्त्र भारत में 'भारतीय बाल-कल्याण परिषद्' समाज कल्याण बोर्ड' और 'राष्ट्रीय परामर्श परिषद्' इस दिशा में कार्य कर रहे हैं।

६ प्राविधिक शिक्षा—स्वतन्त्र भारत में प्राविधिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था कर दी गई है। पहली दूसरी और तीसरी योजना में इस शिक्षा पर क्रमशः २३, ४८ और १४२ करोड़ रुपये व्यय किये गये। चौथी योजना में २५३ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

७ चिकित्सा शिक्षा—इस समय देश में ६३ मेडिकल कॉलेज और १५ दन्त-चिकित्सा कॉलेज हैं। नर्सों, दाइया और स्वास्थ्य निरीक्षकों के लिए ५६६ नर्सिङ्ग स्कूल और कॉलेज हैं।

८ कृषि शिक्षा—स्वतन्त्र भारत में कृषि शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस समय देश में ७० कृषि-कॉलेज और ८ कृषि विश्वविद्यालय हैं।

९ शिक्षा की नवीनतम गतिविधियाँ—इनके अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा, युवक-कल्याण, भारतीय भाषाओं का विकास, हिंदी का विकास, छात्रवृत्तियाँ अध्यापकों की अवस्था में सुधार—आदि हैं।

TEST QUESTIONS

- 1 The idea of Rural Universities has recently gained much favour with the Indian leaders Bearing in mind the recommendations of the Radhakrishnan Commission outline a scheme to make the idea a real success in the country

कुछ समय से ग्रामीण विश्वविद्यालयों का विचार भारतीय नेताओं को अत्यधिक प्रिय हो गया है। राधाकृष्णन्-आयोग की सिफारिशों का ध्यान में रखते हुए देश में इस विचार को वास्तविक रूप से सफल बनाने के लिये किसी योजना की रूपरेखा तैयार कीजिये।

- 2 Write a brief account of the progress of women's education or social education from 1947 to 1971

१९४७ से १९७१ तक स्त्री शिक्षा या समाज शिक्षा की प्रगति का संक्षिप्त वर्णन कीजिये।

- 3 Describe briefly the recent educational developments in India

भारत में शिक्षा की नवीनतम गतिविधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिये।

पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा

प्रस्तावना

शताब्दियों से परतन्त्रता की शृङ्खलाओं में बन्दी भारत अगस्त १९४७ में मुक्त हुआ। परन्तु विगत दो विश्वयुद्धों, अंग्रेजों की शोषण-नीति तथा देश के विभाजन ने राष्ट्र के समस्त अति जटिल समस्याएँ उपस्थित कर दी। उन समस्याओं का निवारण एवं देश की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थितियों का पुनर्संज्ञा करना ही स्वाधीनता के चरम लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव थी। अतः विश्व के अनेक समृद्ध तथा सम्यक् देशों के समान भारत ने अपनी विखरी हुई शक्तियों को एकाग्र करने, एक निश्चित दिशा में अग्रसर होने, और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का पूर्ण विकास करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अप्रैल १९५१ में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित की। इसमें अन्य विषयों के साथ-साथ शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया।

पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा

तत्कालीन भारतीय शिक्षा की स्थिति १९५१ में भारतीय शिक्षा की स्थिति अति शोचनीय थी। अनेक दोषों से युक्त होने के अतिरिक्त, देश में साक्षरता का प्रतिशत केवल १७.२ था। इससे स्पष्ट है कि सभी व्यक्तियों को शिक्षा-सम्बन्धी गुविधायें उपलब्ध नहीं थी। वस्तुतः ६-११ वर्ष की आयु के कुल ४०० प्रतिशत, ११-१७ वर्ष की आयु के कुल १० प्रतिशत, और १७-२३ वर्ष की आयु के ०.६ प्रतिशत व्यक्तियों को ही शिक्षा की गुविधायें प्राप्त थी, जब कि योरोप और अमरीका के देशों में ८० में लेकर १०० प्रतिशत तक बालक-व्यक्तियों को शिक्षा में लाभ उठा रहे थे।

इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा को अनावश्यक अधिक महत्व, प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, नगरीय एवं ग्रामीणों में शिक्षा-गुविधायों की अगमानता,

स्त्री-शिक्षा की उपेक्षा और प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी आदि कुछ ऐसे दोष थे, जिनका निवारण अनिवार्य था। अतः भारतीय शिक्षा की जनतन्त्र की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिये शिक्षा का पुनर्गठन अनिवार्य था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में क्रियात्मक पग उठाया गया।

शिक्षा-पुनर्गठन के लिये सुझाव

योजना-आयोग (Planning Commission) ने भारतीय शिक्षा के पुनर्गठन के सम्बन्ध में अधोलिखित सुझाव दिये :—

१. वेसिक एंव समाज-शिक्षा के क्षेत्रों का प्रसार करना।
२. माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय-शिक्षा को नवीन रूप देकर सुव्यवस्थित करना।
३. व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा को देश की आवश्यकताओं के अनुसार नवीन रूप प्रदान करना।
४. स्त्री-शिक्षा का विस्तार करना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री-शिक्षा को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना।
५. अध्यापकों के प्रशिक्षण का समुचित प्रबन्ध करना।
६. अध्यापकों के वेतन और उनके सेवा-प्रतिबन्धों (Conditions of Service) में सुधार करना।
७. शिक्षा में पिछड़े हुए राज्यों को उदार सहायता-अनुदान देकर वहाँ शिक्षा का विकास एवं विस्तार करना।

शिक्षा पर व्यय

अनुमान लगाया गया कि प्रथम योजना-काल में ६-१४ वर्ष की आयु के शत-प्रतिशत बच्चों को शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करने के लिये लगभग ४०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय होंगे। इसके अतिरिक्त २०० करोड़ रुपये वेसिक और हाई स्कूल के अध्यापकों के प्रशिक्षण, तथा २७२ करोड़ रुपये स्कूलों के भवनों के लिये आवश्यक थे। सरकार ने इतनी विशाल धन-राशि व्यय करने के लिये अपने को असमर्थ पाया और योजना-काल में १६६ करोड़ रुपये की स्वीकृत दी। इस धन में से ४४ करोड़ केन्द्र द्वारा और १२५ करोड़ राज्य-सरकारों द्वारा व्यय किये गये। यह धन-राशि इतनी अल्प थी कि इससे देश की शिक्षा-सम्बन्धी समस्त आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं हो सकती थी। अतः सरकार ने जनता से अपील की, कि वह धन, धरती, सेवा और भवन देकर इस कार्य में हाथ बँटाए।

शिक्षा-योजना के लक्ष्य

योजना-आयोग की आशा थी कि पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अप्राप्त लक्ष्य प्राप्त हो जायेंगे :—

- १ १९५६ से पूर्व ही ६-११ वर्ष की आयु के ६० प्रतिशत बालकों को शिक्षा की सुविधाएँ प्राप्त हो जायेंगी।
- २ विद्यालयों में ६-११ वर्ष तक की आयु वाली बालिकाओं की संख्या ४० प्रतिशत हो जायगी।
- ३ स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा के लिये योग्य आयु के बच्चा की संख्या १५ प्रतिशत तक पहुँच जायगी, और इन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या भी बढ़कर १० प्रतिशत हो जायगी।
- ४ समाज-शिक्षा के क्षेत्र में १४-४० वर्ष की आयु के स्त्री-पुरुषों को व्यावसायिक अर्थों व सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने की शिक्षा दी जायगी। इसमें भाग लेने वाले स्त्री एवं पुरुषों की संख्या कम से कम क्रमशः १० और २० प्रतिशत होगी।

इस योजना में विश्वविद्यालय-शिक्षा के विस्तार का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।

समालोचना

पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारतीय शिक्षा के विकास, विस्तार एवं पुनर्गठन के लिये एक योजना का निर्माण करके अप्रैल १९५१ में उसे कार्यान्वित कर दिया गया। इस योजना में गुणों के साथ-साथ दोषों का अभाव ही नहीं, प्रत्युत इसके अन्तर्गत भी अनेक ऐसी बातें थी, जो दोषपूर्ण थी, यथा—

- १ योजना में शिक्षा के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, उन्हें प्राप्त करने में सफलता न मिली।
- २ इसने अग्रजों द्वारा प्रचलित शिक्षा प्रणाली के दोषों का स्पष्ट उल्लेख करके भी उनके निवारण के लिये कोई रचनात्मक पग नहीं उठाया।
- ३ पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की ओर रचनात्मक भी ध्यान नहीं दिया गया।
- ४ योजना-आयोग ने शिक्षकों की असतोषजनक स्थिति के प्रति सहानुभूति व्यक्त करके भी उनके आर्थिक हित तथा सामाजिक सम्मान के लिये जो प्रयास किये, वे प्रायः नगण्य ही कहे जा सकते हैं।
- ५ सार्वजनिक शिक्षा को लोकतन्त्र के लिये आवश्यक बताकर भी आयोग ने पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिये इतनी अल्प धनराशि निर्धारित की, जो लज्जा की बात कही जा सकती है।
- ६ इसका संचालन मुचारे रूप से नहीं किया गया। साखा रूपों का दुरुपयोग किया गया। शिक्षा-सम्बन्धी अनेक कार्य उत्साहपूर्वक प्रारम्भ किये जाने के पश्चात् तनिक-सी बाधा उपस्थित होने पर स्थगित कर दिये गये, जिससे धन और शक्ति का भयङ्कर नाश हुआ।

उपरिलिखित दोषों के बावजूद भी भारतीय शिक्षा के इतिहास में शिक्षा के नियोजन का यह प्रथम प्रयास था। अनुभव मनुष्य का सर्वोत्तम शिक्षक है। योजना-कारों ने शिक्षा-योजना के दोषों तथा त्रुटियों से एक नवीन पाठ सीखा, और उसके आधार पर द्वितीय योजना में उससे मुक्त रहकर शिक्षा के प्रसार एवं पुनर्गठन का दृढ़ संकल्प किया। फलस्वरूप उन्हें पहली योजना की अपेक्षा दूसरी योजना में अधिक सफलता मिली।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा

प्रस्तावना

पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य—शिक्षा को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल बनाना और भारतीय शिक्षा-प्रणाली में निहित दोषों का उन्मूलन करना था। इस प्रयास में केवल आंशिक सफलता प्राप्त हुई। योजना में जो अभाव थे, उनकी ओर संकेत करते हुए श्री देशमुख ने आलंकारिक भाषा में कहा था—“तस्वीर में कुछ धब्बे भी हैं और धब्बों का होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि तस्वीर बहुत बड़ी बन रही है।” प्रथम योजना-काल में शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति न हो सकी। इसी बात को ध्यान में रखकर, दूसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के पुनर्गठन पर विशेष रूप से बल दिया गया।

शिक्षा-योजना के उद्देश्य

दूसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा-योजना के निम्नांकित उद्देश्य थे —

१. वेसिक तथा प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना।
२. माध्यमिक शिक्षा को बहुउद्देशीय बनाकर उसका रूप परिवर्तन करना।
३. कॉलेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षा-स्तर में सुधार करके उसको ऊँचा करना।
४. प्राविधिक, प्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुविधाओं का विस्तार करना।
५. समाज-शिक्षा एवं सांस्कृतिक विकास के कार्यक्रमों को बायीं-निहित करना।

शिक्षा पर व्यय

पहली योजना में शिक्षा पर १६६ करोड़ रुपये व्यय किये गये थे। दूसरी योजना में ३०७ करोड़ व्यय करने की व्यवस्था की गई। दोनों योजनाओं में व्यय का विभाजन अप्रकृत तालिका से स्पष्ट है —

पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर व्यय^१

शिक्षा का स्तर	रुप (वर्षाद शतका में)	
	प्रथम योजना (१९५१—५६)	द्वितीय योजना (१९५६—६१)
प्राथमिक शिक्षा	६३	८६
माध्यमिक शिक्षा	२०	५१
विश्वविद्यालय शिक्षा	१५	५०
प्रौद्योगिक व व्यावसायिक शिक्षा	२३	५८
समाज-शिक्षा	५	५
प्रसाधन व विविध	११	५०
योग	१६६	३०७

शिक्षा-योजना के लक्ष्य

पहली योजना में शिक्षा के विविध क्षेत्रों में कितनी उन्नति हुई, और दूसरी योजना का क्या लक्ष्य था, इनका विवरण अप्रकृत तालिका (पृ० ४६६) में स्पष्ट है।

समालोचना

भारत-सरकार ने इस योजना की अवधि के लिये शिक्षा-सम्बन्धी अनेक कार्य-क्रम निश्चित किये, जिनको राष्ट्र के भविष्य के लिये सम्पन्न किया जाना था। देश के औद्योगिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये शिक्षा का पुनर्संरुद्धन किया जाना आवश्यक था। परन्तु ऐसा करना सम्भव नहीं हो सका। वास्तविक यह है कि विश्व के अन्य विपसित राष्ट्रों—रूस, चीन और अमरीका—के समान हमारी योजना के अभिप्राय को न तो स्पष्ट रूप से समझा गया, और न उसके कार्य-क्रमों को ही निर्धारित किया जा सका।

इस योजना की प्रमुख विरोधता यह थी कि इसमें कोई निश्चित योजना नहीं थी। केवल थोड़े से विद्यालयों की स्थापना करने, विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने, पाठ्य-क्रमों में अधिक विषयों का समावेश करने, और कुछ स्थानों पर शिक्षा की अधिक सुविधाएँ प्रदान करने से शिक्षा को न तो पुनर्संरुद्धित किया जा सकता था, और न इन कार्यों को 'योजना' की सजा ही दी जा सकती थी। तथ्य यह है कि योजनाकारों ने शिक्षा के विकास एवं विस्तार के अर्थ को रचनात्मक भी नहीं समझा।

१ दूसरी पंचवर्षीय योजना, पृ० ४६८।

विवरण	१९५०—५१ योजना से पूर्व	१९५५—५६ पहली योजना	१९६०—६१ दूसरी योजना
(क) विभिन्न वय-वर्ग के बच्चों के लिये शिक्षा सुविधाएँ—			
१. (६-११) वय-वर्ग का प्रतिशत	४२.०	५१.०	६२.७
२. (११-१४) " " "	१३.६	१६.२	२२.५
३. (१४-१७) " " "	६.४	६.४	११.७
(ख) संख्याएँ—			
१. प्राथमिक बेसिक	२,०६,६७१	२,७४,०३८	३,२६,८००
२. पूर्व-बेसिक	१,४००	८,३६०	३३,८००
३. मिडिल बेसिक	१३,५६६	१६,२७०	२२,७२५
४. उत्तर बेसिक	३५१	१,६४५	४,५७१
५. हाई व हायर सेकण्डरी	७,२७८	१०,६००	१२,१२५
६. बहुउद्देशीय	—	२५०	१,१८७
७. हायर सेकण्डरी बना दिये जाने वाले हाई-स्कूल	—	४७	१,१६७
८. विश्वविद्यालय	२६	३१	३८
(ग) इंजीनियरिंग विद्यालय—			
१. डिग्री देने वाले	४१	४५	५४
२. डिप्लोमा देने वाले	६४	८३	१०४
(घ) टेकनॉलॉजी के विद्यालय—			
१. डिग्री देने वाले	२५	२५	३८
२. डिप्लोमा देने वाले	३६	३६	३७

फिर आर्थिक विकास को पूर्ण रूप से जनता की भलाई का साधन बनाने के लिए शिक्षा के कार्यक्रमों को आर्थिक योजनाओं की अपेक्षा प्राथमिकता नहीं दी गई। आर्थिक योजनाओं का स्थान सर्वोपरि था और शिक्षा-सम्बन्धी योजनाओं को गौण स्थान प्रदान किया गया। देश के सभी कुशल कार्यकर्ताओं का ध्यान आर्थिक विकास पर केन्द्रित था। शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहे थे, उनमें न तो पर्याप्त कार्य-क्षमता और न कार्य-पटुता ही थी। ऐसी दशा में शिक्षा के कार्य-क्रमों का असफल होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी।

आलोचकों ने कुछ अन्य दोषों की ओर भी संकेत किया है। उनका कहना है कि दूसरी योजना में जन-शिक्षा को तिरस्कृत करके माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा को प्रतिष्ठित पद प्रदान किया गया। यही कारण है कि सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के व्यय को ६३ करोड़ से घटाकर ८६ करोड़ कर दिया गया, जबकि माध्यमिक शिक्षा के व्यय को २२ करोड़ से बढ़ाकर ५१ करोड़, और विश्वविद्यालय-शिक्षा के व्यय को १५ करोड़ से बढ़ाकर ५७ करोड़ कर दिया गया।

योजना का एक अन्य दोष यह भी था कि प्रशासन पर होने वाला व्यय ५७ करोड़ निश्चय किया गया था, जबकि पहली योजना में यह व्यय केवल ११ करोड़ था। पहली और दूसरी योजनाओं में शिक्षा पर होने वाला कुल व्यय क्रमशः १६६ करोड़ और ३०७ करोड़ था, अर्थात् दूसरी योजना में पहली योजना की अपेक्षा १३८ करोड़ रुपया अधिक व्यय किया गया। इस धन में से लगभग आधा रुपया प्रशासन पर व्यय किया गया। यह बात बुद्धि की समझ से परे है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया ?

योजना-आयोग ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि शिक्षा-प्रणाली को सफल बनाने के लिये अध्यापकों के वेतन में वृद्धि और उनके सेवा-प्रतिबन्धों में सुधार किया जाना अति आवश्यक था। परन्तु खेद का विषय है कि अध्यापकों के लिये कुछ भी नहीं किया गया। शिक्षा-योजना पर एक अन्य दोषारोपण यह किया गया है कि हमने निरक्षरता का नाश करने के लिये कोई सांख्यिक प्रयास नहीं किया गया

अन्त में, हम यह कह सकते हैं कि कोटि-कोटि कंटों से शिक्षा में नियोजनीय आवश्यकता की पुकार मुनकर भी भारत-सरकार इस ओर पूर्णतया उदासीन रही

तीसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा

१. प्रस्तावना

पहली योजना प्रारम्भ होने के बाद से शिक्षा की मुविधाओं में सभी स्तरों पर प्रशंसनीय विस्तार हुआ। परन्तु जब दृष्टि इस समस्या की विशालता, देश की जनशक्ति का विकास करने और ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित करने की आवश्यकता पर जाती है, जिनमें सब को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके, तब विकास की प्रगति को और भी तीव्र कर देना आवश्यक प्रतीत होने लगता है। अतः तीसरी योजना के

मुख्य उद्देश्यों में से एक यह था कि शिक्षा-प्रसार कार्यक्रम का विस्तार करके इसे प्रत्येक घर तक पहुँचाया जाय, ताकि शिक्षा राष्ट्रीय जीवन की प्रत्येक शाखा में आयोजित विकास की केन्द्र-बिन्दु बन जाय।

शिक्षा-योजना के उद्देश्य

तीसरी योजना में शिक्षा के निम्नांकित उद्देश्य थे :—

१. ६ से ११ वर्ष तक के सभी बच्चों को पढ़ने-लिखने की सुविधा देना।
२. माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय के स्तर पर विज्ञान की शिक्षा में सुधार करना।
३. सब वर्गों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना।
४. प्राविधिक शिक्षा का विस्तार करना।

शिक्षा पर व्यय

नीचे दी गई मारिणी से पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं में सामान्य-शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिये निर्धारित व्यय का अलग-अलग व्यौरा दिया गया है :—

शिक्षा का स्तर	व्यय (करोड़ रुपये में)		
	पहली योजना (१९५१-५६)	दूसरी योजना (१९५६-६१)	तीसरी योजना (१९६१-६६)
१. प्रारम्भिक शिक्षा	८५	८७	२०६
२. माध्यमिक शिक्षा	२०	४८	८८
३. विश्वविद्यालय शिक्षा	१४	४५	८२
४. अन्य कार्यक्रम :—			
समाज शिक्षा	—	४	६
धारीरिक शिक्षा व युवक-कल्याण	१४	१०	१२
५. अन्य	—	१०	११
योग	१३३	२०४	४०८
६. सांस्कृतिक कार्यक्रम	—	४	१०
कुल योग	१३३	२०८	४१८

शिक्षा-योजना के लक्ष्य

पहली और दूसरी योजनाओं में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में कितनी उन्नति हुई और तीसरी योजना का क्या लक्ष्य था, इसका विवरण नीचे की सारिणी से स्पष्ट हो जाता है^१ —

विवरण	१९५०-५१ योजना से पूर्व	१९५५-५६ पहली योजना	१९६०-६१ दूसरी योजना	१९६५-६६ तीसरी योजना
(क) विभिन्न वय-वर्ग के बच्चों के लिये शिक्षा-सुविधाएँ—				
१. ६-११ वय-वर्ग का प्रतिशत	४२.६	५२.६	६१.१	७६.४
१. ११-१४ " " "	१२.७	१६.५	२७.८	२८.६
३. १४-१७ " " "	५.३	७.८	११.५	१५.६
(घ) संस्थाएँ—				
१. प्राथमिक व बेसिक	२,०६,६७१	२,७८,१३५	३,४२,०००	४,१७,०००
२. जूनियर बेसिक	३३,३७६	४२,६७१	१,०६,०००	१,५३,०००
३. मिडिल बेसिक	१३,५६६	२१,७३०	३६,६००	५७,७००
४. सीनियर बेसिक	३५१	४,८५७	११,६४०	१६,७००
५. हाई व हायर-जेकण्टरी	७,२८८	१०,८३८	१६,६००	२१,८००
६. बटुउद्देशीय	—	२५४	७,११४	७,४६६
७. विन्यविद्यालय	२७	३७	४६	४८

समालोचना

तीसरी योजना में शिक्षा के जिन कार्यक्रमों को अपनाया गया, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे देश के नेता शिक्षा के सभी अवयवों को सुसंगठित करके एक नये सॉचि में ढालने के लिये प्रयत्नशील थे। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उन्होंने शिक्षा के जिन कार्यक्रमों का निर्माण किया, वे श्लाघनीय थे। इन कार्यक्रमों में प्रमुख थे — ६ से ११ वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिये शिक्षा-सुविधाओं की व्यवस्था, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान की शिक्षा में विस्तार एवं सुधार प्रत्येक स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं में सुधार एवं विस्तार, छात्रवृत्तियों, फ्री-शिपों तथा अन्य सहायताओं में वृद्धि।

इनके अतिरिक्त बालिकाओं की शिक्षा की अधिक उत्तम व्यवस्था की गई और उनका अध्यापन की अन्य सुविधायें प्रदान की गईं। बालकों तथा बालिकाओं के शिक्षा-स्तरो में जो अन्तर था, उनको कम किया गया। प्राथमिक विद्यालयों को वैसिक-स्कूलों में परिवर्तित किये जाने का प्रयास किया गया। विश्वविद्यालयों में तीन वर्षीय डिग्री कोर्स पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाना था तथा स्नातकोत्तर और अनुसंधान-सुविधाओं में विस्तार एवं सुधार किया जाना था। इन सभी कार्यक्रमों को सुचारु रूप से सम्पन्न करने के लिये तीसरी योजना में शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय को दूसरी योजना के दुगुने से अधिक तथा पहली योजना के तिगुने से अधिक कर दिया गया। ये सभी बातें शिक्षा में भारत-सरकार की प्रबल रुचि की प्रतीक थी।

चौथी पंचवर्षीय योजना

प्रस्तावना

यह सत्य है कि पिछली तीन योजनाओं के काल में भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्र-संख्या की बहुत अधिक वृद्धि हुई है। पर संख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ शिक्षा में अनेक दोष आ गये हैं। इतने से अति स्पष्ट ये हैं — शिक्षा का स्तर गिर गया है, भारतीय शिक्षा-पद्धति को आर्थिक विकास के अनुकूल नहीं बनाया जा सका है। प्राथमिक और उच्च-शिक्षा के स्तरों में पर्याप्त उन्नति नहीं हुई है। व्यावसायिक और कृषि-शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। बालिकाओं की शिक्षा, बालकों की शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई है। देश के कुछ भाग ऐसे हैं, जहाँ बालकों और बालिकाओं—दोनों की शिक्षा पिछड़ी हुई है। प्राथमिक स्तर पर 'अपव्यय' और 'अवरोधन' बहुत अधिक है। विश्वविद्यालय स्तर पर काफी छात्र और छात्राएँ असफल हो जाते हैं और तीसरी श्रेणी में पास होते हैं।

इन दोषों का दूर करने के लिये चौथी योजना में विशेष प्रयास किये जायेंगे और जिन बातों पर पहले से अधिक ध्यान दिया जायगा, वे इस प्रकार हैं—शिक्षा की सुदृढता, स्तर, विविधता और अवधि।

शिक्षा-योजना के उद्देश्य

'आयोग' ने चौथी योजना में शिक्षा के अधोलिखित उद्देश्य निर्धारित किये हैं -

१. १९७५-७६ तक ६ से १४ वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना ।
२. सब बालकों और बालिकाओं के लिए ८ वर्ष की सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा होना ।
३. इस सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा को जन-शिक्षा का आधार बनाना ।
४. १४ वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार और आवश्यकता होना ।
५. १४ वर्ष की आयु के बाद शिक्षकों द्वारा नागरिकों और उनके जीवन-कार्यों के लिए तैयार करना, और
६. शिक्षा के प्रत्येक स्तर के बाद कुछ रोजगारों के द्वार खुले होना ।

शिक्षा पर व्यय

चौथी योजना में शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए १,२१३ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । यह धनराशि तीनों योजनाओं में व्यय किय गये धन से २८ प्रतिशत, और तीसरी योजना में निर्धारित धनराशि से दुगुनी से भी अधिक है । चौथी योजना में व्यय-व्यवस्था का वितरण नीचे की तालिका से स्पष्ट किया जा रहा है^१ —

	(करोड़ रुपए)
१. प्रारम्भिक शिक्षा	३२२
२. माध्यमिक शिक्षा	२४३
३. विद्वद्विद्यालय शिक्षा	१७५
४. अध्यापक-शिक्षा	६२
५. तकनीकी शिक्षा	२५३
६. समाज शिक्षा	६४
७. सांस्कृतिक कार्यक्रम	१८
८. विविध (सामान्य शिक्षा)	४६
कुल योग	१,२१३

शिक्षा-योजना के लक्ष्य

पिछली तीन योजनाओं के दौरान उपलब्धि और प्रमुख कार्यक्रमों से सम्बन्धित कुछ मद्दों के लिए चौथी योजना के लक्ष्यों को अप्राकृत तालिका (पृ० ५०२) में दिया जा रहा है^२ —

१. चौथी पञ्चवर्षीय योजना (प्रारम्भिक रूपरेखा), पृ० २३१ ।

२. वही, पृ० २३२ ।

कार्यक्रम	यूनिट	१९५०-५१ की उपलब्धि	१९६०-६१ की उपलब्धि	१९६५-६६ के लक्ष्य	१९६५-६६ के संभावित लक्ष्य	१९७०-७१ के लक्ष्य
१. प्रारम्भिक शिक्षा : (क) प्रारम्भिक स्तर (वर्षा १ में ५ तक) नामांकन (Enrolment) :— ६-११ आयु-वर्ग का प्रतिशत (ग) मिडिल स्तर (वर्षा ६ में ८ तक) नामांकन ११-१४ आयु-वर्ग का प्रतिशत	लाव	१९१.५ ४२.६	३४६.६ ६२.२	५०२.६ ७६.४	५१५.० ७८.७	६६५.० ६२.२
२. माध्यमिक स्तर : (वर्षा ६ में ११ तक) नामांकन १४-१७ आयु-वर्ग का प्रतिशत	लाव	३१.२ १२.७	६७.० २२.५	१०१.६ २६.८	११०.० ३२.२	१६०.० ४७.४
३. विश्वविद्यालय शिक्षा : नामांकन १७-२३ आयु-वर्ग का प्रतिशत	लाव	१२.२ ५.८	२६.६ ११.७	४६.७ १५.७	५२.४ १७.८	६०.० २२.१
४. तकनीकी शिक्षा (शामिलता शमता) : (क) डिप्लोमा पाठ्यक्रम (ग) डिग्री पाठ्यक्रम	लाव संख्या संख्या	३.० ०.७ ५,६०० ४,१२०	७.३ १.५ २५,८०० १३,८२०	११.७ १.६ ३७,३६० १६,१४०	११.० १.६ ४६,६०० ^२ २४,७०० ^२	१६.० ^१ २.४ ६८,००० ३०,०००

- इसमें से ५ लाख छात्र सम्मिलित हैं, जिन्हें पत्राचार-पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा दी जायगी।
- डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये मातृ शमता ५३,३०० की है, जबकि डिग्री पाठ्यक्रम के लिये २८,७०० है।

शिक्षा-योजना का कार्यक्रम

शिक्षा-योजना के कार्य-क्रम में तीन बातों को विशेष महत्त्व दिया गया है —

१. वर्तमान शिक्षा-पद्धति की कमियों को पूरा करना तथा सामाजिक-आर्थिक विकास की बढ़ती हुई माँग के साथ और अधिक प्रभावशाली रूप में जोड़ना ।
२. पहली तीन योजनाओं के दौरान, तीव्र विस्तार के परिणामस्वरूप शिक्षा-पद्धति में जो आन्तरिक दबाव पड़े हैं, उन्हें हटाना ।
३. सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा-पद्धति को आगे बढ़ाना ।

शिक्षा-योजना के कार्य-क्रम में जिन अन्य बातों को स्थान दिया गया है, वे निम्नलिखित हैं —

१. शिक्षा में अपव्यय को रोकना और शिक्षा-स्तर में सुधार करना ।
२. तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता देना ।
३. प्राथमिक स्तर पर इन बातों पर जोर देना—मुफ्त और सब जगह समान प्राथमिक शिक्षा, अपव्यय को समाप्त करना और पाठ्य-चर्या (Curriculum) पर नये सिरे से काम करना ।
४. उच्च स्तर की शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना और विज्ञान की शिक्षा का सुदृढ़ बनाना ।
५. मेट्रिक के बाद की और विश्वविद्यालय-शिक्षा में छात्रा को व्यावसायिक, तकनीकी और नौकरी-पेशा सम्बन्धी विषयों की ओर मोड़ना ।
६. विज्ञान और स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान कार्य के लिये सुविधाएँ प्रदान करना ।
७. पढाई का स्तर सुधारने के लिये अध्यापकों के प्रशिक्षण पर जोर देना और उनकी योग्यता में वृद्धि के साथ, उनके वेतन में वृद्धि करना ।
८. पाठ्य-चर्या और पढाई की पद्धतियों के अनुसंधान कार्य को और अधिक सघन बनाना ।
९. वयस्क शिक्षा के विस्तार पर विशेष जोर देना और आर्थिक विकास के साधन के रूप में कार्यक्षम साक्षरता पर भी जोर देना ।
१०. भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशन पर और अधिक ध्यान देना ।
११. शिक्षा को जनसाधारण के लिये मुलभ बनाने की दृष्टि से बहुत अधिक सहायता में ऋण-छात्रवृत्तियाँ देना ।
१२. अनुसूचित जाति और आदिम जाति के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना ।
१३. शिक्षण-विधियों में सुधार करना, जिसमें कम व्यय पर अच्छे परिणाम निवल सकें। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिये इन बातों पर

जोर देना—बड़ी शिक्षण-संस्थायें, अधिक् समय के लिये भवना, पुस्तकालयो और प्रयोगशालाओ का उपयोग, अशकालीन पाठ्यक्रम तथा पत्राचार पाठ्यक्रम ।

- १४ अप्रलिखित कार्यों के लिये स्थानीय साधन जुटाने की दिशा मे प्रयत्न करना—विद्यालय के बच्चो के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था, विद्यालय-भवन का निर्माण, विद्यालय-सुधार-कार्यक्रमो का विकास तथा विद्यालय और समुदाय मे निकट सम्बन्ध की स्थापना ।

प्राथमिक शिक्षा

तीसरी योजना के अन्त तक प्राथमिक शिक्षा को सब बच्चो के लिये सुलभ नही बनाया जा सका, हालांकि जो प्रयत्न किये गये, उनसे स्पष्ट होता है कि विद्यालय जाने वाले बच्चो की संख्या मे बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । तीसरी योजना के अन्त मे ६११ आयु-वर्ग के ७८ ५ और ११-१४ आयु वर्ग के ३२ २ प्रतिशत बच्चो को शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई । चौथी योजना का लक्ष्य है ६-११ आयु-वर्ग के ६२ २ और ११-१४ आयु-वर्ग के ४७ ४ प्रतिशत बच्चो को शिक्षा की सुविधा प्रदान करना ।^१

चौथी योजना के अन्त तक विद्यालय जाने वाले बच्चो की संख्या मे जो वृद्धि होगी, वह प्रशंसनीय है, पर भारतीय सविधान के उस निर्देश को पूरा नही किया जा सकेगा, जिसके अनुसार १४ वर्ष तक के सभी बच्चो को नि शुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाय । यह लक्ष्य १९८१ से पहले प्राप्त नही हो सकेगा ऐसी आशा है । फिर भी इस दिशा मे प्रभावशाली कदम के रूप मे अधिक जोर इस बात पर दिया जायगा कि पढाई छोडकर बैठ जाने वाले बच्चा की संख्या कम से-कम हो । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये आगे लिखे उपाय काम मे लाये जायगे—विद्यालयो का अच्छा संगठन, पाठ्य-पुस्तको को मुफ्त मे उपलब्ध कराना और दोपहर के भोजन कार्यक्रम का विस्तार ।

छात्राओ की संख्या मे वृद्धि करने के लिये विशेष प्रयत्न किये जायेंगे । इसका अर्थ यह है कि अध्यापिकाओ की संख्या मे वृद्धि करनी होगी । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये दो कार्य किये जायेंगे (i) ग्राम-क्षेत्रो मे अध्यापिकाओ के लिये बवार्टरो का निर्माण, और (ii) कम शिक्षित अध्यापिकाओ को अपनी शक्षणिक योग्यता बढाने के लिए प्रोत्साहन ।

माध्यमिक शिक्षा

पिछली तीन योजनाओ मे प्राथमिक शिक्षा का प्रसार बड़ी तेजी से हुआ और पिछडी जातियो के छात्रो को कई प्रकार की रियायतें दी गई । इसके परिणामस्वरूप माध्यमिक शिक्षा के लिये नामांकन (Enrolment) मे वृद्धि हो गई, अर्थात् १९५०-५१ मे १० लाख से बढकर १९६५-६६ मे ५० लाख (अनुमानित) हो गई ।^२

१ चौथी पंचवर्षीय योजना (प्रारम्भिक रूपरेखा), पृ० २२२ ।

२ वही, पृ० २२३ ।

माध्यमिक शिक्षा में तीव्र प्रसार होने के कारण इसमें अनेक समस्याएँ उपस्थित हो गई हैं। इनमें से महत्त्वपूर्ण हैं—माध्यमिक शिक्षा प्राप्त छात्रों में बेकारी, परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों की भारी सख्या, पढाई का निम्न स्तर माध्यमिक शिक्षा में अपव्यय और गणित, अंग्रेजी तथा विविध पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षकों का अभाव।

उपरोक्त समस्याओं का समाधान करने के लिये चौथी योजना में निम्नांकित दिशाओं में काम किया जायगा —

- १ माध्यमिक विद्यालयों की पढाई के स्तर को ऊँचा उठाना,
- २ छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिये तैयार करना,
- ३ पाठ्यक्रम में बहुत अधिक विविधता की व्यवस्था,
- ४ विज्ञान की शिक्षा पर और अधिक जोर देना
- ५ उच्च माध्यमिक विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित करना,
- ६ वर्तमान बहुउद्देशीय विद्यालयों को सुदृढ बनाना।

विश्वविद्यालय शिक्षा

स्वतन्त्रता के बाद विशेष बात यह है कि विश्वविद्यालयों का प्रसार हुआ है और कॉलेजों तथा अन्य उच्च-शिक्षा-संस्थाओं में अधिक सख्या में छात्रों का नामांकन हुआ है। विज्ञान, कला और वाणिज्य संकायों (Faculties) में विश्वविद्यालय स्तर पर नामांकन १९५०-५१ में ३ लाख था, जो बढ़कर १९६५-६६ में ११ लाख हो गया।^१ पहली दोना योजनाओं में से हर योजना में २ लाख नामांकन सख्या बढ़ गई थी। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि तीसरी योजना में लगभग ४ लाख हो गई होगी और चौथी योजना में सम्भवतः ६ लाख हो जायगी।

चौथी योजना में विश्वविद्यालय शिक्षा का पुनर्गठन अधोलिखित दिशाओं में किया जायगा —

- १ कला और वाणिज्य के लिये विद्यार्थियों की सख्या कम करने का प्रयत्न करना,
- २ विज्ञान, कृषि, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा के लिये मुविद्याओं को बढ़ाना,
- ३ पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना,
- ४ निम्न स्तर के कॉलेज खोलने को प्रोत्साहित करना,
५. पढाई के सामान्य स्तर को ऊँचा उठाना,

१. चौथी पंचवर्षीय योजना (प्रारम्भिक रूपरेखा), पृ० २२४।

६. स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाओं में वृद्धि करना,
७. नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना की आज्ञा न देना।

समालोचना

चौथी पंचवर्षीय योजना अभी ऐसी स्थिति में है कि उसकी समालोचना करना कठिन है। इस योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा पर अभी विचार-विमर्श हो रहा है। इसलिये इनके वास्तविक रूप को अभी तक निश्चय नहीं किया जा सका है। फिर भी इसने शिक्षा के जिन कार्य-क्रमों का उल्लेख किया है, वे सराहनीय हैं।

चौथी योजना में शिक्षा को देश के विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप सोद्देश्य रूप में जोड़ा जायगा। इसके साथ ही, शिक्षा के विषय और स्तर में सुधार किया जायगा। इस कार्य में सफलता पाने के लिये अध्यापकों के स्तर को ऊँचा किया जायगा और विशिष्ट क्षेत्रों में अनुशासन-सम्बन्धी कमियों को दूर किया जायगा। सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा और कार्य सहित पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जायगा। अन्य शिक्षा-क्षेत्रों में कार्य-क्रमों को इस तरह रखा जायगा कि वे सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकें। वयस्क साक्षरता कार्यक्रम को काफी आगे बढ़ाया जायगा और उसका संचालन इस तरह किया जायगा कि वह आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्निर्माण के लिये प्रभावशाली साधन बन सके।

आशा है कि शिक्षा-कार्यक्रमों के अन्तर्गत नामांकन संख्या बढ़ाई जायगी—

६-११ आयु-वर्ग में ७८.५ से ९२.२ प्रतिशत, ११-१४ आयु-वर्ग में ३२.२ से ४७.४ प्रतिशत, १४-१७ आयु-वर्ग में १७.८ से २२.१ प्रतिशत। इजीनियरी और टेकनॉलॉजी, डिप्लोमा व डिग्री पाठ्यक्रम में दाखिला-क्षमता १९७०-७१ में क्रमशः ६८,००० और ३०,००० हो जायगी, जबकि १९६५-६६ में यह संख्या क्रमशः ४९,९०० और २४,७०० थी।

सारांश

पहली योजना—योजना से पूर्व शिक्षा की सुविधायें बहुत कम थीं। अतः 'योजना-आयोग' ने शिक्षा के पुनर्गठन के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये। इसने लिये पहली योजना में १६६ करोड़ रुपये व्यय किये गये। पर योजना को पर्याप्त सफलता नहीं मिली, क्योंकि वह अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। इसने अनिश्चितताओं को दुरुपयोग किया गया।

दूसरी योजना—इस योजना में शिक्षा पर ३०७ करोड़ रुपये व्यय किये गये। इस योजना की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें कोई निश्चित योजना नहीं थी। शिक्षा का पुनर्संरुद्धन नहीं किया गया। केवल कुछ विद्यालय स्थापित किये गये, विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी गईं, पाठ्यक्रमों में अधिविषयों को स्थान दिया गया, और कुछ स्थानों पर शिक्षा की अधिक सुविधाएँ कर दी गईं।

तीसरी योजना—इस योजना में शिक्षा पर ४१८ करोड़ रुपये व्यय किये गये। इस योजना में किये जाने वाले प्रमुख काम थे — ६ से ११ वर्ष की आयु के सब बच्चों के लिए शिक्षा-सुविधाओं की व्यवस्था, माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान की शिक्षा का विस्तार, प्रत्येक स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं में विस्तार और छात्रवृत्तियों में वृद्धि।

चौथी योजना—इस योजना में शिक्षा पर १,२१३ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं — १९७५-७६ तक ६ से १४ वर्ष तक के सब बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था करना, सब बच्चों को ८ वर्ष की अनिवार्य शिक्षा देना, १४ वर्ष तक प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना, और शिक्षा के प्रत्येक स्तर के बाद कुछ रोजगारों के द्वार खोलना।

TEST QUESTIONS

1. Write a critical note on "Education in India under the first Three Five-year Plans"

'पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में भारत में शिक्षा'—पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए।

2. What efforts will be made for the development of Primary, Secondary and University Education under the Fourth Five-Year Plan?

चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्राथमिक, माध्यमिक और विश्व-विद्यालय शिक्षा के विकास के लिए क्या प्रयास किए जायेंगे?

